पंचदश माला, खंड 32, अंक 18

मंगलवार, 19 मार्च, 2013
28 फाल्गुन, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 88
Dated 4 July 2016

(खण्ड 32 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

देवेन्द्र सिंह
अपर सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

जगपाल सिंह रावत
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

इंदु बक्शी
सम्पादक

कीर्ति यादव
सहायक सम्पादक

© 2013 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 32, तेरहवां सत्र, 2013/1934 (शक)]

अंक 18, मंगलवार, 19 मार्च, 2013/28 फाल्गुन, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-2
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 301 से 320	3-136
अतारांकित प्रश्न संख्या 3451 से 3680	135-802
सभा पटल पर रखे गए पत्र	802
...ाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
(एक) 18वां प्रतिवेदन	807
(दो) विवरण	808
...य संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	808
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति	
61वें से 65वां प्रतिवेदन	809
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 51वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री पी. चिदम्बरम	810
समिति के लिए निर्वाचन	
अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण संबंधी समिति	811
दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 — *वापस लिया गया*	812-13

*सभा में निरंतर व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। इन तारांकित प्रश्नों को अतारांकित प्रश्न माना गया।

विषय कॉलम

दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 — *पुरःस्थापित* 814

सदस्यों द्वारा निवेदन

श्रीलंकाई तमिलों के मानवाधिकारों के उल्लंघन हेतु श्रीलंका के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् में एक सशक्त संकल्प की आवश्यकता के बारे में 817-21

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान में भरतपुर से डीग एवं कमन होते हुए कोसीकलां तक नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री रतन सिंह 822

(दो) आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त विद्युत आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री पोन्नम प्रभाकर 822

(तीन) नई अन्वेषण और अनुज्ञप्ति नीति के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उत्पादन हिस्सेदारी समझौते का अनिवार्य लेखा परीक्षण किए जाने की आवश्यकता

श्री हर्ष वर्धन 823

(चार) केरल के कोझिकोड में फुटवियर डिज़ाइन और विकास संस्थान स्थापित किए जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री एम.के. राघवन 824

(पांच) नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री पन्ना लाल पुनिया 825

(छह) 'डेयरी एंटेरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम' के अंतर्गत मध्य प्रदेश के बैतूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डेयरी फार्मों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती ज्योति धुर्वे 826

(सात) राजस्थान के बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मोबाइल टॉवरों को चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन राम मेघवाल 826

विषय कॉलम

(आठ) बिहार के गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुरूप वृक्षारोपण का कार्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री हरि मांझी 827

(नौ) महाराष्ट्र में डीजल बेच रहे कंज्यूमर पम्प आउटलेटों को बनाए रखने के लिए उन्हें रिटेल पम्प आउटलेटों में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी 827

(दस) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में किसानों को सिंचाई हेतु जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वहां गंगा नदी के भिटौरा घाट पर पम्प कैनाल के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री राकेश सचान 828

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में मुंगरा बादशाहपुर के नजदीक राज्य राजमार्ग संख्या 7 पर रेल समपार पर एक उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री धनंजय सिंह 829

(बारह) देश में मत्स्य पालन के लिए एक अलग मंत्रालय बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन 829

(तेरह) तमिलनाडु के नीलगिरी स्थित हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस् के पुनरुद्धार संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.आर. नटराजन 830

(चौदह) ओडिशा के बोलांगिर जिले में सौर उद्यान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री कालीकेश नारायण सिंह देव 831

(पंद्रह) आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकायों के लिए 13वें वित्त आयोग से धनराशि जारी करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी 832

दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 और दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

विचार करने के लिए प्रस्ताव 834

डॉ. भोला सिंह 834

विषय	कॉलम

श्री सुशीलकुमार शिंदे	835
श्री संदीप दीक्षित	847
श्रीमती सुमित्रा महाजन	856
श्री शैलेन्द्र कुमार	866
श्री दारा सिंह चौहान	871
श्री शरद यादव	871
श्री कल्याण बनर्जी	879
श्री ए. सम्पत	882
श्री पिनाकी मिश्रा	885
श्री अनंत गंगाराम गीते	889
श्रीमती सुप्रिया सुले	892
श्री एस. सेम्मलई	897
श्री नामा नागेश्वर राव	899
श्री गुरुदास दासगुप्त	901
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	904
श्री लालू प्रसाद	908
कुमारी सरोज पाण्डेय	912
श्रीमती प्रिया दत्त	915
श्रीमती जयाप्रदा	918
श्री शरीफुद्दीन शारिक	923
श्री कामेश्वर बैठा	926
श्रीमती शताब्दी राय	927
श्री असादुद्दीन ओवेसी	929
श्री थोल तिरुमावलावन	931
श्री अजय कुमार	933

विषय	कॉलम
श्री आर. थामराईसेलवन	935
श्री विजय बहादुर सिंह	937
श्रीमती मीना सिंह	938
खंड 2 से 31 और 1	945
विचार करने के लिए प्रस्ताव	945
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार करने तथा अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प के बारे में संयुक्त चर्चा	864-65
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	1001-1002
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	1001-1020
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	1021-1022
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	1021-1024

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

मंगलवार, 19 मार्च, 2013/28 फाल्गुन, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं*]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने भूतपूर्व सहयोगियों, सर्वश्री कैलाशनाथ सिंह यादव और फ्रांसिस फैन्थम के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्री कैलाशनाथ सिंह यादव 1989 से 1991 तक नौवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के चंदौली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री यादव 1977 से 1980 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य भी रहे और 1979 से 1980 तक उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री के पद पर आसीन रहें।

एक योग्य संसदविद् श्री यादव प्राक्कलन समिति के सदस्य थे। वह 1990 के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे।

श्री यादव का निधन 73 वर्ष की आयु में 09 मार्च, 2013 को वाराणसी में हुआ।

श्री फ्रांसिस फैन्थम 2004 से 2009 तक चौदहवीं लोक सभा के मनोनीत सदस्य थे।

एक योग्य संसदविद् श्री फैन्थम 2005 से 2009 तक विभागों से सम्बद्ध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के सदस्य थे।

पेशे से शिक्षाविद् श्री फैन्थम ने अभावग्रस्त बच्चों, विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया।

श्री फ्रांसिस फैन्थम का निधन 64 वर्ष की आयु में 12 मार्च, 2013 को देहरादून में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं इस सभा की ओर से और अपनी ओर से संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती हूं।

माननीय सदस्यों, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आज सुबह एक बस के पुल से नीचे गिर जाने के कारण 36 लोगों के मारे जाने और कई अन्य के घायल होने की सूचना मिली हे।

यह सभा इस दु:खद घटना पर गहरा शोक प्रकट करती है जिसके कारण मृतकों के शोक संतप्त परिवारों और घायलों को दु:ख और पीड़ा पहुंची है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात्, सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने तथा विचार और पारित करने के लिए क्रमश: क्रम संख्या 19 और 22 पर आज की कार्य सूची में शामिल किया गया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदया : जैसाकि पहले ही दिनांक 18 मार्च, 2013 के समाचार भाग-दो, पैरा संख्या 5154 द्वारा अधिसूचित किया गया है कि सदस्य आज दोपहर 12 बजे तक दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 में संशोधन की सूचना सभा पटल पर रख सकते हैं। दोपहर 12 बजे तक प्राप्त संशोधनों पर विचार किया जाएगा और इसे सभा में परिचालित किया जाएगा।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया : अब प्रश्न काल। प्रश्न संख्या 301; श्री सुगुमार।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.04¼ बजे

इस समय, श्री शिवासामी, श्री थोल तिरुमावलावन, श्री टी.के.एस. इलेंगोवन और कुछ अन्य माननीय सदस्यगण आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

पूर्वाह्न 11.05 बजे

इस समय, श्री अर्जुन चरण सेठी, श्री प्रहलाद जोशी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कोयले की मांग और आपूर्ति

***301. श्री के. सुगुमार** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुल कोयला उत्पादन में बड़ा हिस्सा गैर-कोकिंग कोयले का होता है और इसका उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए व्यापक रूप से होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान गैर-कोकिंग कोल के लिए 230 मिलियन टन के मांग-आपूर्ति अंतर का अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोल इंडिया लिमिटेड से मांग-आपूर्ति अंतर को पाटने के लिए 615 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करने हेतु आग्रह किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस कार्य योजना पर विचार किया जा रहा है?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी, हां। विद्युत उपयोगिताओं, केप्टिव विद्युत, सीमेंट, स्पांज लोहा और अन्य उद्योग जैसे विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए नान-कोकिंग कोयले का व्यापक रूप से उपयोग होता है।

(ग) वार्षिक योजना 2012-13 तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के अनुसार देश में 12वीं योजना के अंतिम वर्ष (2016-17) में मांग तथा आपूर्ति के बीच कुल अंतर (घरेलू) आशावादी परिदृश्य के अंतर्गत 185.50 मिलियन टन होने के परिकल्पना की गई है उसके ब्यौरे निम्नवत् हैं:—

नान-कोकिंग कोयले के लिए (मिलियन टन)

मद	2016-17
कुल अखिल भारतीय मांग	913.30
स्वदेशी आपूर्ति/उपलब्धता	759.61
अंतर (नान-कोकिंग कोयले के लिए स्वदेशी)	153.69
सीआईएल स्रोतों से उपलब्धता	557.96

(घ) और (ङ) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) का 12वीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात् 2016-17 में 615 मिलियन टन (57.04 मिलियन टन कोकिंग कोयला सहित) कोयला के उत्पादन की परिकल्पना है। सीआईएल उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ होगी बशर्ते कि अपेक्षित अनुमोदनों पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाए तथा निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रदान किया जाए। भूमि अधिग्रहण, आर एंड आर, अतिरिक्त

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कानून तथा व्यवस्था और निकासी अवसंरचना को प्रभावित करने वाले मसलों का भी समयबद्ध तरीके से समाधान निकालना होगा।

कोयले उत्पादन का समूह-वार ब्यौरा निम्नवत् है:–

विवरण ब्यौरे	12वीं योजना के अंतिम वर्ष (2016-17) में मिलियन टन
मौजूदा खानें	23.82
पूर्ण हुई परियोजनाएं	161.72
चालू परियोजनाएं	333.33
भावी परियोजनाएं	96.13
योग	615.00

[हिन्दी]

आसूचना आदान-प्रदान तंत्र

***302. श्री भूदेव चौधरी :**
डॉ. मुरली मनोहर जोशी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र और राज्यों के बीच आसूचना संबंधी जानकारी के आदान-प्रदान हेतु इस समय कोई उपयुक्त तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में हाल ही में हुए बम विस्फोट की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए देश में आसूचना आदान-प्रदान तंत्र की खामियों, यदि कोई हों को दूर करने के लिए इसकी समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आतंकवादी हमलों को विफल करने के लिए देश में आसूचना आदान-प्रदान तंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) केन्द्र और राज्य स्तरों पर आसूचना एजेंसियों के बीच आसूचना के आदान-प्रदान के लिए बहुत घनिष्ठ, कारगर और मजबूत तंत्र और समन्वय मौजूद हैं। सम्भावित योजनाओं और खतरों के बारे में आसूचना जानकारियों का नियमित और सही समय के आधार पर राज्य सरकारों के साथ आदान-प्रदान किया जाता है। बहु-एजेंसी केन्द्र (एमएसी) का प्रभावकारी आसूचना आदान-प्रदान तंत्र के रूप में सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन किया गया है ताकि यह अन्य आसचूना एजेंसियों के साथ सही समय पर आसूचना के मिलान और अदान-प्रदान करने हेतु 24×7 आधार पर कार्य कर सके और स्थापित तंत्र के माध्यम से संबंधित राज्यों के साथ सुरक्षा आसूचना जानकारियों का आदान-प्रदान किया जाता है जिससे राज्यों और केन्द्रीय सुरक्षा और विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच घनिष्ठ समन्वय और आसूचना का आदान-प्रदान तथा सचूना का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित होता है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न आतंकवादी माड्यूलों को अकसर नष्ट किया गया है।

(ख) से (घ) देश में आसचूना के आदान-प्रदान के तंत्र की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है और यह विभिन्न मंचों पर आवधिक रूप से की जाती है। सरकार आंतरिक सुरक्षा के आकस्मिक खतरों की लगातार समीक्षा करती है और आसूचना के आदान-प्रदान तंत्र के अंतराल का मूल्यांकन करती है और यदि कोई कमियां हो तो उन्हें दूर करने के तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए समुचित उपाय करती है।

बहु-एजेंसी केन्द्र सहायक बहु-एजेंसी केन्द्र तंत्र, जो वर्ष 2001 से कार्यरत है, का वर्ष 2008 में सुदृढ़ीकरण किया गया है। 25 सदस्य एजेंसियों के नोडल अधिकारियों की दैनिक बैठकें एमएसी के मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक कार्य-दिवस को आयोजित की जा रही हैं। वर्ष 2012 के दौरान एमएसी – एसएमएसी द्वारा आयोजित की गई अन्य बैठकों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

एसएमएसी बैठकें (राज्यों में)	:	675
जम्मू और कश्मीर (सीमापार आतंकवाद पर बैठकें)	:	12
पूर्वोत्तर विद्रोह संबंधी बैठकें	:	16
वामपंथी उग्रवाद से संबंधित मूल्यांकन बैठकें	:	07
महत्वपूर्ण जानकारियों पर फोकस ग्रुप की बैठकें	:	24

ऐसी बैठकों के दौरान, प्रतिक्रिया कार्रवाई बल/राज्य पुलिस और प्राय: कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साटा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए आसूचना जानकारियों का आदान-प्रदान और उन पर विचार-विमर्श किया जाता है।

अपराध में संलिप्त किशोर

***303. श्री रामकिशुन :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सामूहिक बलात्कार के मामलों में शामिल किशोरों को मृत्यु दंड दिए जाने और साथ ही किशोर की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष किए जाने के उपबंध का विराध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, जिसका भारत ने अनुसमर्थन किया है, के आधार पर मृत्यु दंड के साथ-साथ किशोर की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष किए जाने का विरोध किया है। इसके अतिरिक्त, (किशोर अन्य देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 16 किशोरों को मृत्यु दंड देने का प्रतिषेध करती है।

(ग) किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत किशोर की आयु को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गेहूं और चावल का उत्पादन

***304. श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्री संजय निरूपम :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में गेहूं और चावल का राज्य-वार उत्पादन कितना रहा;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान कुछ अग्रणी चावल उत्पादक राज्यों में चावल के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को प्रोत्साहन दिए गए हैं/दिए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) विगत 3 वर्षों तथा मौजूदा वर्ष अर्थात् 2009-10 से 2012-13 (दूसरे अग्रिम अनुमान) के दौरान देश में गेहूं एवं चावल के उत्पादन के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। यह देखा गया है कि अधिकांश चावल उत्पादक राज्यों में, 2012-13 के दौरान चावल का अनुमानित उत्पादन 2009-10 की तुलना में बहुत अधिक रहा है। तथापि, विलंब/कम वर्षा के एवज में क्षेत्रीय कवरेज में कमी के कारण चावल के उत्पादन में कर्नाटक, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल में गिरावट होने का अनुमान है।

(घ) और (ङ) देश में चावल एवं गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से, सरकार अनेक फसल विकास योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), वृहत् कृषि प्रबंधन (एमएमए), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (बीजीआरईआई) आदि। इन योजनाओं के तहत गुणवत्ता बीजों के उत्पादन/उपयोग, एकीकृत पोषाहार प्रबंधन (आईएनएम), एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम), फार्म अभियांत्रिकीकरण आदि के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि सहित राज्य विशिष्ट कृषि नीतियों के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को धनराशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा, किसानों के बीच फ्रांटियार प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने के लिए कृषक क्षेत्रों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर)/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा फ्रांटलाइन प्रदर्शनों का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा, किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, धान एवं गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) को भी 2009-10 में क्रमश: 1000 रुपये (50 रुपए के अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस सहित) तथा 1100 रु./क्विंटल से बढ़ाकर 2012-13 में 1250 रुपये तथा 1350 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

विवरण

2009-10 से 2012-13 के दौरान गेहूं और चावल का राज्य-वार उत्पादन

उत्पादन ('000 टन)

राज्य	गेहूं				चावल				
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*	वृद्धि/कमी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9-6)
आंध्र प्रदेश	10.0	13.0	11.0	7.0	10538.0	14418.0	12895.0	10488.0	-50.0
असम	63.5	52.8	60.3	57.0	4335.9	4736.6	4516.3	4768.0	432.1
बिहार	4570.8	4097.6	4725.0	5143.4	3599.3	3102.1	7162.6	6767.9	3168.7
छत्तीसगढ़	121.9	126.8	133.1	133.1	4110.4	6159.0	6028.4	6246.2	2135.8
गुजरात	2352.0	4019.5	4072.0	2934.0	1292.0	1496.6	1790.0	1467.0	175.0
हरियाणा	10500.0	11630.0	12685.7	11664.0	3625.0	3472.0	3759.0	3802.0	177.0
हिमाचल प्रदेश	327.1	546.5	595.8	544.4	105.9	128.9	131.6	105.2	-0.7
जम्मू और कश्मीर	289.9	446.3	500.3	413.1	497.4	507.7	544.7	506.3	8.9
झारखंड	173.2	158.4	302.6	317.4	1538.4	1110.0	3130.6	3484.2	1945.8
कर्नाटक	251.0	279.0	193.0	204.0	3691.0	4188.0	3955.0	3485.0	-206.0
केरल	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	598.3	522.7	569.0	517.5	-80.8
मध्य प्रदेश	8410.0	7627.1	11538.5	12390.0	1260.6	1772.1	2227.3	2474.0	1213.4
महाराष्ट्र	1740.0	2301.0	1313.0	809.0	2183.0	2696.0	2841.0	3058.8	875.8
ओडिशा	5.8	4.2	2.4	3.0	6917.5	6827.7	5807.0	7560.7	643.3
पंजाब	15169.0	16472.0	17280.1	16169.0	11236.0	10837.0	10542.0	11293.0	57.0
राजस्थान	7500.9	7214.5	9319.6	9256.3	228.3	265.5	253.4	342.5	114.2
तमिलनाडु	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	5665.2	5792.4	7458.7	5483.7	-181.5
उत्तर प्रदेश	27518.0	30001.0	30292.6	30333.1	10807.1	11992.0	14022.0	13555.0	2747.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9-6)
उत्तराखंड	845.0	878.0	878.0	911.0	608.0	550.4	594.0	587.0	-21.0
पश्चिम बंगाल	846.7	874.4	872.9	900.0	14340.7	13045.9	14605.8	13239.4	-1101.3
अन्य	108.8	131.9	106.1	110.0	1915.0	2359.2	2477.6	2569.5	654.5
अखिल भारत	80803.6	86873.9	94882.1	92298.8	89092.9	95979.8	105310.9	101801.0	12708.1

एनजी : उगाया नहीं।

*08.02.2013 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान।

हैदराबाद में बम विस्फोट

***305. श्री रेवती रमन सिंह :**
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में हैदराबाद में हुए बम विस्फोट की जांच की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास हैदराबाद में हुए बम विस्फोट के संबंध में पहले से ही आसूचना संबंधी जानकारी थी;

(ग) यदि हां, तो बम विस्फोट को रोकने में विफल रहने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या किसी आतंकवादी समूह ने उक्त विस्फोट की जिम्मेदारी ली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य सरकार की संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय कर शीघ्र जांच कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ङ) 21 फरवरी, 2013 को 1858 और 1901 बजे के बीच हैदराबाद में सिटी बस स्टॉप तथा बस डिपो, दिलसुख नगर के सामने मेन रोड पर रमेश टी शॉप में दो विस्फोट हुए। इन विस्फोटों में कुल 17 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 123 व्यक्ति घायल हो गए। प्रारंभिक जांच से यह स्पष्ट हुआ कि दोनों जगहों पर साइकिलों पर रखे गए आईइडी से विस्फोट करवाये गए थे। केन्द्रीय आसूचना एजेंसी की संसद पर हमने के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिये जाने का बदला लिये जाने के लिए पूरे भारत में आतंवकवादी क्रियाकलाप होने की सम्भावना के बारे में अलर्ट किए जापने से संबंधित दो सामान्य आसूचना परक सचूनाएं दिनांक 09.02.2013 और 16.2.2013 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को दे दी गई थीं। इसी प्रकार, दो सामान्य आसूचना परक सूचनाएं 19.02.2013 और 20.02.2013 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को दे दी गईं थीं, जिनमें उन्हें अफजल गुरु को फांसी दिये जाने के खिलाफ बदले की कार्रवाई करने से संबंधित आतंकवादी समूहों में होने वाले खतरों के बारे में अलर्ट किया गया था। अभी तक किसी आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से, केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एएनआईए) को राज्य सरकार की संबंधित सुरक्षा एजेंसी से समन्वय करके मामले की जांच करने के लिए निदेश पहले ही दे चुकी है।

[अनुवाद]

वायदा बाजार

***306. श्री सी. राजेन्द्रन :**
श्री पी.टी. थॉमस :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायदा बाज़ार में प्रचालनों में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने और प्रतिबंधित व्यापार प्रक्रियाओं को रोकने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वायदा बाजार में काली मिर्च सहित कृषि जिन्सों में कार्टेलाइजेशन और छलसाधन की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा सरकार/वायदा बाजार आयोग द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है/रुख अपनाया गया है;

(घ) वायदा बाजार में कार्टेलाइजेशन और हेरा-फेरी को रोकने तथा इसे किसानों के प्रति और अधिक प्रति संवेदी और लाभप्रद बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है कि वायदा बाजार में उतार-चढ़ाव/छलसाधन का उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) नेशनल कमोडिटी एक्सचेंजों में वायदा व्यापार, जिन्हें डिम्युचलाइज्ड ऑन लाइन व्यापार एक्सचेंजों के रूप में स्थापित किया गया, की बारीकी से निगरानी वायदा बाजार, वस्तु विनियामक द्वारा की जाती है। कमोडिटी फ्यूचर मार्किट में पारदर्शिता को सुधारने के लिए, वायदा बाजार आयोग द्वारा अनेक प्रयास किया गए हैं। एक्सचेंजों को हैजिंग को सुधारने, संविदाओं के जीवन चक्र से संबंधित पखवाड़ा आधार पर उनकी वेबसाइट पर सूचना देने, अपलोडिंग क्लाइंट कोडो को अपलोड किए बिना क्लाइंट कोड मोडिफिकेशन/फैसिलिटी/व्यापार निष्पादन के दुरुपयोग के लिए निवारक शास्तियां अधिरोपित करना, सदस्यों और ग्राहकों के लिए ओपन पोजीशन सीमाएं, कंसर्ट में कार्यरत प्रतिष्ठानों को ओपन पोजिशनों को इकट्ठा करना, तीन वर्षों में एक बार सभी सदस्यों की अनिवार्य लेखा-परीक्षा, ग्राहक खातों का त्रैमासिक निपटान, एक्सचेंजों द्वारा निवेशकों/ग्राहकों को एस.एम.एस. और ई-मेल अलर्ट, कॉमन केवाईसी एक्रोस एक्सचेंज, मूल्य प्रसारणके लिए मूल्य टिकर बोर्डों की स्थापना, प्रोप्राइटरी ट्रेड के प्रतिशत के संबंध में सूचना का खुलासा और एक्सचेंजों के व्यापार प्लेटफार्मों पर किए गए क्लाइंट ट्रेड और एल्गो ट्रेड के लिए कदम उठाने के लिए निदेश दिए गए हैं।

(ख) और (ग) वायदा बाजार आयोग ने कमोडिटी फ्यूचर मार्किट पर कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तथापि, कोच्चि में एनसीडीईएक्स प्रत्यायित भंडागृहों पर काली मिर्च की घटिया गुणवत्ता सहित कार्टेलाइजेशन का आरोप लगाने की कुछ शिकायतें नवम्बर, 2012 में प्राप्त हुई थी। वायदा बाजार आयोग ने मामले की जांच करने के निर्देश दिए और वायदा बाजार ने पाया कि कुछेक ग्राहक काली-मिर्च संविदाओं में कंसर्ट में कार्य कर रहे थे और वायदा बाजार आयोग द्वारा जारी संयुक्त दिशा-निर्देशों के आधार पर उनकी पोज़िशनों को जोड़ा गया। आयोग ने उन सदस्यों से स्पष्टीकरण मांगते हुए पत्र भी जारी किए जिनसे उपर्युक्त ग्राहक पोजीशन ले रहे थे और काली मिर्च में सुपुर्दगियां प्राप्त कीं। वायदा बाजार आयोग ने एक्सचेंजों को वायदा बाजार आयोग ने एक्सचेंजों को वायदा बाजार आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी काली मिर्च संविदा को शुरू न करने के निदेश भी दिए क्योंकि काली मिर्च की सुपुदर्गी गुणवत्ता के लिए गुणवत्ता विनिर्देशनों पर विचार किया जा रहा है।

(घ) कंसर्ट में कायर्क कर रहे प्रतिभागियों का ओपन पोजीशन को जोड़ने के लिए दिशा-निर्देशों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वायदा बाजार आयोग ने लचीला बनाने के लिए 10.01.2012 को दिशा-निर्देश संशोधित किए है और एक्सचेंजों को और अधिक एक्सचेजों ने प्रभावी कार्रवाई की और एक्सचेंज प्लेटफार्मों पर कंसर्ट में कार्यरत बहुत से प्रतिष्ठानों के ओपन पोजीशनों जो जोड़ा। वायदा बाजार आयोग द्वारा कार्यान्वित मूल्य प्रसार (बिकीर्णन) परियोजना, अर्थात् समय आधार पर 5 राष्ट्रीय एक्सचेंज प्लेटफार्मों पर मूल्य खोज का प्रसार करती है और इसे कृत्रिम आपूर्ति श्रृंखला में सभी पणधारियों का उपलब्ध कराती है, विशेष रूप से किसानों को, बुआई और विपणन के बारे में संगत और सूचित निर्णय लेने में समर्थ बनाती है। इस परियोजना के अंतर्गत 1847 मूल्य टिकर बोर्ड प्रतिस्थापित किए गए हैं। वायदा बाजार आयोग, किसानों सहित विभिन्न पणधारियों के लिए उपभोक्ता जागरुकता कार्यक्रम भी आयोजित करता है। 31.01.2013 तक की स्थिति के अनुसार, कुल 3195 जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसमें से 1990 कार्यक्रम किसानों के लिए है।

(ङ) एक सुनिश्चित करने के लिए कि भावी बाजार के अधिक सट्टेबाजी के अधीन नहीं है। वायदा बाजार आयोग द्वारा कई विनियामक उपायों का उपयोग और मूल्य जोखिम प्रबंधन और मूल्य खोज के निर्दिष्ट उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए किया गया। वायदा बाजार आयोग भावी वस्तु एक्सचेंजों में व्यापार की गई सभी वस्तुओं के मूल्य रूझानों पर कड़ी निगरानी रखता है और आवश्यकता के अनुसार बाजार में हस्तक्षेप के लिए विशेष मार्जिन लागू करना; अतिरिक्त मार्जिन, प्रारंभिक मार्जिन बढ़ाना, पूर्व-समाप्ति मार्जिन, स्थिति सीमा में परिवर्तन आदि जैसे उपाय किए हैं। हाल ही में, वायदा बाजार आयोग ने पृथक-पृथक सुपुर्दगी प्रणाली, अकाल की स्थिति में संविदाओं की अस्वीकृति, कुछ वस्तुओं की अंतिम समाप्ति तारीख घटना, खुले ब्याज अनुपात के आयतन की संवीक्षा, सात वस्तुओं के प्रारंभिक मार्जिन को दुगना करना आदि जैसे मूल्य अस्थिरता के प्रभाव की अत्यधिक

सट्टेबाजी के लिए कई उपाय किए हैं। वायदा बाजार आयोग ने भौतिक बाजार पद्धति के साल भावी बाजारों को लाने के भावी संविदा डिजाइन के व्यापक पुनरीक्षण का कार्य भी आरंभ कर दिया है। इन सभी उपायों से उपभोक्ताओं सहित पणधारियों के हितों की सुरक्षा अपेक्षित है।

खाद्यान्नों का बुआई क्षेत्र

***307. श्री ए. सम्पत :**
श्री गणेश सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में खाद्यान्नों की खेती के क्षेत्र में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कुछ राज्य खाद्यान्नों के उत्पादन में पिछड़ रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश के विभिन्न भागों में खाद्यान्नों के उत्पादन और उत्पादकता में संतुलित वृद्ध हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) विगत 3 वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान खाद्यान्नों के तहत क्षेत्रीय कवरेज के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। यह देखा गया है कि देश में खाद्यान्नों के तहत कुल क्षेत्र 2009-10 में 1213.34 लाख हैक्टेयर से बढ़ाकर 2010-11 में 1266.71 लाख हैक्टेयर हो गया है तथा बाद में 2011-12 तथा 2012-13 (दूसरे अग्रिम अनुमान) में घटकर क्रमशः 1247.55 लाख हैक्टेयर तथा 1199.22 लाख हैक्टेयर हो गया है।

भू उर्वरता, वर्षा का अनिश्चित वितरण, मॉनसून पर निर्भरता, छोटी एवं खंडित भूमि की जोत, अनुचित पोषाहार एवं कीट प्रबंधन, अच्छे गुणवत्ता बीजों को कम उपयोग, पर्याप्त कृषि मशीनरी की कमी, व्यवसायों के उन्नत पैकेज को कम अपनाने आदि के कारण कुछ राज्यों में खाद्यान्नों की उत्पादकता बहुत कम है।

(ङ) देश के विभिन्न भागों में खाद्यान्नों के उत्पादन एवं उत्पादकता में संतुलित वृद्धि के लिए, सरकार अनेक फसल विकास योजनाएं तथा कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है, नामतः, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), एकीकृत तिलहन, दलहन, पॉम ऑयल एवं मक्का योजना (आईसोपाम), वृहत कृषि प्रबंधन तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत चावल/गेहूं/मोटे अनाजों के लिए एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम। इसके अतिरिक्त 2010-11 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 2 नए कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है नामतः पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन एवं तिलहन गांवों का एकीकृत विकास। इसके अलावा, देश के 16 दलहन उत्पादक राज्यों में ब्लॉक प्रदर्शनों के रूप में "त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (एउपी)" नामक एक नए कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है।

इसके अलावा, उच्चतर कृषि उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) स्थान-विशिष्ट किस्मों, प्रौद्योगिकियों तथा किस्मों/हाईब्रिडों के विकास सहित भिन्न-भिन्न स्थितियों के अनुकूल फसल सुधार, उत्पादन एवं रक्षात्मक प्रौद्योगिकियों से संबंधित मूल एवं नीतिगत अनुसंधान कर रहा है।

विवरण

2009-10 से 2012-13 के दौरान खाद्यान्नों के तहत राज्य-वार क्षेत्रीय कवरेज

क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)

राज्य	खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्र				विगत वर्ष की तुलना में क्षेत्र में वृद्धि/कमी		
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*	2010-11	2011-12	2012-13*
	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	6666.0	8029.8	7289.0	6632.0	1363.8	-740.8	-657.0

1	2	3	4	5	6	7	8
असम	2695.6	2766.5	2736.2	2821.1	70.9	-30.3	84.9
बिहार	6634.1	6235.8	6695.9	6342.6	-398.3	460.1	-353.3
छत्तीसगढ़	३4863.7	4955.4	4964.6	4908.4	91.7	9.2	-56.2
गुजरात	3694.0	4525.0	4736.0	3878.0	831.0	211.0	-858.0
हरियाणा	4540.0	4716.4	4630.0	4447.0	176.4	-86.4	-183.0
हिमाचल प्रदेश	784.1	795.3	790.5	770.0	11.2	-4.9	-20.5
जम्मू और कश्मीर	935.6	928.2	938.8	943.3	-7.4	10.6	4.5
झारखंड	1618.3	1492.7	2321.9	2292.4	-125.6	829.2	-29.4
कर्नाटक	7955.0	8239.1	7425.0	7398.0	284.1	-814.1	-27.0
केरल	247.3	219.6	212.3	204.1	-27.7	-7.4	-8.2
मध्य प्रदेश	12459.4	12862.8	13503.5	14003.1	403.4	640.7	499.6
महाराष्ट्र	12112.7	13029.0	10857.0	10004.1	916.3	-2172.0	-852.9
ओडिशा	5406.1	5318.9	4922.1	5009.0	-87.2	-396.8	86.9
पंजाब	6503.3	6510.2	6506.0	6505.2	6.9	-4.2	-0.8
राजस्थान	13271.8	15069.2	14440.8	12380.7	1797.4	-628.5	-2060.1
तमिलनाडु	3032.9	3173.9	3210.4	3296.8	141.0	36.5	86.4
उत्तर प्रदेश	19322.0	19804.0	20133.0	19891.5	482.0	329.0	-241.5
उत्तराखंड	1009.0	9864	952.0	964.0	-22.6	-34.4	12.0
पश्चिम बंगाल	6242.3	5561.1	6044.0	5821.0	-681.2	482.9	-223.1
अन्य	1340.3	1452.0	1445.9	1409.8	111.7	-6.1	-36.1
अखिल भारत	121333.6	126671.4	124754.8	119922.2	5337.8	-1916.5	-4832.7

*08.02.2013 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान।

फसलों को क्षति पहुंचाना

***308. श्री हरिभाऊ जावले :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 2013 में देश के विभिन्न भागों में ओलावृष्टि और असमय वर्षा से नकदी फसले और अन्य फसलें क्षतिग्रस्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्षतिग्रस्त हुई फसलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार मूल्य कितना है;

(ग) क्या सरकार का विचार असामान्य मौसम की स्थिति का विश्लेषण करने और किसानों को पूर्व चेतावनी देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कृषि वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे बीजों का विकास करने हेतु क्या अनुसंधान किया गया है जो प्रकृति की विषमताओं को झेल सकें?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ङ) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार फरवरी, 2013 के दौरान रबी फसल मध्य प्रदेश में 3.24 लाख है, राजस्थान में 3.80 लाख है और आंध्र प्रदेश में 1.48 लाख है। अनुमानित क्षेत्र में भारी वर्षा और ओलावृष्टि के कारण क्षति होने की संभावना है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), भारतीय कृषि अनुसंधशन परिषद् और अन्य एजेंसियों के सहयोग से राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर समेकित कृषि मौसम परामर्शी सेवाएं (एएएस) प्रदान करता है। इन परामर्शों के व्यापक स्पेक्ट्रम में मानसून के आने पर खरीफ फ़सलों की बुआई/रोपण, बची हुई मृदा नमी का उपयोग करके रबी फसलों की बुआई, वायु स्थिति पर आधारित उर्वरक उपयोग, वर्षा की गहनता पर आधारित उर्वरक अनुप्रयोग में विलंब, मौसम के आधार पर नाशीजीव और रोग की घटना पूर्व चेतावनी, सिंचाई की मात्रा और समय, फसलों की समय पर कटाई हेतु परामर्श आदि शामिल है। जिला स्तरीय परामर्श में 7 मापदंडों अर्थात् वर्षा, अधिकतम और न्यूनतम तापमान, वायु की गति और दिशा संबद्ध आद्रता और बादलों का छाना पर पांच दिन हेतु मात्रात्मक पूर्वानुमान शामिल हैं। इसके अलावा साप्ताहिक संचयी वर्षा पूर्वानुमान बताया जाता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) ने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ नमी दबाव, सूखा, जल भराव आदि जैसी प्राकृतिक विषमताओं को सहन करने के लिए कई बीज किस्म विकसित की है।

विवरण

फरवरी, 2013 के दौरान भारी वर्षा और ओलावृष्टि के कारण राज्य-वार फसल क्षति

क्र. सं.	राज्य	प्रभावित जिलों की संख्या	प्रभावित क्षेत्र (रबी कृषि) (लाख हैक्टेयर)	प्रमुख प्रभावित फसल	प्रभावित फसल का अनुमानित मूल्य (करोड़ रुपए)
1.	मध्य प्रदेश	35	3.24	चना, गेहूं, सब्जियां	887.0
2.	राजस्थान	23	3.8	गेहूं, सरसों, चना, मटर, सब्जियां	अभी सूचित नहीं किया गया
3.	आंध्र प्रदेश	12	1.48*	धान, मक्का, बंगाल चना	अभी सूचित नहीं किया गया

(*) राज्यों ने यह भी सूचित किया है कि 1.04 लाख है। अतिरिक्त बागवानी क्षेत्र क्षति प्रभावित हुआ है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों का अन्यत्र उपयोग

*309. **श्री जयवंत गंगाराम आवले :**
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भंडारण, लाने-ले जाने और अंतिम वितरण में चोरी/अनियमितताओं के स्थलों और इसके साथ उन राज्यों/क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें ऐसी अनियमितताएं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों का अन्यत्र उपयोग सबसे अधिक हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और इस प्रणाली से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थानों को उत्तरोत्तर शामिल करने और इसमें सामाजिक लेखा-परीक्षा को बढ़ावा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है तथा खाद्यान्नों के अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली के संबंध में समय-समय पर किए गए मूल्यांकन अध्ययनों से टीपीडीएस के कार्य संचालन में कुछ कमियां/त्रुटियां देखने में आई हैं। इनमें अपात्र परिवारों को शामिल करने/पात्र परिवारों को छोड़ने, मध्यवर्ती या जिला स्तर पर निजी भंडारण, ढुलाई, उचित दर दुकानों आदि जैसे विभिन्न स्तरों पर खाद्यान्नों की चोरी/अन्यथा हस्तांतरण शामिल हैं। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एनसीएईआर) और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) की रिपोर्टों में उल्लिखित चोरियों/अन्यथा हस्तांतरणों का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है। इन अध्ययन रिपोर्टों को आवश्यक सुधारात्मक उपायों के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया गया है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली में पाई गई कमियों को दूर किया जा सके।

टीपीडीएस को सुदृढ़ और सुप्रवाही बनाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सरकार ने नियमित समीक्षा की है और निगरानी तंत्र एवं सतर्कता में सुधार कर, टीपीडीएस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ा कर, संशोधित मॉडल नागरिक चार्टर को अपनाकर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) साधनों के प्रयोग कर और उचित दर दुकानों में प्रचालनों की व्यवहार्यता में सुधार करके टीपीडीएस की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश जारी किए हैं।

(ग) और (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सरकारों को लाभभोगियों की सूची को अंतिम रूप देने, उचित दर दुकानों की कार्यप्रणाली की निगरानी करने, उचित दर दुकानों के अभिलेखों के निरीक्षण के कार्यों में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने का अधिकार देता है। टीपीडीएस की कार्यप्रणाली में पंचायती राज संस्थाओं की अधिक सहभागिता के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभाग द्वारा दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ, ग्राम पंचायत द्वारा उचित दर दुकान समिति के गठन के माध्यम से सामाजिक लेखा परीक्षा को आवश्यक बनाने, उचित दर दुकानों और ग्राम पंचायत कार्यालय में आम जांच पड़ताल के लिए बीपीएल लाभभोगियों की सूची को प्रदर्शित करने, ग्राम पंचायतों के माध्यम से पब्लिक डोमेन पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित दस्तावेजों को उपलब्ध कराने, ग्राम पंचायत कार्यालय में हकदारी और खाद्यान्नों के मूल्यों संबंधी सूचनाएं चिपकाने, उचित दर दुकानों को चलाने के लिए ग्राम सभा को शामिल करने, राशन कार्डों की प्रामाणिकता का पता लगाने के लिए उनकी जांच करने का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त, पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्यान्नों की चोरी/अन्यथा हस्तांतरण को रोकने के लिए जुलाई, 2006 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के परामर्श से तैयार की गई एक 9-सूत्रीय कार्ययोजना के एक भाग के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों के वितरण तथा ग्राम पंचायतों और अन्य सहित शहरी स्थानीय निकायों को उचित दर दुकानों के लाइसेंस देने के कार्य में चयनित पंचायती राज संस्था (पीआरआई) सदस्यों को शामिल किए जाने का अनुरोध किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटन माह के दौरान उचित दर दुकानों पर आबंटित टीपीडीएस वस्तुओं की सुपुर्दगी और हकदार/पात्र राशन कार्ड धारकों को उनके वितरण के लिए संबंधित ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय आदि द्वारा मासिक प्रमाण शुरू करने के भी निदेश दिए गए हैं।

विवरण-I

एनसीएईआर (2006-08) रिपोर्ट में दर्शाई गई चोरी और विपथन

राज्य	अंत्योदय अन्न योजना		गरीबी रेखा से नीचे		गरीबी रेखा से ऊपर	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
1	2	3	4	5	6	7
दिल्ली	1.63	3.72	3.34	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
झारखंड	3.80	16.47	0.00	8.97	0.00	54.53
केरल	18.66	0.00	0.00	19.24	0.00	13.10
मध्य प्रदेश	0.00	16.81	18.93	29.14	0.00	0.00
महाराष्ट्र	0.00	9.42	0.00	17.77	0.00	0.00
उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	29.71	0.00	4.92
राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.97	42.32	0.00	78.34
बिहार	0.00	41.35	0.00	46.87	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	0.00	0.86	8.32	20.67	0.00	0.00
असम	1.49	0.00	44.97	0.00	83.28	100.00
मिजोरम	36.21	0.00	37.44	0.00	81.12	100.00

विवरण-II

अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर नागालैंड, ओडिशा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों के संबंध में आईआईपीए (चरण-1) (2007-08) रिपोर्ट में दर्शाए गए अनुसार खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) की लीकेज के समेकित आंकड़े

क्र. सं.	राज्य	उठान के प्रति के रूप में लीकेज
1.	अरुणाचल प्रदेश	14.88
2.	मणिपुर	27.00
3.	नागालैंड	49.49
4.	ओडिशा	6.86
5.	त्रिपुरा	3.24
6.	पश्चिम बंगाल	26.84

जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और चंडीगढ़ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधी आईआईपीए (चरण-2) (2007-08) के रिपोर्ट में दर्शाए गए अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आबंटित खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के विपणन/लीकेज के समेकित आंकड़े

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एएवाई और बीपीएल लाभ भोगियों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आबंटित खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के विपथन/लीकेज का प्रतिशत
1	2	3
1.	हरियाणा	8.69
2.	पंजाब	शून्य*

1	2	3
3.	चंडीगढ़	13.6
4.	तमिलनाडु	13.64
5.	आंध्र प्रदेश	शून्य*
6.	हिमाचल प्रदेश	5.6
7.	जम्मू और कश्मीर	4.1
8.	कर्नाटक	शून्य*

*विपथन/लीकेज के शून्य प्रतिशत में लाभ भोगियों की एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी (एएवाई/बीपीएल/एपीएल) में विपथन को हिसाब में नहीं लिया जाता है।

[अनुवाद]

खुले बाजार में खाद्यान्न का जारी किया गया

***310. श्री एस. सेम्मलई : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कीमतों में उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए खुले बाजार में चीनी और खाद्यान्न जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी मात्रा में उक्त मदें जारी की गई;

(ग) क्या आगामी वर्ष के दौरान मूल्यों पर नियंत्रण रखने हेतु सरकारी गोदामों में पड़े अधिशेष भंडार को खुले बाजार में जारी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खाद्यान्नों का कुल भंडार, अधिशेष भंडार कितना है तथा खुले बाजार में कितनी मात्रा में खाद्यान्न जारी किए जाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार, विनियमित प्रणाली के अंतर्गत देश में घरेलू बाजार में मासिक/तिमाही आधार पर बिक्री के लिए गैर-लेवी चीनी को विवेकपूर्ण ढंग से जारी करती है। गैर-लेवी चीनी को राज्य-वार जारी नहीं किया जाता है और चीनी मिलें गैर-लेवी का अपना कोटा देश के किसी भी भाग में अपने वाणिज्यिक विवेकानुसार बेच सकते हैं। सरकार द्वारा खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के अंतर्गत थोक एवं खुदरा उपभोक्ताओं का गेहूं और चावल जारी किया जाता है ताकि खुला बाजार में इनकी कीमतों को नियंत्रित किया जा सके और केन्द्रीय पूल में उपलब्ध खाद्यान्नों के अधिशेष स्टॉक को कम किया जा सके। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा जारी चीनी और खाद्यान्नों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I से V में दिया गया है।

सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत जुलाई, 2012 के प्रारंभ से मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए थोक उपभोक्ताओं/व्यापारियों और खुदरा उपभोक्ताओं को बिक्री हेतु 100 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चावल का आबंटन पहले ही कर दिया है।

दिनांक 1.3.2013 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में 271.03 लाख टन गेहूं और 357.68 लाख टन चावल उपलब्ध था जबकि इसकी तुलना में प्रति वर्ष की प्रथम तिमाही के लिए निर्धारित बफर स्टॉक और नीतिगत आरक्षित स्टॉक क्रमशः 112 लाख टन गेहूं और 138 लाख टन चावल था।

आगामी वर्ष के लिए गेहूं की खरीद कर लेने के बाद ही खुला बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत गेहूं और चावल को जारी करने संबंधी निर्णय उपयुक्त समय पर लिया जाएगा।

विवरण-I

गैर-लेवी चीनी की चीनी मौसम-वार रिलीज

(मात्रा लाख टन)

चीनी मौसम (अक्तूबर-सितम्बर)	जारी की गई गैर-लेवी
2009-10	183.447
2010-11	181.70
2011-12	187.18
2012-13 (31 मार्च तक) (अनंतिम)	106.50

विवरण-II

(मात्रा टन)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	खुदरा गेहूं		थोक उपभोक्ताओं हेतु गेहूं		छोटे व्यापारियों हेतु गेहूं		कुल गेहूं		खुदरा चावल		कुल	
	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
दिल्ली	226293.57	136758.00	226608.00	215618.00	28658.00		481559.57	352376.00	24222.00	0.00	505781.57	352376.00
चंडीगढ़	0.00	0.00	34318.00	21810.00	1308.00		35626.00	21810.00	0.00	0.00	35626.00	21810.00
पंजाब	177964.00	0.00	169508.00	148923.00	50225.00	252.00	397697.00	149175.00	0.00	0.00	397697.00	149175.00
हरियाणा	43254.52	0.00	128099.00	87714.00	6718.00	270.00	178071.52	87984.00	4000.00	0.00	182071.52	87984.00
उत्तर प्रदेश	106241.26	0.00	91981.00	68206.00	23775.00		221997.26	68206.00	5686.00	0.00	227683.26	68206.00
उत्तराखंड	52964.52	0.00	92330.00	53852.50	3477.00	4.00	148771.52	53856.50	4392.00	0.00	153163.52	53856.50
राजस्थान	229964.00	139289.0	30221.00	22845.85	7375.00		267560.00	162134.85	608.00	59.00	268168.00	162193.85
हिमाचल प्रदेश	99046.00	11284.00	2137.00	0.00	2137.00		103320.00	11284.00	17560.00	4064.00	120880.00	15348.00
जम्मू और कश्मीर	81580.63	36511.00	124791.00	94985.00	29447.00		235818.63	131496.00	69368.00	39941.00	305186.63	171437.00
तमिलनाडु	130086.00	34540.00	91102.00	90310.00	24041.00	9.00	245229.00	124859.00	684344.00	377844.00	929573.00	502703.00
पुदुचेरी	760.00	0.00	5765.00	5265.00	2665.00	342.00	9190.00	5607.00	8.00	0.00	9198.00	5607.00
केरल	81320.00	23634.00	126137.00	87736.00	9568.00	291.00	217025.00	111661.00	51350.00	13650.00	268375.00	125311.00
आंध्र प्रदेश	18678.00	0.00	72717.00	58196.00	18471.00		109866.00	58196.00	306506.00	152334.00	416372.00	210530.00
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1596.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1596.00	22.00	1300.00	53.00	2896.00	75.00
लक्षद्वीप	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	412.00	206.00	662.00	206.00
कर्नाटक	38264.00	3360.00	219196.00	183034.00	31559.00	181.00	289019.00	186575.00	119430.00	42349.00	408449.00	228924.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
बिहार	11764.00	2311.00	8775.00	4600.00	4175.00	44.99	24714.00	6955.99	504.00	0.00	25218.00	6955.99
पश्चिम बंगाल	375737.89	0.00	90659.00	54699.96	35959.00		502355.89	54699.96	18926.00	9364.00	521281.89	64063.96
सिक्किम	1476.00	638.00	292.00	0.00	292.00		2060.00	638.00	3794.00	0.00	5854.00	638.00
ओडिशा	65719.26	0.00	45415.00	36370.00	14345.00	15.00	125479.26	36385.00	1408.00	0.00	126887.26	36385.00
झारखंड	7350.63	40.00	17721.00	8346.00	1375.00		26446.63	8386.00	40.00	4.00	26486.63	8390.00
असम	132494.00	89190.80	49683.00	14300.00	35383.00		217560.00	103490.80	83016.00	6258.00	300576.00	109748.80
अरुणाचल प्रदेश	3070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3070.00	0.00	7348.00	0.00	10418.00	0.00
मेघालय	7354.00	3677.00	0.00	0.00	0.00		7354.00	3677.00	8952.00	0.00	16306.00	3677.00
त्रिपुरा	8944.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8944.00	0.00	20736.00	0.00	29680.00	0.00
मिजोरम	7770.00	2471.00	0.00	0.00	0.00		7770.00	2471.00	23400.00	7098.00	31170.00	9569.00
नागालैंड	15144.00	1000.00	0.00	0.00	0.00		15144.00	1000.00	11742.00	5871.00	26886.00	6871.00
मणिपुर	6324.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6324.00	0.00	5512.00	3152.00	11836.00	3152.00
महाराष्ट्र	149544.52	2596.00	168410.00	148312.00	57978.00	993.00	375932.52	151901.00	11420.00	105.00	387352.52	152006.00
गोवा	3208.00	1604.00	12321.00	12268.00	6000.00		21529.00	13872.00	2812.00	0.00	24341.00	13872.00
मध्य प्रदेश	110975.26	14917.00	32612.00	22200.00	10412.00		153999.26	37117.00	1202.00	6.50	155201.26	37123.50
छत्तीसगढ़	9878.00	1090.00	15286.00	6336.00	2950.00		28114.00	7426.00	1920.00	0.00	30034.00	7426.00
गुजरात	34224.10	31982.00	15258.00	6776.00	3800.00	306.00	53282.10	39064.00	4600.00	1798.00	57882.10	40862.00
दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00
दादरा और नगर हवेली	330.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	90.00	600.00	200.00	930.00	290.00
जोड़	2239570.16	537004.80	1871342.00	1452703.31	412093.00	2707.99	4523005.16	1992416.10	1497132.00	664356.50	6020137.16	2656772.60

विवरण-III

(मात्रा टन)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	खुदरा गेहूं		थोक उपभोक्ताओं हेतु गेहूं		छोटे व्यापारियों हेतु गेहूं		कुल गेहूं		खुदरा चावल		कुल	
	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
दिल्ली	163867.64		163785.60	112090.00	28198.40	18446.00	355851.64	130536.00	8361.00		364212.64	130536.00
चंडीगढ़			15384.60	4900.00	1709.40		17094.00	4900.00			17094.00	4900.00
पंजाब	44491.08		97000.20	33465.00	9979.80	405.00	151471.08	33870.00			151471.08	33870.00
हरियाणा	9761.02		55912.60	41725.00	5101.40	1800.00	70775.02	43525.00			70775.02	43525.00
उत्तर प्रदेश	25759.06		63000.50	10672.50	5807.50	153.00	94567.06	10825.50	1593.00		96160.06	10825.50
उत्तराखंड	13238.52		48000.00	800.00	4824.00	0.00	66062.52	800.00	2196.00		68258.52	800.00
राजस्थान	174651.26	4966.00	17267.50	3590.00	1918.50	653.00	193837.26	9209.00	83.40		193920.66	9209.00
हिमाचल प्रदेश	35389.04	120.00	1539.00		171.00		37099.04	120.00	11838.62	80.00	48937.66	200.00
जम्मू और कश्मीर	54518.84		125772.90	110146.00	9308.10	7131.00	189599.84	117277.00	54744.12		244343.96	117277.00
तमिलनाडु	47977.00		91010.40	50460.00	8445.60	456.00	147433.00	50916.00	410792.33		558225.33	50916.00
पुदुचेरी	190.00		7139.00	4850.00	1571.00	571.00	8900.00	5421.00	4.00		8904.00	5421.00
केरल	42589.02		64590.30	30250.00	7176.70	270.00	114356.02	30520.00	35948.17		150304.19	30520.00
आंध्र प्रदेश	4119.50		56089.80	21270.00	6232.20	9.00	66441.50	21279.00	267401.56		333843.06	21279.00
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	419.72	40.30	0.00	0.00	0.00		419.72	40.30	689.89	46.30	1109.61	86.60
लक्षद्वीप			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	361.04	290.00	361.04	290.00
कर्नाटक	12180.54		159833.00	91900.00	15537.00		187550.54	91900.00	91087.41		278637.95	91900.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
बिहार	4842.56		6431.70	1300.00	381.30		11655.56	1300.00	2.00		11657.56	1300.00
पश्चिम बंगाल	91495.18	15000.00	48999.90	33961.15	4974.10	19.00	145469.18	48980.15	15010.47		160479.65	48980.15
सिक्किम	969.88		45.00		5.00		1019.88	0.00	1897.00		2916.88	0.00
ओडिशा	15903.54		46051.30	28380.00	4005.70	120.00	65960.54	28500.00	704.00		66664.54	28500.00
झारखंड	1612.18		3927.60	0.00	436.40	9.00	5976.18	9.00	23.01		5999.19	9.00
असम	116808.98	225.00	36339.30		4037.70		157185.98	225.00	46217.85		203403.83	225.00
अरुणाचल प्रदेश	767.50		0.00	0.00	0.00		767.50	0.00	3674.00		4441.50	0.00
मेघालय	5301.58		0.00	0.00	0.00		5301.58	0.00	4476.00		9777.58	0.00
त्रिपुरा	2236.00		0.00	0.00	0.00		2236.00	0.00	10368.00		12604.00	0.00
मिजोरम	3269.74	701.00	0.00	0.00	0.00		3269.74	701.00	8891.05	8891.05	12160.79	9592.05
नागालैंड	4727.82	2001.00	0.00	0.00	0.00		4727.82	2001.00	10289.59		15017.41	2001.00
मणिपुर	1581.00		0.00	0.00	0.00		1581.00	0.00	5128.24		6709.24	0.00
महाराष्ट्र	36573.82	100.40	115999.80	76212.00	9525.20	1272.00	162098.82	77584.40	3285.26	33.60	165384.08	77618.00
गोवा	2312.68		8516.00	6286.00	724.00		11552.68	6286.00	1406.00		12958.68	6286.00
मध्य प्रदेश	40991.68		18170.10	4288.70	2018.90	63.00	61180.68	4351.70	356.27		61536.95	4351.70
छत्तीसगढ़	3496.08		4057.20	850.00	450.80		8004.08	850.00	960.00		8964.08	850.00
गुजरात	37850.26	7689.62	14142.70	5543.00	460.30	279.00	52453.26	13511.62	1953.20		54406.46	13511.62
दमन और दीव			0.00		0.00		0.00	0.00	7.00		7.00	0.00
दादरा और नगर हवेली	107.26		0.00		0.00		107.26	0.00	250.52		357.78	0.00
जोड़	999999.98	30843.32	1269006.00	672939.35	133000.00	31656.00	2402005.98	735438.67	1000000.00	9340.95	3402005.98	744779.62

विवरण-IV

(मात्रा टन)

अक्तूबर, 2011 से मार्च, 2012 के दौरान गेहूं और चावल का आबंटन और उठान

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	थोक गेहूं		खुदरा गेहूं		छोटे व्यापारियों हेतु गेहूं		कुल		खुदरा चावल		कुल	
	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
बिहार	2034.13	0	3268.73	19.3	226.01	0	5528.87	19.3	1.35	0	5530.22	19.3
झारखंड	1478.03	0	1088.22	0	164.23	0	2730.48	0	3515.53	2005.89	6246.01	2005.89
ओडिशा	29900.96	2350.01	10734.89	0	3322.33	374	43958.18	2724.01	475.2	0	44433.38	2724.01
पश्चिम बंगाल	36319.2	1619.83	61759.25	0	4035.47	231.98	102113.92	1851.81	10132.07	0	112245.99	1851.81
सिक्किम	0	0	654.67	0	18.75	0	673.42	0	1280.48	0	1953.9	0
असम	13627.24	7007.91	78846.06	26050.31	1514.14	0	93987.44	33058.22	31197.05	0	125184.49	33058.22
अरुणाचल प्रदेश	0	0	518.06	0	0	0	518.06	0	2479.95	0	2998.01	0
त्रिपुरा	0	0	1509.3	0	0	0	1509.3	0	6998.4	0	8507.7	0
मणिपुर	0	0	1067.18	0	0	0	1067.18	0	3461.56	0	4528.74	0
नागालैंड	0	0	3191.28	0	0	0	3191.28	0	6945.47	0	10136.75	0
मिजोरम	0	0	2207.07	970	0	0	2207.07	970	6001.46	6001	8208.53	6971
मेघालय	0	0	3578.57	81	0	0	3578.57	81	3021.3	3000	6599.87	3081
दिल्ली	136451.37	136445.01	130610.66	0	15161.26	15156	282223.29	151601.01	5643.68	0	287866.97	151601
हरियाणा	62235.28	55060	6588.69	0	4692.81	4470.5	73516.78	59530.5	0	0	73516.78	59530.5
हिमाचल प्रदेश	577.13	0	23887.6	0	64.13	0	24528.86	0	7991.07	0	32519.93	0
जम्मू और कश्मीर	147075.36	128008.84	36800.22	0	10230.6	8401.9	194106.18	136410.74	36952.28	0	231058.46	136410.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पंजाब	73150.21	83651	30031.48	0	5905.58	त 3582	109087.27	87233	0	0	109087.27	87233
चंडीगढ़	17585.73	6800	0	0	953.97	0	18539.7	6800	0	0	18539.7	6800
राजस्थान	8913.81	2680.01	117889.6	412.01	990.42	361	127793.83	3453.02	56.3	28.3	127850.13	3481.32
उत्तर प्रदेश	25823'07	3511.39	17387.37	0	2869.23	198	46079.67	3709.39	1075.28	0	47154.95	3709.39
उत्तराखंड	16740.84	500	8936	0	1860.09	5	27536.93	505	1482.3	0	29019.23	505
आंध्र प्रदेश	33264.79	10749.99	2780.66	10.5	3696.09	0	39741.54	10760.49	180496.05	17.5	220237.59	10777.99
केरल	41764.19	34600	28747.59	0	4640.47	842	75152.25	35442	24265.01	0	99417.26	35442
कर्नाटक	183261.26	175800	8221.86	0	11695.7	234	203178.82	176034	61484	0	264662.82	176034
तमिलनाडु	62770.29	66896.77	32384.48	0	6418.92	1465	101573.69	68361.77	277284.82	1.7	378858.51	68363.47
पुदुचेरी	13043.11	6664	128.25	0	560.35	270	13731.71	6934	2.7	0	13734.41	6934
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	283.31	0	0	0	283.31	0	465.68	0	748.99	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	243.7	0	243.7	0
गुजरात	49899.99	50177	25548.93	25548	1544.44	350.9	76993.36	76075.9	1318.41	0	78311.77	76075.9
महाराष्ट्र	116685.16	124983.55	24687.33	122	8520.57	1509	149893.06	126614.55	2217.55	39.19	152110.61	126653.7
गोवा	25056.68	9057	1561.06	0	672.96	0	27290.7	9057	949.05	0	28239.75	9057
मध्य प्रदेश	9315.31	4405	27669.38	0	1035.03	0	38019.72	4405	240.48	0	38260.2	4405
छत्तीसगढ़	2010.02	0	2359.85	0	223.34	0	4593.21	0	648	0	5241.21	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	4.73	0	4.73	0
दादरा और नगर हवेली	0	0	72.4	0	0	0	72.4	0	169.1	0	241.5	0
कुल	1108983.16	910967.31	695000	53213.12	91016.89	37451.28	1895000.05	1001631.7	678500.01	11093.58	2573500.06	1012725

विवरण-V

(मात्रा टन)

अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 के दौरान गेहूं और चावल का आबंटन और उठान

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	थोक गेहूं		खुदरा गेहूं		छोटे व्यापारियों हेतु गेहूं		कुल		खुदरा चावल		कुल	
	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
बिहार	197887.56	16650	5339.01	0	20872.81	56.17	224099.38	16706.17	1001.8	0	225101.18	16706.17
झारखंड	134035.2	2114	1950.96	0	13722.99	0	149709.15	2114	29514.82	6689.28	179223.97	8803.28
ओडिशा	190869.09	80106	14813.19	0	18018.01	2239.21	223700.29	82345.21	1633.6	0	225333.89	82345.21
पश्चिम बंगाल	341078.63	192895	107345.67	21955.35	30539.39	3919.81	478963.69	218770.2	14509.43	0	493473.12	218770.2
सिक्किम	25000	0	1372.89	0	2502.54	0	28875.43	0	3707.31	240	32582.74	240
असम	133689.4	112521	154077.58	44012.11	9885.38	90	297652.36	156623.1	43596.07	500	341248.43	157123.1
अरुणाचल प्रदेश	26241.04	0	1190.75	0	2637.9	0	30069.69	0	4306.6	0	34376.29	0
त्रिपुरा	25000	0	2512.4	0	2500	0	30012.4	0	10331.2	0	40343.6	0
मणिपुर	25000	0	1922.91	0	2500	0	29422.91	0	5615.41	0	35038.32	0
नागालैंड	25000	0	9255.04	4254.08	2500	0	36755.04	4254.08	10260.63	0	47015.67	4254.08
मिजोरम	25000	0	6972.76	735.93	2500	0	34472.76	735.93	57000.49	29623.01	91473.25	30358.94
मेघालय	25000	0	5690.43	0	2500	0	33190.43	0	14028.4	1413	47218.83	1413
दिल्ली	584565.42	595005	347480.88	85530.12	34390.04	33819.9	966436.34	714355	8524.91	0	974961.25	714355
हरियाणा	436340.7	482890	9284.92	0	30893.32	21577.4	476518.94	504467.4	1000	0	477518.94	504467.4
हिमाचल प्रदेश	48310.1	6150	36850.13	4761.93	5059.09	0	90219.32	10911.93	15654.76	1652	105874.08	12563.93
जम्मू और कश्मीर	295336.03	213699	49566.96	0	34186	24105	379088.99	237804	50269.71	0	429358.7	237804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पंजाब	387885.26	296278	40541.97	0	25511.72	9259.42	453938.95	305537.4	1000	0	454938.95	305537.4
चंडीगढ़	142829.86	41910	500	0	11783.45	435	155113.31	42345	1000	0	156113.31	42345
राजस्थान	341675.99	286960	216774.12	52345.86	29077.52	14752.3	587527.63	354058.2	2046.77	0	589574.4	354058.2
उत्तर प्रदेश	1008649.84	916308	23683.16	0	44387.8	2260.86	1076720.8	918568.9	2433.71	0	1079154.51	918568.9
उत्तराखंड	135482.55	35282	12414.67	0	13132.95	1891.88	161030.17	37173.88	2976.4	0	164006.57	37173.88
आंध्र प्रदेश	221961.97	107773	4707.55	16.06	21635.67	1189	248305.19	108978.1	242661.4	24.4	490966.59	109002.5
केरल	236973.32	139573	38830.12	0	20759.12	5872	296562.56	145445	52353.35	12854.53	348915.91	158299.5
कर्नाटक	417673.91	331462	11462.48	0	33072.35	20254.14	462208.74	351716.1	82978.67	0	545187.41	351716.1
तमिलनाडु	379489.1	304464	43679.31	0	29511.66	7238.51	452680.07	311702.5	370713.09	0	823393.16	311702.5
पुदुचेरी	47125.79	12534	1171	1.43	4244.14	306	52540.93	12841.43	2001.6	0	54542.53	12841.43
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25000	0	1366.75	35.97	2500	0	28866.75	35.97	2602.91	50.36	31469.66	86.33
लक्षद्वीप	25000	0	500	0	2500	0	28000	0	1324.93	0	29324.93	0
गुजरात	303673.33	201305	38517.24	3570	21741.77	14870.3	363932.34	219745.3	2757.88	0	366690.22	219745.3
महाराष्ट्र	513625.68	431716	37794.44	1144.62	35262.13	33322.66	586682.25	466183.3	4917.54	126.59	591599.79	466309.9
गोवा	137996.28	40297	2581.41	0	11998.29	1994	152575.98	42291	2265.4	0	154841.38	42291
मध्य प्रदेश	1205195.86	1624035	37392.51	0	21402.27	0	1263990.64	1624035	1320.64	0	1265311.28	1624035
छत्तीसगढ़	152358.66	16765	3646.47	0	15338.77	60.4	171343.9	16825.4	1864	0	173207.9	16825.4
दमन और दीव	25000	0	500	0	2500	0	28000	0	1006.31	0	29006.31	0
दादरा और नगर हवेली	25000	0	596.53	0	2500	0	28096.53	0	1225.47	0	29322	0
कुल	8270950.57	6488692	1272286.21	218363.5	564067.08	199513.96	10107303.86	6906569	1047405.67	53173.17	11154709.53	6959743

नोट: खुला बाजार बिक्री योजना थोक स्कीम के तहत उठान मार्च, 2013 में पहली निविदा तक है और शेष स्कीम के तहत उठान 31 जनवरी, 2013 तक है।

[हिन्दी]

चीनी उद्योग की समस्याएं

***311. श्री कमलेश पासवान :**
श्री विजय बहादुर सिंह :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक चीनी मिलें रुग्ण हो गई हैं अथवा बंद कर दी गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चालू, रुग्ण और बंद पड़ी चीनी मिलों की क्षेत्र-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने चीनी मिलों के रुग्ण होने, बंद होने के कारणों और चीनी उद्योग के समक्ष आ रही समस्याओं के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ने सरकार से चीनी के निर्यात हेतु एक स्पष्ट और स्थिर नीति बनाने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) क्षेत्र-वार और राज्य-वार चीनी मिलें जो प्रचालनात्मक थी और वे मिलें जो पिछले तीन चीनी मौसमों (अक्तूबर-सितम्बर) और चालू चीनी मौसम के दौरान बंद पड़ी थी, के ब्यौरे दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। क्षेत्र-वार और राज्य-वार रुग्ण चीनी मिलों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) चीनी मिलों के बाद होने/रुग्ण होने के कारण सामान्यत: पर्याप्त कच्चे माल की अनुपलब्धता, गन्ने से कम प्राप्ति, अलाभकर विस्तार, आधुनिकीकरण/उन्नयन और विविधीकरण की कमी, कार्यशील पूंजी की अत्यधिक लागत, कुछ राज्यों द्वारा गन्ने के उच्च राज्य परामर्शित मूल्य की घोषणा, शीरे का नियंत्रण, व्यावसायिक प्रबंधन की कमी, अत्यधिक स्टाफ इत्यादि का होना है।

(ग) सरकार ने दिनांक 31 अगस्त, 1998 के प्रेस नोट के द्वारा चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया है। जहां तक निजी क्षेत्र का संबंध है यह संबंधित उद्यमियों की जिम्मेदारी है कि बंद पड़ी/रुग्ण चीनी मिलों के पुनरुद्धार के लिए कदम उठाए और सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों के मामले में यह जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों की है। सरकार चीनी विकास निधि के अंतर्गत आधुनिकीकरण अथवा पुन: स्थापना, खोई आधारित विद्युत सह-उत्पाद परियोजनाओं, इथनाल के उत्पादन और गन्ना विकास के लिए रियायती ऋण प्रदान करती है तथा संभाव्य रूप से व्यवहार्य रुग्ण चीनी उपक्रमों के लिए चीनी विकास निधि के ऋणों की पुनसंरचना करती है।

(घ) और (ङ) भारतीय चीनी मिल संघ ने विभिन्न प्रतिवेदनों के माध्यम से शुल्क आधारित निर्यात/आयात नीति बनाने के लिए सरकार को अभिवेदन किया है। चीनी क्षेत्र को विनियमन मुक्त करने संबंधी डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता वाली समिति ने अक्तूबर, 2012 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शुल्क आधारित स्थिर व्यापार नीति की भी सिफारिश की है। समिति की सिफारिशें सरकार के पास विचाराधीन हैं।

विवरण-I

चीनी मौसम 2009-10 के दौरान क्षेत्र-वार और राज्य-वार प्रचालनात्मक और बंद पड़ी चीनी मिलों की संख्या

(30.09.2010 के अनुसार स्थिति)

क्र.सं.	राज्य	सहकारी क्षेत्र		सार्वजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र		कुल	
		प्रचालनात्मक	बंद	प्रचालनात्मक	बंद	प्रचालनात्मक	बंद	प्रचालनात्मक	बंद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पंजाब	10	6	0	0	5	2	15	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	हरियाणा	11	2	0	0	3	0	14	2
3.	राजस्थान	0	1	1	0	0	1	1	2
4.	उत्तराखंड	4	0	2	0	4	0	10	0
5.	उत्तर प्रदेश	25	3	11	22	91	4	127	29
6.	मध्य प्रदेश	3	2	0	2	7	4	10	8
7.	छत्तीसगढ़	1	0	0	0	0	0	1	0
8.	गुजरात	17	6	0	0	1	0	18	6
9.	महाराष्ट्र	109	58	0	0	31	3	140	61
10.	बिहार	0	0	0	15	9	4	9	19
11.	असम	0	2	0	0	0	1	0	3
12.	ओडिशा	2	2	0	0	2	2	4	4
13.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	1	1	1	1	2
14.	नागालैंड	0	0	0	1	0	0	0	1
15.	आंध्र प्रदेश	9	5	0	1	26	2	35	8
16.	कर्नाटक	16	5	2	1	34	6	52	12
17.	तमिलनाडु	15	2	2	1	23	2	40	5
18.	पुदुचेरी	1	0	0	0	1	0	2	0
19.	केरल	0	1	0	0	0	1	0	2
20.	गोवा	1	0	0	0	0	0	1	0
	अखिल भारत	224	95	18	44	238	33	480	172

स्रोत: शर्करा निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और राज्यों के गन्ना आयुक्त।

चीनी मौसम 2010-11 के दौरान क्षेत्र-वार और राज्य-वार कार्यशील और बंद पड़ी चीनी मिलों की संख्या

(30.09.2011 के अनुसार स्थिति)

क्र. सं.	राज्य	सहकारी क्षेत्र		सार्वजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र		कुल	
		प्रचालनात्मक	बंद	प्रचालनात्मक	बंद	प्रचालनात्मक	बंद	प्रचालनात्मक	बंद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पंजाब	10	7	0	0	6	1	16	8
2.	हरियाणा	11	2	0	0	3	0	14	2
3.	राजस्थान	0	1	1	0	0	1	1	2
4.	उत्तराखंड	4	0	2	0	4	0	10	0
5.	उत्तर प्रदेश	23	6	9	22	92	4	124	32
6.	मध्य प्रदेश	3	2	0	2	9	2	12	6
7.	छत्तीसगढ़	3	0	0	0	0	0	3	0
8.	गुजरात	18	6	0	0	ट	0	19	6
9.	दादरा और नगर हवेली	0	1	0	0	0	0	0	1
10.	महाराष्ट्र	129	40	0	0	35	3	164	43
11.	बिहार	0	0	0	15	9	4	9	19
12.	असम	0	2	0	0	0	1	0	3
13.	ओडिशा	2	2	0	0	3	1	5	3
14.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	1	2	0	2	1
15.	नागालैंड	0	0	0	1	0	0	0	1
16.	आंध्र प्रदेश	9	5	0	1	27	2	36	8
17.	कर्नाटक	22	2	2	1	34	5	58	8
18.	तमिलनाडु	16	0	2	1	25	1	43	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	पुदुचेरी	1	0	0	0	1	0	2	0
20.	केरल	0	1	0	0	0	1	0	2
21.	गोवा	1	0	0	0	0	0	1	0
	अखिल भारत	252	77	16	44	251	26	519	147

स्रोत: शर्करा निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और राज्यों के गन्ना आयुक्त।

चीनी मौसम 2011-12 के दौरान क्षेत्र-वार और राज्य-वार कार्यशील और बंद पड़ी चीनी मिलों की संख्या

(30.09.2012 के अनुसार स्थिति)

क्र. सं.	राज्य	सहकारी क्षेत्र		सार्वजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र		कुल	
		प्रचालनात्मक	बंद	प्रचालनात्मक	बंद	प्रचालनात्मक	बंद	प्रचालनात्मक	बंद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पंजाब	9	7	0	0	7	1	16	8
2.	हरियाणा	11	2	0	0	3	0	14	2
3.	राजस्थान	0	1	1	0	0	1	1	2
4.	उत्तराखंड	4	0	2	0	4	0	10	0
5.	उत्तर प्रदेश	23	5	10	23	90	6	123	34
6.	मध्य प्रदेश	3	2	0	2	9	3	12	7
7.	छत्तीसगढ़	3	0	0	0	0	0	3	0
8.	गुजरात	18	5	0	0	2	0	20	5
9.	दादरा और नगर हवेली	0	1	0	0	0	0	0	1
10.	महाराष्ट्र	128	39	0	0	45	4	173	43
11.	बिहार	0	0	2	13	9	4	11	17
12.	असम	0	2	0	0	0	1	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	ओडिशा	2	2	0	0	2	2	4	4
14.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	1	2	0	2	1
15.	नागालैंड	0	0	0	1	0	0	0	1
16.	आंध्र प्रदेश	9	5	0	1	28	!	37	7
17.	कर्नाटक	20	4	2	1	37	5	59	10
18.	तमिलनाडु	16	0	2	1	25	2	43	3
19.	पुदुचेरी	1	0	0	0	1	0	2	0
20.	केरल	0	1	0	0	0	1	0	2
21.	गोवा	1	0	0	0	0	0	1	0
	कुल	248	76	19	43	264	31	531	150

स्रोत: शर्करा निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और राज्यों के गन्ना आयुक्त।

चीनी मौसम 2012-13 के दौरान क्षेत्र-वार और राज्य-वार कार्यशील और बंद पड़ी चीनी मिलों की संख्या

(30.09.2013 के अनुसार स्थिति)

क्र. सं.	राज्य	सहकारी क्षेत्र		सार्वजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र		कुल	
		प्रचालनात्मक	बंद	प्रचालनात्मक	बंद	प्रचालनात्मक	बंद	प्रचालनात्मक	बंद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पंजाब	9	7	0	0	7	1	16	8
2.	हरियाणा	11	2	0	0	3	0	14	2
3.	राजस्थान	0	1	1	0	0	1	1	2
4.	उत्तराखंड	4	0	2	0	3	1	9	1
5.	उत्तर प्रदेश	23	5	0	12	99	19	122	36
6.	मध्य प्रदेश	3	2	0	2	8	4	11	8
7.	छत्तीसगढ़	3	0	0	0	0	0	3	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	गुजरात	17	6	0	0	1	1	18	7
9.	दादरा और नगर हवेली	0	1	0	0	0	0	0	1
10.	महाराष्ट्र	105	48	0	0	60	7	165	55
11.	बिहार	0	0	2	13	9	4	11	17
12.	असम	0	2	0	0	0	!	0	3
13.	ओडिशा	3	1	0	0	2	2	5	3
14.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	1	2	0	2	1
15.	नागालैंड	0	0	0	1	0	0	0	1
16.	आंध्र प्रदेश	8	6	0	1	27	2	35	9
17.	कर्नाटक	20	4	2	1	36	8	58	13
18.	तमिलनाडु	16	0	2	1	25	2	43	3
19.	पुदुचेरी	1	0	0	0	1	0	2	0
20.	केरल	0	1	0	0	0	1	0	2
21.	गोवा	1	0	0	0	0	0	1	0
	कुल	224	86	9	32	283	54	516	172

स्रोत: शर्करा निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और राज्यों के गन्ना आयुक्त।

विवरण-II

क्षेत्र-वार और राज्य-वार रुग्ण चीनी मिलें

राज्य	सार्वजनिक और निजी क्षेत्र*	सहकारी क्षेत्र**	कुल
1	2	3	4
पंजाब	0	6	6
हरियाणा	0	7	7
महाराष्ट्र	5	87	92
उत्तर प्रदेश	15	0	15
उत्तराखंड	1	4	5

1	2	3	4
केरल	0	0	0
तमिलनाडु	1	13	14
कर्नाटक	5	14	19
गुजरात	0	5	5
बिहार	1	0	1
आंध्र प्रदेश	1	8	9
असम	1	0	1
मध्य प्रदेश	1	1	2
ओडिशा	1	0	1
गोवा	0	1	1
अखिल भारत	32	146	178

स्रोत: बीआईएफआर (*32 चीनी मिलों में से बीआईएफआर ने 12 मामलों को 'गैर-अनुरक्षणीय' के रूप में खारिज कर दिया है और सात मामलों में उन्होंने समाप्त करने की सिफारिश की है)।

स्रोत: नाबार्ड: (**नकारात्मक नेटवर्थवाली चीनी मिलें)।

नए टीवी चैनलों के प्रचालन के संबंध में दिशा-निर्देश

***312. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में भाषा-वार कितने टीवी चैनल कार्य कर रहे हैं;

(ख) नए टीवी चैनलों की स्थापना, रख-रखाव और प्रचालन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए क्या मानदंड/दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में टीवी चैनलों को विनियमित/प्रचालित करने संबंधी विद्यमान नीतिगत दिशा-निर्देशों में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विद्यमान दिशा-निर्देशों/मानदंडों में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (ङ) अभी तक की स्थिति के अनुसार, मंत्रालय ने 833 प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों को अनुमति प्रदान की है। बहुल भारतीय भाषाओं में अपलिंकिंग व डाउनलिंकिंग करने के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय विदेशी भाषाओं में विदेशों से अपलिंग किए जाने वाली विदेशी चैनलों को डाउनलिंकिंग की अनुमति भी प्रदान करता है। प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए अनुमति भारत से टीवी चैनलों की अपलिंकिंग हेतु नीतिगत दिशा-निर्देशों तथा भारत में टीवी चैनलों की डाउनलिंकिंग हेतु नीतिगत दिशा-निर्देशों में निर्धारित पात्रता संबंधी मानदंडों के अनुसार प्रदान की जाती है। इन दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, गैर-समाचार एवं समसामयिक विषयक चैनलों तथा समाचार एवं समसामयिक विषयक चैनलों के लिए पृथक पात्रता-मापदंड, अनुमति की अवधि, अनुमति के निबंधन एवं शर्तें, अनुमति शुल्क, अनुमति का नवीनीकरण आदि से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों के संचालन हेतु अनुमति प्रदान किए जाने हेतु पात्रता संबंधी मापदंडों का सार संलग्न विवरण में दिया गया है। विस्तृत दिशा-निर्देश *www.mib.nic.in* पर उपलब्ध हैं।

मंत्रालय ने दिनांक 05.12.2011 को अपलिंकिंग एव डाउनलिंकिंग हेतु निर्धारित नीति दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। इन दिशा-निर्देशों में पुन: संशोधन करने हेतु मंत्रालय के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

निजी सैटलाइट टीवी चैनलों के संचालन के लिए अनुमति मंजूर करने हेतु पात्रता मानदंड

(क) समाचार और समसामयिक विषयक टीवी चैनलों की अनुमति प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड

- आवेदक कंपनी को भारत में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी होना चाहिए।

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आवेदक कंपनी के पेड-अप इक्विटी के 26 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- सबसे बड़े भारतीय शेयर होल्डर को कुल इक्विटी का 51 प्रतिशत धारण करना चाहिए।
- आवेदक कंपनी का निवल मूल्य प्रथम चैनल के लिए 20.00 करोड़ रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त चैनल के लिए 5.00 करोड़ रुपए होगा।
- कंपनी के बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर के न्यूनतम ¾ डायरेक्टर और सभी कार्यकारी अधिकारी और संपादकीय कर्मचारनी प्रवासी भारतीय होंगे।
- कंपनी के बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर्स का प्रतिनिधित्व यथासंभव शेयर होल्डिग के समानुपात होगा।
- आवेदक कंपनी में शीर्ष प्रबंधन धारण करने वाले व्यक्तियों में से कम-से-कम एक व्यक्ति को समाचार एवं समसामयिक विषयक टीवी चैनलों का संचालन करने वाली किसी मीडिया कंपनी (या कंपनियों) में शीर्ष प्रबंधन पद में कम-से-कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(ख) भारत से गैर-समाचार और समसामयिक विषयक टीवी चैनलों को अपलिंक करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंड

- आवेदक कंपनी को भारत में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक कंपनी, अपने स्वामित्व, इक्विटी संरचना या प्रबंधन नियंत्रण के निरपेक्ष अनुमति प्राप्त करने के लिए पात्र होगी।
- आवेदक कंपनी की निवल मूल्य आवश्यकता प्रथम चैनल के लिए 2.50 करोड़ रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त चैनल के लिए 2.50 करोड़ रुपए होगी।
- आवेदक कंपनी में शीर्ष प्रबंधन धारण करने वाले व्यक्तियों में से कम-से-कम एक व्यक्ति को समाचार एवं समसामयिक विषयक टीवी चैनलों का संचालन करने वाली किसी मीडिया कंपनी (या कंपनियों) में शीर्ष प्रबंधन पद में कम-से-कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

(ग) भारत में टीवी चैनल को डाउनलिंक करने के लिए अनुमति/पंजीकरण प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड

- विदेश से अपलिंक किए गए चैनल के डाउनलिंकिग की अनुमति के लिए आवेदन करने वाली आवेदक कंपनी को इक्विटी संरचना, विदेशी स्वामित्व या प्रबंधन नियंत्रण के निरपेक्ष भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत में पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक कंपनी के पास भारत में व्यवसाय के अपने प्रमुख स्थान के साथ-साथ व्यावसायिक उपस्थिति भी होनी चाहिए।
- आवेदक कंपनी का सार्वजनिक अवलोकन हेतु डाउनलिंक किए जाने वाले चैनल पर स्वामित्व होना चाहिए अथवा भारत के भू-क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रयोजनार्थ उसके अनन्य के लिए विज्ञापन/अंशदान-राजस्व के अधिकार शामिल हैं और उसके आवेदन करते समय पर्याप्त प्रमाण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- यदि आवेदक कंपनी के पास अनन्य विपणन/वितरण अधिकार हों तो इसे विज्ञापनों, अंशदान और कार्यक्रम विषय के लिए चैनल की ओर से संविदाएं करने का अधिकार होना चाहिए।
- आवेदक कंपनी के पास नीचे दिए गए अनुसार न्यूनतम सकल मूल्य होना चाहिए।

क्र.सं.	मद	अपेक्षित सकल मूल्य
1.	प्रथम (गैर-समाचार या समाचार एवं समसामयिक विषयक) टेलीविजन चैनल के डाउनलिंकिंग के लिए	5.00 करोड़ रुपए
2.	प्रत्येक अतिरिक्त टेलीविजन चैनल के डाउनलिंकिंग के लिए	2.20 करोड़ रुपए

आवेदक कंपनी में शीर्ष प्रबंधन धारण करने वाले व्यक्तियों में से कम-से-कम एक व्यक्ति को समाचार एवं समसामयिक विषयक टीवी चैनलों/गैर-समाचार एवं समसामयिक विषयक टेलीविजन चैनलों का संचालन करने वाली किसी मीडिया कंपनी (या कंपनियों) में, जैसी भी स्थिति हो, शीर्ष प्रबंधन पद में कम-से-कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

***313. श्री चंद्रकांत खैरे :**
श्री अंजनकुमार एम. यादव :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) *क्या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और मूल्य नियंत्रण से संबंधित मौजूदा लागू विधि/आदेशों के अंतर्गत दोषसिद्धि की दर अपेक्षाकृत कम है;*

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने छापे मारे गए/तलाशियां ली गईं, कितनी अनियमितताएं पकड़ी गईं, कितने व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और दंडित किया गया;

(ग) क्या वर्तमान नियमों के कार्यान्वयन में ढील के साथ-साथ कम खरीद और निष्प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि में सहायक सिद्ध हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और चोरी बाजारी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 दोनों के उपबंधों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोचित की गई हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2010, 2011 और 2012 के दौरान 15.03.2013 तक आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत किए गए कार्य के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I, II और III पर दिए गए हैं। कुछेक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कम मुकदमेबाजी/दोषसिद्ध अर्थात् गिरफ्तारियों की संख्या के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:—

(i) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत मामले अधिनियम के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकता को देखते हुए अधिक समय लेने वाले और श्रम साध्य हैं।

(ii) अधिक लंबित मामले, जिसके कारण निबटान धीमा है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, ऐसे व्यक्तियों, जिनकी गतिविधियों समुदाय को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में बाधक पाई जाती हैं, को चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत नजरबंद करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1980 के तहत वर्ष 2010, 2011 और 2012 (15.03.2013 तक) राज्य सरकारों द्वारा वर्ष-वार और राज्य-वार द्वारा किए गए आदेशों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

राज्यों के नाम	2010	2011	2012 और 15.03.2013 तक
गुजरात	79	67	41
तमिलनाडु	120	198	187
ओडिशा	02	—	—
महाराष्ट्र	02	05	03
आंध्र प्रदेश	01	—	—
छत्तीसगढ़	01	—	—
कुल	205	270	231

(ग) और (घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन में लापरवाही की कोई सूचना नहीं है 'आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के विभिन्न की मांग की तुलना में घरेलू आपूर्ति में कमी, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि, खपत पैटर्न में परिवर्तन, विपरीत मौसम परिस्थितियां आदि।

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने, उपलब्धता प्राप्त करना और वितरण के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण)

आदेश, 2001 ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारू कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई करने और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने जो लक्षित सार्वजनिक तिवरण प्रणाली में कदाचार में लिप्त है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अधिदेशित किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के तहत गत तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार की गई कार्रवाई संलग्न विवरण-IV पर दी गई है।

विवरण-I

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत की गई कार्रवाई

(स्टॉक निवारण आदेशों के उल्लंघन के अतिरिक्त आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों के संबंध में)

वर्ष 2010 (31.12.2010) की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छापों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या	जब्त की गई वस्तुएं (लाख रुपये)	की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	10253	शून्य	शून्य	शून्य	144.96	दिसम्बर-क
2.	अरुणाचल प्रदेश	69	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	मई
3.	असम	332	29	20	10	शून्य	अगस्त-ख
4.	बिहार	65	24	शून्य	शून्य	शून्य	अक्तूबर-ग
5.	छत्तीसगढ़	211	1	18	14	757.58	अगस्त-घ
6.	दिल्ली	66	15	28	4	शून्य	दिसम्बर
7.	गोवा	82	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर-ङ
8.	गुजरात	30296	139	88	17	428.99	दिसम्बर
9.	हरियाणा	167	49	5	शून्य	361.62	अक्तूबर
10.	हिमाचल प्रदेश	22353	शून्य	शून्य	शून्य	11.62	नवम्बर
11.	जम्मू और कश्मीर						सूचित नहीं
12.	झारखंड						सूचित नहीं
13.	कर्नाटक	2016	138	शून्य	2	317.78	अक्तूबर
14.	केरल	26603	33	22	3	21.931	दिसम्बर
15.	मध्य प्रदेश						सूचित नहीं
16.	महाराष्ट्र	1820	2717	1543	शून्य	1139.45	नवम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	मणिपुर	9	5	5	5	0.47	दिसम्बर
18.	मेघालय	64	7	6	3	0.91	नवम्बर
19.	मिजोरम	84	शून्य	शून्य	शून्य	0.11	नवम्बर-च
20.	नागालैंड	2	26	शून्य	शून्य	0.39	सितम्बर
21.	ओडिशा	60155	6	258	शून्य	5.29	नवम्बर-छ
22.	पंजाब	213	21	13	9	1.27	दिसम्बर
23.	राजस्थान						सूचित नहीं
24.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
25.	तमिलनाडु	18894	6995	1257	43	708.69	दिसम्बर
26.	त्रिपुरा	245	7	7	शून्य	7.07	अक्तूबर
27.	उत्तराखंड						सूचित नहीं
28.	उत्तर प्रदेश	29723	558	1211	शून्य	6262.85	सितम्बर
29.	पश्चिम बंगाल	222	100	20	शून्य	281.41	दिसम्बर
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	193	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	सितम्बर
31.	चंडीगढ़	10	9	शून्य	शून्य	9.16	अक्तूबर-ज
32.	दादरा और नगर हवेली	1	1	शून्य	शून्य	35	दिसम्बर
33.	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	जुलाई-झ
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर-ञ
35.	पुदुचेरी	635	26	38	51	4.18	अक्तूबर
	कुल	204738	10906	4539	161	10500.741	

क — सितम्बर, 2010 को छोड़कर

ख — फरवरी, अप्रैल, मई, 2010 को छोड़कर

ग — मार्च, 2010 को छोड़कर

घ — जनरवरी, फरवरी, जून एवं जुलाई, 2010 को छोड़कर

ङ — नवम्बर, 2010 को छोड़कर

च — जुलाई एवं अगस्त, 2010 को छोड़कर

छ — अक्तूबर, 2010 को छोड़कर

ज — अगस्त, 2010 को छोड़कर

झ — केवल जुलाई, 2010 को छोड़कर

ञ — जुलाई, सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, 2010 को छोड़कर 23.02.2011 तक अद्यतन।

विवरण-II

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत की गई कार्रवाई

(स्टॉक निवारण आदेशों के उल्लंघन के अतिरिक्त आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों के संबंध में)

वर्ष 2011 (31.12.2011) की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छापों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या	जब्त की गई वस्तुएं (लाख रुपये)	की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	14901	32	21	0	614.51	दिसम्बर
2.	अरुणाचल प्रदेश						सूचित नहीं
3.	असम	269	4	131	शून्य	71.25	जून/सूचित नहीं
4.	बिहार	38	16	—	—	—	मई
5.	छत्तीसगढ़						सूचित नहीं
6.	दिल्ली	38	14	5	1	0.13	दिसम्बर/अप्रैल
7.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
8.	गुजरात	31463	137	81	—	315.93	दिसम्बर
9.	हरियाणा	120	162	41	—	26.73	दिसम्बर/सूचित नहीं
10.	हिमाचल प्रदेश	1723	1	—	—	0.60	जनवरी/सूचित नहीं
11.	जम्मू और कश्मीर						सूचित नहीं
12.	झारखंड						सूचित नहीं
13.	कर्नाटक	1506	186	0	0	40.76	दिसम्बर/सूचित नहीं
14.	केरल	32472	11	6	0	4.931	दिसम्बर
15.	मध्य प्रदेश						सूचित नहीं
16.	महाराष्ट्र	3953	3275	2587	शून्य	4461.84	दिसम्बर/अगस्त
17.	मणिपुर	10	10	4	4	3.64	दिसम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	मेघालय	38	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	सितम्बर
19.	मिजोरम	306	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	सूचित नहीं/दिसम्बर
20.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	नवम्बर
21.	ओडिशा	61287	6	287	—	25.438	अक्तूबर/सूचित नहीं
22.	पंजाब	515	5	4	2	2.05	दिसम्बर/सूचित नहीं
23.	राजस्थान	84	4	0	0	4.42	जनवरी/सूचित नहीं
24.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	मार्च/सूचित नहीं
25.	तमिलनाडु						सूचित नहीं
26.	त्रिपुरा	203	3	शून्य	शून्य	6.56	अक्तूबर/सूचित नहीं
27.	उत्तराखंड						सूचित नहीं
28.	उत्तर प्रदेश	30208	488	1264	—	1124.94	अगस्त/सूचित नहीं
29.	पश्चिम बंगाल	188	102	23	—	421.58	दिसम्बर/सूचित नहीं
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	256	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	जुलाई
31.	चंडीगढ़	14	12	1	—	5.122	अक्तूबर
32.	दादरा और नगर हवेली	13	9	—	—	31.04	सितम्बर/दिसम्बर
33.	दमन और दीव						सूचित नहीं
34.	लक्षद्वीप						सूचित नहीं/नवम्बर
35.	पुदुचेरी	1230	21	31	23	3.3358	दिसम्बर
	कुल	180785	4498	4486	30	7164.8068	

23.02.2011 तक अद्यतन।

विवरण-III

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत की गई कार्रवाई

(स्टॉक निवारण आदेशों के उल्लंघन के अतिरिक्त आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों के संबंध में)

वर्ष 2012 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छापों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या	जब्त की गई वस्तुएं (लाख रुपये)	की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	9847	45	0	0	788.77	जुलाई
2.	अरुणाचल प्रदेश						सूचित नहीं
3.	असम	1122	1	2	शून्य	30.07	नवम्बर/जून
4.	बिहार	59	29	—	—	43.75	जुलाई/मार्च
5.	छत्तीसगढ़	186	0	23	5	102.96	जून/सूचित नहीं
6.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	अगस्त/सूचित नहीं
7.	गोवा	55	4	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
8.	गुजरात	21868	67	36	—	225.25	दिसम्बर/नवम्बर
9.	हरियाणा	68	63	20	3	40.21	दिसम्बर/जुलाई
10.	हिमाचल प्रदेश	7663	2	—	365	20.14	मार्च/सूचित नहीं
11.	जम्मू और कश्मीर						सूचित नहीं
12.	झारखंड						सूचित नहीं
13.	कर्नाटक	784	69	0	0	21.22	दिसम्बर/सूचित नहीं
14.	केरल	26285	2	0	0	0	दिसम्बर
15.	मध्य प्रदेश						सूचित नहीं
16.	महाराष्ट्र	1515	2234	1386	0	20222.19	दिसम्बर/सूचित नहीं
17.	मणिपुर	18	16	6	2	12.508	अक्तूबर

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	मेघालय	138	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	मई
19.	मिजोरम	172	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	सूचित नहीं/दिसम्बर
20.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर/नवम्बर
21.	ओडिशा	34753	2	107	—	4.968	सितम्बर/सूचित नहीं
22.	पंजाब	120	1	1	1	2.09	अप्रैल/सूचित नहीं
23.	राजस्थान						सूचित नहीं
24.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	मई/सूचित नहीं
25.	तमिलनाडु	3286	1030	590	29	184.65	जून/सूचित नहीं
26.	त्रिपुरा	146	2	1	शून्य	3.40	जून/सूचित नहीं
27.	उत्तराखंड						सूचित नहीं
28.	उत्तर प्रदेश	25524	273	984	6	1112.71	अगस्त/सूचित नहीं
29.	पश्चिम बंगाल	561	264	153	—	245.06	दिसम्बर
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	211	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
31.	चंडीगढ़	4	16	—	—	0.16	जुलाई
32.	दादरा और नगर हवेली	5	13	5	—	21.98	सूचित नहीं/नवम्बर
33.	दमन और दीव						सूचित नहीं
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	सूचित नहीं/नवम्बर
35.	पुदुचेरी	1430	71	100	2	12.606	नवम्बर
	कुल	135820	4204	3414	413	23094.692	

23.02.2011 तक अद्यतन।

विवरण-IV

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष 2010, 2011 एवं 2012 के दौरान वर्ष-वार की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	वर्ष	निरीक्षणों की	मारे गए छापों की संख्या	गिरफ्तार किए गए/ अभियोजित किए गए/दोष सिद्ध पाए गए व्यक्तियों की संख्या	उन एफपीएस लाइसेंस धारकों की संख्या जिनके/ जिनहें लाइसेंस निरस्तर/रद्द किए गए/कारण बताओ नोटिस जारी किए गए/प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	2010	*	*	*	*
		2011	*	*	*	*
		2012	*	*	*	*
2.	अरुणाचल प्रदेश	2010	111	00	00	07
		2011	21	151	0	01
		2012	0	12	0	00
3.	असम	2010	2363	349	05	89
		2011	3361	1454	200	129
		2012	*	*	*	*
4.	बिहार	2010	64332	81	31	7721
		2011	70927	51	49	8926
		2012	38253	50	23	5890
5.	छत्तीसगढ़	2010	31123	694	20	547
		2011	27503	285	07	215
		2012	*	*	*	*

1	2	3	4	5	6	7
6.	दिल्ली	2010	65	57	24	08
		2011	110	26	09	78
		2012	29	00	00	28
7.	गोवा	2010	366	00	00	10
		2011	344	00	00	51
		2012	211	00	00	16
8.	गुजरात	2010	15508	00	143	338
		2011	20005	00	139	316
		2012	13221	00	39	183
9.	हरियाणा	2010	5972	388	32	2160
		2011	*	*	*	*
		2012	*	*	*	*
10.	हिमाचल प्रदेश	2010	24009	00	01	2458
		2011	35933	00	08	00
		2012	15741	00	02	00
11.	जम्मू और कश्मीर	2010	*	*	*	*
		2011	*	*	*	*
		2012	*	*	*	*
12.	झारखंड	2010	*	*	*	*
		2011	*	*	*	*
		2012	*	*	*	*
13.	कर्नाटक	2010	67671	23687	175	347
		2011	78030	1334	157	162
		2012	47311	689	55	47

1	2	3	4	5	6	7
14.	केरल	2010	73985	21164	49	151
		2011	43568	4102	06	54
		2012	88350	5137	02	81
15.	मध्य प्रदेश	2010	90172	2078	60	00
		2011	*	*	*	*
		2012	*	*	*	*
16.	महाराष्ट्र	2010	*	*	*	*
		2011	45446	5054	116	907
		2012	*	*	*	*
17.	मणिपुर	2010	101	00	00	00
		2011	44	00	00	00
		2012	*	*	*	*
18.	मेघालय	2010	897	65	07	69
		2011	1288	39	00	18
		2012	324	07	00	02
19.	मिजोरम	2010	353	246	00	24
		2011	366	340	02	10
		2012	258	187	00	03
20.	नागालैंड	2010	197	08	00	00
		2011	299	14	00	00
		2012	69	03	00	01
21.	ओडिशा	2010	00	56341	245	1643
		2011	00	73523	368	2722
		2012	00	22529	91	741

1	2	3	4	5	6	7
22.	पंजाब	2010	29157	5864	08	1335
		2011	*	*	*	*
		2012	*	*	*	*
23.	राजस्थान	2010	00	359	214	00
		2011	00	489	283	00
		2012	00	94	117	00
24.	सिक्किम	2010	87	00	00	00
		2011	00	00	00	00
		2012	*	*	*	*
25.	तमिलनाडु	2010	239993	27485	3981	00
		2011	234103	13779	1290	00
		2012	184677	10290	2340	00
26.	त्रिपुरा	2010	12379	419	12	760
		2011	7027	186	42	590
		2012	7520	311	00	605
27.	उत्तराखंड	2010	10853	5419	45	181
		2011	8513	4258	27	159
		2012	*	*	*	*
28.	उत्तर प्रदेश	2010	194259	40124	2375	10619
		2011	14152	11693	653	3523
		2012	76458	19226	976	5302
29.	पश्चिम बंगाल	2010	17257	415	05	894
		2011	19378	405	58	1154
		2012	7703	151	01	495

1	2	3	4	5	6	7
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2010	263	00	00	15
		2011	90	00	03	09
		2012	*	*	*	*
31.	चंडीगढ़	2010	*	*	*	*
		2011	14	03	03	00
		2012	00	00	00	00
32.	दादरा और नगर हवेली	2010	43	00	00	04
		2011	72	40	08	03
		2012	*	*	*	*
33.	दमन और दीव	2010	18	00	00	19
		2011	*	*	*	*
		2012	*	*	*	*
34.	लक्षद्वीप	2010	02	02	00	00
		2011	00	00	00	00
		2012	00	00	00	00
35.	पुदुचेरी	2010	646	337	09	03
		2011	496	615	22	01
		2012	125	420	95	00
	कुल	2010	882182	185582	7441	29402
		2011	641090	117841	3450	19028
		2012	480250	59106	3741	13394
	कुल योग = 2010+2011+32012		2003522	362529	14632	61824

*सूचना प्राप्त नहीं हुई।

[अनुवाद]

महिला संवेदी कार्यक्रम

*314. **श्री एम.वाई शानवास : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पुलिस बलों के प्रशिक्षण मॉड्यूल्स में महिला संवेदी कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सभी राज्यों ने ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें यह कार्यान्वित किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके राज्य-वार कारण क्या हैं; और

(ङ) राज्यों को उनके राज्य में ऐसे कार्यक्रम शुरू करने हेतु राजी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ङ) महिला संवेदी कार्यक्रम सरदार बल्लभभाई राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए) हैदराबाद, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (एनइपीए) शिलांग, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) नई दिल्ली, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय (सीडीटीएस) तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण माड्यूलों का एक अभिन्न हिस्सा है।

भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता के विधिक प्रावधानों, महिलाओं से संबंधित विशेष कानूनों तथा महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में पुलिस की भूमिका से संबंधित सूचनाओं के एकीकरण द्वारा महिलाओं से संबंधित मुद्दों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। इन माड्यूलों के लिए प्रयुक्त साधनों और कार्य प्रणाली में महिलाओं के प्रति रूढ़ धारणा की जांच के लिए तैयार की गई प्रश्नावलियों, संवैधानिक अधिकारों, यौन अपराधों, वैवाहिक अपराधों एव अधिकार आदि जैसे महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों से संबद्ध मामला अध्ययन सम्मिलित हैं।

प्रशिक्षण संस्थानों/अकादमियों द्वारा संचालित महिला संबंधी कार्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षण की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:—

(i) भारत में महिलाओं और पुरुषों की हैसियत में असमानता की सीमा।

(ii) परिवार, समाज तथा राज्य संस्थाओं के विशेष संदर्भ में महिला संबंधी (जेंडर) रिश्तों का संस्थागत विश्लेषण।

(iii) महिलाओं के प्रति हिंसा और अपराध तथा इसके लिए उत्तरदायी प्रकृति, सीमा एवं कारक।

(iv) पुलिस व्यवस्था में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता और पुलिस द्वारा किए गए प्रयास।

(v) महिलाओं के प्रति हिंसा/अपराध से जुड़े विधिक प्रावधान।

(vi) राष्ट्रीय महिला आयोग, जेंडर एवं विधि प्रवर्तन की भूमिका।

(vii) हिंसा एवं अपराध के पीड़ितों की प्रबंधन प्रक्रिया।

(viii) महिलाओं के प्रति हिंसा/अपराध से संबद्ध मामला (केस)-अध्ययन और मामला (केस) विधि।

(ix) महिलाओं के प्रति हिंसा/अपराध की जांच हेतु वैज्ञानिक सहायता के लिए क्रियाविधि।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) ने भी प्रशिक्षणार्थियों के सभी रैंकों के लिए मूलभूत एवं पुनश्चर्या प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यक्रमों में महिला संवेदी माड्यूलों को शामिल करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को एक परामर्शी पत्र जारी किया है।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीपीओ/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से अनुरोध किया है कि वे राज्य एवं जिला स्तर पर "महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता" एवं "महिलाओं के प्रति अपराध की जांच" पर कार्यशालाएं आयोजित करें पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने महिलाओं के प्रति संवेदनशील और महिलाओं के प्रति अपराध पर कार्यशाला के लिए एक पाठ्य-विवरण भी तैयार किया है इसे सभी प्रशिक्षण संस्थानों और मार्गदर्शन के लिए बीपीआर एंड डी के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

बीपीआर एंड डी द्वारा प्रत्येक वर्ष "महिलाओं के प्रति अपराध की जांच" के संबंध में नियमित पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान, इस विषय पर दो ऐसे पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे।

[हिन्दी]

दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों की सेवाएं

***315. श्री इज्यराज सिंह :**
श्री जगदीश सिंह राणा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन क्षेत्रों/जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, जिन्हें अभी दूरदर्शन और आकाशवाणी की सेवाओं द्वारा कवर किया जाना बाकी है और इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है कि देश के सभी क्षेत्रों/जनसंख्या को इसमें कवर किया जाए;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में दूरदर्शन केन्द्र/आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों और प्रत्येक ऐसे प्रस्ताव पर की गई कार्रवाई/उठाए गए कदमों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है/कराए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के क्या परिणाम रहे और उक्त केन्द्रों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र-वार कब तक स्थापित किए जाने/चालू किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वर्तमान में 536 एएम/एफएम रेडियो ट्रांसमीटरों के माध्यम से आकाशवाणी (एआईआर) की कवरेज क्षेत्रफल की दृष्टि से 91.90 प्रतिशत और आबादी की दृष्टि से 99.2 प्रतिशत है। इस दायरे से बाहर क्षेत्रों में रहने वाली देश की केवल 0.80 प्रतिशत आबादी को आकाशवाणी के कार्यक्रम नहीं प्राप्त होते हैं। इसके दायरे में न शामिल ये क्षेत्र अधिकांशत: कम आबादी वाले ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी ओर मरुस्थली क्षेत्र हैं जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य के उत्तरी और पूर्वी सीमा के कुछ हिस्से, राजस्थान राज्य में पश्चिमी सीमा के क्षेत्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पूर्वी सीमा क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी और पूर्वोत्तरी हिस्से और पूर्वोत्तर राज्यों के अन्य सीमावर्ती क्षेत्र हैं।

आकाशवाणी की योजना देश की 100 प्रतिशत आबादी को कवरेज प्रदान करने की है। देश में आकाशवाणी के कवरेज का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

1. आकाशवाणी के 12 विद्यमान ट्रांसमीटरों की शक्ति का स्तरोन्नयन करने और पूरे देश में भिन्न-भिन्न क्षमताओं के 166 अतिरिक्त एमडब्ल्यू/एफएम ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

2. इसके अतिरिक्त, आकाशवाणी के 21 रेडियो चैनल (कार्यक्रम) डीडी डायरेक्ट प्लस डीटीएच प्लेटफॉर्म (केयू-बैण्ड) के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं और इन कार्यक्रम को (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर) पूरे देश में एक सेट टॉप बॉक्स के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

11वीं योजना के अंतर्गत अनुमोदित नए आकाशवाणी केंद्रों को देश में स्थित 133 स्थानों पर स्थापित किया जा रहा है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एफएम रेडियो स्टेशन स्थापित करने हेतु विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से 18 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक प्रस्ताव के संबंध में राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरे, उन पर की गई कार्रवाई संबंधी जानकारी सहित संलग्न विवरण-II पर दिए गए हैं।

जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, स्थलीय टीवी कवरेज देश की लगभग 92 प्रतिशत आबादी को उपलब्ध है जो लगभग 81 प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैली हुई है। तथापि स्थलीय ट्रांसमीटरों के दायरे से बाहर के क्षेत्रों सहित पूरे भारत को दूरदर्शन की फ्री टु एयर डीटीएच सेवा "डीडी डायरेक्ट प्लस" के माध्यम से बहु-चैनल टीवी कवरेज प्रदान की गई है। कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर, स्थलीय कवरेज के विस्तार के लिए नए ट्रांसमीटर लगान की अभी अभिकल्पना नहीं है।

नए दूरदर्शन केंद्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, वर्ष 2009-10 में राज्य सरकारों की ओर से नए दूरदर्शन केंद्रों की स्थापना के लिए 6 अनुरोध प्राप्त हुए हैं। ये अनुरोध बिहार (1),

मिजोरम (1) और राजस्थान (4) से प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा नए केंद्रों की स्थापना के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है न ही कराए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण-I

स्थानों की सूची जहां आकाशवाणी एफ.एम. केंद्रों की स्थापना की जा रही है।

क्र. सं.	राज्य	केन्द्र	प्रेषित्र की क्षमता
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	खम्माम	100 वाट एफ.एम.
2.	अरुणाचल प्रदेश	अनीनी	1 किवा एफ.एम.
3.	अरुणाचल प्रदेश	बारीरीजो	100 वाट एफ.एम.
4.	अरुणाचल प्रदेश	भालूकपोंग	100 वाट एफ.एम.
5.	अरुणाचल प्रदेश	बोलेंग	100 वाट एफ.एम.
6.	अरुणाचल प्रदेश	चांगलैंग	1 किवा एफ.एम.
7.	अरुणाचल प्रदेश	छयंगताजो	100 वाट एफ.एम.
8.	अरुणाचल प्रदेश	डापोरीजो	1 किवा एफ.एम.
9.	अरुणाचल प्रदेश	गेनसी	100 वाट एफ.एम.
10.	अरुणाचल प्रदेश	हेयूलियांग	100 वाट एफ.एम.
11.	अरुणाचल प्रदेश	खोन्सा	1 किवा एफ.एम.
12.	अरुणाचल प्रदेश	कोयू	100 वाट एफ.एम.
13.	अरुणाचल प्रदेश	मारीयांग	100 वाट एफ.एम.
14.	अरुणाचल प्रदेश	मेचूका	100 वाट एफ.एम.
15.	अरुणाचल प्रदेश	नमपोंग	100 वाट एफ.एम.
16.	अरुणाचल प्रदेश	पालिन	100 वाट एफ.एम.
17.	अरुणाचल प्रदेश	रागा	100 वाट एफ.एम.

1	2	3	4
18.	अरुणाचल प्रदेश	रूमगोंग	100 वाट एफ.एम.
19.	अरुणाचल प्रदेश	संग्राम	100 वाट एफ.एम.
20.	अरुणाचल प्रदेश	सागाली	100 वाट एफ.एम.
21.	अरुणाचल प्रदेश	तुर्टीग	100 वाट एफ.एम.
22.	अरुणाचल प्रदेश	याचूली	100 वाट एफ.एम.
23.	अरुणाचल प्रदेश	यिंगकियोंग	100 वाट एफ.एम.
24.	असम	बकुलीघाट	100 वाट एफ.एम.
25.	असम	बारपेटा	100 वाट एफ.एम.
26.	असम	डुडनोई	100 वाट एफ.एम.
27.	असम	गोलपारा	1 किवा एफ.एम.
28.	असम	करीमगंज	1 किवा एफ.एम.
29.	असम	लंका	100 वाट एफ.एम.
30.	असम	लुमडिंग	1 किवा एफ.एम.
31.	असम	सरीहजन	100 वाट एफ.एम.
32.	असम	उडलगुरी	100 वाट एफ.एम.
33.	बिहार	बैतिया	100 वाट एफ.एम.
34.	बिहार	फोरसिबगंज	100 वाट एफ.एम.
35.	बिहार	मधुबनी	100 वाट एफ.एम.
36.	बिहार	मोतिहारी	100 वाट एफ.एम.
37.	बिहार	मुजफ्फरपुर	100 वाट एफ.एम.
38.	बिहार	सुपोल	100 वाट एफ.एम.
39.	छत्तीसगढ़	डोंगरगढ़	100 वाट एफ.एम.
40.	छत्तीसगढ	कनकेर	100 वाट एफ.एम.

1	2	3	4
41.	छत्तीसगढ	खरोड	100 वाट एफ.एम.
42.	छत्तीसगढ	कोरबा	100 वाट एफ.एम.
43.	छत्तीसगढ	पनदारिया	100 वाट एफ.एम.
44.	गुजरात	जूनागढ़	10 किवा एफ.एम.
45.	हिमाचल प्रदेश	चौरीखास	100 वाट एफ.एम.
46.	जम्मू और कश्मीर	ग्रीन रीज	10 किवा एफ.एम.
47.	जम्मू और कश्मीर	हिमबोटिंगला	10 किवा एफ.एम.
48.	जम्मू और कश्मीर	नाथाटोप	10 किवा एफ.एम.
49.	झारखंड	बोकारो	100 वाट एफ.एम.
50.	झारखंड	छत्तरा	100 वाट एफ.एम.
51.	झारखंड	देवघर	100 वाट एफ.एम.
52.	झारखंड	धनबाद	10 किवा एफ.एम.
53.	झारखंड	दुमका	100 वाट एफ.एम.
54.	झारखंड	घाटशिला	100 वाट एफ.एम.
55.	झारखंड	गिरीडीह	100 वाट एफ.एम.
56.	झारखंड	गुमला	100 वाट एफ.एम.
57.	मध्य प्रदेश	झाबुआ	100 वाट एफ.एम.
58.	मध्य प्रदेश	रतलाम	100 वाट एफ.एम.
59.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	5 किवा एफ.एम.
60.	महाराष्ट्र	अमरावती	10 किवा एफ.एम.
61.	मणिपुर	चिंगई	100 वाट एफ.एम.
62.	मणिपुर	तेमेई	100 वाट एफ.एम.
63.	मणिपुर	तमेंगलेंग	1 किवा एफ.एम.

1	2	3	4
64.	मणिपुर	उखरूल	1 किवा एफ.एम.
65.	मेघालय	बाघमारा	100 वाट एफ.एम.
66.	मिजोरम	चम्फई	1 किवा एफ.एम.
67.	मिजोरम	चीहफुरी	100 वाट एफ.एम.
68.	मिजोरम	खवबुंग	100 वाट एफ.एम.
69.	मिजोरम	कोलासिब	1 किवा एफ.एम.
70.	मिजोरम	पुकिजंग	100 वाट एफ.एम.
71.	मिजोरम	ट्यूपेंग	1 किवा एफ.एम.
72.	मिजोरम	वानलाइफाई	100 वाट एफ.एम.
73.	मिजोरम	जौरगीन	100 वाट एफ.एम.
74.	नागालैंड	हेनिमा (तेनिंग)	100 वाट एफ.एम.
75.	नागालैंड	मेलूरी	100 वाट एफ.एम.
76.	नागालैंड	फेक	1 किवा एफ.एम.
77.	नागालैंड	वोखा	1 किवा एफ.एम.
78.	नागालैंड	जूनहेबोटो	1 किवा एफ.एम.
79.	ओडिशा	अनगुल	100 वाट एफ.एम.
80.	ओडिशा	बलीगुरहा	100 वाट एफ.एम.
81.	ओडिशा	नौपारा	100 वाट एफ.एम.
82.	ओडिशा	पारादीप	100 वाट एफ.एम.
83.	ओडिशा	पारलखेमुंडी	100 वाट एफ.एम.
84.	ओडिशा	रायरंगपुर	1 किवा एफ.एम.
85.	ओडिशा	रायगाडा	100 वाट एफ.एम.
86.	ओडिशा	सुंदरगढ़	100 वाट एफ.एम.

1	2	3	4
87.	पंजाब	अमृतसर	20 किवा एफ.एम.
88.	पंजाब	फाजिल्का	20 किवा एफ.एम.
89.	राजस्थान	चौटन हिल	20 किवा एफ.एम.
90.	राजस्थान	डुंगरपुर	1 किवा मी.वेव.
91.	राजस्थान	सीकर	100 वाट एफ.एम.
92.	सिक्किम	चूंगथांग	100 वाट एफ.एम.
93.	सिक्किम	डेनतम	100 वाट एफ.एम.
94.	सिक्किम	ग्यालसिंग	100 वाट एफ.एम.
95.	सिक्किम	लचेन	100 वाट एफ.एम.
96.	सिक्किम	लाचुंग, फोरेस्ट गेस्ट हाउस	100 वाट एफ.एम.
97.	सिक्किम	मंगन	100 वाट एफ.एम.
98.	सिक्किम	नामथैंग, पोलिस थाना	100 वाट एफ.एम.
99.	सिक्किम	सोरंग	100 वाट एफ.एम.
100.	सिक्किम	यूकसोम	100 वाट एफ.एम.
101.	त्रिपुरा	अमवासा	100 वाट एफ.एम.
102.	त्रिपुरा	चोवमानु	100 वाट एफ.एम.
103.	त्रिपुरा	दमछारा	100 वाट एफ.एम.
104.	त्रिपुरा	धर्मानगर	1 किवा मी.वेव.
105.	त्रिपुरा	गंदचारा	100 वाट एफ.एम.
106.	त्रिपुरा	गोलाईबरी	100 वाट एफ.एम.
107.	त्रिपुरा	लौंगथराई	5 किवा एफ.एम.
108.	त्रिपुरा	नूतन बाजार	1 किवा एफ.एम.
109.	त्रिपुरा	साखन	100 वाट एफ.एम.
110.	त्रिपुरा	सिलाचेरी	100 वाट एफ.एम.

1	2	3	4
111.	त्रिपुरा	उदयपुर	1 किवा एफ.एम.
112.	त्रिपुरा	वंगमुन (भंगमुन)	100 वाट एफ.एम.
113.	संघ शासित क्षेत्र (दमन और दीव)	दिव	100 वाट एफ.एम.
114.	उत्तर प्रदेश	बांदा	10 किवा एफ.एम.
115.	उत्तर प्रदेश	मउनाथभंजन	10 किवा एफ.एम.
116.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	20 किवा एफ.एम.
117.	उत्तराखंड	बागेश्वर	5 किवा एफ.एम.
118.	उत्तराखंड	चंपावत	1 किवा एफ.एम.
119.	उत्तराखंड	देहरादून	10 किवा एफ.एम.
120.	उत्तराखंड	गैरसेन	1 किवा एफ.एम.
121.	उत्तराखंड	हल्दवानी	10 किवा एफ.एम.
122.	उत्तराखंड	हरीद्वार	100 वाट एफ.एम.
123.	उत्तराखंड	न्यू टीहरी	1 किवा एफ.एम.
124.	उत्तराखंड	रानीखेत	100 वाट एफ.एम.
125.	पश्चिम बंगाल	बालारामपुर	100 वाट एफ.एम.
126.	पश्चिम बंगाल	बेलूरघाट	10 किवा एफ.एम. और 100 वाट एफ.एम.
127.	पश्चिम बंगाल	वर्द्धमान	10 किवा एफ.एम.
128.	पश्चिम बंगाल	बसंती	100 वाट एफ.एम.
129.	पश्चिम बंगाल	फरक्का	100 वाट एफ.एम.
130.	पश्चिम बंगाल	कूचविहार	10 किवा एफ.एम.
131.	पश्चिम बंगाल	कृष्णा नगर	100 वाट एफ.एम.
132.	पश्चिम बंगाल	मेदनीपुर	100 वाट एफ.एम.
133.	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया	100 वाट एफ.एम.

विवरण-II

रेडियो केन्द्र स्थापित करने के लिए प्राप्त प्रस्ताव

क्र. सं.	स्थान	राज्य	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
		2009-10	
1.	शिमोगा	कर्नाटक	वर्तमान में इस स्थान हेतु कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 10 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा योजना का अनुमोदन/स्वीकृति होने शेष है।
2.	मथुरा	उत्तर प्रदेश	1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर पहले ही कार्यरत है। इसके अतिरिक्त, 11वीं योजना में स्वीकृत 100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर भी चालू कर दिया गया है।
		2010-11	
1.	भावनगर	गुजरात	11वीं योजना में स्वीकृत 100 वाट का एफ.एम. ट्रांसमीटर चालू कर दिया गया है। इसके साथ-साथ, 12वीं पंचवर्षीय योजना में 10 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन/स्वीकृति होना शेष हैं।
2.	अनुपपुर	मध्य प्रदेश	वर्तमान में इस स्थान हेतु कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।
3.	फूलबनी	ओडिशा	एक 100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर संस्थापित किया जा रहा है।
4.	मोन और येनसांग	नागालैंड	दोनों स्थानों पर 1 किलोवाट मीडियम वेव (सीआरएस) पहले से ही कार्यरत है। इसके साथ-साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना में इन 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटरों को 1 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर से परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा योजना का अनुमोदन/स्वीकृति होना शेष है।
5.	सिक्किम (उत्तर, दक्षिण और पश्चिम जिले)	सिक्किम	वर्तमान में इन स्थानों हेतु कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।
6.	रामपुर	उत्तर प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर अप्रैल, 2012 से अंतरिम सेटअप पर चालू कर दिया गया है।
7.	मालदा, चंचल	पश्चिम बंगाल	वर्तमान में इस स्थान हेतु अनुमोदित स्कीम नहीं है। यद्यपि, 12वीं पंचवर्षीय योजना में 10 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर स्थापित करने

1	2	3	4
			का प्रस्ताव है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा योजना का अनुमोदन/स्वीकृति होना शेष है।
		2011-12	
1.	पेरिनथमन्ना	केरल	वर्तमान में इस स्थान हेतु कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।
2.	मिनीकॉय तथा लक्षद्वीप के अन्य मुख्य द्वीपसमूह	लक्षद्वीप (संघ शासित क्षेत्र)	वर्तमान में इन स्थानों हेतु कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।
3.	पन्ना (मध्य प्रदेश)	मध्य प्रदेश	वर्तमान में इस स्थान हेतु कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। यद्यपि, 12वीं पंचवर्षीय योजना में 100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा योजना का अनुमोदन/स्वीकृति होना शेष है।
4.	फूलबनी	ओडिशा	एक 100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर संस्थापित किया जा रहा है।
5.	मुक्तसर	पंजाब	वर्तमान में इस स्थान हेतु कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।
		2012-13	
1.	सतना	महाराष्ट्र	वर्तमान में इस स्थान हेतु कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।
2.	हरदा	मध्य प्रदेश	11वीं योजना में स्वीकृत 100 वाट का एफ.एम. ट्रांसमीटर भी चालू कर दिया गया है।
3.	गोड्डा जिला	झारखंड	वर्तमान में इस स्थान हेतु कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।
4.	बंकुरा	पश्चिम बंगाल	वर्तमान में इस स्थान हेतु कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

[अनुवाद]

कोयला खान पेंशन योजना

***316. श्री नीरज शेखर :**
श्री अशोक अर्गल :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के अंतर्गत हर तीसरे वर्ष में पेशन निधि के मूल्यांकन का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना से लेकर अब तक कितनी बार ऐसे मूल्यांकन कराए गए हैं तथा उन संशोधनों का ब्यौरा क्या है, जो हर बार लागू किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतग्रत हाल ही में कोयला कामगारों की पेंशन में संशोधन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ङ) सीएमपीएस, 1998 की धारा 22(1) के अंतर्गत पेंशन निधि का प्रत्येक

तीसरे वर्ष बीमांकक मूल्यांकन कराया जाना होता है। तद्नुसार, सीएमपीएस, 1998 तथा पेंशन निधि की बीमांकक मूल्यांकन का मार्च, 2001 तक का कार्य शुरू किया गया। इस अवधि को बढ़ाकर 31.12.2002 तक कर दिया गया था। बीमांकक ने अपनी संशोधित मूल्यांकन रिपोर्ट 29.07.2003 को प्रस्तुत कर दी थी। केन्द्र सरकार ने सीएमपीएफओ से भारतीय बीमांकक सोसायटी के किसी बीमांकक द्वारा बीमांकन रिपोर्ट के बारे में दूसरी राय/पूनर्मूल्यांकन कराने को कहा था। बीमांकक की यह रिपोर्ट 29.06.2006 को प्रस्तुत की गई थी, तत्पश्चात् 10.10.2006 को एक अनुपूरक रिपोर्ट भेजी गई। इन दोनों रिपोर्टों को 11.10.2006 को हुई सीएमपीएफओ के ट्रस्टी बोर्ड (बीओटी) की 145वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया था। बीमांकक ने 1946.67 करोड़ रुपये के घाटे की सूचना दी तथा सीएमपीएस, 1998 में संशोधन के द्वारा कर्मचारियों से योगदान में वृद्धि की सिफारिश की। चूंकि मूल्यांकन सीएमपीएफ/पेंशन सदस्यता से संबंधित कुल आंकड़ों में से मात्र 40.35% पर आधारित था, अत: बीओटी ने 100% आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन कराने का निर्देश दिया। कवर की गई अवधि को बढ़ाकर 31.12.2011 तक किया गया। बीमांकक की दिनांक 09.07.2012 की मसौदा रिपोर्ट पर ट्रस्टी बोर्ड की दिनांक 20.07.2012 को हुई 156वीं बैठक में चर्चा की गई तथा बीओटी निर्णय के अनुसार बीमांकक रिपोर्ट के ब्यौरों पर विचार करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। दिनांक 16.10.2012 तथा 17.10.2012 को समिति की बैठक हुई। समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें से एक सिफारिश सीआईएल से यह अनुरोध करना था कि वे देयताओं को वित्तपोषित करने के लिए एक उपयुक्त मॉडल तैयार करने हेतु कोयला उद्योग हेतु संयुक्त द्विपक्षीय समिति (जेबीसीसीआई) की तकनीकी समिति को प्रस्ताव भेजे। मामले पर 22.02.2013 को हुई ट्रस्टी बोर्ड की 157वीं बैठक में आगे चर्चा की गई। कोल इंडिया लिमिटेड ने बोर्ड को सूचित किया है कि मामला कोयला उद्योग हेतु संयुक्त द्विपक्षीय समिति (जेबीसीसीआई) के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

विकलांग जनों को सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता योजना

***317. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :**
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विकलांग जनों को सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता योजना के उद्देश्य और मुख्य बातें क्या हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विकलांग जनों को सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्रता संबंधी मानदंड क्या है और लाभार्थियों को किस प्रकार के यंत्र/उपकरण प्रदान किए जाते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र विकलांग जनों की आय की अधिकतम सीमा में संशोधन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत धनराशि के दुरुपयोग/इसमें अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) विकलांग जनों को सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (एडिप) योजना के अंतर्गत, विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित, आधुनिक, मानक यंत्रों और उपकरणों के प्रापण में सहायता करने के लिए निधियां जारी की जाती हैं जिससे विकलांगताओं के प्रभावों को कम करके तथा उनकी आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए उनके शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ाया जा सके। इस योजना में कोई सहायक यंत्र प्रदान करने से पूर्व चिकित्सा/सुधारात्मक शल्य क्रियाएं, जहां कहीं अपेक्षित हों, करने की भी परिकल्पना की गई है।

(ख) इस योजना के अंतर्गत, सहायता हेतु पात्रता शर्तें निम्नानुसार हैं:—

(i) किसी भी आयु वर्ग का कोई भारतीय नागरिक होना चाहिए।

(ii) किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा यह प्रमाणित होना चाहिए कि वह विकलांग है तथा वह निर्धारित यंत्र/उपकरण का उपयोग करने के लिए फिट है।

(iii) वह व्यक्ति जो नियोजित/स्वनियोजित या पेंशन प्राप्त कर रहा है और सभी स्रोतों से उसकी मासिक आय 10,000 रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं है।

(iv) आश्रितों के मामले में, माता-पिता/अभिभावकों की आय 10000 रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(v) वे व्यक्ति जिन्होंने समान प्रयोजन के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार, स्थानीय निकायों तथा गैर-सरकारी संगठनों से सहायता प्राप्त नहीं की है। तथापि, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यह सीमा एक वर्ष होगी।

इस योजना के अंतर्गत, निम्नलिखित प्रकार के यंत्र और उपकरण प्रदान किए जाते हैं:—

चलन से संबंधित विकलांगजन

(i) सभी प्रकार के प्रोस्थैटिक और आर्थोटिक यंत्र।

(ii) चलन संबंधी विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के लिए तिपहिया रिक्शा, व्हील चेयर, बैसाखी तथा वार्किंग फ्रेम/रोटेटर/मोटर चालित तिपहिया रिक्शा जैसे चलन यंत्रों जिनकी लागत 6000 रुपए से अधिक होने की संभावना है, प्राप्त किए जा सकते हैं तथा अपवादात्मक स्वरूप मामलों में मामला -दर-मामला आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पूर्व अनुमान के अध्यधीन प्रदान किए जा सकते हैं। तथापि, सब्सिडी की सीमा 6000 रुपए रहेगी। सभी अन्य उपकरणों के लिए सीमा 6000 रुपए है।

(iii) सभी प्रकार के सर्जिकल फुटवियर तथा एमसीआर चप्पल।

(iv) एडीएल के लिए (दैनिक जीवन के कार्यकलाप) सभी प्रकार के यंत्र।

दृष्टिबाधित व्यक्ति

(i) शिक्षण उपकरण जैसे अर्थमेटिक फ्रेम, अबेकस, ज्योमिट्री किट्ट इत्यादि। धीमे गति से सीखने वाले दृष्टिहीन बच्चों के लिए बड़ी ब्रेल बिन्दु प्रणाली। डिक्टाफोन तथा अन्य परिवर्तनीय गति रिकॉर्डिंग प्रणाली। 12वीं कक्षा के दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए सीडी प्लेयर/टेपरिकार्डर।

(ii) विज्ञान शिक्षण उपकरण जैसे टाकिंग बेलेंसेस, टाकिंग थर्मोमीटर्स, मापन उपकरण जैसे टेप मापक, माइक्रोमीटर इत्यादि।

(iii) कक्षा 10 के दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेलर्स, बेल शार्टहेंड मशीनें, टाइपराइटरों सहित ब्रेल लेखन उपकरण। टाकिंग केल्कुलेटर्स, भूगोल शिक्षण उपकरण जैसे रेज्ड नक्शे और ग्लोब।

(iv) बधिर-दृष्टिहीन के लिए संचार उपकरण। बधिर-दृष्टिहीन व्यक्तियों हेतु टेलीफोन के लिए ब्रेल सहायक उपकरण।

(v) हस्त संचालित स्टेण्ड, प्रकाशयुक्त तथा प्रकाशरहित मेग्निफायर, स्पीच सिंथेसाइजर्स अथवा कम्प्यूटरों के लिए ब्रेल उपकरणों सहित निम्न दृष्टि यंत्र।

(vi) मस्कूलर डायस्ट्राफी के साथ दृष्टिहीन विकलांग लोगों के लिए विशेष चलन यंत्र अथवा प्रमस्तिष्क अंगघात व्यक्तियों के लिए अडेपटेड वाकर्स।

(vii) कम्प्यूटर उपयोग करने वाले दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सॉफ्टवेयर जिनकी लागत संभवत: 6000 रुपए से अधिक है, प्राप्त किए जा सकते हैं तथा अपवाद स्वरूप मामलों में मामला-दर-मामला आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन प्रदान किए जा सकते हैं। सभी अन्य उपकरणों के लिए सीमा 6000 रुपए है।

श्रवण बाधित व्यक्ति

(i) विभिन्न प्रकार के श्रवण यंत्र।

(ii) शैक्षिक किटें जैसे टेप रिकॉर्डर इत्यादि।

(iii) टेलीफोन, टीवी, डोर बेल, टाईम अलार्म इत्यादि को सुनने के लिए उपकरणों सहित सहायक तथा अलार्म उपकरण।

(iv) पोर्टेबल स्पीच सिंथेसाइजर इत्यादि जैसे संचार उपकरण।

मानसिक विकलांग व्यक्ति

पुनर्वास व्यावसायिक अथवा उपचार करने वाले फिजीशियन द्वारा सलाह दिया गया कोई अन्य उपकरण।

(ग) निम्नलिखित विवरण के अनुसार आय सीमा वाले विकलांग व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। केवल वे यंत्र/उपकरण जिनकी लागत 6000 रुपए से अधिक नहीं है इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

कुल आय		सहायता की धनराशि	
(i)	6,500/- रुपय प्रतिमाह तक	(i)	यंत्रों/उपकरणों की पूर्ण लागत
(i)	6,501/- रुपए से 10,000/- रुपए प्रतिमाह तक	(ii)	यंत्रों/उपकरणों की 50% लागत

इस योजना के अंतर्गत आय सीमा और सहातया की धनराशि में संशोधन पर विचार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) इस योजना के अंतर्गत अनुदान संबंधी राज्य सरकार/अनुशंसाकर्त्ता अधिकारी से निरीक्षण रिपोर्ट तथा कार्यान्वयन एजेंसी के लाभार्थियों की परीक्षण जांच रिपोर्ट, तथा पूर्ववर्ती अनुदानों के उपयोग प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के पश्चात् निर्मुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के अधीन 7 राष्ट्रीय संस्थानों से भी यह आशा की जाती है कि वे उन्हें आबंटित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने के लिए निरीक्षण करें। विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु ब्यूरो तथा प्रभाग प्रमुखों को नोडल अधिकारियों के रूप में नामित कर दिया गया है।

निधियों के दुरुपयोग की शिकायतों की जांच अंवेषण के माध्यम से जांच की जाती है तथा सहायता अनुदान की आगामी निर्मुक्ति पर केवल संतोषजनक जांच रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् विचार किया जाता है। निधियों के दुरुपयोग के मामले में, योजना के प्रावधानों के अनुसार, निधियों को वसूलने की कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

'कोल्ड चेन' परियोजनाएं

***318. श्री प्रदीप माझी :**
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की जाने वाली कितनी 'कोल्ड चेन' परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी और उनमें से जिन परियोजनाओं को सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तारीख के अनुसार इन परियोजनाओं में से किन-किन परियोजनाओं ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है;

(ग) उक्त योजनावधि के दौरान उक्त परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) अब तक जिन परियोजनाओं ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया है उनका ब्यौरा क्या है तथा परियोजना-वार विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसे प्रत्येक परियोजना को शीघ्र शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) सरकार ने 11वीं योजना अवधि के दौरान वित्तीय सहायता के लिए 79 कोल्ड चेन परियोजनाएं शुरू करने का अनुमोदन दिया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 11वीं योजना अवधि के दौरान वित्तीय सहायता के लिए 49 कोल्ड चेन परियोजनाओं को अनुमोदन दिया था। अन्य 25 कोल्ड चेन परियोजनाएं वर्ष 2012-13 अर्थात् 12वीं योजना के प्रथम वर्ष में अनुमोदित की गई हैं। मंत्रालय द्वारा अनुमोदित इन 74 कोल्ड चेन परियोजनाओं में से, 11 परियोजनाओं को निर्धारित समय के भीतर पहली किस्त के लिए दावा प्रस्तुत न करने एवं तथ्यों के गलत ढंग से प्रस्तुत करने के कारण निरस्त कर दिया गया है। मंत्रालय से सहायता प्राप्त करने वाली शेष 63 परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जिन कोल्ड चेन परियोजनाओं में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया हैं उनका संलग्न ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) प्रत्येक कोल्ड चेन परियोजना के लिए अनुमोदित, जारी किए गए अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) जिन परियोजनाओं में अब तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है उनका ब्यौरा तथा देरी के कारण संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

(ङ) मंत्रालय परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित रूप से मॉनीटरिंग कर रहा है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाले समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रमोटरों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें की जाती हैं। जहां भी आवश्यक था, संबंधित प्राधिकरणों जैसे राज्य/केन्द्र सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से समस्याओं को हल करने के लिए अनुरोध किया गया है ताकि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके।

विवरण-I

वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित राज्य-वार एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	मैसर्स क्रीमलाइन डेयरी प्रोडक्ट्स लि.
2.	आंध्र प्रदेश	मैसस सिंथेट इंडस्ट्रीज लि.
3.	आंध्र प्रदेश	मैसस भूपति एग्रो इंटरप्राइजेज
4.	आंध्र प्रदेश	मैसस डोडला डेयरी लि.
5.	अरुणाचल प्रदेश	मैसस सियांग फ्रेश
6.	असम	मैसस ग्लोबल इनट्रेड
7.	बिहार	मैसस गंगा डेयरी लि.
8.	छत्तीसगढ़	मैसस एल.एल. लोजिस्टिक्स प्रा.लि.
9.	छत्तीसगढ़	मैसर्स उत्सव ओर्गेनिक एंड कोल्ड चेन
10.	गुजरात	मैसर्स हाई-टेक फ्रोजेन फेसिलिटीज प्रा.लि.
11.	गुजरात	मैसर्स साबारबकांठा डिस्ट्रक्ट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोडयूसर्स यूनियन लि.
12.	गुजरात	मैसस नेचुरल फ्रोजेन एंड डी-हाइड्रेटिड फूड्स
13.	गुजरात	मैसस गायत्री डेयरी प्रोडक्ट्स प्रा.लि.
14.	हरियाणा	मैसस एलाइंग्ड इंडस्ट्रीज लि.
15.	हरियाणा	मैसस एमजे लोजिस्टक सर्विसेज लि.

1	2	3
16.	हरियाणा	मैसस सूरी एग्रो फ्रेश प्रा.लि.
17.	हिमाचल प्रदेश	मैसस केनवास इंटीग्रेटिड कोल्ड चेन
18.	हिमाचल प्रदेश	मैसस देवभूमि कोल्ड चेन
19.	हिमाचल प्रदेश	मैसस ऐरोमैट्रिक्स फ्लोरा प्रा.लि.
20.	हिमाचल प्रदेश	मैसस हिलक्रेस्ट फूड्स
21.	हिमाचल प्रदेश	मैसस नरवानीज कोल्ड चेन
22.	कर्नाटक	मैसस अथर्वाज ट्रेडर्स प्रा.लि.
23.	कर्नाटक	मैसस इनोवा एग्रो बायो पार्क लि.
24.	केरल	मैसस इंकल वेंचर्स
25.	केरल	मैसस फ्रोजेन फ्रूट्स एंड वेजीटेबल्स
26.	केरल	मैसस एस.एच. कोल्ड स्टोरेज
27.	मध्य प्रदेश	मैसस ओम एग्रो प्रोडक्ट्स
28.	महाराष्ट्र	मैसस फ्रेशट्रोप फ्रूट्स लि.
29.	महाराष्ट्र	मैसस आई.जी. इंटरनेशनल
30.	महाराष्ट्र	मैसस वराना डेयरी एंड एग्रो इंडस्ट्री
31.	महाराष्ट्र	मैसस रास्ता वेअरहाउसिंग लि.
32.	महाराष्ट्र	मैसस साव्ला फूड्स एंड कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि.
33.	महाराष्ट्र	मैसर्स बी.वाई. एग्रो एंड इन्फ्रा प्रा.लि.
34.	महाराष्ट्र	मैसर्स ब्ल्यू फिन फ्रोजेन प्रा.लि.
35.	महाराष्ट्र	मैसर्स कोल्ड स्टार लोजिस्टिक्स प्रा.लि.
36.	महाराष्ट्र	मैसर्स मेरीगोल्ड बिल्डकोन प्रा.लि.
37.	महाराष्ट्र	मैसर्स दौलत एग्रो (इंडिया) प्रा.लि.
38.	महाराष्ट्र	मैसर्स नाथ बायो जींस (इंडिया) लि.
39.	महाराष्ट्र	मैसर्स हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल लि.

1	2	3
40.	महाराष्ट्र	मैसर्स वेस्टर्न हिल फूड्स लि.
41.	मणिपुर	मैसर्स एसोसिएट एक्शन फोर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट सोसाइटी
42.	मिजोरम	मैसर्स मिजोफा फिश सीड फार्म
43.	मिजोरम	मैसर्स जोरम फिश सीडस प्रोडक्शन सेंटर
44.	ओडिशा	मैसर्स बसंती देवी चेरिटेबल ट्रस्ट (बीसीटी)
45.	पंजाब	मैसर्स अलकेमिस्ट लि.
46.	पंजाब	मैसर्स बी.डी. एग्रो फूड्स
47.	पंजाब	मैसर्स इंटरनेशनल फार्म फ्रेश प्रोडक्टस (इंडिया) लि.
48.	राजस्थान	मैसर्स जनसन्स केमिकल्स प्रा.लि.
49.	तमिलनाडु	मैसर्स फार्म फ्रेश बनाना
50.	तमिलनाडु	मैसर्स देवराज एग्रो इंडस्ट्रीज प्रा.लि.
51.	उत्तर प्रदेश	मैसर्स इम्पीरियल फ्रोजेन फूड
52.	उत्तर प्रदेश	मैसर्स इंपार्शियल एग्रोटेक (प्रा.) लि.
53.	उत्तर प्रदेश	मैसर्स राजश्री इंटीग्रेटिड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स
54.	उत्तर प्रदेश	मैसर्स आकाशदीप कोल्ड स्टोरेज
55.	उत्तराखंड	मैसर्स बायो लाइफ फूड्स प्रा.लि.
56.	उत्तराखंड	मैसर्स बरार फ्रोजेन फूडस
57.	उत्तराखंड	मैसर्स शारदा एग्री फूड्स प्रा.लि.
58.	पश्चिम बंगाल	मैसर्स एस्कोन एग्रो प्रोडक्ट्स लि.
59.	पश्चिम बंगाल	मैसर्स केवेंटर एग्रो
60.	पश्चिम बंगाल	मैसर्स प्राइम कोल्ड स्टोर्स
61.	पश्चिम बंगाल	मैसर्स बासुकीनाथ फूड प्रोसेसर्स प्रा.लि.
62.	पश्चिम बंगाल	मैसर्स शिमला हार्टीकल्चर
63.	पश्चिम बंगाल	मैसर्स एमीकस हैल्थेकयर सर्विसेज एंड सोल्यूशन प्रा.लि.

विवरण-II

उन कोल्ड चेन परियोजनाओं का ब्यौरा जिनमें वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	मैसर्स क्रीमलाइन डेयरी प्रोडक्ट्स लि.
2.	बिहार	मैसस गंगा डेयरी लि.
3.	गुजरात	मैसर्स हाई-टेक फ्रोजेन फेसिलिटीज प्रा.लि.
4.	गुजरात	मैसर्स साबारबकांठा डिस्ट्रक्ट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोडयूसर्स यूनियन लि.
5.	गुजरात	मैसस नेचुरल फ्रोजेन एंड डी-हाइड्रेटिड फूड्स
6.	हरियाणा	मैसस सूरी एग्रो फ्रेश प्रा.लि.
7.	हिमाचल प्रदेश	मैसस देवभूमि कोल्ड चेन
8.	हिमाचल प्रदेश	मैसस हिलक्रेस्ट फूड्स
9.	महाराष्ट्र	मैसस फ्रेशट्रोप फ्रूट्स लि.
10.	महाराष्ट्र	मैसस वराना डेयरी एंड एग्रो इंडस्ट्री
11.	महाराष्ट्र	मैसस साव्ला फूड्स एंड कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि.
12.	महाराष्ट्र	मैसर्स ब्ल्यू फिन फ्रोजेन प्रा.लि.
13.	राजस्थान	मैसर्स जनसन्स केमिकल्स प्रा.लि.
14.	तमिलनाडु	मैसर्स फार्म फ्रेश बनाना
15.	उत्तर प्रदेश	मैसर्स इम्पीरियल फ्रोजेन फूड
16.	उत्तर प्रदेश	मैसर्स राजश्री इंटीग्रेटिड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स
17.	उत्तराखंड	मैसर्स बायो लाइफ फूड्स प्रा.लि.
18.	उत्तराखंड	मैसर्स बरार फ्रोजेन फूडस
19.	पश्चिम बंगाल	मैसर्स एस्कोन एग्रो प्रोडक्ट्स लि.
20.	पश्चिम बंगाल	मैसर्स बासुकीनाथ फूड प्रोसेसर्स प्रा.लि.

विवरण-III

प्रत्येक परियोजना के लिए राज्य-वार अनुमोदित अनुदान तथा जारी किए गए अनुदान

(राशि लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	अनुमोदित अनुदान	जारी किया गया अनुदान
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	मैसर्स क्रीमलाइन डेयरी प्रोडक्ट्स लि.	975.00	975.00
2.	आंध्र प्रदेश	मैसस सिंथेट इंडस्ट्रीज लि.	626.45	156.298
3.	आंध्र प्रदेश	मैसस भूपति एग्रो इंटरप्राइजेज	748.16	187.04
4.	आंध्र प्रदेश	मैसस डोडला डेयरी लि.	600.00	0.00
5.	अरुणाचल प्रदेश	मैसस सियांग फ्रेश	1000.00	0.00
6.	असम	मैसस ग्लोबल इनट्रेड	936.945	0.00
7.	बिहार	मैसस गंगा डेयरी लि.	1000.00	935.1
8.	छत्तीसगढ़	मैसस एल.एल. लोजिस्टिक्स प्रा.लि.	733.93	0.00
9.	छत्तीसगढ़	मैसर्स उत्सव ओर्गेनिक एंड कोल्ड चेन	607.31	0.00
10.	गुजरात	मैसर्स हाई-टेक फ्रोजेन फेसिलिटीज प्रा.लि.	719.00	719.00
11.	गुजरात	मैसर्स साबारबकांठा डिस्ट्रक्ट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोडयूसर्स यूनियन लि.	571.55	571.55
12.	गुजरात	मैसस नेचुरल फ्रोजेन एंड डी-हाइड्रेटिड फूड्स	289.70	289.69
13.	गुजरात	मैसस गायत्री डेयरी प्रोडक्ट्स प्रा.लि.	477.52	190.80
14.	हरियाणा	मैसस एलाइंग्ड इंडस्ट्रीज लि.	730.28	182.57
15.	हरियाणा	मैसस एमजे लोजिस्टक सर्विसेज लि.	1000.00	0.00
16.	हरियाणा	मैसस सूरी एग्रो फ्रेश प्रा.लि.	984.00	984.00
17.	हिमाचल प्रदेश	मैसस केनवास इंटीग्रेटिड कोल्ड चेन	760.568	190.14
18.	हिमाचल प्रदेश	मैसस देवभूमि कोल्ड चेन	899.64	804.96

1	2	3	4	5
19.	हिमाचल प्रदेश	मैसस ऐरोमैट्रिक्स फ्लोरा प्रा.लि.	983.355	245.84
20.	हिमाचल प्रदेश	मैसस हिलक्रेस्ट फूड्स	786.19	590.018
21.	हिमाचल प्रदेश	मैसस नरवानीज कोल्ड चेन	987.98	0.00
22.	कर्नाटक	मैसस अथर्वाज ट्रेडर्स प्रा.लि.	1000.00	750
23.	कर्नाटक	मैसस इनोवा एग्रो बायो पार्क लि.	336.25	252.188
24.	केरल	मैसस इंकल वेंचर्स	621.26	155.32
25.	केरल	मैसस फ्रोज़ेन फ्रूट्स एंड वेजीटेबल्स	716.88	537.66
26.	केरल	मैसस एस.एच. कोल्ड स्टोरेज	869.35	217.34
27.	मध्य प्रदेश	मैसस ओम एग्रो प्रोडक्ट्स	447.866	111.96
28.	महाराष्ट्र	मैसस फ्रेशट्रोप फ्रूट्स लि.	1000.00	847.00
29.	महाराष्ट्र	मैसस आई.जी. इंटरनेशनल	876.48	657.34
30.	महाराष्ट्र	मैसस वराना डेयरी एंड एग्रो इंडस्ट्री	848.37	636.275
31.	महाराष्ट्र	मैसस रास्ता वेअरहाउसिंग लि.	100.00	750.00
32.	महाराष्ट्र	मैसस साव्ला फूड्स एंड कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि.	792.40	594.30
33.	महाराष्ट्र	मैसर्स बी.वाई. एग्रो एंड इन्फ्रा प्रा.लि.	684.05	513.04
34.	महाराष्ट्र	मैसर्स ब्ल्यू फिन फ्रोजेन प्रा.लि.	644.79	483.59
35.	महाराष्ट्र	मैसर्स कोल्ड स्टार लोजिस्टिक्स प्रा.लि.	1000.00	0.00
36.	महाराष्ट्र	मैसर्स मेरीगोल्ड बिल्डकोन प्रा.लि.	999.19	0.00
37.	महाराष्ट्र	मैसर्स दौलत एग्रो (इंडिया) प्रा.लि.	739.11	0.00
38.	महाराष्ट्र	मैसर्स नाथ बायो जींस (इंडिया) लि.	617.50	0.00
39.	महाराष्ट्र	मैसर्स हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल लि.	1000.00	250.00
40.	महाराष्ट्र	मैसर्स वेस्टर्न हिल फूड्स लि.	786.04	0.00
41.	मणिपुर	मैसर्स एसोसिएट एक्शन फोर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट सोसाइटी	1000.00	250.00

1	2	3	4	5
42.	मिजोरम	मैसर्स मिजोफा फिश सीड फार्म	303.01	227.26
43.	मिजोरम	मैसर्स जोरम फिश सीडस प्रोडक्शन सेंटर	974.33	0.00
44.	ओडिशा	मैसर्स बसंती देवी चेरिटेबल ट्रस्ट (बीसीटी)	591.60	0.00
45.	पंजाब	मैसर्स अलकेमिस्ट लि.	406.41	101.601
46.	पंजाब	मैसर्स बी.डी. एग्रो फूड्स	984.49	738.364
47.	पंजाब	मैसर्स इंटरनेशनल फार्म फ्रेश प्रोडक्टस (इंडिया) लि.	819.24	204.81
48.	राजस्थान	मैसर्स जनसन्स केमिकल्स प्रा.लि.	733.00	705.00
49.	तमिलनाडु	मैसर्स फार्म फ्रेश बनाना	605.7	605.7
50.	तमिलनाडु	मैसर्स देवराज एग्रो इंडस्ट्रीज प्रा.लि.	478.00	0.00
51.	उत्तर प्रदेश	मैसर्स इम्पीरियल फ्रोजेन फूड	412.58	309.43
52.	उत्तर प्रदेश	मैसर्स इंपार्शियल एग्रोटेक (प्रा.) लि.	630.75	473.06
53.	उत्तर प्रदेश	मैसर्स राजश्री इंटीग्रेटिड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स	1000.00	750
54.	उत्तर प्रदेश	मैसर्स आकाशदीप कोल्ड स्टोरेज	773.88	0.00
55.	उत्तराखंड	मैसर्स बायो लाइफ फूड्स प्रा.लि.	981.00	981.00
56.	उत्तराखंड	मैसर्स बरार फ्रोजेन फूडस	737.63	706.85
57.	उत्तराखंड	मैसर्स शारदा एग्री फूड्स प्रा.लि.	1000.00	726.66
58.	पश्चिम बंगाल	मैसर्स एस्कोन एग्रो प्रोडक्ट्स लि.	696.00	643.33
59.	पश्चिम बंगाल	मैसर्स केवेंटर एग्रो	1000.00	250.00
60.	पश्चिम बंगाल	मैसर्स प्राइम कोल्ड स्टोर्स	592.46	444.34
61.	पश्चिम बंगाल	मैसर्स बासुकीनाथ फूड प्रोसेसर्स प्रा.लि.	620.695	465.521
62.	पश्चिम बंगाल	मैसर्स शिमला हार्टीकल्चर	569.29	0.00
63.	पश्चिम बंगाल	मैसर्स एमीकस हैल्थेकयर सर्विसेज एंड सोल्यूशन प्रा.लि.	593.83	148.46

विवरण-IV

उन परियोजनाओं का ब्यौरा जिनमें अब तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है तथा परियोजना के कार्यान्वयन में देरी के कारण

(राशि लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन में देरी का कारण
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	मैसस सिंथेट इंडस्ट्रीज लि.	स्थान परिवर्तन तथा परियोजना की व्यवर्हायता के बारे में संशोधित बैंक मूल्यांकन का प्रस्तुतीकरण।
2.	आंध्र प्रदेश	मैसस भूपति एग्रो इंटरप्राइजेज	परियोजना 2012 में नीलम चक्रवात के कारण विलंबित हुई।
3.	आंध्र प्रदेश	मैसस डोडला डेयरी लि.	परियोजना के पूरे होने की कार्यान्वयन अनुसूची 08.01.2014 तक है।
4.	अरुणाचल प्रदेश	मैसर्स सियांग फ्रेश	परियोजना के पूरे होने की कार्यान्वयन अनुसूची 05.02.2014 तक है।
5.	असम	मैसस ग्लोबल इनट्रेड	परियोजना के पूरे होने की कार्यान्वयन अनुसूची 05.02.2014 तक है।
6.	छत्तीसगढ़	मैसस एल.एल. लोजिस्टिक्स प्रा.लि.	परियोजना के पूरे होने की कार्यान्वयन अनुसूची 24.01.2014 तक है।
7.	छत्तीसगढ़	मैसर्स उत्सव ओर्गेनिक एंड कोल्ड चेन	परियोजना के पूरे होने की कार्यान्वयन अनुसूची 21.02.2014 तक है।
8.	गुजरात	मैसस गायत्री डेयरी प्रोडक्ट्स प्रा.लि.	परियोजना के पूरे होने की कार्यान्वयन अनुसूची 02.01.2014 तक है।
9.	हरियाणा	मैसस एलाइंग्ड इंडस्ट्रीज लि.	परियोजना के पूरे होने की कार्यान्वयन अनुसूची 02.01.2014 तक है।
10.	हरियाणा	मैसस एमजे लोजिस्टक सर्विसेज लि.	परियोजना के पूरे होने की कार्यान्वयन अनुसूची 31.01.2014 तक है।
11.	हिमाचल प्रदेश	मैसस केनवास इंटीग्रेटिड कोल्ड चेन	परियोजना के कुछ घटकों में संशोधन के कारण संशोधित बैंक मूल्यांकन का प्रस्तुतीकरण।
12.	हिमाचल प्रदेश	मैसस ऐरोमैट्रिक्स फ्लोरा प्रा.लि.	हिमाचल प्रदेश राज्य में भारी हिमपात।

1	2	3	4
13.	हिमाचल प्रदेश	मैसस नरवानीज कोल्ड चेन	परियोजना के पूरे होने की कार्यान्वयन अनुसूची 17.03.2014 तक है।
14.	कर्नाटक	मैसस अथर्वाज ट्रेडर्स प्रा.लि.	भूमि आबंटन, मशीनरी के आयात में देरी।
15.	कर्नाटक	मैसस इनोवा एग्रो बायो पार्क लि.	प्रदीपन परियोजना होने के कारण, विनियमक प्राधिकरणों के अनुमोदन प्राप्त न होना।
16.	केरल	मैसस इंकल वेंचर्स	स्थान परिवर्तन तथा केरज राज्य में एंडोसल्फान जारी करने के लिए सुविधाओं का अभाव और स्थान/सुविधाओं के बदलने के पश्चात् परियोजना की व्यवहार्यता के बारे में संशोधित बैंक मूल्यांकन का प्रस्तुतीकरण।
17.	केरल	मैसस फ्रोजेन फ्रूट्स एंड वेजीटेबल्स	मल्लापेरियार बांध के मुद्दे पर जल्दी-जल्दी हड़तालों तथा आंदोलन के कारण प्रमोटर ने परियोजना का स्थान बदल दिया। स्थान बदलने के कारण परियोजना की व्यवहार्यता के बारे में संशोधित बैंक मूल्यांकन का प्रस्तुतीकरण।
18.	केरल	मैसस एस.एच. कोल्ड स्टोरेज	वर्ष 2012 में नीलम चक्रवात के कारण परियोजना स्थल क्षतिग्रस्त हो गया।
19.	मध्य प्रदेश	मैसस ओम एग्रो प्रोडक्ट्स	परियोजना के पूरे होने की कार्यान्वयन अनुसूची 24.01.2014 तक है।
20.	महाराष्ट्र	मैसस आई.जी. इंटरनेशनल	परियोजना में महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अनुपूर्व-अनुमानित वर्षों के कारण विलंब हुआ।
21.	महाराष्ट्र	मैसस रास्ता वेअरहाउसिंग लि.	परियोजना के लिए संयंत्र एवं मशीनरी की आपूर्ति में देरी।
22.	महाराष्ट्र	मैसर्स बी.वाई. एग्रो एंड इन्फ्रा प्रा.लि.	परियोजना के पूरे होने की कार्यान्वयन अनुसूची 02.01.2014 तक है।
23.	महाराष्ट्र	मैसर्स कोल्ड स्टार लोजिस्टिक्स प्रा.लि.	परियोजना के पूरे होने की कार्यान्वयन अनुसूची 24.01.2014 तक है।
24.	महाराष्ट्र	मैसर्स मेरीगोल्ड बिल्डकोन प्रा.लि.	परियोजना के पूरे होने की कार्यान्वयन अनुसूची 19.01.2014 तक है।
25.	महाराष्ट्र	मैसर्स दौलत एग्रो (इंडिया) प्रा.लि.	परियोजना के पूरे होने की कार्यान्वयन अनुसूची 23.02.2014 तक है।
26.	महाराष्ट्र	मैसर्स नाथ बायो जींस (इंडिया) लि.	परियोजना के पूरे होने की कार्यान्वयन अनुसूची 19.01.2014 तक है।

1	2	3	4
27.	महाराष्ट्र	मैसर्स हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल लि.	परियोजना के पूरे होने की कार्यान्वयन अनुसूची 27.02.2014 तक है।
28.	महाराष्ट्र	मैसर्स वेस्टर्न हिल फूड्स लि.	परियोजना के पूरे होने की कार्यान्वयन अनुसूची 30.01.2014 तक है।
29.	मणिपुर	मैसर्स एसोसिएट एक्शन फोर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट सोसाइटी	परियोजना स्थल पूर्णबंद आह्वान तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39, मणिपुर के अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी के कारण अगम्य रहा। प्रमोटर के परियोजना स्थल बदल दिया। स्थान बदलने पर संशोधित बैंक मूल्यांकन प्रस्तुतीकरण।
30.	मिजोरम	मैसर्स मिजोफा फिश सीड फार्म	परियोजना के पूरे होने की कार्यान्वयन अनुसूची 08.05.2013 तक है।
31.	मिजोरम	मैसर्स जोरम फिश सीडस प्रोडक्शन सेंटर	परियोजना के पूरे होने की कार्यान्वयन अनुसूची 29.01.2014 तक है।
32.	ओडिशा	मैसर्स बसंती देवी चेरिटेबल ट्रस्ट (बीसीटी)	परियोजना के पूरे होने की कार्यान्वयन अनुसूची 17.08.2014 तक है।
33.	पंजाब	मैसर्स अलकेमिस्ट लि.	परियोजना के पूरे होने की कार्यान्वयन अनुसूची 26.08.2014 तक है।
34.	पंजाब	मैसर्स बी.डी. एग्रो फूड्स	आयातित संयंत्र एवं मशीनरी के आगमन में देरी।
35.	पंजाब	मैसर्स इंटरनेशनल फार्म फ्रेश प्रोडक्टस (इंडिया) लि.	परियोजना के पूरे होने की कार्यान्वयन अनुसूची 26.01.2014 तक है।
36.	तमिलनाडु	मैसर्स देवराज एग्रो इंडस्ट्रीज प्रा.लि.	परियोजना के पूरे होने की कार्यान्वयन अनुसूची 28.02.2014 तक है।
37.	उत्तर प्रदेश	मैसर्स इम्पीरियल फ्रोजेन फूड	प्रदीपन परियोजना होने के कारण, विनियामक प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त न होना।
38.	उत्तर प्रदेश	मैसर्स आकाशदीप कोल्ड स्टोरेज	परियोजना के पूरे होने की कार्यान्वयन अनुसूची 21.02.2014 तक है।
39.	उत्तराखंड	मैसर्स शारदा एग्री फूड्स प्रा.लि.	परियोजना के पूरे होने की कार्यान्वयन अनुसूची 24.01.2014 तक है।
40.	पश्चिम बंगाल	मैसर्स केवेंटर एग्रो	वित्त-पोषण के साधनों में परिवर्तन में कारण परियोजना की व्यवहार्यता के बारे में संशोधित बैंक मूल्यांकन प्रस्तुतीकरण।

1	2	3	4
41.	पश्चिम बंगाल	मैसर्स प्राइम कोल्ड स्टोर्स	बैंक में परिवर्तन, नई बैंक अर्थात् आईसीआईसीआई बैंक से संशोधित बैंक मूल्यांकन का प्रस्तुतीकरण।
42.	पश्चिम बंगाल	मैसर्स शिमला हार्टीकल्चर	परियोजना के पूरे होने की कार्यान्वयन अनुसूची 29.05.2013 तक है।
43.	पश्चिम बंगाल	मैसर्स एमीकस हैल्थेकयर सर्विसेज एंड सोल्यूशन	परियोजना के पूरे होने की कार्यान्वयन अनुसूची 24.01.2014 तक है।

कृषि क्षेत्र का विकास

***319. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी :**
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र के समक्ष आ रही समस्याओं का समाधान करने हेतु अर्थोपाय का सुझाव देने के लिए एक आयोग गठित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कृषि के विकास के लिए आयोग की मुख्य सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई तथा इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियों प्राप्त की गई हैं;

(ग) क्या देश में कृषि क्षेत्र को प्रभावित कर रहे प्रमुख मुद्दों का बारहवीं पंचवर्षीय योजना में उल्लेख किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या कार्य योजना है तथा उक्त योजना के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ङ) क्षेत्र के विकास की निगरानी/निरीक्षण के लिए किस तंत्र की व्यवस्था की गई है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय किसान आयोग (एनपीएफ) प्रो. एम. एस. स्वामिनाथन की अध्यक्षता में गठित किया गया था। आयोग के विचारार्थ विषयों में, अन्य बातों के साथ, खाद्य एवं पोषक तत्व सुरक्षा के लिए व्यापक मध्यकालिक अवधि कार्यनीति बनाना; उत्पादकता बढ़ाने की पद्धतियां प्रस्तावित करना; मुख्य कृषि प्रणालियों की लाभप्रदता एवं सततता; कृषि में शिक्षित युवाओं को आकर्षिक करने एवं कायम रखने के लिए उपाय सुझाना; कृषि अनुसंधान में निवेश बढ़ाने के लिए सुधार हेतु सुझाव; ऋण, ज्ञान, कौशल एवं महिलाओं के प्रौद्योगिकीय सशक्तीकरण के लिए उपायों की सिफारिश करना और पंचायतों के चुने हेतुए सदस्यों को अधिकार देने की पद्धतियां सुझाना शामिल किया गया। आयोग ने दिसंबर, 2004 में इसकी प्रारंभिक अवधि से सरकार को पांच रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। आयोग ने 4.10.2006 को अपनी पांचवी एवं अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। अंतिम रिपोर्ट के साथ-साथ, आयोग ने 'मसौदा राष्ट्रीय किसान नीति' भी प्रस्तुत की जिसमें कृषि की आर्थिक जीवन क्षमता सुधारने के लिए और उससे किसानों की सतत् रूप से विशुद्ध आय बढ़ाने के लिए व्यापक तरीके से किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें भी शामिल हैं।

'मसौदा राष्ट्रीय किसान नीति' के आधार पर और राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद, राष्ट्रीय किसान नीति (एनपीएफ), 2007 को अंतिम रूप दिया गया और सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया तथा 26.11.2007 को लोक सभा के पटल पर रखा गया। एनपीएफ, 2007 के प्रचालन के लिए एक अंतर-मंत्रालय समिति ने कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जिसे अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सभी राज्य सरकारों के साथ-साथ संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को परिचालित किया गया।

(ग) और (घ) ग्यारहवीं योजना के दौरान निष्पादन में चिन्हित सुधार की जानकारी देते समय, बारहवीं योजना दस्तावेज में यह नोट किया गया है कि नई नीतिगत असंतुलन मौजूद है, जैसे कि भूमि आधार का संकुचन, जल संसाधनों का कम होना, जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव, फार्म श्रमिकों की कमी और बढ़ती हुई कीमतें

तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजरों में परिवर्तनशीलता से जुड़ी हुई अनिश्चितताएं जो क्षेत्र के लिए अधिक विकास के लिए मुख्य बाधाएं सिद्ध हो सकती हैं।

इन चुनौतियों को पूरा करने के लिए, सरकार ने कई कदम उठाए हैं ताकि कि कृषि क्षेत्र को जीवनक्षम बनाया जा सके और निवेश, उन्नत फार्म पद्धतियों, ग्रामीण अवसरंचना तथा ऋण सुपुर्दगी, प्रौद्योगिकियों एवं अन्य आदानों, विस्तार, विपणन इत्यादि में वृद्धि करके सतत् आधार पर कृषक समुदाय की स्थिति में सुधार लाया जा सके। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम/स्कीमें उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप समुचित परियोजनाएं तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों की नम्यता के साथ विकेन्द्रित तरीके से कार्यान्वित की जा रही हैं। सरकार का फोकस प्राथमिक रूप से फार्म आय बढ़ाने, गैर-फार्म आय अवसर सृजित करने, वर्षा सिंचित कृषि उत्पादकता में सुधार करने, संरक्षित सिंचाई के अंतर्गत कृषि क्षेत्र व्याप्ति बढ़ाने और समुचित अग्र एवं पश्च संपर्कों को आगे बढ़ाने पर हैं। किसानों के लाभ के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों में कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि, ऋण माफी/राहत, फसल ऋणों पर ब्याज संसाहियकी इत्यादि शामिल हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के लिए 134746.00 करोड़ रु. का परिव्यय किया गया है।

(ङ) मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन नियमित रूप से मॉनीटर किया जा रहा है। प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन संचालन के लिए स्वतंत्र एजेंसियां भी कार्य कर रही हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

*320. **श्री पोन्नम प्रभाकर :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय कृषि विाकस योजना कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार क्या प्रमुख उपलब्धियां रहीं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि जारी की गई और कितनी उपयोग में लाई गई तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को आवंटित धनराशि के दुर्विनियोजन और अन्यत्र उपयोग के मामले प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) को राज्यों को अन्य बातों के साथ-साथ कृषि एवं समवर्गी क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने को प्रोत्साहित किए जाने तथा उन्हें स्कीमों के नियोजन और निष्पादन की प्रक्रिया में लचीलापन तथा स्वायत्तता मुहैया कराये जाने के द्वारा 11वीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से अगस्त, 2007 में शुरू किया गया था।

11वीं योजना के दौरान कृषि और समवर्गी क्षेत्र की वृद्धि की औसत वार्षिक दर 3.6 प्रतिशत थी जबकि 9वीं और 10वीं योजनाओं में यह क्रमशः 2.5 प्रतिशत तथा 2.4 प्रतिशत थी। राज्यों द्वारा कृषि और समवर्गी क्षेत्रों के लिए आवंटन को वर्ष 2006-07 में 8770.16 करोड़ रुपये (उनके कुल योजना परिव्यय का 4.88 प्रतिशत) से बढ़ाकर 2011-12 (संशोधित अनुमान) में 293413.12 करोड़ रुपये (उनके कुल योजना परिव्यय का 6.82 प्रतिशत) किया गया है। राज्यों ने 11वीं योजना के दौरान आरकेवीवाई के अधीन 5768 परियोजनाओं का अनुमोदन किया जिनमें से 3343 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (2009-10 से 2011-12 तथा 2012-13) के दौरान स्कीम के अधीन निधियों की राज्य-वार निर्मुक्ति और उनके उपयोग का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरकेवीवाई के लिए 63,246 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। स्कीम के दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानदंड के अनुसार राज्य-वार वार्षिक आवंटन योजना आयोग द्वारा किय जाता है।

सरकार को आरकेवीवाई के अधीन आवंटित निधियों के विचलन तथा दुरुपयोग का कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

योजना के अंतर्गत राज्य-वार निर्गत एवं प्रयुक्त धनराशि

क्र. सं.	राज्य का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (12.03.2013 की स्थिति के अनुसार)	
		निर्मुक्ति	उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त	निर्मुक्ति	उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त	निर्मुक्ति	उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त	निर्मुक्ति	उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	410.00	410.00	432.29	432.29	734.20	734.20	577.79	181.26
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.98	15.98	28.95	28.95	10.68	10.68	20.37	0.00
3.	असम	79.86	79.86	216.87	216.87	227.77	227.77	399.57	233.31
4.	बिहार	110.79	110.79	415.10	415.10	506.82	469.74	687.39	346.70
5.	छत्तीसगढ़	136.14	136.14	503.42	503.42	212.61	206.06	480.44	321.59
6.	गोवा	0.00		7.07	7.07	24.78	24.78	35.27	0.00
7.	गुजरात	386.19	386.19	388.63	388.63	515.48	515.48	564.24	463.63
8.	हरियाणा	112.77	112.75	226.80	225.63	176.87	157.26	118.23	55.11
9.	हिमाचल प्रदेश	33.03	33.03	94.85	94.85	99.93	97.54	45.06	27.60
10.	जम्मू और कश्मीर	42.85	42.85	96.42	96.28	63.03	54.18	103.22	35.25
11.	झारखंड	70.13	70.13	96.90	91.37	174ए56	174.56	185.84	57.80
12.	कर्नाटक	410.00	410.00	284.03	284.03	595.90	574.06	549.15	0.00
13.	केरल	110.92	110.92	149.65	149.65	182.89	181.29	253.03	94.13
14.	मध्य प्रदेश	247.44	247.44	559.18	559.18	398.37	377.35	348.13	232.81
15.	महाराष्ट्र	404.39	404.39	653.00	653.00	735.44	735.44	1050.81	421.64
16.	मणिपुर	5.86	5.86	15.50	15.50	22.25	22.25	31.85	0.00
17.	मेघालय	24.68	24.68	46.12	46.12	20.44	20.44	22.68	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	मिजोरम	0.00		3.75	3.75	36.63	30.36	181.16	96.89
19.	नागालैंड	20.38	20.38	13.25	13.25	37.54	37.54	85.75	51.75
20.	ओडिशा	121.49	121.49	274.40	274.40	356.96	349.06	374.99	244.51
21.	पंजाब	43.23	43.23	179.12	179.12	145.87	106.66	45.73	0.00
22.	राजस्थान	186.12	186.12	628.01	628.01	692.08	692.08	305.37	152.39
23.	सिक्किम	15.29	15.29	6.56	6.56	24.64	19.91	15.21	0.00
24.	तमिलनाडु	127.90	127.90	250.03	250.03	333.06	276.65	413.79	212.48
25.	त्रिपुरा	31.28	31.28	116.48	116.48	25.63	25.63	49.86	16.50
26.	उत्तर प्रदेश	390.97	390.97	695.36	695.36	762.83	762.83	241.77	41.99
27.	उत्तराखंड	71.46	71.46	1.31	1.31	128.84	48.73	8.21	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	147.38	147.38	335.98	335.98	486.65	486.65	369.99	134.50
	कुल राज्य	3756.53	3756.51	6719.03	6712.19	7732.75	7419.18	7564.90	3421.84

स्रोत: कृषि एवं सहकारिता विभाग।

कोयला मूल्यों के लिए सूत्र में संशोधन

3451. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सकल केलोरिफिक मूल्य (जीसीवी) सूत्र के परिवर्तन होने पर कोयले के मूल्य में 150-250 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं के लिए कोयले का मूल्य निर्धारण संबंधी पहले के सूत्र अर्थात् हीट वैल्यू सूत्र में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोयले के मूल्यों में परिवर्तन के संबंध में मंत्रालय और कोयला कंपनियों के बीच मतभेद हैं और वर्ष 2012 में कोयले के मूल्य में अचानक अधिक वृद्धि का यही कारण है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मामले में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) उपयोगी ताप मूल्य (यूएचवी) के स्थान पर कोयले के सकल क्लोरिफिक मूल्य (जीसीवी) लाने की सरकार की घोषणा के बाद कोयला कंपनियों ने 01.01.2012 से जीसीवी बैडों की शर्तों के अनुसार अपनी कोयला कीमतों को संशोधित किया है। नयी पद्धति को लाने का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कोयला ट्रेडिंग व्यवहारों पर आधारित है। इसके अलावा, कोयला क्षेत्र में सुधारों के लिए एकीकृत ऊर्जा नीति दस्तावेज एवं श्री टी.एल. शंकर की अध्यक्षता वाली कोयला रूप रेखा संबंधी विशेषज्ञ समिति ने उक्त के लिए सिफारिश की है। नया तंत्र अधिक वैज्ञानिक एवं सटीक है तथा कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की सभी सहायक कंपनियों में एकसमान कीमत को सुनिश्चित करता है वह पद्धति कोयला आपूर्तियों में गुणवत्ता में निरंतर

उच्च डिग्री और उसके परिणामस्वरूप उच्चतर उपभोक्ता संतुष्टि को सुनिश्चित करती है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। जीवीसी आधारित ग्रेडिंग पद्धति के कार्यान्वयन के संबंध में मंत्रालय तथा कोयला कंपनियों के बीच कोई मतभेद नहीं हैं। तथापि, विभिन्न कोयला उपभोक्ताओं से प्राप्त सूचना के आधार पर सरकार ने सीआईएल को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने की सलाह दी है और तद्नुसार सीआईएल द्वारा कोयले की कीमत के निर्धारण के मसले की समीक्षा की गई है तथा विशेष ग्रेड के लिए सीआईएल की भारित औसतन कीमत एवं सीआईएल के लिए समग्र रूप से संभव सीमा तक राजस्व तदस्थता को सुनिश्चित करने के लिए उसे संगत जीसीवी बैंड के मध्यबिन्दु तक शामिल करने को ध्यान में रखते हुए कीमतें संशोधित की गई है।

कोयले के मूल्यों और गुणवत्ता में अंतर

3452. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव :
श्री प्रहलाद जोशी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताप विद्युत संयंत्रों की आपूर्ति किए जा रहे कोयले के मूल्य निर्धारण के लिए अपनाई गई वर्तमान कार्यविधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को कोयले की आपूर्तियों में 3-5 ग्रेड स्लिपेज के परिदृश्य की जानकारी है जिसके कारण ताप विद्युत संयंत्रों को निम्न केलोरिफिक वैल्यू के कोयले की आपूर्ति की जा रही है, यदि हां, तो इसका उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो कोयले की गुणवत्ता में अंतर के क्या कारण हैं और इस संबंध में जिन ताप विद्युत संयंत्रों ने शिकायतें की हैं उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार कोयले के मूल्य को कोयले के लदाई वाले स्थान पर जैसाकि कोयला कंपनियों द्वारा बिल बनाया जाता है, के स्थान पर ताप विद्युत स्टेशनों पर कोयले की उतराई वाले स्थान पर दर्ज सकल केलोरिफिक वैल्यू के साथ जोड़ने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस चलन को रोकने के लिए अन्य क्या प्रयास किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) ग्रेडिंग की सकल कैलोरिफिक मूल्य (जीसीवी) पद्धति के अंतर्गत ग्रेड जी1 से जी5 को छोड़कर गैर-कोकिंग कोयले की सभी श्रेणियों का मूल्य नियमित क्षेत्र अर्थात् समेकित विद्युत संयंत्रों, उर्वरक और रक्षा सहित विद्युत उपयोगिताओं में ग्राहकों को गैर-नियमित क्षेत्र में ग्राहकों की तुलना में 35% कम रखा जाता है। गैर-कोकिंग कोयले का जी1 से जी5 श्रेणियों का मूल्य सरकार की समेकित ऊर्जा नीति (आईईपी) की इस सिफारिश कि उच्च कोटि के कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयला को निकटतम पोट पर आयात मूल्य द्वारा यथा निर्धारित निर्यात साम्य मूल्य से 15% कम पर बेचा जाएगा, के अनुरूप निर्धारित किया जाता है जो नियमित और गैर-नियमित क्षेत्रों, दोनों के लिए समान रूप से लागू है।

(ख) और (ग) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को सामान्य रूप से विद्युत संयंत्रों से बड़े आकार के कोयले तथा कुछ पत्थरों/बोल्डरों से मिश्रित कोयले के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती रही हैं जिसे कोल सीमों में मौजूद भू-खनन कारकों/स्थितियों के कारण पूर्ण रूप से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी शिकायतों के प्राप्त होने पर कोल इंडिया लि. (सीआईएल)/कोयला कंपनियों द्वारा निवारक कार्रवाई की जाती है। नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) के अनुसार उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के अंतर्गत शामिल किया गया है। एफएसए के प्रावधानों के अनुसार लोडिंग स्थान पर विक्रेता और क्रेता द्वारा समुचित रूप से इस प्रकार निर्धारित कोयले की गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य सूची के अनुसार कोयला बिलों का भुगतान कोयला उपभोक्ताओं को करना होता है। इसके अलावा, एफएसए के प्रावधानों के अनुसार विद्युत संयंत्रों को विद्युत गृह में संयुक्त रूप से मापे गए (+) 250 मिली मीटर के आकार के पत्थरों के लिए क्षतिपूर्ति की जाती है। गुणवत्ता के अंतर के कारण वैगनों/ट्रकों से अच्छी कोटि के कोयले की रास्ते में चोरी भी हो सकती है।

(घ) और (ङ) कोयले का मूल्य निर्धारण ग्रेडिंग की जीसीवी प्रणाली से संबद्ध है। खाली करने वाले स्थान पर नमूनाकरण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, जीसीवी के निर्धारण के लिए लोडिंग स्थानों पर तृतीय पक्ष द्वारा नमूनाकरण का प्रस्ताव सीआईएल के सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

अनुसंधान का विकेन्द्रीकरण

3453. श्री पी. विश्वनाथन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वैज्ञानिकों और अनुसंधान टीमों को अधिक प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता का अधिकार देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आने वाले संस्थानों में अनुसंधान का विकेन्द्रीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) ने पहले ही अनुसंधान का विकेन्द्रीकरण विभिन्न संस्थानों/निदेशालयों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों में कर दिया है। प्रत्येक वैज्ञानिक एक परियोजना प्रमुख है तथा निदेशकों और प्रभाग प्रमुखों को प्रभाग चलाने के लिए पर्याप्त अधिकार दिये गये हैं। प्रभाग के अंदर भी वैज्ञानिकों के पास पर्याप्त अधिकार हैं जिससे वे अनुसंधान संचालन, शोध पत्र प्रकाशन को संचालित करें, पेपर पब्लिश करें, तथा संस्थान के अधिदेश के अनुसार शोध संबंधी बुनियादी सुविधाएं जुटा सकें। आईसीएआर के अधीन संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और मानद विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों को यह स्वतंत्रता है कि वे बाहरी निधिकरण के लिए शोध परियोजनाएं बना सकें तथा शोध कार्यक्रम क्रियान्वित कर सकें। उन्हें शोध विद्यार्थियों को गाइड करने का अधिकार दिया गया है।

मत्स्यन को बढ़ावा देना

3454. श्री हमदुल्लाह सईद : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास मत्स्यन क्रियाकलापों में लोगों की सहायता करने के लिए किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए किसी मुख्य पोत का अधिग्रहण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो अपार संभावना वाले लक्षद्वीप में मत्स्यन क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अन्य किन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) जी, हां। संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के मात्स्यिकी विभाग से एक आधार पोत खरीदने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। जून, 2008 में 30 करोड़ रुपए की लागत पर इसके लिए वित्तीय स्थायी समिति का अनुमोदन भी प्रदान कर दिया गया था। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी निविदा सूचना के प्रत्युत्तर में 60.37 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई कीमत पर केवल एक निविदा प्राप्त हुई जिसे स्वीकार नहीं किया गया।

(ग) राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) ने 2011-12 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के प्रशासन को मल्टी गिअर प्रौद्योगिकी वाली एक 65 फुट मत्स्यन नौका खरीदने के लिए 74.50 लाख रुपए की राशि संस्वीकृत की है।

बीज कंपनियों को प्राथमिकता

3455. श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार आंध्र प्रदेश में नुजीवीडू सीड्स लिमिटेड को उसकी वित्तीय एवं कार्यकरण स्थितियों में सुधार करके उसे प्राथमिकता दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

घटिया गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति

3456. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री आनंद प्रकश परांजपे :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड सहित कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के अधिकारियों द्वारा कोयला प्रयोक्ताओं को कम तथा घटिय गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति किए जाने संबंधी अनियमितताओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार को प्राप्त हुए ऐसे मामलों का सहायक कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रसोई के लिए कोयले का उपयोग

3457. श्री मधु कोड़ा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रसोई ईंधन के रूप में उपयोग हेतु आम आदमी को घटिया किस्म के कोयले या कोल रिजक्ट्स की आपूर्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे देश में वनों से जलावन की लकड़ी पर निर्भरता में कमी आएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) जी, नहीं। कुकिंग ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने के लिए घटिया किस्म के कोयले की अथवा कोयला अपशिष्ट की आम लोगों को आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

समाचार रिपोर्टों में मतभेद

3458. श्री एस.आर. जेयदुरई : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के समाचारपत्रों में छपने वाली समाचार रिपोर्टों की विश्वसनीयता तथा उत्पन्न होने वाली विवादों की जांच करने के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद् के अधिकार तथा कर्त्तव्य क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय दैनिकों के संबंध में पीसीआई को कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ग) सरकार/पीसीआई द्वारा उक्त शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को कायम रखने और समाचारपत्रों एवं समाचार एजेंसियों के मानकों को बरकरार रखने व उनमें सुधार लाने के दोहरे उद्देश्य के प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 के अंतर्गत भारतीय प्रेस परिषद् (पीसीआई) नामक एक सांविधिक स्वायत्तशासी निकाय की स्थापना की गयी है। तद्नुसार, प्रेस के बीच स्व-विनियमन के सिद्धांतों को आत्मसात कराने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम की धारा 13(2)(ख) के अंतर्गत भारतीय प्रेस परिषद् ने मीडिया के अनुपालनार्थ "पत्रकारिता के आचरण संबंधी मानदंड" तैयार किए हैं। पत्रकारिता, लोकरुचि या व्यावसायिक आचरण के आधार संहिता संबंधी मानकों के उल्लंघन स्वरूप प्रिंट मीडिया की विषय-वस्तु के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों पर परिषद् द्वारा अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायनिर्णय किया जाता है।

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचारपत्रों के विरुद्ध पीसीआई को प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:—

वर्ष	प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या
2009-10	770
2010-11	713
2011-12	715
2012-13	792

(ग) अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, संबंधी मामले की जांच कराने के पश्चात् परिषद् समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, सम्पादक या पत्रकार को चेतावनी दे सकती है, डांट-फटकार लगा सकती है या उसकी भर्त्सना कर सकती है अथवा संपादक या पत्रकार, यथास्थिति, के आचरण का अनुमोदन कर सकती है। तद्नुसार, भारतीय प्रेस परिषद् ने प्राप्त होने वाली इन शिकायतों पर प्रेस परिषद् (जांच कार्य-विधि)

विनियम, 1979 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार न्यायनिर्णय किया है।

डिजिटल केबल टेलीविजन सेवा

3459. श्री निलेश नारायण राणे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) द्वारा केबल टेलीविजन सेवा के डिजिटीकरण की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण दर्शकों तथा सेवा प्रदाताओं पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबंधी पक्षकारों को डिजिटल एड्रेसेबल फार्मेट अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए टीआरएआई ने सेवा प्रदाताओं को करावकाश देने के अतिरिक्त करों को समाप्त करने और अगले तीन वर्षों के लिए हेड-एंड उपस्कर और सेट टॉप-बॉक्सों के लिए बुनियादी सीमा शुल्क को शून्य के स्तर पर लाने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) देश में केबल टीवी प्रणाली के डिजिटीकरण से उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पणधारकों को कई तरह के लाभ प्राप्त हुए हैं। उपभोक्ताओं को बेहतर चित्र देखने के अनुभव होंगे, क्योंकि उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाले सिग्नल मिलेंगे जिसमें कई टीवी चैनलों में से अपना पसंदीदा चैनल चुनने की स्वतंत्रता होगी जो ऑपरेटर द्वारा अपने नेटवर्क में दिखाए जाएंगे। अतएव उन्हें उसी के लिए भुगतान करना पड़ेगा जिसे वे प्राप्त करेंगे और इस प्रकार वे अपने बिल का बजट बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता को ट्रिपल प्ले सेवा की पहुंच भी प्राप्त हो सकेगी जिसके अंतर्गत ब्राडबैंड, अन्य मूल्य संवर्द्धित एवं वार्ताकारी सेवाएं जैसा कि ऑपरेटर द्वारा प्रस्तावित की जाएं, भी शामिल होंगी।

डिजिटल प्रणाली सेवा प्रदाता को मूल्य संवर्द्धित सेवा, वार्ताकारी सेवा का प्रस्ताव करने की गुंजाइश भी प्रदान करता है और साथ ही, ट्रिपल प्ले अर्थात् ध्वनि, वीडियो और ब्राड बैंड सहित डाटा प्रसारण की अनुमति भी प्रदान करता है। अतएव संबोधनीय डिजिटीकरण से विषय-वस्तु प्रदाताओं और सेवा प्रदाताओं को अपना व्यवसाय बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा कमाई करने के बहुतेरे अवसर प्राप्त होते हैं। अपेक्षित निवेश राशि सेवाओं की संख्या के अनुरूप होगी जिसे सेवा प्रदाता अपने व्यवसाय ढांचे के अनुरूप प्रौद्योगिकी विशिष्टताओं का अधिकतम उपयोग करके उपभोक्ताओं को प्रस्तावित करना चाहता है।

(ग) और (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 05.08.2010 को जारी "भारत में डिजिटल संबोधनीय केबल टीवी प्रणाली (डीएएस) का कार्यान्वयन" पर अपनी सिफारिशों में अनय बातों के साथ-साथ, उक्त सिफारिशों के पैराग्राफ 2.75 और 2.79 में कहा कि डिजिटल संबोधनीय को प्रसारण वितरण नेटवर्क के परिवर्तन को गति प्रदान करने के लिए अगले तीन वर्षों के लिए डिजिटल हेडएण्ड उपकरणों और सैट टॉप बॉक्सों के मूल सीमा शुल्क को शून्य कर दिया जाना चाहिए। इसने यह भी सिफारिश की है कि प्रसारण वितरण सेक्टर पर लगाए जाने वाले करों/उगाहियों को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

गृह कर

3460. श्री महाबल मिश्रा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (एनडीएमसी) के पास 50 वर्ग गज के सभी घरों का गृह कर माफ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगमों (डीएमसी) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली सभी सम्पत्तियां, उनका आकार चाहे जो भी हो, सम्पत्ति कर लगाए जाने के योग्य हैं, सिवाय उन सम्पत्तियों के, जिन्हें दिल्ली नगर निगम, 1957 की धारा 115 के अधीन छूट प्राप्त है।

जहां तक नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली सम्पत्तियों का संबंध है, समस्त भूमि एवं भवनों पर एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 62 के अनुसार सम्पत्ति पर प्रभारित किया जाता है।

[अनुवाद]

सूखा राहत आयोग

3461. **श्री राजू शेट्टी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय जल आयोग (एनडब्ल्यूसी) की तर्ज पर राष्ट्रीय सूखा राहत आयोग (एनडीआरसी) गठित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस आयोग का गठन कब तक होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) कृषि मंत्रालय राष्ट्रीय जल आयोग की तरह राष्ट्रीय सूखा राहत आयोग स्थापित करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

[हिन्दी]

झारखंड में शैक्षिक योजनाएं

3462. **श्री कामेश्वर बैठा :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए झारखंड में चल रही शैक्षिक योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त प्रयोजनार्थ राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने झारखंड को सभी छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का कोई निदेश दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय झारखंड सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रहा है जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है;

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के एिल मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस-एससी)
2. "अस्वच्छ" व्यावसायों में लगे हुए व्यक्तियों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के लिए) के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
3. कक्षा नौवीं और दसवीं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (मैट्रिक-पूर्व — एससी) (दिनांक 1.7.2012 को कार्यान्वित नई योजना)।
4. अन्य पिछड़ा वर्गों के एिल मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां
5. अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां
6. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की योग्यता का उन्नयन।

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत झारखंड को जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) इस संबंध में झारखंड के लिए कोई भी विशेष निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, पीएमएस-एससी और मैट्रिक-पूर्व — एससी योजनाएं लाभार्थियों की संख्या या अप्रतिदेश शुल्क की मात्रा की कोई सीमा न होने वाली साधन आधारित और खुली योजनाएं हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

[अनुवाद]

पैकेजिंग उद्योग

3463. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बढ़ती उपभोक्ता जागरुकता के मद्देनजर पैकेजिंग उद्योग की विकास संबंधी क्षमता का दोहन करने के लिए कोई प्रोत्साहन/इंसेन्टिव देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कोयला उद्योग को राजसहायता

3464. श्री जयंत चौधरी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयला उद्योग को राजसहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं एवं गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कोयला उद्योग को कितनी राजसहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार कोयला उद्योग को राजसहायता प्रदान करने संबंधी प्रणाली की समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का विचार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयला उद्योग को कुल कितनी धनराशि की राजसहायता प्रदान करने का है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) कोयला मंत्रालय कोयला कंपनियों को अवसंरचना विकास सहित संरक्षण व विकास से जुड़े कार्यों हेतु कोयला और कोक पर उपकर (उत्पादक शुल्क) के संग्रहण के लिए भुगतान के रूप में दो स्कीमों के अंतर्गत निधियों जारी करता है। कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1975 के अंतर्गत यह उपकर एक विशिष्ट उद्देश्य हेतु लेवी है। स्कीम के अंतर्गत जारी की गई राशि को तकनीकी कारणों से मंत्रालय के बजट में "सब्सिडी" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सूखा राहत

3465. श्री भरत राम मेघवाल :
श्री खिलाड़ी लाल बैरवा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के मानदंडों के अनुसार राहत वर्ष 2009-10 के लिए सूखे से प्रभावित लोगों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई धनराशि के कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(ख) इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) अंतर मंत्रालयी केन्द्रीय दल (आईएमसीटी) जिसने क्षति/नुकसानों के मूल्यांकन के लिए सूखा प्रभावित राज्यों का दौरा किया की रिपोर्ट और अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2009-10 के दौरान केन्द्र सरकार ने 15 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से वित्तीय सहायता अनुमोदित की थी। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सूखे की स्थिति में वर्ष 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से राज्यों को अनुमोदित सहायता

क्र.सं.	राज्य	राशि (रु. करोड़)*
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	575.30
2.	असम	89.94
3.	बिहार	1163.64
4.	हिमाचल प्रदेश	88.94
5.	जम्मू और कश्मीर	156.77
6.	झारखंड	200.955
7.	कर्नाटक	116.49
8.	केरल	32.90
9.	मध्य प्रदेश	246.31
10.	महाराष्ट्र	671.88
11.	मणिपुर	14.57

1	2	3
12.	नागालैंड	21.12
13.	ओडिशा	151.92
14.	राजस्थान	1034.84
15.	उत्तर प्रदेश	515.05

संबंधित राज्यों में आपदा राहत कोष (सीआरएफ) में उपलब्ध शेष के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा अनुमोदित।

(स्रोत: गृह मंत्रालय)

[अनुवाद]

केले की पौध

3466. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केले के पौधों पर कीटों, खरपतवारों के गंभीर हमले और अन्य रोगों के कारण देश में केले के उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार केले का कितना उत्पादन हुआ है;

(ग) क्या किसानों को नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (घ) कृषि मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार केला बागान पर नाशीजीवों, खरपतवारों और अन्य रोगों द्वारा गंभीर हमले के कारण देश में केला उत्पादन में लगातार गिरावट नहीं आ रही है। तथापि, महाराष्ट्र, गुजरात व तमिलनाडु राज्यों में फंगस के कारण केले में सिगाटोका (कारपा) रोग पाया गया है। यह संक्रमण इन राज्यों के केला उत्पादक क्षेत्रों में केवल अल्प मात्रा में पाया गया। यह सुझाव देने के लिए कोई रिपोर्ट नहीं है। कि पिछले तीन वर्षों में प्रमुख केला उत्पादक क्षेत्रों में इस रोग ने न्यूनतम स्तर पार कर लिया है।

पिछले वर्ष (2011-12) के 28.46 मिलियन मी. टन की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान केला उत्पादन 30.28 मिलियन मी. टन है।

वर्ष 2009-10 व 2010-11 में केला उत्पादन क्रमशः 26.47 मिलियन मी. टन और 29.78 मिलियन मी. टन था।

केला उत्पादन (मिलियन मी. टन)*

2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
26.47	29.78	28.46	30.28

*प्रथम आकलन।

पिछले तीन वर्षों व चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार केला उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

केला उत्पादन (000' टन)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	14.9	16.91	18.50	18.64
आंध्र प्रदेश	2819.6	2774.77	2899.60	3218.59
अरुणाचल प्रदेश	13.3	13.26	17.50	17.47

1	2	3	4	5
असम	805.2	723.57	745.30	760.18
बिहार	1435.3	1517.11	1580.50	1683.00
छत्तीसगढ़	296.9	351.44	381.70	431.12
दादरा और नगर हवेली	1.2			
दमन और दीव	0.0			
दिल्ली	0.0			
गोवा	25.1	25.12	25.80	25.82
गुजरात	3779.8	3978.02	4047.80	4047.77
हरियाणा	0.0			
हिमाचल प्रदेश	0.3	0.38	0.30	0.07
जम्मू और कश्मीर	0.0			
झारखंड	58.0	64.32		
कर्नाटक	2132.3	2281.58	2351.50	2469.1
केरल	406.2	483.67	419.50	403.64
लक्षद्वीप	0.0		0.28	0.30
मध्य प्रदेश	1459.8	1719.58	1379.20	1448.13
महाराष्ट्र	5200.0	4303.00	4315.00	4100.00
मणिपुर	33.7	34.85	81.90	83.50
मेघालय	82.8	67.33	82.40	84.14
मिज़ोरम	207.7	118.60	119.10	124.37
नागालैंड	62.7	59.00	166.40	166.43
ओडिशा	400.4	488.66	506.20	520.85
पुदुचेरी	17.1	10.25	6.70	9.50
पंजाब	5.8	10.17	11.60	13.36
राजस्थान	0.8	0.82	0.80	0.80
सिक्किम	3.2	3.35	3.70	4.02

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	4980.9	8253.00	6736.40	8016.35
त्रिपुरा	105.6	124.97	125.00	124.96
उत्तर प्रदेश	1138.6	1346.05	1346.10	1400.45
उत्तराखंड	0.0		32.30	32.28
पश्चिम बंगाल	982.2	1010.15	1054.00	1077.80
कुल	26469.5	29779.91	28455.08	30282.63

*प्रथम आकलन।

नक्सलियों से निपटना

3467. डॉ. रत्ना डे : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को नक्सलियों से निपटने का प्रशिक्षण देने के लिए कोई विशेष अभियान शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

दलहन प्रसंस्करण इकाई

3468. श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छोटे पैमाने की दलहन प्रसंस्करण इकाइयों को सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब इस योजना को बंद कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का विचार ऐसे प्रसंस्करण उद्योगों को किस प्रकार सहायता प्रदान करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) जी, हां, महोदया।

(ख) उद्यमियों तथा कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों को सहायता के क्रम में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमएफपीआई) ने 11वीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम का कार्यान्वयन किया है। स्कीम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों जैसे दुग्ध, फल एवं सब्जियां, मांस पॉल्ट्री, मत्स्यिकी, वाइन, उपभोक्ता मदों तथा अनाज मिलिंग (दाल मिलिंग समेत) के लिए नई प्रसंस्करण क्षमता का सृजन करना तथा मौजूदा प्रसंस्करण सुविधाओं का उन्नयन करना है।

उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत, मंत्रालय ने देश में फल एवं सब्जी यूनिटों समेत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को संयंत्र तथा मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परन्तु अधिकतम 50.00 लाख रुपए अथवा जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप तथा आईटीडीपी जैसे क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75.00 लाख रुपए की अनुदान-सहायता के रूप में कार्यान्वयन एजेंसियों/एजेंसियों/उद्यमियों को वित्तीय सहायता को बढ़ाया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं, महोदया। 12वीं योजना (2012-13) के दौरान सरकार ने मंत्रालय की स्कीम के कार्यान्वयन के विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य के साथ राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) शुरू किया है, जो राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के द्वारा समुचित भागीदारी को आगे बढ़ाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण की उपर्युक्त स्कीम को 01.04.2012 (2012-13) से एनएमएफपी में समाविष्ट किया गया है। एनएमएफपी के अंतर्गत राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के माध्यम से सहायता का समान पैटर्न उपलब्ध है।

विवरण

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 और चालू वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली राज्य-वार यूनिटें

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (15.02.2013 तक की स्थिति के अनुसार)	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	43	947.49	48	908.999	41	677.05	30	562.096	105	1904.726	171	3373.93
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309.78
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	17.67	3	376.14	2	66.42	0	0	0	0
4.	असम	12	442.17	17	176.79	22	418.74	26	875.701	12	242.7782	15	0
5.	बिहार	5	83.915	2	42.3	2	35.59	6	136.681	5	89.65674	3	51.99
6.	चंडीगढ़	6	138.08	0	0	0	0	1	25	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	10	163.725	4	45.46	27	297.574	75	841.8276	109	1330.37
8.	दिल्ली	0	0	7	160.65	2	50	3	82.6	16	410.68	9	198.7
9.	गोवा	1	17	1	24.57	1	24.26	1	25	2	50	1	19.42
10.	गुजरात	32	544.06	39	714.81	42	665.18	52	1419.72	106	1975.034	41	701.59
11.	हरियाणा	19	418.72	23	349.415	11	134.96	14	325.28	62	828.2817	73	931.42
12.	हिमाचल प्रदेश	12	325.09	5	152.745	10	269.58	7	204.53	14	377.51	4	95.95
13.	जम्मू और कश्मीर	9	109.855	3	22.05	7	59.73	5	89.095	6	98.42	2	16.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	झारखंड	2	9.09	0	0	3	44.09	4	85.425	1	16.57	2	33.38
15.	कर्नाटक	34	529.62	35	629.895	24	269.55	14	377.79	61	896.2926	62	1020.06
16.	केरल	47	876.8	32	545.37	33	567.53	19	411.72	52	901.285	15	252.44
17.	मध्य प्रदेश	10	172.32	14	201.87	18	273ए03	14	211.294	23	376.5413	19	252.55
18.	महाराष्ट्र	95	1696.805	121	1802.633	113	1717.3	56	1006.524	202	2824.152	105	1456.88
19.	मणिपुर	3	61.74	3	45.51	6	163.75	1	23.975	11	189.7182	20	442.74
20.	मेघालय	1	8.19	2	159.57	2	123.02	2	100.045	0	0	1	5.42
21.	मिजोरम	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0
22.	नागालैंड	1	27.485	4	178.205	1	64.99	1	6.205	0	0	2	14.21
23.	ओडिशा	6	129.41	2	38.68	6	84.4	8	200.875	9	113.5908	14	249.1
24.	पुदुचेरी	2	31.3	0	0	0	0	0	0	1	25	6	150
25.	पंजाब	32	481.45	61	841.36	13	172.37	9	149.495	147	1692.902	174	1719.01
26.	राजस्थान	35	566.075	44	551.975	27	325.46	48	691.123	95	1236.563	36	523.17
27.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	तमिलनाडु	53	951.79	36	594.355	41	672.11	24	493.582	75	1389.79	36	615.95
29.	त्रिपुरा	2	39.98	1	13.86	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	उत्तर प्रदेश	63	1123.425	43	875.475	32	560.63	47	1078.638	53	907.0513	36	574.38
31.	उत्तराखंड	9	339.78	6	163.15	12	307.57	6	168.523	5	138.047	5	115.49
32.	पश्चिम बंगाल	35	653.56	19	390.135	10	136.48	10	317.945	19	319.87	5	120.05
	कुल	569	10725.2	579	9765.767	487	8249.97	437	9432.862	1157	17846.29	966	14574.38

एमएम-IV को छोड़कर आंकड़े समन्वय बैंक अर्थात् एचडीएफसी बैंक के समन्वयनाधीन हैं।

[अनुवाद]

यूनेस्को की सूची में संकटापन्न स्मारक

3469. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे प्राकृतिक स्थानों/दाय स्मारकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान यूनेस्को द्वारा संकटापन्न स्मारकों की सूची में रखा गया है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई/कदम उठाए/उठाए जा रहे हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान यूनेस्को द्वारा भारत के किसी भी स्थल को संकटापन्न सूची में नहीं रखा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गोदामों के लिए किराया

3470. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का गोदामों को किराए पर लेकर पंजाब में भंडारण स्थान में वृद्धि करने का प्रयास इसके द्वारा पेशकश किए गए काम किराए के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा पेशकश किए गए किराए को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या पंजाब राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से एफसीआई द्वारा राज्य में गोदामों को किराए पर लेने संबंधी पेशकश किए गए किराए में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम की उच्च स्तरीय समिति को निजी उद्यमी योजना के तहत निविदाओं के जरिए केन्द्रीय भंडारण निगम अेतु अनुक्रमित दरों की तुलना में प्राप्त उच्च दरों को स्वीकार करने का अधिकार दिया गया है। तद्नुसार भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब राज्य में निजी उद्यमियों द्वारा प्रस्तावित 6.84 रुपए प्रति क्विंटल प्रति माह तक की (सेवाओं सहित लीज हेतु) दरें स्वीकार की हैं, जो केन्द्रीय भंडारण निगम को देय दर की तुलना में अधिक है। इसके अलावा राज्य में गोदामों के निर्माण के लिए निर्धारित 46 लाख टन में से लगभग 43.60 लाख टन भंडारण क्षमता की मंजूरी दी जा चुकी है।

(ग) और (घ) उच्च दरों हेतु राज्य सरकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि दरों को दो बोली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम रूप प्रदान किया जाता है और उच्च स्तरीय समिति का औचित्य सहित सीडब्ल्यूसी अनुक्रमित दरों से अधिक दर को स्वीकार करने पर अधिकार प्राप्त है।

प्रसारण क्षेत्र में रेटिंग प्रणाली

3471. श्री नित्यानंद प्रधान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संपूर्ण प्रसारण क्षेत्र में कार्यक्रमों की रेटिंग के लिए कोई प्रणाली तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के विभिन्न राज्यों में घटिया कवरेज के संबंध में वर्तमान प्रणाली में बहुत सी समस्याएं हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या नई प्रणाली के अंतग्रत प्रसारकों द्वारा सृजित विषय-वस्तु पर कोई अभिभावी प्रभाव रखने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त नई प्रणाली के अंतर्गत अन्य क्या लाभ उत्पन्न होंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (च) सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) व्यवस्था की अपनी समीक्षा में टीआरपी उत्पन्न करने की मौजूदा व्यवस्था में कतिपय खामियों को इंगित किया जैसे अपर्याप्त नमूना आकार, ग्रामीण क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर के कवरेज की कमी, रेटिंग एजेंसियों का एकाधिकार आदि। अतएव, सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियक प्राधिकरण (ट्राई) से अनुरोध किया कि भारत में टीआरपी व्यवस्था के मुद्दे की जांच की जाए। ट्राई ने टीआरपी के स्व-विनियमन की

सिफारिश की। तद्नुसार, उद्योग नीत निकाय, भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आईबीएफ) ने 2010 में प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद् (बीएआरसी) की स्थापना की। तत्पचात्, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ परिसंघ के भूतपूर्व महासचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसे बीएआरसी के कार्यकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने, बीएआरसी बोर्ड को व्यापक बनाने, श्रोता अनुसंधान मापन के अभिकल्प और विश्लेषण में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उच्च अधिकारप्राप्त समिति का गठन करने, नमूना आकार को बढ़ाने, रेटिंग एजेंसी के चयन में पारदर्शिता लाने, क्रास होल्डिंग से बचने आदि की जिम्मेदारी सौंपी गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट नवंबर, 2010 में पेश की। चूंकि समिति की सिफारिशों पर आईबीएफ द्वारा कार्रवाई की जानी थी, अत: रिपोर्ट को आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्हें जनवरी, 2011 में भेज दिया गया। मंत्रालय लगातार मामले को आईबीएफ के साथ उठा रहा हैं और उन्हें बीएआरसी को कार्यशील करने के लिए एवं एक पारदर्शी एवं विश्वसनीय टीआरपी मापन व्यवस्था स्थापित करने के लिए कह रहा है। आईबीएफ ने हाल ही में मंत्रालय को सूचित किया है कि बीएआरसी के मार्च, 2014 तक टेलीविजन दर्शक आंकड़े प्रकाशित करना आरंभ करने की संभावना है। इसी बीच एक संदर्भ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को भेजा गया है और उन्हें ट्राई के व्यापक दिशा-निर्देश/प्रत्यायन तंत्र की सिफारिश करने के लिए कहा गया है जो भारत में टीआरपी रेटिंग एजेंसियों के लिए प्रत्यायन एजेंसी के रूप में हो।

व्यापक प्रत्यायन प्रणाली में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बातें होनी चाहिएं:—

(i) टीवी घरों का अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व करने वाला और आंकड़े की दृष्टि वैद्य नमूना आकार जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया हो;

(ii) देश के सभी राज्यों का कवरेज;

(iii) आंकड़ों का तृतीय पक्षकार आडिट;

(iv) लोग मीटर घरों के चयन में पारदर्शिता;

(v) पैनल में शामिल लोग मीटर घरों की गोपनीयता;

(vi) लोक शिकायत निवारण तंत्र

इन सभी बातों से व्यवस्था में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और जवाबदेही आने की संभावना है।

पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देना

3472. श्री पी.आर. नटराजन :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकारी ने एम.एस. गोर की अध्यक्षता में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने संबंधी समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा समिति के विचारार्थ विषय क्या है;

(ग) क्या समिति ने केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है तथा पुलिस बल में प्रशिक्षण अवसंरचना में सुधार करने के लिए क्या कदम उउठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के दिनांक 10 नवम्बर, 1971 के संकल्प संख्या 9/72/71-पर्स-I के तहत निम्नलिखित समितियों का गठन किया था।

अवैतनिक अध्यक्ष : प्रो. एम.एस. गोर

अवैतनिक उपाध्यक्ष : श्री एम.एम.एस. हूजा

अवैतनिक सदस्य :—

1. श्री जी. पार्थसारथी, उप कुलपति, जवाहरलाल विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

2. श्री बी.बी. लाल, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।

3. प्रो. एन.एस. रामास्वामी, निदेशक, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई।

4. श्री अशोक सेन, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।

5. श्री के.एफ. रूस्तम जी, महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली।

6. श्री ए.के. घोष, निदेशक, प्रवर्तन एवं महानिदेशक, राजस्व आसूचना और अन्वेषण, नई दिल्ली।

7. श्री आर. श्रीनिवासन, उपायुक्त, दिल्ली।

8. श्री एम. गोपालन, पुलिस महानिरीक्षक, (आईजीपी), केरल।

9. श्री एन.एस. सक्सेना, पूर्व पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

अवैतनिक सदस्य सचिव: डॉ. ए. गुप्ता, निदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली।

2. समिति के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में रख दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) गोर समिति की रिपोर्ट पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ङ) समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, शिलांग में पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी और केन्द्रीय गुप्तचर पुलिस अकादमी की स्थापना की गई है।

विवरण

(i) समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार है:—

(1) देश की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में अधिकारियों के प्रशिक्षण संबंधी सभी प्रबंधनों को शासित करने के उद्देश्य और सामाजिक मानदंडों एवं व्यवहारों पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रभाव ही नहीं अपितु सरकार और इसके कार्यकर्त्ताओं का कार्य प्रणाली विज्ञान।

(2) केन्द्र और राज्यों के अधीन पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण संबंधी प्रबंधनों में बुनियादी कमियां।

(3) मौजूदा कार्य स्थिति में अपेक्षित सुधारों के बारे में और विशेष रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं पर किए जाने वाले उपाय:—

(क) क्या केन्द्र अथवा राज्यों के अधीन इस प्रयोजनार्थ और अधिक संस्थानों की स्थापना करना आवश्यक है;

(ख) क्या किसी एक अथवा अधिक श्रेणी के पुलिस अधिकारियों के लिए कोई नया पुनश्चर्या/विशेषज्ञता पाठ्यक्रम शुरू करना आवश्यक है;

(ग) मौजूदा पाठ्यक्रमों की विषय-वस्तु को किसी प्रकार संशोधित किया जाए;

(घ) पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण में किस प्रकार के आधुनिक उपकरण और अनुदेश प्रणालियों का बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है;

(ङ) पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपाय क्या हैं;

(च) इस प्रयोजनार्थ आवश्यक शिक्षाप्रद साहित्य तैयार करने के आवश्यक साधन; और

(छ) पुलिस बल और जनता के बीच आपसी विश्वास और सहयोग पर आधारित संबंधों में सुधार निदेशक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बम्बई और अध्यक्ष, इंडियन काउंसिल ऑफ सोसल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली।

(ज) पूर्व निदेशक, आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय।

(झ) अपर सचिव, गृह मंत्रालय, 24 मार्च, 1972 से।

(ञ) निदेशक (प्रबंधन), लोक उद्यम ब्यूरो, वित्त मंत्रालय, 10 अक्तूबर, 1972 से।

(ट) महानिरीक्षक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, 25 मई, 1972 से।

(ठ) महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, 03 जनवरी, 1972।

(ii) विभिन्न रैंकों के पुलिस अधिकारियों की भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं तथा तरीके ताकि वे प्रशिक्षण प्रबंधनों के सुधार से लाभान्वित हो सके।

(iii) इस विषय "बैकठों" में प्रासांगिक समझा जाने वाला कोई अन्य विषय।

पार्कों का रखरखाव

3473. श्री जयराम पांगी :
श्री रुद्रमाधव राय :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के अधिकतर उद्यानों का समुचित रखरखाव नहीं किया जाता है और उनमें सुरक्षा व्यवस्था, झूले तथा बच्चों के लिए जॉयराइड जैसी सुविधाएं भी नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या विभिन्न उद्यानों में सुरक्षा संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशनों के साथ नियमित आधार पर बैठक की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा डीडीए तथा आरडब्ल्यूए के लिए क्या निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उद्यानों तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों रोकने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं तथा उद्यानों में समुचित प्रकाश व्यवस्था सहित प्रत्येक उद्यान में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्दन) : (क) से (ङ) दिल्ली पुलिस की लाइसेंस प्रदान करने वाली इकाई "रेगुलेशन फॉर लाइसेंसिंग एंड कंट्रोलिंग प्लेसेज ऑफ पब्लिक एम्युजमेंट (अदर देन सिनयाज) एंड परफोरमेंस फॉर पब्लिक एम्युजमेंट 1980" के तहत मनोरंजन उद्यानों का लाइसेंस जारी करती है। ये मनोरंजन उद्यान वे हैं जिनमें बड़े रॉइड और स्लाइड लगाए गए हैं। जिन उद्यानों में बड़ी संख्या लोग जाते हैं, उनके अंदर और आस-पास गश्त करने के लिए पर्याप्त पुलिस स्टॉफ की तैनाती की जाती है।

दिल्ली पुलिस, नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षण से संबंधित मुद्दों और अन्य मामलों पर चर्चा करने के लिए आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से बैठकें करती हैं। नागरिक एजेंसियों अर्थात् डीडीए, एमसीडी और डीजेबी को भी नियमित रूप से सूचित किया जाता है और उनसे संबंधित मामलों पर उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें भी आयोजित की जाती है।

वन भूमि पर अतिक्रमण करने वाले

3474. श्री विष्णु पद राय : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 2007 की निर्धारित तिथि को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार की तरह अंडमान और निकोबार प्रशासन का विचार अंडमान और निकोबार में वन भूमि और राजस्व भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के अतिक्रमण को नियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर और मध्य अंडमान जिले में अंडमान और निकोबार प्रशासन ने वन भूमि पर अतिक्रमण करके बसाए गए गांवों में स्कूल खोला है तथा एमपीलैड निधि से सौर लाइटें जारी की हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे गांवों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत जॉब कार्ड प्रदान किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्दन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी, हां।

(घ) वन भूमि अतिक्रमण वाले क्षेत्रों में 35 प्राथमिक स्कूल चल रहे हैं और ये पलून, कालापहाड़, बडाडाबला, गरजन टिकरी,

होरीबे, गनाडाबला, बोरांग, हारा टिकरी, ऑस्टिन-II, सिप्पी टिकरी, बिरसा नगर, चुगलुमगम, बुद्धा नाला, गूजी नाला, गोपाल नगर-II, जल टिकरी, कृष्णा नगर-I, कृष्णा नगर-II, हमबरचड, बंधा नाला, गणेश नगर-II, बरमाचड, बीच डेरा, गांधी नगर-II, चिपोह, नारायण टिकरी, फोस्टर वैली, मकारथी वैली, कैम्प सं.-3 खट्टाखरी-I, खट्टाखरी-II और कर्ट बर्ट बे में अस्थायी झोपड़ियों में चल रहे हैं।

एपीएलएडी निधियों के तहत गोपाल गंज-II गांव, डिगलीपुर में 39 होम लाइटनिंग सिस्टम और 20 सौर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को 1166 जॉब कार्ड जारी किए गए हैं।

सरकारी विभागों द्वारा जारी विज्ञापन

3475. श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री एस. पक्कीरप्पा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्याप्त विज्ञापन जारी नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन सरकारी विभागों का ब्यौरा क्या है जो कोई भी विज्ञापन जारी नहीं कर रहे हैं तथा तत्संबंधी कारण क्या हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन चित्रात्मक हैं और वे सरकार की नीतियों का संप्रेषण नहीं कर पा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने मंत्रालयों को उनके विज्ञापनों में सरकारी नीतियों/कार्यक्रमों और उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार करने के अनुदेश दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई/कदम उठाए गए और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) सरकार आवश्यकतानुसार पर्याप्त विज्ञापन जारी कर रही है।

(ग) से (च) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों से अनुरोध किया है कि जब कभी कोई मंत्रालय अपनी नीतियों/उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लेता है तो उस मंत्रालय की सफलताओं व उपलब्धियों को उजागर करते हुए सारगर्भित/संक्षिप्त चित्रों के साथ विज्ञापन के पाठ जारी किया जाना अधिक उपयुक्त होगा।

इस दिशा में दिनांक 26 जनवरी, 2013 को इस मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों से अनुरोध किया था कि वे अपने महत्वपूर्ण कार्य-निष्पादन एवं उपलब्धियों पर केंद्रित करते हुए आकर्षक ढंग से लिखे गए पाठ के साथ-साथ तत्संबंधी संक्षिप्त चित्र के रूप में विज्ञापन जारी करें।

सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सलवाद का प्रभाव

3476. श्री मधु गौड़ यास्खी :
श्री धर्मेन्द्र यादव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती राज्यों/क्षेत्रों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल इत्यादि में नक्सलवादियों द्वारा अपना आधार मजबूत किए जाने के समाचार प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश (बिहार और झारखंड की सीमा से सटे) के सोनभद्र, चंदौली और मिर्जापुर जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं, किन्तु विगत कुछ वर्षों के दौरान ये सीपीआई (माओवादी) की किसी बड़ी हिंसापूर्ण गतिविधि से मुक्त रहे हैं। बिहार के, मुंगेर और लखीसराय जिलों के साथ-साथ गया, जमुई और बांका (झारखंड की सीमा से सटे) में सीपीआई (माओवादी) का गंभीर खतरा अब भी बना हुआ है। यह संगठन उत्तरी बिहार के पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी जिलों में अपनी सशस्त्र क्षमता के कुछ गढ़ बनाए हुए है। यह संगठन रोहतास और कैमूर जिलों (उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा से सटे) में भी किसी न किसी प्रकार से मौजूद है। उत्तराखंड

के ऊधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में माओवादी समर्थक संगठनों की छिटपुट खुल्लम-खुल्ला गतिविधियों की सूचनाएं मिली हैं। पश्चिम बंगाल में, माओवादी गतिविधियां पश्चिमी मिदनापुर, पुरुलिया और बांकुरा जिलों तक ही सीमित हैं जो विगत दो वर्षों के दौरान काफी कम रही है।

(ग) केन्द्र सरकार का वामपंथी विद्रोह से मुकाबला करने के प्रति व्यापक दृष्टिकोण है जिसमें यह अनेकानेक उपायों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। केन्द्र सरकार, सुरक्षा संबंधी और विकास संबंधी उपायों के जरिए राज्य सरकारों की मदद करती है। सुरक्षा संबंधी उपायों में, सीएपीएफ की सीधे तैनाती करने के अलावा, भारत सरकार सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना, विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस), अतिसुरक्षित पुलिस स्टेशनों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण की योजना इत्यादि जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्यों की क्षमता संवर्धन के लिए सहायता प्रदान करती है। अन्य सुरक्षा संबंधी उपायों में नक्सल-रोधी अभियानों के लिए राज्यों को हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराना, विद्रोही-रोधी और आतंकरोधी (सीआईएटी) विद्यालयों की स्थापना करना, इंडिया रिजर्व बटालियनों (आईआरबी) का गठन करने में सहायता, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना (एमपीएफ स्कीम) के तहत राज्य पुलिस और उसके आसूचना तंत्र का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन इत्यादि शामिल हैं।

विकास के क्षेत्र में, केन्द्र सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए एकीकृत कार्य योजना (आईएपी), सड़क अवसंरचना योजना-I इत्यादि जैसी विशेष योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है।

भारत सरकार की यह मान्यता है कि संतुलित पुलिस कार्रवाई, संकेन्द्रित विकासपरक प्रयास और शासन प्रणाली में सुधार ही दीर्घकालिक तौर पर वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के प्रभावकारी उपाय हैं। इस नीति के प्रभाव को धीरे-धीरे महसूस किया जा रहा है और यह विगत दो वर्षों के दौरान वामपंथी उग्रवादी हिंसा की घटनाओं में हुई कमी के रूप में परिलक्षित हुई है।

[हिन्दी]

संस्कृति और कलाओं के संवर्धन की योजनाएं

3477. श्री कमला देवी पटले :
श्री लालजी टंडन :
श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भारतीय संस्कृति के सरंक्षण/संवर्धन हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं को उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सांस्कृतिक कलाकार अपनी पारंपरिक कलाओं से विमुख हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनजातीय नृत्य विधाओं को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) संस्कृति मंत्रालय केन्द्रीय रूप से प्रायोजित कोई स्कीम/कार्यक्रम नहीं चलाता है। तथापि, यह मंत्रालय कला और संस्कृति के समस्त रूपों के संरक्षण, विकास, परिरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों को कार्यान्वित करता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) भारत महोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी के लिए विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों पर विचार किया जाता है। इसके अलावा, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आईसीसीआर) भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश करने और उनमें भाग लेने के लिए लोक एवं अन्य कलाकारों के विश्व भर में होने वाले दौरों को प्रायोजित करके उन्हें बढ़ावा देती है।

पारंपरिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना

3478. श्री कपिल मुनि करवारिया : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्राचीन समय से ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जाने वाले पारंपरिक कार्यक्रमों को सूचीबद्ध करने और उनका प्रोत्साहन और संवर्धन करने के लिए कोई योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के दारानगर क्षेत्र में, कौशाम्बी जिले में प्राचीन समय से आयोजित होने वाले पारंपरिक 'कुप्पी युद्ध' को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पारंपरिक लोक कलाओं और संस्कृति का परिरक्षण, संवर्धन और प्रसार करने के उद्देश्य के साथ सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) की स्थापना की है।

(ग) से (ङ) संगीत नाटक अकादमी से अब तक 'कुप्पी युद्ध' से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

ऑनलाइन विपणन

3479. श्रीमती दर्शना जरदोश : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ऑनलाइन विपणन कंपनियों द्वारा ठगी/धोखाधड़ी किए जाने के कई मामले प्रकाश में आए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(ग) क्या ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए कोई तंत्र स्थापित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सहित अन्य हितधारकों के साथ परमर्श करके ऐसा तंत्र स्थापित किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ऑन लाइन मार्केटिंग और धोखाधड़ी करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों के खिलाफ 8 शिकायतें प्राप्त हुई है और लिमिटेड देयता अधिनियम, 2008 के तहत पंजीकृत सीमित देयता भागीदारी के खिलाफ। शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायतें निम्नलिखित के संबंध में प्राप्त हुई है:—

(क) मैसर्स स्पीक एशिया पीटीई लि. (गैर-पंजीकृत कंपनी);

(ख) मैसर्स वेल्थ लाइन प्रोमोटर्स प्रा.लि.;

(ग) मैसर्स युनिपेय टू यू मार्केटिंग प्रा.लि.;

(घ) मैसर्स जी-लिंक रेवेन्यू ई-कॉम प्रा.लि.;

(ङ) मैसर्स तुलसीयत टेक प्रा.लि.;

(च) मैसर्स युनिगेटवे टू यू ट्रेडिंग प्रा.लि.;

(छ) मैसर्स वेगा जील मार्केटिंग प्रा.लि.;

(ज) मैसर्स टीवीआई एक्सप्रे वे हॉलीडे प्रा.लि.; और

(झ) मैसर्स सीमेलेस आउटसोर्सिंग एलएलपी।

कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के उल्लंघन के एिल अर्थदंड या कारावास अथवा दोनों के रूप में दांडिक कार्रवाई अपरिहार्य है।

प्रसार भारती में अनियमितताएं

3480. श्री अब्दुल रहमान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती में कथित वित्तीय अनियमितताओं में कुछ अधिकारियों की संलिप्तता के मामले प्रकाश में आए हैं और बहुत से मामलों की केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जांच की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न विधिक संगठनों द्वारा ऐसी अनियमितताओं की पुष्टि/सहमति के बावजूद और आगे विधिक परामर्श मांगा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसी अनियमितताओं में संलिप्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (ङ) इस समय, प्रसार भारती के अधिकारियों/ कर्मचारियों से संबंधित अनियमितताओं के 36 मामलों की केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा निगरानी की जा रही है, जिनमें से 13 मामलों में जांच चल रही है, 21 मामलों में विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है ओर वे समापन के विभिन्न चरणों में हैं तथा 02 मामलों में शास्तियां अधिरोपित की गईं हैं।

प्रसार भारत और उसके क्षेत्रीय कार्यालय वे केन्द्र देश भर में स्थित हैं। प्रसार भारती के कार्मिकों द्वारा की जाने वाली अनियमिताओं के बारे में मंत्रालय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरा (सीबीआई) और प्रसार भारती में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। एक बार यह पाए जाने पर कि सत्यापनीय तथ्य शिकायत में दिए गए हैं, संबंधित एजेंसी द्वारा संगत मानदंडों व कार्यविधि के अनुसार जांच की जाती है। यदि जांच करने पर यह पाया जाता है कि लगाए गए अभियोग प्रथम दृष्टतय सिद्ध होते हैं, तो मंत्रालय/प्रसार भारती द्वारा केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के अंतर्गत तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दोषी कार्मिक के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। विधि एवं न्याय मंत्रालय से केवल उन्हीं मामलों पर विधिक सलाह प्राप्त की जाती है जिन पर विधिक दृष्टिकोण से अधिक स्पष्टता की आवश्यकता होती है। समूह 'क' के अधिकारियों से संबंधित मामलों पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह प्राप्त करने के पश्चात् कार्रवाई शुरू की जाती है।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि

3481. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न स्मारकों और विरासत स्थलों के अनुरक्षण और पुनरुद्धार के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी उपक्रमों और कॉर्पोरेट क्षेत्र ने भी देश में विभिन्न स्मारकों के अनुरक्षण और पुनद्धार के लिए अपना योगदान किया है;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी उपक्रमों और कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा प्रतिबद्ध और वास्तविक रूप से जारी किए गए योगदान का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और स्मारक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के विभिन्न स्मारकों के अनुरक्षण/पुनरुद्धार की वर्तमान स्थिति क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय संस्कृति निधि की स्थापना देश के विभिन्न स्मारकों और विरासत स्थलों के संरक्षण, नवीकरण और अनुरक्षण के लिए 1996 में की गई थी।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष ओर चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और कॉर्पोरेटों द्वारा प्रतिबद्ध और वास्तव में जारी किये गये योगदान में ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण, परिरक्षण और उनकी देख-भाल का कार्य एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है जिसको संसाधन की उपलब्धता के अधीन आवश्यकतानुसार प्रारंभ किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित स्मारक परिरक्षण की उत्तम अवस्था में हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय संस्कृति निधि का गठन, संस्कृति विभाग, भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. सं. 695 दिनांक 28 नवम्बर, 1996 के माध्यम से मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति की अपनी 10वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के आधार पर कल्याणार्थ अक्षय निधि अधिनियम, 1890 के अधीन एक न्यास के रूप में किया गया था। इसकी स्थापना, भारत की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

के संवर्धन, परिरक्षण और अनुरक्षण के लिए संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से की गई थी। राष्ट्रीय संस्कृति निधि, राज्य सरकारों, कॉर्पोरेट सैक्टर, गैर-सरकारी संगठनों, इस कार्य में संलग्न निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी में अभिवृद्धि करता है।

दाम देने के लिए और सार्वजनिक तथा निजी सैक्टरों को भारत की समृद्ध विरासत के लिए प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय संस्कृति निधि को दान देने वाले, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-80जी(2) के अधीन 100 प्रतिशत कर की छूट के लिए पात्र हैं।

विवरण-II

(सभी परियोजनाएं सतत् रूप से चल रही है)

क्र. सं.	परियोजना (स्मारक) और समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की तारीख	संबंधित पक्षकार और परियोजना के लिए प्रतिबद्ध निधि	सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा प्रतिबद्ध योगदान राशि	सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा जारी किय गया योगदा	
				वर्ष	जारी की गई राशि (लाख रुपये)
1	2	3	4	5	6
1.	तुगलकाबाद किला, नई दिल्ली	एनसीएफ, एएसआई और मैसर्स गेल इंडिया लि.	30 लाख रु.	2009-10	30,00.00
				2010-11	—
				2011-12	—
				2012-13	—
2.	गोल गुम्बद, बीजापुर	एनसीएफ, एएसआई और नौरस न्यास	30 लाख रु.	2009-10	—
				2010-11	—
				2011-12	—
				2012-13	—
3.	विभिन्न राज्यों में फैले हुए स्मारक-समूह	एनसीएफ, एएसआई और मैसर्स एनटीपीसी लि.	5 करोड़ रु.	2009-10	—
				2010-11	—
				2011-12	—
				2012-13	—
4.	प्राचीन शिव मंदिर, अंबरनाथ	एनसीएफ, एएसआई और नागरिक सेवा अंबरनाथ	223071/- रु.	2009-10	—
				2010-11	—

1	2	3	4	5	6
				2011-12	–
				2012-13	–
5.	अम्ब्रैला समझौता-ज्ञापन	एनरसीएफ और मैसर्स तेल एवं प्राकृतिक गैश कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी)	10 करोड़ रु. (प्रतिवर्ष 2 करोड़ रु. का अभिदान किया जाना है)	2009-10	–
				2010-11	–
				2011-12	–
				2012-13	–
	अहोम स्मारक	एनसीएफ और ओएनजीसी	30 लाख रु.	2009-10	30,00,000/-
				2010-11	2.08 करोड़
				2011-12	–
				2012-13	–
6.	हजारदुवारी पैलेस, जिला-मुर्शिदाबाद.	एनसीएफ, एएसआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोलकाता शाखा	75 लाख रु.	2009-10	–
				2010-11	20,00,000
				2011-12	–
				2012-13	–
7.	शोर मंदिर, महाबलीपुरम	एनसीएफ, एएसआई और मैसर्स शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	25 लाख रु.	2009-10	–
				2010-11	–
				2011-12	25,00,000/-
				2012-13	10,00,000/-
8.	शोर मंदिर, महाबलीपुरम	एनसीएफ, एएसआई और मैसर्स शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	54 लाख रु.	2009-10	–
				2010-11	–
				2011-12	–
				2012-13	5,00,000/-

[हिन्दी]

कोयला भंडार

3482. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित देश में कोयला भंडारों की खोज करने के लिए कोई सर्वेक्षण करवाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन राज्यों में प्रचालनरत और बंद पड़ी कोयला खानों का ब्यौरा क्या है और कितनी नई खानों को राज्य-वार और कंपनी-वार आबंटित किया जा रहा है; और

(ग) उन लघु इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा जिनकों इन राज्यों की कोयला खानों से कोयले की आपूर्ति की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) सरकार भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण, केन्द्रीय खान आयोजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड आदि जैसी अपनी एजेंसियों के माध्यम से मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्यों सहित पूरे भारत में उपलब्ध कोयला संसाधनों का सर्वेक्षण/अन्वेषण करा रही है। 01.04.2012 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार ब्यौरे नीचे दिये गए हैं:—

(मिलियन टन)

राज्य	कोयला का भू-गर्भीय संसाधन			
	प्रमाणित	निर्दिष्ट	अनुमानित	कुल
1	2	3	4	5
(क) गोंडवाना कोयला क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	9566.61	9553.91	3034.34	252154.86
असम	0	2.79	0	2.79
बिहार	0	0	160.00	160.00
छत्तीसगढ़	13987.85	33448.25	3410.05	50846.15
झारखंड	40163.22	33609.29	6583.69	80356.20
मध्य प्रदेश	9308.70	1290.65	2776.91	24376.26
महाराष्ट्र	5667.48	3104.40	2110.21	10882.09
ओडिशा	25547.66	36465.97	9433.78	71447.41
सिक्किम	0	58.25	42.98	101.23
उत्तर प्रदेश	884.04	1776.76	0	1061.80
पश्चिम बंगाल	12425.44	13358.24	4832.04	30615.72
(ख) तृतीयक कोयला क्षेत्र:				
अरुणाचल प्रदेश	31.23	40.11	18.89	90.23
असम	464.78	42.78	3.02	510.52
मेघालय	89.04	16.51	470.93	576.48
नागालैंड	8.76	0	8.60	315.41
कुल (क+ख)	118144.82	142168.85	33183.49	293497.15

(ख) निम्नलिखित राज्यों में प्रचालनशील/बंद पड़े कोयला खानों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

कंपनी	राज्य	प्रचालन में			बंद पड़े हैं	
		ओसी	यूजी	मिश्रित	ओसी	मिश्रित यूजी
1	2	3	4	5	6	7
ईस्टर्न कोलफील्ड्स	पश्चिम बंगाल	12	76	2	11	40

1	2	3	4	5	6	7
	झारखंड	5	10	—	4	3
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	झारखंड	18	37	20	1	3
	पश्चिम बंगाल	1	2	—	—	—
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	झारखंड	41	24	1	4	11
नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड	मध्य प्रदेश	6	—	—	1	—
	उत्तर प्रदेश	4	—	—	—	—
वेस्टर्न कोलफील्ड्स	महाराष्ट्र	31	22	—	7	12
	मध्य प्रदेश	7	20	22	6	25
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	छत्तीसगढ़	17	37	1	1	22
		7	20	0	4	15
महानदी कोलफील्ड्स	ओडिशा	16	11	—	1	—
नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	असम	3	4	—	—	—
	मेघालय	—	1	—	—	—
कुल		168	272	26	40	131

कोयला खान नियमावली, 2012 की प्रतियोगी बोली द्वारा नीलामी के अंतर्गत विशिष्ट अंत्य-प्रयोग अर्थात् विद्युत और खनन के लिए सरकारी कंपनियों/निगमों को दिए जा रहे नए कोयला ब्लॉकों के राज्य-वार ब्यौरे:—

क्र.सं.	राज्य	विद्युत	खनन
1	2	3	4
1.	छत्तीसगढ़	5	1
2.	झारखंड	2	1
3.	मध्य प्रदेश	1	—
4.	महाराष्ट्र	1	—
5.	ओडिशा	4	1
6.	पश्चिम बंगाल	1	—

(ग) 4200 टन/वर्ष से कम आवश्यकता वाले उपभोक्ताओं को सरकार की नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) द्वारा लघु एवं माध्यम क्षेत्र में के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) से कोयला लेने वाले इस वर्ग के उपभोक्ताओं को ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) करने अथवा राज्य सरकार से नामित एजेंसियों से आपूर्ति लेने का विकल्प दिया गया था। एनसीडीपी ने

इस क्षेत्र के लिए 8 मिलियन टन/प्रतिवर्ष कोयला निर्धारित किया है। वर्ष 2012-13 में 16 राज्यों की 23 राज्य एजेंसियों को उनके राज्यों के लघु एवं मध्यम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण हेतु कोयला आबंटित किया गया है। ईंधन आपूर्ति समझौता के माध्यम से की गई कोयला आपूर्ति वाली लघु इकाइयों, जिनकी वार्षिक आवश्यकता 4200 टन से कम है, के राज्य-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

क्र.सं.	राज्य	यूनिटों की संख्या
1.	बिहार	3
2.	झारखंड	48
3.	छत्तीसगढ़	17
4.	गुजरात	3
5.	हरियाणा	5
6.	ओडिशा	6
7.	मध्य प्रदेश	77
8.	महाराष्ट्र	54
9.	पंजाब	2
10.	उत्तर प्रदेश	3
11.	पश्चिम बंगाल	48
	कुल	266

[अनुवाद]

अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण

3483. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की अग्नि संरक्षण क्षमता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संघ सरकार द्वारा अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु कोइ योजना तैयार की गई है/किसी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(घ) क्या संघ सरकार को राजयों में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से परियोजना प्रतिवद

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(च) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित की गई/उपयोग की गई कुल निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त परियोजना हेतु निधियां प्राप्त करने के एिल बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के साथ हुई चर्चाओं की स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) देश में, गृह मंत्रालय द्वारा गठित स्थायी अग्निशमन सलाहकार परिषद् (एसएफएसी), अग्निशमन सेवाओं से संबंधित मामलों के बारे में मानकों का निर्धारण करती है। एफएसएसी द्वारा सिफारिश किए गए "अग्निशमन सेवाओं" से संबंधित मानक निदेशात्मक प्रकृति के हैं। ये मानक संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इन मानकों को अंगीकृत करना राज्य सरकारों पर निर्भर है क्योंकि "अग्निमशन सेवाएं" अनुच्छेद 243-डब्ल्यू की बातों के अनुसार भारत में संविधान की XIIवीं अनुसूची में म्युनिशिपल कार्य के रूप में शामिल की गयी हैं। इसलिए, यह राज्य सरकारों का प्राथमिक दायित्व है कि अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ बनाने तथा उनहें सुसज्जित करने के लिए पर्याप्त संसाधनों का आबंटन करें।

(ग) भारत सरकार ने, देश में अग्निशमन एवं आपात सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से एक केन्द्र प्रायोजित योजना अनुमोदित की है। इस योजना में उन्नत फायर टेंडरों, मिस्ट प्रौद्योगिक युक्त हाई प्रेशर पम्प, क्विक रेस्पांस टीम व्हीकल, खोज एवं बचाव कार्य हेतु काम्बीटूल्स जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी का समावेश और विभिन्न पणधारियों की क्षमता का संवर्धन करके अग्निशमन कार्य और बचाव क्षमता के बीच विद्यमान अंतराल को पाटने का प्रयास किया गया है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अग्निशमन एवं आपात सेवाओं के लिए निर्धारित की गई राज्य-वार कुल निधियां संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

इस स्तर पर बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से इस योजना के लिए निधियां सुनिश्चित करने की परिकल्पना नहीं है।

(घ) और (ङ) विभिन्न राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के बारे में प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के आधार पर XIIIवें वित्त आयोग ने अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के संबंध में सात राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश (17 करोड़ रुपए), हरियाणा (100 करोड़ रुपए), मिजोरम (20 करोड़ रुपए), ओडिशा (150 करोड़ रुपए), त्रिपुरा (15 करोड़ रुपए), उत्तर प्रदेश (20 करोड़ रुपए) और पश्चिम बंगाल (150 करोड़ रुपए) को 472 करोड़ रुपए आबंटित किए जाने की सिफारिश की थी।

भारत सरकार ऊपर निम्नलिखित सात राज्यों को 124.39 करोड़ रुपए की अनुदान की पहली किस्त पहले ही जारी कर चुकी है।

(च) उपर्युक्त (ग) के उत्तर में उल्लेख किया गया है।

विवरण-I

अग्निशमन सेवा संबंधी स्थायी अग्निशमनक सलाहकार परिषद् द्वारा सिफारिश किए गए मानक

(i) प्रति 50,000 की आबादी से लेकर 3 लाख की आबादी के लिए एक अग्निशमन टेंडर। प्रति एक लाख अथवा उसके किसी भाग के लिए एक अतिरिक्त अग्निशमन टेंडर और कुल वाटर टेंडर का 20% रिजर्व/औद्योगिक शहरों एवं अत्यधिक अग्नि जोखिम के मामले में, सुरक्षित एिक जाने वाले क्षेत्र के वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर मानक और अन्य उपकरणों का निर्धारण होना चाहिए।

(ii) प्रत्येक वाहन में छह व्यक्तियों का क्रू;

(iii) शहरी क्षेत्र में प्रति 10 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र के प्रति 50 कि.मी. क्षेत्र में एक अग्निशमन स्टेशन;

(iv) शहरी क्षेत्र में अधिकतम 5 मिनट में और ग्रामीण क्षेत्र में 20 मिनट में अग्निशमन सेवा कार्रवाई;

(v) प्रति 3 से 10 लाख तक की आबादी के लिए एक रेस्क्यू टेंडर;

(vi) विशेष वाहन अर्थात् — टर्न टेबल लैडर, हाईड्रोलिक प्लेटफार्म, आपात हल्के वाहन इत्यादि (इनकी संख्या का निर्णय वास्तविक जोखिम विश्लेषण के आधार पर स्थानीय फायर चीफ की सलाह पर किया जा सकता है)।

विवरण-II

अग्निशमन एवं आपात सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना के तहत पूंजीगत मदों हेतु निधियों की रिलीज (अनुदान-सहायता)

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	शामिल किए गए जिलों की संख्या	केन्द्र का अंशदान	केन्द्र द्वारा निधियों की रिलीज				कुल
				2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	23	837	92.93	217.07	527.00	0.00	837.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	372	52.36	119.64	200.00	0.00	372.00
3.	असम	23	437	16.5	64.5	356.00	0.00	437.00
4.	बिहार	37	703	23.1	79.91	600.00	0.00	703.01
5.	छत्तीसगढ़	16	979	72.64	162.36	0.00	744.00	979.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	गोवा	2	38	6.6	19.4	12.00	0.00	38.00
7.	गुजरात	25	1250	101.42	227.58	0.00	921.00	1250.00
8.	हरियाणा	19	361	16.5	48.5	296.00	0.00	361.00
9.	हिमाचल प्रदेश	12	403	69.34	146.66	187.00	0.00	403.00
10.	जम्मू और कश्मीर	14	266	13.2	42.8	210.00	0.00	266.00
11.	झारखंड	18	342	13.2	42.8	174.74	112.00	342.74
12.	कर्नाटक	27	513	16.5	64.5	432.00	0.00	513.00
13.	केरल	14	266	13.2	42.8	210.00	0.00	266.00
14.	मध्य प्रदेश	45	2355	101.42	249.58	0.00	1641.00	1992.82
15.	महाराष्ट्र	35	665	33	107	0.00	525.00	665.00
16.	मणिपुर	9	471	77.84	159.16	234.00	0.00	471.00
17.	मेघालय	7	483	66.04	140.96	276.00	0.00	483.00
18.	मिजोरम	8	327	66.04	142.96	118.00	0.00	327.00
19.	नागालैंड	8	552	74.54	159.46	318.00	0.00	552.00
20.	ओडिशा	30	970	91.04	219.96	659.00	0.00	970.00
21.	पंजाब	17	323	13	44.8	265.00	0.00	322.80
22.	राजस्थान	32	1708	101.42	237.58	1369.00	0.00	1708.00
23.	सिक्किम	4	151	32.08	68.92	50.00	0.00	151.00
24.	तमिलनाडु	30	1045	102.83	238.17	704.00	0.00	1045.00
25.	त्रिपुरा	4	76	6.6	19.4	0.00	32.00	58.04
26.	उत्तर प्रदेश	70	1330	33	141	1156.00	0.00	1330.00
27.	उत्तराखंड	13	247	13.2	36.8	197.00	0.00	247.00
28.	पश्चिम बंगाल	18	342	19.8	55.73	266.47	0.00	342.00
	कुल योग	573	17812	1339.34	3300	8817.21	3975	17431.87

रक्षा संबंधी व्यय

2484. श्री निशिकांत दुबे :
श्री के.सी. सिंह 'बाबा' :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार को रक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के अधीन और अधिक जिलों को शामिल करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष ओर चालू वर्ष के दौरान प्राप्त हुए ऐसे प्रस्तावें/अनुरोधों का झारखंड और उत्तराखंड सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान योजना के अधीन जारी की गई और उपयोग की गई कुल धनराशि का राज्य-ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संघ राज्य सरकार के पास उक्त योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) हिंसा की स्थिति के आधार पर, केन्द्र सरकार ने वर्ष 2012 के दौरान वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों हेत सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत झारखंड के तीन जिलों अर्थात् दुमका, देवघर तथा पाकुर सहित 23 और जिलों को शामिल किए जाने का अनुमोदन किया है जिससे झारखंड के 21 जिलों सहित वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों के कुल 106 जिलों को इस योजना के तहत शामिल किया जा चुका है। फिलहाल योजना के तहत और अधिक जिलों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, एसआरई योजना के तहत जिलों को शामिल करना/अलग करना एक सतत् प्रक्रिया है। उत्तराखंड को एसआरई योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इसे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य नहीं माना जाता।

(ग) और (ङ) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (28.02.2013) की स्थिति के अनुसार) के दौरान एसआरई योजना के तहत जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। एक प्रतिपूर्ति योजना होने के कारण, एसआरई योजना के तहत व्यय पहले राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तथा इसके पश्चात् संबंधित राज्यों में लेखा-परीक्षा के उपरांत इस व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, योजना के तहत वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है तथा वित्तीय सहायता में किसी भी प्रकार की वृद्धि/कमी राज्यों द्वारा प्रस्तुत कार्य योजनाओं के आधार पर की जाती है।

विवरण

वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2012-13 (38.02.2013 की स्थिति के अनुसार) के दौरान वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों केलिए एसआरई योजना के तहत जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(आंकड़े करोड़ रुपये)

राज्य	एसआरई योजना के तहत जारी निधियां			
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (28.2.2013 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	2.28	28.19	10.73	15.13
बिहार	2.77	29.41	13.65	7.87

1	2	3	4	5
छत्तीसगढ़	36.14	87.74	42.38	50.74
झारखंड	11.11	59.40	75.35	58.45
मध्य प्रदेश	0.11	1.56	0.27	0.65
महाराष्ट्र	2.71	13.67	7.63	4.60
ओडिशा	3.71	56.62	21.57	15.31
उत्तर प्रदेश	0.51	3.56	2.00	5.50
पश्चिम बंगाल	0.66	18.91	13.90	13.31
कुल	60.00	299.06	187.48	171.56

कृषि और बागवानी जिन्सों के लिए ब्रांड लोगो

3485. **श्री ए.के.एस. विजयन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधार परिषद् (आईसीएआर) से संबद्ध संस्थानों द्वारा विकसित की गई सभी कृषि और बागवानी पादप सामग्री के लिए किसी ब्रान्ड/लोगों का उपयोग करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आईसीएआर के लिए एक सामान्य लोगों विकसित करने हेतु और ब्रांड तथा लोगों का उपयोग करने के संबंध में दिशा-निर्देशों का पालन करने के एिल भी सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा अपनी सभी घटक इकाइयों के बीच आईसीएआर कें लोगों के उपयोग में समरूपता को प्रोत्साहित किया जाता है। फिर भी, पहले से प्रयोग किये जाने वाले कुछ ब्रांड नेम तथा लोगों इतने प्रचलित और मान्य हैं कि आईसीएआर के आईपीआर दिशा-निर्देश इस प्रकार के ब्रांड नेम/ट्रेड मार्क/लोगों के आईसीएआर लोगों के साथ उपयोग की अनुमति देते हैं।

एनआईए को सौंपे गए मामले

3486. **श्री एम. कृष्णास्वामी** :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ मामले जांच किए जाने हेतु राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंपे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कुछ कितने ऐसे मामले जांच हेतु एनआईए को सौंपे गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कुल कितने मामले एनआईए द्वारा सुलझाए गए/नहीं सुलझाए गए; और

(घ) इन मामलों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार/एनआईए द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए और इस संबंध में एनआईए को सरकार द्वारा क्या सहायता प्रदान की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को जांच के लिए 56 मामले सौंपे हैं। इन 56 मामलों में से, 27 मामलों की जांच की जा रही हैं, 27 में आरोप पत्र/अनुपूरक आरोप पत्र दाखिल किए

जा चुके हैं और 02 में विचारण की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनआईए को जांच के लिए सौंपे गए मामलों का ब्यौरा निम्नवत् है:—

1.	2010	11
2.	2011	16
3.	2012	16
4.	2012	05

(घ) सरकार एनआईए सहित सभी जांच एजेंसियों द्वारा पंजीकृत, अन्वेषित और अभियोजन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए प्रतिबद्ध है। इसे कार्य रूप में परिणत करने के लिए, सरकार ने दिन-प्रति-दिन सुनवाई करने के लिए एनआईए के लिए देशभर में 39 विशेष न्यायालों के स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, इन न्यायालयों की अध्यक्षता के लिए न्यायाधीशों तथा मामलों को हैंडल करने के लिए पर्याप्त संख्या में विशेष लोक अभियोजकों को भी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, मामलों के विभिन्न स्तरों जैसे— एनआईए को अंतरण, जांच, पुनरीक्षा प्राधिकारियों को प्रेषण, अभियोजन की स्वीकृति आदि के संविधि में समय-सीमा का भी निर्धारण किया गया है, ताकि विलंब से बचा जा सके।

साक्ष्य की रिकॉर्डिंग

3487. श्री प्रताप सिंह बाजवा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपराधिक मामलों से निपटने में समुचित प्रशिक्षण के अभाव के कारण दिल्ली पुलिस द्वारा जांच के दौरान साक्ष्य की अनुचित रिकॉर्डिंग किए जाने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपराधों के मामलों में त्वरित निपटान हेतु साक्ष्य की उचित रूप से रिकॉर्डिंग किए जाने सहित आपराधिक मामलों से निपटने के लिए पुलिस बलों के कार्मिकों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करनने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, जब कभी न्यायालयों ने व्यक्तिगत मामलों में साक्ष्य की रिकॉर्डिंग को असंतोषजनक पाया है, तब उन्होंने इस संबंध में कभी-कभी टिप्पणियां की हैं।

जांच की तकनीक में सुधार करने के लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों के नियमित आधार पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

एएफएसपीए पर अध्ययन

3488. श्री नवीन जिन्दल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) अधिनियम पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् द्वारा तैयार प्रारुप प्रतिवेदन के संबंध में सरकार के विचार जानने के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायेत्तर, सरेआम अथवा मनमाने ढंग से हत्या (एक्सट्रा ज्युडिशियल, सम्मरी और आरबिट्रेरी इक्जुक्युशन्स) संबंधी विशेष प्रतिवेदक ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने अपने विचारों का समेकन किया है और पूर्वोत्तर तथा जम्मू और कश्मीर में एएफएसपीए का निरसन करने के संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र के न्यायेत्तर, सरेआम अथवा मनमाने ढंग से हत्या (एक्सट्रा) ज्यूडिशियल, सम्मरी ऑफ आरबिट्रेरी इक्जेक्युशन्स) संबंधी विशेष प्रतिवेदक (एसआर), मि. क्रिस्टॉक हेयन्स ने मार्च, 2012 में भ्सारत के अपने 12 दिवसीय दौरे पर अपनी मसौदा रिपोद्व में एएफएसपीए को निरस्त करने या इसमें कम-से-कम आमूल-चूल परिवर्तन करने की सिफारिश की।

(ग) वर्तमान में एएफएसपीए को निरस्तर करने या इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अधीन परियोजनाएं

3489. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन परियोजनाओं की संख्या क्या है जो अभी भी स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) क्या संघ सरकार ने उन लंबित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लंबित परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्देश कुमारी) : (क) वर्तमान में, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एन.एम.ए.) में कोई परिवर्तन स्वीकृति के लिए लंबित नहीं है।

ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आवश्यक वस्तुओं पर राज्य कर

3490. श्री रवनीत सिंह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों से खाद्य मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए आवश्यक वस्तुओं पर लगाए गए विभिन्न राज्य स्तरीय करों को माफ करने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है तथा उन राज्यों के क्या नाम है जिन्होंने ऐसे करों में कटौती की है अथवा कटौती करने पर सहमत हुए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने खाद्य मुद्रास्फीति से संबंधित स्थिति के आवधिक रूप से समीक्षा है और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए उपाय किए हैं। इनमें से एक उपाय राज्य सरकारों से मंत्री का, चुंगी और अन्य स्थानीय लेवी जिससे आवश्यक वस्तुओं की सुगम गतिविधियों में रुकावट आती है, को हटाने पर विचार करने का आग्रह करना है। प्रधानमंत्री ने भी फरवरी, 2011 में आयोजित प्रधान सचिवों के वार्षिक सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया था। सरकार ने भी राज्यों के साथ करों को कम करने की आवश्यकता के मामले को उठाया है ताकि खुले बाजार में खाद्यान्नों की कीमतों को कम किया जा सके।

भारत सरकार को आवश्यक खाद्य वस्तुओं पर करों को कम करने के लिए राज्यों से स्वीकृति की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

सरोगेसी के लिए विदेशियों की यात्राएं

3491. श्री असादूद्दीन आवेसी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटक वीजा लेकर सरोगेसी (किराए की कोख) हेतु भारत की यात्रा पर आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने ऐसे विदेशियों को वीजा जारी करने हेतु और ऐसी सुविधा प्रदान करने वाले क्लीनिकों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये दिशा-निर्देश आईसीएमआर दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन दिशा-निर्देशों से किस हद तक देश में सरोगेसी का विनियमन होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) यह बात ध्यान में आई है कि कुछ विदेशी नागरिक सरोगेसी (किराये पर कोख) के लिए पर्यटक वीजा पर भारत के दौरे पर आये हैं। चूंकि इस प्रकार के मामलों के लिए पर्यटक वीजा एक उपयुक्त वीजा नहीं है इसलिए गृह मंत्रालय ने 09 जुलाई, 2012 को इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किये जिनमें यह उल्लेख किया गया कि सरोगेसी के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को मेडिकल वीजा पर आना होगा। इन दिशा-निर्देशों में मेडिकल वीजा प्रदान करने के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का भी उल्लेख किया गया है:—

1. विदेशी पुरुष और महिला का विधिवत् रूप से विवाह हुआ हो और उसका विवाह हुए कम-से-कम दो वर्ष हो गये हों।

2. वीजा आवेदन के साथ, भारत में स्थित उक्त देश के दूतावास या उस देश के विदेशी मंत्री का एक पत्र संलग्न

किया जाना चाहिए, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो कि वह देश सरोगेसी को मान्यता देता है और उस दम्पत्त को भारतीय सरोगेट माता से होने वाले बच्चे/बच्चों को उस देश में सरोगेसी कराने वाले दम्पत्ति के बायोलॉजिकल बच्चे/बच्चों के रूप में प्रवेश करने की अनुमति दी जायेगी।

3. दम्पत्ति इस बात का वचन देंगे कि वे सरोगेसी के माध्यम से हुए बच्चे की देखभाल करेंगे।

4. यह उपचार केवल आईसीएमआर की मान्यता प्राप्त पंजीकृत एआरटी (अस्सिटेट रिप्रोडेक्टिव टेक्नोलॉजी) अनुबंध प्रस्तुत करना होगा।

5. दम्पत्ति को, आवेदक दम्पत्ति और संभावित भारतीय सरोगेट माता के बीच नोटरी द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित अनुबंध प्रस्तुत करना होगा।

तथापि, विदेशी दम्पत्ति को आवेदक दम्पत्ति और संभावित सरोगेट माता के बीच अनुबंध तैयार करने और उसमें निष्पादित करने के लिए पर्यटक वीजा पर रिकॉन्सन्स ट्रिप पर भारत आने की अनुमति दी जा सकती है परन्तु इस प्रकार के आरंभिक दौरे के दौरान किसी भी क्लीनिक को कोई भी नमूना नहीं देना होगा। दिशा-निर्देशों में यह भी उल्लेखित है कि बच्चे/बच्चों को देश से बाहर जाने की अनुमति देने से पूर्व विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी/विदेशी पंजीकरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विदेशी दम्पत्ति के पास, उनके द्वारा विधिवत् रूप से बच्चे/बच्चों की अभिरक्षा लिये जाने और अनुबंध के अनुसार भारतीय सरोगेट माता को सारी देयताओं को पूरी तरह से चुकाने के बारे में संबंधित एआरटी क्लीनिक का प्रमाण-पत्र हो।

(घ) उपलब्ध सचूना के अनुसार, इस संबंध में आईसीएमआर के द्वारा कोई दिशा-निर्देश विशेष जारी नहीं किये गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय डेयरी विकास

3492. श्री पशुपति नाथ सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार को छत्तीसगढ़ की सरकार से राष्ट्रीय डेयरी योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को 100 करोड़ रुपये की धनराशि जारी किए जाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग को राष्ट्रीय डेयरी योजना के अंतर्गत राज्य को 100 करोड़ रुम्पए जारी करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

असम से खरीद

3493. श्री बदरुद्दीन अजमल : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य खाद्यान्न उत्पादक राज्यों की तुलना में असम से चावल सहित खाद्यान्नों की खरीद किए जाने को सरकारी एजेंसियों द्वारा कम प्राथमिकता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार खाद्यान्नों का कुल कितना उत्पादन और खरीद हुई; और

(ग) खरीद में वृद्धि करने और असम में खाद्यान्नों के भंडारण और विपणन की समुचित व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, नहीं। एकसमान खरीद नीति के अनुसार असम सहित देश भर में खाद्यान्नों की खरीद राज्य सरकारों तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान चावल तथा गेहूं के उत्पादन तथा खरीद का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I तथा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) खाद्यान्नों की खरीद को बढ़ाने तथा उनके उचित भंडारण तथा विपणन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

1. सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य असम सहित सभी राज्यों पर लागू है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकार के परामर्श से पर्याप्त संख्या में खरीद केन्द्रों का प्रचालन करता है। असम के मामले में भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2012-13 के दौरान क्रमशः 14 तथा 18 खरीद केन्द्र खोले हैं। निर्दिष्ट खरीद केन्द्रों पर बिक्री के लिए लाया गया समस्त खाद्यान्न, जो निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होता है, सार्वजनिक खरीद एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लिया जाता है।

2. खरीद में कार्य कुशलता को बढ़ाने तथा अधिकतम सीमा तक स्थानीय खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने वर्ष 1997-98 में विकेन्द्रीकृत खरीद स्कीम प्रारंभ की थी तथा राज्य सरकार से इस स्कीम को अपनाने के लिए लगातार अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों से खरीद को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का अनुरोध भी किया गया है:—

(i) राज्य में खरीद अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा एक समर्पित खरीद को नामित किया जाए।

(ii) खरीद प्रचालन शुरू करने के लिए अपने स्वयं के बजट से अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा बैंकों के समूह से उधार लेकर निधियों का प्रावधाना।

(iii) किसानों को अकांउट पेयी चेकों अथवा उनके खाते में सीधे बैंक अंतरण के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य का यथासमय भुगतान करने के लिए कदम उठाए जाएं।

(iv) राज्य के भीतर खरीदे गए धान की मिलिंग करने के लिए मिलिंग क्षमता को बढ़ाया जाए।

(v) विदेश रूप से खाद्यान्नों के मध्यवर्ती भंडारण हेतु भंडारण क्षमता में वृद्धि की जाए।

3. राज्य में 2.80 लाख टन की भंडारण क्षमता उपलब्ध है, जो स्टॉक के भंडारण के लिए पर्याप्त है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान चावल का उत्पादन और खरीद

(लाख टन)

चावल

राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
	उत्पादन	खरीद	उत्पादन	खरीद	उत्पादन	खरीद	2012-13 के लिए उत्पादन लक्ष्य	खरीद**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	105.38	75.40	139.22	96.00	128.88	75.40	132.10	37.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अरुणाचल प्रदेश	2.16						1.50	
असम	43.39	0.08	50.74	0.16	40.09	0.23	42.62	0.07
बिहार	35.09	8.90	32.32	8.63	72.01	15.34	70.50	9.14
छत्तीसगढ़	1.10	33.51	61.5	37.46	60.28	41.15	60.28	47.97
गोवा	1.00						1.22	
गुजरात	12.92	0.00	15.17	0.00	17.64	0.04	14.90	0.00
हरियाणा	38.29	1819	34.72	16.87	3759	20.07	37.00	25.09
हिमाचल प्रदेश	1.06	0.00	1.22	0.00	1.32	0.01	1.19	0.00
जम्मू और कश्मीर	4.97		5.03			0.09	6.08	0.02
झारखंड	15.38	0.23	10.60	0.00	34.18	2.75	32.34	1.14
कर्नाटक	36.91	0.86	38.62	1.80	40.38	356	39.00	0.52
केरल	5.98	2.61	5.53	2.63	5.55	3.72	5.50	0.92
मध्य प्रदेश	12.61	2.14	17.72	5.16	18.36	6.35	17.50	9.00
महाराष्ट्र	21.83	2.20	20.81	3.08	28.06	1.78	27.70	1.70
मणिपुर	3.19						4.00	
मेघालय	2.07						1.94	
मिजोरम	0.44						0.70	
नागालैंड	240					0.00	3.49	0.00
ओडिशा	60.18	24.96	86.69	24.65	58.15	28.64	72.50	25.26
पंजाब	112.36	92.75	108.34	88.35	105.42	77.31	110.00	85.56
राजस्थान	2.28	0.00	2.65	0.00	253	0.00	257	0.00
सिक्किम	0.24						025	
तमिलनाडु	56.65	12.41	61.13	15.43	88.94	15.96	58.50	3.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
त्रिपुरा	8.40						6.80	
उत्तर प्रदेश	108.07	27.26	120.14	25.54	140.25	33.55	133.83	20.72
उत्तराखंड	6.08	3.75	5.43	4.22	5.99	3.78	651	3.81
पश्चिम बंगाल	143.41	12.40	11822	13.00	148.53	20.41	149.02	9.95
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.25						026	
दादरा और नगर हवेली	0.14						028	
दमन और दीव	0.ळ3						0.18	
दिल्ली	0.29					0.00	026	0.00
पुदुचेरी	0.52					0.05	0.52	0.00
अन्य		0.20					0.00	021
अखिल भारत	890.91	320.34	941.04	341.98	1053.10	350.31	1040.00	283.49

*31.12.2012 की स्थिति के अनुसार।

**14.03.2013 की स्थिति के अनुसार।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान गेहूं का उत्पादन और खरीद

(लाख टन)

गेहूं

राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
	उत्पादन	खरीद	उत्पादन	खरीद	उत्पादन	खरीद	उत्पादन	खरीद
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	0.10		0.10					
अरुणाचल प्रदेश	0.05							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
असम	0.64		0.64					
बिहार	45.71	4.96	43.24	1.83	47.87	5.56	51.43	7.72
छत्तीसगढ़	1.22		0.88					
गोवा								
गुजरात	23.52	0.75	37.00	3.67	41.00	1.05	29.34	1.56
हरियाणा	105.00	69.24	108.77	63.35	126.84	69.28	116.64	86.65
हिमाचल प्रदेश	3.27		6.70					
जम्मू और कश्मीर	2.90		4.23					
झारखंड	1.73		1.51					
कर्नाटक	2.51		2.26					
केरल								
मध्य प्रदेश	84.10	19.68	71.19	35.38	105.80	49.65	123.90	84.93
महाराष्ट्र	17.40		22.83		13.13		8.09	
मणिपुर								
मेघालय	0.01							
मिजोरम								
नागालैंड	0.02							
ओडिशा	0.06		0.06					
पंजाब	151.96	107.25	154.66	102.05	172.06	109.58	161.69	128.34
राजस्थान	75.00	11.52	74.06	4.76	93.19	13.03	92.56	19.64
सिक्किम	0.06							
तमिलनाडु								
त्रिपुरा	0.01							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर प्रदेश	275.18	38.82	295.00	16.73	302.93	34.61	303.33	50.63
उत्तराखंड	8.45	1.45	8.35	0.86	8.74	0.42	9.11	1.39
पश्चिम बंगाल	8.46		10.10	0.09	8.84		9	
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह								
दादरा और नगर हवेली	0.01							
दमन और दीव								
दिल्ली	0.93							
पुदुचेरी								
अन्य			1.08					
अखिल भारत	808.02	253.81	842.66	225.14	948.80	283.35	922.89	381.48

[हिन्दी]

सीएपीएफ हेतु कैंटीन सुविधाएं

3494. **श्री राम सिंह कस्वां : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के सेवारत और सेवानिवृत्त कार्मिकों को कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट (सीएसडी) की सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार राजस्थान सहित देश के सभी सीएपीएफ कार्मिकों को सीएसडी सुविधा प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (घ) जी, हां। तद्नुसार सेवारत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों सहित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कार्मिकों को कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट (सीएसडी) की सुविधा प्रदान करने के प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय के साथ विधिवत् विचार किया गया, लेकन सीएसडी के पास सीमित संसाधन एवं अवसंरचना होने के कारण इस पर सहमति नहीं बन सकी।

सेवानिवृत्त सीएपीएफ कार्मिकों और उनके परिवार सहित सीएपीएफ कार्मिकों के लिए सरकार ने सीएसडी की तर्ज पर दिनांक 18.09.2006 को केन्द्रीय पुलिस कैंटीन प्रणाली शुरू की है। आज की तारीख के अनुसार राजस्थान सहित संपूर्ण देश में 126 मास्टर कैंटीनें और 1009 यूनिट सेंट्रल पुलिस कैंटीनें कार्यरत हैं।

[अनुवाद]

स्टाम्प शुल्क प्रभार

3495. **श्री रुद्रमाधव राव : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र (एनसीआर) दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के आवासीय फ्लैटों के बिक्री विलेखों के पंजीकरण हेतु दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और अन्य नगरीय अभिकरणों द्वारा प्रभारित की जा रही स्टाम्प शुल्क की श्रेणी-वार वर्तमान दरें क्या हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में लागू वर्तमान सिविक कानूनों के अधीन पंजीकृत बिक्री विलेखों की अंतर्वस्तु बाध्यकारी और वैध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्दोष क्रेताओं का बिल्डरों और भू-माफिया के हाथों शोषण को रोकने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) सभी तीन दिल्ली नगर निगमों (डीएमसी), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) और दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा कोई स्टाम्प शुल्क प्रभारित नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग) पंजीकृत बिक्री विलेखों की अंतर्वस्तु केवल विक्रेता और क्रेता पर बाध्यकारी है। तथापि, भवन योजना की मंजूरी से संबंधित विशिष्ट मुद्दों के संबंध में इस दस्तावेज को वैध स्वामित्व वाले दस्तावेज के रूप में माना जाता है।

(घ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण के मानक

3492. श्री अशोक कुमार रावत : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी कंपनियों के कार्यकरण की जांच करने के लिए किसी प्राधिकरण की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार किस तरह से खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करवाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) देश में प्रत्येक खाद्य व्यापार संचालक (खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों सहित) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एव विनियमनों का अनुपालन करना पड़ता है।

(ग) और (घ) विभिन्न अधिनियमों एवं आदेशों को समेकित तथा खाद्य पदों के लिए विज्ञान आधारित मानक तैयार करना और खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, प्रसंस्करण, वितरण, बिक्री एवं आयात को विनियमित करने की दृष्टि से ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर खाद्य सुनिश्चित किया जा सके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत; भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की (एफएसएसएआई) स्थापना की गई है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 29 के अनुसान, खाद्य प्राधिकरण एवं राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण इसकी मॉनिटरिंग करके यह सत्यापित करेंगे कि कानून की संगत आवश्यकताओं को खाद्य व्यापार के सभी चरणों में खाद्य व्यापार संचालकों द्वारा पूरा किया जाता है।

[अनुवाद]

मेट्रो स्टेशनों पर हथियारों की बरामदगी

3497. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली में विभिन्न मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों से बरामद किए गए अग्नेयास्त्रों और जिन्दा कारतूसों की संख्या कितनी है और सीआईएसएफ के अधिकारियों द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ख) सरकार द्वारा मेट्रो यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेट्रो स्टेशनों पर और अधिक सीआईएसएफ अधिकारियों की तैनाती हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) विगत तीन वर्षों अर्थात् 2010, 2011, 2012 और चालू वर्ष (28.2.2013 तक) के दौरान विभिन्न मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों से बरामद किए गए आग्नेयास्त्रों और जिन्दा कारतूसों की मात्रा और दर्ज किए गए मामलों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

वर्ष	बरामद की गई मात्रा		दर्ज किए गए मामले
	अग्नेयास्त्र	जिन्दाकारतूस	
2010	2	20	7
2011	7	13	13
2012	9	42	27
2013 (28.02.2013 तक)	2	3	2

(ख) यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेट्रो स्टेशनों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के और अधिक कार्मिकों की तैनाती करने के लिए एक संशोधित प्रस्ताव सचिवों की समिति को भेजा गया है।

कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए पैनल

3498. श्री आर. थामराईसेलवन :
श्री मानिक टैगोर :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सरकारी कंपनियों/निगमों से कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए आवेदन प्राप्त करना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कोयला ब्लॉकों के आवंटन हेतु सरकार द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने बोली लगाने वालों को कोयला ब्लॉकों के आवंटन के संबंध में निर्णय लेने के लिए एक पैनल गठित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कोयला ब्लॉकों के कब तक आवंटित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) "प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा कोयला खानों की नीलामी नियमावली, 2012" के नियम 4(3) के अंतर्गत सरकारी कंपनियों/निगमों को आबंटन के लिए 17 कोयला ब्लॉकों (विद्युत के लिए 14 कोयला ब्लॉक तथा खनन के लिए 3 कोयला ब्लॉक) के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले दिनांक 31.12.2012 (एनआईए) के नोटिस के प्रत्युत्तर में कोयला मंत्रालय को कुल 318 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने "प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा कोयला खानों की नीलामी नियमावली, 2012" 2 फरवरी, 2012 तथा खनन और विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयेाग के प्रयोजन से कोयलाधारी क्षेत्र के आबंटन की शर्तों सहित कोयला ब्लॉकों के आबंटन के संबंध में "कोयला खान (संशोधन) नियमावली, 2012 की प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी" 27 दिसम्बर, 2012 को अधिसूचित की है। एक अंतर मंत्रालयी समिति (आईएमसी) सचिव, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए पूर्व निर्धारित मूल्यांकन मानदंड के आधार पर सरकारी कंपनियों/निगमों से प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के लिए 17.12.2012 को गठित की गई है। आईएमसी में कोयला मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, विद्युत मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, योजना आयोग, कोल इंडिया लि., सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि. तथा कोयला नियंत्रक सदस्य होते हैं। आवेदनों को मूल्यांकन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

टैक्सी/ऑटो चालकों द्वारा अधिक किराया वसूला जाना

3499. श्री गोरखनाथ पाण्डेय : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली में टैक्सी और तिपहिया वाहन चालकों द्वारा मीटर बिल से अधिक किराया वसूले जाने और यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए मना करने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कुल कितने मामलों की रिपोर्ट मिली हैं तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान, विशेष रूप से नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर, वाहन चालकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग में दिनांक 01.01.2010 से 28.03.2013 तक तीन सीट वाले रिक्शा (टीएसआर) और टैक्सी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

(1) **टीएसआर:**

(i)	जाने से मना करना	–	24034
(ii)	अधिक प्रभार लेना	–	14477

(2) **टैक्सी:**

(i)	जाने से मना करना	–	196
(ii)	अधिक प्रभार लेना	–	01

उपर्युक्त शिकायतों पर, परिवहन विभाग ने मीटर वाहन अधिनियम, 1988 और इसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की है।

(ग) परिवहन विभाग का प्रवर्तन स्कंध, टीएसआर/टैक्सी द्वारा सड़क पर जाने से मना करने/अधिक प्रभार लेने के विरुद्ध और लिखित शिकायत मिलने पर अथवा माननीय मुख्य मंत्री की हेल्पलाइन (आप की सुनवाई)ख माननीय उप-राज्यपाल और परिवहन विभाग के माध्यम से प्राप्त शिकायत पर नियमित रूप से कार्रवाई करता है।

निजी/सरकारी सहायता के बिना चलने वाली संस्थाओं में आरक्षण

3500. श्री मुरारी लाल सिंह :
श्रीमती श्रुति चौधरी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** निजी संस्थानों में आरक्षण के बारे में 26.03.2012 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1852 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी या सरकारी सहायता के बिना चलने वाली संस्थाओं में अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) को आरक्षण दिलाने वाले विधान के अधिनियमन से संबंधित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त सूचना के कब तक एकत्रित किए जाने और सभा पटल पर रखे जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) से (घ) उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, निजी गैर-सहायताप्राप्त संस्थानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधायी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। तथापि, कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि इस मामले में विस्तृत परामर्श और इस पर आम राय बनाना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

नैफेड का पुनर्गठन

3501. श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैफेड ने सरकार को वित्तीय पुनर्गठन संबंधी कोई प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों की मौजूदा स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) नैफेड ने 1200 करोड़ रु. की सरकारी गारंटी पर विचार करते हुए सरकार के पास पहले ही एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया था ताकि नैफेड को 9 वर्ष की अवधि में 920.21 करोड़ रु. अतिदेय और ब्याज मुक्त अग्रिम/इक्विटी को चुकाने के लिए दीर्घावधिक ऋण लेने में समर्थ बनाया जा सकें। तत्पश्चात् नैफेड ने 450 करोड़ रु. की सरकारी गारंटी और 590 करोड़ रु. के ब्याज मुक्त अग्रिम/इक्विटी की परिकल्पना करते हुए एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव का अनुमोदन संसाधनों की उपलब्धता और पणधारियों की सहमति पर निर्भर है।

भारत-पाक सीमा पर खम्भे

3502. **श्री राजेन्द्र अग्रवाल :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर रज्य की भारत-पाक सीमा पर कितने खंभे लगाए गए हैं;

(ख) क्या इन खंभों को बार-बार हटाए जाने की खबर मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) सरकार ने भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर राज्य में भारत-पाकिस्तान सीमा पर खम्भे में नहीं लगाए हैं। विभाजन से सीमा पर जमीन पर लगाए गए खम्भे विभिन्न आकार और माप के हैं। कुल 986 खम्भे जम्मू-सियालकोट सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को निर्धारित करते हैं। इनमें से 112 सीमा खम्भे काफी पुराने हो जाने तथा नदियों/छोटी नदियों के बहाव में परिवर्तन होने के कारण गायब हो गए हैं।

(ख) और (ग) कुछ सीमा खम्भे, जिन्हें पाकिस्तान रेंजरों द्वारा बुर्जी और मार्कर कहकर बुलाया जाता है, पाकिस्तानियों द्वारा हटाए गए हैं और इन सीमा खम्बों की संख्या 8, 9, 12, 18 और 538 है।

(घ) वर्तमान में यथास्थिति बनाए रखी गई है। सीमा सुरक्षा बल नियमित अंतरालों के बाद इन सीमा खम्भों की वास्तविक रूप से जांच करता है। तथापि, सीमा खम्भों से संबंधित कोई विवाद होने के मामले में फ्लैग मीटिंगों ओर महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल और महानिदेशक, पाकिस्तान रेंजर के बीच होने वाली अर्ध-वार्षिक बैठकों में इस पर गहरा विरोध नोट दर्ज कराया जाता है।

राष्ट्रीय घुमंतू अनधिसूचित, खानाबदोष और अर्ध-खानाबदोष जनजाति आयोग

3503. **श्री शेर सिंह घुबाया :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय विमुक्त, अर्ध-विमुक्त और घुमंतू जनजातीय आयोग के गठन और कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो इसमें कौन-कौन सी मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) राष्ट्रीय विमुक्त, घुमन्तू तथा अर्ध-घुमन्तू जनजाति आयोग (एनसीडीएनटी) की संरचना निम्नानुसार है:—

(i)	श्री बालकृष्ण सिदराम रेणके	—	अध्यक्ष
(ii)	श्री लक्ष्मीबाई के. पटनी	—	सदस्य
(iii)	श्री लक्ष्मी चंद	—	सदस्य सचिव

एनसीडीएनटी के विचारणीय विषय निम्नवत् थे:—

- परिसंपत्ति सृजन तथा स्व-रोजगार अवसरों के माध्यम से विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध-घुमन्तू "जनजातियों" के जीवन-स्तर को बेहतन बनाने के एिल अपेक्षित आर्थिक हस्तक्षेप विनिर्दिष्ट करना;
- इन समूहों की विशिष्ट अपेक्षाओं के मद्देनजर इन्हें आर्थिक विकासात्मक पैकेज प्रदान करने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास के लिए स्थापित मौजूदा चैनेलीकरण एजेंसियों का उपयोग करने हेतु उपायों की अनुशंसा करना;
- उनकी शिक्षा, विकास तथा स्वास्थ्य हेतु अपेक्षित कार्यक्रमों की पहचान करना; तथा
- अन्य संबद्ध या प्रासांनिक सिफारिश, जो आयोग आवश्यक समझे, करना।

(ख) से (घ) एनसीडीएनटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जो सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता संरक्षण परिषद्

3504. **श्री भूपेन्द्र सिंह :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदों (डीसीपीसी) और उपभोक्ता क्लबों की स्थापना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है;

(ख) क्या डीसीपीसी और क्लबों की स्थापना करने की जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम दर्शाते हुए जहां अभी तक डीसीपीसी और क्लबों की स्थापना नहीं हुई है, इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इनकी कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है और इन राज्यों में वर्तमान में किस प्रकार इनके उद्देश्य प्राप्त किए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) प्रत्येक जिला उपभोक्त संरक्षण परिषद् का उद्देश्य जिले के भीतर उपभोक्ताओं के निम्नलिखित अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण करना है:—

(1) ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के विपणन के खिलाफ संरक्षण पाने का अधिकार जो जान ओर माल के लिए खतरनाक हो;

(2) वस्तुओं अथवा सेवाओं, जैसा कि मामला हो की गुणवत्ता, मात्रा, दक्षता, शुद्धता मानक और मूल्यों के बारे में सूचना पाने का अधिकार ताकि उपभोक्ता को अनुचित व्यवहारों से बचाया जा सके;

(3) जहां संभव हो, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर प्राप्ति के लिए आश्वासन पाना;

(4) सुने जाने तथा उस बात के लिए आश्वस्त किए जाने का अधिकार की उपभोक्ता हितों पर उपयुक्त मंचों पर समुचित विचार किया जाएगा;

(5) अनुचित व्यापार व्यवहारों अथवा निवारक व्यापार व्यवहारों या उपभोक्ताओं का बेईमानी से शोषण किए जाने के खिलाफ प्रतितोष पाए जाने का अधिकार; और

(6) उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार।

उपभोक्ता क्लबों की स्थापना का ध्येय और उद्देश्य बच्चों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में यथा वर्णित उपभोक्ता अधिकारों के बारे में शिक्षित करना; युवाओं के मस्तिष्क में उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण की भावना पैदा करके उन्हें प्रेरित करना; अपने अधिकारों के बारे में उपभोक्ताओं को उनकी भूमिका के बारे में जानकारी देना और देश में उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत बनाना है।

(ख) जी, हां।

(ग) अब तक 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने यहां जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद्ों की स्थापना कर ली है। 16 राज्यों (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, असम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश) ने अब तक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद्ों की स्थापना नहीं की है।

अब तक 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने यहां उपभोक्ता क्लबों की स्थापना कर ली है। 12 राज्यों (असम, बिहार, दिल्ली, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव) ने अभी तक उपभोक्ता क्लबों की स्थापना नहीं की है।

(घ) शेष राज्यों के लिए उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदों और उपभोक्ता क्लबों की स्थापना के लिए कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की गई है।

बाट और माप अधिनियम

3505. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बाट और माप अधिनियम के उल्लंघन के बारे में प्राप्त शिकायतों की राज्य-वार संख्या और प्रकृति क्या;

(ख) क्या डिब्बाबंद उत्पादों के नमूनों की जांच करने के लिए तीसरे पक्ष और उपभोक्ताओं को अधिकार देने का कोई प्रस्ताव है ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार बाट और माप के संबंध में कोई नया व्यापक अधिनियम बनाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बाट तथा माप अधिनियम, के उल्लंघन के बारे में प्राप्त शिकायतों की राज्य-वार संख्या संलग्न विरण में दी गई है। बाट तथा माप अधीनियम के उल्लंघन के बारे में प्राप्त शिकायतों की प्रकृति गैर-सत्यापित बाटों और मापों का प्रयोग, कम तोला जाना, पैकेज में रखी वस्तुओं पर सांविधिक घोषणा न किए जाना, पैकेजों में कम माल भरा जान पैकेजों पर मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य वसूल किया जाना, अधिकतम खुदरा मूल्य तथा अन्य घोषणाओं को धुमिल किया जाना, बाट तथा माप के लाइसेंसधारकों के खिलाफ शिकायतें, ऑटों और टैक्सी के खराब मीटरों, सत्यापन प्रमाण-पत्र को प्रदर्शित न किए जाने, बिना स्टाम्पिक बाटों के प्रयोग, अधिकतम खुदरा मूल्य के दोहरे स्टीकर लगाए जाने, गैर-मानक बाटों तथा मापों के प्रयोग, गैर-मानक पैकेजों की बिक्री, दस्तावेजों को प्रस्तुत न किए जाने, पैकरों/आयातकत्ताओं का पंजीकरण न किया जाना, सिलों की जालसाजी, बिना लाइसेंस के बाटों और मापों की मरम्मत, बिक्री करने तथा एलपीजी सिलेंडरों में कम मात्रा से संबंधित थी।

(ख) से (ङ) जी, नहीं। सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

विवरण

बाट एवं माप अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त शिकायतें

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त हुई शिकायतें/दर्ज किए गए मामले			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	कर्नाटक		30,842	32,043	16531 (जनवरी, 2013 तक)
2.	राजस्थान	3017	3097	2.804	2901 (फरवरी, 2013 तक)
3.	उत्तर प्रदेश		65,995	29,607	28,151 (31.1.2013 तक)
4.	गोवा	18	14	18	7 (1.3.2013 की स्थिति के अनुसार)
5.	ओडिशा		6.601	6,634	4,455 (जनवरी, 2013 तक)
6.	आंध्र प्रदेश	1,25,412 (2010 से जनवरी, 2013 तक)			
7.	महाराष्ट्र		473	453	361 (फरवरी, 2013 की स्थिति के अनुसार)
8.	दिल्ली	109	197	270	46
9.	पश्चिम बंगाल	15-17 (लगभग)	15-17 (लगभग)	15-17 (लगभग)	—
10.	मेघालय	7	6	2	शून्य

1	2	3	4	5	6
11.	मध्य प्रदेश	5	9	15	2 (मार्च, 2013 तक
12.	जम्मू और कश्मीर		6639	7747	5891 (1.1.13 तक)
13.	असम		406	454	372 (31.1.2013 तक)
14.	छत्तीसगढ़	2253	1819	288	339 (फरवरी, 2013 तक)
15.	केरल	33453 (2010 से जनवरी, 2013 तक)			
16.	पंजाब	55447 (फरवरी, 2013 तक)			
17.	हरियाणा	2145	1269	977	52 (1.1.13 से फरवरी, 2013 तक)
18.	पुदुचेरी		38	90	38 (1.3.2013 के स्थिति के अनुसार)
19.	बिहार	21689 (2010 से जनवरी, 2013 तक)			
20.	हिमाचल प्रदेश	2924 (1.4.2010 से 31.1.2013 तक)			
21.	त्रिपुरा	1326 (1.1.2010 से 31.1.2013 तक)			
22.	गुजरात	1043	2076	2295	390 (फरवरी, 2013 तक)
23.	चंडीगढ़	97 (28.2.2013 तक)			
24.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		140	89	28 (फरवरी, 2013 तक)
25.	तमिलनाडु		34,586	11,565	11,095 (31.1.2013 तक)
26.	झारखंड		2572	798	107 (फरवरी, 2013 तक)
27.	लक्षद्वीप				

खाद्यान्नों का अतिरिक्त भंडार

3506. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 2013 की समाप्ति तक सरकारी गोदामों में कितनी मात्रा में गेहूं और चावल के अतिरिक्त/अधिशेष भंडारण किये जाने का अनुमान है;

(ख) क्या अतिरिक्त खाद्यान्नों के उक्त भंडारण के परिणामस्वरूप सरकार का भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2013-14 के दौरान सरकार द्वारा कितना अतिरिक्त वित्तीय भार वाहन किया जाएगा;

(घ) खाद्यान्नों के इतने अधिक मात्रा में भंडारण किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में लागत कम करने के लिए इस स्थिति से निपटने और अधिक भंडारण के परिसमापन हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) खरीद प्रचालन के कारण दिनांक 01.04.2013 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में गेहूं और चावल की अनुमानित मात्रा का ब्यौरा निम्नवत् है:—

चावल	366-69 लाख टन
गेहूं	246-03 लाख टन

(ख) से (ङ) मौजूदा खरीद नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों/राज्य एजेंसियों के माध्यम से धान, गेहूं और मोटे अनाज के लिए मूल्य समर्थन प्रदान करती है। विशिष्ट खरीद केन्द्रों पर किसानों द्वारा बिक्री हेतु लाया गया समस्त खाद्यान्न, जो निर्धारित विर्निदिष्टयों के अनुरूप होता है, केन्द्रीय पूल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद एजेंसियों द्वारा खरीद लिया जाता है।

[अनुवाद]

क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु अधिकरण

3507. श्री रामसिंह राठवा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अग्नि और अन्य मानवनिर्मित आपदाओं के पीड़ितों के परिवारों को क्षतिपूर्ति के समय पर भुगतान कराने हेतु देश के सभी 640 जिलों में विशेष अभिकरणों के सृजन हेतु एक नई विधि बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे क्षतिपूर्ति के निर्णय लेने वाले प्रत्येक अधिकरण की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश द्वारा की जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अधिकरणों की देश में कब तक स्थापना की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

डीएमएस बूथों पर अनियमितताएं

3508. श्री यशवंत लागुरी :
डॉ. संजय सिंह :
श्री रतन सिंह :
श्री एस. अलागिरी :
श्रीमती ऊषा वर्मा :
श्री महेश्वर हजारी :
श्री हर्ष वर्धन :
श्रीमती सुशीला सरोज :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि दिल्ली में डीएमएस बूथों पर निषेधित वस्तुएं/अन्य वस्तुएं बेची जा रही हैं और प्रचालक दूध और दुग्ध उत्पादों के स्थान पर अन्य उत्पादों को बेचना ज्यादा पसंद करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सच है कि डीएमएस के प्रचालकों द्वारा वर्ष-दर-वर्ष शर्तों का उल्लंघन करने के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार दिल्ली दुग्ध योजना (डीएमएस) का निजीकरण करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) निषिद्ध वस्तुएं दिल्ली दुग्ध योजना के बूथों पर नहीं बेची जा रही हैं। दिल्ली दुग्ध योजना के बूथों में दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के आलवा बेकरी और नाश्ते से संबंधित वस्तुएं बेचने की अनुमति दी जाती है। दिल्ली दुग्ध योजना के बूथों पर बिक्री के लिए निर्धारित शर्तों के अनुपालन के संबंध में दिल्ली दुग्ध योजना

के नामित अधिकारियों द्वारा फील्ड दौरों के माध्यम से जांच, पर्यवेक्षण और मॉनीटरिंग की जाती है ताकि यदि कोई उल्लंघन हुआ हो तो उसकी जांच की जा सके।

(ग) और (घ) उन 23 मामलों में ग्राहता रद्द कर दी गई है जिनमें उल्लंघन पाया गया था।

(ङ) सरकार दिल्ली दुग्ध योजना का निजीकरण करने के संबंध में विचार नहीं कर रही है।

(च) उपर्युक्त (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अकाल की स्थिति में सहायता

3509. **श्री हंसराज गं. अहीर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में अकाल की स्थिति से प्रभावित राज्यों को राहत प्रदान करने के लिए किसी उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राहत प्रदान करने के लिए उक्त समिति की कार्यप्रणाली और विनियमन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने विभिन्न राज्यों में अकाल की स्थिति की जांच और अध्ययन करने के लिए किसी जांच समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा किये गये अध्ययन और की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ङ) भारत सरकार के पास प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राज्यों को राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से केन्द्रीय सहायता अनुमोदन के लिए उच्च स्तरीय समिति है। केन्द्रीय कृषि मंत्री, केन्द्रीय गृह मंत्री, केन्द्रीय वित्त मंत्री और उपाध्यक्ष, योजना आयोग एचएलसी के सदस्य होते हैं।

एनडीआरएफ से केन्द्रीय सहायता का अनुमोदन अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की सिफारिशों पर आधारित होता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अंतर मंत्रालयी केन्द्रीय दल (आईएमसीटी) जो प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में क्षतियों/हानियों के मूल्यांकन के लिए राज्यों का दौरा करता है, की रिपोर्ट पर विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

प्रसार भारती में एससी/एसटी/ओबीसी हेतु आरक्षण

3510. **श्री पन्ना लाल पुनिया** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन (डीडी) और आकाशवाणी (एआईआर) के ग्रुप ए, बी, सी के सभी कैडरों में आरक्षण रोस्टर/नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पद भरे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में इन श्रेणियों में संस्वीकृत पदों और रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सभी ग्रेडों में श्रेणी-वार ऐसे कितने पद भरे गए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान सभी ग्रुपों के सभी कैडरों में पदोन्नति तथा सीधी भर्ती में बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए क्या कार्रवाई की गई/कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार/प्रसार भारती द्वारा डीडी और एआईआर में ऐसे आरक्षित पदों के बैकलॉग खाली पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाया गया है/उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोयले के परिवहन हेतु रेल लाइन

3511. **श्री इन्दर सिंह नामधारी** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड में पीपरवार कोयला खदान और मकलुस्किगंज रेलवे स्टेशन के बीच रेल पटरी के छोटी लंबाई की कमी के कारण कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को सड़क द्वारा कोयले का परिवहन करने में बहुत खर्च करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि झारखंड में पीपरवार कोयला खदान में मकलुस्किगंज रेलवे स्टेशन के मध्य रेल लाइन के निर्माण संबंधी परियोजनाओं पिछले दो दशकों से पूरी नहीं हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस खंड में रेल लाइन का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठा रही है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) पूर्व ठेकेदार मैसर्स इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (इरकॉन) द्वारा टुकड़ों में किये गए अधूरे कार्य के कारण पीपरवार परियोजना स्थल पर परिकल्पित रेलवे साइडिंग का निर्माण पूरा होने में विलम्ब के कारण, परियोजना से कोयले की ढुलाई सड़म मार्ग से पीपरवार क्षेत्र के दो अन्य दूरस्थ रेलवे साइडिंग अर्थात् बाचरा और रेगुलेटिंग कोल माइंस (आरसीएस) साइडिंग तक ले जाना पड़ा।

(ग) पीपरवार में प्रस्तावित रेलवे साइडिंग पूर्व-मध्य रेलवे के मकलुस्किगंज रेलवे स्टेशन के प्रस्थान स्थल से पीपरवार कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी)/कोल प्रीपेयरेशन प्लांट (सीपीपी) के लोडिंग प्वाइंट तक लगभग 30 कि.मी. की दूरी है।

शुरू में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) द्वारा मैसर्स इरकॉन लिमिटेड जो कि भारतीय रेल का निर्माण विभाग है, को 1990 तथा 1995 में दो चरणों में टर्न-की आधार पर सौंपा गया था। उग्रवादी गतिविधियों एवं बार-बार कानून व्यवस्था में व्यवधान के कारण मैसर्स इरकॉन लिमिटेड ने फोर्स मेज्यूर क्लॉज के अंतर्गत जुलाई, 2002 में कार्य छोड़ दिया था।

(घ) सीसीएल ने तत्पश्चात् डिपॉजिट टर्म आधार पर नवम्बर, 2007 में मैसर्स रेल इंडिया टेक्नीकल एंड ईकॉनामिक सर्विसेज लिमिटेड (आरआईटीईएसएल), भारतीय रेल की एक सहायक कंपनी को कार्य सौंपा है। अब यह अपेक्षा की जाती है कि कार्य 2013 की समाप्ति तक पूरा हो जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि और अधिक समय बर्बाद न हो, मामले पर नियमित रूप से राज्य प्रशासन और रेल मंत्रालय के साथ कार्रवाई की जा रही है।

कीटनाशकों के प्रभाव

3512. डॉ. एम. तम्बिदुरई : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में कीटनाशकों के सतत् प्रयोग के कारण किसानों के खराब स्वास्थ्य की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) किसानों के स्वास्थ्य पर कीटनाशकों के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) नाशीजीवमार जहरीले होते हैं और कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अंतर्गत गठित पंजीकरण समिति द्वारा अनुमोदित शर्तों के अनुसार उपयोग किया जाना अपेक्षित है। यदि लेबल व लीफलैंट पर मुद्रित निर्धारित तरीके से इनका उपयोग किया जाता है, नाशीजीवमार मानव जाति, पशुधन और कृषि में फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते। काजू बागानों में एंडोसल्फान के हवाई छिड़काव के कारण अभिकथित रूप से केरल के कासरगोड जिले और कर्नाटक के दक्षिण कन्नड जिले से राज्य ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की सूचना मिली है। भारतीय लोकतांत्रिक युवा संघ द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर (भारत संघ सरकार व अन्य के विरुद्ध 2011 की सिविल संख्या 2013) रिट याचिका में दिनांक 13.5.2011 के अस्थायी आदेश के माध्यम से भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक भारत में एंडोसल्फान के उत्पादन, उपयोग व बिक्री पर रोग लगा दी है। मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

(ग) केन्द्रीय व राज्य सरकारें नाशीजीवमारों के सुरक्षित व न्यायसंगत उपयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है ताकि सिकानों को नाशीजीवमारों के दुरुपयोग के प्रतिकूल प्रभावों के विषय में किसानों को शिक्षित किया जा सके व जागरुकता सृजित की जा सकें। केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम 'भार में नाशीजीव प्रबंधन दृष्टिकोण के सुदृढ़ीकरण व आधुनिकीकरण' के माध्यम से सरकार समेकित नाशीजीव प्रबंधन (आइपीएम) को लोकप्रिय बना रही है ताकि नाशीजीव नियंत्रण के कृषि, यांत्रिकी, जीवविज्ञानीय व अन्य तरीकों और नाशीजीवमारों के सुरक्षित व न्यायसंगत उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके। सरकार

जैव-नाशीजीवमारों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है और यह इनका पंजीकरण/अस्थायी पंजीकरण सरल दिशा-निर्देशों के आधार पर करती है।

कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अंतर्गत गठित पंजीकरण समिति वैज्ञानिक आंकड़ों के 'समग्र मूल्यांकन और प्रार्थी द्वारा पंजीकरण के लिए प्रस्तुत की गई सूचना के बाद देश में सुरक्षित व प्रभावी नाशीजीवमारों का पंजीकरण करती है। नाशीजीवमारों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और देश में केवल उन नाशीजीवमारों के उपयोग की अनुमति है जो तकनीकी मूल्यांकन के बाद सुरक्षित पाए जाते हैं।

एनएफएस विधेयक में भोजन की परिभाषा

3513. श्री सुरेश कलमाडी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक (एनएफएसबी) में भोजन की परिभाषा क्या है;

(ख) क्या मानव संसाधन विाकस मंत्रालय ने एनएफएसबी में 'खाने के लिए तैयार भोजन और पोषणयुक्त खाद्य की परिभाषा पर यह कहते हुए आपत्ति की है कि यह केवल गर्भवती महिलाओं, आंगनवाड़ी के बच्चों, स्कूली बच्चों, बेघर और आपदा प्रभावित लोगों के लिए "पकाया हुआ गर्म भोजन" होगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सम्पूर्ण देश में उपर्युक्त वर्गों को विशेषरूप से विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लाभार्थियों को परोसे जाने वाले अंतिम रूप से निर्णय लिए गए खाद्य के पोषक मानकों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) लोक सभा में दिनांक 22.12.2011 को पुरःस्थापित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 (एनएफएसबी) में दी गई परिभाषा के अनुसार "भोजन" से तात्पर्य गर्म पके भोजन अथवा खाने के लिए तैयार भोजन अथवा घर ले जाने वाले राशन से है, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग) ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के प्रारुप पर अपनी टिप्पणियों में यह उल्लेख किया था कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों (2004) के अनुसार उनका विभाग अपनी मध्याह्न भोजन स्कीम के अंतर्गत केवल पकाया गया भोजन उपलब्ध कराता है। तद्नुसार, लोअर और अपर प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों के लिए एनएफएसबी की अनुसूची-2 में निर्धारित भोजन का प्रकार "गर्म पका भोजन" है।

(घ) एनएफएसबी संलग्न विवरण की अनुसूची-2 में बच्चों और गर्भवर्ती महिलाओं तथा दूध पिलाने वाली माताओं के लिए पौषणिक मानकों का निर्धारण किया गया है, इनकी पूर्ति "घर ले जाने वाले राशन" अथवा "गर्म पका भोजन" उपलब्ध कराकर की जाती है। इसकी एक प्रति संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 20141 की अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट पौषणिक मानक

पौषणिक मानकः स्वीकृत बाल विकास सेवा स्कीम और मध्याह्न भोजन स्कीम के अंतर्गत लोअर और अपर प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों के लिए पौषणिक मानकों के अनुरुप "घर ले जाने वाले राशन"[1] अथवा पौष्टिक गर्म पका भोजन अथवा खाने के लिए तैयार भोजन उपलब्ध कराकर 6 माह से 3 वर्ष तक के आयुवर्ग, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के आयुवर्ग के बच्चों और गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं के पूरे किए जाने वाले अपेक्षित पौषणिक मानक निम्न प्रकार हैं:—

क्र. सं.	श्रेणी	भोजन का प्रकार[2]	कैलोरी (किलो कैलोरी)	प्रोटीन (ग्राम)
1	2	3	4	5
1.	बच्चे (6 माह से 3 वर्ष)	घर ले जाने वाला राशन	500	12-15
2.	बच्चे (3 वर्ष से 6 वर्ष)	सुबह का नाश्ता तथा पका हुआ गर्म भोजन	500	12-15

1	2	3	4	5
3.	बच्चे (6 माह से 6 वर्ष) जो केपोषित है	घर ले जाने वाला राशन	800	20-25
4.	लोअर प्राइमरी कक्षाएं	पका हुआ गर्म भोजन	450	12
5.	अपर प्राइमरी कक्षाएं	पका हुआ गर्भ भोजन	700	20
6.	गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताएं	घर ले जाने वाला राशन	600	18-20

नोट: 1. — 50% अनुशंसित आहार भत्ता के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध अधिक ऊर्जादायक भोजन।

नोट: 2. — प्रचलित खाद्य नियमों के अनुरूप भोजन तैयार किए जाए।

ध्यानाकर्षण: कैलोरी गणना, प्रोटीन मात्रा और विनिर्दिष्ट सूक्ष्म पोषक तत्वों को शामिल कर संतुलित आहार और पौष्टिक खाद्य उपलब्ध कराने के लिए पौषणिक मानक निर्धारित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

आयात में अनियमितताएं

3514. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील :
श्री बलीराम जाधव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि संबंधी अनुसंधान हेतु मशीन, उपकरण और रसायनों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्तु-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त आयातों में सरकार की जानकारी में कतिपय अनियमितताएं आई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

डीटीएच सेवा में प्रसारण हेतु समझौता

3515. डॉ. संजय सिंह :
श्री रतन सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लाइसेंस प्रदाता के साथ डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवा में प्रसारण तथा निगमन हेतु कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या उक्त समझौता लाइसेंस प्रदाता को लाभ प्रदान करता है तथा सरकार को राजस्व की हानि होती है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (ङ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डीटीएच दिशा-निर्देशों के अंतर्गत भारत में डीटीएच सेवाएं मुहैया कराने के लिए छह प्राइवेट डायरेक्ट-टु होम (डीटीएच) ऑपरेटरों को लाइसेंस प्रदान किए हैं। इन ऑपरेटरों के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए गए

हैं। करार की मुख्य विशेषताएं डीटीएच दिशा-निर्देशों में शामिल हैं और वे मंत्रालचय की वेबसाइट *www.mib.nic.in* पर उपलब्ध हैं। डीटीएच दिशा-निर्देशों के खंड 3.1 के अनुसार, लाइसेंस धारक के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रारंभिक अप्रतिदेय प्रवेश शुल्क तथा प्रत्येक वित्त वर्ष में उसके सकल राजस्व के 10 प्रतिशत भाग के समकक्ष वार्षिक शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होता है। गत चार वर्षों के दौरान प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटरों से सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व की राशि निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए)

छह डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा अदा किया गया एकबारगी प्रवेश शुल्क	डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा अदा किया गया			
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
60.00	89.30	126.20	177.80	307.80

[अनुवाद]

ईईजेड में पोत प्रचालन

3516. **श्री प्रहलाद जोशी :**
श्री कालीकेश नारायण सिंह देव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुज्ञा-पत्र (एल.ओ.पी.) योजना के तहत भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में कितने पोत प्रचालन कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि उक्त योजना का लाभ उठाकर विदेशी पोत भारत आकार फर्जी पंजीकरण दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं तथा शेल कंपनियों के आवरण में भारतीय समुद्री क्षेत्र में मत्स्याखेट करते हुए वहीं से अपने माल को निर्यात करते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार से इन अनियमितताओं की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उत्तरदायी पार्टियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है तथा विगत पांच वर्षों के दौरान कुल कितने मूल्य की मछलियां पकड़ी गईं;

(ङ) क्या सरकार ने डब्ल्यूटीओ के साथ इस मुद्दे को उठाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) क्या सरकार ने गैर-कानूनी मत्स्यन की घटना से निपटने के लिए प्रयास किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) से (घ) यह विभाग भारतीय विशिष्ट आर्थिक जोन (ईईजैड) में संसाधन विशिष्ट गहरा समुद्र मत्स्यन जलयानों के अधिग्रहण और प्रचालन के लिए इस संबंध में निर्धारित मार्ग-निर्देशों के अनुसार भारतीय उद्यमियों को अनुज्ञा-पत्र जारी करता है। आज की तारीख तक, 27 कंपनियों/फर्मों के पास 91 गहरा समुद्र मत्स्यन जलयान के वैध अनुज्ञा-पत्र हैं। प्रचालन में गहरा समुद्र मत्स्यन जलयानों की संख्या समय-समय पर भिन्न-भिन्न होती है। समुद्री मात्स्यिकी संबंधी अंतर-मंत्रालयीय शक्तिप्राप्त समिति (ईसी) प्रस्तावों पर विचार और उनकी समीक्षा करती है और केवल पात्र भारतीय उद्यमियों को अनुज्ञा-पत्र जारी करने की सिफारिश करती है। समुद्री मात्स्यिकी संबंधी अंतर-मंत्रालयीय शक्तिप्राप्त समिति, जिसमें गृह मंत्रालय, जहाजरानी महानिदेशालय, जहाजरानी मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारतीय रिजर्व बैंक, रक्षा मंत्रालय, तट रक्षक, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण आदि के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल हैं, अन्य बातों के साथ-साथ, उनके ध्यान में लाई गई अनियमितताओं, यदि कोई हों, पर विचार करती है और अनुज्ञा-पत्र के निलम्बन या रद्द करने सहित उपुयक्त उपायों की सिफारिश करती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में निर्धारित मानदंडों के अनुसार मध्य समुद्र में मछली कैच की टांसशिपमेंट अनुमेय है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) भारतीय तट रक्षक विशिष्ट आर्थिक जोन में अवैध मत्स्यन

को रोकने के लिए मॉनीटरिंग, नियंत्रण और निगरानी (एमसीएस) उपाय करता है। यदि विदेशी जलयान भारतीय जल में अवैध रूप से मत्स्यन करते हुए पाए जाते हैं तो वे तट रक्षकों द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं और उन्हें भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) अधिनियम, 1981 के उपबंध के अधीन दंड दिया जाता है।

कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

3517. श्री भक्त चरण दास : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास चालू मौसम के दौरान किसानों को कृषि उत्पादों की खरीद के दौरान प्राप्त न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के संबंध में आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा की गई कमुल खरीद का ओडिशा सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में किसानों को एमएसपी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) ओडिशा सहित राज्यों में नामित केंद्रीय, राज्य एवं सहकारी एजेंसियों द्वारा 2012-13 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर किए गए चावल एवं गेहूं के प्रापण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) यह सुनिश्चित करने के एिल कि किसान अपने उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करे, राज्य सरकारों के परामर्श से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्रों का संचालन करता है। राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे उन स्वहायता प्राप्त समूहों (एसएचजी)/समितियों आदि को कार्यरत करें जिनकी उच्चतर स्तरों के प्रापण को प्राप्त करने के लिए प्रापण क्षेत्रों में बेहत पहुंच हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों का लाभ किसानों को मिल सके, भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय एककों को निर्देश दिया गया है कि वे जहां कहीं भी संभव हो, एकाउंट पेई चेकों/इलेक्ट्रॉनिक मोड के मायम से राशि का भुगतान करे। न्यूनतम समर्थन मूल्यों के संबंध में जागृति का प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से, पम्पलेटों, बैनरों, साइनबोर्डों एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य, गुणवत्ता विशिष्टताओं, खरीद पद्धति आदि के बारे में विस्तृत प्रचार-प्रसार किया जाता है।

विवरण

गेहूं एवं चावल का प्रापण

(लाख टन)

राज्य	गेहूं का प्रापण 2012-13	चावल का प्रापण 2012-13 (14.03.2013 के अनुसार)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	—	37.69
असम	—	0.07
बिहार	7.72	9.14
छत्तीसगढ़	—	47.97
गुजरात	1.56	—
हरियाणा	86.65	25.99
जम्मू और कश्मीर	—	0.02
झारखंड	—	1.14
कर्नाटक	—	0.53
केरल	—	0.92
मध्य प्रदेश	84.93	9.01
महाराष्ट्र	—	1.70
नागालैंड	—	—
ओडिशा	—	25.27
पंजाब	128.34	85.57
राजस्थान	19.64	—
तमिलनाडु	—	3.82

1	2	3
उत्तर प्रदेश	50.63	20.73
उत्तराखंड	1.39	3.81
पश्चिम बंगाल	—	9.96
अन्य	0.62	0.15
अखिल भारत	381.48	283.49

कृषि विश्वविद्यालयों में आरक्षण

3518. **श्रीमती परमजीत कौर गुलशन :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अनुसंधान संस्थाओं में आरक्षण नीति लागू है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) राज्य कृषि विश्वविद्यालय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिशासित होते हैं तथा उनकी भर्ती नीतियों में केन्द्रीय सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती।

तथापि, जहां तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (भा.कृ.अ.प.) के संस्थानों का संबंध है, सरकार के आरक्षण संबंधी आदेश वैज्ञानिक श्रेणी के पदों पर केवल प्रवेश स्तर पर अर्थात् ग्रुप 'ए' की सेवा (यूजीसी पे पैकेज : पे बैंड-3 रु. 15,600-39100 + अनुसंधन ग्रेड पे रु. 6000) में लागू होते हैं। कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.6.1975 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार अन्य सभी वरिष्ठ वैज्ञानिक पदों को आरक्षण आदेशों की परिधि से बाहर रखा गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शीतागार

3519. **श्री संजय धोत्रे :**
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) शीतागारों के निर्माण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सहायता से राज्य-वार कितने शीतागारों का निर्माण किया गया;

(ग) चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में और ज्यादा शीतागारों का निर्माण करने हेतु एनसीडीसी के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) जी, हां। एनसीडीसी नियंत्रित वातावरण (सीए) और आशोधित वातावरण (एमए) भंडार, सहकारी समितियों की पूर्व शीतित इकाइयों सहित शीत भंडारों की स्थापना/आधुनिकीकरण/पुनर्वास/संशोधन के लिए राज्य सरकारों को ब्लॉक लागत की 90% (कम विकसित राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघाल, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा के मामले में 95% है) की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं प्रत्यक्ष वित्त पोषण के मामले में 75% तक सहायता दी जाती है। एनसीडीसी ने सूचित किया है कि दिनांक 4.3.2013 तक उन्होंने देश में 9,29,870 मी. टन क्षमता के शीत भंडार की सुविधा के सृजन के लिए 184.20 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न राज्यों में ऐसी शीत भंडार क्षमता सृजन का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:—

वर्ष	संख्या	क्षमता (मी. टन)	राज्य-वार ब्यौरा
1	2	3	4
2009-10	2	11,600	पश्चिम बंगाल (5,600+6,000 मी. टन)
2010-11	2	7,500	(i) मध्य प्रदेश (5,000 मी. टन)
			(ii) ओडिशा (2,500 मी. टन)

1	2	3	4
2011-12	1	3,000	महाराष्ट्र
2012-13	शून्य	शून्य	—

(ग) और (घ) एनसीडीसी को चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता क्षेत्र में शीत भंडारणों की 10,000 मी. टन की क्षमता का सृजन करने की परिकल्पना है:—

राज्य का नाम	संख्या	क्षमता (मी. टन)
पश्चिम बंगाल	1	5,000
झारखंड	1	5,000

विमानचालन दल के सदस्यों को वीजा

3520. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन गैर-अधिसूचित चार्टर्ड उड़ानों, जिनहें डीजीसीए की अनुमति/अनुमोदन मिला है, के विमानचालन-दल के सदस्यों को किस श्रेणी का वीजा जारी किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : गैर-अधिसूचित चार्टर्ड उड़ानों के विमानचालन-दल के सदस्यों को व्यापारिक वीजा अथवा ट्रांजिट वीजा जारी किया जाता है। यदि गैर-अधिसूचित चार्टर्ड उड़ानों के विमानचालन-दल के सदस्य आपात परिस्थितियों में भारतीय वीजा के बगैर आते हैं तो आप्रवासन प्राधिकारियों द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर उन्हें प्रवेश स्थल पर अस्थायी लैंडिग परमिट (टीएलपी) जारी किया जाता है।

मानव दुर्व्यापार

3521. प्रो. सौगत राय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न हवाई अड्डों से मानव दुर्व्यापार के हवाई अड्डा-वार कितने मामले सामने आए हैं तथा सिलसिले में गिरफ्तार किए गए लोगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें हवाई अड्डों पर तैनात सुरक्षा कार्मिकों की संलिप्तता की भी खबर मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है तथा मानव दुर्व्यापार के मामलों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) विभिन्न हवाई अड्डों से मानव तस्करी की घटनाओं के बारे में रिपोर्टें मिली हैं। तथापि, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा केन्द्रीय रूप से इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) द्वारा मुहैया करायी गई सूचना के अनुसार, मानव दुर्व्यापार में सीआईएसएफ कार्मिकों की संलिप्तता की कोई सूचना नहीं है।

(घ) 'पुलिस' एवं 'लोक व्यवस्था' राज्य-विषय होने के कारण दुर्व्यापार के निवारण तथा इससे मुकाबला करने का प्रथम दायित्व राज्य सरकारों का होता है। भारत सरकार ने गृह मंत्रालय में दुर्व्यापार रोधी नोडल प्रकोष्ठ की स्थापना द्वारा; इंडिया गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा राज्यों की सहभागिता से मानव दुर्व्यापार रोधी संबंधी प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम की शुरुआत करके; एकीकृत मानव दुर्व्यापार इकाइयों की स्थापना द्वारा विधि प्रवर्तन कार्रवाई को सुदृढ़ बनाने के लिए एक व्यापक योजना तथा प्रशिक्षकोकं के प्रशिक्षण के माध्यम से बड़े पैमाने पर सुदृढ़ीकरण, जागरुकता और क्षमता निर्माण द्वारा वाणिज्यिक यौन शोषण सहित मानव दुर्व्यापार का मुकाबला करने के लिए एउक बहु-आयामी रणनीति अपनायी है। गृह मंत्रालय ने 225 एकीकृत मानव दुर्व्यापार रोधी इकाइयों की स्थापना के लिए वर्ष 2010-11 तथा वर्ष 2011-12 में क्रमश: 8.72 करोड़ रुपए और 8.338 करोड़ रुपए की निधियां जारी की हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय भी आश्रय आधारित गृहों जैसे — अल्पकालिक आश्रय गृहों, अवैध व्यापार के पीड़ितों सहित विषम परिस्थितियों में फंसी महिलाओं के लिए स्वाधार गृहों का संचालन करता है।

[हिन्दी]

आपदा प्रबंधन

3522. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन से लेकर अब तक इसकी कितनी बैठकें हुई हैं तथा इनका क्या परिणाम निकाला है;

(ख) क्या प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदाओं के खतरों का आकलन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की चार बैठकें हुई हैं। इन बैठकों में आपदा प्रबंधन के वर्तमान तंत्र के बारे में विचार-विमर्श किया गया और इसमें नीति एवं योजनाओं का प्रस्ताव किया गया।

(ख) से (ग) देश को सभी संभावित खतरों का औपचारिक आकलन किया गया है और 18 दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

गुजरात से विधेयक

3523. श्री सी.आर. पाटिल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात शैक्षिक संस्थान अधिकरण विधेयक अनुमोदन के लिए प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी क्या स्थिति है; और

(ग) क्या विधेयक को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। राज्य विधान मंडल द्वारा यथापारित और गुजरात के राज्यपाल द्वारा आरक्षित गुजरात शैक्षिक संस्थान अधिकरण विधेयक दिनांक 14.09.2010 को गृह मंत्रालय में प्राप्त हुआ था।

(ख) उपर्युक्त विधेयक की मानव संसाधन और विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) तथा विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) से परामर्श करके जांच की गई। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) की टिप्पणियों पर दिनांक 8.1.2013 को उपर्युक्त राज्य सरकार का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ और उसे दिनांक 11.2.2013 को मानव संसाधन और विकास मंत्रालय को उनकी आगे और टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया है।

(ग) राज्य विधानों की, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से तीन दृष्टिकोणों से जांच की जाती है, अर्थात्

(i) केन्द्रीय कानूनों से प्रतिकूलता;

(ii) राष्ट्रीय अथवा केन्द्रीय नीति से विचलन; और

(iii) विधिक और सांविधिक वैधता।

जब कभी भी आवश्यक हो, राज्य सरकारों को उपर्युक्त दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के विधानों के प्रावधानों को आशोधित/संशोधित करने की सलाह दी जाती है। कई बार, तुरंत निर्णय लेने की दृष्टि से राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से चर्चा की जाती है। इसलिए इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

अंत्योदय अन्न योजना

3524. श्री के. सुधाकरण : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंत्योदय अन्न योजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं में सुधार के लिए नवीनतम क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इसका देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने में कितने प्रभाव हुआ है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को निर्धनतम लोगों पर और अधिक संकेन्द्रित तथा लक्षित करने के उद्देश्य से गरीबी रेखा से नीचे के श्रेणी में से पहचान किए जाने वाले एक करोड़ परिवारों के लिए अंत्योदय अन्न योजना दिसम्बर, 2000 में प्रारंभ की गई थी। तत्पश्चात् इस स्कीम के अंतर्गत कवरेज को तीन बार अर्थात् वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान बढ़ाया गया और प्रत्येक बार 50 लाख अतिरिक्त परिवार कवर किए गए। इस प्रकार अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत कुल कवरेज बढ़कर 2.50 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवार किया गया। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लक्ष्य के भीतर अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की पहचान करने की जिम्मेवारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को दिए गए अंत्योदय अन्न योजना के 2.50 करोड़

स्वीकृत परिवारों में से उन्होंने फरवरी, 2013 तक लगभग 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को राशन कार्ड जारी किए जाने की सूचना दी है। इन अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की गेहूं के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम तथा चावल के लिए 3 रुपए प्रति किलोग्राम के अत्यधिक राजसहायता प्राप्त केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता हैं।

(ख) यह विभाग अंत्योदय अन्न योजना के कार्यान्वयन सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण का मूल्यांकन समय-समय पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा करा रहा हैं तथापि, इस विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने में अंत्योदय अन्न योजना के प्रभाव के संबंध में कोई मूल्यांकन नहीं कराया गया है।

[हिन्दी]

जैव-उर्वरकों पर सब्सिडी

3525. श्री पूर्णमासी राम :
श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार जैव-उर्वरकों पर सैब्सिडी घटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जैव-उर्वरकों पर सब्सिडी में कमी के कारण कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) जैव-उर्वरकों पर राजसहायता कम करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

काजू का उत्पादन

3526. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान काजू के प्रति-हैक्टेयर उत्पादन में वृद्धि के लिए कोई अनुसंधान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से काजू उद्योग में सुधार के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा प्रति-हैक्टेयर काजू के उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक राज्य के पुत्तुर में स्थित काजू अनुसंधान निदेशालय (डीसीआर) द्वारा सैकेंडरी और सूक्ष्मपोषक तत्वों का उपयोग करते हुए प्रति हैक्टेयर काजू के उत्पादन में वृद्धि के लिए अनुसंधान कार्य किए गए हैं। 0.5 प्रतिशत $ZnSO_4$+ 0.1% सोल्युबर +0.5% $MgSO_4$ के प्रयोग से नियंत्रण की तुलना में बाईसैक्सुअल पुष्पों में लगभग 7% की वृद्धि हुई है जिससे प्रति हैक्टेयर पैदावार बढ़ी है जो समेकित पैदावार के आधार पर 37% है।

(ग) भारतीय काजू निर्याप्त प्रोत्साहन परिषद् की 12वीं योजना में काजू उद्यमों के यंत्रीकरण और स्वचालन हेतु प्रस्ताव को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में अनुमोदित किया गया है।

(घ) ये योजनाएं निम्नलिखित हैं:—

(i) काजू प्रसंस्करण यूनिटों की प्रक्रिया का यंत्रीकरण और स्वचालन

(ii) गुणवत्ता उन्नयन तथा खाद्य सुरक्षा प्रमाणीकरण।

(ङ) काजू की गरी की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए काजू अनुसंधान निदेशालय द्वारा निम्नलिखित अनुसंधान कदम उठाए गए हैं:—

(ii) साफ्टवुड कलम रोपण द्वारा संस्तुत किस्मों की गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री का उत्पादन। डीसीआर द्वारा प्रत्येक वर्ष 2 लाख से ज्यादा गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री का उत्पादन किया जाता है और इसे उत्पादकों तथ अन्य विकास एजेंसियों को वितरित किया जाता है।

(ii) उच्च पैदावार और बोल्ड गरी वाली किस्मों जैसे भास्कर, एनआरसी सलैक्शन 2, वेनगुरला-4, मधकटारा-2,

प्रियंका, उल्लल-3, वीआरआई-3 आदि के काजू उद्यानों की स्थापना।

(iii) पुनरुत्पादन चरण अर्थात् पुष्प से फल में विकसित होने के दौरान डफिसिटी अवधि में अनुकूल नमी परिवेश को कायम रखना।

(iv) स्थान विशिष्ट पोषण प्रबंधन कर्नाटक के पश्चिमी हिस्सों के लिए बेहतर पैदावार हेतु 25 कि0.ग्रा. एफवाईएम सहित 750:125:125 ग्रा. एनपीके/पादप/वर्ष के प्रयोग की सिफारिश की गई है।

वनीला का उत्पादन

3527. **श्री एंटो एंटोनी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्राकृतिक वनीला और इसके मूल्य संवर्धित उत्पादों का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इसके उत्पादन का उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्राकृतिक वनीला का घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य कितना रहा हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में वनीला का उत्पादन निम्नलिखित है:—

वर्ष	उत्पादन मीट्रिक टन
2010-11	1064
2011-12	1065
2012-13*	1060

*प्रथम अनुमान।

स्रोत: सुपारी और मसाला विकास निदेशालय और कृषि एवं सहकारिता विभाग

वनीला बीन्स का घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 1500 रुपए से 2500 रुपए प्रति किलोग्राम है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बारे में अध्ययन

3528. **श्री विश्व मोहन कुमार** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की सेवा और उसके जीवनयापन की स्थिति के संबंध में आईआईएम, अहमदाबाद द्वारा किसी अध्ययन को प्रायोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को आईआईएम, अहमदाबाद की ओर से उक्त अध्ययन की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) उक्त रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा उक्त रिपार्ट में सीएपीएफ की सेवा और जीवनयापन की स्थिति के संबंध में उठाए गए विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। अर्ध सैनिक बलों (बीएसएफ और सीआरपीएफ) में व्यावसायिक तनाव के संबंध में वर्ष 2012 में भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (आईआईएमए) से एक अध्ययन कराया गया है। आईआईएमए कार्मिकों की एक टीम द्वारा बीएसएफ और सीआरपीएफ दोनों के विभिन्न स्थापनाओं/क्षेत्र संगठनों का दौरा करके और दोनों बलों की सैन्य टुकड़ियों के साथ बातचीत करके निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ अध्ययन किया गया है:—

(i) तनाव के पूर्व की घटनाओं और परिणामों का पता लगाना;

(ii) भावनात्मक बुद्धिमत्ता और तनाव होने पर उससे उबरने जैसी ध्यवर्ती अस्थिरता की भूमिका को समझना; और

(iii) कार्मिकों में तनाव के स्तर को कम करने के उपायों का पता लगाना और तनाव के स्तर पर को कम करने के लिए उपयुक्त सिफारिशों का सुझाव देना।

(ग) से (ङ) आईआईएमए ने अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी

है। क्षेत्रकीय दौरों और बल कर्मियों के साथ हुई बातचीत के आधार पर अध्ययन रिपोर्ट में बल कार्मिकों, के बीच तनाव को कम करने के लिए कार्मिक, चिकित्सा वित्तीय और कल्याणकारी मामलों से संबंधित विभिन्न सिफारिशें की गई हैं। रिपोर्ट जांचाधीन है। तथापि, अध्ययन रिपोर्ट में उठाए गए सीएपीएफ कार्मिकों के सेवा और जीवनयापन की स्थितियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपचारी उपाय भी किए गए है:—

(i) पारदर्शी, विवेकपूर्ण तथा निष्पक्ष छुट्टी संबंधी नीति लागू करना;

(ii) बल कार्मिकों को उनकी तात्कालिक घरेलू समस्याओं/मुद्दों/जरूरतों का समाधान करने के लिए छुट्टी प्रदान करना;

(iii) उनकी समस्याओं का पता लगाने एवं उसका निराकरण करने के लिए कमाण्डरों, अधिकारियों सैन्य टुकड़ियों के बीच औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार का नियमित परिसंवाद;

(iv) शिकायत निराकरण मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त करना;

(v) पर्याप्त आराम और राहत सुनिश्चित करने के लिए कार्य घंटों का नियमितीकरण;

(vi) सैन्य टुकड़ियों तथा उनके परिवारों के लिए बुनियादी सुख-सुविधाओं का प्रावधान करके उनके जीवन स्तर को सुधारना;

(vii) जोखिम, कठिनाई तथा अन्य भत्तों को बढ़ाकर बल को प्रोत्साहित करना;

(viii) सैन्य बलों के लिए एसटीडी टेलीफोन सुविधाओं का प्रावधान करना ताकि वे अपने परिवार के सम्पर्क में रहें और दूर-दराज क्षेत्रों में उनका तनाव कम रहे;

(ix) विशिष्ट सुविधा युक्त कम्पोजित अस्पतालों की शुरुआत सहित सैन्य बलों तथा उनके परिवारों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं;

(x) उनकी व्यक्तिगत तथा मनोवैज्ञानिक चिंताओं का निराकरण करने के लिए डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों के द्वारा उनके साथ बातचीत करना;

(xi) बेहतर तनाव प्रबंधन के लिए योग और ध्यान कक्षाएं;

(xii) मनोरंजन तथा खेलकूद की सुविधाएं तथा टीम गेमों और खेल-कूद इत्यादि का प्रावधान;

(xiii) सैन्य टुकड़ियों तथा उनके परिवार के लिए केन्द्रीय पुलिस कैंटीन सुविधा, उनके वार्डों को छात्रवृत्ति इत्यादि जैसे कल्याणकारी उपायों का प्रावधान करना;

(xiv) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के सेवा निवृत्त कार्मिकों को भूतपूर्व केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिक की हैसियत प्रदान करना, उम्मीद की जाती है कि इससे विद्यमान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों का मनोबल मजबूत होगा तथा यह भी उम्मीद की जाती है कि इससे उन्हें बेहतर पहचान और सामुदायिक मान्यता मिलेगी और इस प्रकार भूतपूर्व सीएपीएफ कार्मिकों को समाज में उच्च सम्मान और गौरव प्राप्त होगा।

[हिन्दी]

पशु-चिकित्सा अस्पताल

3529. श्री सतपाल महाराज :
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों, विशेषकर पर्वतीय राज्यों में पुश-चिकित्सा अस्पतालों/औषधालयों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो पशु-चिकित्सा अस्पताल खोलने हेतु क्या मानदंड निर्धारित है तथा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मौजूदा पशु-चिकित्सा अस्पतालों/औषधालयों की संख्या कितनी है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान ऐसे अस्पतालों को खोलने के लिए इन राज्यों को कितनी सहायता प्रदान की गई है व कितनी निधि उद्दिष्ट की गई है; और

(घ) अगले दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे कितने अस्पताल/औषधालय खोलने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग त्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और

(ख) इस विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में पर्वतीय क्षेत्रों सहित, 10094 पशुचिकित्सा अस्पताल/पॉलीक्लिनिक तथा 21269 पशुचिकित्सा डिस्पेंसरियां हैं। पशुधन संगणना (2007) के आधार पर भारत में 336 मिलियन गोपशु यूनिट हैं। (1 गोपशु यूनिट, 1 बड़े पशु अथवा 5 सूअरों अथवा 10 भेड़ और बकरियों अथवा 100 कुक्कुटों के बाराबर है)। वर्तमान में देश में पशुचिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में पशुचिकित्सा अस्पतालों/डिस्पेंसरियों की व्यापक कमी है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें किसी विशिष्ट क्षेत्र की पशुधन संख्या तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पशुचिकित्सा अस्पतालों/डिस्पेंसरियों इत्यादि की स्थापना करती हैं। विद्यमान पशुचिकित्सा अस्पतालों/पॉलीक्लिनिक तथा डिस्पेंसरियों को राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

(ग) और (घ) नए पशुचिकित्सा अस्पताल/डिस्पेंसरियों स्थापित करने तथा विद्यमान अस्पतालों/डिस्पेंसरियों को सुदृढ़ करने/सुसज्जित करने के लिए विभाग अगस्त, 2010 से 'पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच एंड डीसी)' केंद्रीय प्रायोजित योजना के भाग के रूप में 'विद्यमान पशुचिकित्सा अस्पतालों तथा डिस्पेंसरियें की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण' घटक के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान कर रहा है। इस योजना के प्रारंभ होने से वर्तमान वर्ष (आगे तक) तक राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। यह योजना मांग आधारित है तथा 2012-13 के लिए 46.87 करोड़ रुपए तक निधियों को संशोधित प्राक्कलन (आरआई) स्तर पर रखा गया है। विभाग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस घटक के अंतर्गत 300.00 करोड़ रुपए का आबंटन प्रस्तावित किया है।

विवरण-I

पशुचिकित्सा अस्पतालों/पॉलीक्लिनिक कों तथा डिस्पेंसरियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पशुचिकित्सा अस्पताल/ पॉलीक्लिनिक	पशुचिकित्सा डिस्पेंसरियां
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	303	2326
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	93
3.	असम	21	470
4.	बिहार	39	783
5.	छत्तीसगढ़	241	775
6.	गोवा	5	21
7.	गुजरात	23	622
8.	हरियाणा	944	1814
9.	हिमाचल प्रदेश	368	1763
10.	जम्मू और कश्मीर	180	141
11.	झारखंड	27	424
12.	कर्नाटक	371	1942
13.	केरल	275	869
14.	मध्य प्रदेश	781	1680
15.	महाराष्ट्र	203	1738
16.	मणिपुर	55	109
17.	मेघालय	4	92
18.	मिजोरम	5	35
19.	नागालैंड	11	20
20.	ओडिशा	58	482
21.	पंजाब	1367	1487
22.	राजस्थान	1933	285
23.	सिक्किम	14	40
24.	तमिलनाडु	167	2236

1	2	3	4
25.	त्रिपुरा	15	59
26.	उत्तर प्रदेश	2200	268
27.	उत्तराखंड	308	12
28.	पश्चिम बंगाल	110	610
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10	12
30.	चंडीगढ़	5	8
31.	दादरा और नगर हवेली	1	0
32.	दमन और दीव	—	2
33.	दिल्ली	46	28
34.	लक्षद्वीप	3	6
35.	पुदुचेरी	—	17

विवरण-II

विद्यमान अस्पतालों/डिस्पेंसिरियों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण (ईएसवीएचडी) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई निधियों

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2010-11	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13 (दिनांक तक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1420.00	0.00	0.00
2.	बिहार	0.00	1282.58	0.00
3.	छत्तीसगढ़	0.00	595.58	0.00
4.	गोवा	0.00	0.00	75.75
5.	गुजरात	85.40	0.00	0.00
6.	हरियाणा	200.00	382.38	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	367.50	365.49	0.00
8.	जम्मू और कश्मीर	0.00	649.64	0.00
9.	झारखंड	1211.03	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	414.38	414.38	751.00
11.	केरल	768.75	768.75	0.00
12.	मध्य प्रदेश	0.00	139125	503.25
13.	महाराष्ट्र	1000.00	0.00	600.00
14.	ओडिशा	154.14	0.00	0.00
15.	पंजाब	400.00	780.00	0.00
16.	राजस्थान	0.00	1037.44	0.00
17.	तमिलनाडु	671.84	0.00	1242.00
18.	उत्तर प्रदेश	534.38	0.00	225.00
19.	उत्तराखंड	266.78	0.00	0.00
20.	पश्चिम बंगाल	700.00	0.00	0.00
21.	अरुणाचल प्रदेश	29700	232.00	0.00
22.	असम	872.00	978.00	0.00
23.	मणिपुर	0.00	428.63	0.00
24.	मेघालय	0.00	0.00	0.00
25.	मिजोरम	233.33	233.33	108.00
26.	नागालैंड	0.00	158.40	0.00
27.	सिक्कम	0.00	143.64	120.00

1	2	3	4	5
28.	त्रिपुरा	100.00	0.00	147.05
29.	संघ राज्य क्षेत्र	0.00	0.00	40.00
30.	पुदुचेरी	0.00	30.00	0.00
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00
32.	चंडीगढ़	0.00	0.00	9.90
33.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
34.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
35.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	51.61

[अनुवाद]

कैदियों द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग

3530. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री नित्यानंद प्रधान :
श्री एस.आर. जेयदुरई :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेल में बंद कैदियों द्वारा अपने पास मोबाइल फोन और मादक द्रव्य रखने की घटनाएं सरकार की जानकारी में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो सूचित किए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसके दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) भविष्य में ऐसे मामलों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारक कदम उठाए गए हैं तथा उक्त अवधि के दौरान वहां जैमर लगाने के लिए प्रदत्त/प्रयुक्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (10.3.2013 तक) के दौरान कैदियों द्वारा तिहाड़ जेल में सबकी नजर बचाकर मोबाइल फोन ले जाने की 38 घटनाओं और मादक द्रव्यों की तस्करी की 6 घटनाओं की सूचना मिली है।

मोबाइल फोन रखने वाले कैदियों को दिल्ली जेल मैन्युअल के मुलाकात सुविधा रोकने आदि जैसे प्रावधानों के अनुसार दंडित किया गया है। उन मामलों की सूचना दिल्ली पुलिस को दी गई और दोषी कैदियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई जिनमें कैदियों से मादक द्रव्य बरामद किये गए।

(ग) सरकार ने भविष्य में इस प्रकार के मामलों पर रोक लगाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(i) जेल में कैदियों द्वारा मोबाइल फोन का इस्तेमाल किए जाने की संभावना समाप्त करने के लिए जेल में 32 सेल फोन जैमर लगाए गए हैं।

(ii) दिल्ली की जेलों में 258 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि कैदियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।

(iii) संपर्क स्थलों पर और जेलों की डेयोढी; (प्रवेश स्थल) में डोरफ्रेम मेट डिटेक्अर, हैंड मेड मेटल डिटेक्टर, एक्स-रे स्केनरों की व्यवस्था की गई है ताकि कैदियों द्वारा लागए गए सामान की स्क्रीनिंग की जा सके।

(iv) जेलों की डेयोढ़ियों पर कैदियों, स्टाफ, आगन्तुकों और उनके द्वारा लाए जा रहे सामान की तलाशी के लिए तमिलनाडु विशेष पुलिस के कार्मिक तैनात किए गए हैं।

(v) जेलों में औचक तलाशी के लिए केन्द्रीय टीमें गठित की गई हैं।

कोयला परियोजनाओं को अवसंरचना-विकास

3531. श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री ए. गणेश मूर्ति :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री तूफानी सरोज :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री प्रताप सिंह बाजवा :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयला परियोजनाओं से संबंधित अवसंरचना-विकास के लिए सरकार/कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा परिकल्पित निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सीआईएल की छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के अदुहित कोयला-क्षेत्रों में रेल-संपर्क स्थापित करने के लिए निधि-निवेश की योजना है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी निधि आबंटित की गई है;

(घ) क्या इन क्षेत्रों में रेल-संपर्क स्थापित होने से कोयले के उत्पादन और आपूर्ति में वृद्धि होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो कितने कोयले के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है तथा उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने विचारित कोयला उत्पादन योजना के लिए 25,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की परिकल्पना की है। इसके अलावा, 35000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान विदेशों में परिसंपत्तियों के विकास एवं अर्जन के लिए किया गया है। 25000 करोड़ रुपए के विचारित पूंजी परिवरूय में से 3928.00 करोड़ रुपए की राशि 12वीं योजना (2012-17) के दौरान मुख्य भवनों के निर्माण, कोयला रखरखाव संयंत्रों, रेलवे साइडिंग, वाशरी आदि के निर्माण कार्य सहित कोयला परियोजनाओं से संबंधित अवसंरचना के विकास हेतु दी गयी है।

(ख) और (ग) सीआईएल द्वारा किए गए अनुमानित पूंजी निवेश सहित संभावित कोलफील्डों में कोयला निकासी अवसंरचना के विकास हेतु तीन मुख्य रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:—

क्र. सं.	रेल लिंक	विचारित व्यय (करोड़ रुपए)	जोड़े जाने वाले कोलफील्ड
1.	तोरी-शिवपुर (कथोतिया)	2345	उत्तरी करनपुरा, औरंगा, झारखंड राज्य
2.	भूपदेवपुर-कोरिचाप्पर कोरबा	4000	मांद-रायगढ़-कोरबा, छत्तीसगढ़ राज्य
3.	गोपालपुर-मनोहरपुर	700	ईब घाटी, सुंदरगढ़, ओडिशा राज्य

(घ) और (ङ) इन रेल परियोजनाओं के स्थापित हो जाने से चालू तथा भावी परियोजनाओं से कोयले की निकासी में सुविधा होगी और इन कोलफील्डों से कोयले के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इन रेल सम्पर्कों से निपटाए जाने वाले कोयले की संभावित मात्रा तथा इन परियोजनाओं के स्थापित होने की संभावित समय-सीमा निम्नानुसार दर्शायी गई है:—

क्र. सं.	रेल लिंक	पूर्ण होने का संभावित समय	निपटाया जाने वाला विचारित उत्पादन मि.ट. प्रतिवर्ष
1.	तोरी-शिवपुर (कथोतिया)	12वीं योजना अवधि के अंत में	80.00
2.	मांद-रायगढ़ चरण-I	13वीं योजना अवधि के अंत में	40.00
3.	गोपालपुर-मनोहरपुर	12वीं योजना अवधि के अंत में	30.00

राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन

3532. श्रीमती अन्नू टन्डन :
श्री प्रताप सिंह बाजवा :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश भर में राष्ट्रीय पुस्तकालयों सहित सभी पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण करने और उन्हें डिजिटली संयुक्त करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अभी तक इस प्रयोजनार्थ कितनी निधि आबंटित/प्रयुक्त की गई है;

(घ) क्या सरकार का देश की वाचिक परंपराओं को रिकॉर्ड करके संरक्षित करने की दृष्टि से इनके प्रलेखन और श्रेणीकरण (कैटलॉगिंग) हेतु ऐसा ही एक मिशन स्थापित करने का भी विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन (एनएमएल) का गठन मई, 2012 में किया गया था। तब से, इसने पुस्तकालय क्षेत्र का विकास करने और राज्य केंद्रीय पुस्तकालयों, संस्कृति मंत्रालय के अधीन पुस्तकालयों और चुनिंदा जिला/स्कूली पुस्तकालयों को आधुनिक बनाने और नेटवर्क कार्य करने हेतु कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए चार बैठकें की हैं।

(ग) बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु एनएमएल परियोजनाओं के लिए 400.00 करोड़ रु. की धनराशि निर्धारित की गई और वर्ष 2013-14 हेतु वार्षिक योजना प्रस्ताव में 50.00 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2012-13 के दौरान 3.00 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई थी और अब तक हुआ खर्च 24.86 लाख रुपए है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) देश में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए जीवंत एवं विधिक सांस्कृतिक परंपराओं हेतु संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक समन्वयन समिति का गठन यिका गया है।

[हिन्दी]

दुग्ध उत्पादन के लिए विश्व बैंक की सहायता

3533. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दूध की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को देखते हुए दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए केन्द्र सरकार की और विश्व बैंक की सहायता को कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में दूध की मांग के अनुसार उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) संघ सरकार और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (विश्व बैंक) के बीच राष्ट्रीय डेयरी सहायता के लिए 13.04.2012 को 218.8 मिलियन एसडीआर (1584 करोड़ रुपए के बराबर) की राशि के लिए एक वित्तपोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संघ सरकार के साथ वित्तीय समझौते के संबंध में परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 13.04.2012 को अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (विश्व बैंक) और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के बीच भी एक परियोजना समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। तद्नुसार, दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने और उससे दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से 16.03.2012 को संघ सरकार द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम राष्ट्रीय डेयरी योजना-I (एनडीपी-I) शुरू की गई थी।

इस विभाग ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को योजना के कार्यान्वयन हेतु 109 करोड़ रुपए (2011-12 के दौरान 4.00 करोड़ रुपए और 2012-13 के दौरान 105.00 करोड़ रुपए) जारी किए है। वर्ष 2012-13 के दौरान एनडीपी-I के लिए बजट प्रावधान 130.00 करोड़ रुपए है।

(ग) सरकार का एनडीपी-I सहित विभाग की उत्पादक वृद्धि के कार्यान्वयन के जरिए 2016-17 तक 150 मिलियन टन की दुग्ध की राष्ट्रीय मांग को पूरा करने का प्रस्ताव है।

बीसीसीसी द्वारा टीवी पर प्रसारित कार्यक्रमों की विषय-वस्तु की निगरानी

3534. श्री राम सुन्दर दास : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसारणगत विषय-वस्तु शिकायत परिषद् (बीसीसीसी) को टीवी चैनलों पर प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों की विषय-वस्तु की निगरानी हेतु अधिदेशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बीसीसीसी की संरचना का ब्यौरा क्या है तथा उक्त परिषद् में पदाधिकारियों के चयन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) बीसीसीसी की विद्यमानता के बारे में जनता को जागरुक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) प्रसारकों के निकाय अर्थात् भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आईबीएफ) द्वारा प्रसारण विषय-वस्तु शिकायत परिषद् (बीसीसीसी) के माध्यम से बनाए गए स्व-विनियमन तंत्र को किसी कानून द्वारा अधिदेशित नहीं किया गया है और यह मुख्यत: आईबीएफ के गैर-समाचार चैनलों हेतु स्व-विनियमन विषय-वस्तु दिशा-निर्देश द्वारा संचालित होता है।

निजी प्रसारकों द्वारा इस स्व-विनियमन पहल के हिस्से के रूप में आईबीएफ ने सामान्य मनोरंजन चैनलों के लिए एक दो-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की है। पहले स्तर पर, प्रत्येक सदस्य प्रसारक के एक मानक और व्यवहार (एस एंड पी) विभाग स्थापित किया है जिसमें उसके चैनल द्वारा प्रसारित की जाने वाली विषय-वस्तु के खिलाफ प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के लिए एक विषय-वस्तु आडिटर नियुक्त किया जाता है। स्व-विनियमन शिकायत निवारण तंत्र के अगले सतर पर प्रसारण विषय-वस्तु शिकायत परिषद् (बीसीसीसी) की स्थापना की गई है जिसने जून, 2011 से अपना कामकाज शुरू किया है।

(ग) प्रसारण विषय-वस्तु शिकायत परिषद् (बीसीसीसी) ने सूचित किया है कि बीसीसीसी की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए.पी. शाह (दिल्ली उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश) कर रहे हैं। इसके 12 सदस्य हैं जिनमें 4 गैर-प्रसारक सदस्य, राष्ट्रीय विधिक आयोगों से चार सदस्य और चार प्रसारक सदस्य हैं।

बीसीसीसी ने सूचित किया है कि अध्यक्ष के चयन का मापदंड है कि वह सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्ति न्यायाधीश होना चाहिए। चयन आईबीएफ के बोर्ड के बहुमत के निर्णय से किया जाता है। चार (4) गैर-प्रसारक सदस्य अनिन्द्य सत्यनिष्ठा, उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा एवं उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले ख्यातिलब्ध व्यक्ति होने चाहिए जिनका चयन आईबीएफ बोर्ड द्वारा नियुक्त लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तियों के पैनल द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों से किया जाता है:—

(क) संगत क्षेत्र का अनुभव रखने वाला प्रतिष्ठित प्रशासक

(ख) प्रतिष्ठित मीडिया समालोचक/विशेषज्ञ

(ग) दो वर्ष या उससे अधिक समय तक सीबीएफसी का सदस्य रह चुकने वाला व्यक्ति

(घ) प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्त्ता

राष्ट्रीय स्तर के विधिक आयोग से चार (4) सदस्य ऐसे आयोगों के अध्यक्ष या सदस्य होंगे। एक-एक सदस्य क्रमश: राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) से होगा। चौथा सदस्य राष्ट्रीय स्तर के विधिक आयोगों जैसे रष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी) से होगा जिसका चयन बारी-बारी से एक विशिष्ट बैठक में बीसीसीसी द्वारा निपटारा की जा रही शिकायत की प्रकृति के आधार पर किया जाता है।

बीसीसीसी ने सूचित किया है कि चार (4) प्रसारक सदस्यों का चयन आईबीएफ की वार्षिक आम निकाय बैठक (एजीएम) में मतदान के माध्यम से किया जाता है ताकि स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।

(घ) बीसीसीसी ने सूचित किया है कि सभी सामान्य मनोरंजन चैनल नियमित तौर पर प्रत्येक दिन कई बार अपनी स्क्रीन पर स्क्रॉल/

टिकर चलाते हैं, बीसीसीसी के शिकायत निवारण तंत्र के बारे में सामान्य जनता को सूचित करते हैं और अपनी विषय-वस्तु संबंधी शिकायत एक समर्पित पते पोस्ट बॉक्स संख्या 3812, नई दिल्ली-110049 पर या वेबसाइट *www.ibfindia.com* पर लॉग करके दर्ज करने के बारे में आम नागरिकों को सलाह देते हैं। शिकायतों से संबंधित पूरी जानकारी और उनके निवारण की स्थिति की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होती है। उन्होंने यह भी कहा है कि मीडिया के माध्यम से उसके कार्यकलापों के बारे में जन सामान्य को सूचित करने के लिए नियमित आधार पर प्रेस वार्ताएं भी आयोजित की जाती हैं।

दूरदर्शन/आकाशवाणी स्टेशनों का डिजिटलीकरण

3535. श्री लालजी टन्डन :
श्री निलेश नारायण राणे :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए दूरदर्शन (डीडी) स्टेशनों/स्टूडियों एवं आकाशवाणी (एआईआर) के स्टेशनों के डिजिटलीकरण हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी डीडी/एआईआर स्टेशन-वार और राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के अंतर्गत कितनी निधि आबंटित/जारी की गई है और इस योजना की रूपरेखा क्या है; और

(घ) इस कार्य के डीडी/एआईआर स्टेशन-वार एवं राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कब तक शुरू होने और पूरा होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि 908.12 करोड़ रुपए की लागत से 11वीं अनुमोदित "आकाशवाणी नेटवर्क का डिजिटलीकरण" नामक स्कीम के अंतर्गत 165 केंद्रों में परियोजनाओं से संबंधित कार्य शुरू किया गया है। तत्संबंधी आकाशवाणी केंद्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में 620 करोड़ रुपए की लागत से "दूरदर्शन नेटवर्क में ट्रांसमीटरों एवं स्टूडियों का डिजिटलीकरण" नामक एक स्कीम शुरू की गयी है। इस स्कीम में, अन्य के साथ-साथ, 39 स्टूडियों के पूर्ण डिजिटलीकरण और 40 डिजिटल ट्रांसमीटरों की राज्य-वार अवस्थितियां संलग्न विवरण-II में दी गयी हैं।

विवरण-I

डिजिटलीकरण स्कीम के ब्यौरे सहित विद्यमान आकाशवाणी केन्द्रों की सूची

क्र. सं.	केन्द्र	राज्य	आकाशवाणी नेटवर्क के डिजिटलीकरण की योजना के अव्यय
1	2	3	4
1.	अदिलाबाद	आंध्र प्रदेश	• 1 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को 10 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर में बदलना
2.	अनंतपुर	आंध्र प्रदेश	• एसटीएल का प्रावधान
3.	कुडप्पा	आंध्र प्रदेश	• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• नया 1 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण

1	2	3	4
4.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन का सेवा में वृद्धि
			• नया डिजिटल अभिलेखीय केन्द्र
			• एसटीएल (सं. 2) का डिजिटलीकरण
			• डीटीएच चैनल के लिए अपलिंक में वृद्धि
5.	कोठागुडम	आंध्र प्रदेश	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदला
6.	मचरेला	आंध्र प्रदेश	• आरएनटी का डिजिटलीकरण
7.	निजामाबाद	आंध्र प्रदेश	• आरएनटी का डिजिटलीकरण
8.	तिरुपति	आंध्र प्रदेश	• एसटीएल (सं. 2) का प्रावधान
9.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर में बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू और एसटीएल का डिजिटलीकरण
10.	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• नए आरएनटी का सृजन
			• एसटीएल का प्रावधान
11.	ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश	• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का 200 कि.वाट डीआरएम ट्रांसमीटर में उन्नयन
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
			• डीटीएच चैनल के अपलिंक में वृद्धि

1	2	3	4
12.	पासीघाट	अरुणाचल प्रदेश	• 10 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का 100 कि.वाट डीआरएम ट्रांसमीटर में उन्नयन • स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • नया आरएनयू का सृजन • एसटीएल का डिजिटलीकरण
13.	तवांग	अरुणाचल प्रदेश	• 10 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का 20 कि.वाट डीआरएम ट्रांसमीटर में उन्नयन • स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • एसटीएल का डिजिटलीकरण
14.	तेजू	अरुणाचल प्रदेश	• एसटीएल का डिजिटलीकरण
15.	डिब्रूगढ़	असम	• 300 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना। • स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • नया 1 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर • आरएनयू का डिजिटलीकरण • एसटीएल का डिजिटलीकरण
16.	गुवाहाटी	असम	• 10 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का 20 कि.वाट डीआरएम ट्रांसमीटर में उन्नयन • स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • आरएनयू का डिजिटलीकरण • न्यूज ऑन फोन सेवा में वृद्धि • एसटीएल (सं. 2) और आरएनटी का डिजिटलीकरण • डीटीएच चैनल के लिए अपलिंग में वृद्धि
17.	कोकराझार	असम	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • एसटीएल का डिजिटलीकरण

1	2	3	4
18.	नौगांव	असम	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
19.	सिलचर	असम	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
20.	तेजपुर	असम	• नया 1 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
21.	भागलपुर	बिहार	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का प्रावाधान
22.	दरभंगा	बिहार	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• नए आरएनयू का सृजन
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
23.	पटना	बिहार	• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा में वृद्धि
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
24.	सासाराम	बिहार	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
25.	अम्बिकापुर	छत्तीसगढ़	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण

1	2	3	4
			• नया 5 कि.वाट एमएफ ट्रांसमीटर
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
26.	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
27.	जगदलपुर	छत्तीसगढ़	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
28.	रायगढ़	छत्तीसगढ़	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
29.	रायपुर	छत्तीसगढ़	• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा में वृद्धि
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
30.	सरायपल्ली	छत्तीसगढ़	• आरएनयू का डिजिटलीकरण
31.	दिल्ली	दिल्ली	• 200 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड से बदला
			• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड से बदला
			• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• 100 कि.वाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर (संख्या 2) से बदलना
			• 250 कि.वाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड (संख्या 2) में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण (संख्या 3)
			• विद्यमान अभिलेखनीय केन्द्र में वृद्धि
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण (एनसी)
			• डीटीएच चैनल के लिए नव प्रसारण भवन में अपलिंक और टोडापुर में डाउनलिंक में वृद्धि

1	2	3	4
32.	पणजी	गोवा	• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना • 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना • स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • आरएनयू का डिजिटलीकरण • न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ • एसटीएल का डिजिटलीकरण
33.	अहमदाबाद	गुजरात	• 200 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना • स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • आरएनयू का डिजिटलीकरण • न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ • डीटीएच चैनल के लिए अपलिंक में वृद्धि • एसटीएल (संख्या 2) का डिजिटलीकरण
34.	भुज	गुजरात	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना • नया 5 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर • स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • आरएनयू का डिजिटलीकरण • एसटीएल का डिजिटलीकरण
35.	हिम्मतनगर	गुजरात	• आरएनयू का डिजिटलीकरण
36.	राजकोट	गुजरात	• 300 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर में परिवर्तित करना • स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • नए आरएनयू का सृजन • एसटीएल का प्रावधान

1	2	3	4
			• आरएनटी (एसपीटी) का डिजिटलीकरण
37.	वडोदरा	गुजरात	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
38.	रोहतक	हरियाणा	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
39.	धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश	• 10 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
40.	कसौली	हिमाचल प्रदेश	• 10 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
41.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का प्रावधान
42.	भदरवा	जम्मू और कश्मीर	• आरएनयू का डिजिटलीकरण
43.	डिसकिट	जम्मू और कश्मीर	• आरएनयू का डिजिटलीकरण
44.	द्रास	जम्मू और कश्मीर	• आरएनयू का डिजिटलीकरण
45.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	• 300 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• 3 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर का 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर में उन्नयन
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण

1	2	3	4
46.	कारगिल	जम्मू और कश्मीर	• 200 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• नए आरएनयू का सृजन
			• आरएनटी (संख्या 2) का डिजिटलीकरण
47.	खलसी	जम्मू और कश्मीर	• आरएनटी का डिजिटलीकरण
48.	कुपवाड़ा	जम्मू और कश्मीर	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
49.	लेह	जम्मू और कश्मीर	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
50.	नौशेरा	जम्मू और कश्मीर	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• आरएनटी का डिजिटलीकरण
51.	न्योमा	जम्मू और कश्मीर	• आरएनटी का डिजिटलीकरण
52.	पदम	जम्मू और कश्मीर	• आरएनटी का डिजिटलीकरण
53.	पुंछ	जम्मू और कश्मीर	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
54.	राजौरी	जम्मू और कश्मीर	• आरएनटी का डिजिटलीकरण
55.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	• 300 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का प्रावधान
			• डीटीएच चैनल के लिए अपलिंक में वृद्धि

1	2	3	4
56.	त्रिसूर	जम्मू और कश्मीर	• आरएनयू का डिजिटलीकरण
57.	डालटेनगंज	झारखंड	• आरएनयू का डिजिटलीकरण
58.	हजारीबाग	झारखंड	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
			• एसटीएल का प्रावधान
59.	जमशेदपुर	झारखंड	• 1 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को 10 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
60.	रांची	झारखंड	• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का प्रावधान
61.	बेंगलूरु	कर्नाटक	• 200 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर में परिवर्तित करना
			• 500 कि.वाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर (संख्या 1) में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
			• एसटीएल (संख्या 2) और आरएनटी (एसपीटी) का डिजिटलीकरण
			• डीटीएच चैनल के लिए अपलिंक में वृद्धि
62.	भद्रावती	कर्नाटक	• नया 1 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण

1	2	3	4
63.	चित्रदुर्ग	कर्नाटक	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
64.	धारवाड़	कर्नाटक	• 200 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• नए अपलिंक केन्द्र की स्थापना
			• एसटीएल और आरएनटी का डिजिटलीकरण
65.	गुलबर्गा	कर्नाटक	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
66.	मंगलौर/उदीपी	कर्नाटक	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल और आरएनटी का डिजिटलीकरण
67.	मैसूर	कर्नाटक	• आरएनटी का डिजिटलीकरण
68.	अलापुझा (एलेपी)	केरल	• आरएनटी का डिजिटलीकरण
69.	कोच्चि	केरल	• 10 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
70.	कोजीकोड (कालिकट)	केरल	• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
71.	मंजेरी	केरल	• आरएनटी का डिजिटलीकरण
72.	त्रिचूर	केरल	• नया 1 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण

1	2	3	4
73.	तिरुवन्तपुरम	केरल	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल और आरएनटी का डिजिटलीकरण
74.	बैतुल	मध्य प्रदेश	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
75.	भोपाल	मध्य प्रदेश	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल (संख्या 2) का डिजिटलीकरण
76.	छत्तरपुर	मध्य प्रदेश	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• नया 5 कि.वाट. एफएम ट्रांसमीटर
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
77.	गुना	मध्य प्रदेश	• एसटीएल का प्रावधान
78.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• नया 5 कि.वाट. एफएम ट्रांसमीटर
			• एसटीएल का प्रावधान (संख्या 2)
79.	इंदौर	पध्य प्रदेश	• 200 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण (संख्या 2)
			• एसटीएल का प्रावधान
80.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	• 200 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना

1	2	3	4
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
81.	मंडला	मध्य प्रदेश	• आरएनटी का डिजिटलीकरण
82.	राजगढ़	मध्य प्रदेश	• आरएनटी का डिजिटलीकरण
83.	रीवा	मध्य प्रदेश	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का प्रावधान
84.	शहडोल	मध्य प्रदेश	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
85.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
86.	बीड	महाराष्ट्र	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
87.	चंद्रपुर	महाराष्ट्र	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
88.	जलगांव	महाराष्ट्र	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• नया 5 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
89.	कोल्हापुर	महाराष्ट्र	• एसटीएल का डिजिटलीकरण
90.	मुम्बई	महाराष्ट्र	• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (ए) को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना
			• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (बी) को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना
			• 50 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (विविध भारती) को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण (संख्या 2)

1	2	3	4
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा में वृद्धि
			• नया डिजिटलीकरण अभिलेखीय केन्द्र
			• डीटीएच चैनल के लिए प्रसारण भवन और बोरीवली में अपलिंक में वृद्धि
91.	नागपुर	महाराष्ट्र	• 300 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• आरएनटी (एसपीटी) का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण (संख्या 3)
92.	परभणी	महाराष्ट्र	• नया 1 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का प्रावधान
93.	पुणे	महाराष्ट्र	• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल (संख्या 2) का डिजिटलीकरण
94.	रत्नागिरी	महाराष्ट्र	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• नया 1 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का प्रावधान
95.	सांगली	महाराष्ट्र	• नया 2 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का प्रावधान

1	2	3	4
96.	सतारा	महाराष्ट्र	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
			• एसटीएल का प्रावधान
97.	इम्फाल	मणिपुर	• 300 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
			• एसटीएल का प्रावधान
			• डीटीएच चैनल के लिए अपलिंक में वृद्धि
98.	नांगस्टोन	मेघालय	• आरएनयू का डिजिटलीकरण
99.	शिलांग	मेघालय	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
			• एसटीएल का प्रावधान
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण (संख्या 2)
			• डीटीएच चैनल के लिए अपलिंक में वृद्धि
100.	तुरा	मेघालय	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• नया 5 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
101.	विलियमनगर	मेघालय	• आरएनयू का डिजिटलीकरण

1	2	3	4
102.	आइजोल	मिजोरम	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
			• एसटीएल का प्रावधान
			• डीटीएच चैनल के लिए अपलिंक में वृद्धि
103.	सइहा	मिजोरम	• आरएनयू का डिजिटलीकरण
104.	कोहिमा	नागालैंड	• 300 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
			• एसटीएल का प्रावधान
			• डीटीएच चैनल के लिए अपलिंक में वृद्धि
105.	मोन	नागालैंड	• आरएनयू का डिजिटलीकरण
106.	त्युनसांग	नागालैंड	• आरएनयू का डिजिटलीकरण
107.	भवानीपटना	ओडिशा	• नया 5 कि.वाट. एफएम ट्रांसमीटर
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
108.	कटक	ओडिशा	• 300 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• 1 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को 10 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर से बदलना

1	2	3	4
			• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
			• एसटीएल और आरएनटी का डिजिटलीकरण
			• डीटीएच चैनल के लिए अपलिंक में वृद्धि
109.	जयपोर	ओडिशा	• नया 1 कि.वाट. एफएम ट्रांसमीटर
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
110.	क्योंझर	ओडिशा	• 1 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को 10 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर से बदलना
111.	राउरकेला	ओडिशा	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
112.	सम्बलपुर	ओडिशा	• नया 5 कि.वाट. एफएम ट्रांसमीटर
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• नए आरएनयू का सृजन
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
113.	सोरो	ओडिशा	• आरएनयू का डिजिटलीकरण
114.	भटिंडा	पंजाब	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
115.	जालंधर	पंजाब	• 300 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना
			• 10 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण (संख्या 2)
			• डीटीएच चैनल के लिए अपलिंक में वृद्धि

1	2	3	4
116.	पटियाला	पंजाब	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
117.	अजमेर	राजस्थान	• नया 5 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर
			• 200 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
118.	बाड़मेर	राजस्थान	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
119.	बीकानेर	राजस्थान	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का प्रावधान
120.	चितौड़गढ़	राजस्थान	• एसटीएल का डिजिटलीकरण
121.	चुरू	राजस्थान	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
			• आरएनटी का डिजिटलीकरण
122.	जयपुर	राजस्थान	• 1 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को 10 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर से बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा में वृद्धि
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
123.	जैसलमेर	राजस्थान	• 10 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
124.	जोधपुर	राजस्थान	• 300 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में पविर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण

1	2	3	4
			• नए आरएनयू का सृजन
			• एसटीएल का प्रावधान
125.	कोटा	राजस्थान	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में पविर्तित करना
			• नया 1 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर
126.	नागौर	राजस्थान	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
			• एसटीएल का प्रावधान
127.	सवाई माधोपुर	राजस्थान	• एसटीएल का डिजिटलीकरण
128.	सूरतगढ़	राजस्थान	• 300 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का प्रावधान
129.	उदयपुर	राजस्थान	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटीकरण
130.	गंगटोक	सिक्किम	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
131.	चेन्नई	तमिलनाडु	• 200 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना
			• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना
			• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण

1	2	3	4
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
			• नया डिजिटल अभिलेखीय केन्द्र
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण (संख्या 2)
			• डीटीएच चैनल के लिए अपलिंक में वृद्धि
132.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का प्रावधान
133.	धर्मापुरी	तमिलनाडु	• आरएनटी का डिजिटलीकरण
134.	कोडाईकनाल	तमिलनाडु	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
135.	मदुरई	तमिलनाडु	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• नया अपलिंक केन्द्र स्थापित करना
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
136.	तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु	• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• नया अपलिंक केन्द्र स्थापित करना
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
137.	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
138.	तूतीकोरीन	तमिलनाडु	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• नया 1 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर
			• एसटीएल का प्रावधान

1	2	3	4
139.	अगरतला	त्रिपुरा	• आरएनयू का डिजिटलीकरण • स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ • एसटीएल का प्रावधान • डीटीएच सेवा प्रारंभ
140.	कैलाशहर	त्रिपुरा	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना • एसटीएल का प्रावधान
141.	चंडीगढ़	संघ शासित क्षेत्र	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • आरएनयू का डिजिटलीकरण • न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
142.	पुदुचेरी	संघ शासित क्षेत्र (पुदुचेरी)	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • आरएनयू का डिजिटलीकरण • न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ • एसटीएल का प्रावधान
143.	कावरती	संघ शासित क्षेत्र (लक्षद्वीप)	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
144.	पोर्टब्लेयर	संघ शासित क्षेत्र (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)	• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना • स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • आरएनयू का डिजिटलीकरण • न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ • एसटीएल का प्रावधान • डीटीएच सेवा प्रारंभ
145.	आगरा	उत्तर प्रदेश	• नया 5 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर • स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • एसटीएल का डिजिटलीकरण

1	2	3	4
146.	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	• 250 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना (संख्या 2)
			• 250 कि.वाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना (संख्या 2)
			• आरएनटी का डिजिटलीकरण
147.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	• 10 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
148.	बरेली	उत्तर प्रदेश	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
149.	फैजाबाद	उत्तर प्रदेश	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
			• आरएनटी का डिजिटलीकरण
150.	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल एवं आरएनटी का डिजिटलीकरण
151.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
152.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	• 300 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
153.	मथुरा	उत्तर प्रदेश	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग एवं आरएनटी का डिजिटलीकरण
154.	नजीबाबाद	उत्तर प्रदेश	• 200 कि.वाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का प्रावधान

1	2	3	4
155.	ओबरा	उत्तर प्रदेश	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
			• आरएनटी का डिजिटलीकरण
156.	रामपुर	उत्तर प्रदेश	• नया 1 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का प्रावधान
157.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रासंमीटर से बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का प्रावधान
158.	अल्मोड़ा	उत्तराखंड	• नया 5 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
159.	गोपेश्वर	उत्तराखंड	• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
160.	मसूरी	उत्तराखंड	• 10 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
161.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	• 200 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रासंमीटर से बदलना
			• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रासंमीटर से बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
			• नया डिजिटल अभिलेखीय केन्द्र
			• डीटीएच चैनल के लिए अपलिंक में वृद्धि
162.	कर्सियांग	पश्चिम बंगाल	• 1 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को 10 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर में बदलना
			• नया 4 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण

1	2	3	4
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण (संख्या 2)
163.	मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल	• 6 किवा एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
164.	शांतिनिकेतन	पश्चिम बंगाल	• आरएनटी का डिजिटलीकरण
165.	सिलीगुड़ी	पश्चिम बंगाल	• 200 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का प्रावधान

विवरण-II

स्टूडियो और डिजिटल ट्रांसमीटरों की राज्य-वार अवस्थितियां

राज्य	स्टूडियो जिन्हें डिजिटलीकृत	डिजीटल ट्रांसमीटरों की अवस्थिति
1	2	3
आंध्र प्रदेश	विजयवाडा	हैदराबाद
		विजयवाडा
अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	
असम	डिब्रुगढ़	
	गुवाहाटी (पीपीसी)	
	सिलचर	
बिहार	मुजफ्फरपुर	पटना
छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर
	जगदलपुर	
दिल्ली		दिल्ली
गोवा	पणजी	

1	2	3
गुजरात	राजकोट	अहमदाबाद
		सूरत
		वडोदरा
		राजकोट
हिमाचल प्रदेश	शिमला	कसौली
जम्मू और कश्मीर	जम्मू	श्रीनगर
झारखंड	रांची	रांची
	डालटेनगंज	
कर्नाटक	गुलबर्गा	बेंगलूरु
		मैसूर
केरल	त्रिसूर	तिरुवनंतपुरम
		कोची
मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर
	ग्वालियर	ग्वालियर
		भोपाल
महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर
	पुणे	पुणे
		मुंबई
		औरंगाबाद
मणिपुर	इम्फाल	
मेघालय	शिलांग	
	तुरा	
मिजोरम	आइजोल	

1	2	3
नागालैंड	कोहिमा	
ओडिशा	संबलपुर	कटक
	भवानीपटना	
		जालंधर
		अमृतसर
राजस्थान		जयपुर
सिक्किम	गंगटोक	
तमिलनाडु		चेन्नै
		कोडैकनाल
त्रिपुरा	अगरतला	कानपुर
उत्तर प्रदेश	मऊ	वाराणसी
	वाराणसी	इलाहाबाद
	इलाहाबाद	बरेली
	बरेली	लखनऊ
	मथुरा	आगरा
उत्तराखंड		मसूरी
पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	कोलकाता
	शांतिनिकेतन	कर्सियांग
		कृष्णानगर
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर	
चंडीगढ़	चंडीगढ़	
पुदुचेरी	पुदुचेरी	

[अनुवाद]

एनसीएफ और आरईसी द्वारा समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर

3536. **श्री सुल्तान अहमद :** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिल्पकारों को सतत आजीविका उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय संस्कृति कोष (एनसीएफ) ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) और 'सेवा' (एसईडब्ल्यूए) के साथ किसी समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौता-ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या शिल्पकारों को सतत् आजीविका प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने/निपटान किए जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) जी, हां। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी), राष्ट्रीय संस्कृति निधि और स्वयं नियोजित महला एशोसिएशन (एसईडब्ल्यूए) फेडरेशन के मध्य एक समझौता-ज्ञापन दिनांक 14 फरवरी, 2013 को हस्ताक्षरित किया गया है।

(ख) समझौता-ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:—

उद्देश्य :

(i) अनौपचारिक अर्थव्यवस्था वाली महिला शिल्पकारों को पारंपरिक जीविकोपार्जन के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा की प्राप्ति में सहायता करना।

(ii) स्थानीय कलाओं और शिल्पों के लिए बड़े पैमाने पर स्वीकार्य और मांग का संवर्धन करना; और

(iii) अभिकल्पन सेवा केन्द्र (एक विरासत भवन) का जीर्णोद्धार और पुनर्स्थापना करना।

लागत:

परियोजना की अनुमानित लागत 158 लाख रु. है, जिसका विस्तार तीन वर्षों की अवधि तक है।

कार्य-क्षेत्र:

(i) क्षमता-निर्माण और नियमित पुनश्चर्या प्रशिक्षणों के माध्यम से कौशल स्तरोन्नयन।

(ii) मार्केटिंग सहायता और बाजार-संपर्कों का सुदृढ़ीकरण।

(iii) अभिकल्पन सेवा-केंद्र का जीर्णोद्धार और पुनर्स्थापन।

(ग) **गुजरात राज्य महिला सेवा कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड** द्वारा "शिल्प विरासत पुनर्स्थापन और शिल्पकारों के लिए सतत् आजीविका प्रदान करना" से संबंधित परियोजना-प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है।

(घ) जैसा कि प्रश्न के (क) भाग के उत्तर में कहा गया है, आरईसी, एनसीएफ और एसईडब्ल्यूए फेडरेशन द्वारा 14 फरवरी, 2013 को समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित कर दिया गया है। परियोजना कार्यान्वयन समिति (पीआईसी) की बैठक उसी दिन आयोजित की गई थी। पीआईसी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, नई दिल्ली स्थित एसबीआई बैंक में एक संयुक्त खाता खोला गया है। आरईसी ने इस संयुक्त खाते में परियोजना लागत की 10 प्रतिशत राशि समझौता-ज्ञापन के अनुसार जमा कर दिया है। सेवा फेडरेशन ने परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य प्रारंभ कर दिया है।

(ङ) परियोजना का अनुमोदन पहले ही किया जा चुका है।

आतंकवादियों के स्लीपर-सैल

3537. **श्री शैलेन्द्र कुमार :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ सामाजिक और धार्मिक संगठन देश में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठन/स्लीपर सैल बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में बने ऐसे उभरते आतंकी संगठनों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए क्या निवारक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि देश में सामाजिक सौहार्द कायम रखा जा सके?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) उपलब्ध आसूचना के अनुसार, सरकार ऐसी गतिविधियों से अवगत नहीं है। तथापि, ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने और उनकी निगरानी करने के लिए केन्द्र और राज्य स्तरों पर आसूचना एजेंसियों के बीच बहुत घनिष्ठ और कारगर समन्वय मौजूद है। संभावित योजनाओं और खतरों के बारे में आसूचना जानकारियों का नियमित आधार पर राज्य सरकारों के साथ आदान-प्रदान किया जाता है। बहु-एजेंसी केन्द्र (एमएसी) का सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन किया गया है ताकि यह अन्य आसूचना एजेंसियों के साथ सही समय पर आसूचना के मिलान और आदान-प्रदान करने हेतु 24x7 आधार पर कार्य कर सके और स्थापित तंत्र के माध्यम से संबंधित राज्यों के साथ सुरक्षा आसूचना जानकारियों का आदान-प्रदान किया जाता है जिससे राज्यों और केन्द्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसी के बीच घनिष्ठ समन्वय और आसूचना का आदान-प्रदान और सूचना का अबाध प्रवाह सुनिश्चित होता है।

दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों का आधुनिकीकरण

3538. श्री एस. अलागिरी :
श्री लक्ष्मण टुडु :
श्री भूपेन्द्र सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश के सागर जिले सहित देश में स्थापित अन्य आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों के स्तरोन्नयन और आधुनिकीकरण का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का मध्य प्रदेश के सागर जिले सहित देश के दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों की प्रसारण-क्षमता बढ़ाने का भी विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और दूरदर्शन केन्द्र-वार/आकाशवाणी केन्द्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बारहवीं पंचवर्षीय योजना में दूरदर्शन के नए ट्रांसमीटरों की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों के उन्नयन/आधुनिकीकरण का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है और इस संबंध में स्कीमों को समय-समय पर निरुपित व कार्यान्वित किया जा रहा है।

11वीं योजना से चली आ रहीं दूरदर्शन की सतत् स्कीमों के भाग के रूप में आधुनिकीकरण की निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की गई है:—

1. डिजिटल एचपीटी (संख्या-40) — संलग्न विवरण-I में दिए गए ब्यौरे के अनुसार
2. 39 स्टूडियों केन्द्रों का पूर्ण डिजिटलीकरण संलग्न विवरण-II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार
3. मौजूदा पुराने एचपीटी (संख्या-15) का प्रतिस्थापन
4. 100 वॉट के मौजूदा पुराने एलपीटी (संख्या-110) का 500 वॉट के स्वचालित पद्धति वलो (1+1) एलपीटी द्वारा प्रतिस्थापन
5. कैमरा चेन्स, प्रोडक्शन स्विचर्स, लोगों जेनरेटर गांव कलर मॉनीटर आदि जैसे पुराने हो रहे डपस्करों के प्रतिस्थापन द्वारा 20 स्टूडियों केन्द्रों का आधुनिकीकरण

जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, 11वीं योजना में मौजूदा 207 आकाशवाणी केन्द्रों के उन्नयन व आधुनिकीकरण के लिए अनुमोदित स्कीम को शुरू किया गया है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

इस समय मध्य प्रदेश में सागर स्थित आकाशवाणी केन्द्र को स्तरोन्नत/आधुनिकीकृत करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं हैं।

सागर में दूरदर्शन का एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर तथा खुराई में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (डीडी) सागर जिले में कार्यशील हैं और

इसलिए इन ट्रांसमीटरों को स्तरोन्नत/प्रतिस्थापित करने के लिए कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

आकाशवाणी के मौजूदा 12 ट्रांसमीटरों की ट्रांसमिशन क्षमता का उन्नयन किया जा रहा है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया जा रहा है।

(ङ) और (च) व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के लिए ज्ञापन तैयार कर लिया गया है जिसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना में दूरदर्शन के नए ट्रांसमीटरों की स्थापना करना शामिल है। ईएफसी की अनुशंसा पर इस स्कीम के संबंध में अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

विवरण-I

11वीं योजना के भाग के रूप में स्थापित किए जाने वाले डिजीटल ट्रांसमीटर

राज्य	फेज-I	फेज-II
1	2	3
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	विजयवाडा
असम	गुवाहाटी	
बिहार	पटना	
छत्तीसगढ़	रायपुर	
दिल्ली	दिल्ली	
गोवा	पणजी	
गुजरात	अहमदाबाद	सूरत
		वडोदरा
		राजकोट
हिमाचल प्रदेश		कसौली
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	
झारखंड	रांची	
कर्नाटक	बेंगलूरु	मैसूर
केरल	तिरुवनंतपुरम	कोची
मध्य प्रदेश	भोपाल	ग्वालियर
	इंदौर	

1	2	3
महाराष्ट्र	मुंबई	नागपुर
	औरंगाबाद	पुणे
ओडिशा	कटक	
पंजाब	जालंधर	अमृतसर
राजस्थान		जयपुर
तमिलनाडु	चेन्नै	कोडैकनाल
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	कानपुर
		वाराणसी
		इलाहाबाद
		आगरा
		बरेली
उत्तराखंड		मसूरी
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कर्सियांग
		कृष्णानगर

विवरण-II

11वीं योजना के भाग के रूप में पूर्णत: डिजिटलीकृत किए जाने वाले दूरदर्शन केन्द्र

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पूर्णत: डिजिटलीकृत किए जाने वाले दूरदर्शन केन्द्र
1	2
आंध्र प्रदेश	विजयवाडा
अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर
असम	डिब्रुगढ़
	गुवाहाटी (पीपीसी)
	सिलचर
बिहार	मुजफ्फरपुर
छत्तीगढ़	रायपुर
	जगदलपुर
गोवा	पणजी
गुजरात	राजकोट

1	2	1	2
हिमाचल प्रदेश	शिमला	ओडिशा	सम्बलपुर
जम्मू और कश्मीर	जम्मू		भवानीपटना
झारखंड	रांची	सिक्किम	गंगटोक
	डालटेनगंज	त्रिपुरा	अगरतला
कर्नाटक	गुलबर्गा	उत्तर प्रदेश	मऊ
केरल	त्रिचूर		वाराणसी
मध्य प्रदेश	इंदौर		इलाहाबाद
	ग्वालियर		बरेली
महाराष्ट्र	नागपुर		मथुरा
	पुणे	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी
मणिपुर	इम्फाल		शांतिनिकेतन
मेघालय	शिलांग	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर
	तुरा		
मिजोरम	आइजोल	चंडीगढ़	चंडीगढ़
नागालैंड	कोहिमा	पुदुचेरी	पुदुचेरी

विवरण-III

मोडरनाइजेशन/उन्नयन स्कीम के ब्यौरे सहित विद्यमान आकाशवाणी केन्द्रों की सूची

क्र. सं.	केन्द्र	राज्य	आकाशवाणी नेटवर्क के डिजिटलीकरण की योजना के अव्यय
1	2	3	4
1.	अदिलाबाद	आंध्र प्रदेश	• 1 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को 10 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर में बदलना
2.	अनंतपुर	आंध्र प्रदेश	• एसटीएल का प्रावधान

1	2	3	4
			• यूपीएस का प्रावधान
3.	कुडप्पा	आंध्र प्रदेश	• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• नया 1 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
4.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन का सेवा में वृद्धि
			• नया डिजिटल अभिलेखीय केन्द्र
			• एसटीएल (सं. 2) का डिजिटलीकरण
			• डीटीएच चैनल के लिए अपलिंक में वृद्धि
5.	कोठागुडम	आंध्र प्रदेश	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदला
6.	कुरनूल	आंध्र प्रदेश	• यूपीएस का प्रावधान
7.	मरकापुरम	आंध्र प्रदेश	• यूपीएस का प्रावधान
8.	मचरेला	आंध्र प्रदेश	• आरएनटी का डिजिटलीकरण
9.	निजामाबाद	आंध्र प्रदेश	• आरएनटी का डिजिटलीकरण
			• यूपीएस का प्रावधान
10.	तिरुपति	आंध्र प्रदेश	• एसटीएल (सं. 2) का प्रावधान
			• यूपीएस का प्रावधान
11.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर में बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू और एसटीएल का डिजिटलीकरण

1	2	3	4
			• यूपीएस का प्रावधान
			• टेलीमेट्री प्रणाली का प्रावधान
12.	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• नए आरएनटी का सृजन
			• एसटीएल का प्रावधान
			• यूपीएस का प्रावधान
13.	वारंगल	आंध्र प्रदेश	• यूपीएस का प्रावधान
14.	ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश	• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का 200 कि.वाट डीआरएम ट्रांसमीटर में उन्नयन
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
			• डीटीएच चैनल के अपलिंक में वृद्धि
15.	पासीघाट	अरुणाचल प्रदेश	• 10 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का 100 कि.वाट डीआरएम ट्रांसमीटर में उन्नयन
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• नया आरएनयू का सृजन
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
16.	तवांग	अरुणाचल प्रदेश	• 10 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का 20 कि.वाट डीआरएम ट्रांसमीटर में उन्नयन
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
17.	तेजू	अरुणाचल प्रदेश	• एसटीएल का डिजिटलीकरण

1	2	3	4
18.	डिब्रूगढ़	असम	• 300 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना।
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• नया 1 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
19.	धुबरी	असम	• यूपीएस का प्रावधान
20.	गुवाहाटी	असम	• 10 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का 20 कि.वाट डीआरएम ट्रांसमीटर में उन्नयन
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा में वृद्धि
			• एसटीएल (सं. 2) और आरएनटी का डिजिटलीकरण
			• डीटीएच चैनल के लिए अपलिंग में वृद्धि
			• यूपीएस का प्रावधान
21.	हाफ्लांग	असम	• यूपीएस का प्रावधान
22.	कोकराझार	असम	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
23.	नौगांव	असम	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
24.	सिलचर	असम	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
			• टेलीमेट्री प्रणाली का प्रावधान

1	2	3	4
25.	तेजपुर	असम	• नया 1 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर • एसटीएल का डिजिटलीकरण • टेलीमेट्री प्रणाली का प्रावधान
26.	भागलपुर	बिहार	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • एसटीएल का प्रावाधान
27.	दरभंगा	बिहार	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना • स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • नए आरएनयू का सृजन • एसटीएल का डिजिटलीकरण • टेलीमेट्री प्रणाली का प्रावधान
28.	पटना	बिहार	• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना • स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • आरएनयू का डिजिटलीकरण • न्यूज ऑन फोन सेवा में वृद्धि • एसटीएल का डिजिटलीकरण • यूपीएस का प्रावधान
29.	पुर्णिया	बिहार	• यूपीएस का प्रावधान
30.	सासाराम	बिहार	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
31.	अम्बिकापुर	छत्तीसगढ़	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना • स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • नया 5 कि.वाट एमएफ ट्रांसमीटर • एसटीएल का डिजिटलीकरण • टेलीमेट्री प्रणाली का प्रावधान

1	2	3	4
32.	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
33.	जगदलपुर	छत्तीसगढ़	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
34.	रायगढ़	छत्तीसगढ़	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
35.	रायपुर	छत्तीसगढ़	• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा में वृद्धि
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
36.	सरायपल्ली	छत्तीसगढ़	• आरएनयू का डिजिटलीकरण
37.	दिल्ली	दिल्ली	• 200 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड से बदला
			• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड से बदला
			• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• 100 कि.वाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर (संख्या 2) से बदलना
			• 250 कि.वाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड (संख्या 2) में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण (संख्या 3)
			• विद्यमान अभिलेखनीय केन्द्र में वृद्धि
			• आरएनटी का डिजिटलीकरण (एनसी)
			• डीटीएच चैनल के लिए नव प्रसारण भवन में अपलिंक और टोडापुर में डाउनलिंक में वृद्धि
38.	पणजी	गोवा	• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना

1	2	3	4
			• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
39.	अहमदाबाद	गुजरात	• 200 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
			• डीटीएच चैनल के लिए अपलिंक में वृद्धि
			• एसटीएल (संख्या 2) का डिजिटलीकरण
			• यूपीएस का प्रावधान
40.	भुज	गुजरात	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• नया 5 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
			• टेलीमेट्री प्रणाली का प्रावधान
41.	गोधरा	गुजरात	• यूपीएस का प्रावधान
42.	हिम्मतनगर	गुजरात	• आरएनयू का डिजिटलीकरण
43.	राजकोट	गुजरात	• 300 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण

1	2	3	4
			• नए आरएनयू का सृजन
			• एसटीएल का प्रावधान
			• आरएनटी (एसपीटी) का डिजिटलीकरण
			• यूपीएस का प्रावधान
44.	वडोदरा	गुजरात	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• यूपीएस का प्रावधान
45.	हिसार	हरियाणा	• यूपीएस का प्रावधान
46.	रोहतक	हरियाणा	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
			• टेलीमेट्री प्रणाली का प्रावधान
47.	धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश	• 10 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
48.	हमीरपुर	हिमाचल प्रदेश	• यूपीएस का प्रावधान
49.	कसौली	हिमाचल प्रदेश	• 10 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
			• टेलीमेट्री प्रणाली का प्रावधान
50	कुल्लू	हिमाचल प्रदेश	• यूपीएस का प्रावधान
51.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का प्रावधान

1	2	3	4
52.	भदरवा	जम्मू और कश्मीर	• आरएनयू का डिजिटलीकरण
53.	डिसकिट	जम्मू और कश्मीर	• आरएनयू का डिजिटलीकरण
54.	द्रास	जम्मू और कश्मीर	• आरएनयू का डिजिटलीकरण
55.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	• 300 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना • 3 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर का 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर में उन्नयन • स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • आरएनयू का डिजिटलीकरण • एसटीएल का डिजिटलीकरण
56.	कारगिल	जम्मू और कश्मीर	• 200 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना • स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • नए आरएनयू का सृजन • आरएनटी (संख्या 2) का डिजिटलीकरण
57.	खलसी	जम्मू और कश्मीर	• आरएनटी का डिजिटलीकरण
58.	कुपवाड़ा	जम्मू और कश्मीर	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना • आरएनटी का डिजिटलीकरण
59.	लेह	जम्मू और कश्मीर	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना • आरएनटी का डिजिटलीकरण • टेलीमेट्री प्रणाली का प्रावधान
60.	नौशेरा	जम्मू और कश्मीर	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना • आरएनटी का डिजिटलीकरण

1	2	3	4
61.	न्योमा	जम्मू और कश्मीर	• आरएनटी का डिजिटलीकरण
62.	पदम	जम्मू और कश्मीर	• आरएनटी का डिजिटलीकरण
63.	पुंछ	जम्मू और कश्मीर	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
64.	राजौरी	जम्मू और कश्मीर	• आरएनटी का डिजिटलीकरण
65.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	• 300 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का प्रावधान
			• डीटीएच चैनल के लिए अपलिंक में वृद्धि
			• यूपीएस का प्रावधान
66.	त्रिसूर	जम्मू और कश्मीर	• आरएनयू का डिजिटलीकरण
67.	चाईबासा	झारखंड	• यूपीएस का प्रावधान
68.	डालटेनगंज	झारखंड	• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• यूपीएस का प्रावधान
69.	हजारीबाग	झारखंड	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
			• एसटीएल का प्रावधान
			• टेलीमेट्री प्रणाली का प्रावधान
70.	जमशेदपुर	झारखंड	• 1 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को 10 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• यूपीएस का प्रावधान

1	2	3	4
71.	रांची	झारखंड	• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
72.	बेंगलूरु	कर्नाटक	• 200 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर में परिवर्तित करना
			• 500 कि.वाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर (संख्या 1) में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
			• एसटीएल (संख्या 2) और आरएनटी (एसपीटी) का डिजिटलीकरण
			• डीटीएच चैनल के लिए अपलिंक में वृद्धि
			• यूपीएस का प्रावधान
73.	भद्रावती	कर्नाटक	• नया 1 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
74.	बीजापुर	कर्नाटक	• यूपीएस का प्रावधान
75.	चित्रदुर्ग	कर्नाटक	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
76.	धारवाड़	कर्नाटक	• 200 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण

1	2	3	4
			• नए अपलिंक केन्द्र की स्थापना
			• एसटीएल और आरएनटी का डिजिटलीकरण
			• यूपीएस का प्रावधान
77.	गुलबर्गा	कर्नाटक	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
78.	होस्पेट	कर्नाक	• यूपीएस का प्रावधान
79.	हासन	कर्नाटक	• यूपीएस का प्रावधान
80.	मंगलौर/उदीपी	कर्नाटक	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल और आरएनटी का डिजिटलीकरण
			• यूपीएस का प्रावधान
			• टेलीमेट्री प्रणाली का प्रावधान
81.	मरकारा	कर्नाटक	• यूपीएस का प्रावधान
82.	मैसूर	कर्नाटक	• आरएनटी का डिजिटलीकरण
			• यूपीएस का प्रावधान
83.	रायचूर	कर्नाटक	• यूपीएस का प्रावधान
84.	अलापुझां (एलेपी)	केरल	• आरएनटी का डिजिटलीकरण
85.	कन्नूर	केरल	• यूपीएस का प्रावधान
86.	इदुकी	केरल	• यूपीएस का प्रावधान
87.	कोच्चि	केरल	• 10 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
88.	कोजीकोड (कालिकट)	केरल	• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण

1	2	3	4
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
			• यूपीएस का प्रावधान
89.	मंजेरी	केरल	• आरएनटी का डिजिटलीकरण
90.	त्रिचूर	केरल	• नया 1 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
91.	तिरुवन्तपुरम	केरल	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा में वृद्धि
			• एसटीएल का प्रावधान
			• एसटीएल (संख्या 2) का डिजिटलीकरण
			• डीटीएच चैनल के लिए अपलिंक में वृद्धि
			• यूपीएस का प्रावधान
			• टेलीमेट्री प्रणाली का प्रावधान
92.	बालाघाट	मध्य प्रदेश	• यूपीएस का प्रावधान
93.	बैतुल	मध्य प्रदेश	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
94.	भोपाल	मध्य प्रदेश	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल (संख्या 2) का डिजिटलीकरण
			• यूपीएस का प्रावधान
95.	छत्तरपुर	मध्य प्रदेश	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना

1	2	3	4
			• नया 5 कि.वाट. एफएम ट्रांसमीटर
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
			• टेलीमेट्री प्रणाली का प्रावधान
96.	छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश	• यूपीएस का प्रावधान
97.	गुना	मध्य प्रदेश	• एसटीएल का प्रावधान
98.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• नया 5 कि.वाट. एफएम ट्रांसमीटर
			• एसटीएल का प्रावधान (संख्या 2)
			• स्टूडियो की पुर्नसज्जा
99.	इंदौर	मध्य प्रदेश	• 200 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण (संख्या 2)
			• एसटीएल का प्रावधान
100.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	• 200 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
			• यूपीएस का प्रावधान
101.	मंडला	मध्य प्रदेश	• आरएनटी का डिजिटलीकरण
102.	राजगढ़	मध्य प्रदेश	• आरएनटी का डिजिटलीकरण
103.	रीवा	मध्य प्रदेश	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना

1	2	3	4
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का प्रावधान
			• टेलीमेट्री प्रणाली का प्रावधान
104.	शहडोल	मध्य प्रदेश	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
105.	सागर	मध्य प्रदेश	• यूपीएस का प्रावधान
106.	शिवपुरी	मध्य प्रदेश	• यूपीएस का प्रावधान
107.	अहमदनगर	महाराष्ट्र	• यूपीएस का प्रावधान
108.	अकोला	महाराष्ट्र	• यूपीएस का प्रावधान
109.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
110.	बीड	महाराष्ट्र	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
111.	चंद्रपुर	महाराष्ट्र	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
112.	धुले	महाराष्ट्र	• यूपीएस का प्रावधान
113.	जलगांव	महाराष्ट्र	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• नया 5 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• टेलीमेट्री प्रणाली का प्रावधान
114.	कोल्हापुर	महाराष्ट्र	• एसटीएल का डिजिटलीकरण
			• यूपीएस का प्रावधान
115.	मुम्बई	महाराष्ट्र	• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (ए) को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना
			• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (बी) को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना

1	2	3	4
			• 50 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (विविध भारती) को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण (संख्या 2)
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा में वृद्धि
			• नया डिजिटलीकरण अभिलेखीय केन्द्र
			• डीटीएच चैनल के लिए प्रसारण भवन और बोरीवली में अपलिंक में वृद्धि
			• यूपीएस का प्रावधान
116.	नागपुर	महाराष्ट्र	• 300 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• आरएनटी (एसपीटी) का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण (संख्या 3)
			• यूपीएस का प्रावधान
117.	नांदेड	महाराष्ट्र	• यूपीएस का प्रावधान
118.	नासिक	महाराष्ट्र	• यूपीएस का प्रावधान
119.	ओसमानाबाद	महाराष्ट्र	• यूपीएस का प्रावधान
120.	परभणी	महाराष्ट्र	• नया 1 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का प्रावधान
121.	पुणे	महाराष्ट्र	• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल (संख्या 2) का डिजिटलीकरण

1	2	3	4
122.	रत्नागिरी	महाराष्ट्र	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना • नया 1 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर • स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • एसटीएल का प्रावधान • टेलीमेट्री का प्रावधान • स्टूडियो को पुनः सुसज्जित करना
123.	सांगली	महाराष्ट्र	• नया 1 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर • स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • एसटीएल का प्रावधान • स्टूडियो को पुनः सुसज्जित करना
124.	सतारा	महाराष्ट्र	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना • एसटीएल का प्रावधान
125.	यवतमाल	महाराष्ट्र	• यूपीएस का प्रावधान
126.	इम्फाल	मणिपुर	• 300 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना • स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • आरएनयू का डिजिटलीकरण • न्यूज ऑन फोन सेवा में वृद्धि • एसटीएल का डिजिटलीकरण • डीटीएच चैनल के लिए अपलिंक में वृद्धि • यूपीएस का प्रावधान
127.	जोवाई	मेघालय	• यूपीएस का प्रावधान
128.	नांगस्टोन	मेघालय	• आरएनयू का डिजिटलीकरण

1	2	3	4
129.	शिलांग	मेघालय	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना • स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • आरएनयू का डिजिटलीकरण • न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ • एसटीएल का प्रावधान • एसटीएल का डिजिटलीकरण (संख्या 2) • डीटीएच चैनल के लिए अपलिंक में वृद्धि • यूपीएस का प्रावधान
130.	तुरा	मेघालय	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना • नया 5 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर • स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • एसटीएल का डिजिटलीकरण • टेलीमेट्री प्रणाली का प्रावधान
131.	विलियमनगर	मेघालय	• आरएनयू का डिजिटलीकरण • एचडीबीएस प्रणाली का प्रावधान
132.	आइजोल	मिजोरम	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना • 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना • स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • आरएनयू का डिजिटलीकरण • न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ • एसटीएल का प्रावधान • डीटीएच चैनल के लिए अपलिंक में वृद्धि

1	2	3	4
			• टेलीमेट्री प्रणाली का प्रावधान
133.	लुंगलेह	मिजोरम	• यूपीएस का प्रावधान
134.	सेहा	मिजोरम	• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• एचडीबीएस प्रणाली का प्रावधान
135.	जीरो	मिजोरम	• एचडीबीएस प्रणाली का प्रावधान
136.	कोहिमा	नागालैंड	• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
			• एसटीएल का प्रावधान
			• डीटीएच चैनल के लिए अपलिंक में वृद्धि
137.	मोकोकचुंग	नागालैंड	• यूपीएस का प्रावधान
138.	मोन	नागालैंड	• आरएनटी का डिजिटलीकरण
			• टेलीमेट्री प्रणाली का प्रावधान
139.	त्युनसांग	नागालैंड	• आरएनटी का डिजिटलीकरण
			• टेलीमेट्री प्रणाली का प्रावधान
140.	भवानीपटना	ओडिशा	• नया 5 कि.वाट. एफएम ट्रांसमीटर
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
141.	बरहामपुर	ओडिशा	• यूपीएस का प्रावधान
142.	बोलनगिर	ओडिशा	• यूपीएस का प्रावधान
143.	कटक	ओडिशा	• 300 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना

1	2	3	4
			• 1 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को 10 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर से बदलना
			• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
			• एसटीएल और आरएनटी का डिजिटलीकरण
			• डीटीएच चैनल के लिए अपलिंक में वृद्धि
			• टेलीमेट्री प्रणाली का प्रावधान
144.	जयपोर	ओडिशा	• नया 1 कि.वाट. एफएम ट्रांसमीटर
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
145.	क्योंझर	ओडिशा	• 1 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को 10 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर से बदलना
146.	राउरकेला	ओडिशा	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
147.	सम्बलपुर	ओडिशा	• नया 5 कि.वाट. एफएम ट्रांसमीटर
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• नए आरएनयू का सृजन
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
148.	सोरो	ओडिशा	• आरएनयू का डिजिटलीकरण
149.	भटिंडा	पंजाब	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
150.	जालंधर	पंजाब	• 300 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना
			• 10 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना

1	2	3	4
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण (संख्या 2)
			• डीटीएच चैनल के लिए अपलिंक में वृद्धि
			• टेलीमेट्री प्रणाली का प्रावधान
151.	पटियाला	पंजाब	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
152.	अजमेर	राजस्थान	• नया 5 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर
			• 200 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
153.	बाड़मेर	राजस्थान	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
154.	बीकानेर	राजस्थान	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का प्रावधान
155.	चितौड़गढ़	राजस्थान	• एसटीएल का डिजिटलीकरण
156.	चुरू	राजस्थान	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
			• आरएनटी का डिजिटलीकरण
157.	जयपुर	राजस्थान	• 1 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को 10 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर से बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा में वृद्धि
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
158.	जैसलमेर	राजस्थान	• 10 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण

1	2	3	4
159.	झालावाड़	राजस्थान	• यूपीएस का प्रावधान
160.	जोधपुर	राजस्थान	• 300 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में पविर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• नए आरएनयू का सृजन
			• एसटीएल का प्रावधान
			• यूपीएस का प्रावधान
161.	कोटा	राजस्थान	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में पविर्तित करना
			• नया 1 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर
162.	माउंट आबू	राजस्थान	• यूपीएस का प्रावधान
163.	नागौर	राजस्थान	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
			• एसटीएल का प्रावधान
			• टेलीमेट्री प्रणाली का प्रावधान
164.	सवाई माधोपुर	राजस्थान	• एसटीएल का डिजिटलीकरण
			• यूपीएस का प्रावधान
165.	सूरतगढ़	राजस्थान	• 300 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का प्रावधान
166.	उदयपुर	राजस्थान	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटीकरण
167.	गंगटोक	सिक्किम	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण

1	2	3	4
			• एसटीएल का डिजिटीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
			• टेलीमेट्री प्रणाली का प्रावधान
168.	चेन्नई	तमिलनाडु	• 200 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना
			• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना
			• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
			• नया डिजिटल अभिलेखीय केन्द्र
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण (संख्या 2)
			• डीटीएच चैनल के लिए अपलिंक में वृद्धि
169.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का प्रावधान
			• यूपीएस का प्रावधान
170.	धर्मापुरी	तमिलनाडु	• आरएनटी का डिजिटलीकरण
			• यूपीएस का प्रावधान
171.	कोडाईकनाल	तमिलनाडु	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
			• यूपीएस का प्रावधान
172.	मदुरई	तमिलनाडु	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• नया अपलिंक केन्द्र स्थापित करना
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण

1	2	3	4
173.	नागरकोइल	तमिलनाडु	• यूपीएस का प्रावधान
174.	तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु	• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• नया अपलिंक केन्द्र स्थापित करना
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
			• यूपीएस का प्रावधान
175.	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु	• 20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
			• टेलीमेट्री प्रणाली का प्रावधान
176.	तूतीकोरीन	तमिलनाडु	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• नया 1 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर
			• एसटीएल का प्रावधान
177.	अगरतला	त्रिपुरा	• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
			• एसटीएल का प्रावधान
			• डीटीएच सेवा प्रारंभ
			• यूपीएस का प्रावधान
178.	बेलोनिया	त्रिपुरा	• यूपीएस का प्रावधान
179.	कैलाशहर	त्रिपुरा	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
			• एसटीएल का प्रावधान

1	2	3	4
			• टेलीमेट्री प्रणाली का प्रावधान
180.	चंडीगढ़	संघ शासित क्षेत्र	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • आरएनयू का डिजिटलीकरण • न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ • यूपीएस का प्रावधान
181.	पुदुचेरी	संघ शासित क्षेत्र (पुदुचेरी)	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • आरएनयू का डिजिटलीकरण • न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ • एसटीएल का प्रावधान
182.	कावरती	संघ शासित क्षेत्र (लक्षद्वीप)	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
183.	पोर्टब्लेयर	संघ शासित क्षेत्र (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)	• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना • स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • आरएनयू का डिजिटलीकरण • न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ • एसटीएल का प्रावधान • डीटीएच सेवा प्रारंभ
184.	आगरा	उत्तर प्रदेश	• नया 5 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर • स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण • एसटीएल का डिजिटलीकरण
185.	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	• 250 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना (संख्या 2) • 250 कि.वाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना (संख्या 2) • आरएनटी का डिजिटलीकरण • यूपीएस का प्रावधान

1	2	3	4
186.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	• 10 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
187.	बरेली	उत्तर प्रदेश	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
188.	फैजाबाद	उत्तर प्रदेश	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
			• आरएनटी का डिजिटलीकरण
189.	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल एवं आरएनटी का डिजिटलीकरण
190.	झांसी	उत्तर प्रदेश	• यूपीएस का प्रावधान
191.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
192.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	• 300 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा में वृद्धि
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण
			• यूपीएस का प्रावधान
193.	मथुरा	उत्तर प्रदेश	• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग एवं आरएनटी का डिजिटलीकरण
194.	नजीबाबाद	उत्तर प्रदेश	• 200 कि.वाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम मोड में परिवर्तित करना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का प्रावधान
195.	ओबरा	उत्तर प्रदेश	• 6 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
			• आरएनटी का डिजिटलीकरण

1	2	3	4
196.	रामपुर	उत्तर प्रदेश	• नया 1 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का प्रावधान
197.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रासंमीटर से बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का प्रावधान
198.	अल्मोड़ा	उत्तराखंड	• नया 5 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
199.	चमोली	उत्तराखंड	• एचडीबीएस प्रणाली का प्रावधान
200.	देहरादून	उत्तराखंड	• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
201.	मसूरी	उत्तराखंड	• 10 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
202.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	• यूपीएस का प्रावधान
203.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	• 200 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रासंमीटर से बदलना
			• 100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रासंमीटर से बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• न्यूज ऑन फोन सेवा प्रारंभ
			• नया डिजिटल अभिलेखीय केन्द्र
			• डीटीएच चैनल के लिए अपलिंक में वृद्धि
			• यूपीएस का प्रावधान
204.	कर्सियांग	पश्चिम बंगाल	• 1 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को 10 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर में बदलना
			• नया 5 कि.वाट एफएम ट्रांसमीटर

1	2	3	4
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• आरएनयू का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का डिजिटलीकरण (संख्या 2)
205.	मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल	• 6 किवा एफएम ट्रांसमीटर को बदलना
206.	शांतिनिकेतन	पश्चिम बंगाल	• आरएनटी का डिजिटलीकरण
207.	सिलीगुड़ी	पश्चिम बंगाल	• 200 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डीआरएम ट्रांसमीटर से बदलना
			• स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण
			• एसटीएल का प्रावधान
			• यूपीएस का प्रावधान

विवरण-IV

स्थानों की सूची प्रेषित्रों की क्षमता का उन्नयन किया जाना है

क्र.सं.	केन्द्र	राज्य	विद्यमान क्षमता	प्रस्तावित क्षमता
1.	अदिलाबाद	आंध्र प्रदेश	1 किवा मी.वेव	10 किवा एफ.एम.
2.	ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश	100 किवा मी.वेव	200 किवा एफ.एम.
3.	पासीघाट	अरुणाचल प्रदेश	10 किवा मी.वेव	100 किवा एफ.एम.
4.	तवांग	अरुणाचल प्रदेश	10 किवा मी.वेव	20 किवा एफ.एम.
5.	गुवाहाटी	असम	10 किवा मी.वेव	20 किवा एफ.एम.
6.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	3 किवा मी.वेव	6 किवा एफ.एम.
7.	जमशेदपुर	झारखंड	1 किवा मी.वेव	10 किवा एफ.एम.
8.	कटक	ओडिशा	1 किवा मी.वेव	10 किवा एफ.एम.
9.	क्योंझार	ओडिशा	1 किवा मी.वेव	10 किवा एफ.एम.
10.	जालंधर	पंजाब	1 किवा मी.वेव	10 किवा एफ.एम.
11.	करसियांग	पश्चिम बंगाल	1 किवा मी.वेव	10 किवा मी.वेव
12.	कावारती	लक्षद्वीप (संघ शासित क्षेत्र)		

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बांस मिशन

3539. **श्री दत्ता मेघे :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत बांस के परिवहन पर कुछ छूट देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत बांस के परिवहन पर किसी प्रकार की छूट देने का कोई विचार नहीं है।

[अनुवाद]

गैर-खेतीशुदा भूमि

3540. **श्री पन्ना लाल पुनिया :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में किसानों ने उर्वरकों की बढ़ती कीमतों और फसलों की खरीद की कम संभावना के कारण 2.8 लाख हैक्टेयर भूमि पर खेती नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे मामलों की जानकारी देश के विभिन्न भागों से भी मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचना दी है कि राज्य में ऐसी किसी गैर-कृषि भूमि की सूचना नहीं है। तथापि रबी/ग्रीष्म मौसम में, सिंचाई परियोजनाओं से कम जल निकासी के कारण चावल के अंतर्गत क्षेत्र में कमी आई है। किसानों ने अन्य वैकल्पिक फसलों जैसे तिल, मक्का, मूंग, मूंगफली तथा ग्रीष्मकालीन सब्जियों आदि को अपना लिया है।

(ग) और (घ) देश के अन्य भागों के संबंध में वर्ष 2012-13 के दौरान अनियमित वर्षा तथा सूखा स्थितियों के कारण कुछ राज्यों में विभिन्न फसलों के तहत क्षेत्र कवरेज में औसत गिरावट आई है।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

3541. **श्री मानिक टैगोर :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का प्रतिवर्ष दिए जाने वाले विभिन्न फिल्म-पुरस्कारों के साथ स्टेटमैन श्रेणी के लिए भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (ग) जी, नहीं। प्रत्येक वर्ष भारत में विभिन्न भाषाओं में निर्मित फिल्मों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत दिए जाने वाले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का उद्देश्य सिनेमाई रूप में देश के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों की समझ व मूल्यांकन में योगदान देने वाली सौंदर्यबोधक व तकनीकी उत्कृष्टता और साथ ही, सामाजिक प्रासंगिकता वाली फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करना और एतद्द्वारा राष्ट्र की एकता व अखंडता को प्रोन्नत करना है। किसी नए पुरस्कार की शुरुआत उपर्युक्त उद्देश्यों के अंतर्गत तथा फिल्म उद्योग के विशेषज्ञों द्वारा तत्संबंधी जांच/अनुशंसा के पश्चात् की जानी होगी।

शुष्क भूमि पर कृषि

3542. **श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान फसलों के उत्पादन और शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत आने वाले भू-क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में शुष्क भूमि कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश में समुचित भू-उपचार की ऐसी प्रौद्योगिकियां/प्राविधियां विद्यमान हैं जिनसे भूमि में नमी बनाई रखी जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्षा-सिंचित/शुल्क भूमि क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र फसल अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआईएसएटी) द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) कृषि मंत्रालय सिंचित तथा शुष्क भूमि/वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए अलग से फसल उत्पादन आंकड़े नहीं रखता है। उपलब्ध अनुमानों के आधार पर शुष्क भूमि/वर्षा सिचित स्थितियों के अंतर्गत मुख्य वर्षा सिंचित/शुष्म भूमि फसलें तथा उनका प्रतिशत कवरेज: चावल (चावल 42%) ज्वार (91%) बाजरा (91%), मक्का (61%), चना (68%), तूर (95%), मूंगफली (76%) तथा सोयाबीन (99%) है। पिछले तीन वर्षों (2009-10 से 2011-12) और चालू वर्ष (2012-13) के दौरान मुख्य वर्षा सिंचित/शुष्क भूमि फसलों का उत्पादन तथा क्षेत्र कवरेज संलग्न विवरण-I (क-ग) पर है।

(ख) और (ग) जी, हां। नमी के संरक्षण के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर) द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) अंतर्राष्ट्रीय अर्द्ध-शुष्क कटिबंधीय क्षेत्रों फसल अनुसंधान संस्थान ने देश में विभिन्न वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए पनधारा स्तर पर विभिन्न स्वास्थाने तथा बाह्य स्थाने संरक्षण प्रौद्योगिकियों का विकास तथा परीक्षण किया है। इसमें प्रभावी जल प्रबंधन के लिए कम लागत की जल संचयन संरचना तथा स्वास्थाने बंध प्रणाली शामिल है। यह प्रणाली भू-अपसरण को कम करती है, मृदा स्वास्थ्य का सुधार करती है और मृदा नमी की उपलब्धता तथा भू-जल पुनर्भरण को बढ़ावा देती है। इसी प्रकार जल नाली नियंत्रण संरचना, मिट्टी के चौक बांध आदि बनाने से अत्यधिक जल बहा, नाली बनाने का बचाव तथा बहने वाली पानी की पर्याप्त मात्रा से सिंचाई तथा भू-जल पुनर्भरण बढ़ाने में भी सहायता मिलती है।

आईसीआरआईएसएटी ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के शुरुआती बिन्दु के रूप में मृदा आधारित पोषक प्रबंधन प्रणालियों के साथ-साथ नवीन पनधारा विकास मॉडल का विकास भी किया है। इसका परीक्षण राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। कर्नाटक में भू चेतना मिशन कार्यक्रम के परिणामस्वरूप पिछले चार वर्षों के दौरान फसल उपज में 20 से 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विवरण-I (क)

प्रमुख खाद्यान्नों का राज्य-वार क्षेत्र और उत्पादन (वर्षा सिंचित और सिंचित क्षेत्र)

क्षेत्र '000 हैक्टेयर, उत्पादन '000 टन

क्र. सं.	राज्य	चावल (2009-10)		चावल (2010-11)		चावल (2011-12)		चावल (2012-13)	
		क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	3441	10538	4751	14418	4096	12895	3397	10488
2.	अरुणाचल प्रदेश	121.5	215.8	121.6	234	123.5	255	0	0
3.	असम	2495.8	4335.9	2570.3	4736.6	2537	4516.3	2549	4768
4.	बिहार	3213.7	3599.3	2832.5	3102.1	3323.9	7162.6	3154.7	6767.9
5.	छत्तीसगढ़	3670.7	4110.4	3702.5	6159	3773.8	6028.4	3756.5	6246.2
6.	गोवा	47.1	100.6	46.6	115	47.2	121.8	0	0
7.	गुजरात	679	1292	808	1496.6	836	1790	746	1467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	हरियाणा	1205	3625	1245	3472	1235	3759	1170	3802
9.	हिमाचल प्रदेश	76.7	105.9	77.1	128.9	77.2	131.6	72.5	105.2
10.	जम्मू और कश्मीर	259.9	497.4	261.3	507.7	262.2	544.7	260.6	506.3
11.	झारखंड	995	1538.4	720.3	1110	1469	3130.6	1280	3484.2
12.	कर्नाटक	1487	3691	1540	4188	1416	3955	1324	3485
13.	केरल	234	598.3	213.2	522.7	208.2	569	196.3	517.5
14.	मध्य प्रदेश	1445.7	1260.6	1602.9	1772.1	1662	2227.3	1758.5	2474
15.	महाराष्ट्र	1470	2183	1518	2696	1543	2841	1550.2	3058.8
16.	मणिपुर	169.4	319.9	212.7	521.7	223.7	591	0	0
17.	मेघालय	108.2	206.7	108.3	207	108.9श्र	216.5	0	0
18.	मिजोरम	47.2	44.3	40.7	47.2	38.5	54.3	0	0
19.	नागालैंड	168.6	240.3	181.4	381.4	181.6	382.4	0	0
20.	ओडिशा	4365.1	6917.5	4225.7	6827.7	4004.5	5807	4063	7560.7
21.	पंजाब	2802	11236	2831	10837	2818	10542	2826	11293
22.	राजस्थान	150.7	228.3	131.1	265.5	134.3	253.4	125.6	342.5
23.	सिक्किम	13	24.3	12.1	21	12.1	20.9	0	0
24.	तमिलनाडु	1845.5	5665.2	1905.7	5792.4	1903.8	7458.7	1736	5483.7
25.	त्रिपुरा	245.6	640	264.6	702.5	266	718.3	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	5186.7	10807.1	5657	11992	5947	14022	5748.5	13555
27.	उत्तराखंड	294	608	289.5	550.4	280	594	273	587
28.	पश्चिम बंगाल	5630.1	14340.7	4944.1	13045.9	5433.7	14605.8	5160	13239.4
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.1	24.9	8.4	23.9	8.1	24	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	दादरा और नगर हवेली	12.5	13.5	10.8	20.8	10.7	18.6	0	0
31.	दिल्ली	6.8	29	7	29.4	6.9	29.6	0	0
32.	दमन और दीव	2	3.3	2	3.3	2	3.3	0	0
33.	पुदुचेरी	20.9	52.4	20	52	16.6	42.1	0	0
34.	अन्य	0	0	0	0	0	0	1011.9	2569.5
	अखिल भारत	41918.5	89093	42862.4	95979.8	44006	105311.2	42159.3	101800.9

स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

—जारी

प्रमुख खाद्यान्नों का राज्य-वार क्षेत्र और उत्पादन (वर्षा सिंचित और सिंचित क्षेत्र)

क्षेत्र '000 हैक्टेयर, उत्पादन '000 टन

क्र. सं.	राज्य	ज्वार (2009-10)		ज्वार (2010-11)		ज्वार (2011-12)		ज्वार (2012-13)	
		क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	254	308	276	442.1	272	412	783	2762
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	1.7	1.8	3.1	3.3	2	2.2	2	2.1
5.	छत्तीसगढ़	4.7	5.9	5.9	8.5	5.4	4.1	5	4.1
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	163	171	125	139	124	139	97	100
8.	हरियाणा	72	36	72	36	65	33	48	24
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	4.4	2.5	0.1	0	0	0	3.8	2.2

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
11.	झारखंड	0.2	0.1	0.3	0.1	1.1	0.5	0.9	0.9
12.	कर्नाटक	1369	1406	1243	1467	1142	1166	1316	1347
13.	केरल	2.5	1.9	2.2	1.1	0.3	0.2	0.1	0.1
14.	मध्य प्रदेश	445.9	564.9	432	616	394.5	614.5	336.3	446.6
15.	महाराष्ट्र	4176	3566	4060	3452	3279	2693	3036	1964
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0
20.	ओडिशा	9	5.8	8.9	5.4	8.6	5.4	7.8	4.9
21.	पंजाब	0.1	0.1	0	0	0	0	0.1	0.1
22.	राजस्थान	718.5	104.2	726.9	508.9	553.8	410.1	680.4	411.3
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	238.6	221.7	243.5	247	197.7	252.5	229	302.6
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	191	169	201	207	192	213	190	210
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	1.5	0.6	0	0	0	0	1.5	0.5
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दादरा और नगर हवेली	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0	0
31.	दिल्ली	3.3	3.2	3.4	3.3	3.1	30.3	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
33.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	अन्य	0	0	0	0	0	0	3.4	24
	अखिल भारत	7787.1	6698.2	7381.8	7003.1	6245	6006.4	6229.3	5256.4

स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

—जारी

प्रमुख खाद्यान्नों का राज्य-वार क्षेत्र और उत्पादन (वर्षा सिंचित और सिंचित क्षेत्र)

क्षेत्र '000 हैक्टेयर, उत्पादन '000 टन

क्र. सं.	राज्य	मक्का (2009-10)		मक्का (2010-11)		मक्का (2011-12)		मक्का (2012-13)	
		क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	आंध्र प्रदेश	783	2792	744	3956	864	3658	889	4484
2.	अरुणाचल प्रदेश	43.6	60.2	45.1	64.7	46.5	68.5	0	0
3.	असम	19.5	14.1	19.8	14.3	21.3	15.3	20	14
4.	बिहार	631.7	1478.7	645.5	1439.6	675	1610.7	494.4	1541.4
5.	छत्तीसगढ़	102.4	143.3	102.7	185.6	104	172	101.4	172
6.	गोवा	0.1	0.6	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	497	533	501	820.3	516	786	510	861
8.	हरियाणा	12	27	10	19	9	24	10	27
9.	हिमाचल प्रदेश	295.4	543.2	296.4	670.9	294.2	715.4	296.1	730.2
10.	जम्मू और कश्मीर	311	487	308.2	527.7	314	505	310.5	509.5
11.	झारखंड	163.2	190.7	215.4	261.7	215.5	321.5	252.5	408.4
12.	कर्नाटक	1240	3013	1288	4444	1349	4085	1215	3247
13.	केरल	0	0	0	0	0.1	0	0.2	0.6

1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
14.	मध्य प्रदेश	832.3	1045.2	830.6	1051.5	862.8	1287.4	842.5	1382.5
15.	महाराष्ट्र	794	1828	891	2602	881	2433	819	1777
16.	मणिपुर	4.8	11.7	22.4	.41.5	24.9	45.9	0	0
17.	मेघालय	17.2	26.3	17.3	25.9	17.4	26.5	0	0
18.	मिजोरम	8.5	11.5	9	13.6	6.9	8.4	0	0
19.	नागालैंड	68.1	73.2	68.4	134	68.5	134.3	0	0
20.	ओडिशा	81.2	175.1	117.2	298.8	102.9	212.2	94.3	226
21.	पंजाब	139	475	133	491	126	502	122	445
22.	राजस्थान	1096.9	1145.7	1143.1	2052.9	1045.6	1667	984.9	1435.5
23.	सिक्किम	39.5	66	40.2	66.2	40	66.2	0	0
24.	तमिलनाडु	244.2	1144.3	230.5	1027.5	280.6	1695.5	352.3	1829.9
25.	त्रिपुरा	2	2	3.1	4.1	3.7	5.1	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	709	1039	754	1114	787	1308	708	1148
27.	उत्तराखंड	28	38	28.4	42.6	28	41	28	39
28.	पश्चिम बंगाल	97.7	385.2	88.6	352.3	97.8	364.1	105	420
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0	0
30.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0
31.	दिल्ली	0	0	0.1	3.6	0	0.8	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	अन्य					0	0	204	360.3
	अखिल भारत	8261.5	16719.4	8553.2	21725.7	8782.1	21759.3	8359.1	21058.3

स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

विवरण-I (ख)

प्रमुख खाद्यान्नों का राज्य-वार क्षेत्र और उत्पादन (वर्षा सिंचित और सिंचित क्षेत्र)

क्षेत्र '000 हैक्टेयर, उत्पादन '000 टन

क्र. सं.	राज्य	तूर (2009-10)		तूर (2010-11)		तूर (2011-12)		तूर (2012-13)	
		क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	463.0	203.0	638.8	265.0	482.0	146.0	481.0	193.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	0.0	0.0
3.	असम	6.2	4.4	7.1	5.1	5.7	4.1	6.0	5.0
4.	बिहार	27.9	42.2	26.0	36.5	22.1	33.5	25.3	38.3
5.	छत्तीसगढ़	60.0	30.6	55.0	24.2	54.1	23.4	54.1	23.4
6.	गोवा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7.	गुजरात	266.0	241.0	277.0	273.0	244.0	257.0	211.0	232.0
8.	हरियाणा	22.0	23.0	25.0	27.0	18.0	20.0	13.0	14.0
9.	हिमाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10.	जम्मू और कश्मीर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11.	झारखंड	61.2	53.3	103.8	71.2	113.9	103.0	199.8	190.8
12.	कर्नाटक	604.0	282.0	891.0	529.0	767.0	354.0	688.0	345.0
13.	केरल	2.6	4.0	2.0	3.0	1.5	2.5	0.6	1.1
14.	मध्य प्रदेश	362.1	308.0	487.5	164.5	534.9	334.2	497.0	422.9
15.	महाराष्ट्र	1093.0	919.0	1302.0	976.0	1233.0	871.0	1081.0	771.0
16.	मणिपुर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17.	मेघालय	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0
18.	मिजोरम	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	नागालैंड	3.0	2.1	2.5	2.1	2.5	2.2	0.0	0.0
20.	ओडिशा	132.9	111.8	135.4	124.0	142.1	115.4	140.9	114.8
21.	पंजाब	4.6	4.4	4.2	3.9	3.0	3.0	4.0	3.6
22.	राजस्थान	18.3	7.0	21.3	16.2	19.1	12.7	16.8	14.8
23.	सिक्किम	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	31.3	0.0	0.0
24.	तमिलनाडु	26.5	20.3	35.8	23.7	0.0	1.2	52.9	40.4
25.	त्रिपुरा	1.0	0.7	1.2	0.9	1.6	334.0	0.0	0.0
26.	उत्तर प्रदेश	305.0	202.0	344.0	309.0	320.0	2.0	311.0	325.0
27.	उत्तराखंड	2.0	2.0	1.7	1.2	2.0	0.0	3.0	2.0
28.	पश्चिम बंगाल	0.8	0.6	1.6	2.2	1.3	0.5	1.4	1.2
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.3	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
30.	दमन और दीव	1.5	1.2	2.0	1.6	1.5	1.2	0.0	0.0
31.	दिल्ली	0.4	0.7	0.4	0.7	0.3	0.6	0.0	0.0
32.	अन्य	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	6.8
	अखिल भारत	3465.7	2464.6	4366.7	2861.1	4007.32	2654.01	3794	2745.1

स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

—जारी

प्रमुख खाद्यान्नों का राज्य-वार क्षेत्र और उत्पादन (वर्षा सिंचित और सिंचित क्षेत्र)

क्षेत्र '000 हैक्टेयर, उत्पादन '000 टन

क्र. सं.	राज्य	चना (2009-10)		चना (2010-11)		चना (2011-12)		चना (2012-13)	
		क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	647.0	846.0	584.0	720.0	565	520	631	798

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
3.	असम	1.8	0.9	1.8	0.9	1.8	0.9	2	1
4.	बिहार	57.6	58.4	50.8	60.3	59.3	76.8	60.5	78.1
5.	छत्तीसगढ़	252.2	221.9	251.9	241.5	241.6	240.4	241.6	240.4
6.	गोवा	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
7.	गुजरात	132.0	125.0	176.0	200.0	240	273	150	171
8.	हरियाणा	84.0	62.0	112.0	110.0	79	72	85	74
9.	हिमाचल प्रदेश	0.7	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	1.5	1.4
10.	जम्मू और कश्मीर	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
11.	झारखंड	63.0	57.6	69.9	73.5	127.5	136	130.3	108.1
12.	कर्नाटक	972.0	574.0	959.0	631.0	803	468.1	1081	534
13.	केरल	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	3085.5	3304.1	3112.1	2686.6	3043.7	3290.3	3140.5	3500
15.	महाराष्ट्र	1291.0	1114.0	1438.0	1300.0	1051	815	1219	950
16.	मणिपुर	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0.6	0.3	0.6	0.3	0.6	0.4	0	0
18.	मिजोरम	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0.6	0.4	0.7	0.5	0.8	0.5	0	0
20.	ओडिशा	45.0	33.7	41.9	32.7	39	29.8	60	50
21.	पंजाब	3.0	3.4	2.1	2.7	2	2	4	4.8
22.	राजस्थान	884.4	534.6	1783.3	1600.7	1433.9	1061.1	1480	1308.3
23.	सिक्किम	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	7.4	4.5	7.3	4.9	8.6	5.5	9.8	6.3

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
25.	त्रिपुरा	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	618.0	5090	570.0	530.0	577	684	600	711
27.	उत्तराखंड	1.0	1.0	0.5	0.4	1	1	2	2
28.	पश्चिम बंगाल	21.8	24.2	22.1	23.7	23.3	24.4	25	28
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
30.	दमन और दीव	0.1	0.1	0.4	0.4	0.1	0.1	0	0
31.	दिल्ली	0.0	0.1	0.1	0.1	0	0.1	0	0
32.	अन्य	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	1.7	1.3
	अखिल भारत	8169.2	7475.9	9185.6	8221.1	8299.2	7702.3	8925.1	8567.8

स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

विवरण-I (ग)

प्रमुख खाद्यान्नों का राज्य-वार क्षेत्र और उत्पादन (वर्षा सिंचित और सिंचित क्षेत्र)

क्षेत्र '000 हैक्टेयर, उत्पादन '000 टन

क्र. सं.	राज्य	मूंगफली (2009-10)		मूंगफली (2010-11)		मूंगफली (2011-12)		मूंगफली (2012-13)	
		क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1301.0	1006.0	1622.0	1458.0	1307	844	1314	1027
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0	0
3.	असम	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
4.	बिहार	0.4	0.7	0.4	0.4	0.8	0.8	0.8	0.8
5.	छत्तीसगढ़	289	391	29.0	42.4	28.4	37.5	28.4	37.5
6.	गोवा	2.9	8.1	2.9	8.3	3.2	8	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	गुजरात	1822.0	1757.0	1806.0	3366.1	1686	2717	1417	1636
8.	हरियाणा	2.0	2.0	2.0	2.0	3	2.9	3	3
9.	हिमाचल प्रदेश	0.2	0.1	0.7	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
10.	जम्मू और कश्मीर	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
11.	झारखंड	14.2	10.7	25.5	23.3	1.7	20.4	25.7	29.9
12.	कर्नाटक	818.0	512.0	848.0	742.0	677	485	557	415
13.	केरल	1.3	1.0	1.5	1.9	1.7	2.2	0.7	0.9
14.	मध्य प्रदेश	188.1	217.9	201.6	301.6	213	344.6	205	239
15.	महाराष्ट्र	321.0	359.0	357.0	460.0	303	351	268.8	326.4
16.	मणिपुर	0.0	0.0	1.7	1.0	1.8	1.3	0	0
17.	मेघालय	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0	0
20.	ओडिशा	76.3	89.2	72.8	85.6	66.3	78.8	65.5	82.5
21.	पंजाब	2.5	3.1	2.2	3.9	2	3	1.4	2.4
22.	राजस्थान	326.0	354.5	346.9	681.1	418.1	805.4	397.9	618.7
23.	सिक्किम	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	412.8	889.8	385.6	895.7	385.6	1060.7	412.2	1101.6
25.	त्रिपुरा	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	91.0	61.0	85.0	84.0	92	92	94	94
27.	उत्तराखंड	1.0	2.0	1.1	1.2	1	1	1	1
28.	पश्चिम बंगाल	65.9	113.0	62.1	103.2	54.4	105.6	66.7	152
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	दादरा और नगर हवेली	0.0	0,0	0.0	0.0	0	0	0	0
31.	दिल्ली	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
32.	पुदुचेरी	0.4	0.9	0.4	0.8	0.3	0.5	0	0
33.	अन्य	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	7.1	11.1
	अखिल भारत	5477.5	5428.6	5856.2	8264.8	5263.6	6963.8	4866.3	5778.9

स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

—जारी

प्रमुख खाद्यान्नों का राज्य-वार क्षेत्र और उत्पादन (वर्षा सिंचित और सिंचित क्षेत्र)

क्षेत्र '000 हैक्टेयर, उत्पादन '000 टन

क्र. सं.	राज्य	सोयाबीन (2009-10)		सोयाबीन (2010-11)		सोयाबीन (2011-12)		सोयाबीन (2012-13)	
		क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	156.0	129.0	128.0	218 0	130	210	160	291
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.6	3.1	2.6	35	2.7	4	0	0
3.	असम	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
4.	बिहार	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	108.0	103.2	106.3	124.4	100.4	75.6	106.3	128.1
6.	गोवा	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
7.	गुजरात	87.0	700	84.0	68.0	42	33	84	84
8.	हरियाणा	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0.6	0.5	0.6	0.8	0.6	1	0.6	1.1
10.	जम्मू और कश्मीर	0.0	0.0	00	0.0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0.5	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.6	0.6
12.	कर्नाटक	184.0	82.0	168.0	147.0	191	172	192	192

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
13.	केरल	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	5349.5	64063	5559.9	6669.8	5669.1	6280.6	5812	7113.9
15.	महाराष्ट्र	3019.0	21970	2729.0	4316.0	3010	3969	3218	3710.4
16.	मणिपुर	0.0	0.0	4.4	41	4.8	5.1	0	0
17.	मेघालय	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.8	0	0
18.	मिजोरम	1.3	2.0	1.4	2.7	1.1	1.4	0	0
19.	नागालैंड	24.2	25.0	24.4	30.4	24.5	30.7	0	0
20.	ओडिशा	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	778.4	914.6	765.5	1118.1	897.1	1385.2	987	1340.3
23.	सिक्किम	4.0	4.1	4.2	3.7	3.9	3.5	0	0
24.	तमिलनाडु	0.0	0.0	03	0.0	0.2	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	7.0	8.0	11.0	14.0	18	22	18	23
27.	उत्तराखंड	11.0	180	9.7	14.4	12	18	11	17
28.	पश्चिम बंगाल	0.6	0.3	0.5	0.3	0.5	0.6	0.6	0.5
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
30.	दादरा और नगर हवेली	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
31.	दिल्ली	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
32.	पुदुचेरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
33.	अन्य	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	41.6	55.1
	अखिल भारत	9734.8	9964.5	9601.0	12736.4	10109.2	12213.6	10631.7	12957.0

स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

विवरण-II

नमी संरक्षण के लिए भूमि उपचार की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां/प्रणालियां

- कर्नाटक के दक्षिणी शुल्क क्षेत्र में वानस्पतिक रोक और फसल समावेशन कवर करना।
- कर्नाटक, उत्तर गुजरात और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के उत्तरी शुल्क क्षेत्र में नमी संरक्षण हेतु खंड-खंड रूप में बांध बनाना।
- कर्नाटक के उत्तरी शुष्क क्षेत्र में प्लाट में अंदर वर्षा जल संचयन।
- महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पौधा की कतार (मेड़) पद्धति।
- आगरा क्षेत्र में अधिक उत्पादकता के एिल बाजरे की कतारबद्ध, बुआई।
- उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदान क्षेत्र में स्वस्थाने नमी संरक्षण के लिए समर टिलेज
- दक्षिण तमिलनाडु में वर्षा सिंचित कपास की अधिक उत्पादकता के लिए खंड-खंड के रूप में बांध और संतुलित पोषाहार।
- कर्नाटक के उत्तरी शुष्क क्षेत्र में नमी संरक्षण के लिए क्षारीय मृदा में कंकड़ एवं बालु मल्चिग।
- उत्तर प्रदेश में पूर्वी मैदानी क्षेत्र में अरहर + चावल की कतारबद्ध पौधरोपण।
- दक्षिण पश्चिम हरियाणा के अर्द्ध-शुष्क मृदा में नमी संरक्षण के लिए ट्रैक्टर चालित तवेदार हैरो।
- राजस्थान के अर्ध-शुष्क क्षेत्र में बजासरे के लिए अंतः कृषि करने के पश्चात् कतारबद्ध चौड़ा कच्चा स्पेसिंग।
- अलफिसोल क्षेत्र के लिए 3.6 मीटर के अंतराल के पश्चात् फेरो संरक्षण।
- सोलापुर-क्षेत्र के लिए रबी सोरघम हेतु खण्डीय बंध + समेकित पोषाहार प्रबंधन।
- उत्तर प्रदेश में रबी सोरघम के लिए स्वस्थाने संरक्षण के लिए खरीफ के दौरान कतार बनाना।
- उत्तर कर्नाटक में मृदा-भौतिक विशेषता में सुधार के लिए 15 वर्षों में एक बार 275 से 300 ट्रैक्टर ट्राली रोड/हैक्टेयर पर रेत डालना।
- महाराष्ट्र में कपास + फली (मूंग + उड़द) की पंक्तिबद्ध बुआई।
- सभी अलफिसोल क्षेत्रों में ऑफ-सीजन टिलेज।

पीडीएस मूल्य में वृद्धि

3543. श्री नरहरि महतो :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) को संवितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है अथवा वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त वस्तुओं की खरीद, रख-रखाव और परिवहन पर होने वाले खर्च सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में राज्यों के साथ कोई चर्चा हुई/परामर्श किया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने खुले बाजार में खाद्यान्नों के मूल्यों में उक्त वृद्धि के प्रभाव का आकलन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, नहीं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणियों के लिए वितरित खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में वर्ष 2002 में कोई वृद्धि नहीं की गई है। तथापि खाद्यान्नों की खरीद, हैडलिंग और ढुलाई पर किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

खाद्यान्न की खरीद संभलाई और ढुलाई पर व्यय

(आंकड़े रुपए करोड़)

खरीद	2009-10	2010-11	2011-12
1. व्यापार गत स्टॉक			
(क) खाद्यान्न	59,877.39	69,996.32	83,526.09
(ख) आयातित खाद्यान्न	3.28	—	—
(ग) मोटे अनाज	47.66	2.48	—
(घ) चीनी	577.89	665.89	799.42
उप-जोड़	60,506.22	70,664.69	84,325.51
2. भंडार एवं पुर्जे	2,162.66	2,626.31	3,523.23
(क) बोरियां	62.22	33.70	39.90
(ख) भंडार एवं पुर्जे	2,224.88	2,660.01	3,563.13
उप-जोड़	62,731.10	73,324.70	87,888.64

माल भाड़ा	2009-10	2010-11	2011-12
1. रेल भाड़ा	3,285.03	3,505.37	3,751.56
2. सड़क भाड़ा	650.84	732.97	975.81
3. स्टीमर भाड़ा	10.96	10.60	12.76
4. ढुलाई राजसहायता			
(क) पहाड़ी ढुलाई	41.19	57.12	58.26
(ख) अंडमान और निकोबार एवं लक्षद्वीप द्वीपसमूह	0.15	0.33	0.08
5. डैमरेज/विपथन प्रभार	51.01	65.33	111.32
कुल	4,039.18	4,371.72	4,909.79

	हैंडलिंग व्यय	2009-10	2010-11	2011-12
1.	विभागीय श्रमिकों का वेतन	858.03	1,153.67	1,280.24
2.	डीपीएस एवं अन्य श्रमिकों की मजदूरी	403.80	486.44	490.57
3.	हैंडलिंग ठेकेदार को भुगतान	494.84	586.42	808.87
4.	भविष्य निधि एवं अन्य अंशदान	126.38	169.15	167.16
5.	कामगार कल्याण व्यय	4.26	4.43	4.01
	कुल	1,887.31	2,400.11	2,750.85

चारा की मांग और आपूर्ति

3544. श्री आधि शंकर :
श्री बद्रीराम जाखड़ :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चारा की मांग और उपलब्धता के बीच बड़ा अंतर है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में चारा की खेती के तहत कुल फसल क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सही है कि धारा की खेती क लिए आवंटित भूमि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो चारा क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चारा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य सुधारात्मक कदम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) गोपशु आहार तथा चारे के उत्पादन का निर्धारण प्रतिवर्ष नहीं किया जाता, जैसाकि अन्य फसलों के मामले में किया जाता है। तथापि, नाबार्ड परामर्शी सेवाओं (एनएबीसीओएनएस) द्वारा 2007 में आयोजित अध्ययन के अनुसार हरे चारे, सूखे चारे तथा की मांग और उपलब्धता प्रेक्षषित अनुमोदित कमी निम्नानुसार है:—

(सूखी सामग्री मिलियन टन)

आहार	मांग	उपलब्धता	अंतर
सूखा चारा	416	253	163(40%)
हरा चारा	222	143	79(36%)
सांद्रण	53	23	30(57%)

अध्ययन के अनुसार हरे तथा सूखे चारे तथा आहार सांद्रणों की राज्य-वार उपलब्धता संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) 2005-06 से 2009-10 तक चारा फसलों तथा स्थायी चारागाहों और अन्य चराई भूमि के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) विभाग राज्य सरकारों के माध्यम से केंद्रीय प्रायोजित आहार तथा चारा विकास योजना कार्यान्वित कर रहा है। केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत उन्नत चारा बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए कृषि जलवायु मंडलों में आठ क्षेत्रीय चारा स्टेशन कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और त्वरित चारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध सहायता का प्रयोग करके आहार/चारे

तथा उन्नत चारा बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राज्य सरकारें भी कार्रवाई कर सकती हैं। गुणवत्तापूर्ण चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एमएनआरईजीए के अंतर्गत चारगाह भूमि, बंजर भूमि तथा अजोला कृषि के विकास का कार्य भी किया जा सकता है।

(च) यह विभाग XIIवीं योजना के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) पर विचार कर रहा है, जिसके अंतर्गत आहार तथा चारा विकास को एक उप-मिशन के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है।

विवरण-I

नेबकॉन्स द्वारा आक्कलन किए गए अनुसार आहार एवं चारे की राज्य-वार उपलब्धता और आवश्यकता

(सूखी सामग्री मिलियन टन)

राज्य	फसल अवशेष			हरित			आहार/सांद्रण		
	उपलब्धता	आवश्यकता	कमी	उपलब्धता	आवश्यकता	कमी	उपलब्धता	आवश्यकता	कमी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	15.69	31.71	50.52	4.88	16.91	71.14	1.05	5.66	81.45
अरुणाचल प्रदेश	0.47	1.00	53.00	1.57	0.53	-196.23	0.03	0.07	57.14
असम	5.82	12.39	53.03	0.95	6.61	85.63	0.40	1.02	60.78
बिहार	16.23	23.49	30.91	0.81	12.53	93.54	1.16	2.09	44.50
छत्तीसगढ़	9.93	14.93	33.49	2.83	7.96	64.45	0.46	0.69	33.33
गोवा	0.13	0.15	13.33	0.05	0.08	37.50	0.00	0.03	100.00
गुजरात	10.61	22.32	52.46	14.48	1.1.90	-21.68	1.22	3.14	61.15
हरियाणा	8.75	9.95	12.06	6.57	5.31	-23.73	1.18	2.47	52.23
हिमाचल प्रदेश	2.30	4.50	50.00	1.98	2.45	19.18	0.19	0.44	56.82
जम्मू और कश्मीर	2.53	6.79	62.74	0.64	3.62	82.32	0.20	0.82	75.61
झारखंड	4.10	13.59	69.83	0.88	7.25	87.86	0.18	0.93	80.65
कर्नाटक	14.59	20.66	29.38	3.55	11.02	67.79	0.87	2.52	65.48
केरल	0.71	2.91	75.60	0.38	1.55	75.48	0.03	1.12	97.32
मध्य प्रदेश	24.30	37.41	35.04	11.65	19.95	41.60	3.74	3.19	-17.24
महाराष्ट्र	22.21	33.68	34.06	25.12	17.96	-39.87	1.56	3.92	60.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मणिपुर	0.36	0.72	50.00	0.00	0.38	100.00	0.01	0.11	90.91
मेघालय	0.31	1.17	73.50	0.40	0.62	35.48	0.02	0.11	81.82
मिजोरम	0.15	0.06	−150.00	0.50	0.03	−1566.67	0.01	0.03	66.67
नागालैंड	0.56	0.74	24.32	0.30	0.40	25.00	0.04	0.10	60.00
ओडिशा	12.25	22.27	44.99	2.46	11.88	79.29	0.65	1.12	41.96
पंजाब	13.71	10.58	−29.59	7.38	5.64	−30.85	1.37	3.60	61.94
राजस्थान	21.67	33.53	35.37	33.53	17.88	−87.53	2.58	3.88	33.51
सिक्किम	0.23	0.25	8.00	0.01	0.13	92.31	0.02	0.03	33.33
तमिलनाडु	7.01	16.46	57.41	3.70	8.78	57.86	0.43	4.13	89.59
त्रिपुरा	0.53	1.09	51.38	0.16	0.58	67.24	0.02	0.13	84.62
उत्तर प्रदेश	42.07	57.19	26.44	15.73	30.50	48.43	4.25	7.73	45.02
उत्तराखंड	2.05	4.90	58.16	1.73	2.61	33.72	0.18	0.61	70.49
पश्चिम बंगाल	13.77	30.30	54.55	0.51	16.16	96.84	0.88	3.28	73.17
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.02	0.11	81.82	0.00	0.06	100.00	0.00	0.03	100.00
चंडीगढ़	0.00	0.04	100.00	0.00	0.02	100.00	0.00	0.02	100.00
दादरा और नगर हवेली	0.04	0.08	50.00	0.02	0.04	50.00	0.00	0.01	100.00
दमन और दीव	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.09	0.43	79.07	0.01	0.23	95.65	0.01	0.14	92.86
लक्षद्वीप	0.00	0.01	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पुदुचेरी	0.06	0.11	45.45	0.01	0.06	83.33	0.00	0.02	100.00
अखिल भारत	253.26	415.63	39.07	142.82	221.63	35.56	22.74	53.19	57.25

स्रोत: नाबार्ड पराशर्मी सेवाएं/2007

विवरण-II

स्थाई पेस्व्रश और चारा फसल (अनंतिम) के अंतर्गत राज्य-वार क्षेत्र

('000 हैक्टेयर)

राज्य का नाम	चारा फसल					स्थाई पेस्व्रश और अन्य चारा भूमि				
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	207	212	201	100	86	676	602	571	569	566
अरुणाचल प्रदेश						18	18	19	19	18
असम	8	8	8	9	10	160	160	160	160	160
बिहार	14	16	16	13	13	17	17	16	16	16
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	855	857	857	855	859
गोवा						1	1	1	1	1
गुजरात	959	901	901	901	901	851	853	690	690	690
हरियाणा	658	684	755	620	420	25	27	26	30	28
हिमाचल प्रदेश	10	10	10	10	10	1496	1491	1500	1500	1500
जम्मू और कश्मीर	53	55	61	54	52	128	128	126	128	120
झारखंड						110	110	110	110	110
कर्नाटक	35	47	35	31	39	936	934	930	923	914
केरल	4	5	5	5	5	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	588	539	513	490	476	1339	1348	1352	1337	1338
महाराष्ट्र	1068	969	851	1043	1001	1252	1252	1249	1246	1242
मणिपुर						1	1	1	1	1
मेघालय										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मिजोरम						5	5	5	5	5
नागालैंड										
ओडिशा						443	494	494	494	494
पंजाब	572	488	539	573	534	5	2	3	7	4
राजस्थान	2768	3172	3229	3627	2875	1708	1706	1703	1699	1697
सिक्किम										
तमिलनाडु	207	188	172	173	173	110	110	110	110	110
त्रिपुरा										
उत्तराखंड	37	36	35	35	35	230	220	199	199	198
उत्तर प्रदेश	871	872	859	838	838	65	64	65	65	65
पश्चिम बंगाल	2	7	4	3	3	6	5	6	7	6
अंडमान और निकोबार द्वीपमसूह						6	6	4	5	4
चंडीगढ़										
दादरा और नगर हवेली	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
दमन और दीव										
दिल्ली	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप										
पुदुचेरी						0	0	0	0	0
अखिल भारत	8066	8213	8196	8528	7472	10442	10412	10197	10177	10148

नोट: ओ 500 से हैक्टेयर से नीचे के क्षेत्र से संबंधित है।

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यकीय; विभाग: कृषि मंत्रालय

[हिन्दी]

एफपीआई हेतु विजन दस्तावेज

3545. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफपीआई) को बढ़ावा देने के लिए कोई विजन दस्तावेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में देश में खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता क्या है; और

(घ) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) विजन दस्तावेज 2005 में तैयार किया गया था। विजन दस्तावेज में, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के तीव्र विकास को सुनिश्चित करने की रणनीति सुझाई गई थी। विजन 2015 में, वर्ष 2015 तक जल्दी सड़ने-गलने वाले पदार्थों के प्रसंस्करण स्तर को 6% से बढ़ाकर 20%, मूल्यवृद्धि को 20% से बढ़ाकर 35% और विश्व खाद्य व्यापार में भारत के हिस्से को 1.5% से बढ़ाकर 3% तक करने का प्रावधान किया गया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, वर्ष 2015 तक 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान लगाया गया था, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए सरकार से प्राप्त होने थे।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की क्षमता के समग्र रूप से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, सरकार के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार, वर्ष 2010-11 के लिए मूल्य के अर्थों में सृजित आउट-पुट 6,66,662 करोड़ रुपए है।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए जैसे मेगा खाद्य पार्क, एकीकृत शीत शृंखला परियोजनाएं एवं बूचड़खाने, खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण, गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य प्रोत्साहन कार्यकलाप, मानव संसाधन विकास, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन और संस्थान सुदृढ़ीकरण के घटकों वाली अवसंरचना विकास स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु 12वीं योजना के दौरान 5990 करोड़ रुपए का योजना आबंटन किया है।

वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

3546. श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री वैजयंत पांडा :
श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री प्रताप सिंह बाजवा :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में दर्ज वृद्धि की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करने के लिए माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 को अधिनियमित कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस अधिनियम को लागू कर दिया है;

(घ) क्या वृद्धावस्था संबंधी कागजात प्रमाण की अनुपलब्धता के कारण वरिष्ठ नागरिक सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) '1' से समाप्त होने वाले वर्ष में भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा जनसंख्या गणना संचालित की जाती है जिसमें जनगणना के समय भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के, उनकी आयु को ध्यान में रखे बिना, आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। पिछली जनगणना 2011 में की गई थी और इससे पूर्व 2001 में की गई थी। जनगणना 2011 के आंकड़ों को अभी तक अनंतिम रूप से जारी किया गया है जिसमें आयु-वार आंकड़े शामिल नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार, पुरुष और महिला वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष एवं इससे अधिक) की संख्या क्रमशः 3.8 करोड़ और 3.9 करोड़ थी। जनगणना 2001 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों

(60+) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता। अपना स्वयं का अधिनियम होने के कारण हिमाचल प्रदेश को छोड़कर अन्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इस अधिनियम को लागू कर दिया है।

(घ) और (ङ) इस संबंध में मंत्रालय को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निवास द्वारा वृद्ध जनसंख्या (60 से अधिक आयु) का आकार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	60 और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या (हजार)
1	2	3
	भारत	76622
1.	आंध्र प्रदेश	5788
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	17
3.	अरुणाचल प्रदेश	50
4.	असम	1560
5.	बिहार	5501
6.	चंडीगढ़	45
7.	छत्तीसगढ़	1504
8.	दादरा और नगर हवेली	9
9.	दमन और दीव	8
10.	दिल्ली	720
11.	गोवा	12
12.	गुजरात	3499
13.	हरियाणा	1584
14.	हिमाचल प्रदेश	584
15.	जम्मू और कश्मीर	675
16.	झारखंड	1579
17.	कर्नाटक	4062
18.	केरल	3336
19.	लक्षद्वीप	4
20.	मध्य प्रदेश	4281
21.	महाराष्ट्र	8455
22.	मणिपुर	145
23.	मेघालय	106
24.	मिजोरम	49
25.	नागालैंड	90
26.	ओडिशा	3039
27.	पुदुचेरी	81
28.	पंजाब	2192
29.	राजस्थान	3810
30.	सिक्किम	29
31.	तमिलनाडु	5507

1	2	3
32.	त्रिपुरा	223
33.	उत्तर प्रदेश	11649
34.	उत्तराखंड	654
35.	पश्चिम बंगाल	5700

स्रोत: 2001 की जनगणना।

[अनुवाद]

जेलों में चिकित्सकों की कमी

3547. श्री वैजयंत पांडा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों की जेलों से कैदियों की मृत्यु के मामलों की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मरने वाले तथा गंभीर रोगों से पीड़ित कैदियों की कुल राज्य-वार और लिंग-वार संख्या सहित इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जेलों में चिकित्सकों और चिकित्सा सुविधाओं की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी परामर्शों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 2009, 2010 तथा 2011 के अंत में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश की विभिन्न जेलों में कैदियों की स्वाभाविक और अस्वाभाविक मौतों की संख्या दर्शाने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा जेंडर-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2011 के अंत में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार, 1074 पदों की स्वीकृति नफरी में से 620 रेजीडेंट मेडिकल ऑफिसर/मेडिकल ऑफिसर देश की विभिन्न जेलों में पदस्थ थे। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि-4 के तहत 'कारगार' राज्य का विषय है और कारागार प्रशासन मूल रूप से राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, सरकार द्वारा "कारागार प्रशासन" पर 17 जुलाई, 2009 को एक व्यापक परामर्शी पत्र जारी किया गया है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जेलों में चिकित्सा सुविधाओं के लिए कदम उठाए जाने की व्यवस्था का भी प्रावधान है।

विवरण

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	वर्ष 2009 में हुई कैदियों की मौतें					
		स्वाभाविक			अस्वाभाविक		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	111	3	114	2	0	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	34	0	34	2	0	2
4.	बिहार	116	0	116	2	0	2
5.	छत्तीसगढ़	23	1	24	4	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गोवा	0	0	0	0	1	1
7.	गुजरात	40	0	40	1	0	1
8.	हरियाणा	25	2	27	5	1	6
9.	हिमाचल प्रदेश	1	1	2	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	1	0	1	0	0	0
11.	झारखंड	64	0	64	3	0	3
12.	कर्नाटक	71	1	72	13	0	13
13.	केरल	38	1	39	3	0	3
14.	मध्य प्रदेश	75	5	80	3	0	3
15.	महाराष्ट्र	98	6	104	4	1	5
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	1	0	1	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	1	0	1	0	0	0
20.	ओडिशा	42	2	44	1	0	1
21.	पंजाब	42	0	42	7	0	7
22.	राजस्थान	81	1	82	7	2	9
23.	सिक्किम	2	0	2	0	0	0
24.	तमिलनाडु	44	1	45	20	0	20
25.	त्रिपुरा	4	0	4	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	288	8	296	15	4	19
27.	उत्तराखंड	6	0	6	1	0	1
28.	पश्चिम बंगाल	61	6	67	2	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	1	0	1	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	11	2	13	2	0	2
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	3	0	3
	कुल	1281	40	1321	100	9	109

—जारी

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	वर्ष 2010 में हुई कैदियों की मौतें					
		स्वाभाविक			आस्वाभाविक		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	80	2	82	4	0	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	24	0	24	1	0	1
4.	बिहार	93	0	93	1	0	1
5.	छत्तीसगढ़	29	2	31	4	0	4
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	38	1	39	1	0	1
8.	हरियाणा	28	3	31	5	0	5
9.	हिमाचल प्रदेश	5	0	5	0	0	0

1	2	9	10	11	12	13	14
10.	जम्मू और कश्मीर	1	0	1	0	0	0
11.	झारखंड	48	3	51	2	0	2
12.	कर्नाटक	56	0	56	12	0	12
13.	केरल	42	0	42	4	0	4
14.	मध्य प्रदेश	88	2	90	1	0	1
15.	महाराष्ट्र	95	4	99	2	1	3
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	2	0	2	1	0	1
20.	ओडिशा	48	0	48	5	0	5
21.	पंजाब	91	3	94	3	1	4
22.	राजस्थान	79	0	79	8	0	8
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	61	2	63	15	0	15
25.	त्रिपुरा	1	0	1	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	311	6	317	10	2	12
27.	उत्तराखंड	15	1	16	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	64	0	64	3	1	4
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	1	0	0	0
30.	चंडीगढ़	5	0	5	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0

1	2	9	10	11	12	13	14
33.	दिल्ली	10	0	10	5	0	5
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल	1315	29	1344	87	5	92

—जारी

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	वर्ष 2011 में हुई कैदियों की मौतें					
		स्वाभाविक			आस्वाभाविक		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	76	0	76	0	3	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	20	0	20	0	0	0
4.	बिहार	77	1	78	5	1	6
5.	छत्तीसगढ़	39	1	40	1	0	1
6.	गोवा	1	0	1	0	0	0
7.	गुजरात	44	0	44	4	0	4
8.	हरियाणा	30	0	30	7	0	7
9.	हिमाचल प्रदेश	6	1	7	1	0	1
10.	जम्मू और कश्मीर	2	0	2	0	0	0
11.	झारखंड	40	1	41	2	1	3
12.	कर्नाटक	51	1	52	5	0	5
13.	केरल	36	0	36	2	0	2
14.	मध्य प्रदेश	80	3	83	6	0	6

1	2	15	16	17	18	19	20
15.	महाराष्ट्र	79	3	82	4	2	6
16.	मणिपुर	0	0	0	1	0	1
17.	मेघालय	2	0	2	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	1	0	1	0	0	0
20.	ओडिशा	28	0	28	3	0	3
21.	पंजाब	97	5	102	3	0	3
22.	राजस्थान	74	3	77	6	0	6
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	49	0	49	15	0	15
25.	त्रिपुरा	1	0	1	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	269	11	280	7	0	7
27.	उत्तराखंड	10	0	10	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	67	2	69	2	2	4
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	0	4	0	0	0
30.	चंडीगढ़	4	0	4	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	1	0	1
33.	दिल्ली	22	2	24	4	0	4
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	1	0	1	0	0	0
	कुल	1210	34	1244	79	9	88

[अनुवाद]

सामुदायिक रेडियो स्टेशन

3548. श्री तकाम संजय :
श्री वैजयंत पांडा :
श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री थोल तिरुमावलावन :
श्री ई.जी. सुगावनम :
श्री पी.सी. मोहन :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) की स्थापना करने/परिचालन करने के लिए सरकार द्वारा निरुपित दिशा-निर्देशों/मानदंडों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में अब तक कार्य कर रहे ऐसे स्टेशनों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सीआरएस के विकास और बढ़ावा देने के लिए आवंटित निर्गमित और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तथा संगठन/संख्या-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार को शैक्षणिक संस्थाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) से प्राप्त आवेदनों/अनुरोधों तथा अनुमोदित/लंबित आवेदनों की संख्या का एनजीओ/संस्था-वार ब्यौरा क्या है और अनुमोदित किए जाने वाले लंबित आवेदनों पर कब तक अनुमति प्रदान कर दी जाएगी;

(घ) क्या सरकार ने सीआरएस के वार्षिक रॉयल्टी शुल्कों में पर्याप्त रूप से वृद्धि की है/करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो, सीआरएस के समक्ष आ रही समस्याओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) क्या सरकार का सीआरएस के माध्यम से समाचार सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना करने संबंधी नीतिगत दिशा-निर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा किए जाने तथा गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय तथा बेतार आयोजना एवं समन्वयन स्कंध, यथा स्थिति से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए जाने के अध्यधीन शैक्षिक संस्थाओं, पंजीकृत समितियों/गैर-सरकारी संगठनों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों आदि जैसे गैर-लाभकारी संगठनों को सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की स्थापना करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। ये दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर उपलब्ध हैं। इस समय पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में 144 सामुदायिक रेडिया स्टेशन कार्यशील हैं। कार्यशील सामुदायिक रेडिया स्टेशनों का अवस्थिति-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) मंत्रालय सामुदायिक रेडिया स्टेशनों को कोई वित्तीय सहातया प्रदान नहीं करता है। तथापि, मंत्रालय द्वारा जागरुकता उत्पन्न करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। चालू वर्ष सहित पिछले चार वर्षों में मंत्रालय ने "सामुदायिक रेडिया स्टेशनों के लिए आईईसी कार्यकलाप" नामक योजनागत स्कीम के अंतर्गत देश भर में 36 जागरुकता-कार्यशालाओं तथा दिल्ली में 3 राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजनप किया है। इस संबंध में आबंटित, निर्मुक्त एवं प्रयुक्त की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(लाख रुपए)

वर्ष	आबंटित	निर्मुक्त	प्रयुक्त
2009-10	80	60.22	60.22
2010-11	80	72.25	72.25
2011-12	125	125	125
2012-13	200	124.3	124.3

(ग) वर्ष 2010 से सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने हेतु विभिन्न संगठनों से 541 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 114 संगठनों को अनुमति-पत्र जारी किए गए हैं जबकि 205 आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं। 223 अनुरोधों पर मंत्रालय में विभिन्न चरणों पर विचार किया जा रहा है। इन सभी प्रस्तावों के संबंध में अनुमति दिए जाने के संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना करने के लिए अनुमति प्रदान किए जाने की बाबत अनेक अंतर-मंत्रालयीय अनापत्तियों की आवश्यकता होती है।

(घ) और (ङ) दूर संचार विभाग के बेतार आयोजना एवं समन्वयन स्कंध ने सूचित किया है कि मार्च, 2012 में जारी किए गए एक आदेश के तहत दिनांक 01.04.2012 से सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना के संबंध में लगाए जाने वाले वार्षिक रॉयल्टी प्रभारों में संशोधन करते हुए वृद्धि कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, सीआरएस की स्थापना के लिए अनंतिम आधार पर उगाहे जा रहे 19,200 रुपए के रॉयल्टी प्रभार की राशि वही है जो कि दिनांक 01.04.2012 से पूर्व देय थी। ये प्रभार दिनांक 31.03.2013 तक अनुप्रयोज्य हैं। लाइसेंस शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जिसे प्रति केन्द्र 500/- रुपए तथा सहायक उपस्करण के लिए 500/- रुपए की दर से प्रभारित किया जाता है।

(च) सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने हेतु निर्धारित मौजूदा नीतिगत दिशा-निर्देशों में सीआरएस के माध्यम से समाचारों व सम-सामयिक विषयों एवं राजनीतिक स्वरूप के कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति नहीं है। इस समय सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के माध्यम से समाचारों के प्रसारण की सेवाएं मुहैया कराने हेतु अनुमति देने की बाबत कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

कार्यशील सामुदायिक रेडियो स्टेशन

क्र. सं.	संस्थान का नाम	श्रेणी	संगठन की	स्टेशन की	राज्य
1	2	3	4	5	6
1.	आबिद अली खान एेजुकेशनल ट्रस्ट	गैर-सरकारी संगठन	हैदराबाद	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
2.	केशव मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी	शिक्षा	हैदराबाद	हिमायत नगर	आंध्र प्रदेश
3.	डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी	गैर-सरकारी संगठन	हैदराबाद	जहीराबाद	आंध्र प्रदेश
4.	हैदराबाद यूनिवर्सिटी	शिक्षा	हैदराबाद	गछीबोबली	आंध्र प्रदेश
5.	श्री वेंकटेश्वर ओरिंटल कॉलेज	शिक्षा	तिरुपति	तिरुपति	आंध्र प्रदेश
6.	श्री विष्णु इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर वुमन	शिक्षा	भीमावरम	भीमावरम	आंध्र प्रदेश
7.	बून एजूकेशन इनवाइरमेंट एंड रूरल	गैर-सरकारी संगठन	पलवंचा	पलवंचा	आंध्र प्रदेश
8.	गुवाहाटी यूनिवर्सिटी	यूनिवर्सिटी	गुवाहाटी	गुवाहाटी	असम
9.	कृष्ण कांत हैंडिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी	यूनिवर्सिटी	गुवाहाटी	गुवाहाटी	असम
10.	अयोध्या लाल कल्याण निकेतन	गैर-सरकारी संगठन	गोपाल गंज	गोपाल गंज	बिहार
11.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट	शिक्षा	पटना	आईबीएम पटना	बिहार

1	2	3	4	5	6
12.	लोकहित	गैर-सरकारी संगठन	भागलपुर	भागलपुर	बिहार
13.	स्नेही लोकोत्थान संस्थान	गैर-सरकारी संगठन	सीवान	सीवान	बिहार
14.	पंजाब यूनिवर्सिटी	यूनिवर्सिटी	चंडीगढ़	चंडीगढ़	चंडीगढ़
15.	विवेक हाई स्कूल	शिक्षा	चंडीगढ़	चंडीगढ़	चंडीगढ़
16.	सतगुरु फाउंडेशन	गैर-सरकारी संगठन	चंडीगढ़	चंडीगढ़	चंडीगढ़
17.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय	एसएयू	रायपुर	रायपुर	छत्तीसगढ़
18.	डॉ. सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी	शिक्षा	बिलासपुर	बिलासपुर	छत्तीसगढ़
19.	निओटेक टेक्निकल मैनेजमेंट स्कूल	शिक्षा	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	छत्तीसगढ़
20.	एजेके मास कम्यूनिकेशन रिसर्च सेंटर	शिक्षा	दिल्ली	जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी	दिल्ली
21.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन	शिक्षा	दिल्ली	आईआईएमसी, दिल्ली	दिल्ली
22.	जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज	शिक्षा	रोहिणी	रोहिणी, दिल्ली	दिल्ली
23.	जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल	शिक्षा	वसंत कुंज	वसंत कुंज, दिल्ली	दिल्ली
24.	स्पष्ट एजुकेशन सोसाइटी	गैर-सरकारी संगठन	रोहिणी	रोहिणी, दिल्ली	दिल्ली
25.	यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली	यूनिवर्सिटी	दिल्ली	नॉर्थ कैम्पस, दिल्ली	दिल्ली
26.	महिला सेवा ट्रस्ट	गैर-सरकारी संगठन	अहमदाबाद	अहमदाबाद	गुजरात
27.	मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्यूनिकेशन	शिक्षा	अहमदाबाद	अहमदाबाद	गुजरात
28.	सरदार पटेल यूनिवर्सिटी	शिक्षा	बल्लभ विद्या नगर	बल्लभ विद्या नगर	गुजरात
29.	सैरेजो संगठन	गैर-सरकारी संगठन	कच्छ	कच्छ	गुजरात
30.	एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, गुजरात यूनिवर्सिटी	शिक्षा	अहमदाबाद	अहमदाबाद	गुजरात
31.	द रिस्टोरिंग फोर्स	गैर-सरकारी संगठन	कच्छ	कच्छ	गुजरात

1	2	3	4	5	6
32.	सीसीएस हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी	एसएयू	हिसार	हिसार	हरियाणा
33.	चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी	यूनिवर्सिटी	सिरसा	सिरसा	हरियाणा
34.	एम.आर. एजुकेशन ट्रस्ट	गैर-सरकारी संगठन	फरीदाबाद	फरीदाबाद	हरियाणा
35.	सीकिंग मॉडर्न एप्लीकेशन्स फॉर रियल ट्रांसफॉर्मेशन (स्मार्ट)	गैर-सरकारी संगठन	दिल्ली	नूह, मेवात, हरियाणा	हरियाणा
36.	एस.एम. सेहगल फाउंडेशन	गैर-सरकारी संगठन	गुडगांव	गुडगांव	हरियाणा
37.	भारत सैनिक स्कूल	शिक्षा			हरियाणा
38.	एम.एस. पंवार इंस्टीट्यूट ऑफ कम्यूनिकेशन एंड मैनेजमेंट	शिक्षा	सोलन	सोलन	हिमाचल प्रदेश
39.	तिब्बतन चिल्ड्रन्स विल्लेज स्कूल	शिक्षा	धर्मशाला	धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश
40.	पीर पंचाल	गैर-सरकारी संगठन	जम्मू	जम्मू	जम्मू और कश्मीर
41.	अल्टरनेटिव फॉर इंडिया डेवलपमेंट	गैर-सरकारी संगठन	चेन्नई	रांची	झारखंड
42.	दिव्यज्योति विद्या केंद्र	गैर-सरकारी संगठन	बेंगलूरु	रुरल बेंगलूरु	कर्नाटक
43.	शरणबसवेश्वर विद्या वर्धक संघ	शिक्षा	गुलबर्ग	गुलबर्ग	कर्नाटक
44.	श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज	शिक्षा	बेंगलूरु	बेंगलूरु	कर्नाटक
45.	श्री सिद्धार्थ सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज	शिक्षा	तुमकुर	तुमकुर	कर्नाटक
46.	सेंट ऐलॉयसियस कॉलेज	शिक्षा	मंगलौर	मंगलौर	कर्नाटक
47.	द मैसूर रीसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी	गैर-सरकारी संगठन	बेंगलूरु	भुदिकोट्टई	कर्नाटक
48.	यूनिवर्सल कॉलेज	शिक्षा	बेंगलूरु	विजयनगर	कर्नाटक
49.	यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज	एसएयू	धारवाड़	धारवाड़	कर्नाटक
50.	मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन	शिक्षा	मणिपाल	मणिपाल	कर्नाटक
51.	श्री रमन्ना एकेडमी फॉर ब्लाइंड	शिक्षा	बेंगलूरु	बेंगलूरु	कर्नाटक

1	2	3	4	5	6
52.	विवेक स्कूल ऑफ एक्सलेंस	शिक्षा	मैसूर	मैसूर	कर्नाटक
53.	बिशॉप बैंजिगर हॉस्पिटल	गैर-सरकारी संगठन	कोल्लम	कोल्लम	केरल
54.	डीसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी	शिक्षा	कोट्टायम	कोट्टायम	केरल
55.	मार ऐथनेसिअस कॉलेज ऑफ एडवांस्ड स्टडीज	शिक्षा	तिरुवल्ला	तिरुवल्ला	केरल
56.	वयनाड सोशल सर्विस सोसाइटी	गैर-सरकारी संगठन	वायनाड	वायनाड	केरल
57.	सेंट जासेफ कॉलेज आप कम्युनिकेशन	शिक्षा	कोट्टायम	कोट्टायम	केरल
58.	अकादमिक एंड टेक्निकल एजूकेशन डेवलपमेंट सोसायटी (एटेड्स)	गैर-सरकारी संगठन	नई माहे	कन्नूर	केरल
59.	इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीबिजनेस ऑल्टरनेटिव	गैर-सरकारी संगठन	दिल्ली	सिरोंज	मध्य प्रदेश
60.	द सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव	गैर-सरकारी संगठन	दिल्ली	ओरछा	मध्य प्रदेश
61.	बुनकर विकास संस्था	गैर-सरकारी संगठन	चंदेरी	चंदेरी	मध्य प्रदेश
62.	आरकेडीएफ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी	शिक्षा	भोपाल	भोपाल	मध्य प्रदेश
63.	संभव सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन	गैर-सरकारी संगठन	ग्वालियर	ग्वालियर	मध्य प्रदेश
64.	शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	शिक्षा	भाबरा	भाबरा	मध्य प्रदेश
65.	शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	शिक्षा	खल्वा	खल्वा	मध्य प्रदेश
66.	स्वराज संस्थान	गैर-सरकारी संगठन	भोपाल	भोपाल	मध्य प्रदेश
67.	कृषि विज्ञान केंद्र	केवीके	बारामति	बारामति	महाराष्ट्र
68.	यूनियन पार्क रेजीडेंट्स एसोसिएशन	गैर-सरकारी संगठन	मुंबई	मुंबई	महाराष्ट्र
69.	फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे	शिक्षा	पुणे	पुणे	महाराष्ट्र

1	2	3	4	5	6
70.	कृषि विज्ञान केंद्र (पीरेंस)	केवीके	बबलेश्वर	बबलेश्वर	महाराष्ट्र
71.	एम.एस.जी. आटर्स, साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज	शिक्षा	नासिक	नासिक	महाराष्ट्र
72.	मन देशी फाउंडेशन (मनविकास सामाजिक संस्था की तौर पर ज्ञात)	गैर-सरकारी संगठन	महासवाड	महासवाड, सतारा	महाराष्ट्र
73.	पद्मश्री डॉ. डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ, नवी मुंबई	शिक्षा	मुंबई	मुंबई	महाराष्ट्र
74.	स्नेहालय	गैर-सरकारी संगठन	अहमदनगर	अहमदनगर	महाराष्ट्र
75.	सुविदे फाउंडेशन कृषि विज्ञान केंद्र	केवीके	वशीम	वशीम	महाराष्ट्र
76.	यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई	शिक्षा	मुंबई	मुंबई	महाराष्ट्र
77.	यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे	शिक्षा	पुणे	पुणे	महाराष्ट्र
78.	विद्या प्रतिष्ठान इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद्यानागरी	शिक्षा	बारामती	बारामती	महाराष्ट्र
79.	येराला प्रोजेक्ट्स सोसाइटी	गैर-सरकारी संगठन	सांगली	सांगली	महाराष्ट्र
80.	विश्वास ध्यान प्रबोधिनी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट	गैर-सरकारी संगठन	नासिक	नासिक	महाराष्ट्र
81.	सस्नेह कला क्रीड़ा सांस्कृतिक मंडल	गैर-सरकारी संगठन	सांगली	सांगली	महाराष्ट्र
82.	साधना कृषि विज्ञान केंद्र	केवीके	अमरावती	अमरावती	महाराष्ट्र
83.	यंग इंडिया	गैर-सरकारी संगठन	कोणार्क	कोणार्क	ओडिशा
84.	सौरभ	गैर-सरकारी संगठन	जगतसिंहपुर	जगतसिंहपुर	ओडिशा
85.	एसोसिएशन इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट	गैर-सरकारी संगठन	अथनथारा	अथनथारा	ओडिशा
86.	रावेनशॉ यूनिवर्सिटी	शिक्षा	कटक	कटक	ओडिशा
87.	शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी	शिक्षा	भुवनेश्वर	भुवनेश्वर	ओडिशा
88.	आचार्य आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, विल्लियानुर, पुदुचेरी	शिक्षा	पुदुचेरी	पुदुचेरी	पुदुचेरी

1	2	3	4	5	6
89.	पुदुचेरी यूनिवर्सिटी	यूनिवर्सिटी	पुदुचेरी	पुदुचेरी	पुचुदेरी
90.	श्री मानाकुला विनयागर इंजीनियरिंग कॉलेज	शिक्षा	पुदुचेरी	पुदुचेरी	पुदुचेरी
91.	गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज, लुधियाना	शिक्षा	लुधियाना	लुधियाना	पंजाब
92.	एक ओंकार चैरिटेबल ट्रस्ट	गैर-सरकारी	सीचेवाल	सीचेवाल	पंजाब
93.	चिटकारा एजुकेशनल ट्रस्ट	शिक्षा	रायपुर	रायपुर	पंजाब
94.	सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर (बेयरफुट कॉलेज)	गैर-सरकारी संगठन	तिलोनिया	तिलोनिया	राजस्थान
95.	ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर एडवांस एजुकेशन एंड रिसर्च	गैर-सरकारी संगठन	अलवर	अलवर	राजस्थान
96.	बनस्थली विद्यापीठ	शिक्षा	वनस्थली	वनस्थली	राजस्थान
97.	एमिनेंट टी.टी. गर्ल्स कॉलेज, डिग्री, मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान	शिक्षा	डिग्गी, मालपुरा	डिग्गी, मालपुरा	रजस्थान
98.	इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट	शिक्षा	जयपुर	जयपुर	राजस्थान
99.	प्रजापिता बह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय	शिक्षा	माउंटआबू	माउंटआबू	राजस्थान
100.	एटॉमक एनर्जी सेंट्रल स्कूल नं. 2 (एईसीएस-2)	शिक्षा	कलपक्कम	कलपक्कम	तमिलनाडु
101.	धन फाउंडेशन	गैर-सरकारी संगठन	मुदरई	नागापट्टनम	तमिलनाडु
102.	के.एस. रंगासामी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस	शिक्षा	तिरुचेनगुडे	तिरुचेनगुडे	तमिलनाडु
103.	एम. कुमारसामी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग	शिक्षा	करूर	करूर	तमिलनाडु
104.	पीपुल्स एसोसिएशन फॉर रूरल डेवलपमेंट (पीएआरडी)	गैर-सरकारी संगठन	मदुरई	मदुरई	तमिलनाडु
105.	पीजीपी एजुकेशनल एंड वेल्फेयर सोसाइटी	शिक्षा	नमक्कल	नमक्कल	तमिलनाडु

1	2	3	4	5	6
106.	राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट	शिक्षा	श्रीपेंरबदूर	श्रीपेंरबदूर	तमिलनाडु
107.	तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी	एसएयू	कोयम्बदूर	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
108.	अदितानार कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस	शिक्षा	तिरुचेंदूर	तिरुचेंदूर	तमिलनाडु
109.	एवीआरसी, अन्ना यूनिवर्सिटी	शिक्षा	चेन्नई	चेन्नई	तमिलनाडु
110.	ईरोड सेंगुंथार इंजीनियरिंग कॉलेज	शिक्षा	इरोड	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
111.	हॉली क्रॉस कॉलेज	शिक्षा	तिरुचिरापल्ली	तिरुचेंदूर	तलिनाडु
112.	कोंगू इंजीनियरिंग कॉलेज, पेरुंदुरई	शिक्षा	पेरुनदुरई	चेन्नई	तमिलनाडु
113.	लोयोला कॉलेज	शिक्षा	चेन्नई	चेन्नई	तमिलनाडु
114.	एम.ओ.पी. वैष्णव कॉलेज फॉर वुमन	शिक्षा	चेन्नई	चेन्नई	तमिलनाडु
115.	पीस इंडस्ट्रियल स्कूल	शिक्षा	डिंडीगुल	डिंडीगुल	तमिलनाडु
116.	पेरियार मणियामाई कॉलेज ऑफ टेक्नॉलोजी फॉर वुमन	शिक्षा	थंजावर	थंजावर	तमिलनाडु
117.	पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पीलामेडू, कोयम्बटूर	शिक्षा	कोयम्बटूर	कोम्यबटूर	तमिलनाडु
118.	एसआरएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग	शिक्षा	कांचीपुरम	कांचीपुरम	तमिलनाडु
119.	शुभलक्ष्मी कॉलेज ऑफ साइंस	शिक्षा	मदुरई	मदुरई	तमिलनाडु
120.	मुदरई डिस्ट्रिक्ट टैंक फार्मर्स एसोसिएशन	गैर-सरकारी संगठन	मदुरई	मदुरई	तमिलनाडु
121.	एसएसएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग	शिक्षा	कोमारपलायन	कोमारपलायन	तमिलनाडु
122.	सनबीम इंग्लिश स्कूल	शिक्षा	वाराणसी	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
123.	मिर्जा अहसानुल्लाह बेग एजुकेशनल एंड सोशल वेल्फेयर सोसाइटी	गैर-सरकारी संगठन	आजमगढ़	आजमगढ़	उत्तर प्रदेश

1	2	3	4	5	6
124.	इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी	एसएयू	इलाहाबाद	इलाहाबद	उत्तर प्रदेश
125.	एशियन स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज	शिक्षा	नोएडा	नोएडा	उत्तर प्रदेश
126.	भारती शिक्षा समिति	गैर-सरकारी संगठन	अगारा	आगरा	उत्तर प्रदेश
127.	सिटी मांटेसरी स्कूल	शिक्षा	गोमती नगर, लखनऊ	गोमती नगर, लखनऊ	उत्तर प्रदेश
129.	डॉ. बी.आर.ए. यूनिवर्सिटी	शिक्षा	आगरा	आगरा	उत्तर प्रदेश
130.	हिंट इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन	शिक्षा	गाजियाबाद	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश
131.	आईआईएमटी कॉलेज	शिक्षा	मेरठ	मेरठ	उत्तर प्रदेश
132.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी	शिक्षा	कानपुर	कानपुर	उत्तर प्रदेश
133.	इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज	शिक्षा	नोएडा	नोएडा	उत्तर प्रदेश
134.	कृषि विज्ञान केंद्र	केवीके	सहारनपुर	सहारनपुर	उत्तर प्रदेश
135.	पीजी कॉलेज	शिक्षा	गाजीपुर	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश
136.	साई ज्योति ग्रामोद्योग समाज	गैर-सरकारी संगठन	ललितपुर	ललितपुर	उत्तर प्रदेश
137.	किसान सेवा संस्थान	गैर-सरकारी संगठन	बस्ती	बस्ती	उत्तर प्रदेश
138.	द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट	गैर-सरकारी संगठन	दिल्ली	सुपीविलेज, उत्तराखंड	उत्तराखंड
139.	जी.बी. पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी	एसएयू	पंत नगर	पंत नगर	उत्तराखंड
140.	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैनडिकैप्ड	शिक्षा	देहरादून	देहरादून	उत्तराखंड
141.	गुरु नानक फिफ्थ सेंटिनरी स्कूल	शिक्षा	मसूरी	मसूरी	उत्तराखंड
142.	आस्था जन कल्याण वं विकास समिति	गैर-सरकारी संगठन	चम्बा	चम्बा	उत्तराखंड
143.	जादवपुर यूनिवर्सिटी	शिक्षा	कोलकाता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल

1	2	3	4	5	6
144.	सत्यजीत रे फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट, कोलकाता	शिक्षा	कोलकाता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल

एनजीओ : गैर-सरकारी संगठन

ईडीयू : शिक्षा

यूएनआईवी : यूनिवर्सिटी

एसएयू : स्टैट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी

केवीके : कृषि विज्ञान केंद्र

कोयला क्षेत्र के लिए विनियामक

3549. श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री मधु गौड यास्खी :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री धर्मेन्द्र यादव :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला क्षेत्र के लिए एक विनियामक प्राधिकरण को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे समनुदेशित किए जाने वाले कार्यों और अधिकारों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में अन्य मंत्रालयों और पणधारकों से आपत्तियां प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) कोयला क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने हेतु प्रस्ताव मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। मंत्रिमंडल की दिनांक 10.05.2012 को हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था तथा सिफारिशें देने हेतु इसे मंत्रि-समूह (जीओएम) को भेज दिया गया। जीओएम ने प्रस्ताव पर विचार करने हेतु अभी तक 25.07.2012 तथा 21.01.2013 को दो बैठकें की है।

प्राधिकरण के प्रस्तावित कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ ग्रेड घोषित करने हेतु परीक्षण के तरीके विनिर्दिष्ट करने; खान बंद करने की योजनाओं को मॉनीटर करना तथा लागू करना; अनुमोदित खनन योजनाओं पर अमल सुनिश्चित करना; मूल्य निर्धारण हेतु सिद्धांत एवं कार्य प्रणाली निर्दिष्ट करना; स्वचालित कोयला सैम्पलिंग तथा वेमेंट हेतु प्रक्रिया निर्दिष्ट करना; नीतियां तैयार करने में केन्द्र सरकार को सलाह देना; कोयला उद्योग में प्रतिस्पर्धा क्षमता एवं निवेश आदि को बढ़ावा देना शामिल है।

(ग) और (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय, श्रम मंत्रालय आदि का विचार है कि प्रस्तावित प्राधिकरण की शक्तियां एवं कार्य कतिपय विशिष्ट कानूनों के अतिरिक्त होंगे, उससे कम नहीं। प्रस्ताव को अंतिम रूप देते समय इन टिप्पणियों पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

एफपीआई क्षेत्र का कुल कारोबार

3550. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :
श्री अर्जुन राय :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में औसत वार्षिक वृद्धि दरों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफपीआई) के औसत वार्षिक कुल कारोबार का खाद्य/बागवानी वस्तु-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ख) इस क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योगों की हिस्सेदारी कितनी है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश में किए गए विदेश पूंजी निवेश सहित निवेश की राशि कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) कोड के अनुसार विनिर्मित मदों के बारे में जानकारी केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा अपने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में वार्षिक आधार पर जारी की जाती है। नवीनतम एनएएस-2012 के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत) मदों के लिए आउटपुट के मूल्य (चालू कीमतों पर) की जानकारी तथा वार्षिक वृद्धि दर निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ रुपए)

मद/वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
मांस, मत्स्यिकी, फल, सब्जियां और तेल	1,39,597	1,75,071	1,59,958	1,79,315
डेयरी उत्पाद	44,432	52,365	63,228	57,967
अनाज मिल उत्पाद	1,34,665	1,53,306	1,70,897	1,90,475
अन्य खाद्य उत्पाद	1,21,944	1,27,940	1,71,009	1,95,698
पेय पदार्थ	33,942	37,098	37,385	43,207
कुल आउटपुट (करोड़ रुपए)	4,74,580	5,46,050	6,02,477	6,66,662
दर (%)	15.2	15.1	10.3	10.7

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, एमओएसपीआई।

(ख) राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लघु एवं मध्यम पैमाने के उद्योगों के हिस्से के आउटपुट के बारे में जानकारी जारी नहीं की जाती है।

(ग) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) के अनुसार वर्ष 2007-08 से 2010-11 (अनंतिम परिणाम) तक पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों में निवेश की गई पूंजी (स्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी) निम्नानुसार है:-

वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
निवेश की गई पूंजी (करोड़ रुपए)	1,38,996	1,57,062	1,93,850	2,49,337

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, एमओएसपीआई।

[अनुवाद]

फास्ट ट्रैक कोर्ट

3551. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने यौन उत्पीड़न के मामलों के त्वरित विचारण के लिए फास्ट ट्रक कोर्टों और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और वर्तमान में कार्यरत ऐसे न्यायालयों और एसटीएफ की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारां और सामाजिक संगठनों से कोई सिफारिश/सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसी सिफारिशों/सुझावों की कुल संख्या तथा इन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अधिक लंबित मामलों वाले जिलों/अधीनस्थ न्यायालयों में बलात्कार के लंबित मामलों के शीघ्र विचारण के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन करने और मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए उनकी निगरानी करने का अनुरोध किया था। राज्यों ने फास्ट ट्रैक न्यायालयों के न्यायाधीशों के वर्तमान संख्या से विशेष न्यायालयों का निर्माण करने की प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आठ (8) राज्यों के राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

गृह मंत्रालय को बलात्कार के मामलों में शीघ्र विचारण के लिए विशिष्ट न्यायालयों और विशेष आर्यबल के गठन के संबंध में राज्यों से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

राज्य-वार फास्ट ट्रैक न्यायालय

क्र. सं.	राज्य का नाम	बलात्कार के मामलों के विचारण के लिए गठन हेतु प्रस्तावित फास्ट ट्रैक न्यायालयों की संख्या	इन न्यायालय की स्थापना हेतु जारी की गई अधिसूचनाओं की प्रतियों के साथ बलात्कार के मामलों के विचारण के लिए अभी तक गठित फास्ट ट्रैक न्यायालयों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	23	अभी तक बलात्कार के मामलों के विचारण के लिए कोई फास्ट ट्रैक न्यायालय गठित नहीं किया गया है। तथापि, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों के विचारण के लिए 27 मौजूदा न्यायालयों का निर्धारण किया है।
2.	छत्तीसगढ़	16	16
3.	दिल्ली	05	05
4.	गुजरात	बलात्कार के लंबित मामलों के विचारण के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों के गठ से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए 15.01.2013 को गुजरात उच्च न्यायालय के दो माननीय न्यायाधीशों की एक समिति गठित की गई हे और यह विचाराधीन है।	
5.	झारखंड	माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।	रांची, बोकारो, धनबाद, देवधर, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, साहबगंज के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आने वाले बलात्कार के मामलों पर विचरण के लिए 09 जिला एवं अतिरिक्त सत्र/न्यायाधीशों/रुपए न्यायिक आयुक्त को फास्ट ट्रैक न्यायालयों के रूप में निर्धारित किया गया है।
6.	जम्मू और कश्मीर	08	बलात्कार के मामले पर विचारण के लिए पांच उच्च न्यायालय ने राज्य में मौजूदा न्यायालयों को निर्धारित किया है।
7.	मध्य प्रदेश	कोई नहीं। तथापि, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार के बाद हत्या से संबंधित अपराध के विचारण के लिए बेतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, इन्दौर, जबलपुर, रायसेन, रीवा और सतना के नौ स्थानों	•इस प्रयोजन के लिए जिला न्यायाधीश के 52 अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे और यदि ये पद सृजित किए जाते हैं तो बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्या से संबंधित आपराधिक मामले

1	2	3	4
		में मौजूदा कैडर संख्या में से एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को निर्धारित किया गया है।	पर विचारण के लिए उच्च न्यायालय एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पदनाम पर विचार कर सकता है। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्या के अपराध से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए उच्च न्यायालय के मध्य प्रदेश राज्य में सभी सत्र न्यायाधीशों को प्रभावी निर्देश जारी किए हैं।
8.	केरल	3	

[अनुवाद]

ऋण माफी योजना में दुग्ध सहकारी समितियां

3552. **श्री एम.बी. राजेश :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ऋण माफी योजना में दुग्ध सहकारी समितियों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित और कार्यान्वित की गई थी। ऋण माफी से संबंधित कार्य 30 जून, 2008 तक पूरा हो गया था, जबकि ऋण राहत से संबंधित कार्य जून, 2010 में बंद कर दिया गया था। डेयरी सहकारिता समितियों को ऋण माफी योजना में शामिल करने कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के दिए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

समुद्री क्षेत्र में अनुसंधान कार्य

3553. **श्रीमती जे. हेलन डेविडसन :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह एक तथ्य है कि अन्य देशों की तुलना में देश में समुद्री क्षेत्र में अनुसंधान कार्य बहुत ही कम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में समुद्री क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों/संगठनों द्वारा किए गए प्रमुख अनुसंधान और विकास कार्य क्या है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इन अनुसंधान संस्थानों के कार्य की आवधिक समीक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तहत मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थानों द्वारा समुद्री क्षेत्र में किया जा रहा अनुसंधान कार्य अन्य देशों के समतुल्य है। विश्व में कुल समुद्री मछली के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। पिछले छह दशकों के दौरान समुद्री क्षेत्र में मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थानों द्वारा अनुसंधान एवं विकास सहायता तथा अन्य जरूरत आधारित तकनीक, प्रशिक्षण, परामर्श, विश्लेषणात्मक तथा सलाहकार सेवाएं इस क्षेत्र को मजबूत बनाने में सहायक रहा है।

(ग) समुद्री क्षेत्र में मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थानों के मुख्य अनुसंधान कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:—

- समुद्री मात्स्यिकी संसाधन/मछली स्टॉक का मूल्यांकन।
- उचित उन्नत प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप द्वारा मत्स्य संसाधनों का प्रबंधन।
- समुद्री मात्स्यिकी के संदर्भ में समुद्री विज्ञान पर अनुसंधान।

- मछली पालन तथा खुले समुद्र में पिंजरापालन प्रौद्योगिकियों का विकास।
- खारे जल में प्रजाति और प्रणाली विविधीकरण के साथ टिकाऊ जलजीवपालन प्रौद्योगिकियों का विकास।
- मत्स्य आनुवंशिक संसाधनों का सूचीकरण, वर्गीकरण, संरक्षण तथा प्रबंधन।
- आनुवंशिक तथा जैव-प्रौद्योगिकी द्वारा प्रजाति संबंधी उन्नयन।
- पारिस्थिकी-अनुकूल, ईंधन दक्ष तथा संसाधन विशिष्ट मछली पकड़ तकनीकों का विकास।
- मछली पकड़ के बाद, मूल्यवर्धन; खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण एवं स्वच्छता विनियम तथा पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों का विकास।
- मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण तथा दक्षता उन्नयन।

(घ) और (ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तहत मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थानों की अनेक विभागीय समितियों जैसे अनुसंधान सलाहकार समितियां (आरएसी), संस्थान अनुसंधान परिषद (आईआरसी) तथा पंचवर्षीय समीक्षा दल (क्यूआरटी) के माध्यम से निर्धारित उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में परिणाम तथा उत्पादन का दायित्व, चिन्हाकित मात्रात्मक प्रदेय तथा परिव्यय की नियमित निगरानी की जाती है।

कृषि कामगार

3554. प्रो. रंजन प्रसाद यादव :
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना :
श्री अशोक तंवर :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुप्रयुक्त कार्यबल अनुसंधान संस्थान (आईएएमआर) की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005-2010 के दौरान 15 मिलियन कामगार कृषि क्षेत्र को छोड़कर निर्माण और सेवा क्षेत्र में चले गए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह कृषि क्षेत्र में ह्रास की प्रवृत्ति को दर्शाता है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी 57 प्रतिशत से घटकर 53 प्रतिशत हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(च) रोजगार में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में कमी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्य कदम उठाए गए अथवा उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ङ) इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च में "बेरोजगारी एवं अनौपचारिकता: भारत में सन्निहित विकास के संबंध में चुनौतियों", पर उनके ओकेजनल पेपर नं. 9/2012 में यह बताया गया है कि 2005-2010 के दौरान 15 मिलियन कार्मिक कृषि क्षेत्र में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में स्थानांतरित हो गए। कुल रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी 2005 में 57 प्रतिशत से घटकर 2010 में 53 प्रतिशत हो गई है। इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि "विगत 20 वर्षों में उत्पादन में उद्योग एवं सेवाओं के हिस्सेदारी में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में उनकी हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 15 प्रतिशत के करीब है (2010)। यह निश्चित रूप से एक सराहनीय परिवर्तन है तथा यह अत्यधिक उत्पादक क्षेत्रों के बढ़ते हुए तुलनात्मक महत्व को दर्शाता है"। सकल घरेलू उत्पाद कृषि की घटती हुई हिस्सेदारी विकासात्मक प्रक्रिया में एक ध्यान देने योग्य प्रवृत्ति है।

(च) कृषि क्षेत्र मे क्रियान्वित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का लक्ष्य कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है तथा ऑन-फार्म एवं गैर-फार्म रोजगार अवसरों का भी सृजन करना है, ये कार्यक्रम हैं:— राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), ग्रामीण भंडारण योजना, कृषि विपणन अंतसंरचना का विकास, लघु सिंचाई, एकीकृत तिलहन, दलहन, पाम ऑयल तथा मक्का योजना (आईसोपाम) एवं राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)।

सरोगेट विज्ञापन

3555. श्री उदय सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने देश में सरोगेट विज्ञापन के प्रचलन को रोकने के तरीकों और साधनों पर विभिन्न विभागों से उनके विचार मांगने के लिए हाल ही में उनके साथ बैठक की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा व्यक्त विचारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन कंपनियों की पहचान की है जो विज्ञापनों के माध्यम से प्रतिबंधित ब्रांडों को बढ़ावा देने के दोषी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए ऐसे सरोगेट विज्ञापनों को रोकने के लिए क्या विनियामक तंत्र स्थापित किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (घ) इस विषय पर विभिन्न मंत्रालयों की राय प्राप्त करने हेतु विगत हाल में मंत्रालय द्वारा कोई बैठक आयोजित नहीं की गई है। तथापि, सरकार ने वास्तविक ब्रैंड विस्तार (तम्बाकू और मादक उत्पादों के साथ नाम शेयर करने वाले ब्रैंड) पर टीवी विज्ञापनों के मुद्दे की जांच हेतु सचिवों की एक समिति गठित की है, जिसका विषय तम्बाकू और मादक उत्पादों के प्रतिनिधि विज्ञापन (अप्रत्यख विज्ञापन) से बिल्कुल भिन्न है।

निजी सैटेलाइट/केबल टीवी चैनलों पर विज्ञापनों के प्रसारण को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार विनियमित किया जाता है। केबल टेलीविजन (नेटवर्क) नियम, 1994 के नियम 7(2)(viii)(क) में व्यवस्था है कि ऐसे किसी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी जो सिगरेट, तम्बाकू उत्पादों, मदिरा,

(i) विज्ञापन की पटकथा या दृश्य किसी रूप से ढंग से केवल उस उत्पाद को प्रदर्शित करेगा न कि प्रतिबंधित उत्पाद को;

(ii) विज्ञापन में प्रतिबंधित उत्पादन का कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष संदर्भ नहीं होगा;

(iii) विज्ञापन में प्रतिबंधित उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसी तरह का कुतर्क या उपवाक्य नहीं रखा जाएगा;

(iv) विज्ञापन में प्रतिबंधित उत्पादन से जुड़े किसी खास रंग और प्रारुप या प्रस्तुति का प्रयोग नहीं किया जाएगा;

(v) विज्ञापन अन्य उत्पादों का विज्ञापन करते समय प्रतिबंधित उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए किसी विशिष्ट परिस्थिति का उपयोग नहीं करेगा;

परंतु और कि:—

(i) विज्ञापनदाता प्रस्तावित विज्ञापन की एक प्रति के साथ आवेदन करेगा जिसके साथ पंजीकृत चार्टरित लेखाकार की ओर से जारी एक प्रमाण-पत्र संलग्न करेगा कि सिगरेट, तम्बाकू उत्पादन, मदिरा, मादक द्रव्य, शराब या अन्य नशीले पदार्थों के ही नाम के उत्पादन युक्तियुक्त मात्रा में वितरित किए गए हैं और दुकानों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं जहां उसी श्रेणी के अन्य उत्पादन उपलब्ध हैं और उनके ऐसे विज्ञापन पर प्रस्तावित खर्च उत्पादन के वास्तविक विक्रय के अननुपाती नहीं होगा।

(ii) ऐसे सभी विज्ञापनों जिन्हें सूचना और प्रसाण मंत्रालय द्वारा वास्तविक ब्रैंड विस्तार के रूप में पाया जाता है का पूर्वदर्शन किया जाएगा और केन्द्री फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त रूप में प्रमाणित किया जाएगा और वे प्रसारण या पुनः प्रसारण से पहले प्रथम परन्तुक के उपखंड (i) से (v) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे।

इन नियमों के किसी उल्लंघन की जानकारी सरकार को प्राप्त होने पर टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है न कि विज्ञापनदाता कम्पनी/उत्पादन के विनिर्माता के खिलाफ। केबल टेलीविजन (नेटवर्क) नियम, 1994 के नियम 7(2)(viii)(क) के उल्लंघन के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान टीवी चैनलों के खिलाफ की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

सरकार ने निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित की जाने वाली विषय-वस्तु के मॉनीटरण के लिए एक इलैक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरण केन्द्र स्थापित किया है ताकि कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं

के उल्लंघन की जानकारी इस मंत्रालय को प्राप्त हो सके। उल्लंघन के मामलों पर विचार करने और उन सैटेलाइट टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए समुचित सिफारिशें करने, जो कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, एक अंतरमंत्रालयीय समिति भी गठित की गइ है।

निजी टीवी चैनलों द्वारा विज्ञापन संहिता के उल्लंघन की शिकायतों को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् (एएससीआई) जो कि विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों का एक उद्योग-स्तरी स्व-विनियमन निकाय है, को उनकी टिप्पणी और कार्रवाई के लिए भी संदर्भित किया जाता है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान केबल टीवी नियम, 1994 के नियम 7(2)(अपपप)(क) के विरुद्ध विज्ञापनों का प्रसारण करने के लिए चैनलों के विरुद्ध की गई कार्रवाइ

क्र.सं.	विज्ञापन	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	'ब्लेंडर्स प्राइड म्यूजिक सीडी' विज्ञापन के माध्यम से मद्य उत्पादन का विज्ञापन का प्रसारण	संबंधित चैनल को दिनांक 06.04.2010 को चेतावनी जारी की गई।
2.	'ब्लेंडर्स प्राइड म्यूजिक सीडी' विज्ञापन के माध्यम से मद्य उत्पादन का विज्ञापन का प्रसारण	संबंधित चैनल को दिनांक 06.04.2010 को चेतावनी जारी की गई।
3.	'हेवर्ड'-5000 सोडा तथा 'किंगफिशर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर' के उत्पादों के विज्ञापन का प्रसारण	दिनांक 17.06.2010 को सभी टीवी चैनलों को उस उत्पाद के विज्ञापन के प्रसारण, जिनके ब्रांड या लोगों का प्रयोग सिगरेट, तम्बाकू, उत्पाद, शराब, मदिरा, मद्य या अन्य नशीले पदार्थों के लिए किया जाता है, को बंद करने संबंधी सामान्य आदेश जारी किए गए।
4.	'मैकडावेल्स सोडा' के उत्पाद का प्रसारण	दिनांक 17.06.2010 को सभी टीवी चैनलों को उस उत्पाद के विज्ञापन के प्रसारण, जिनके ब्रांड या लोगों का प्रयोग सिगरेट, तम्बाकू, उत्पाद, शराब, मदिरा, मद्य या अन्य नशीले पदार्थों के लिए किया जाता है, को बंद करने संबंधी सामान्य आदेश जारी किए गए।
5.	सिगरेट, तम्बाकू उत्पादों, शराब, एल्कोहोल, मदिरा या अन्य मादक पदार्थों हेतु प्रयोग किया जा रहे ब्रांड और लोगों का प्रयोग करने वाले उत्पादों का विज्ञापन	दिनांक 17.06.2010 को सभी टीवी चैनलों को उस उत्पाद के विज्ञापन के प्रसारण, जिनके ब्रांड या लोगों का प्रयोग सिगरेट, तम्बाकू, उत्पाद, शराब, मदिरा, मद्य या अन्य नशीले पदार्थों के लिए किया जाता है, को बंद करने संबंधी सामान्य आदेश जारी किए गए।
6.	एफटीवी वोदका का विज्ञापन	दिनांक 17.01.2013 को एफटीवी चैनल को चेतावनी जारी की गई।
7.	'मैकावेल्स नं. 1 प्लेटिनम सोडा' — द नंबर 1 स्पिरिट ऑफ लीडरशिप का विज्ञापन	एएससीआई से दिनांक 22.07.2011 को अनुरोध किया गया कि इन विज्ञापनों को बंद करने के लिए मामले को विज्ञापनदाताओं के

1	2	3
		साथ उठाया जाए। एएससीआई ने सूचित किया है कि शिकायत को मान लिया गया है। यह भी सूचित किया गया है कि दिनांक 25 जुलाई, 2011 से सभी चैनलों से उपर्युक्त विज्ञापनों को वापस ले लिया गया है।
8.	इटी नाउ चैनल पर किंगफिशर बीयर के विज्ञापन का प्रसारण	दिनांक 12.09.2012 को चैनल को चेतावनी जारी की गई।
9.	स्टार क्रिकेट चैनल पर वीबी बेस्ट कोल्ड बीयर के विज्ञापन का प्रसारण	दिनांक 12.09.2012 को चैनल को चेतावनी जारी की गई।

[हिन्दी]

बीजों का फसल बीमा

3556. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीजों के लिए फसल बीमा के संबंध में कोई प्रायोगिक स्कीम शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त स्कीम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां इस स्कीम को शुरू किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) बीज फसल बीमा पर एक प्रायोगिक स्कीम रबी 1999-2000 में दस राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी ताकि वित्तीय सुरक्षा एवं आय स्थिता उपलब्ध कराई जा सके, नए उत्पादकों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके, नए निर्मुक्त संकर/उन्नत किस्मों के बीज उत्पाइन कार्यक्रम चलाए जा सकें और वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधुनिक बीज उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। स्कीम को मुख्य विशेषताएं फील्ड स्तर पर बीज उत्पादन में सम्मिलित जोखिम और फसल पश्चात् अपेक्षित कच्ची बीज उपज एवं बीज फसल में नुकसान को शामिल करना है।

प्रायोगिक स्कीम के प्रभाव के मूल्यांकन अध्ययन कराया गया था। स्कीम को इसके प्रचालन के 3 मौसमों के बाद वांछित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं करने के कारण अध्ययन द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर रोक दिया गया था।

[अनुवाद]

मंदिर की जीर्ण-शीर्ण दशा

3557. श्री नामा नागेश्वर राव : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में वारंगल स्थित हजार खंभों वाले विश्व प्रसिद्ध मंदिर की जीर्ण-शीर्ण दशा को नोट किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस मंदिर/स्मारक के जीर्णोद्धार को पूरा करने, संरक्षण और सुरक्षा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा अत्यधिक विलंब हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) उक्त मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए एएसआई द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) और (ख) वारंगल को हजार खम्बों वाले मंदिर का मुख्य पूजास्थल भली-भांति

परिरक्षित हैं। स्थित उक्त मंदिर परिसर के कल्याण मंडप में कुछ संरचनात्मक समस्याएं आ चुकी हैं, अतः पुनरुद्धार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। पुरातत्वीय पुनरुद्धार कार्य में कई कारकों जैसे कि प्रमाणिकता, अखंडता, संबद्ध विरासत महत्व और सजावटी विशेषताओं, इत्यादि के कारण समय अधिक लगता है। तथापि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पुनद्धार कार्य को जल्दी पूरा करने के लिए पूर्ण प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

भारतीय संस्कृति के अवशेष

3558. **योगी आदित्यनाथ** : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इससे अवगत है कि भारतीय संस्कृति के अवशेष अभी भी दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय संस्कृति के अवशेष के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) और (ख) जी, हां। दक्षिण-पूर्व एशिया में इंडोनेशिया, थाइलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, बर्मा, कंबोडिया और लाओस ऐसे देश हैं जो अवशेष मूर्तियों, मंदिरों, स्तूपों तथा पुरातत्वीय प्रस्तर खंडों पर उत्कीर्णनों के रूप में भारतीय संस्कृति के अवशेषों के लिए जाने जाते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के विशेषज्ञ दलों ने स्मारकों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के लिए कंबोडिया, लाओ-पीडीआर, वितयनाम तथा म्यांमार का दौरा किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने द्वि-पक्षीय करार के एक भाग के रूप में कंबोडिया स्थित या प्रोम मंदिर, लाओ पीडीआर स्थित वात फू मंदिर तथा म्यांमार स्थित आनंद मंदिर के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण का कार्य शुरू किया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय महत्व के स्मारक

3559. **श्री अनंत कुमार :**
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न स्मारकों/धरोहर स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित करने के संबंध में केन्द्र सरकार के पास अब भी लंबित पड़े राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इन लंबित परियोजनाओं के कब तक अनुमोदित कर दिए जाने की संभावना हैं;

(ख) क्या सरकार को नवरत्न कंपनियों के कॉर्पोरेट आरक्षित निधि से इन स्मारकों के रख-रखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जन प्रतिनिधियों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) विभिन्न स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव विवरण में दिए गए हैं। इन प्रस्तावों में विस्तृत जांच, राजस्व रिकॉर्डों की सत्यता, स्वामित्व संबंधी मामले, स्थल योजना तैयार करना आदि अपेक्षित है जिसके परिणामस्वरूप स्वीकृति के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है।

(ख) और (ग) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, तीन स्मारकों, अर्थात्, मांडवगांव स्थित देवी मंदिर, तकाली स्थित ढोकेश्वर गुफाओं और पारनेर स्थित शिव मंदिर के विकास हेतु जन प्रतिनिधि (श्री दिलीप गांधी, माननीय संसद सदस्य) ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) से संपर्क किया है।

इसके अतिरिक्त, माननीय संसद सदस्य ने करजात स्थित मल्लिकार्जुन मंदिर तथा घोटन स्थित जैन मंदिर के विकास हेतु तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि. (ओएनजीसी) से संपर्क किया है (सभी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित हैं।

विवरण

राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित करने के लिए विचार किए जाने वाले स्मारकों/स्थलों की सूची

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम, स्थान और जिला	राज्य का नाम
1.	जूनीकरण में प्राचीन स्थल, जिला कच्छ	गुजरात
2.	फिरोजशाह महल के नजदीक स्थित महल इमारत और तहखाना, हिसार, जिला हिसार	हरियाणा
3.	हारादीब स्थित मंदिर समूह, जिला रांची	झारखंड
4.	शाहपुर किला, शाह-पुर, जिला पलामू	झारखंड
5.	नवरत्नगढ़ किला और मंदिर परिसर, गुमला	झारखंड
6.	तिलियागढ़ किला, साहेबगंज	झारखंड
7.	कोल्हुआ में किला और जैन शैलकृत मूर्तियां, पहाड़ी, जिला छतरा	झारखंड
8.	जनार्दन मंदिर, पानामारम, जिला वेलैंड	केरल
9.	विष्णु मंदिर, नडावयाल जिला वेनाड	केरल
10.	दौलताबाद किले की किलेबंदी दीवार, जिला औरंगाबाद	महाराष्ट्र
11.	पुराना उच्च न्यायालय भवन, नागपुर, जिला नागपुर	महाराष्ट्र
12.	किला, गिन्नूरगढ़, जिला सिहोर	मध्य प्रदेश
13.	बिरंची नारायण मंदिर, बुगुडा	ओडिशा
14.	रानीपुर झरियाल स्थित मंदिर समूह, जिला बोलंगीर	ओडिशा
15.	सीता-राम जी मंदिर, डीग, जिला भरतपुर	राजस्थान
16.	रामबाग महल, डीग, जिला भरतपुर	राजस्थान
17.	अल्वर में बाला किला और नीमराणा में एक सीढ़ीदार कुंआ, जिला अल्वर	राजस्थान
18.	सेंट थॉमस चर्च, देहरादून, जिला देहरादून	उत्तराखंड
19.	नौसेरी बानू मस्जिद और चौक मस्जिद, केल्ला निजामत, जिला मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल
20.	पुरातत्व स्थल (साकीसेना टीला), मोगलबारी, जिला पश्चिम मेदिनापुर	पश्चिम बंगाल
21.	ख्वाजा अन्वर बेर (नवाब बारी), जिला वर्द्धमान	पश्चिम बंगाल
22.	वृंदावन चंद्र मंदिर और राधा दामोदर मंदिर जिला बांकुरा	पश्चिम बंगाल

[हिन्दी]

अधिक उपज वाले बीजों का विकास

3560. श्री अर्जुन राय :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बी.टी. कॉटन बीजों को बेचने वाली कतिपय कंपनियां अधिक उपज वाले बीजों की नई किस्मों को विकसित करने में लगी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां प्रायोगिक परियोजना के तहत प्रायोगिक आधार पर इन कंपनियों द्वारा ऐसे नए बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) जी, हां।

(ख) देश में बीटी कॉटन सीड बेचने वाली कम्पनियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) देश में बीटी कॉटन ही केवल खेती के लिए अनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है। बीटी कॉटन सीड का उपयोग पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्यों में किया जाता है जिसके लिए आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त है। परम्परागत बीज किस्में उन क्षेत्रों में उगायी जाती हैं जिसकी कृषि फसलों के लिए फसल मानक, अधिसूचना तथा किस्मों पर उप-समिति द्वारा सिफारिश की जाती है।

विवरण

बी.टी. कपास वितरण में शामिल बीज कम्पनियां

क्र.सं.	कम्पनी का नाम
1	2
1.	अदवंता इंडिया लि.
2.	अजित सीड्स लि.
3.	अमर बायोटेक लि.
4.	अमरेश्वर एग्रोटैक
5.	अंकुर सीड्स प्रा.लि.
6.	आर्या हाइब्रीड सीड्स सीड्स प्रा.लि.
7.	एशियन एग्री जेनेटिक लि.
8.	बसंत एग्रोटैक इंडिया लि.
9.	बेयर बायोसाइंस प्रा.लि.
10.	बायोसीड्स रिसर्च इंडिया प्रा.लि.
11.	ब्रह्मपुत्र प्रा.लि.
12.	सेनबायोस
13.	सेट्रोमरी बायो सॉल्यूशन
14.	दफ्तरी एग्रो प्रा.लि., गैर-बीटी
15.	धान्या सीड्स
16.	एमरजेंट जेनेटिक प्रा.लि.
17.	फॉचून हाइब्रीड सीड्स प्रा.लि.
18.	गंगा कावेरी सीड्स प्रा.लि.
19.	जीओ बायोटेक्नोलॉजी इंडिया प्रा.लि.
20.	ग्रीन गोल्ड सीड्स
21.	जे.के. एग्रीजेनेटिक सीड्स लि.
22.	कावेरी सीड्स लि.
23.	कोहेनूर सीड्स
24.	कृषक भारती कॉर्पोरेशन लि.
25.	कृषि धनसीड्स प्रा.लि.

1	2
26.	कीर्तिमान एग्रो जेनेटिक इंडिया लि.
27.	माइको एमएचएचबी सीड्स कं. बल. जयपुर
28.	माइको सीड्स
29.	मोनसेंटो होल्डिंग प्रा.लि.
30.	मोनसेंटो इंडिया प्रा.लि.
31.	नामधारी सीड्स प्रा.लि.
32.	नन्दी सीड्स प्रा.लि.
33.	नाथ बायोजीन सीड्स
34.	नाथ सीड्स प्रा.लि.
35.	नवकर हाइब्रीड सीड्स लि.
36.	निओ सीड्स
37.	निर्मल सीड्स प्रा.लि.
38.	नू जीन्स प्रा.लि.
39.	नूसन जेनेटिक
40.	नूसन
41.	नूजिविदू सीड्स प्रा.लि.
42.	पालामोर सीड्स प्रा.लि.
43.	प्रभात एग्री बायोटेक
44.	प्रवर्धन सीड्स प्रा.लि.
45.	आर.जे. बायोटेक
46.	रेलिस इंडिया प्रा.लि.
47.	राशि सीड्स प्रा.लि.
48.	रोहिनी सीड्स

1	2
49.	सफल सीड्स बायोटेक लि.
50.	सीड्स वर्कस इंडिया लि.
51.	सीड्स वर्कस इंटरनेशनल प्रा.लि.
52.	श्री राम फर्टिलाइजर प्रा.लि.
53.	सिद्धी विनायक सीड्स
54.	श्री सीड्स
55.	सोलर एग्रो टेक प्रा.लि.
56.	स्प्रीहा बायोसाइंस
57.	श्री रामा बायो सीड्स जेनेटिक
58.	श्री रामा एग्री जेनेटिक
59.	श्री सत्य एग्री जेनेटिक
60.	सुपर सीड्स प्रा.लि.
61.	तुलसी सीड्स प्रा.लि.
62.	यूनीफोस इंटरप्राइज लि.
63.	यूनाइटेड फासफोरस
64.	विबा सीड्स
65.	विक्की सीड्स
66.	विक्रम सीड्स प्रा.लि.
67.	वर्जन सीड्स
68.	साइलम सीड्स
69.	यार्गति सीड्स प्रा.लि.
70.	यशोदा हाइब्रिड सीड्स प्रा.लि.
71.	जुआरी सीड्स प्रा.लि.

दलहन और तिलहन का उत्पादन

3561. श्री रमाशंकर राजभर :
श्री ए.टी. नाना पाटील :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देशभर में दलहन और तिलहन के उत्पादन में कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) देश में दलहन और तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार इससे अवगत है कि उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में दलहन और तिलहन के उत्पादन में अंतर है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) कृषि उत्पादन को बढ़ाने और इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किनती निधि आवंटित की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान देश में दलहनों एवं तिलहनों का उत्पादन 2009-10 के दौरान उनके उत्पादन की तुलना में अधिक रहा है। 2009-10 से 2012-13 (दूसरे अग्रिम अनुमान) के दौरान देश में दलहनों एवं तिलहनों के राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) दलहनों एवं तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, सरकार अनेक फसल विकास योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है अर्थात् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन (एनएफएसएम-दलहन), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), बृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए), एकीकृत तिलहन, दलहन, पाम ऑयल एवं मक्का योजना (आइसोपाम) आदि। इसके अतिरिक्त, दलहनों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए ब्लॉक प्रदर्शनों के रूप में मुख्य प्रौद्योगिकियों के सक्रिय प्रचार-प्रसार की शुरुआत करने के लिए 2010-11 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 'त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (ए3पी)' नामक एक नए कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा, 2012-13 के दौरान 19 मिलियन टन से भी अधिक दलहन उत्पादन को प्राप्त करने के लिए एक विशेष योजना की भी शुरुआत की गई है।

(घ) और (ङ) दलहनों तथा तिलहनों सहित भिन्न-भिन्न कृषि फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में अंतर संबंधी कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न होते हैं। प्राकृतिक भू उर्वरता में भिन्नता के अतिरिक्त, इन फसलों के कम उत्पादन के मुख्य कारणों में शामिल हैं— वर्षा का अनिश्चित वितरण, मॉनसून पर निर्भरता, छोटी एवं खंडित भूमि की जोत, अनुचित पोषाहार एवं कीट प्रबंधन, अच्छे गुणवत्ता बीजों का कम उपयोग, पर्याप्त कृषि मशीनरी की कमी तथा व्यवसायों के उन्नत पैकेज को कम अपनाना आदि।

(च) 2012-13 के दौरान मुख्य योजनाएं/कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकार द्वारा आवंटित निधियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

(करोड़ रुपये)

योजनाएं	आवंटित धनराशि
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)	1977.02
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	9217.00
वृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए)	900.00
एकीकृत तिलहन दलहन पाम ऑयल एवं मक्का योजना (आईसोपाम)	387.03

विवरण

राज्य-वार दलहनों एवं तिलहनों के उत्पादन

('000 टन)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	दलहन				तिलहन			
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	1429.0	1440.0	1230.0	1493.0	1500.0	1995.6	1264.7	1546.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अरुणाचल प्रदेश	9.7	9.1	10.5	#	28.3	29.1	33.0	#
असम	64.6	70.1	68.6	109.6	144.7	153.6	149.5	154.0
बिहार	472.5	537.8	511.3	527.5	144.6	136.3	139.5	178.1
छत्तीसगढ़	488.7	537.5	499.1	496.5	200.4	217.2	169.5	216.0
गोवा	8.5	8.0	8.3	#	8.1	8.3	8.0	#
गुजरात	517.0	723.0	780.0	562.0	3097.0	4896.1	5035.0	3385.8
हरियाणा	100.0	158.5	127.0	202.0	877.5	963.8	771.0	941.0
हिमाचल प्रदेश	20.7	41.6	30.8	33.5	3.8	7.7	8.6	8.1
जम्मू और कश्मीर	13.6	16.7	13.2	22.8	49.7	53.0	53.4	51.0
झारखंड	223.7	329.6	412.0	511.5	79.5	113.7	155.5	178.8
कर्नाटक	1118.0	1565.0	1134.1	1175.0	1005.0	1270.0	942.0	950.0
केरल	10.3	3.0	2.5	6.3	1.2	2.1	2.4	0.9
मध्य प्रदेश	4304.6	3386.2	4161.9	4653.6	7636.2	8035.4	7727.8	8290.9
महाराष्ट्र	2370.0	3099.8	2268.0	2153.0	2814.0	5040.0	4485.0	4128.8
मणिपुर	7.2	24.2	26.9	#	0.7	26.7	28.3	#
मेघालय	3.6	3.7	3.7	#	7.0	7.1	7.6	#
मिजोरम	6.5	6.1	5.3	#	3.0	3.8	2.4	#
नागालैंड	34.7	36.4	34.7	#	84.6	66.3	66.8	#
ओडिशा	399.3	426.9	343.4	408.0	172.2	179.8	165.8	183.8
पंजाब	18.0	19.3	15.0	20.5	83.4	71.5	68.0	81.9
राजस्थान	713.7	3259.7	2432.1	2123.4	4407.2	6604.8	5744.5	6062.2
सिक्किम	12.9	11.9	5.9	#	9.4	7.9	7.8	#
तमिलनाडु	204.1	246.0	369.3	355.7	939.6	933.1	1113.7	1162.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
त्रिपुरा	4.5	5.2	6.0	#	2.5	3.4	3.5	#
उत्तर प्रदेश	1901.4	2037.0	2403.0	2361.3	816.0	919.4	935.0	949.8
उत्तराखंड	46.0	52.1	49.0	58.0	33.0	27.5	32.5	36.0
पश्चिम बंगाल	150.1	176.1	130.6	199.7	727.1	703.6	672.4	774.4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.8	1.2	1.0	#	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी
दादरा और नगर हवेली	4.9	6.1	4.0	#	0.1	0.1	0.1	#
दिल्ली	0.8	0.8	0.7	#	4.9	1.3	4.9	#
दमन और दीव	1.1	1.1	0.0	#	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी
पुदुचेरी	0.3	1.3	1.0	#	1.1	0.9	0.5	#
अन्य	एनए	एनए	एनए	102.7	एनए	एनए	एनए	185.6
अखिल भारत	14661.8	18240.9	17088.9	17575.5	24881.6	32479.0	29798.7	29465.3

*08.02.2013 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान।

#अन्यों में शामिल।

एनजी : उगाया नहीं गया।

एनए : लागू नहीं।

एनजीओ को सहायता

3562. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत वित्तीय व अन्य सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त संगठनों को संस्वीकृत/निर्गमित निधि का स्कीम/कार्यक्रम, संगठन/एनजीओ और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बुद्ध, बसेश्वर, नारायण गुरु, स्वामी विवेकानंद इत्यादि जैसे महान लोगों/चिंतकों द्वारा सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए इनकी याद में त्यौहार मनाने के लिए निधि संस्वीकृत की है/संस्वीकृत करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए संस्वीकृत/आवंटित निधि कितनी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) और (ख) जी, हां। संस्कृति मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक कार्यकलाप में कार्यरत एनजीओ सहित विभिन्न संगठनों को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और

चालू वर्ष के दौरान दी गई वित्तीय सहायता/जारी किए गए अनुदान के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। इनमें से किसी भी स्कीम के अंतर्गत कोई राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आबंटन नहीं किया जाता है।

(ग) से (ङ) देश में महत्वपूर्ण लोगों से संबंधित उत्सवों/समारोह हेतु सरकार द्वारा जारी अनुदान/धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान चालू स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों का उपयोग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (28.02.2013 तक)
1.	विर्निदिष्ट मंच कला परियोजना के लिए कार्यरत व्यावसायिक समूहों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता	26.90	30.16	35.63	39.05
2.	सांस्कृतिक विकास में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुसंधान सहायता हेतु वित्तीय सहायता (सांस्कृतिक समारोह अनुदान स्कीम)	2.22	9.05	11.26	7.68
3.	बौद्ध एवं तिब्बती संस्थानों के विकास हेतु सहायता	2.48	3.60	1.03	1.53
4.	स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों के लिए भवन निर्माण अनुदान	1.30	1.27	1.64	0.93
5.	क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालयों का संवर्धन और सुदृढ़ीकरण	11.67	14.82	15.79	13.42
6.	हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता	0.43	0.41	0.19	0.61
7.	शताब्दी/वर्षगांठ उत्सव स्कीम के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	0.17	0.13	0.01	शून्य
8.	राष्ट्रीय स्मारक संवर्धन एवं अनुरक्षण स्कीम के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	0.25	0.24	शून्य	शून्य

विवरण-II

देश में महत्वपूर्ण लोगों से संबंधित उत्सवों/समारोह हेतु सरकार द्वारा जारी अनुदान/धनराशि

(लाख रुपए)

क्र.सं.	उत्सव/समारोह का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की 2550वीं वर्षगाठ का स्मरणोत्सव	3.25	45.00	30.00	—

1	2	3	4	5	6
2.	स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती का स्मरणोत्सव	—	1240.00	2485.00	3924
3.	रबिन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती का स्मरणोत्सव	—	1097.50	3280.67	115.86
4.	महामना मदन मोहन मालवीय की 150वीं जयंती का स्मरणोत्सव	—	—	—	470.92

[अनुवाद]

कोयला कामगारों की हड़ताल

3563. डॉ. पी. वेणुगोपाल : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी कोयला खदानों वाले राज्यों में हाल ही में कोयला कामगारों द्वारा हड़ताल आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कोयला उत्पादन में कितनी हानि हुई; और

(घ) भविष्य में ऐसी हड़तालों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) बढ़ती हुई कीमतों तथा अन्य राष्ट्रीय मसलों के विरोध में कोल इंडिया लि. (सीआईएल) तथा उसकी सहायक कंपनियों एवं सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) सहित संपूर्ण भारत में सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने 20 तथा 21 फरवरी, 2013 को दो दिन की अखिल भारतीय आम हड़ताल का आह्वान किया था।

इस मसले पर यूनिट/परियोजना स्तर, क्षेत्रीय स्तर और कंपनी स्तर पर कोयला उद्योगों में कार्यरत सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के साथ चर्चा की गई थी। इसके अलावा, सभी कोयलाधारी राज्यों में विभिन्न स्तरों पर सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के साथ भी समझौता हो गया था। उक्त समझौते में विभिन्न स्तर पर प्रबंधन तथा समझौता प्राधिकारी, दोनों ने पीक अवधि के दौरान हड़ताल पर न जाने की यूनियनों से अपील की थी जिसमें कंपनियां देश के लिए अपेक्षित लक्षित कोयला उत्पादन को प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं। तथापि, अपीलों, समझौतों, चर्चाओं के बावजूद सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने कोल इंडिया लि. तथा उसकी सहायक कंपनियों एवं सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) में 20 और 21 फरवरी, 2013 को दो दिन की हड़ताल का सहारा लिया।

(ग) सीआईएल तथा एससीसीएल में हड़ताल की वजह से क्रमशः 0.71 मिलियन टन (लगभग) तथा 0.1 मि.ट. (लगभग) कोयला के उत्पादन की हानि हुई।

(घ) सरकार अधिसूचना के माध्यम से प्रत्येक छमाही में कोयला उद्योग को "उपयोगी सेवा" के रूप में घोषणा करती है। श्रमिकों की शिकायतों का समाधान निकालने के लिए यूनियनों के साथ चचाएं की जाती हैं। तथापि, कोयला क्षेत्र सहित किसी भी क्षेत्र में श्रमिकों द्वारा हड़ताल करने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

[अनुवाद]

दूरसंचार कंपनियों और यूआईडीएआई के बीच समझौता

3564. श्री प्रेमदास :
श्री विश्व मोहन कुमार :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दूरसंचार कंपनियों तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के बीच उपभोक्ताओं से जुड़ी सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए समझौता हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें सिम कार्डधारकों के रिकॉर्ड का आसानी से पता लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस को किस हद तक लाभ मिलने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) यह निर्णय लिया गया है कि 'आधार' की प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से पहचान और पते के ब्यौरे की पुष्टि करने के पश्चात् 'आधार' को वैध पहचान का प्रमाण (पीओआई)/पते का प्रमाण (पीओए) माना जाएगा।

(ख) 'आधार' के प्रमाणीकरण पर आधारित टेलीकॉम के अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी अवधारणा के प्रमाण (पीओसी) से संबंधित कार्य मैसर्स वोडाफोन द्वारा हैदराबाद जिले में सफलतापूर्वक किया गया था। यह व्यवस्था सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के लिए सिम कोर्ड धारकों के रिकॉर्ड का पता लगाने में कुछ उपयोग हो सकती है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कोयला उत्पादन

3565. श्री सी. शिवासामी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कतिपय नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कोयला उत्पादन में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कोयले के उत्पादन में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) कोयले के उत्पादन को झारखंड राज्य में सेंट्रल कोफील्ड्स लि. (सीसीएल) में नक्सली गतिविधियों के कारण नुकसान पहुंचा। सीसीएल में अप्रैल, 2012 से फरवरी, 2013 की अवधि के दौरान नक्सल बंद के कारण कोयला उत्पादन में घाटा लगभग 1.6 लाख टन का हुआ।

(ग) अत: पुलिस एवं आम कानून व्यवस्था राज्य के विषय हैं तथा कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के संबंध में कार्रवाई मुख्यत: राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। गृह मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि केन्द्र सरकार इस स्थिति को कड़ाई से मॉनीटर करती है तथा विभिन्न उपायों, जिनमें सुरक्षा एवं विकास से संबंधित योजनाओं के कार्यरत उनकी सहायता करने सहित राज्य सरकारों के प्रयासों को सम्पूरित करती है। अलग से, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल) ने बताया है कि वे अन्य कार्य दिवसों को कोयले का उत्पादन बढ़ाकर उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

मोबाइल एफपीएस

3566. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री लक्ष्मण टुडु :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों विशेषकर सुदूर/जनजातीय क्षेत्र में मोबाइल उचित दर दुकान (एफपीएस) सुविधा प्रारंभ की है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ इन सुदूर और जनजातीय क्षेत्रों को मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हो जहां यह सुविधा प्रारंभ की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सुविधा को अन्य राज्यों में भी विस्तारित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हो?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (घ) टीपीडीएस का प्रचालन केन्द्रीय सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों के आबंटन, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने और उचित दर दुकानों (एफपीएस) के कार्यकरण के पर्यवेक्षण एवं निगरानी की प्रचालनात्मक जिम्मेवारियां संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती है।

सरकार ने मोबाइल उचित दर दुकान सुविधा प्रारंभ नहीं की है। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी उपभोक्ता/कार्डधारक को अपनी उचित दर दुकान तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर से अधिक यात्रा न करना पड़े। दिशा-निर्देशों के अनुसार जिन क्षेत्रों को उचित दर दुकानों द्वारा कवर नहीं किए जा सकता हैं उन क्षेत्रों में पहाड़ी, दुर्गम, दूर-दराज के, रेगिस्तानी, जनजातीय तथा पहुंच से दूर क्षेत्रों में रहने

वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल वाहन शुरू किए जा सकते हैं। इन दिशा-निर्देशों में कुछ ग्रामीण क्षेत्रों विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में बिक्री केन्द्रों का प्रावधान है, ताकि निर्धारित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सकें, जो इन क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा वरदान होगी।

कृषि विश्वविद्यालय खोलना

3567. डॉ. भोला सिंह :
श्रीमती कमला देवी पटले :
श्री मुरारी लाल सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) ऐसे विश्वविद्यालय कब तक खोले जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) माननीय सभापति राज्य सभा के परामर्श से माननीय अध्यक्ष लोक सभा द्वारा बुन्देलखंड (उत्तर प्रदेश) में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव (लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय बिल, 2012) कृषि पर स्थाई समिति की जांच एवं रिपोर्ट हेतु भेजा गया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 14 मार्च, 2013 को लोक सभा में प्रस्तुत कर दी है तथा इसी दिन इसे राज्य सभा के पटल पर भी रखा गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम

3568. श्री मोहन जेना : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएससीएफडीसी) ने संगठनात्मक अवसंरचना, स्टाफ पैटर्न और चैनेलाइजिंग एजेंसियों के कार्यकरण हेतु कोई एक समान नीति अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एनएससीएफडीसी द्वारा विभिन्न राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को स्वीकृत अनुदानों का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार इनकी उपयोगिता और वसूली का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सतत् आधार पर अनुसूचित जाति के आर्थिक विकास हेतु एनएससीएफडीसी के अंतर्गत विभिन्न राज्य चैनेलाइलिंग एजेंसियों की निष्पादनता का सरकार/मंत्रालय द्वारा आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा नोटिस की गई कमियों, यदि कोई हों, को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) और (ख) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां (एससीए) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित विभागों के तहत कार्यरत स्वतंत्र संगठन है तथा इन्हें अनुसूचित जातियों से संबंधित पात्र व्यक्तियों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) की निधियों के वितरण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित किया जाता है। संगठनात्मक अवसंरचना, स्टाफिंग पैटर्न तथा उनके कार्यकरण के संबंध में एनएसएफडीसी द्वारा कोई नीति नहीं बनाई जाती है।

(ग) एनएसएफडीसी ने एससीए को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुदान प्रदान किया है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान स्वरोजगार ऋण योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न एसएसीए को एनएसएफडीसी द्वारा संस्वीकृत तथा वितरित निधियों, इनके उपयोग तथा एससीए से की गई वसूलियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) एनएसएफडीसी, एससीए के कार्य-निष्पादन की रेटिंग की अपनी योजना के माध्यम से एससीए के कार्य-निष्पादन का आवधिक मूल्यांकन करता है तथा बेहतर कार्य करने वाले एससीए को पुरस्कृत करता है। इस योजना के अंतर्गत कार्य-निष्पादन मूल्यांकन पैरामीटरों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III पर है।

एससीए के कार्य-निष्पादन की कमियों को दूर करने के लिए एनएसएफडीसी द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV पर दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान एनएसएफडीसी द्वारा राज्य-वार वितरित तथा प्रयुक्त अनुदान

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (28.02.2013 की स्थिति के अनुसार)	
		वितरित राशि	प्रयुक्त	वितरित राशि	प्रयुक्त	वितरित राशि	प्रयुक्त	वितरित राशि	प्रयुक्त
1.	असम	0.00	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	28.68	0.00	0.00	0.00
3.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
4.	छत्तीसगढ़	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	दिल्ली	0.00	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	7.32	7.32	12.37	5.83	5.89	0.00	0.00	0.00
7.	हरियाणा	3.84	3.84	31.81	0.00	5.91	0.00	26.01	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	16.33	14.00	10.50	9.50	26.93	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	4.31	0.00
10.	झारखंड	3.29	0.00	0.00	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	4.50	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	केरल	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	ओडिशा	8.13	6.91	0.00	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00
15.	पंजाब	18.41	7.53	64.91	35.67	15.73	0.00	0.00	0.00
16.	राजस्थान	20.76	0.00	0.00	0.00	58.12	0.00	0.00	0.00
17.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	35.85	0.00	0.00	0.00
18.	त्रिपुरा	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	पश्चिम बंगाल	25.85	12.00	16.64	4.61	39.53	0.00	0.00	0.00
	कुल	159.91	74.06	179.96	55.61	234.86	0.00	30.32	0.00

नोट:— (i) एक वर्ष में वितरित धनराशि उस वर्ष तथा पहले के वर्षों में संस्वीकृति से संबंधित है।

(ii) प्रयुक्त धनराशि, संबंधित वर्ष तथा पहले के वर्षों के दौरान किए गए वितरणों से संबंधित है।

विवरण-II

विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार वित्तीय, प्रयुक्त तथा वसूले गए स्वरोजगार ऋण

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13 (28.02.2013 की स्थिति के अनुसार)		
		वितरित राशि	प्रयुक्त	वसूली	वितरित राशि	प्रयुक्त	वसूली	वितरित राशि	प्रयुक्त	वसूली	वितरित राशि	प्रयुक्त	वसूली
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	1337.00	0.00	0.00	3966.00	0.00	0.00	0.00
2.	असम	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
3.	बिहार	167.64	0.00	336.00	32.00	137.62	64.34	0.00	19.76	19.66	0.00	35.14	10.00
4.	चंडीगढ़	13.20	11.49	27.14	36.11	0.00	19.71	36.82	9.80	20.44	11.60	28.54	17.45
5.	छत्तीसगढ़	687.00	437.95	607.32	635.70	612.13	584.88	1151.15	363.38	454.79	689.85	111.33	629.88
6.	दिल्ली	145.75	195.55	226.24	401.20	213.25	174.32	170.00	46.58	233.91	323.30	212.40	193.09
7.	गोवा	7.83	5.28	4.33	5.36	2.55	5.32	11.75	11.75	6.09	49.47	0.00	6.46
8.	गुजरात	1148.63	1928.52	1626.96	2671.65	1841.81	957.58	2391.53	0.00	920.00	3313.44	1088.86	665.00
9.	हरियाणा	601.30	786.98	355.00	99.64	35.00	439.78	213.95	55.82	324.44	306.48	89.21	297.15
10.	हिमाचल प्रदेश	133.26	289.60	254.85	218.63	62.16	230.82	347.51	44.67	114.56	174.55	81.49	124.59
11.	जम्मू और कश्मीर	279.14	295.97	139.28	373.20	157.39	143.54	731.31	80.22	188.32	2.64	56.38	153.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	झारखंड	224.80	237.31	170.28	288.85	78.46	84.68	0.00	0.00	95.21	0.00	0.00	34.15
13.	कर्नाटक	2397.10	2575.00	1200.00	2741.11	1715.26	1385.00	4816.17	1161.41	1871.38	4032.94	2656.76	1057.50
14.	केरल	422.62	446.84	329.87	453.19	501.45	352.69	601.19	428.98	379.52	423.90	138.77	303.78
15.	मध्य प्रदेश	0.00	941.99	320.60	0.00	244.81	300.00	0.00	0.00	186.15	0.00	0.00	0.00
16.	महाराष्ट्र	4567.17	3771.00	725.41	5213.48	3664.57	2617.25	1147.85	1341.74	2019.25	1814.39	1175.42	1509.48
17.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
18.	ओडिशा	19.80	2.87	99.78	0.00	29.14	125.14	0.00	10.47	36.56	0.00	25.77	54.72
19.	पुदुचेरी	189.68	115.96	14.00	0.00	21.21	19.52	0.00	0.00	51.25	0.00	55.47	11.71
20.	पंजाब	332.90	300.53	275.34	326.38	275.72	299.43	400.29	225.58	147.71	344.68	413.21	0.00
21.	राजस्थान	660.58	444.92	429.44	929.38	550.34	517.45	2300.42	256.68	640.49	889.91	1250.24	619.80
22.	सिक्किम	37.89	56.68	85.00	119.16	16.61	83.06	210.26	26.41	76.88	102.00	256.61	87.60
23.	तमिलनाडु	175.00	144.3.52	589.35	559.72	443.30	185.31	0.00	59.97	182.98	0.00	8.96	216.29
24.	त्रिपुरा	500.54	83.63	228.64	329.31	259.16	98.36	629.16	232.71	195.00	278.54	471.77	173.74
25.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	367.85	0.00	0.00	281.13	0.00	0.00	306.06	0.00	0.00	226.81
26.	उत्तराखंड	0.00	0.00	40.47	0.00	0.00	24.21	108.45	व.वव	5.55	126.91	36.35	13.82
27.	पश्चिम बंगाल	2407.35	540.37	916.49	2575.30	841.47	1091.42	3009.54	439.08	987.93	1826.99	923.79	1204.81
	कुल	15119.18	14911.96	11419.64	18009.37	11703.41	11472.89	18277.35	4815.01	13509.60	14711.59	9116.47	7611.01

विवरण-III

एससीए के कार्य-निष्पादन की रेटिंग तथा बेहतर कार्य निष्पादन करने वाले एससीए को पुरस्कार प्रदान करने के लिए वर्ष 2007-08 से एनएसएफडीसी द्वारा शुरू की गई योजना

I. उद्देश्य

(i) एक समय पर अर्थात् प्रतिवर्ष 31 मार्च को एससीए के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन लिए मापदंड उपलब्ध करना।

(ii) सभी एससीए की अपेक्षित कार्य-निष्पादन की तुलना करने के लिए।

(iii) पुरस्कार के माध्यम से बेहतर कार्य-निष्पादन वाले एससीए को पुरस्कृत करना, उन्हें तथा अन्यों को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च पदाधिकारियों द्वारा श्रेष्ठ 3 एससीए को यह पुरस्कार प्रदान करना।

(iv) औसत कार्य-निष्पादन करने वाले एससीए के कार्य-निष्पादन में सुधार करने वाले के लिए।

(v) दीर्घावधि में प्रणाली सुधार के माध्यम से प्रत्येक एससीए के वित्तीय तथा समग्र कार्य-निष्पादन में क्रमिक सुधार की योजना तैयार करना तथा रेटिंग में सुधार करने के लिए उन्हें सहायता प्रदान करना।

II. एससीए के लिए कार्य-निष्पादन मूल्यांकन पैरामीटर तथा लक्ष्य

क्र. सं.	पैरामीटर	यूनिट	महत्व (%)	बैंचमार्क (संतोष-जनक)	मानंदड मूल्य			
					उत्कृष्ट	अति उत्तम	उत्तम	संतोषजनक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पिछले वर्ष की तुलना में लाभार्थियों को एससीए वितरण में वृद्धि	%	10	105	120	115	110	105
2.	गारंटी/आश्वासन (संचयी) का संग्रहण	%	10	100 (पूर्ण कवरेज)	120	115	110	100
3.	संवितरित आवंटन को खपाया जाना (वर्तमान वर्ष)	%	10	95	110	105	100	95
4.	एससीए द्वारा प्राप्त तथा लाभार्थियों को जारी वितरण के बीच समय-अंतराल (निधियों के उपयोग में अंतराल) (वर्तमान वर्ष)	दिन	05	90 दिनों के भीतर	30 दिनों के भीतर	45 दिनों के भीतर	60 दिनों के भीतर	90 दिनों के भीतर
5.	निधियों का संचयी उपयोग	%	08	80.00	90.50	87.00	83.50	80.00
6.	लाभार्थियों से संचयी वसूली	%	20	60	66	64	62	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	एनएसएफडीसी को संचयी भुगतान	%	07	85	100	95	90	85
8.	अतिदेय, यदि कोई है तो, 1 वर्ष से पुराना नहीं	तिमाही	10	1 वर्ष से अधिक नहीं	नियमित	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	3 तिमाही
9.	लाभार्थियों के ऋण खातों का उन्नयन	%	10	90	100	96	93	90
10.	बोर्ड द्वारा एससीए के वार्षिक खातों का उन्नयन	पहले (माह)	10	कोई बकाया नहीं	सितम्बर के पहले	अक्तूबर के पहले	नवम्बर के पहले	दिसम्बर के पहले
	कुल		100					

नोट: वर्तमान वर्ष के दौरान लाभार्थियों के ऋण खातों के उन्नयन के लिए, एससीए को वर्ष के दौरान बनाए गए चालू खातों की संख्या के संबंध में तथा उनका उन्नयन होने पर सूचना प्रस्तुत करनी होगी।

विवरण-IV

एससीए के कार्य-निष्पादन में कमियों को दूर करने के लिए एनएसएफडीसी द्वारा उठाए गए कदम

1. प्रायोजित प्रस्तावों, एनएसएफडीसी से संस्वीकृति तथा वितरण पाने तथा समय से उपयोगिता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उठाए गए कदमों की चक लिस्ट सहित एससीए को वित्तीय वर्ष के आरंभ में निधियों के सैद्धांतिक आवंटन से अवगत कराना।

2. राज्य सरकार की गारंटी, 80% तथा इससे अधिक का उपयोगिता स्तर तथा एक वर्ष से अधिक समय के लिए शून्य अतिदेय जैसे वितरण के लिए एनएसएफडीसी के विवेकपूर्ण मानदंडों की स्थापना तथा इन्हें पूरा करने के लिए एससीए के साथ इस मामले को उठाना।

3. एससीए की बोर्ड बैठक में एनएसएफडीसी के प्रतिनिधियों की भागीदारी। राज्य सरकारों के संबंधित समाज कल्याण विभाग के साथ लंबित मामलों पर कार्रवाई करने तथा राज्य में लक्षित समूह तक निधियों का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए अलग से बैठकें भी आयोजित की जाती है।

4. उपयुक्त स्तर पर उनके हस्तक्षेप के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के साथ भी इस मामले को उठाया जाता है।

5. नियमित रूप से राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की क्षेत्रीय बैठकें आयोजित करना।

6. एससीए तथा बेहतर कार्य-निष्पादन वाले एससीए की रेटिंग योजना तथा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करना। बेहतर कार्य-निष्पादन वाले एससीए को नकद पुरस्कार तथा प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जिसे उनके जिला कार्यालयों में वसूली अवसंरचना में सुधार पर खर्च किया जा सकता है।

7. आर्थिक कार्यकलापों की समुचित पहचान, परियोजना तैयार करने, मूल्यांकन, कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग तथा वसूली एवं एनएसएफडीसी ऋण खातों व कम्प्यूटरीकृत खातों/ऋण खातों को अद्यतन बनाने के लिए इंपुट प्रदान करने के लिए एससीए के अधिकारियों के लिए कार्यकारी विकास कार्यक्रम संचालित करना।

8. स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से एनएसएफडीसी की योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन कराया जाता है तथा रिपोर्ट, इन अध्ययनों के टिप्पणियों तथा निष्कर्षों पर आवश्यक कार्रवाई के लिए एससीए को नियमित रूप से भेजी जाती है।

[हिन्दी]

शरणार्थियों के लिए सुविधाएं

3569. श्री हरीश चौधरी :
श्री बलीराम जाधव :
श्री एम.के. राघवन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है जबकि भारतीय नागरिकता हेतु इनकी मांग सरकार के पास लंबित है;

(ख) क्या उक्त शरणार्थी अपनी जीविका अर्जित करने और अपने बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए पात्र हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) भातरीय नागरिकता मिलने के लंबित रहने तक दीर्घकालिक वीजा पर भारत में रह रहे ऐसवे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को प्रदान की जाने वाली किसी भी सरकार की सुविधा संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के दायरे में आती है। विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, स्थायी रूप से बसने और भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के इरादे से पात्र श्रेणी के तहत दीर्घकालिक वीजा पर भारत में रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को निजी क्षेत्र, अर्थात् सरकारी/अर्ध-सरकारी, स्थानीय निकायों, सहकारी नौकरियों आदि को छोड़कर, में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त, ऐसे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के बच्चों को इस संबंध में विदेशियों के लिए निर्धारित सामान्य शर्तों के अध्याधीन स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी/व्यावसायिक संस्थानों आदि में दाखिला लेने की अनुमति है।

[अनुवाद]

आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामले

3570. श्री पी.सी. गद्दीगौदर : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक और भ्रष्टाचार के मामलों, समाधान किए गए/अनसुलझे मामलों की संख्या कितनी है और इन सभी मामलों को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पृथक से राज्य-वार और अपराध-वार की गई कार्यवाही क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कुल कितने अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक मामले प्रारंभ किए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय अंवेषण ब्यूरो द्वारा उक्त अवधि के दौरान कुछ आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन मामले प्रारंभ करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) केन्द्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, उपलब्ध सूचना के आधार पर, विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (28.2.2013 तक) के दोरान केन्द्रीय अंवेषण ब्यूरो द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 13 अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं जो नीचे दिए गए हैं।

वर्ष	दर्ज किए गए कुल मामलों की संख्या	राज्य-वार दर्ज किए गए मामले
1	2	3
2010	4	उत्तर प्रदेश-1
		हिमाचल प्रदेश-1
		पश्चिम बंगाल-2
2011	2	गुजरात-2
2012	7	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)-1
		महाराष्ट्र-1
		राजस्थान-5

1	2	3
2013 (28.2.13 तक)	शून्य	–
कुल	13	

ये मामले अपराधिक आरोपों और भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर दर्ज किए गए हैं। 13 मामलों में से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 3 मामलों में जांच पूरी कर ली गई है, 3 मामले निर्णयाधीन हैं, 1 मामला बंद कर दिया गया है और 6 मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अन्वेषणाधीन हैं। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा मौजूदा कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध शुरू किए गए अनुशासनात्मक मामलों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) उक्त अवधि के दौरान और चालू वर्ष (28.2.213 तक) में, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से मिले अनुरोधों के आधार पर एक आईपीएस अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभियोजन की स्वीकृति दिनांक 15.11.2011 को जारी की गई है और एक आईपीएस अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अभियोजन की स्वीकृति फिलहाल निर्णयाधीन है।

विवरण

विगत 3 वर्षों और चालू वर्ष (28.2.2013 तक) के दौरान आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध शुरू किए गए अनुशासनात्मक मामले

राज्य	उन आईपीएस अधिकारियों की संख्या जिनके विरुद्ध विगत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुशासनात्मक मामले शुरू किए गए			
	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5
एजीएमयू संवर्ग (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्र)			1	
असम और मेघालय		1		
आंध्र प्रदेश	1			1
बिहार		1	1	
छत्तीसगढ़				
गुजरात		1	3	
हरियाणा				
हिमाचल प्रदेश		1		
जम्मू और कश्मीर			1	

1	2	3	4	5
झारखंड				
कर्नाटक			1	
केरल	1	1		
मध्य प्रदेश				
महाराष्ट्र	1	2	1	
मणिपुर और त्रिपुरा			1	
मेघालय				
नागालैंड				
ओडिशा				
पंजाब				
राजस्थान				
सिक्किम	1			
तमिलनाडु	1	1	1	
उत्तर प्रदेश	1	2		1
उत्तराखंड				
पश्चिम बंगाल			4	
कुल	6	10	14	5

एनएआई के प्रकाशन का डिजिटल संस्करण

3571. **श्री किसनभाई वी. पटेल :**
श्री प्रदीप माझी :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के प्रकाशन की विषय-सूची के डिजिटल संस्करण को प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) ऐसे डिजिटलीकरण से विद्वानों, इतिहासकारों, प्रशासकों, शिक्षाविदों और देश में अभिलेखागार के अन्य प्रयोक्ताओं को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) इस हेतु अब तक आवंटित/व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के "प्रकाशनों के सूची-पत्र" का मुद्रित रूपांतरण, विभाग के प्रकाशन कार्यक्रम के प्रारंभ होने के समय से ही प्रारंभ करके, जून, 2012 में तैयार किया गया है। सूची-पत्र के अंकीय रूपांतरण को राष्ट्रीय अभिलेखागार की वेबसाइट *(www.nationalarchives.nic.in)* पर 'ऑनलाइन रिसोर्सेज' लिंक के तहत अपलोड कर लिया गया है। वेबसाइट, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा निकाले गए निःशुल्क प्रकाशनों को डाउनलोड करने की अनुमति भी प्रदान करती है।

(ग) अध्येताओं, इतिहासकारों, शिक्षाविदों और अभिलेखागार के अन्य प्रयोक्ताओं के समय, ऊर्जा और व्ययों की पर्याप्त बचत की जा सकेगी, और वे इंटरनेट पर सूचना को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) सूची-पत्र के अंकीय रूपांतरण पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया है, क्योंकि इसको भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के कर्मचारियों द्वारा ही तैयार किया गया था।

[हिन्दी]

राजभाषा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम

3572. श्री ओम प्रकाश यादव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा विभाग द्वारा कार्यालयों में राजभाषा के प्रसार हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग और केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रत्येक वर्ष अनेक निःशुल्क प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) निजी संगठनों द्वारा हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/सेमिनारों के आयोजन पर नियंत्रण लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि सरकारी राजस्व व्यर्थ न हो?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) राजभाषा विभाग द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, नोएडा तथा केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा गत तीन वर्षों में आयोजित करवाए गए हिन्दी कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राजभाषा द्वारा किसी भी निजी संस्था के द्वारा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करवाया जाता है।

विवरण

सी-डैक एवं केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा आयोजित करवाए गए हिन्दी कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्न है:

वर्ष	सी-डैक के माध्यम से	के.हिं.प्र. संस्थान के माध्यम से
2010-11	23	शून्य
2011-12	25	50
2012-13	शून्य	71

बिहार में उत्खनन

5573. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के विभिन्न भागों में वैशाली जिले सहित विभिन्न उत्खनन कार्यों में अब तक पाई गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) ऐतिहासिक महत्ता की इन वस्तुओं को किन स्थानों पर रखा गया है;

(ग) क्या भारतीय सर्वेक्षण बिहार के वैशाली जिले में कोई संग्रहालय संचालित चलाता है/स्थापित किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाही की गई है कि उत्खनन के दौरान पाई गई इन ऐतिहासिक महत्ता की वस्तुओं को वैशाली संग्रहालय में लाया जा सके?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) उत्खनन के दौरान पाई गई वस्तुओं का ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) बिहार में उत्खनन के दौरान पाई गई वस्तुओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की उत्खनन शाखा और पटना मंडल द्वारा और नालंदा, वैशाली, बोधगया एवं विक्रमशिक्षा नामक चार स्थल संग्रहालयों द्वारा भली भांति परिरक्षित किया गया है।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का वैशाली में 1971 से एक स्थल संग्रहालय है।

(घ) सामान्यत: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना मंडल द्वारा उत्खननों के दौरान प्राप्त किए गए पुरावशेषों को संबंधित उत्खनन रिपोर्टों के उपरांत पुरातत्वीय संग्रहालय वैशाली में ले जाया जाता है।

विवरण

बिहार में उत्खनन के दौरान पाई गई वस्तुएं

उत्खननों का ब्यौरा	वस्तुओं का ब्यौरा
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1988-89, 2010-11 और 2011-12 में राजा-विशाल-का-गढ़, जिला वैशाली में चेचर, जिला वैशाली में 1977-78 और 1988-89, में और कोल्हुआ, जिला मुजफ्फरपुर में 1996-97 और 1998-99 में उत्खनन कार्य किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बिहार के विभिन्न भागों में, जैसे कि, डाक बंगला, जिला पटना, 1991-92; राजगीर, जिला नालंदा, 1990-2000; चंडीमऊ, जिला नालंदा, 2000-01; जफरडीह, जिला नालंदा, 2006-07; घोड़ाकाटोरा, जिला नालंदा 2007-09; बेगमपुर, जिला नालंदा, 2007-08; दमनखांडा, जिला नालंदा, 2007-08; कोल्हुआ, जिला मुजफ्फरपुर, 2010-11 में भी उत्खनन कार्य किया गया है।	उत्खननों के दौरान टेराकेटा पशु और सांप की आकृतियां, टेराकोटा मनके, टेराकोटा आमलक, स्लिंग बाल, तांबे के सिक्के और अगुठियां, कांच के मनके, कम मूल्य के पत्थर के मनके, डैबर, चूड़ियां, मनके, उत्कीर्ण हॉपस्कोच, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, कांच की चूड़ियां, हड्डी की कंघी; टेराकोटा पहिए, जम्भल, अवलोकितेश्वर, तारा, विष्णु, वराही की पत्थर की छोटी आकृतियां, बुद्ध की तांबे की आकृतियां आदि पाई गई हैं।

[अनुवाद]

आवासीय स्कूल

3574. श्री समीर भुजबल :
श्री जोस के. मणि

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवासी स्कूलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्यों में ऐसे कुछ और स्कूलों की स्थापना करने को है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) से (ग) यह मंत्रालय अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना नहीं करता है।

तथापि, "अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-अनुदान" प्रदान करने की स्कीम के तहत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित ऐसे विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सिफारिशें अनिवार्य हैं। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए इस मंत्रालय में ऐसी कोई स्कीम नहीं है।

वर्ष 2011-12 के दौरान इस स्कीम के तहत इस मंत्रालय से सहायता प्राप्त आवासीय विद्यालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार परियोजनाओं की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न हे।

विवरण

मंत्रालय द्वारा वित्त-पोषित आवासीय विद्यालय

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2011-12 के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के अंतर्गत वित्त-पोषित आवासीय विद्यालयों की संख्या
आंध्र प्रदेश	11
दिल्ली	02
झारखंड	01
कर्नाटक	16
महाराष्ट्र	13
ओडिशा	11
राजस्थान	04
तमिलनाडु	02
उत्तर प्रदेश	14
उत्तराखंड	02
पश्चिम बंगाल	01
कुल	77

[हिन्दी]

आपदाओं का डाटाबेस

3575. श्री सज्जन वर्मा :

श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) देश में हुए आपदा के मामलों के संबंध में रिकॉर्डों का अनुरक्षण करता है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में राज्य-वार भूकंप, भूस्खलन और हिमघाव सहित आपदाओं के पंजीकृत मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) ऐसी आपदाओं के दौरान बेहतर संकट प्रबंधन को तैयार करने के लिए कोई अध्ययन करवाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास ऐसे आपदा संभावित स्थानों/स्थलों की पहचान करने/एहतियाति उपाय करने के लिए कोई तंत्र हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएफ) ने वर्ष 2011 से प्रमुख आपदाओं का प्रलेखन करके भारत की आपदा रिपोर्ट का संकलन और प्रकाशन करना शुरू कर दिया है।

तथापि, विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चक्रवात/भारी वर्षा/बाढ़/भू-स्खलन/भूकम्प और बादल फटने के कारण हुई क्षति को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा आयात प्रबंधन पर राष्ट्रीय डाटाबेस (एनडीईएम) नामक एक परियोजना की परिकल्पना की गई है जिसमें देश में आपदा प्रबंधन में सहायता के लिए सही समय पर/लगभग सही समय पर भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) पर आधारित आंकड़ों का संग्रह किया जाएगा। अंतरिक्ष विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन सहायता (डीएमएस) कार्यक्रम के अंतर्गत एनडीईएम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान चक्रवातीय तूफान/भारी वर्षा/बाढ़/भूस्खलन/भूकम्प आदि के कारण हुई राज्य-वार क्षति

(अनंतिम)

क्र. सं.	राज्य	वर्ष							
		2009-10				2010-11			
		मौतें (संख्या)	पशुधन की हानि (संख्या)	मकान (संख्या)	फसली क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)	मौतें (संख्या)	पशुधन की हानि (संख्या)	मकान (संख्या)	फसली क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	108	44132	213748	2.82	171	17230	38152	20.86
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	44	10163	19409	1.64
3.	असम	8	12	240	0.298	57	3623	383408	1.87
4.	बिहार	63	2	6050	नगण्य	93	142	138092	0.32
5.	छत्तीसगढ़	5	3	1321	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	94	456	12641	0.029	232	541	4735	0.67
7.	गोवा	3	265	1053	0.034	1	1	101	—
8.	हरियाणा	9	16	2216	0.083	38	67	5362	1.31
9.	हिमाचल प्रदेश	25	104	2670	—	62	5889	6656	0.26
10.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	239	1805	2901	0.14
11.	झारखंड	—	—	—	—	22	74	4726	0.0014
12.	कर्नाटक	396	9043	665877	24.22	82	215	14400	0.10
13.	केरल	142	177	22744	0.39	103	87	15328	0.03
14.	मध्य प्रदेश	56	148	11356	—	38	5	143	—
15.	महाराष्ट्र	66	31059	75441	8.79	8	5	9	—
16.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	6	—
18.	मिजोरम	—	—	—	—	4	—	10127	0.02
19.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	ओडिशा	59	—	13547	1.33	10	260	5339	0.30
21.	पंजाब	8	—	72	0.06	38	108	2040	0.84
22.	राजस्थान	48	3509	221	—	—	—	—	—
23.	सिक्किम	1	—	—	—	3	300	511	—
24.	तमिलनाडु	108	312	8437	—	203	5436	325080	5.08
25.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	उत्तर प्रदेश	254	101	2893	4.61	530	1049	157523	8.15
27.	उत्तराखंड	87	362	412	—	214	1771	23851	5.02
28.	पश्चिम बंगाल	137	38744	318786	4.47	112	7	180374	0.30
29.	पुदुचेरी	—	7	1	नगण्य	—	—	346	0.01

—जारी

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान चक्रवातीय तूफान/भारी वर्षा/बाढ़/भूस्खलन/भूकम्प आदि के कारण हुई राज्य-वार क्षति

(अनंतिम)

क्र. सं.	राज्य	वर्ष							
		2011-12				2012-13 (21.02.13 की स्थिति के अनुसार)			
		मौतें (संख्या)	पशुधन की हानि (संख्या)	मकान (संख्या)	फसली क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)	मौतें (संख्या)	पशुधन की हानि (संख्या)	मकान (संख्या)	फसली क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	61	1858	30973	8.37

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
2.	अरुणाचल प्रदेश	47	929	2443	—	68	891	1819	0.1254
3.	असम	13	—	277	4.17	168	9921	531186	3.28
4.	बिहार	37	—	1603	—	8	—	1713	0.08
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	5	65	—	—
6.	गुजरात	53	175	4734	—	26	67	2676	—
7.	गोवा	1	—	134	नगण्य	1	2	34	—
8.	हरियाणा	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	हिमाचल प्रदेश	51	2374	10838	1.56	29	127	2449	1.57
10.	जम्मू और कश्मीर	19	—	—	—	—	—	—	—
11.	झारखंड	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	कर्नाटक	84	51	419	—	—	—	—	—
13.	केरल	152	531	14222	1.18	47	619	2455	0.172
14.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	महाराष्ट्र	106	—	—	—	—	—	—	—
16.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	नागालैंड	—	—	—	—	—	2560	5253	0.97
20.	ओडिशा	87	1493	290780	4.19	4	—	522	0.02
21.	पंजाब	14	4	26	—	8	3034	149	0.0271
22.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	सिक्किम	77	1333	23903	0.14	47	105	2780	0.10

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
24.	तमिलनाडु	57	669	99904	2.12	15	90	4831	0.173
25.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	उत्तर प्रदेश	692	268	22858	5.25	17	—	1344	0.04326
27.	उत्तराखंड	19	10	107	—	201	772	5569	03854
28.	पश्चिम बंगाल	79	33	317481	0.09	241	4234	77981	0.02148
29.	पुदुचेरी	12	1256	86439	0.17	—	15	27	—

[अनुवाद]

कृषि विपणन अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण

3576. श्रीमती ज्योति धुर्वे :
श्री नरेनभाई काछादिया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विपणन अवसंरचना ग्रेडिंग ओर मानकीकरण विकास/सुदृढ़ीकरण हेतु योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अब तक विभिन्न राज्यों में स्वीकृत और संवितरित राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन राज्यों द्वारा संवितरित राशि का उचित ढंग से प्रयोग किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग, मानकीकरण के विकास/सुदृढ़ीकरण की योजना के तहत स्वीकृत तथा निर्मुक्त राजसहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग, मानकीकरण के विकास/सुदृढ़ीकरण की योजना के तहत राज्य-वार स्वीकृत तथा निर्मुक्त सब्सिडी

(2004 में शुरुआत से 31.01.2013 तक)

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृत की गई कुल राजसहायता	निर्मुक्त की कुल राजसहायता
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	109.51	84.67
2.	मध्य प्रदेश	183.66	150.78
3.	पंजाब	152.91	80.22
4.	केरल	26.83	18.62
5.	तमिलनाडु	51.00	30.06
6.	राजस्थान	94.96	59.89
7.	छत्तीसगढ़	43.04	36.74
8.	हिमाचल प्रदेश	16.17	14.07

1	2	3	4
9.	महाराष्ट्र	257.43	238.99
10.	ओडिशा	1.5	0.77
11.	गुजरात	77.67	50.08
12.	सिक्किम	0.2	0.16
13.	कर्नाटक	23.21	2.36
14.	असम	4.05	2.69
15.	नागालैंड	5.71	5.71
16.	पश्चिम बंगाल	0.3	0.3
17.	बिहार	0.05	0.03
	कुल	1048.20	782.14

बीटीसी पैकेज

3577. **श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी** : क्या **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् (बीटीसी) क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना के विकास हेतु बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला (बीटीएडी) को 500 करोड़ रु. प्रदान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विकास कार्यों की गति में तेजी लाने में मदद करने के लिए असम सरकार के माध्यम से निधियां चैनलकृत किए बिना बीटीसी प्रशासन की सीधे केन्द्रीय निधियां प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) 2003 में हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार भारत सराकार बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् (बीटीसी) क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना विकास के लिए असम सरकार को सामान्य योजनागत सहायता के अलावा 5 वर्ष तक 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष (500 करोड़ रुपए) की आर्थिक महायता प्रदान करने पर सहमत हुई थी। तद्नुसार 476.27 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत से 42 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और 453.84 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। जिसके सापेक्ष 398.07 करोड़ रुपए के उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं। इस पैकेज के तहत 42 स्वीकृत परियोजनाओं में से 315.98 करोड़रुपए की स्वीकृत लागत की 31 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।

अगस्त, 2008 में घोषित 250.00 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बीटीसी पैकेज में से 209.18 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत की 17 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं और 97.48 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है जिसके सापेक्ष असम सरकार ने 8.16 करोड़ रुपए के उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं।

(ग) और (घ) बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् (बीटीसी) प्रशासन को एनएलसीपीआर स्कीम और बीटीसी पैकेज के तहत निधियां असम सरकार के माध्यम से प्रदान की जाती है।

नि:शक्त व्यक्तियों के लिए रोजगार

3578. **श्री चार्ल्स डिएस :**
श्री ए.के.एस. विजयन :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई निर्देश जारी किए हैं कि नि:शक्त व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करें और इन हेतु कुछ पदों को निर्धारित/आरक्षित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यरत नि:शक्त व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र को निर्देश देने का है कि नि:शक्त व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) (पीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के अनुसार, प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक प्रतिष्ठान में विकलांग व्यक्तियों अथवा वर्गों के लिए रिक्तियों का न्यूनतम तीन प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करेगी जिसमें से निम्नलिखित विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत आरक्षण प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचाने गए पदों में करेगी:—

(ii) अंधता अथवा अल्प दृष्टि;

(ii) श्रवण बाधिता; और

(iii) चलन संबंधी विकलांगता अथवा प्रमस्तिष्क अंगघात।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोयले की ई-नीलामी

3579. **श्री सुशील कुमार सिंह** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की ई-नीलामी में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा अनुसरित मापदंड क्या हैं;

(ख) इस प्रक्रिया के माध्यम से नीलाम किए गए कोयले की प्रतिशतता कितनी है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कोयले की एक बड़ी मात्रा विद्युत उत्पादन कंपनियों की नीलाम की जाती है जिस कारण इस्पात और सीमेंट कंपनियों के लिए अल्प आपूर्ति होती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (घ) ई-नीलामी ऐसे क्रेताओं जो उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से कोयला प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे, के लिए कोयले की उपलब्धता प्रदान करने तथा पूरे देश में कोयला क्रेताओं के सभी वर्गों के लिए ऑन लाइन कोयला बुक करने के लिए व्यापक पहुंच को आसान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जिससे वे कोयले के विपणन एवं वितरण की सरल, पारदर्शी तथा उपभोक्ता अनुकूल प्रणाली के माध्यम से कोयला खरीदने में सक्षम हो सकें। कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने दो प्रकार की ई-नीलामी (1) स्पॉट ई-नीलामी तथा (2) फारवर्ड ई-नीलामी शुरू की हैं। स्पॉट ई-नीलामी में कोई क्रेता (व्यापारी या उपभोक्ता) कोयला खरीदने के लिए पात्र है। फारवर्ड ई-नीलामी में केवल औद्योगिक उपभोक्ता जो दीर्घावधि तक कोयले की आश्वस्त आपूर्ति प्राप्त करना चाहते हैं, कोयला खरीद सकते हैं। अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013 की अवधि के दौरान, कोयले के सीआईएल उत्पादन का 10.86% इस प्रक्रिया के माध्यम से आबंटित किया गया है। सीआईएल ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसी किसी शिकायत की जानकारी नहीं है।

अधिकार क्षेत्र का मुद्दा

3580. **डॉ. बलीराम** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र के संबंध में विवाद के मामलों में पंजीकरण में विलंब संबंधी अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र (एनसीटी), दिल्ली में 16 दिसम्बर, 2012 की यौन हिंसा घटना में देखा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सहित देश में ऐसी समस्याओं के समाधान और यह सुनिश्चित करने के लिए पीड़ित को पहले पुलिस तत्काल सहायता प्रदान करें और बाद में अधिकार क्षेत्र के मामले को उठाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) वर्ष 2010, 2011, 2012 और 2013 (28.02.2013 तक) के दौरान दिल्ली पुलिस को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, पुलिस राज्य का विषय है। तथापि, केन्द्रीय सरकार इस बारे में समय-समय पर राज्यों को परामर्शीपत्र जारी करती है।

जहां तक दिल्ली पुलिस, जो केन्द्रीय सरकार के अधीन है, का संबंध है, समुचित ढंग से और शीघे मामले दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए उपाय किए गए हैं:—

1. कर्मचारियों को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से जानकारी/निर्देश दिए जाते हैं।

2. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कमचारियों को अचानक जांच की जाती है।

3. जन साधारण को पुलिस कार्मियों द्वारा किसी भी तरह के उत्पीड़न के मामले में किसी भी आपात सहायता हेतु सतर्कता ब्रांच की फ्लाइंग स्कवाड के फोन नं. 23213355 पर फोन करने की सुविधा मुहैया है।

4. दिल्ली पुलिस, जिला पुलिस उपायुक्तों के फैक्स नम्बरों सहित अनेक टेलीफोन नम्बरों को विज्ञापित करती रही है।

5. पुलिस कर्मियों के विरुद्ध की गई सभी शिकायतों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सीधे ही कार्रवाई की जाती है। ऐसे क्रियाकलापों में शामिल किए गए किसी भी अधिकारी को कड़ा दंड दिया जाता है।

6. प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर एक समय-सारणी प्रदर्शित की गई है जिसमें जन साधारण के कष्टों, समस्याओं/शिकायतों पर ध्यान देने हेतु एसएचओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के उपलब्ध रहने का समय दिया गया हे।

7. ऐसी ई-मेल सेवाएं शुरू की गई हैं जहां कोई भी नागरिक, पुलिस स्टेशन के अतिरिक्त, अविलम्ब अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

8. दिल्ली पुलिस को जन साधारण से मिली शिकायतों को कारगर ढंग से मॉनिटर करने और दूर करने के लिए शिकायतों की मॉनिटरिंग और ट्रेकिंग (सीएमटीएस) नामक एक कम्प्यूट्रीकृत सिस्टम तैयार किया गया है।

[अनुवाद]

सोयाबीन का उत्पादन

3581. श्री वरूण गांधी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में सोयाबीन के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) जी, नहीं। 2009-10 के दौरान कुल 99.65 लाख टन उत्पादन की तुलना में, देश में सोयाबीन के उत्पादन में 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान क्रमशः 127.36 लाख टन, 122.14 लाख टन तथा 129.57 लाख टन की वृद्धि हुई है। विगत तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष अर्थात् 2009-10 से 2012-13 के दौरान सोयाबीन के उत्पादन के राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सोयाबीन के उत्पादन के राज्य-वार अनुमान

राज्य	उत्पादन ('000)			
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	129.0	218.0	210.0	291.0
अरुणाचल प्रदेश	3.1	3.5	4.0	#

1	2	3	4	5
छत्तीसगढ़	103.2	124.4	75.6	128.1
गुजरात	70.0	68.0	33.0	84.0
हिमाचल प्रदेश	0.5	0.8	1.0	1.1
झारखंड	0.2	0.0	0.1	0.6
कर्नाटक	82.0	147.0	172.0	192.0
मध्य प्रदेश	6406.3	6669.8	6280.6	7113.9
महाराष्ट्र	2197.0	4316.0	3969.0	3710.4
मणिपुर	—	4.1	5.1	#
मेघालय	1.2	1.2	1.8	#
मिजोरम	2.0	2.7	1.4	#
नागालैंड	25.0	30.4	30.7	#
राजस्थान	914.6	1118.1	1385.2	1340.3
सिक्किम	4.1	3.7	3.5	#
उत्तर प्रदेश	8.0	14.0	22.0	23.0
उत्तराखंड	18.0	14.4	18.0	17.0
पश्चिम बंगाल	0.3	0.3	0.6	0.5
अन्य	एनए	एनए	एनए	55.1
अखिल भारत	9964.5	12736.4	12213.5	12957.0

*08.02.2013 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमार।

#अन्यों में शामिल।

एनए: लागू नहीं।

सीआईएल द्वारा कोयला उत्खनन

3582. श्री बाल कुमार पटेल : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड अपने कुछ कोयला ब्लॉकों में स्वीकृत सीमा से अधिक कोयले का उत्खनन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कोयला ब्लॉक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीआईएम उत्खनन सीमाओं के दुरुपयोग के बावजूद अधिक/नए कोयला ब्लॉकों के उत्खनन हेतु आवंटन की मांग कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) में कोयला परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) के अनुमोदन के साथ आमतौर पर प्रचालित की जा रही है। पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 1994 के बाद लागू हुई। सीआईएल ने राष्ट्रीयकरण के समय अनेक खानों को विरासत में प्राप्त किया था जिसके लिए कोई परियोजना रिपोर्ट (पीआर) अथवा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) उपलब्ध नहीं थी। सीआईएल ने पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सभी ऐसे मामलों की प्रक्रिया की है। हालांकि कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें उत्पादन विगत में अनुमोदित पर्यावरणीय क्षमता से अधिक हुआ है जिसके लिए नियमितीकरण हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की गई है। सीआईएल के पास उपलब्ध वर्तमान कुल प्रभावी पर्यावरणीय स्वीकृति 458 मि.ट. प्रतिवष है जिसकी तुलना में सीआईएल ने 2011-12 में 435.83 मि.ट. का उत्पादन किया है।

(ग) और (घ) अनुमानित मांग को पूरा करने तथा उत्पादन के वर्तमान स्तर को बनाए रखने की जिम्मेदारी को देखते हुए सीआईएल को 119 अतिरिक्त कोयला ब्लॉक सौंपे गए हैं।

आवासीय स्कूलों को अनुदान

3583. श्री जोस के. मणि : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु आवासीय/गैर-आवासीय स्कूलों के संदर्भ में आवर्ती और गैर-आवर्ती मदों को सम्मिलित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही अनुदानों की अनुसूची को पुनरीक्षित किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एनजीओ द्वारा अनुसूचित जाति/ओबीसी आवासीय स्कूलों/संस्थानों हेतु अनुदानों की अनुसूची का उन्नयन करने और ऐसे स्कूलों/संस्थानों के शिक्षण/गैर- शिक्षण स्टॉफ हेतु निर्धारित मानदेय में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) से (ग) "अनुसूचित जातियों के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान" की योजना के अंतर्गत आवासीय/गैर-आवासीय विद्यालयों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है। योजना के वित्तीय मानदंडों का संशोधन सरकार के विचाराधीन है।

बागवानी योजनाओं के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

3584. श्री शिवकुमार उदासी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक सहित देश में प्रति यूनिट क्षेत्र अधिक उत्पादन, पोषण सुरक्षा सुधार और किसानों के लिए आय सहायता सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक फसलों का विविधीकरण बागवानी फसलों जैसे फल, रोपण फसलें, पुष्प, मसालें, सुगंधित पौधों की ओर कर, बागवानी योजना के माध्यम से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना के अंतर्गत राज्य-वार सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहनों और निधियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) भारत सरकार दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं नामतः राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) तथा उत्तर पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) का कार्यान्वयन कर रही है। एचएमएनईएच का कार्यान्वयन उत्तर पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों में तथा एनएचएम का कार्यान्वयन कर्नाटक सहित शेष राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में बागवानी उत्पादन को बढ़ाने, पोषक सुरक्षा में सुधार तथा किसान परिवारों तथा फसल पश्चात् प्रबंधन में लगे हुए परिवारों के लिए आय समर्थन, मूल्य संवर्धन तथा संबद्ध गतिविधियों के उद्देश्य के साथ किया जा रहा है। सभी बागवानी फसलें तथा फल, मसालें, फूल तथा काजू और कोकोआ फसलों के पौध रोपण सहित सुगंधित पौधे इसमें शामिल हैं। पौध रोपण सामग्री के उत्पादन, उन्नत किस्मों के साथ क्षेत्र विस्तार, जीर्ण पौधा रोपण का नवीकरण, संरक्षित खेती, फसल पश्चात् प्रबंधन के उलिए अवसंरचना सृजन (पीएचएम) के साथ समेकित पोषक प्रबंधन (आईएनएम)/समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) तथा विपणन से संबंधित गतिविधियां शुरू करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। साथ ही योजना के तहत बीज उत्पादन, संरक्षित खेती, आईएनएम/आईपीएम तथा जैविक कृषि के माध्यम से सब्जियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

विवरण

2012-13 के दौरान प्रदान की गई सहायता

(करोड़ रुपए)

राज्य	निर्मुक्त निधियां
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.65
आंध्र प्रदेश	87.40
अरुणाचल प्रदेश	41.95

1	2
असम	30.80
बिहार	35.13
छत्तीसगढ़	91.56
गोवा	1.25
गुजरात	100.25
हरियाणा	90.82
हिमाचल प्रदेश	27.55
जम्मू और कश्मीर	18.25
झारखंड	47.97
कर्नाटक	113.42
केरल	35.2
मध्य प्रदेश	22.51
महाराष्ट्र	128.19
मणिपुर	45.03
मेघालय	29.00
मिजोरम	43.1
नागालैंड	43.55
ओडिशा	65.91
पुदुचेरी	0.46
पंजाब	58.12
राजस्थान	41.41
सिक्किम	43.30
तमिलनाडु	56.01
त्रिपुरा	44.8
उत्तर प्रदेश	32.66
उत्तराखंड	10.23
पश्चिम बंगाल	19.35

[हिन्दी]

विज्ञापनों के आवंटन में भेदभाव

3585. श्री तूफानी सरोज : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) द्वारा छोटे और मझौले समाचारपत्रों के लिए विज्ञापनों के आवंटन में भेदभाव के संबंध में सरकार को प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार बड़े समाचारपत्रों की तुलना में छोटे और मझौले समाचारपत्रों के विरुद्ध भेदभाव की समाप्ति करने के लिए कोई स्थायी नीति तैयार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय प्रस्तावित हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) डीएवीपी को विभिन्न व्यक्तियों, समाचारपत्र संगठन आदि से लघु एवं मध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों के लिए विज्ञापनों के आबंटन के संबंध में अनेक सुझाव/शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। इस प्रकार प्राप्त होने वाले सुझावों में से मुख्य सुझाव है कि

लघु/मध्यम/साहित्यिक श्रेणी के समाचारपत्रों/प्रकाशनों के लिए अधिक प्रतिशत में विज्ञापन आबंटित किए जाएं।

(ख) से (घ) सरकार ने पहले ही विज्ञापन नीति तैयार की है जिसमें निर्धारण है कि डिसप्ले विज्ञापनों का 35% व 15% (रुपए में) भाग क्रमशः मध्यम व लघु श्रेणियों के लिए उद्दिष्ट किया जाना चाहिए। डीएवीपी द्वारा इन नीतिगत दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जा रहा है, जोकि वेबसाइट *www.davp.nic.in* पर उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

चीनी मिलों के विरुद्ध बकाया

3586. श्री खगेन दास : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ चीनी मिलें कथित रूप से खरीद के मौसम के दौरान किसानों के गन्ना बकायों के कुछ भाग का ही भुगतान करती हैं और शेष को अगले मौसम के लिए रोक लेती हैं जिससे किसान अनुवर्ती मौसम में उसी विशिष्ट मिल को अपना उत्पादन देने के लिए बाध्य होते हैं, इससे कार्टेलाइजेशन बढ़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति और निर्धारित अवधि के भीतर गन्ना बकाया भुगतान के लिए गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में संगत प्रावधान हैं। इसलिए चीनी मिलों द्वारा कार्टेलाइजेशन का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वेश्यावृत्ति मामले

3587. श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री गोपीनाथ मुंडे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत कुछ वर्षों में देश में वेश्यावृत्ति के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने रैकेट पकड़े गए हैं और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए कड़े कानून लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अन्य उपाय किए गए हैं और राज्य सरकारों को क्या सलाह जारी की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (घ) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार वेश्यावृत्ति का कोई निश्चित डाटा नहीं है। हालांकि, एनसीआरबी, वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की खरीद-बिक्री, अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम, लड़कियों के प्रापण एवं आयात और मानव दुर्व्यापार के संबंध में डाटा संग्रह करती है राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

गृह मंत्रालय को देश में वेश्यावृत्ति/देह व्यापार को रोकने के लिए किसी निश्चित कानून के बनाए जाने की जानकारी नहीं है।

वेश्यावृत्ति के मामले पर वर्तमान में भातरीय दंड संहित (आईपीसी) और अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तिहत कार्रवाई की जाती है।

विवरण

वर्ष 2009-2011 के दौरान वेश्वावृत्ति के लिए लड़कियों की खरीद के अंतर्गत पंजीकृत मामले (सीआर), आरोप पत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2009						2010						2011					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	5	5	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	5	5	0
15.	महाराष्ट्र	29	30	1	43	47	1	27	31	4	43	47	7	20	19	1	43	41	1
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	4	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	2	3	0	2	2	0	48	12	0	51	13	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	32	34	1	45	50	1	78	47	4	97	64	7	27	25	1	60	56	1
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
	कुल अखिल भारत	32	34	1	45	50	1	78	47	4	97	64	7	27	26	2	60	57	2

स्रोतः भारत में अपराध।

टिप्पणी: पुलिस और अदालतों की सूचना में विगत वर्षों से लंबित मामलों की सूचना भी शामिल है।

वर्ष 2009-2011 के दौरान वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की बिक्री के अंतर्गत पंजीकृत मामले (सीआर), आरोप पत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009						2010						2011					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	1	0	0	3	0	0	3	5	0	6	9	0	2	1	0	4	2	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	1	0	0	1	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0	5	5	0
12.	कर्नाटक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	1	2	0	1	17	0	2	2	0	8	8	0	3	3	2	15	15	11
15.	महाराष्ट्र	2	2	0	4	4	0	1	1	0	13	13	0	2	2	0	9	9	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	5	5	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	15	15	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	49	19	0	21	20	0	115	51	2	128	53	2	87	37	1	96	60	3
	कुल राज्य	55	24	0	30	42	0	126	61	2	162	87	2	111	57	3	152	115	14
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	2	1	0	1	1	0	4	3	0	4	3	0	2	1	0	4	2	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	2	1	0	1	1	0	4	3	0	4	3	0	2	1	0	4	2	0
	कुल अखिल भारत	57	25	0	31	43	0	130	64	2	166	90	2	113	58	3	156	117	14

स्रोत: भारत में अपराध।

टिप्पणी: पुलिस और अदालतों की सूचना में विगत वर्षों से लंबित मामलों की सूचना भी शामिल है।

वर्ष 2009-2011 के दौरान अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत मामले (सीआर), आरोप पत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009						2010						2011					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	279	305	216	1016	1071	194	548	443	76	1332	1287	162	497	457	130	1267	1164	352
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	37	17	0	61	36	0	25	14	2	49	31	4	21	14	0	55	27	0
4.	बिहार	40	17	6	56	37	9	24	37	4	52	67	5	23	23	6	34	40	7
5.	छत्तीसगढ़	9	8	1	43	36	3	12	10	2	51	52	8	15	18	2	60	66	9
6.	गोवा	23	18	10	67	38	17	16	14	0	44	36	0	18	15	3	42	31	3
7.	गुजरात	41	37	1	200	190	10	46	46	2	15६	157	4	46	48	3	206	218	11
8.	हरियाणा	90	83	19	391	375	93	57	57	28	226	233	94	57	55	7	251	244	37
9.	हिमाचल प्रदेश	5	6	0	26	38	0	1	1	0	11	11	0	2	1	1	3	3	12
10.	जम्मू और कश्मीर	6	5	0	19	18	0	4	0	0	0	0	0	1	2	0	8	7	0
11.	झारखंड	1	1	6	2	26	11	13	7	2	23	25	7	15	17	5	22	16	7
12.	कर्नाटक	329	318	150	1338	1240	322	242	250	263	934	1025	358	351	331	118	1387	1344	362
13.	केरल	314	322	182	649	641	248	309	328	217	576	628	274	197	204	124	308	330	207
14.	मध्य प्रदेश	19	16	3	75	75	5	19	18	14	91	84	10	24	26	16	193	200	70
15.	महाराष्ट्र	271	326	91	1437	1655	199	306	324	74	1007	1027	169	390	297	41	1392	1613	64
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	1	0	0	0	0	0	3	1	0	12	4	0	2	1	0	15	2	0
18.	मिजोरम	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	8	3	1	5	6	3
19.	नागालैंड	3	5	5	24	17	18	2	3	4	15	12	1	2	2	2	6	6	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20.	ओडिशा	14	16	3	57	56	7	25	25	4	97	136	7	23	20	0	69	62	0
21.	पंजाब	59	50	11	234	183	38	59	52	15	288	251	68	50	54	14	214	196	41
22.	राजस्थान	62	59	21	215	212	107	82	83	16	299	302	31	81	77	56	339	324	163
23.	सिक्किम	1	1	0	2	3	0	3	1	0	5	1	0	1	1	0	7	4	0
24.	तमिलनाडु	716	718	463	1269	1403	820	567	675	315	921	930	668	420	470	315	878	802	475
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	0	0	8	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	39	37	21	201	186	176	23	21	28	119	97	201	43	39	32	256	255	173
27.	उत्तराखंड	6	5	0	29	39	0	4	4	7	27	27	19	3	3	3	14	14	8
28.	पश्चिम बंगाल	63	41	9	238	174	17	56	57	11	227	193	42	96	57	13	336	218	39
	कुल व्यय	2429	2411	1219	7660	7749	2295	2447	2373	1085	6564	6618	2133	2388	2235	892	7375	7190	2059
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	1	2	0	1	3	1	0	15	1	0	3	0	0	14	0	0
30.	चंडीगढ़	4	6	0	14	33	0	3	5	0	13	18	0	1	0	0	5	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	1	0	0	8	0	1	1	0	8	8	0	1	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	4	2	0	27	11	0	6	5	0	42	35	0	6	4	0	47	28	0
33.	दिल्ली संघ शासित	27	33	31	77	106	80	28	35	32	96	101	84	33	38	24	123	84	61
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	9	9	3	32	32	12	11	11	8	37	37	25	3	3	2	17	17	13
	कुल संघ शासित	45	51	35	152	190	93	52	58	40	211	200	109	47	45	26	206	129	74
	कुल अखिल भारत	2474	2462	1254	7802	7939	2388	2499	2431	1125	6775	6818	2242	2435	2280	918	7581	7319	2133

स्रोत: भारत में अपराध।

टिप्पणी: पुलिस और अदालतों की सूचना में विगत वर्षों से लंबित मामलों की सूचना भी शामिल है।

वर्ष 2009-2011 के दौरान नाबालिग लड़कियों के प्रापण (धारा 366 के आईपीसी) के अंतर्गत पंजीकृत मामले (सीआर), आरोप पत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009						2010						2011					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	28	16	2	51	48	6	82	57	3	111	92	1	106	84	8	97	118	9
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	75	18	0	75	18	0	142	51	1	142	51	1
4.	बिहार	58	25	1	88	60	7	152	49	6	101	71	8	183	263	13	434	461	20
5.	छत्तीसगढ़	5	5	0	6	6	0	11	11	6	23	23	7	15	13	0	17	17	0
6.	गोवा	0	1	0	6	6	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0
7.	गुजरात	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	3	3	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	6	5	0	3	3	0	3	3	0	2	3	0	3	1	1	1	1	1
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	12	2	44	15	7	21	24	0	21	21	0	15	3	0	12	56	0
12.	कर्नाटक	4	1	0	3	3	0	21	8	1	20	9	1	8	14	2	8	15	2
13.	केरल	14	9	0	17	13	0	6	13	0	10	15	0	9	8	0	7	7	0
14.	मध्य प्रदेश	1	4	4	4	4	4	18	12	1	26	26	5	20	17	4	27	27	6
15.	महाराष्ट्र	42	28	0	53	38	0	26	20	0	33	37	0	20	28	0	50	40	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	4	4	0	8	8	0	12	3	0	8	5	0
21.	पंजाब	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3
22.	राजस्थान	1	1	0	1	1	0	14	10	0	13	13	0	19	11	0	14	14	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	13	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	28	15	4	29	8	4	32	16	0	18	17	0	5	27	4	23	29	19
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	5	0	0	9	0	0	4	0	0	10	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	41	14	0	27	16	0	200	88	2	217	94	2	298	126	18	133	106	6
	कुल राज्य	236	140	18	336	225	37	679	337	24	684	451	35	859	652	54	977	950	67
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	व	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	0	5	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	0	5	0	0
	कुल अखिल भारत	237	140	18	337	225	37	679	338	24	684	452	35	862	652	54	982	950	67

स्रोत: भारत में अपराध।

टिप्पणी: पुलिस और अदालतों की सूचना में विगत वर्षों से लंबित मामलों की सूचना भी शामिल है।

वर्ष 2009-2011 के दौरान लड़कियों का आयात (धारा 366-ख) के अंतर्गत पंजीकृत मामले (सीआर), आरोप पत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009						2010						2011					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0
4.	बिहार	31	23	4	17	36	8	8	9	1	26	18	1	10	26	3	26	50	3
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	2	2	0	5	5	0	2	1	0	7	7	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	6	7	2	20	5	4	8	3	3	15	20	5	6	3	2	1	3	1
12.	कर्नाटक	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	0	2	2	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	1	1	0	2	2	0	5	5	0	19	19	9	45	39	0	178	173	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20.	ओडिशा	1	0	0	0	0	0	5	2	0	5	5	0	0	3	0	3	3	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	5	9	0	7	4	0	8	8	0	11	8	0	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	48	42	6	49	50	12	36	29	4	81	75	6	80	75	5	221	240	4
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल अखिल भारत	48	42	6	49	50	12	36	29	4	81	75	6	80	75	5	221	240	4

स्रोत: भारत में अपराध।

टिप्पणी: पुलिस और अदालतों की सूचना में विगत वर्षों से लंबित मामलों की सूचना भी शामिल है।

वर्ष 2009-2011 के दौरान मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत किए गए कुल अपराध के अंतर्गत पंजीकृत मामले (सीआर), आरोप पत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)*

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009						2010						2011					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	309	321	218	1070	1119	200	633	506	79	1449	1389	163	605	542	138	1368	1284	361
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	38	18	0	62	37	0	103	32	2	127	49	4	165	68	1	199	81	1
4.	बिहार	129	65	11	161	133	24	184	95	11	179	156	14	218	313	22	498	553	30
5.	छत्तीसगढ़	14	13	1	49	42	3	25	23	8	79	80	15	33	33	2	85	91	9
6.	गोवा	23	19	10	73	44	17	17	14	0	50	36	0	18	15	3	43	31	3
7.	गुजरात	44	39	1	202	192	10	46	46	2	157	157	4	50	51	3	209	221	11
8.	हरियाणा	90	83	19	391	375	93	57	57	28	226	233	94	61	57	7	256	249	37
9.	हिमाचल प्रदेश	11	11	0	29	41	0	4	4	0	13	14	0	5	2	2	4	4	13
10.	जम्मू और कश्मीर	6	5	0	19	18	0	4	0	0	0	0	0	1	2	0	8	7	0
11.	झारखंड	7	20	10	66	46	22	46	38	5	63	70	12	43	30	7	41	81	8
12.	कर्नाटक	336	319	150	1341	1243	322	263	258	264	954	1034	359	372	346	120	1397	1361	364
13.	केरल	328	331	182	666	654	248	315	341	217	586	643	274	206	212	124	315	337	207
14.	मध्य प्रदेश	22	24	7	82	99	9	44	37	15	144	137	15	94	87	22	418	420	87
15.	महाराष्ट्र	344	386	92	1537	1744	200	360	376	78	1096	1124	176	432	346	42	1494	1703	65
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	5	4	0	5	5	0	3	1	0	12	4	0	5	1	0	17	2	0
18.	मिजोरम	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	8	3	1	5	5	3
19.	नागालैंड	3	5	5	24	17	18	2	3	4	15	12	1	2	2	2	6	6	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20.	ओडिशा	15	16	3	57	56	7	34	31	4	110	149	7	35	26	0	80	70	0
21.	पंजाब	62	50	11	234	183	38	60	56	15	291	257	68	50	54	17	214	195	44
22.	राजस्थान	63	60	21	216	213	107	96	93	16	312	315	31	102	89	56	358	343	163
23.	सिक्किम	1	1	0	2	3	0	3	1	0	5	1	0	1	1	0	7	4	0
24.	तमिलनाडु	716	718	463	1269	1403	820	580	576	316	921	931	669	420	470	315	878	802	475
25.	त्रिपुरा	28	15	4	29	8	4	33	17	0	19	18	0	7	27	4	31	29	19
26.	उत्तर प्रदेश	39	37	21	201	186	176	23	21	28	119	97	201	48	44	32	275	274	173
27.	उत्तराखंड	6	5	5	29	39	9	4	4	11	27	27	29	3	3	3	14	14	8
28.	पश्चिम बंगाल	160	86	9	295	216	17	427	216	15	634	361	46	481	220	32	565	384	48
	कुल राज्य	2800	2651	1244	8110	8116	2345	3366	2847	1119	7588	7295	2183	3465	3044	955	8785	8551	2145
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	1	2	0	1	3	1	0	15	1	0	3	0	0	14	0	0
30.	चंडीगढ़	4	6	0	14	33	0	3	5	0	13	18	0	1	0	0	5	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	1	0	0	8	0	1	1	0	8	8	0	1	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	4	2	0	27	11	0	6	5	0	42	35	0	6	4	0	47	28	0
33.	दिल्ली संघ शासित	30	34	31	79	107	80	32	39	32	100	105	84	38	40	25	132	87	62
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	9	9	3	32	32	12	11	11	8	37	37	25	3	3	2	17	17	13
	कुल संघ शासित	48	52	35	154	191	93	56	62	40	215	204	109	52	47	27	215	132	75
	कुल अखिल भारत	2848	2703	1279	8264	8307	2438	3422	2909	1159	7803	7499	2292	3517	3091	982	9000	8683	2220

स्रोत: भारत में अपराध।

टिप्पणी: पुलिस और अदालतों की सूचना में विगत वर्षों से लंबित मामलों की सूचना भी शामिल है।

*शामिल शीर्ष: (अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम + लड़कियों का आयात + नाबालिग लड़कियों का प्रापण + वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की खरीद + वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की बिक्री।

[हिन्दी]

मोटे अनाजों का उत्पादन

3588. श्री गोपीनाथ मुंडे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों में खरीफ फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की गई है;

(ख) क्या सरकार मोटे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि को वरीयता देने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) भारत सरकार महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न फसल विकास योजनाओं जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), बृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए) के तहत चावल/मोटे अनाज के लिए समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (बीजीआरईआई), गहन कदन्न संवर्धन के माध्यम से पोषाहार सुरक्षा पहल (आईएनएसआईएमपी) तथा समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम तथा मक्का योजना (आईसोपाम) आदि के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना का प्रतिपादन करती है। विभिन्न फसल विकास योजनाओं के तहत उन्नत प्रौद्योगिकियों तथा बीज, सूक्ष्म पोषक तत्व, मृदा सुधारक जैसे समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम), फार्म मशीनरी, संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियां तथा किसानों के क्षमता निर्माण को बढ़ावा तथा विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) से (घ) भारत सरकार देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सहित 16 मुख्य मोटे अनाज उत्पादक राज्यों में गहन कदन्न संवर्धन के माध्यम से पोषक तत्व सुरक्षा पहल (आईएसआईएमपी) योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से मोटे अनाज की कृषि को बढ़ावा दे रही है। इस योजना के तहत, उन्नत उपज प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों, सूक्ष्म पोषक तत्व, पौध संरक्षण रसायनों के साथ-साथ फसल पश्चात् प्रसंस्करण तथा मोटे अनाजों का मूल्य संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

अनुच्छेद 72 में संशोधन

3589. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 72 को केवल भारतीय नागरिकों के लिए लागू करने के लिए इसका संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

राष्ट्रीय/क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन

3590. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों के गिरते स्तर की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार वाचकों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी द्वारा प्रसारित क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों के स्तर बनाए रखे गए हैं। समाचार वाचकों का चयन एक कड़ी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है जिसके अंतर्गत लिखित

परीक्षा, अभिव्यक्ति परीक्षा और साक्षात्कार को शामिल किया जाता है। समाचार बुलेटिन के मानकों को बनाए रखने और अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार वाचकों को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया चलती रहता है। बाहरी विशेषज्ञों को बुलाकर नियमित समीक्षाएं की जाती हैं। राष्ट्रीय बुलेटिन की समीक्षा प्रत्येक दिन मुख्यालय में औपचारिक बैठकों में की जाती है और विषय-वस्तु एवं प्रस्तुति में यदि कोई कमी रहती है तो उन्हें इंगित करके निवारक उपाय किए जाते हैं। क्षेत्रीय भाषा बुलेटिन का प्रबोधन यूनिट प्रभारी द्वारा नियमित आधार पर किया जाता है।

लड़कियों का बेचा जाना

3591. **श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में गरीब परिवारों की लड़कियों को विवाह के बहाने अन्य राज्यों में बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रकाश में आए मामलों को राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) शादी के बहाने लड़कियों के व्यापार संबंधी घटनाओं के बारे में सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। तथापि, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा केन्द्रीय रूप से, इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) 'पुलिस' एवं 'लोक व्यवस्था' राज्य-विषय होने के कारण मानव दुर्व्यापार के निवारण तथा इससे मुकाबला करने का प्रथम दायित्व राज्य सरकारों का होता है। भारत सरकार ने गृह मंत्रालय में दुर्व्यापार रोधी नोडल प्रकोष्ठ की स्थापना द्वारा; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा राज्यों की सहभागिता से मानव दुर्व्यापार रोधी संबंधी पाठ्यक्रम की शुरुआत करके; एकीकृत मानव दुर्व्यापार इकायों की स्थापना द्वारा विधि प्रवर्तन कार्रवाई को सुदृढ़ बनाने के लिए एक व्यापक योजना तथा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के माध्यम से बड़े पैमाने पर सुदृढ़ीकरण, जागरुकता और क्षमता निर्माण द्वारा वाणिज्यिक यौन शोषण सहित मानव दुर्व्यापार का मुकाबला करने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति अपनायी है। गृह मंत्रालय ने 225 एकीकृत मानव दुर्व्यापार रोधी इकाइयों की स्थापना के लिए वर्ष 2010-11 तथा वर्ष 2011-12 में क्रमशः 8.72 करोड़ रुपए और 8.338 करोड़रुपए की निधियां जारी की हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय भी आश्रय आधारित गृहों जैसे — अल्पकालिक आश्रय गृहों, अवैध व्यापार के पीड़ितों सहित विषम परिस्थितियों में फंसी महिलाओं के लिए स्वाधार गृहों का संचालन करता है।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण संबंधी नीति

3592. **श्री जगदीश ठाकोर :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त खाद्य प्रसंस्करण नीति तैयार करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपनी नीति तैयार की है; और

(घ) इस संबंध में शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) जी, हां, महोदया।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास के लिए समन्वित प्रयास करने के इरादे से राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण अवसंरचना के सृजन, खाद्य प्रसंस्करण स्तर को उठाने, खेत स्तर पर रोजगार सृजित करने तथा समग्र सामर्थ्यकारी वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से उन्हें खाद्य प्रसंस्करण नीतियां तैयार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

(ग) कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों ने अलग राज्य प्रसंस्करण नीतियां तैयार की हैं और पंजाब, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, हरियाणा एवं ओडिशा की औद्योगिक नीति के एक भाग के रूप में उनकी अपनी खाद्य प्रसंस्करण नीतियां हैं।

(घ) सरकार ने 1 अप्रैल, 2012 (2012-13) से 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) के अंतर्गत राज्यों द्वारा तैयारी कार्य/अग्रिम कार्रवाई शुरू करने का अनुमोदन दे दिया है। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत राज्यों को 'राज्य विजन दस्तावेज' को अंतिम रूप देने की कार्रवाई शुरू करने के लिए अनुमोदन दे दिया गया है। राज्य विजन दस्तावेज को अंतिम रूप देने से राज्य अपनी राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त खाद्य प्रसंस्करण नीतियां तैयार कर सकेंगे।

[हिन्दी]

सघन डेयरी विकास कार्यक्रम

3593. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा :
श्री भरत राम मेघवाल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में डेयरी विकास की संभावना को देखते हुए डेयरी विकास में संलग्न किसानों/श्रमिकों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सघन डेयरी विकास कार्यक्रम हेतु स्वीकृत निधियां विभिन्न राज्यों को जारी नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो कार्यक्रम हेतु निधियां कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) अपनी स्थापना से लेकर 10.3.2013 तक विभाग ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'सघन डेयरी विकास कार्यक्रम' के अधीन अनुमोदित 111 परियोजनाओं के अंतर्गत राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों को 52,967.60 लाख रुपए की धनराशि जारी की है। विभिन्न अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों/राज्य सरकारों को राज्य-वार, परियोजना-वार जारी की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सघन डेयरी विकास कार्यक्रम योजना के मार्ग-निर्देशों के अनुसार, अनुमोदित परियोजनाओं के अधीन पहले जारी की गई धनराशि के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र और भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों के प्रति उपलब्धियों का विवरण प्राप्त होने पर उनके आधार पर अनुमोदित परियोजनाओं के अधीन धनराशि जारी की जाती है। सघन डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए वर्ष 2012-13 के लिए 55 करोड़ रुपए के बजट अनुमान में से 49.47 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और इसके अतिरिक्त वर्तमान वित्तीय वर्ष के अधीन जारी करने के लिए विभाग द्वारा 4.38 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं।

विवरण

'सघन डेयरी विकास कार्यक्रम के अधीन राज्य-वार, परियोजना- वार कुल अनुमोदित परिव्यय और 10 मार्च, 2013 तक जारी की गई कुल धनराशि

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	अनुमोदित परिव्यय	जारी की गई कुल धनराशि
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (सी)	1995-96	239.41	221.91
2.	आंध्र प्रदेश-I (सी)	1995-96	447.32	447.32
	आंध्र प्रदेश-II (सी)	2000-01	934.28	934.28

1	2	3	4	5
	आंध्र प्रदेश-III	2006-07	557.96	557.96
	आंध्र प्रदेश-IV	2012-13	988.64	409.87
	आंध्र प्रदेश (आत्महत्या संभावित)	2006-07		216.00
	राज्य (उप-योग)		2928.20	2565.43
3.	अरुणाचल प्रदेश-I (सी)	1993-94	472.70	472.70
	अरुणाचल प्रदेश-II	2009-10	749.03	348.30
	राज्य (उप-योग)		1221.73	821.00
4.	असम-I	1994-95	1260.76	909.51
	असम-II (सी)	2004-05	588,35	185.87
	असम--III	2011-12	598.69	160.00
	राज्य (उप-योग)		2447.80	1255,38
5.	बिहार--I (सी)	1994-95	158.60	158.60
	बिहार-II (सी)	1995-96	344.50	344.50
	बिहार-III (कैमूर) (सी)	1997-98	67.25	67.25
	बिहार-IV (सी)	1997-98	66.30	66.30
	बिहार-V (सी)	2000-01	333.33	333.33
	बिहार-VI (सी)	2001-02	279.78	228.67
	बिहार-VII	2012-13	1184.72	621.66
	बिहार-VIII	2012-13	1190.93	687.49
	बिहार-XI	2012-13	1661.27	742.91
	राज्य (उप-योग)		5286.68	3250,71

1	2	3	4	5
6.	झारखंड-I (सी)	1995-96	364.50	364.50
	झारखंड-II	2005-06	294 29	294.29
	झारखंड-III	2010-11	279.91	25.00
	झारखंड-IV	2012-13	300.00	207.67
	राज्य (उप-योग)		1238.70	891.46
7.	गुजरात (सी)	1993-94	600.00	600.00
8.	गोवा	2009-10	259.46	248.80
9.	हरियाणा (सी)	1995-96	203.75	203.75
	हरियाणा-II	2005-06	1453.83	1257.67
	हरियाणा-III	2006-07	823.22	823.22
	हरियाणा-IV	2006-07	287.38	222.03
	राज्य (उप-योग)		2768.18	2506 67
10.	हिमाचल प्रदेश-I (सी)	1997-98	805.95	805.95
	हिमाचल प्रदेश-II (सी)	2004-05	899.12	899.12
	हिमाचल प्रदेश-III	2010-11	867.72	867.72
	हिमाचल प्रदेश-IV	2011-12	295.14	90.94
	राज्य (उप-योग)		2867.93	2663.73
11.	जम्मू और कश्मीर – जम्मू	1995-96	664.69	664.69
	जम्मू और कश्मीर – कश्मीर	1995-96	575.57	575.57
	राज्य (उप-योग)		1240.26	1240.26
12.	केरल-I (सी)	2004-05	288.15	288.15
	केरल-II (सी)	2005-06	287.07	287.07

1	2	3	4	5
	केरल-III (सी)	2005-06	1390.48	1390.48
	केरल-IV	2011-12	1550.93	477.53
	केरल-V	2012-13	298.95	111.93
	केरल (आत्महत्या संभावि	2006-07		40.00
	राज्य (उप-योग)		3815.58	2595.16
13.	कर्नाटक-I	2011-12	236.50	124.30
	कर्नाटक (आत्महत्या संभावित)	2006-07		72.00
	कर्नाटक-II	2012-13	265.01	111.65
	राज्य (उप-योग)		501.51	307.95
14.	मध्य प्रदेश-I एवं II (सी)	1993-94	494.06	494.06
	मध्य प्रदेश-IV (सी)	1995-96	475.28	475.28
	मध्य प्रदेश-V	2005-06	228.89	192.44
	मध्य प्रदेश-VI	2005-06	420.58	361.77
	मध्य प्रदेश-VII	2006-07	1422.09	743.27
	मध्य प्रदेश-VIII	2011-12	765.72	356.34
	राज्य (उप-योग)		3806.62	2623.16
15.	छत्तीसगढ़-I (सी)	1993-94	287.00	287.00
	छत्तीसगढ़-II	2001-02	700.63	264.20
	छत्तीसगढ़-III	2001-02	849.16	305.00
	छत्तीसगढ़-IV	2011-12	1031.61	267.25
	राज्य (उप-योग)		2868.40	1123.45

1	2	3	4	5
16.	महाराष्ट्र-I (सी)	1995-96	1985.24	1985.23
	महाराष्ट्र-II (सी)	1997-98	1941.55	1941.55
	महाराष्ट्र-III	2005-06	1000.30	929.30
	महाराष्ट्र (आत्महत्या संभावित)	2006-07		72.00
	राज्य (उप-योग)		4927.09	4928.08
17.	मणिपुर-I (सी)	1993-94	224.10	224.10
	मणिपुर-II (सी)	2006-07	1023.23	1023.23
	मणिपुर-III	2011-12	553.36	327.62
	राज्य (उप-योग)		1800.69	1574.95
18.	मेघालय-I (सी)	1994-95	141.29	141.29
	मेघालय-II	2000-01	472.52	438.92
	राज्य (उप-योग)		613.81	580.21
19.	मिजोरम-I (सी)	1993-94	367.99	367.99
	मिजोरम-II (सी)	1995-96	349.19	349.19
	मिजोरम-III (सी)	2001-02	199.41	199.41
	मिजोरम-IV (सी)	2004-05	254.98	254.98
	मिजोरम-V (सी)	2006-07	264.34	264.34
	राज्य (उप-योग)		1435.91	1435.91
20.	नागालैंड-I (सी)	1993-94	668.22	668.22
	नागालैंड-II (सी)	1998-99	347.49	347.49
	नागालैंड-III (सी)	2004-05	597.30	597.30

1	2	3	4	5
	नागालैंड-IV (सी)	2010-11	479.10	370.91
	राज्य (उप-योग)		2092.11	1983.92
21.	ओडिशा-I (सी)	1993-94	631.00	631.00
	ओडिशा-II (सी)	1994-95	443.21	443.21
	ओडिशा-III (सी)	1998-99	621.84	621.84
	ओडिशा-IV (सी)	2000-01	784.53	784.53
	ओडिशा-V (सी)	2005-06	556.16	556.16
	ओडिशा-VI	2005-06	563.97	563.97
	ओडिशा-VII	2008-09	702.13	364.33
	ओडिशा-VIII	2009-10	730.00	380.58
	ओडिशा-IX	2010-11	599.71	120.00
	ओडिशा-X	2011-12	1056.24	332.74
	राज्य (उप-योग)		6688.79	4798.36
22.	राजस्थान-I	2004-05	590.50	590.50
	राजस्थान-II	2005-06	290.00	112.02
	राजस्थान-III	2005-06	864.10	794.41
	राजस्थान-IV	2007-08	862.74	500.64
	राज्य (उप-योग)		2607.34	1997.57
23.	सिक्किम-I एवं II (सी)	1993-94	678.47	678.47
	सिक्किम-III (सी)	2000-01	368.16	368.16
	सिक्किम-IV	2003-04	1007.43	1007.43
	सिक्किम-V	2008-09	274.45	274.45
	राज्य (उप-योग)		2328.51	2328.51

1	2	3	4	5
24.	तमिलनाडु-I (सी)	1995-96	336.63	336.63
	तमिलनाडु-II	2004-05	312.15	287.59
	तमिलनाडु-III	2006-07	554.06	554.06
	तमिलनाडु-IV	2006-07	291.77	291.77
	तमिलनाडु-V	2007-08	867.62	725.00
	तमिलनाडु-VI	2011-12	599.65	439.10
	राज्य (उप-योग)		2961.88	2634.15
25.	त्रिपुरा-I (सी)	1993-94	304.90	304.90
	त्रिपुरा-II (सी)	1994-95	319.51	319.51
	त्रिपुरा-III (सी)	2006-07	295.14	295.14
	राज्य (उप-योग)		919.55	919.55
26.	उत्तर प्रदेश-I, II एवं III (सी)	1993-94	1242.89	1242.89
	उत्तर प्रदेश-IV (22.2.2011 को संशोधित परिव्यय)	2000-01	703.61	679.46
	उत्तर प्रदेश-V	2001-02	1231.32	665.35
	उत्तर प्रदेश-VI	2003-04	290.54	231.69
	राज्य (उप-योग)		3468.36	2819.39
27.	उत्तराखंड-I (सी)	2002-03	1911.18	1911.18
	उत्तराखंड-II	2004-05	532.75	532.75
	उत्तराखंड-III	2011-12	1502.69	330.73
	राज्य (उप-योग)		3946.62	2774.66

1	2	3	4	5
28.	पश्चिम बंगाल-I (सी)	1994-95	498.88	498.88
	पश्चिम बंगाल-II (सी)	1998-99	140.83	140.83
	पश्चिम बंगाल-III	2004-05	126.04	126.04
	पश्चिम बंगाल-IV	2011-12	879.02	511.52
	राज्य (उप-योग)		1644.77	1277.27
	सकल योग		67525.89	52967.60

टिप्पणी: (सी) से तात्पर्य परियोजना पूर्ण हो गई है।

[अनुवाद]

भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाएं

3594. श्री के.पी. धनपालन :
श्री भूदेव चौधरी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की भूमिका और कृत्य क्या है;

(ख) देश में वर्तमान में कार्यरत भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान बीआईएस की और प्रयोगशालाएं और प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण केन्द्रों की निगरानी और आधुनिकीकरण हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) भारतीय मानक ब्यूरो की भूमिका और कार्य भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 में दिए गए हैं। ब्यूरो को मानकीकरण वस्तुओं के मूल्यांकन और गुणता प्रमाणन तथा उससे समयबद्ध या आनुसंगिक मामलों से संबंधित गतिविधियों के शुरू की गई विकास की भूमिका सौंपा गई है। ब्यूरों की शक्तियां और कार्य अधिनियम की धारा 10(1) के तहत निर्धारित है जो संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) देश में इस समय राज्य-वार निम्नलिखित क्षेत्रीय प्रयोगशाला प्रकार्यात्मक है:—

(i) मोहाली (पंजाब) में उत्तरी क्षेत्रीय प्रयोगशाला

(ii) चेन्नई (तमिलनाडु) में दक्षिणी प्रयोगशाला

(iii) कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला

(iv) मुम्बई (महाराष्ट्र) में पश्चिमी क्षेत्रीय प्रयोगशाला

(ग) और (घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रयोगशाला कार्यकलापों का नेतृत्व वैज्ञानिक-जी और प्रमुख (प्रयोगशाला) करते हैं जिनके नियंत्रणाधीन भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न प्रयोगशालाओं के प्रमुख कार्य करते हैं।

1. प्रयोगशालाओं की निगरानी: भारतीय मानक ब्यूरो प्रयोगशालाओं के कार्य की निगरानी के लिए निम्नलिखित का प्रयोग उपकरणों के रूप में किया जाता है:—

   (i) प्रयोगशाला प्रमुखों की साल में एक बार बैठक आयोजित की जाती है।

(ii) वर्ष में एक बार प्रबंधन पुनरीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता है।

(iii) वर्ष में एक बार आंतरिक लेखा परीक्षा की जाती है।

(iv) मासिक आधार पर प्रबंधन नियंत्रण रिपोर्टों का पुनरीक्षण किया जाता है।

(v) प्रत्येक दो वर्षों में प्रत्यायन के नवीकरण से पूर्व एनएबीएल द्वारा स्वतंत्रण रूप से आकलन किया जाता है।

(vi) प्रत्येक प्रयोगशाला द्वारा गुणता आश्वासन परीक्षण।

(vii) अंतर-प्रयोगशाला तुलना परीक्षण में भागीदारी।

2. **प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण:** भारतीय मानक ब्यरो की प्रयोगशालाओं में आवश्यकता के अनुसार निरंतर आधार पर परीक्षण सुविधाओं को जोड़ा/अपडेट किया जाता है। पिछले तीन वर्षों (01.01.2010 से 31.12.2012 तक) में जोड़े गए उपकरण संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

3. प्रयोगशाला से संबंधित कोई प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है। भारतीय मानक ब्यूरो का एक प्रशिक्षण केंद्र अर्थात् नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्टेंडर्डडाइजेशन है, जो नोएडा (उत्तर प्रदेश) में स्थित है। संस्थान आवश्यकता पड़ने पर आईएस/आईएसओ/आईईसी 17025 के अनुसार प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली हेतु प्रयोगशाला के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

विवरण-I

ब्यूरो की शक्तियां और कृत्य

ब्यूरो के कृत्य 10(1) ब्यूरो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा जो उसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन समनुदेशित किए जाएं और विशिष्टतया ऐसी शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित के बारे में शक्ति भी है:—

(क) किसी वस्तु या प्रसंस्करण के संबंध में, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, भारतीय मानक की स्थापना, प्रकाशन और संवर्धन;

(ख) किसी वस्तु या प्रसंस्करण के संबंध में, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, भारत में या अन्यत्र किसी अन्य संस्था द्वारा स्थापित किसी मानक को भारतीय मानक के रूप में मान्यता प्रदान करना;

(ग) किसी मानक चिह्न की विनिर्देश करना जो भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिह्न कहलाएगा और जो ऐसी डिजाइन का होगा तथा ऐसी विशिष्टयों से युक्त होगा जो किसी विशिष्ट भारतीय मानक के प्रतीक के रूप में विहित की जाएं;

(घ) मानक चिह्न के उपयोग के लिए, अनुज्ञप्ति देना, उसका नवीकरण करना या उसकी निलम्बित या रद्द करना;

(ङ) कोई अनुज्ञप्ति दिए जाने या उसके नवीकरण के लिए फंस उद्धृत करना;

(च) किसी सामग्री या पदार्थ का ऐसा निरीक्षण करना और ऐसे नमूने लेना जो यह देखने के लिए आवश्यक हो कि कोई वस्तु या प्रसंस्करण जिसकी बाबत मानक चिह्न का प्रयोग किया गया है, भारतीय मानकों के अनुरूप है या नहीं या किसी वस्तु या प्रसंस्करण की बाबत मानक चिह्न का किसी अनुज्ञप्ति सहित या उसके बिना अनुचित रूप से प्रयोग किया गया है या नहीं;

(छ) ऐसे निलंबधनों और शर्तों पर जो किसी देश में किसी तत्स्थानी संस्था या संगठन के साथ ब्यूरो द्वारा आपस में करार पाई जाएं, ब्यूरो और भारत के बाहर भारतीय मानक की मान्यता प्राप्त करना;

(ज) मानकीकरण और क्वालिटी नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाएं, प्रयोगशालाअें की स्थापना, अनुरक्षण और मान्यता प्रदान करना;

(झ) उपभोक्ताओं और विनिर्माताओं के हित में भारतीय मानक बनाने के लिए अनुसंधान करना;

(ञ) भारत में या उसके बारह ऐसी किसी संस्था को मान्यता देना जो किसी वस्तु या प्रसंस्करण के मानकीकरण या किसी वस्तु या प्रसंस्करण की क्वालिटी के सुधार में लगी हुई है;

(ट) ऐसे निबंधन और शर्तों पर किसी वस्तु या प्रसंस्करण के विनिर्माताओं और उपभोक्ताओं की सेवाएं उपलब्ध कराना जो परस्पर करार पाई जाएं;

(ठ) निरीक्षण, परीक्षण और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाएं, भारत में या भारत के बाहर अभिकर्त्ताओं को नियुक्ति करना;

(ड) भारत में या उसके बाहर शाखाओं, कार्यालयों या अभिकरणों की स्थापना;

(ढ) ऐसे समयों और स्थानों पर जो विहित किए जाएं, ऐसे किसी वस्तु या प्रसंस्करण का निरीक्षण करना जिसको बाबत मानक चिह्न का प्रयोग किया जाता है, या जो इस अधिनियम द्वारा या किसी अन्य विधि के अधीन भारतीय मानक के अनुरूप होने के लिए अपेक्षित है, इस बात पर विचार किए बिना कि क्या ऐसी वस्तु या प्रसंस्करण भारत में है या भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में लाया गया है अथवा लाए जाने के लिए आशयित है;

(ण) ऐसे किसी विनिर्माता या विनिर्माताओं या उपभोक्ताओं के संगम के जो किसी वस्तु या प्रसंस्करण की क्वालिटी के मानकीकरण और सुधार में या किसी क्वालिटी नियंत्रण क्रियाकलाप के कार्यान्वयन में लगे हुए है, क्रियाकलापों का समन्वयन करना; और

(त) ऐसे कृत्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं।

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान शामिल किया गया उपकरण

क्र.सं.	उपकरण का नाम	राशि रुपए
1	2	3
1.	बीओडी इन्क्यूबेटर	70350
2.	सिने वाइस एसबीएस 70	9166
3.	एंडयुरेंस टेस्ट एम/सी फॉर डोर क्लोजर्स	264600
4.	वेहिंग स्केल	12000
5.	मैकेनिकल शेकर	18900
6.	सेंट्रीफ्यूज मशीन	20055
7.	हॉट प्लेट	11550
8.	कार्ल फिशर इंस्ट्रूमेंट	15225
9.	डेड-वेट डायल माइक्रोमीटर	21849
10.	नाइट्रोजेन डिस्टीलेशन एसेम्बली	9000
11.	डी. ह्यूमिडिफायर	60320

1	2	3
12.	डीसीएचबी टेस्टर	548875
13.	कोल्ड चैम्बर	157500
14.	स्कीविंग मशीन	95062
15.	वाटर बाथ फॉर एडिशनल एजिंग	151525
16.	केल्विन डबल ब्रिज 10 माइक्रो ओहम से 1 ओहम	90898
17.	रेटिंग टेस्ट उपकरण	58725
18.	डम्बेल कटिंग मशीन	70875
19.	रिमोट ह्युमिडिटी थर्मोमीटर	5870
20.	टाइम इंटरबेल मीटर फॉर ट्रिपिंग टेस्ट ऑफ एमसीबी	5625
21.	वाटर एब्सॉर्पसन टेस्ट स्पेसीमेन कटिंग डाई	9450
22.	वेक्युम ओवर फॉर वाटर एब्सोर्पसन टेस्ट ऑन केबल	68250
23.	रिमोट ह्युमिडिटी थर्मोमीटर	11741
24.	गॉज सेट फॉर डाईमेशनसन ऑफ पॉकेट एंड एस पर आईएस 9537 (पाईंट 31:1983)	84375
25.	एचपी डेस्कटॉप 8200 फॉर जीएलएस लैम्प टेक्स्ट बेंच	38627
26.	6½ डिजिट प्रिसाइसेन मल्टीमीटर फ्ल्युक मेक	98499
27.	वेक्युम पंप	46125
28.	डेसीक्केटर वेक्युम टार्सन, वेक्युम पंप टार्सन, टाइकन वेक्युम ट्रसुबिंग	25659
29.	ऑक्सीजन फ्लो मीटर	2981
30.	अल्ट्रॉसोनिक क्लीनर	14936
31.	हाइड्रोलिक हेक्सा मशीन	95745
32.	थ्रेड गॉजेस	84183
33.	डिजिटल इलैक्ट्रोमीटर	14344

1	2	3
34.	डीप फ्रिजर	34125
35.	फ्लास्क शेकर	8108
36.	कॉम्प्रेशन टेस्टींग मशीन	603352
37.	एसी हाई वोल्टेज टेस्टर	395025
38.	डीसी आई वोल्टेज एस्टर एंड वाटर बाथ	664100
39.	वाइब्रेटिंग मशीन	61312
40.	जीसीएनएस एक्सेसरीज (एवापोरटर एंड कनसेन्ट्रेटर)	786485
41.	मैगनेटिक फिफ्टर फनेल	84181
42.	वर्नियर केलिपर	6025
43.	पीआईटेप	14569
44.	प्लेटफॉर्म वेहिंग स्केल	12375
45.	एक्सआईएफ	2000722
46.	बैलेंस	57386
47.	पार्टिंग ट्रे	9675
48.	इम्पैक्ट टेस्टर फॉर यूपीवीसी पाइप	49161
49.	मेल्ट फ्लो इंडेक्स टेस्टर	64739
50.	टेंसाइल टेस्टिंग मशीन 20 केएन केपेसिटी	642713
51.	यूटीएम 1000 केएन कैपेसिटी	1588000
52.	ऑटोक्लेब फॉर सीमेंट साउंडनेस	105570
53.	वेभफोर्म एनेलाइजर	99313
54.	पास-ऑन बॉक्स	39216
55.	डिजिटल वर्नियर केलिपर	7000
56.	यूवी स्पैक्ट्रोफोटोमीटर	683937

1	2	3
57.	यूटीएम 100 केएन	484000
58.	टीटीएम 10 केएन	759877
59.	टीटीएम 10 केएन	434000
60.	वर्नियर कैलिपर	17165
61.	एजिंग अवर (2 यूनिट)	516375
62.	नॉर्मल आपरेशन टेस्ट मशीन फॉर प्लग एंड शॉकेट्स	80975
63.	फ्यूम हुड (3 नोस)	573300
64.	डिस्टीलेशन एसेम्बली	42283
65.	सीओ डिटेक्टर	14063
66.	ओर्सेट एपेरेटस	6750
67.	थ्रेड एंड रिंग गॉज ¼ बीएसपी	8179
68.	बॉल एंड माइक्रोमीटर	15413
	कुल	13262354

खाद्यान्नों के लिए सुरक्षा मानक

3595. **श्री सुरेश अंगड़ी :**
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री चंद्रकांत खैरे :
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :
श्री एस. अलागिरी :
श्री पी. करुणाकरन :
श्री वैजयंत पांडा :
श्रीमती रमा देवी
श्री हरीश चौधरी :
श्री लक्ष्मण टुडु :
श्री जगदानंद सिंह :
श्री तूफानी सरोज :
श्री जगदीश शर्मा :
कुमारी सरोज पाण्डेय :
श्री बृजभूषण शरण सिंह
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :
श्री ए.के.एस. विजयन :
श्री राम सिंह कस्वां :
श्री हरिभाऊ जावले :
प्रो. रंजन प्रसाद यादव :
डॉ. मिर्जा महबूब बेग :
श्री एस. पक्कीरप्पा :
श्री सुदर्शन भगत :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों की विभिन्न मदों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों और इन सुरक्षा मानकों को विनियमित करने वाले नियमों/दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के संबंध में दिशा-निर्देश/अनुदेश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ राज्य खाद्यान्नों के सुरक्षित और वैज्ञानिक भंडारण स्थान की भारी कमी का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भंडारण हेतु स्थान के सृजन के लिए निर्धारित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) खाद्यान्नों के सुरक्षा मानक भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। खाद्य सुरक्षा तथा मानक (खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य एडिटिव) विनियमन, 2011 के विनियम 2.4.6 में विभिन्न खाद्यान्न मदों के लिए सुरक्षा मानक निर्धारित किए गए हैं। इस विनियमन के अनुसार, मानक उपभोग हेतु आशयित खाद्यान्न अनाज, कदन्न तथा दलहन के साबुत अथवा टूटे दाने होंगे। खाद्यान्न जिन मानकों के अनुरूप होंगे, उनके अतिरिक्त वे किसी भी रूप में आर्जिमोन-मैक्सिकाना तथा केसारी से मुक्त होंगे। वे उसमें मिलाए गए रंजक पदार्थ से भी मुक्त होंगे। खाद्यान्नों में खाद्य सुरक्षा तथा मानक (संदूषक, विष तथा अवशिष्ट) विनियमन, 2011 के विनियमन 2.3.1 में निर्दिष्ट सीमा को छोड़कर कोई कीटनाशी अवशिष्ट नहीं होगा।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार ने केन्द्रीय पूल के स्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजेंसियों को खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं। भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकार एजेंसियों के लिए बाध्यकारी एहतियाती तथा उपचारात्मक उपाय संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य केन्द्रीय तथा राजय एजेंसियों के पास केन्द्रीय पूल के स्टॉक भंडारण के लिए कवर्ड तथा कवर एवं प्लिथ (कैप) में उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता 718 लाख टन है तथा दिनांक 31.1.2013 की स्थिति के अनुसार खाद्यान्नों का कुल स्टॉक 662 लाख टन हैं।

(ङ) अतिरिक्त कवर्ड वैज्ञानिक भंडारण क्षमता के सृजन के लिए सरकार पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार को अपनी स्वयं की भंडारण क्षमता के सृजन के लिए अनुदान सहायता प्रदान करती है। विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष में लगभग 50,000 टन प्रस्तावित भंडारण क्षर्मता के सृजन के लिए कुल 31.02 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए लगभग 5.40 लाख टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता के सृजन की एक योजना स्कीम को भी अंतिम रूप प्रदान किया है।

सरकार, कवर्ड भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भंडारण निगम तथा राज्य भंडारण निगमों के माध्यम से निजी उद्यमी गारंटी स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। दिनांक 28.02.2013 की स्थिति के अनुसार 19 राज्यों में लगभग 197 लाख टन क्षमता के गोदामों के निर्माण का अनुमोदन किया गया है, जिसमें से 141.46 लाख टन क्षमता के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। भारतीय खाद्य निगम इस स्कीम के अंतर्गत बनाए गए गोदामों को 10 वर्ष के लिए किराए पर लने की गारंटी देता है और इस प्रकार निवेशक को उनके द्वारा किए गए निवेश पर उचित आय सुनिश्चित की जाती है। संलग्न विवरण-II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 46.88 लाख टन क्षमता के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

विवरण-I

भंडारण के दौरान खाद्यान्नों को क्षति से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

खाद्यान्नों के केन्द्रीय पूल में स्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित एहतियाती और उपचारात्मक कदमों का पालन करना अनिवार्य है:—

(i) सभी गोदामों का निर्माण विनिर्दिष्टियों के अनुसार किया जाना होता है।

(ii) खाद्यान्नों का भंडारण भंडारण पद्धतियों की उचित वैज्ञानिक संहिता अपना कर किया जाना होता है।

(iii) लड़की की क्रेटों, बांस की चटाइयों, पॉलीथीन की चद्दरों जैसी पर्याप्त डनेज सामग्री का उपयोग फर्श से नमी आने को रोकने के लिए किया जाना होता है।

(iv) सभी गोदामों में प्रधूमक कवर, नॉइलान की रस्सियां, जाल और भंडारित अनाज कीट जन्तुबाधाओं के नियंत्रण के लिए कीटनाशक प्रदान किए जाने होते हैं।

(v) भंडारित अनाज कीट जन्तुबाधाओं के नियंत्रण के लिए गोदामों में रोग निरोधी (कीटनाशकों का छिड़काव) और

रोगहर (प्रधूमन) उपचार नियमित रूप से और समय में किए जाने होते हैं।

(vi) ढके हुए गोदामों और कैप भंडारण, दोनों में मूषक नियंत्रण के प्रभावी उपाय किए जाने होते हैं।

(vii) कवर तथा प्लिथ (कैप) में खाद्यान्नों का भंडारण एलीवेटेड प्लिथ में किया जाना होता है और डनेज सामग्री के रूप में लकड़ी के क्रेट इस्तेमाल किए जाने होते हैं। चट्टों को विशेष रूप से बनाए गए कम घनत्व वाले काले रंग के पोलीथीन वाटर प्रूफ कवर से उचित ढंग से ढका जाना होता है और उन्हें नाइलॉन की रस्सियों/जाल से बांधा जाना होता है।

(viii) वरिष्ठ अधिकारियों सहित योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा स्टॉक/गोदामों के नियमित आवधिक निरीक्षण किये जाने होते हैं।

(ix) 'प्रथम आमद प्रथम निर्गम' सिद्धांत का यथासंभव सीमा तक पालन किया जाना होता है ताकि गोदामों में खाद्यान्नों के दीर्घावधि भंडारण से बचा जा सके।

(x) खाद्यान्नों के संचलन के लिए केवल ढकी हुई वैगन इस्तेमाल की जानी होती हैं ताकि मार्गस्थ-क्षति से बचा जा सके।

विवरण-II

28.02.2013 की स्थिति के अनुसार पीईजी स्कीम के तहत गोदामों के निर्माण की स्थिति

क्र. सं.	राज्य	कुल अनुमोदित क्षमता	कुल आबंटित/स्वीकृत क्षमता	पूरा किया गया कार्य
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4,51,000	4,51,000	1,99,800
2.	बिहार	9,40,000	3,15,000	22,000
3.	छत्तीसगढ़	5,42,600	5,42,600	1,54,950
4.	गुजरात	1,00,000	50,000	4,800
5.	हरियाणा	39,52,800	30,82,216	8,20,501
6.	हिमाचल प्रदेश	1,42,550	45,850	2,500
7.	जम्मू और कश्मीर	3,61,690	2,46,510	10,000
8.	झारखंड	1,75,000	1,15,000	
9.	कर्नाटक	3,55,300	3,13,370	1,39,370
10.	केरल	55,000	5,000	5,000
11.	मध्य प्रदेश	23,66,600	15,73,000	79,800
12.	महाराष्ट्र	6,99,900	5,98,770	2,78,770
13.	ओडिशा	3,00,000	3,00,000	1,64,000
14.	पंजाब	49,99,000	43,19,038	24,23,243
15.	राजस्थान	2,50,000	2,50,000	53,000
16.	तमिलनाडु	3,45,000	2,85,000	60,000
17.	उत्तराखंड		25,000	10,000
18.	उत्तर प्रदेश	32,95,500	15,13,700	2,50,334
19.	पश्चिम बंगाल	3,56,600	1,30,180	20,700
	कुल	1,97,13,540	1,41,46,234	46.88,768

विस्फोटकों की तस्करी

3596. श्री यशवीर सिंह :
श्री नीरज शेखर :
श्री अशोक अर्गल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बमों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न विस्फोटकों की देश में कथित रूप से तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान चोरी किए गए, तस्करी किए गए और पुलिस द्वारा जब्त किए गए विस्फोटकों का विस्फोटकों-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या हाल ही के वर्षों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विस्फोटकों को लूटने के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विस्फोटकों की चोरी, तस्करी और लूट को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसा कोई निश्चित रिपोर्ट नहीं है कि बमों में प्रयोग किए जाने वाले विस्फोटकों की देश में तस्करी की जा रही है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विस्फोटकों के लूटे जाने की कोई रिपोर्ट नहीं है, हालांकि सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के छिपने के ठिकानों से विस्फोटक बरामद किए हैं।

(ङ) विस्फोटकों की चोरी, तस्करी और लूट-पाट को रोकने के लिए विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1884, विस्फोटक पदार्थ नियमावली, 2008 और अमोनियम नाइट्रेट नियमावली, 2012 में पर्याप्त प्रावधान हैं।

निर्यात हेतु आवंटन

3597. श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात हेतु केन्द्रीय पूल से पांच मिलियन टन गेहूं आवंटित/जारी करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका मूल्य और जिन देशों को निर्यात किए जाने का प्रस्ताव है उन देशों का ब्यौरा क्या है और घरेलू बाजार में मूल्यों पर इसका क्या सम्भावित प्रभाव होगा और देश में उचित मूल्य पर इसकी पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का निजी फर्मों/व्यापारियों के माध्यम से गेहूं की उक्त मात्रा का निर्यात करने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) सरकार ने वाणिज्य विभाग के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम के केन्द्रीय पूल के स्टॉक से गेहूं के 45 लाख टन अधिशेष स्टॉक के निर्यात की अनुमति दी है, जिसे 30.6.2013 तक किया जाना है। ऐसे निर्यात फ्री ऑन बोर्ड 300 अमेरिकी डॉलर प्रति टन के निर्धारित आधार मूल्य पर प्रतिस्पर्धी वैश्विक निविदाओं के माध्यम से किए जाते हैं और निर्यातक निविदित मात्रा को अपने पसंद के देशों को भेजने के लिए स्वतंत्र हैं। अभी तक अनुमोदित निविदाओं के लिए भारित औसत मूल्य 314.01 अमेरिकी डॉलर प्रति टन है।

इस समय, केन्द्रीय पूल में गेहूं का पर्याप्त स्टॉक है और सरकार ने वर्ष 2012-13 के दौरान खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के अंतर्गत 100 लाख टन गेहूं की बिक्री अनुमोदित की है। सरकार ने वर्तमान वर्ष 2012-13 के लिए सामान्य आबंटनों के अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए क्रमशः 26.96 लाख टन और 43.17 लाख टन का अतिरिक्त आबंटन अनुमोदित किया है। इन उपायों को देखते हुए अधिशेष गेहूं के निर्यात से घरेलू बाजार में मूल्यों पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार ने 7.3.2013 को निजी क्षेत्र के माध्यम से केन्द्रीय पूल स्टॉक से 50 लाख टन तक गेहूं का निर्यात "सैद्धांतिक रूप से" अनुमोदित किया है। इसे पंजाब और हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में गेहूं के अधिशेष स्टॉक, दीर्घावधिक भंडारण की समस्याओं और इस वर्ष रबी फसल की अच्छी संभावनाओं को ध्यान में रखकर किया गया है।

[हिन्दी]

फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण

3598. श्री सुदर्शन भगत :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी मात्रा में फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण किया जा रहा है और पर्याप्त प्रसंस्करण और भंडारण सुविधाओं के अभाव के कारण कितने प्रतिशत फल और सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं और इसका इनके मूल्यों पर कया प्रभाव पड़ता है;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में फलों और सब्जियों की बर्बादी को रोकने के लिए इसके प्रसंस्करण और भंडारण इकाइयों की स्थापना और आधुनिकीकरण हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं/उठाए गए कदमों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन हेतु आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय फलों एवं सब्जियों की बर्बादी की प्रतिशतता और कीमतों पर इसके प्रभाव के आंकड़ों के साथ फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण स्तर के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकड़े नहीं रखता है। केन्द्रीय फसलोत्तर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीएचईटी), लुधियाना द्वारा 2010 में किए गए अध्ययन एवं रिपोर्ट के अनुसार फलों एवं सब्जियों की संचयी हानि का प्रतिशत 5.8% से 18.0% आंका गया है।

(ख) उद्यमियों और घरेलू कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों की सहायता के लिए, मंत्रालय पूरे देश में 11वीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम का कार्यान्वयन करता रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य, दूध, फल एवं सब्जियों, मांस, पॉल्ट्री, मत्स्यिकी, वाइन, उपभोक्ता वस्तुओं, तिलहनों, चावल मिलिंग, आटा मिलिंग, दाल जैसे क्षेत्रों में नई प्रसंस्करण क्षमता का सृजन और मौजूदा प्रसंस्करण क्षमताओं का उन्नयन करना है। मंत्रालय ने इस स्कीम के अंतर्गत, उद्यमियों को संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परन्तु अधिकतम 50.00 लाख रुपए और पूर्वोत्तर एवं दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75.00 लाख रुपए की अनुदान-सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी थी। यह स्कीम 01.04.2012 से वर्ष 2012-13 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन में सन्निविष्ट कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, देश में शीत शृंखला की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 11वीं योजना के दौरान शीत शृंखला, मूल्य वृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना योजना स्कीम का कार्यान्वयन करता रहा है। स्कीम में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत की सामान्य क्षेत्रों में 50% की दर से तथा पूर्वोत्तर एवं दुर्गम क्षेत्रों में 75% की दर से परन्तु अधिकतम 10.00 करोड़ रुपए की अनुदान-सहायता के रूप में वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है। इस पहल का उद्देश्य, आपूर्ति शृंखला में अंतर को दूर करना, शीत शृंखला अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग जैसी अवसंरचना सुविधाओं और जैविक उत्पादों, समुद्री उत्पादों, डेयरी, पॉल्ट्री इत्यादि सहित बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण में मूल्यवृद्धि के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

(ग) मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत निधियों का आवंटन राज्य-वार और क्षेत्र-वार नहीं करता है। तथापि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत, फल एवं सब्जी यूनिटों सहित 11वीं योजना और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सहायता प्राप्त यूनिटों की संख्या और जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की क्षमता का उपयोग करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा विजन 2015 दस्तावेज को अपनाया गया था जिसमें वर्ष 2015 तक, शीघ्र सड़ने गलने वाले पदार्थों के प्रसंस्करण स्तर को 6% से बढ़ाकर 20%, मूल्यवृद्धि 20% से बढ़ाकर 35% और राष्ट्रीय खाद्य व्यापार में हिस्से को 1.5% से बढ़ाकर 3% तक करके खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के आकार को तिगुना करने की परिकल्पना की गई है।

(ङ) विजन 2015 पूरा करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2012-13 के दौरान एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन शुरू किया था। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन का मूल उद्देश्य स्कीमों के कार्यान्वयन का विकेन्द्रीकरण करना है जिससे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की पर्याप्त भागीदारी बढ़ेगी। मिशन के विभिन्न घटकों के अंतर्गत, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को आवेदन प्राप्त करने, पात्र लाभार्थियों को अनुदान सहायता की मंजूरी देने और अनुदान सहायता जारी करने का अधिकार दिया गया है। मिशन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अपने राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास हेतु लाभार्थियों, परियोजना स्थल/क्षेत्र आदि के चयन में उनको लचीलापन में प्रदान करता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान एनएमएफपी के अंतर्गत शामिल मुख्य कार्यक्रम/स्कीमें हैं:—

(i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम।

(ii) गैर-बागवानी उत्पाद शीत शृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम।

(iii) मानव संसाधन विकास स्कीम (एचआरडी)

(क) खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में डिग्री/डिप्लोमा/प्रामण-पत्र पाठ्यक्रम चलाने के लिए अवसंरचना सुविधाओं का सृजन

(ख) उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)

(ग) खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र (एफपीटीसी)

(iv) प्रोत्साहन कार्यकलाप सकीम

(क) सेमीपान/कार्यशालाओं का आयोजन करना

(ख) अध्ययन/सर्वेक्षण करना

(ग) प्रदर्शनियों/मेलों को सहायता देना

(घ) विज्ञापन एवं प्रचार

विवरण

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 और चालू वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली राज्य-वार यूनिटें

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (15.02.2013 तक की स्थिति के अनुसार)	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	43	947.49	48	908.999	41	677.05	30	562.096	105	1904.726	171	3373.93
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309.78
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	17.67	3	376.14	2	66.42	0	0	0	0
4.	असम	12	442.17	17	176.79	22	418.74	26	875.701	12	242.7782	15	0
5.	बिहार	5	83.915	2	42.3	2	35.59	6	136.681	5	89.65674	3	51.99
6.	चंडीगढ़	6	138.08	0	0	0	0	1	25	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	10	163.725	4	45.46	27	297.574	75	841.8276	109	1330.37
8.	दिल्ली	0	0	7	160.65	2	50	3	82.6	16	410.68	9	198.7
9.	गोवा	1	17	1	24.57	1	24.26	1	25	2	50	1	19.42
10.	गुजरात	32	544.06	39	714.81	42	665.18	52	1419.72	106	1975.034	41	701.59
11.	हरियाणा	19	418.72	23	349.415	11	134.96	14	325.28	62	828.2817	73	931.42
12.	हिमाचल प्रदेश	12	325.09	5	152.745	10	269.58	7	204.53	14	377.51	4	95.95
13.	जम्मू और कश्मीर	9	109.855	3	22.05	7	59.73	5	89.095	6	98.42	2	16.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	झारखंड	2	9.09	0	0	3	44.09	4	85.425	1	16.57	2	33.38
15.	कर्नाटक	34	529.62	35	629.895	24	269.55	14	377.79	61	896.2926	62	1020.06
16.	केरल	47	876.8	32	545.37	33	567.53	19	411.72	52	901.285	15	252.44
17.	मध्य प्रदेश	10	172.32	14	201.87	18	273ए03	14	211.294	23	376.5413	19	252.55
18.	महाराष्ट्र	95	1696.805	121	1802.633	113	1717.3	56	1006.524	202	2824.152	105	1456.88
19.	मणिपुर	3	61.74	3	45.51	6	163.75	1	23.975	11	189.7182	20	442.74
20.	मेघालय	1	8.19	2	159.57	2	123.02	2	100.045	0	0	1	5.42
21.	मिजोरम	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0
22.	नागालैंड	1	27.485	4	178.205	1	64.99	1	6.205	0	0	2	14.21
23.	ओडिशा	6	129.41	2	38.68	6	84.4	8	200.875	9	113.5908	14	249.1
24.	पुदुचेरी	2	31.3	0	0	0	0	0	0	1	25	6	150
25.	पंजाब	32	481.45	61	841.36	13	172.37	9	149.495	147	1692.902	174	1719.01
26.	राजस्थान	35	566.075	44	551.975	27	325.46	48	691.123	95	1236.563	36	523.17
27.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	तमिलनाडु	53	951.79	36	594.355	41	672.11	24	493.582	75	1389.79	36	615.95
29.	त्रिपुरा	2	39.98	1	13.86	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	उत्तर प्रदेश	63	1123.425	43	875.475	32	560.63	47	1078.638	53	907.0513	36	574.38
31.	उत्तराखंड	9	339.78	6	163.15	12	307.57	6	168.523	5	138.047	5	115.49
32.	पश्चिम बंगाल	35	653.56	19	390.135	10	136.48	10	317.945	19	319.87	5	120.05
	कुल	569	10725.2	579	9765.767	487	8249.97	437	9432.862	1157	17846.29	966	14574.38

*आंकड़े समन्वय बैंक अर्थात् एचडीएफसी बैंक के समन्वयनाधीन हैं।

एनएफडीसी को घाटा

3599. श्री बलीराम जाधव :
डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) को विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों से बकाया देयों की वसूली नहीं होने के कारण भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो बकाया देयों का एजेंसी-वार अभी तक क्या ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की तिथि तक वसूली गई राशि का एजेंसी-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) बकाया देयों की वसूली करने और एनएफडीसी को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम/कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) का 2003-04 तक की अवधि के लिए विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों पर बकाया है।

(ख) विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों पर बकाया धनराशि और दायर किए गए वाद को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) आज की तारीख तक कोई धनराशि वसूल नहीं की गई है।

(घ) निगम ने वर्ष 2007 में मुंबई उच्च न्यायालय में चूककर्त्ता विज्ञापन एजेंसियों के खिलाफ 16 वाद दायर किए हैं और वर्ष 1999 में नई दिल्ली के महानगर दंडाधिकारी के न्यायालय में एक आपराधिक मामला दायर किया है, जिसका विवरण उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित रूप में संलग्न है।

विवरण

एनएफडीसी द्वारा निम्नलिखित विज्ञापनदाता एजेंसियों के खिलाफ दायर किए गए वाद जो दिनांक 12.03.2013 तक की स्थिति के अनुसार लंबित हैं:

क्र. सं.	वाद संख्या दायर किए जाने का वर्ष	विज्ञापनदाता एजेंसी का नाम	न्यायालय की अवस्थिति	बकाया राशि (रुपए)
1	2	3	4	5
1.	वर्ष 1999 का वाद संख्या 186	मैसर्स सिने पेन्ट प्रा.लि.	मजिस्ट्रेट न्यायालय, नई दिल्ली	4,93,10,586.00
2.	वर्ष 2006 का वाद संख्या 563	मैसर्स इन्द्रधनुष टीवी प्रा.लि.	मुंबई उच्च न्यायालय	1,04,41,538.00
3.	वर्ष 2007 का वाद संख्या 3225	मैसर्स प्रचार कम्युनिकेशन्स	मुंबई उच्च न्यायालय	2,28,52,000.00
4	वर्ष 2007 का वाद संख्या 3366 एवं आपराधिक शिकायत संख्या 6049/01/2008	मैसर्स ए एंड ए फिल्म्स एवं श्री कलरा, ए एंड ए फिल्मस के मालिक, नई दिल्ली	मुंबई उच्च न्यायालय एवं साकेत न्यायालय, दिल्ली	94,30,775.00
5.	वर्ष 2007 का वाद संख्या 3375	मैसर्स आदित्य एंटरप्राइजेज	मुंबई उच्च न्यायालय	35,58,413.00
6.	वाद संख्या 3243	मैसर्स टाइम शॉप	मुंबई उच्च न्यायालय	13,33,092.00

1	2	3	4	5
7.	वर्ष 2007 का वाद संख्या 3266	मैसर्स इपसेम	मुंबई उच्च न्यायालय	95,86,196.00
8.	वर्ष 2007 का वाद संख्या 3267	मैसर्स नोवा ऐडवरटाइजिंग	मुंबई उच्च न्यायालय	18,44,808.00
9.	वर्ष 2007 का वाद संख्या 3199	मैसर्स हिन्दुस्तान थाम्पसन एसोसिएट्स	मुंबई उच्च न्यायालय	8,73,86,471.00
10.	वर्ष 2007 का वाद संख्या 3338	मैसर्स आर.के. स्वामी	मुंबई उच्च न्यायालय	14,29,392.00
11.	वर्ष 2007 का वाद संख्या 3294	मैसर्स क्रिएटिव चैनल	मुंबई उच्च न्यायालय	3,14,71,469.00
12.	वर्ष 2007 का वाद संख्या 3295	मैसर्स मुद्रा कम्युनिकेशन्स	मुंबई उच्च न्यायालय	55,49,157.00
13.	वर्ष 2007 का वाद संख्या 3339	मैसर्स कांट्रेक्ट ऐडवरटाइजिंग	मुंबई उच्च न्यायालय	8,08,585.00
14.	वर्ष 2007 का वाद संख्या 3340	मैसर्स डब्ल्यू, पी.पी. मार्केटिंग	मुंबई उच्च न्यायालय	23,77,880.00
15.	वर्ष 2007 का वाद संख्या 3341	मैसर्स ओलिग्वी (ओ एंड एम)	मुंबई उच्च न्यायालय	37,14,112.00
16.	वर्ष 2007 का वाद संख्या 3226	मैसर्स रेडिफ्यूजन	मुंबई उच्च न्यायालय	24,67,212.00
17.	वर्ष 2010 का वाद संख्या 357	मैसर्स मा बोजेल लिमिटेड	मुंबई उच्च न्यायालय	5,29,923.00
	कुल योग			24,40,1,609.00

[अनुवाद]

किसानों द्वारा आत्महत्या के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

3600. श्री आनंदराव अडसुल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री मधु गौड यास्खी :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में किसानों द्वारा बढ़ती आत्महत्याओं के मामलों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति की रिपोर्ट (2008) में, अन्य बातों के साथ-साथ, पिछले दशक से भारत में किसानों द्वारा आत्महत्याओं की घटना के बारे में उल्लेख किया गया और किसानों को लाभ हेतु कृषि विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम/स्कीमें कार्यान्वित करने का आग्रह किया गया है।

(ग) सरकार ने कृषि दबाव को सुधारने, किसानों द्वारा आत्महत्याएं रोकने और सतत् आधार पर कृषि समुदाय की आर्थिक अवस्था सुधारने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें अभिज्ञात जिलों में पुनर्वास पैकेज का कार्यान्वयन, कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि, ऋण माफी/राहत, फसल बीमा, फसल ऋणों पर ब्याज सहायता में छूट किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना, संयुक्त दायित्व समूल निरूपण में सहायता करना, कृषि आदानों एवं अन्य सहायता सेवाओं का प्रावधान, भंडारण अवसंरचना, कृषि उत्पाद परिवहन एवं विपणन, विभिन्न अन्य कार्यक्रमों/स्कीमों के

कार्यान्वयन के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि इत्यादि शामिल हैं।

दुग्ध उत्पादन

3601. श्री गजानन ध. बाबर :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री धर्मेन्द्र यादव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दुग्ध उत्पादन को लाभकारी बनाने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से इस कार्य-योजना पर कार्य करने और दुग्ध उत्पादन को लाभकारी बनाने के लिए सभी दुग्ध उत्पादन संघों के शामिल करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) दुग्ध उत्पादन को लाभकारी बनाने के लिए सरकार द्वारा तैयार एिक गए दिशा-निर्देशों और जारी अनुदेशों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्यपालन विभाग दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तथा दूध के प्रापण, प्रसंस्करण और विपणन के लिए अवसंरचना प्रदान करने हेतु निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है जिससे डेयरी की लाभप्रदता बढ़ाने की आशा है:—

1. राष्ट्रीय डेयरी योजना (चरण-I)
2. राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना
3. गुणवत्तापूर्ण तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु अवसंरचना सुदृढ़ीकरण।
4. सघन डेयरी विकास योजना
5. डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना
6. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण
7. आहार तथा चारा विकास योजना

(ग) और (घ) उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाएं विभाग द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन के रूप में जारी योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की जाती है। राज्य सरकारें कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे दुग्ध सहकारिताओं, दुग्ध संघों तथा राज्य पशुधन बोर्ड आदि द्वारा राज्यों में कार्यान्वित किए जाने हेतु परियोजाएं संस्तुत कर रही हैं।

(ङ) विभाग दुग्ध उत्पादकता तथा उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से, जिनसे डेयरी की लाभप्रदता बढ़ती है, उपर्युक्त योजनाओं के उपयुक्त कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता है।

कृषि योजनाएं

3602. श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर :
श्री संजय निरुपम :
श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया :
श्री पी. कुमार :
श्रीमती श्रुति चौधरी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र सहित देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक नई योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित और प्राप्त लक्ष्य तथा 12वीं योजना अवधि के दौरान प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य का राज्य-वार ब्यौर क्या है;

(घ) क्या देश में सूखे और बाढ़ की स्थिति के कारण ये योजनाएं असफल सिद्ध हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या सरकार 12वीं योजा के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) को नए सिरे से तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ङ) जी, हां। कृषि और सहकारिता विभाग महाराष्ट्र सहित देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन; बृहत कृषि प्रबंधन; समेकित तिलहन, दलहन, ऑयल पाम तथा मक्का स्कीम; विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन; आदि। इन स्कीमों तथा अन्य प्रयासों के कारण, खाद्यान्न उत्पादन 2007-08 में 230.77 मिलियन टन से बढ़कर 2011-12 में 259.32 मिलियन टन हो गया। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (8.2.2013 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार) के दौरान खाद्यान्नों के राज्य-वार लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। कृषि और समवगी क्षेत्र में बारहवीं योजना के लिए 4% की वार्षिक वृद्धि दर परिकल्पित है।

(च) और (छ) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) को अब तक हुए अनुभव और योजना आयोग के साथ हुए विचार-विमर्श तथा राज्यों के सुझावों के आधार पर कुछ संशोधनों के साथ बारहवीं योजना में जारी रखा जाना है। अब इस स्कीम के तीन चैनल/स्ट्रीम रखने का प्रस्ताव है अर्थात् (i) उत्पादन अैर उत्पादकता बढ़ाने हेतु उत्पादन वृद्धि; (ii) कृषि अवसंरचना तथा परिसम्पत्तियों का विकास; और (iii) संकेन्द्रित हस्तक्षेप/स्कीमें (उप-स्कीमें)। संशोधित राष्ट्रीय कृषि विकस योजना के वार्षिक परिव्यय का बीस प्रतिशत संकेन्द्रित हस्तक्षेपों (उप-स्कीमों) और क्रमशः उत्पादन वृद्धि तथा अवसंरचना विकास प्रत्येक के लिए चालीस प्रतिशत निर्धारित किया जाना है।

विवरण

कुल खाद्यान्नों के उत्पादन के अनुमान

उत्पादन (000 टन)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13*	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	18635.00	15295.00	20365.00	20315.00	19665.00	18363.08	19056.00	17078.00
अरुणाचल प्रदेश	9.00	308.87	29.00	333.71	210.00	362.50	170.00	0.00
असम	3800.00	4481.24	4011.00	4876.49	4228.00	4663.32	4435.00	4951.60
बिहार	11295.00	10150.80	12632.00	9221.95	12252.00	14047.21	13982.00	14015.56
छत्तीसगढ़	6095.00	4902.80	619.00	7055.21	5808.00	6870.50	6822.00	7080.20
गोवा	11.00	109.91	11.00	123.08	123.00	130.17	122.00	0.00
गुजरात	7855.00	5761.00	6918.00	8341.63	6993.00	8874.27	8602.00	7137.00
हरियाणा	15525.00	15357.00	15593.00	16629.50	16096.00	17958.66	17283.00	16763.00
हिमाचल प्रदेश	1518.00	1017.20	1493.00	1421.10	1517.00	1510.26	1534.00	1450.09
जम्मू और कश्मीर	1686.00	1314.16	1670.00	1521.57	1688.00	1586.30	1451.00	1476.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
झारखंड	4208.00	2152.16	3832.00	1876.60	3610.00	4175.31	4386.00	4741.54
कर्नाटक	13184.00	10955.00	13280.00	13877.27	12590.00	12095.15	12504.00	10824.78
केरल	685.00	610.79	685.00	527.11	622.00	572.12	552.00	524.75
मध्य प्रदेश	13551.00	16016.40	14655.00	14952.09	14509.00	20394.81	15867.00	21814.96
महाराष्ट्र	14926.00	12586.30	14995.00	15420.40	14916.00	12544.00	13093.00	10297.90
मणिपुर	5.00	338.86	5.00	592.70	400.00	669.07	400.00	0.00
मेघालय	4.00	239.17	4.00	239.01	195.00	249.05	194.00	000
मिजोरम	6.00	62.30	6.00	66.86	70.00	67.95	70.00	0.00
नागालैंड	30.00	354.22	30.00	56829	349.00	566.46	349.00	0.00
ओडिशा	7352.00	7552.90	7451.00	7619.29	8511.00	641226	8079.00	8249.48
पंजाब	26790.00	26950.10	27224.00	27866.30	27924.00	28389.14	27984.00	27983.40
राजस्थान	17416.00	12350.08	16840.00	18832.23	17223.00	19469 74	19634.00	17825.90
सिक्किम	16.00	117.30	16.00	110.30	25.00	103.17	25.00	0.00
तमिलनाडु	8991.00	7511.37	9030.00	7594.93	8693.00	10151.83	8404.00	8350.79
त्रिपुरा	5.00	647.88	5.00	712.41	680.00	729.90	680.00	0.00
उत्तर प्रदेश	44828.00	43195.34	46448.00	47247.56	46920.00	50283.60	48465.00	49698.34
उत्तराखंड	1886.00	1796.00	1818.00	1815.55	1779.00	1852.00	1877.00	1894.00
पश्चिम बंगाल	17325.00	15741.46	17510.00	14466.85	16141.00	15985.72	16224.00	14776.88
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.00	27.06	1.00	25.48	25.00	2530	26.00	0.00
चंडीगढ़	0.00		0.00		0.00		0.00	
दादरा और नगर हवेली	5.00	21.29	5.00	29.87	25.00	24.56	26.00	0.00
दिल्ली	2.00	125.81	2.00	153.29	25.00	149.18	16.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दमन और दीव	1.00	4.90	1.00	4.80	4.00	3.30	26.00	0.00
पुदुचेरी	1.00	52.93	1.00	53.41	52.00	43.23	52.00	0.00
अन्य	1445.00	0.00	1825.00	0.00	1132.00	0.00	1840.00	3207.48
अखिल भारत	239092.00	218107.37	244500.00	244491.81	245000.00	259323.17	254230.00	250142.60

*8.2.2013 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान।

चीनी उत्पादन

3603. श्री पी.सी. मोहन :
श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री हरिभाऊ जावले :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्ची चीनी/चीनी के निर्यात/आयात पर से प्रतिबंध हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान चीनी के उत्पादन, स्टाक, खपत, निर्यात और आयात का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उत्पादन में कमी की संभावना को मद्देनजर आगामी वर्ष में चीनी के निर्यात/आयात पर प्रतिबंध के लिए सुझाव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने जनवरी, 2007 में चीनी के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है। वर्तमान में चीनी के निर्यात की खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत अनुमति दे दी है बशर्ते कि विदेश व्यापार महानिदेशालय के पास प्रमात्रा का पूर्व पंजीकरण कराया जाए। केन्द्रीय सरकार ने कच्ची चीनी सहित चीनी के आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाया है जोकि खुले सामान्य लाइसेंस के तहत अनुमत्य है बशर्ते कि निर्धारित आयात कर का भुगतान किया गया हो। इसलिए चीनी मिलें/निर्यातक-आयातक व्यापारी अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार चीनी का निर्यात/आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

पिछले तीन चीनी मौसमों (अक्तूबर-सितंबर) और चालू मौसम (31.12.2012 तक) के दौरान चीनी का उत्पादन, भंडारण, खपत, निर्यात और आयात निम्न प्रकार से है:—

(लाख टन)

चीनी मौसम	उत्पादन	चीनी मौसम के अंत में भंडारण	खपत	निर्यात	आयात
2009-10	188	51.25	220	2.37*	41.80**
2010-11	243.50	58.19	210	28.14*	3.65*
2011-12	263.43	66.96	227.25	36.76*	1.87*
2012-13 (31.12.2012 तक)	80.83	90.10	56.71	2.48*	5.61*

कोलकाता

**राजस्व विभाग

(ग) और (घ) चालू चीनी मौसम 2013-14 के लिए चीनी के उत्पादन का अनुमान लगाना अति शीघ्रता करना होगा। सरकार को चालू चीनी मौसम में चीनी के निर्यात/आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई सुझाव/अनुरोध अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

संग्रहालयों की स्थापना करना

3604. **श्री एस. पक्कीरप्पा :**
श्री रामसिंह राठवा :
श्री शिवकुमार उदासी :
श्री मानिक टैगोर :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में स्थित संग्रहालयों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों से अपने-अपने राज्यों में अभिलेखागार, पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यों और विभिन्न संग्रहालयों के निर्माण/पुनरुद्धार हेतु प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है, और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रस्तावों में से प्रत्येक पर की गई कार्रवाई का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) मदुरई स्थित गांधी संग्रहालय और गुजरात में स्थित जनजातीय संग्रहालय सहित उक्त प्रत्येक प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अभी तक लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(ङ) कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत नए संग्रहालयों के निर्माण/स्थापना के लिए निधियां प्रदान करने हेतु निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित/जारी और राज्यों द्वारा उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और योजना/कार्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) देश भर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और संस्कृति मंत्रालय के अधीन संग्रहालयों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालयों की स्थापना, संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण स्कीम के अंतर्गत विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान मदुरई में गांधी स्मारक संग्रहालय सहित विभिन्न संग्रहालयों से वर्ष-वार प्राप्त हुए प्रस्तावों तथा उन्हें जारी किए गए अनुदानों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने यह सूचना दी है कि जनजातीय शोध संस्थान सहायता अनुदान स्कीम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार से वर्ष 2012-13 के दौरान जनजातीय संग्रहालय की स्थापना करने संबंधी एक प्रस्ताव उन्हें प्राप्त हुआ था। तथापि, इस प्रस्ताव पर सदृश राशि के अभाव की वजह से आगे कार्य नहीं किया जा सका।

(घ) क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालयों की स्थापना, संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण स्कीम के अंतर्गत अनुदान जारी करने के लिए कुल 49 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

स्कीम के अंतर्गत प्राप्त हुए प्रस्तावों की विद्यमान मानदंडों के अनुसार जांच की जाती है। उक्त प्रस्तावों के निपटान हेतु कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं है।

(ङ) क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालयों की स्थापना, संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण स्कीम के अंतर्गत निधियां प्रदान करने हेतु निर्धारित मानदंडों के ब्यौरे संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट *www.indiaculture.nic.in* पर उपलब्ध हैं।

इस स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियों के ब्यौरे प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में विवरण-II के रूप में दिए गए हैं।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संग्रहालयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	05
2.	असम	01
3.	बिहार	04
4.	दिल्ली	09
5.	गोवा	01
6.	गुजरात	02
7.	हरियाणा	01
8.	हिमाचल प्रदेश	01

1	2	3
9.	कर्नाटक	07
10.	केरल	01
11.	मध्य प्रदेश	05
12.	महाराष्ट्र	01
13.	ओडिशा	02
14.	पंजाब	01
15.	राजस्थान	02
16.	तमिलनाडु	01
17.	उत्तर प्रदेश	05
18.	उत्तराखंड	01
19.	पश्चिम बंगाल	06

विवरण-II

वर्ष	प्राप्त हुए प्रस्तावों की संख्या	जारी की गई राशि
2009-10	34	21,33,38,124/-
2010-11	64	21,96,92,331/-
2011-12	40	15,55,94,173/-
2012-13	24	22,37,81,412/-

स्मारकों का पुनरुद्धार

3605. श्री प्रदीप कुमार सिंह :
श्री समीर भुजबल :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) द्वारा अपनाई गई अनुचित पुनरुद्धार/रख-रखाव पद्धति के कारण महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों में अत्यधिक विख्यात स्मारक जैसे त्रयम्बकेश्वर मंडि, रायगढ़ किला आदि को क्षति पहुंची है और ये अपना विरासत स्थल का दर्जा खोने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि देश में उचित पर्यवेक्षण के अभाव में अनेक स्मारक दयनीय स्थिति में हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) से (ग) जी, नहीं। देश में महाराष्ट्र सहित परिरक्षित स्मारकों का संरक्षण कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यथोचित तरीके से, पुरातत्वीय मानदंडों और सिद्धांतों का पालन करते हुए, स्मारकों को नुकसान पहुंचाए बिना और उनके विरासत महत्व का ध्यान रखते हुए किया जाता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। नियमित देख-रेख और यथोचित निगरानी व पहरे द्वारा संरक्षित स्मारकों का ध्यान रखा जाता है।

नई चीनी मिल

3606. श्री नृपेंद्र नाथ राय :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :
श्री नरहरि महतो :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश-भर में चीनी मिलों की क्षेत्र (सेक्टर) और राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सहित राज्यों से नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में सहकारी क्षेत्र (सेक्टर) में चीनी मिलों की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) 28.02.2013 के अनुसार देश में विद्यमान चीनी मिलों की क्षेत्र-वार और राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार को नई चीनी मिलों को स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सहित राज्य सकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए सहकारी/निजी क्षेत्र के उद्यमियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। नई चीनी मिलों को स्थापित करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों के क्षेत्र-वार और राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(घ) और (ङ) सहकारी क्षेत्र में किसी राज्य में चीनी मिल स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। चीनी उद्योग को 31.08.1998 के प्रेस नोट द्वारा लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और उद्यमी अपने पसंदीदा स्थल पर नई चीनी मिल स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते कि केन्द्रीय/राज्य सरकार के नियमों और विनियमों का अनुपालन हो।

विवरण-I

देश में क्षेत्र-वार और राज्य-वार चीनी मिलों की वर्तमान संख्या

(28.02.2013 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	सरकारी	निजी	सहकारी	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	पंजाब	—	8	16	24
2.	हरियाणा	—	3	13	16
3.	राजस्थान	1	1	1	3
4.	उत्तर प्रदेश	12	118	28	158
5.	उत्तराखंड	2	4	4	10
6.	मध्य प्रदेश	2	12	5	19
7.	छत्तीसगढ़	—	—	3	3
8.	गुजरात	—	2	23	25
9.	महाराष्ट्र	—	67	153	220
10.	बिहार	15	13	—	28
11.	असम	—	1	2	3
12.	ओडिशा	—	4	4	8
13.	पश्चिम बंगाल	1	2	—	3

1	2	3	4	5	6
14.	आंध्र प्रदेश	1	29	14	44
15.	कर्नाटक	3	44	24	71
16.	तमिलनाडु	3	27	16	46
17.	पुदुचेरी	–	1	1	2
18.	केरल	–	1	1	2
19.	गोवा	–	–	1	1
20.	नागालैंड	–	–	–	1
21.	दादरा और नगर हवेली	1	–	1	1
	कुल	41	337	310	688

स्रोत: चीनी निदेशालय, खाद्य विभाग और सार्वजनिक वितरण विभाग तथा राज्यों के गन्ना आयुक्त।

विवरण-II

नई चीनी मिलों की स्थापना करने के लिए प्राप्त राज्य-वार, क्षेत्र-वार प्रस्तावों को दर्शाने वाला विवरण

(28.02.2013 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्र		
		निजी	सहकारी	योग
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2	–	2
2.	बिहार	1	–	1
3.	हरियाणा	2	–	2
4.	कर्नाटक	38	–	38
5.	मध्य प्रदेश	5	1	6
6.	महाराष्ट्र	82	4	86
7.	पंजाब	1	–	1
8.	तमिलनाडु	2	–	2
9.	उत्तर प्रदेश	1	–	1
	योग	134	5	139

स्रोत: शर्करा निदेशालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग।

कोल इंडिया लिमिटेड के कोयला ब्लॉक

3607. श्री कुलदीप बिश्नोई :
श्री जयराम पांगी :
श्री निशिकांत दुबे :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों को आवंटित कोयला ब्लॉकों का राज्य और सहायक कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने आवंटित कोयला ब्लॉकों के विकास हेतु कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियां कोयला ब्लॉकों के विकास के संबंध में अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सक्षम हो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (घ) कोयला मंत्रालय ने मई, 2012 में कोल इंडिया लि. को अनंतिम रूप से 116 ब्लॉक सौंपे हैं। उपर्युक्त के अलावा, आबंटन रद्द किए गए कोयला ब्लॉकों में से 3 आबंटन रद्द किए गए कोयला ब्लॉकों अर्थात् ब्राह्मिणी, चिचरो पास्तिमल तथा दामोगोरिया पूर्व प्राथमिकता आधार पर खनन शुरू करने के लिए सीआईएल को सौंपे गए हैं। सीआईएल ने उपर्युक्त कोयला ब्लॉकों के विकास के लिए अपनी अनंतिम परिदृश्य योजना प्रस्तुत क है। कोल इंडिया लि. (सीआईएल) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, परियोजना रिपोर्ट 2 कोयला ब्लॉकों के संबंध में तैयार कर ली गई है, 16 कोयला ब्लॉकों के संबंध में भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट उपलब्ध है, अन्वेषण क्रियाकलाप 11 कोयला ब्लॉकों में पूरे कर लिए गए हैं, अन्वेषण क्रियाकलाप 24 कोयला ब्लॉकों में प्रगति पर हैं तथा 66 कोयला ब्लॉकों में अन्वेषण क्रियाकलाप अभी शुरू किए जाने हैं। जैसे ही अन्वेषण का कार्य पूरा हो जाएगा, सीआईएल खनन क्रियाकलाप शुरू करने के लिए योजना बनाएगी। इससे विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने तथा खाली कराने संबंधी बाधाओं को दूर करने के अध्यधीन सीआईएल दीर्घावधि में कोयले की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो सकेगी।

[हिन्दी]

सब्जियों में विषैले पदार्थ

3608. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में यमुना नदी तट पर उगाई जाने वाली सब्जियों में अत्यधिक विषैले पदार्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा कया सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी), कृषि मंत्रालय पूरे देश में विभिन्न मंत्रालयों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधित्व वाली विभिन्न प्रयोगशालाओं की भागीदारी से खाद्य जिन्सों और मृदा एवं जल जैसे पर्यावरणीय नमूनों में नाशीजीवमार अवशेषों की जांच के लिए वर्ष 2005-06 से एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम "राष्ट्रीय स्तर पर नाशीजीवमार अवशेषों की मॉनिटरिंग (एमपीआरएनएल)" कार्यान्वित कर रहा है।

अप्रैल, 2010 से दिसम्बर, 2013 तक की अवधि के दौरान दिल्ली के विभिन्न भागों के एपीएमसी मण्डियों, मदर डेयरी (सफल) तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों से बंद गांभी, फूल गोभी, भिण्डी, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, खीरा, घीया, मटर, करी पत्ता, धनिया और मिर्च के कल 3702 सब्जी नमूने एकत्रित किए गए थे और नाशीजीवमारों के संभावित अवशेषों के लिए इका विश्लेषण किया गया था। 154 नमूनों में एमआरएल मूल्यों से अधिक के अवशेषों का पता चला। तथापि, चूंकि नमूने यमुना नदी के आसपास से सीधे एकत्रित नहीं किए गए थे इसलिए यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि यमुना नदी के आसपास उगाई गई सब्जियों में अधिक जहरीले तत्व हैं।

(ग) सरकार एक केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम "भारत में नाशीजीव प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण" के माध्यम से समेकित नाशीजीव प्रबंधन (आईपीएम) की कार्यनीति को लोकप्रिय बना रही है जिसमें नाशीजीव नियंत्रण की कृषिगत, यांत्रिक, जैविकीय तथा अन्य नाशीजीव नियंत्रण पद्धतियां शामिल हैं और नाशीजीवमारों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग पर जोर देती हैं।

आईपीएम कार्यक्रम के दायरे के अधीन, सरकार ने 28 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में 31 केन्द्रीय आईपीएम केन्द्र स्थापित किए हैं। इन केन्द्रों का कार्य किसानों के खेतों में कृषक फील्ड स्कूलों (एफएफएस'ज) का आयोजन करके सबसे निचले स्तर पर कृषि/बागवानी विस्तार अधिकारियों तथा किसानों को प्रशिक्षण देकर आईपीएम में नाशीजीव/रोग मॉनिटरिंग, जैव नियंत्रण एजेंटों/जैव नाशीजीवमारों का उत्पादन और निर्मुक्ति, जैव नियंत्रण एजेंटों का संरक्षण तथा आईपीएम में मानव संसाधन विकास है। एफएफएस का मूल उद्देश्य किसानों को नवीनतम आईपीएम प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षित करना है ताकि वे नाशीजीव प्रबंधन प्रचालन में निर्णय लेने के योग्य हो सके। इसके अलावा, आवश्यकता के आधार पर खेत दर खेत बड़ी संख्या में स्थानीय रूप से उपलब्ध जैव नियंत्रण एजेंटों का संवर्धन किया जाता है। अंतिम उपाय के रूप में रासायनिक नाशीजीवमार के विवेकपूर्ण उपयोग और नाशीजीवमारों के उपयोग में सुरक्षा, नाशीजीव प्रबंधन हेतु वैकल्पिक तरीकों अर्थात् नाशीजीव नियंत्रण की कृषिगत, भौतिक, यांत्रिक पद्धतियों और साथ ही जैव नाशीजीवमार तथा जैव नियंत्रण एजेंटों के उपोग, नाशीजीवों के प्राकृतिक शत्रुओं पर नाशीजीवमारों के प्रभावों, उपकरण और तकनीक के उचित अनुप्रयोग सहित नाशीजीवमार के उपयोग में मुख्य जोर क्या करें और क्या न करें पर दिया जाता है। एफएफएस'ज का संचालन प्रशिक्षित कार्मिक द्वारा 30 किसानों और 5 कृषि विस्तार अधिकारियों (एईओ'ज) को प्रशिक्षण देने के लिए चौदह सप्ताह के

लिए होता है। प्रशिक्षण के अंत में, समीपवर्ती किसानों के बीच आईपीएम दृष्टिकोण को लोकप्रिय बनाने के लिए एफएफएस स्थलों में किसान मेला आयोजित किया जाता है।

वर्ष 2011-12 तक पौध संरक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय (डीपीपीक्यूएंडएस), जो कृषि मंत्रालय से संबद्ध एक संगठन है, ने 13,991 किसान फील्ड स्कूलों (एफएफएस'ज) का आयोजन किया जिनमें विभिन्न फसलों में नवीनतम आईपीएम प्रौद्योगिकी पर 57,962 कृषि/बागवानी विस्तार अधिकारियों और 4,20,720 किसानों को विभिन्न फसलों में प्रशिक्षण दिया गया।

पौध उत्पादों के साथ जैविक ऐजेंटों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने और कृषि/बागवानी फसलों के फसल नाशीजीवों के विरुद्ध इन उत्पादों की किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत विभिन्न जैव-नियंत्रण एजेंट पंजीकृत किए जाते हैं। "भारत में नाशीजीव प्रबंधन दृष्टिकोण के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण" के अलावा, सरकार की अन्य स्कीमें भी हैं जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और विस्तार कार्यक्रम जिसके तहत किसानों को जानकारी संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

[अनुवाद]

वायदा बाजार में ग्वार की ट्रेडिंग

3609. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायदा बाजार में ग्वार-गोंद और ग्वार-बीच की ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्यों द्वारा क्या विचार व्यक्त किए गए हैं;

(ग) क्या किसान इस वर्ष ग्वार की कृषि के क्षेत्रफल में वृद्धि होने के कारण ग्वार वायदा पुन: शुरू करने की मांग कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, नहीं। ग्वार और ग्वागम के संबंध में वायदा व्यापार प्रतिबंधित नहीं है। तथापि, ग्वार और ग्वागम के मूल्यों में अत्यधिक अस्थिरता होने के कारण अग्रिम संविदा (विनियम) अधिनियम, 1952 के उपबंधों के तहत वस्तु वायदा बाजार के विनियामक वायदा बाजार आयोग ने एक विनियामक उपाय के रूप में एक्सचेंजों को ग्वारगम तथा ग्वार की संविदाएं शुरू न करने के अनुदेश दिए हैं।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। वायदा बाजार आयोग को अन्य बातों के अलावा ग्वार की खेती में हुई वृद्धि सहित विभिन्न कारणों के चलते, एक्सचेंजों को ग्वार तथा ग्वारगम की संविदाएं शुरू करने की अनुमति देने के संबंध में राजस्थान के किसानों तथा किसान एसोसिएशनों से बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

[हिन्दी]

लेवी चीनी

3610. श्री भरत राम मेघवाल :
श्री खिलाड़ी लाल बैरवा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौनफेड को 'लेवी शुगर प्राइस इक्वलाइजेशन फंड' (एलएसपीईएफ) के दावो को जारी नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ख) गत 11 वर्षों के दौरान लेवी चीनी मार्जिन में फेरबदल नहीं किए जाने के क्या कारण हैं और कब तक ऐसा किए जाने की संभावना है; और

(ग) लेवी चीनी मार्जिन के फेरबदल के संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) कॉनफैड द्वारा लेवी चीनी मूल्य समकरण निधि (एलएसपीईएफ) दावे भुगतान के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को प्रस्तुत किये जाते हैं। एफसीआई ने सूचित किया है कि कॉनफैड द्वारा मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए प्रस्तुत किये गये लेवी चीनी बिलों और सितम्बर, 2011 से नवम्बर, 2011 तक की अवधि के अनुपूरक बिलों का भुगतान पहले से ही अनंतिम आधार पर 01.03.2013 को कर दिया गया है।

(ख) कॉनफैड द्वारा समर्थक दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने के कारण 1999-2000 से 2010-11 तक की अवधि के लिए लेवी चीनी मार्जिन अंतिम आधार पर अभी तक निर्धारित नहीं किये जा सके। कॉनफैड ने हाल ही में स्पष्टीकरण/दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जो कि विचाराधीन हैं। केन्द्रीय सरकार को यह प्रयास रहता है कि सम्बन्धित राज्य सरकार से सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर छह माह की अवधि के भीतर मार्जिनों में संशोधन कर दे।

(ग) सरकार द्वारा लागत की प्रत्येक मद यथा पूंजी पर ब्याज, परिवहन प्रभारों, व्यवस्थापन प्रभारों, प्रशासनिक प्रभारों, बैंक कमीशन,

खुदरा विक्रेताओं के कमीशन, भंडारण/परिवहन हानि, भंडारण प्रभारों, तुलाई हानि इत्यादि के लिए प्रतिवर्ष लेवी चीनी मार्जिन निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं और इस हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

नक्सलियों के साथ बातचीत

3611. डॉ. रत्ना डे : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नक्सलियों द्वारा स-शपथ हिंसा त्यागने की शर्त पर उनसे बातचीत करने का कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर नक्सलियों की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) 'पुलिस' तथा 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं तथा कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के संबंध में कार्रवाई करने पर उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का होता है, जो राज्यों में वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों से संबंधित विभिन्न मामलों का निपटाने करती है। राज्य सरकारों ने समय-समय पर वामपंथी उग्रवादियों, विशेषकर सबसे हिंसक समूह सीपीआई (माओवादी) से यह अपील की है कि वह हिंसा का त्याग करे तथा स्वयं से संबंधित चिंता के किसी भी मुद्दे के संबंध में वार्ता करे। किन्तु अब तक कोई ठोस परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। सीपीआई (माओवादी) पार्टी दीर्घकालिक जन युद्ध के जरिए संसदीय प्रजातंत्र की मौजूदा प्रणाली को असफल करने में विश्वास रखती है। केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों तथा वामपंथी उग्रवादियों के बीच वार्ता का स्वागत करेगी बशर्ते कि वामपंथी उग्रवादी हिंसा का त्याग करे और भारत संघ के विरुद्ध अपने तथाकथित जन मुद्दे को छोड़ दें।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय चैनलों की विषय वस्तु संबंधी समिति

3612. श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय चैनलों से प्रसारित कार्यक्रमों के प्रभाव के संबंध में अध्ययन करने के लिए कोई समिति/निकाय गठित की है/करने का प्रस्ताव करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई है। तथापि, एक समिति प्रसार भारती के काम-काज की समीक्षा के लिए डॉ. सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में गठित की गई है।

[अनुवाद]

गूंगे और बहरे बच्चों हेतु विद्यालय

3613. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में गूंगे और बहरे बच्चों हेतु आवासीय और गैर-आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने हेतु अनुदान सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न एजेंसियों को कितनी धनराशि संस्वीकृत और जारी की गई तथा उनके द्वारा कितना व्यय किया गया और इस क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया तथा उनके नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार ने अब तक विद्यमान नीति की समीक्षा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) "राज्य सूची" की प्रविष्टि संख्या 9 के अनुसार मूक एवं बधिर बच्चों सहित विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास और देखभाल के कार्यक्रमों का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकारों पर है। तथापि, केन्द्र सरकार मूक एवं बधिर बच्चों सहित विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास करने के राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता प्रदान करती है।

केन्द्रीय क्षेत्र की दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना के अंतर्गत मूक एवं बधिर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय/आवासीय विद्यालयों सहित विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान मू एवं बधिर बच्चों के लिए आवासीय/गैर-आवासीय विद्यालयों की परियोजना संचालित करने के लिए डीडीआरएस के अंतर्गत विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को जारी धनराशि का ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में है। डीडीआरएस के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को निधियां पूर्व के सहायता-अनुदान का उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही जारी की जाती हैं।

(ग) सरकार की नीतियों की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है।

विवरण

डीडीआरएस के अंतर्गत मूक एवं बधिर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय चलाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष के दौरान जारी धनराशि का ब्यौरा

जारी धनराशि (रुपए)

क्र. सं.	विशेष विद्यालय चलाने वाले संगठन का नाम और अवस्थिति	परियोजना का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (14.3.2013 तक की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7
		आंध्र प्रदेश				
1.	एन्नामा स्कूल फॉर दि हियरिंग एंड फिजिकली हैंडीकैप्पड एंड बेबी केयर सेंटर, खम्माम	स्पेशल स्कूल फॉर हियरिंग एंड ओएच	1785472	0	1075781	0
2.	ए हैंडकैप्पड सर्विस फाउंडेशन, ईस्ट गोदावर	बधिर और दृष्टिहीन बच्चों के लिए विशेष स्कूल	1567011	4083653	0	2498070
3.	एजेंसी फॉर रूरल डेवपमेंट रिहैबिलिटेशन एंड एज्युकेशनल सोसायटी, खम्माम		0	2210736	0	0
4.	हियरिंग एंड फिजिकली हैंडीकैप्पड एंड बेबी केयर सेंटर, कृष्णा	ओएच और हियरिंग के लिए विशेष स्कूल	0	606329	0	0
5.	बीआरईएसएच भद्रचालम एजेंसी फॉर रूरल डेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन एंड एज्युकेशनल सोसायटी फॉर हैंडीकैप्पड, खम्माम	एचआई, एमआर और वीटीसी के लिए आवासीय स्कूल	2635187	0	0	0
6.	चैतन्य महिला मंडली, प्रकाशम	डीफ के लिए विशेष स्कूल	2610097	976266	2464890	0
7.	दर्शिनी हैंडीकैप्पड वेलफेयर सोसायटी, कृष्णा	ओएच के लिए आवासीय स्कूल	492293	539590	520527	0
8.	देवनार फाउंडेशन फॉर दि ब्लाइंड, रंगारेड्डी	दृष्टिहीन के लिए आवासीय स्कूल	0	2792609	4883884	0

1	2	3	4	5	6	7
9.	व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास केन्द्र (आंध्र महिला सभा), रंगारेड्डी	एमआर/एचएच के लिए शिक्षा केन्द्र	0	2792609	0	0
10.	दुर्गाबाई देशमुख व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास केन्द्र (आंध्र महिला सभा), हैदराबाद, रंगारेड्डी	एमआर/एचएच के लिए शिक्षा केन्द्र	0	0	4737739	0
11.	एज्युकेशनल सोसायटी ऑफ दि आसिसी सिस्अर ऑफ मेरी इम्माकुलेट, वारंगल	लिटिल फ्लोवर स्पेशल स्कूल फॉर डीफ	1625456	1650791	2160392	0
12.	गीतांजलि अकादमी ऑफ एज्युकेशन, खम्माम	एचएच के लिए विशष स्कूल	0	1161644	0	657536
13.	ग्रेसी आर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट सर्विसेज, निजीमाबाद	मूक व बधिर के लिए विशेष स्कूल	718447	2102867	654921	654921
14.	हेल्लन किल्लर्स स्कूल फॉर एंड मेंटली रिटार्यडिउ चिल्ड्रन, रंगारेड्डी	डे कम आवासीय स्कूल फॉर चीफ एंड एमआर चिल्ड्रन	1415872	3390913	3554480	0
15.	ईम्माकुलेट हियरट ऑफ मैरी सोसायटी, कृष्णा	डीफ के लिए आवासी स्कूल	3277694	378273	1277184	0
16.	महर्षि सामबमुर्ति ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, ईस्ट गोदावरी	पीएच और एचएच लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल	0	769216	1987792	0
17.	मांदवा चैरिटेबल ट्रस्ट, कृष्णा	पीएच के लिए शिक्षा संस्थान और छात्रावास	857804	338032	321852	0
18.	नेहरू युवजन सेवा संगम, चित्तूर	डीफ के लिए आवासीय स्कूल	0	211859	0	0
19.	ओमकार लायन्स एज्युकेशन सोसायटी फॉर दि डीफ, विशाखापत्तनम	डीफ के लिए विशेष स्कूल और होम	0	1113504	2131475	0
20.	परिवर्थन, वेस्ट गोदावरी	हियरिंग इम्पेयरड बच्चों के लिए विशेष स्कूल	615014	2147230	1518993	0
21.	पावनी इंस्टीट्यूट फॉर मल्टीपल हैंडीकैप्पड एंड स्पाष्टिकस, विशाखापत्तनम	एमआर और डीफ के लिए स्कूल	1070048	1299584	2619588	0

1	2	3	4	5	6	7
22.	प्रियदर्शिनी सर्विस आर्गेनाइजेशन, विशाखापत्तनम	मूक और बधिरों के लिए आवासीय स्कूल	960458	2701346	0	0
23.	प्रगति चैरिटीज, नैल्लौर	एचएच के लिए स्कूल (आवासीय)	0	1225768	2813130	0
24.	सरोजनी देवी मैमोरियल सोसायटी, गुन्टूर	एचएच के लिए विशेष स्कूल	0	1107321	1081671	0
25.	सोसायटी ऑफ एज्युकेशन ऑफ दि डीफ एंड ब्लाइंड, विजयनगरम	डीफ के लिए स्कूल और छात्रावास	2765817	0	5972160	0
26.	स्वीकार रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर हैंडिकैप्पड, सिकंदराबाद	डीफ के लिए विशेष स्कूल	4950885	6242229	9742660	0
27.	स्वीकार रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट हैंडिकैप्पड, सिकंदराबाद	ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर दि डीफ	0	406350	614400	0
28.	वाणी एज्युकेशनल अकादमी, कृष्णा	मूक एवं बधिरों के लिए विशेष स्कूल	0	1237255	1798947	0
29.	विकटरी इंडिया चैरिटेबल टेंट ऑफ रिकूर याचट, चित्तूर	मूकों के लिए आवासीय स्कूल	1569618	2613798	0	
30.	वोलेंटरी आर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, कूरनूल	नवजीवन विशेष स्कूल फॉर डीफ	2875162	2946587	4093704	0
		असम				
1.	श्री सेवा आश्रम, धेमाजी	स्पेशल स्कूल फॉल मल्टीपल डिसेबल्ड (एचएच, एमआर/सीपी)	0	1068382	885348	501561
2.	नार्थ हीरापाड़ा वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सोसायटी, दारंग	प्री-स्कूल एंड इरली इंटरवन एंड ट्रेनिंग फॉर एचएच	292002	913728	0	0
		बिहार				
1.	बाबा बैद्यनाथ बालिका मूक बधिर विद्यालय, मुंगेर	एचएच लड़कियों के लिए विशेष स्कूल	994704	2857040	1403475	712890

1	2	3	4	5	6	7
2.	बाबा गरीब नाथ विकलांग साहजन सेवा संस्थान, मुजफ्फरपुर	एचएच के लिए विशेष स्कूल	0	0	3040132	0
3.	शुभम	वीएच और एचएच बच्चों के लिए विशेष स्कूल	800100	802211	0	0
		छत्तीसगढ़				
1.	निशक्त जन कल्याण सेवा समिति, जांगीर	दृष्टिहीन और मूक के लिए विशेष स्कूल	302386	955426	338577	272942
2.	लायन्स चैरिटेबल ट्रस्ट जांगीर	एचएच के लिए विशेष स्कूल	570080	207654	0	0
3.	श्रवण मूक विकलांग अभिभावक संघ	एचएच के लिए विशेष स्कूल	0	337680	0	0
4.	ज्ञानोदय एसोसिएशन, सुरगुजा	श्रवण बाधितों के लिए विशेष स्कूल	808540	0	3824201	0
		दिल्ली				
1.	मैमोरियल महिला बाल एवं श्रवण विकलांग शिक्षा एवं पुनर्वास, संस्था, दिल्ली	एचएच के लिए विशेष स्कूल	0	1234149	0	0
2.	चन्द्रभूषण सिंह मैमोरियल महिला, बाल एवं श्रवण विकलांग शिक्षा एवं पुनर्वास, संस्थान, दिल्ली	एचएच के लिए विशेष स्कूल	0	0	1249599	0
		गोवा				
1.	लोकविश्वास प्रतिष्ठान स्कूल फॉर हैंडीकैप्पड	मूल एव बधिरों के लिए विशेष स्कूल	599696	1404635	0	745200
		गुजरात				
1.	अक्षर ट्रस्ट, वदोदरा	श्रवण विकलांगों के लिए विशेष स्कूल	237374	0	0	0
		हरियाणा				
1.	रोटरी वेलफेयर सोसायटी फाद दि डीफ, अम्बाला	स्पेशल स्कूल फॉर डीफ एंड डम्प चिल्ड्रन	807600	0	1560496	393307

1	2	3	4	5	6	7
2.	एज्युकेशन कम वोकेशनल एसोसिएशन फॉर दि डिसबल्ड, बल्लभगढ़	स्कूल फॉर डीफ, डम्ब, एमआर और ब्लाइंड चिल्ड्रन	793728	1016584	789990	0
3.	एसोसिएशन फॉर दि वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप्पड, फरीदाबाद	बधिर बच्चों के लिए स्कूल	1199070	1115324	748155	565000
		हिमाचल प्रदेश				
1.	एचपी स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, शिमला	स्कूल/होस्टल फॉर डीफ	0	647453	812473	0
		कर्नाटक				
1.	श्री मुरगेन्द्र शिवाचार्य महास्वामी विद्या समास्थे बागलोकोट	एचएच के लिए विशेष स्कूल	0	1019520	0	0
2.	श्री शाथाश्ररूंगा विद्या समास्थे, बेंगलूरु	बधिरों के लिए आवासीय स्कूल	6155634	3417638	1451747	1000000
3.	श्री शाथाश्ररूंगा विद्या समास्थे, बेंगलूरु	डीफ और वीटीसी विकलांगों के लिए आवासीय स्कूल	0	1891210	3334514	0
4.	बेलगांव इंटग्रेटिट सोसायटी, बेलगांव	बधिरों के लिए विशेष स्कूल	478822	262336	509911	0
5.	श्री परमानन्द जन सेवा शिक्षण समिति, बीजापुर	एचएच के लिए विशेष स्कूल	1367614	1324997	1391058	0
6.	श्री शिवशंकर विद्या वर्धक केन्द्र, बीजापुर	मूक और बधिरों के लिए विशेष स्कूल	132030	0	0	0
7.	दि एसोसिएशन ऑफ दि डीफ एंड डम्ब, चित्रदुर्गा	एचएच के लिए विशेष स्कूल	0	792504	1463580	0
8.	मार्गदर्शी रोटरी ट्रस्ट फॉर डिसबल्ड, चित्रदुर्ग	बधिर और बच्चों के लिए आवासीय स्कूल	70370	0	0	0
9.	श्री विनायक एज्युकेशन सोसायटी	एचएच के लिए आवासीय विशेष स्कूल	4103640	6657592	4449885	0
10.	निम्मा एज्युकेशन सोसायटी	बधिरों के लिए आवासीय स्कूल	3844960	2997776	0	0

1	2	3	4	5	6	7
11.	प्रियदर्शिनी जनसेवा सागर, धारवाड	एचएच के लिए आवासीय स्कूल	2969936	2910416	1251825	0
12.	श्री एदाना विद्या प्रसारक समिति, जीएडीएजी	मूक और बधिरों के लिए स्कूल	0	0	1910853	0
13.	श्री बी.डी. तात्ती मैमोरियल चैरिटेबल ट्रेस्ट, जीएडीएजी	मूक और बधिरों के लिए आवासीय स्कूल	5133497	0	3444510	1157500
14.	दक्षिण भारत दलित एज्युकेशन समिति, गुलबर्गा	बधिर लड़कों/लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल	0	0	631545	0
15.	रोटरी ट्रस्ट, हसम	मूक और बधिर स्कूल	0	1272184	3187905	0
16.	सेवा ट्रस्ट फॉर दि ब्लाइंड, हावेरी	बधिरों के लिए आवासीय स्कूल	1489744	1405040	1185200	556000
17.	श्री चन्ना बासेवेशवर ग्रामीण विद्या समास्थे, हावेरी	एचएच के लिए आवासीय स्कूल	1223100	1624086	1616261	0
18.	जय भारत डीफ चिल्ड्रन रेजिडेंशनल स्कूल एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, कोलार	एचएच के लिए आवासीय स्कूल	0	0	2446652	0
19.	जनाना विकास एज्युकेशन ट्रस्ट, मांदया	बधिरों के लिए आवासीय स्कूल	893430	859284	464814	0
20.	मॉटफोर्ट एज्युकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ऑफ दि ब्रदर ऑफ सेंट गाबरीयल, मांदया	एचएच के लिए आवासीय स्कूल	0	909872	1430359	0
21.	डाटर ऑफ अवर लेडी ऑफ मेंसी डीफ एंड डम्ब स्कूल, मैसूर	मूक और बधिर स्कूल	0	1497414	2878170	0
22.	साई रंगा विद्या समास्थे, मैसूर	बधिरों के लिए आवासीय स्कूल	1559874	0	2286994	8000000
23.	श्रीमती पुत्तेरम्मा विस्वास्था आश्रम, मैसूर	बधिर लड़कियों के लिए विशेष स्कूल	1621138	0	1521090	0

1	2	3	4	5	6	7
24.	बापूजी ग्रामीण विकास समिति, उत्तर कन्नाडा	बधिरों के लिए आवासीय स्कूल	0	0	2159165	0
25.	उत्तर कन्नाडा जिला विकलांग कल्याण एसोसिएशन, उत्तर कन्नाडा	एचएच के लिए स्कूल	1180194	0	1737408	0
26.	साई रंगा विद्या समास्थे, समास्थे	बधिरों के लिए आवासीय स्कूल	0	803299		0
27.	वेग ज्योति डीफ एंड डम्ब डिसबल्ड वेलफेयर सोसाइटी उडुपी	एचएच के लिए आवासीय स्कूल	0	859944	0	0
		मध्य पदेश				
1.	मूक बधिर संस्थान (डीफ डम्ब एसोसिएशन) इंदौर	स्पेशल स्कूल फॉर डीफ एंड मल्टीर्पपच ट्रेनिंग सेंटर	629936	982665	1123017	1094259
		महाराष्ट्र				
1.	अंकूर ग्राम विकास संस्था, धुले	एचएच के लिए आवासीय स्कूल	127866	1254134	1407600	723000
2.	शांतिवन अपंग निराधार एंड आदिवासी विकास शिक्षण संस्था, गडचरोली	मूक एवं बधिरों के लिए विशेष स्कूल	1449288	0	0	0
3.	अदिल्यादेवी होल्कर शिक्षण संस्था प्रसारक मंडभ, लातूर	श्रवण विकलांगों के लिए विशेष स्कूल	66251	2127806	1299105	0
4.	गिरिजा शिक्षण प्रारक मंडल, लातूर	मूक एवं बधिरों के लिए विशेष स्कूल	584125	646862	0	0
5.	विदरभा अपंग विकास संस्था, वासिम	मूक एवं बधिरों के लिए आवासीय स्कूल	451468	912420	672156	335000
		मणिपुर				
1.	इंस्टीट्यूट ऑफ सोसल डेवलपमेंट फॉर वकर सेक्शन, एम्फाल	एचएच के लिए विशेष स्कूल	1265022	1340586	1256800	628400

1	2	3	4	5	6	7
2.	रि-क्रियेशन, ए वोलेंटरी एजेंसी (स्पाष्टिक सोसाइटी ऑफ मणिपुर)	प्री स्कूल एंड इरली इंटरवेशन एंड ट्रेनिंग फॉर एचएच	189546	101494	0	218497
3.	टाइप राइटिंग इंसटीट्यूशन एंड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थोबाल	पीएच/एमआरएचआई/सीपी के लिए आवासीय स्कूल	775567	0	1706724	855362
		मिजोरम				
1.	स्पाष्टिक सोसायटी ऑफ मिजोरम, एजवाल	एज्युकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सीपी, एमएच एंड एचएच	0	3118248	1483785	0
		ओडिशा				
1.	महावीर ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट, भद्रक	एचएच के लिए विशेष स्कूल	1140283	0	1170959	1344500
2.	विजय, भद्रक	स्पेशल स्कूल फॉर ब्लाइंड डीफ और डम्ब गर्ल्स	0	0	1084172	586971
3.	सिसु सखा संघ, भुवनेश्वर	मूक एवं बधिरों के लिए विशेष स्कूल	0	1631538	439699	1000000
4.	महाराजा करूशन चन्द्र गजापति स्कूल फॉर दि ब्लाइंड एंड डीफ, गजापति	आवासीय स्कूल फॉर ब्लाइंड एंड डीफ	1246035	1189531	1160821	0
5.	वोलेंटरी आर्गेनाजेशन फॉर रूरल इम्प्रुवमेंट, क्योंझर	विशेष स्कूल फॉर ब्लाइंड एंड डीफ	1545687	0	1996247	0
6.	युबा ज्योति, मलकांगिरि	बधिरों के लिए विशेष स्कूल	276910	0	312192	0
7.	भीमा भोई ग्राम्य उन्नयन संसद, नयागढ़	विशेष स्कूल फॉर ब्लाइंड एंड डीफ	0	0	2623756	0
8.	नीलाचंल सेवा प्रतिष्ठान	विशेष स्कूल फॉर डीफ एंड ब्लाइंड	3319182	0	2982805	0
9.	सरस्वती चैरिटेबल फाउंडेशन, पुरी	एचएच/एमआर/ब्लाइंड के लिए स्कूल	132516	0	2224563	0

1	2	3	4	5	6	7
		पुदुचेरी				
1.	श्री पतचेप्पन सोसायटी फॉर एज्युकेशन, रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ दि हियरिंग इम्पेयरड, पुदुचेरी	एचएच के लिए विशेष स्कूल	1336352	0	1265461	600465
		पंजाब				
1.	पंजाब आईएएस ऑफिसर वीवस एसोसिएशन, चंडीगढ़	एचएच के लिए विशेष स्कूल	618247	0	0	0
2.	जिला रेड क्रास सोसायटी, जालंधर	मूक व बधिरों के बच्चों के लिए विशेष स्कूल	0	2509004	1983998	680000
		राजस्थान				
1.	बधिर बाल कल्याण विकास समिति, भिलवाड़ा	बधिरों के लिए आवासीय स्कूल	812647	518041	315901	665842
2.	एलकेसी श्री जगदम्बा अंध विद्यालय समिति, श्रीगंगानगर	स्कूल कम होस्टल फॉर ब्लाइंड एंड डीफ	4054378	497558	5135005	1000000
		तमिलनाडु				
1.	अजय मैमोरियल फाउंडेशन, चेन्नई	स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयरड	894952	479960	1117760	0
2.	मुथुजाविया एज्युकेशनल एंड कल्चरल फाउंडेशन ऑफ साउथ इंडिया, चेन्नई	स्पेशल स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयरड	0	547824	310890	0
3.	दि स्कूल फॉर यंग डीफ चिल्ड्रन (बाल विद्यालय) चेन्नई	स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयरड	790050	9ड165	2038629	1196932
4.	ईफ्फाथा इंस्टीट्यूट फॉर दि डीफ, कन्याकुमारी	स्पेशल स्कूल फॉर दि डीफ		43390	16470	0
5.	वाइएमसीए कामक हाई स्कूल एंड होम फॉर दि डीफ, मदुरई	मूक व बधिरों के लिए आवासीय स्कूल	159345	569376	1389216	0
6.	हेल्लन केल्लर स्कूल फॉर दि हियरिंग इम्पेयरड, पीम्बालूर	एचएच के लिए विशेष स्कूल	0	0	228360	0

1	2	3	4	5	6	7
7.	फलोरेंस स्वाइंसन हाईहर सैकेंडरी स्कूल फॉर दि डीफ, तिरुनेलवेली	स्पेशल स्कूल कम वीटीसी फॉर डीफ	660825	0	2982337	0
8.	लाईफ ऐड सेंटर फॉर दि डिसबल्ड, त्रिरूवेल्लूर	बधिरों के लिए आवासीय स्कूल	625832	0	300893	698853
9.	वेला इंस्टीट्यूट फॉर सोसल एक्शन एंड डेवलपमेंट, त्रिवेल्लूर	एचएच के लिए विशेष स्कूल	285549	2308542	2164147	0
		त्रिपुरा				
1.	नार्थ त्रिपुरा डेफ एंड डम्ब स्कूल, कैलाशहर	एचएच के लिए स्कूल	0	0	601690	0
		उत्तर प्रदेश				
1.	पराग नारैन मूक बधिर विद्यालय समिति, अलीगढ़	बधिर के लिए स्कूल	960319	7444528	221776	1074600
2.	उत्तर प्रदेश मूक बधिर विद्यालय, इलाहाबाद	बधिरों के लिए आवासीय स्कूल	5601520	0	5739558	0
3.	बधिर बाल विकास समिति, आजमगढ़	मूक और बधिरों के लिए आवासीय स्कूल	2764260	1572840	1582020	0
4.	श्री कृष्णा आदर्श विद्या मंदिर	एमआर और एचएच के लिए विशेष स्कूल	731641	0	0	0
5.	पावहाड़ी समिति परिषद्, गाजीपुर	मूक और बधिरों के लिए आवासीय स्कूल	3052161	1801658	1729087	0
6.	गूंगे बहरों का विद्यालय	बधिरों के लिए स्कूल	1888071	0	0	0
7.	आदर्श मूक बधिर विद्यालय, लखीमपुर	एचएच के लिए विशेष स्कूल	333987	1290761	0	0
8.	रावत शिक्षा समिति, हाथरम	एचआई और वीआई के लिए विशेष स्कूल	0	0	490485	10389485
9.	चेतना, लखनऊ	एचएच के लिए विशेष स्कूल	0	1152290	907825	893405
10.	एनसी चर्तुवेदी स्कूल फॉर डीफ, लखनऊ	बधिरों के लिए स्कूल	1516044	2655896	2464060	10000000

1	2	3	4	5	6	7
11.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस शिक्षा विकास समिति, लखनऊ	मूक और बधिरों के लिए स्कूल	611320	0	0	0
12.	मूक और बधिर स्कूल, मेरठ	मूक और बधिरों के लिए स्कूल	1405040	1945457	1800765	0
13.	फ्रेंडस ऑफ हैंडीकैप्पड-इंडिया, मेरठ	स्पेशल स्कूल फॉर डीफ एंड एमआर		1555271	1745102	0
14.	सर्वहारा उत्थान समिति, मिर्जापुर	एचएच के लिए विशेष स्कूल	554024	367012	345405	017400
15.	सरस्वती एज्युकेशल सोसायटी, मुरादाबाद	विशेष स्कूल फॉर एचएच एंड वीटीसी फॉर डिसबल्ड	1426777	0	1216816	1359781
16.	बीसीजी स्कूल फॉर दि डिफ, वाराणसी	एचआई के लिए विशेष स्कूल	2246358	788482	1544462	0
17.	दि सोसायटी फॉर ख्रीस्ट ज्योति, वाराणसी	एचआई के लिए आवासीय स्कूल	3754476	0	0	0
		उत्तराखंड				
1.	बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, देहरादून	बधिरों के लिए विशेष स्कूल	591008	1699802	453654	0
2.	नन्ही दुनिया बधिर विद्यालय, देहरादून	बधिरों के लिए आवासीय स्कूल	2491496	2587240	0	0
		पश्चिम बंगाल				
1.	डॉ. सैलेन्द्र नाथ मुखर्जी मूक बधिर विद्यालय, बंकुरा	एज्युकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डीफ एंड डम्ब	1655021	5872899	2619060	521588
2.	राम कृष्ण विवेकानन्द मिशन-24 परगना नार्थ	एचएच के लिए विशेष स्कूल	2504021	0	0	0
3.	नार्थ 24 परगना डिसबल्ड पर्सन्स एसोसिएशन	मूक एवं बधिर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	389734	0	0	0
4.	नार्थ बंगाल हैंडीकैप्पड रिहैबिलिटेशन सोसायटी, दार्जिलिंग	एमआर एंड एचएच के लिए विशेष स्कूल	1884192		3881524	0

1	2	3	4	5	6	7
5.	श्री रामपुर चाइल्ड गाईडनैस सेंटर, हुगली	एमआर एंड एचएच के लिए विशेष स्कूल	2143700	1468860	0	0
6.	जलपाईगुडी वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, जलपाईगुडी	एमआर एंड एचएच के लिए विशेष स्कूल	0	0	2768430	0
7.	पेरेंटस ओवन क्लीनिक फॉर डीफ चिल्ड्रन, कोलकाता	बधिर बच्चों के लिए स्कूल	0	1289289	671340	671340
8.	डुंम डुम दीप डेफ एंड डम्ब एंड डम्ब स्कूल क्रेच, कोलकाता	श्रवण विकलांग के लिए स्कूल	389913	0	608934	990477
9.	कोतवाली सालेहा मैमोरियल स्कूल फॉर हियरिंग एंड मेंटली हैंडीकैप्पड, माल्दा	एमएच/एचएच के बच्चों के लिए विशेष स्कूल	0	3674102	2348791	1196422
10.	मोयोना रामकृष्ण एसोसिएशन, मिदीनीपुर	एचएच के लिए विशेष स्कूल	0	971832	888469	0
11.	मिदनापोरे रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर चिल्ड्रन, मिदीनिपुर	एचएच और वीएच, एमआर के लिए आवासीय स्कूल	1493271	3721920	0	0
12.	सेवायतन कल्याण केन्द्र, मिदनापोरे	मूक, बधिर और एमआर के लिए विशेष स्कूल	1970568	0	1417905	0
13.	सेवायतन कल्याण केन्द्र, मिदनापोरे	मूक, बधिर और एमआर के लिए विशेष स्कूल	0	0	2017980	0

जल जमाव की समस्या

3614. श्री नित्यानंद प्रधान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र (एनसीटी), दिल्ली में लोग जल जमा की समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्दन) : (क) और (ख) उन क्षेत्रों में मानसून के दौरान जल जमाव की कोई समस्या नहीं होती जहां नालियां निर्मित की गई हैं। तथापि, दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया है कि इस प्रकार के 70 स्थान है जहां मानसून के दौरान जल जमाव की समस्या देखी जाती है।

(ग) जहां कहीं से जल जमाव की समस्या की सूचना दी जाती है, वहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली छावनी बोर्ड और बाढ़ नियंत्रण विभाग जल निकासी की समुचित प्रणाली की व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त, मानसून के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग निचले इलाकों

से भरे हुए पानी को बाहर निकालने के लिए उचित क्षमता वाले पम्पों की व्यवस्था करता है।

अंतरिक्ष सुरक्षा संबंधी सिफारिशें

3615. श्री पी.आर. नटराजन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों के समूह ने वर्ष 2001 में आंतरिक सुरक्षा तथा आसूचना आदि पर कुछ सिफारिशें की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सिफारिशों की कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। 1999 में कारगिल में पाकिस्तान के छापे के बाद भारत सरकार ने कारगिल पुनरीक्षा समिति गठित की थी और इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सामग्री की समग्र समीक्षा के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया गया था। मंत्री समूह द्वारा वर्ष 2001 में दी गई संगत सिफारिशे निम्नानुसार हैं:-

'चरमपंथियों और अलगावादी आंदोलनों, जिन्हें बाहर से सहायता प्रदान की जाती है और अपराध के लिए भड़काया जाता है, से पैदा हुए बढ़ते आंतरिक्ष सुरक्षा खतरों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय और राज्य आसूचना एजेंसियों (अथवा राज्य विशेष शाखाओं) के साथ-साथ अर्ध-सैनिक आसूचना शाखाओं के बीच और अधिक समन्वय की जरूरत है। उन्हें न केवल आसूचना प्राथमिकताओं, जरूरतों और अपेक्षाओं का निर्धारण करना चाहिए, अपितु, आसूचना कार्रवाइयों को कारगर बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस दिशा में गृह मंत्रालय द्वारा समुचित औपचारिक प्रबंधों का आकलन किया जाना चाहिए, ताकि आसूचना संबंधी संयुक्त कार्य दल की अवधारण को वास्तविक रूप दिया जा सके। आसूचना पर एक स्थायी संयुक्त कार्य दल (जीटीएफआई) का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें आसचूना प्राथमिकताओं के निर्धारण के साथ-साथ आसूचना आवश्यकताओं, अपेक्षाओं और देश भर में प्रशिक्षण सुविधाओं हेतु आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय के साथ-साथ संबंधित राज्यों और केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलो की आसूचना शाखाओं के प्रतिनिधियों के साथ अग्रणी भूमिका अदा करेगा। यह संग्रहण, संसाधन एवं विश्लेषण के सभी पहलुओं हेतु एक सुसंगत बहु-आसूचना दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए समुचित संगठनों को विशिष्ट उत्तरदायित्व सौंपेगा। आसूचना संबंधी संयुक्त कार्य दल (जेटीएफआई) कार्य प्रदायगी तथा मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी होगा। यह आसूचना आवश्यकताओं की प्रभावशाली सहायता के लिए विभिन्न एजेंसियों- सिग्नल आसूचना (सिग्नाइट), संचार आसूचना (केमिन्ट) तथा फोटोग्राफिक आसूचना (फोटोइंट)/इमेजरी आसूचना (इमिंट) की सामूहिक तकनीकी आसूचना क्षमताओं के संयोजन द्वारा तकनीकी विशेषताओं को कारगर बनाने की कोशिश करेगा। आसूचना संबंधी संयुक्त कार्यदल (जेटीएफआई) उन समस्याओं, जिनमे प्राटोकॉल और संयुक्त प्रबंधन की विशेषता की जरूरत होती है, की पहचान करने हेतु समय-समय पर अंतर-एजेंसी समीक्षा करेगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा को वहन करने का महत्वपूर्ण आधार हो सकती है। मंत्री समूह की सिफारिशों के अनुसार, आसूचना प्रयासों को कारगर बनाने के लिए दिल्ली में बहु-एजेंसी केन्द्र (एमएसी) तथा विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए विन्नि राज्यों में सहायक बहु-एजेंसी केन्द्र (एमएमएसी) का सृजन किया गया था। भारत के गृह मंत्री ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की तथा बहु-एजेंसी केन्द्र (कार्य शक्तियों और कर्त्तव्य) आदेश, 2008, 31 दिसम्बर, 2008 को जारी किया गया। बहुत एजेंसी केन्द्र-सहायक बहुत एजेंसी केन्द्र 2002 से कार्य कर रहा है तथा इसे 2009 से पुनः प्रचालनात्मक बनाया गया है। उपर्युक्त आदेश के अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में नई दिल्ली में बहु-एजेंसी केन्द्र तथा राज्य स्तर एवं अन्य एजेंसियों के आसूचना विंगों के मुख्यालयों के सहायक बहु-एजेंसी केन्द्रों में चौबीसों घंटे कार्य करने वाले नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं ताकि समय पर सूचना का आदान-प्रदान तथा आसूचना एजेंसियो के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। प्रत्येक कार्य दिवस को 25 सदस्य एजेंसियों के नोडल अधिकारियों की दैनिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इस समय एमएसी-एसएमएसी नेटवर्क में पूरे देश में फैले 416 नोड्स हैं और वे नई दिल्ली में एमएसी मुख्यालय से जुड़े हुए हैं। इसमें राज्य राजधानियों में 31 एसएमएसी मुख्यालय तथा 32 एमएसबी शामिल हैं। ये नोड्स बीएसएनएल/ एमटीएनल की 2/एमबीपीएच लीज्ड लाइनों से जुड़े हुए हैं। 14 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार 416 में से 362 नोड्स स्थापित कर दिए गए हैं तथा इन्हें क्रियाशील बा दिया गया है।

इसके अतिरिक्त मंत्री समूह की सिफारिशों के अनुसरण में आसूचना संबंधी संयुक्त कार्य दल अप्रैल, 2000 में गठित किया

गया। आसूचना संबंधी कार्यदल का गठन केन्द्र और राज्य स्तरों पर आसूचना एजेंसियों के प्रयासों का समन्वय करने के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त, एक से अधिक राज्यों से संबंधित आंतरिक खतरों से निपटने के लिए अंतर राज्य आसूचना सहायता दलों का भी गठन किया गया है। इस समय 25 राज्यों मे अंतर-राज्य आसूचना सहायता दलों का गठन किया गया है (वे राज्य, जिनमें अंतर-राज्य आसूचना सहायता दलों का गठन नहीं किया गया था, में गुजरात, गोवा और सिक्किम शामिल हैं) तथा चार संघ राज्य क्षेत्रों में इनका गठन किया गया है (जिन संघ राज्य क्षेत्रों में अंतर-राज्य आसूचना सहायता दल गठित नहीं किए गए हैं, उनमें दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तथा दिल्ली शामिल हैं) इसके अतिरिक्त आसूचना समन्वय समूह एनएसीएस, राष्ट्रीय आसूचना बोर्ड आदि का भी गठन किया गया है।

नकली ब्रांडेड सामग्री

3616. श्री जयराम पांगी :
श्री पी. करुणाकरन :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि नकली ब्रांडेड सामग्रियों का उत्पादन तथा बिक्री देश-भर में बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने मामलों की रिपोर्ट और कितनी नकली सामग्रियां जब्त की गई;

(ग) क्या इस कदाचार के कारण सरकार को राजस्व की हानि का अनुमान लगाने के लिए आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके क्या परिणाम हुए; और

(ङ) सरकार देश में ऐसे कदाचार को रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

एमसीडी हेल्पलाइन नम्बर

3167. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के हेल्पलाइन नम्बर से एमसीडी के अधिकारियों के विरुद्ध लापरवाही, भ्रष्टाचार तथा अन्य अनियमितताओं के क्षेत्र-वार कुल कितने मामले प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके क्या परिणाम हैं और उक्त अवधि के दौरान दोष अधिकारियों के विरुद्ध क्य कार्रवाई की;

(घ) क्या ऐसी शिकायतों की जांच करते समय सरकार ने अधिकारियों के निष्पादन की भी समीक्षा की है ताकि एमसीडी से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या उपाय किये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) लापरवाही, भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं से संबंधित मामलों का निपटान एमसीडी की हेल्पलाइन द्वारा नहीं किया जाता है और इसलिए सभी तीन दिल्ली नगर निगमों (डीएमसी) को ऐसी कोई भी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) और (ङ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

पुलिस कार्मिकों की कमी

3618. डॉ. पी. वेणुगोपाल :
श्री सी. शिवासामी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बहुत से राज्य अपने राज्यों में नक्सलियों से लड़ने के लिए पुलिस कार्मिकों/बलों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्य में नक्सलियों से लड़ने के लिए अवसंरचना प्रदान करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (घ) यह एक वास्तविकता है कि वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित कुछ राज्यों के पुलिस बलों की स्वीकृत पद संख्या में रिक्तियां हैं। गृह मंत्रालय संबंधित राज्यों के साथ समीक्षा बैठकों के दौरान रिक्तियों की स्थिति की निरंतर निगरानी करता है। केन्द्र सरकार अन्य बातों के साथ-साथ माओवादी विद्रोह से निपटने में राज्य पुलिस बलों की सहायता करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती सहित अनेक प्रकार से राज्य सरकारों के प्रयासों में अतिरिक्त मदद भी प्रदान करती है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में राज्य पुलिस की सहायता के लिए सीएपीएफ की कुल 81 बटालियन और 01 इंडिया रिजर्व नागा बटालियन तैनात है। भारत सरकार एल डब्ल्यू ई-प्रभावित सभी राज्यों में स्थिति की निरंतर समीक्षा करती रहती है और प्रभावित राज्यों की आवश्यकताओं तथा उपलब्धता के अनुसार नक्सल-रोधी कार्रवाई में राज्य पुलिस बलो की सहायता के लिए अतिरिक्त सीएपीएफ बटालियनों को लगाया जाता है।

केन्द्र सरकार, सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस) और एलडब्ल्यू ई-प्रभावित जिलों में 400 सुरक्षित पुलिस स्टेशनों के निर्माण/मजबूतीकरण जैसी योजनाओं के माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए प्रभावित राज्यों को सहायता भी प्रदान करती है। केन्द्र सरकार ने उग्रवादी-रोधी और आतंकवाद-रोधी (सीआईएटी) स्कूलों को स्थापना और इंडिया रिज़र्व (आईआर) बटालियनों के गठन में भी राज्यों की सहायता की है। इन राज्यों को कुछ निश्चित कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर भी प्रदान किए जाते हैं।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारत सरकार एलडब्ल्यूई-प्रभावित राज्यों को इस समस्या से पक्के इरादे से निपटने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है।

[हिन्दी]

दिल्ली यातायात पुलिस में भ्रष्टाचार

3619. श्री अंजनकुमार एम. यादव :
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र (एनसीटी), दिल्ली में दिल्ली यातायात पुलिस कार्मिकों का अपराध/भ्रष्टाचार में लिप्त होने के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष चालू वर्ष के दौरान रैंक-वार तथा अपराध-वार ऐसे कुल कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) क्या दिल्ली यातायात पुलिस के किसी कार्मिक के पास अपने आय के ज्ञात स्रोत से अधिक सम्पत्ति पाई गई है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम हैं और ऐसे कार्मिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का रैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) अपराध/भ्रष्टाचार में यातायात पुलिस कार्मिकों की संलिप्तता के संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	भ्रष्टाचार में यातायात पुलिस कार्मिकों की संलिप्तता के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या					
	निरीक्षक	उप-निरीक्षक	एएसआई	हेड कांस्टेबल	सिपाही	कुल
1	2	3	4	5	6	7
2010	14	20	19	64	53	170

1	2	3	4	5	6	7
2011	07	21	34	35	37	134
2012	19	21	15	29	37	121
2013 (28.02.2013 तक)	00	00	02	02	01	05

वर्ष	अपराध में यातायात पुलिस कार्मिकों की संलिप्तता के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या
2010	08
2011	12
2012	10
2013 (28.02.2013 तक)	02

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (ग) के दृष्टिकोण से प्रश्न नहीं उठता।

(च) ऐसी गतिविधियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एंटी-करप्शन ब्रांच द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) जब कभी भी शिकायत प्राप्त होती है, आरोपी अधिकारी/कर्मचारी के यहां छापामारी की जाती है।

(ii) लोक कार्य के संबद्ध अनेक संवेदनशील विभागों के सूचना बोर्डों पर एंटी-करप्शन शाखा के विवरण प्रदर्शित किए जाते हैं ताकि आम लोग वहां संपर्क कर सकें।

(iii) लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरुकता सप्ताह आयोजित की जाती है।

(iv) लोगों के फोन कॉल को सुनने और उनकी शिकायतों के हल के लिए एंटी-करप्शन शाखा ने 24 घंटे अधिकारियों को तैनात कर रखा है।

[अनुवाद]

कर्नाटक को कोयले की आपूर्ति

3620. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक को विद्युत उत्पादन के लिए प्रतिमाह कितने कोयले की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) क्या कोयले की समय पर आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण राज्य में विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने राज्य में कोयले की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) चालू वर्ष में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के स्रोतों से कर्नाटक के विद्युत स्टेशनों को कोयले की औसत मासिक कोयला आपूर्ति 0.347 मिलियन टन रही है।

(ख) और (ग) सीआईएल को इस बात की जानकारी नहीं है कि कोयले की समय पर आपूर्ति न होने के कारण कर्नाटक में विद्युत उत्पादन प्रभावित हो रहा है। कर्नाटक के विद्युत संयंत्रों के मामले में चालू वित्तीय वर्ष (फरवरी, 2013 तक) में सीआईएल के स्रोतों से कोयले की आपूर्ति 3.82 मिलियन टन रही है जो कि ईंधन आपूर्ति समझौता/समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अंतर्गत प्रतिबद्धित मात्रा 5.07 मिलियन टन का 75% है।

(घ) कर्नाटक के विद्युत संयंत्रों सहित विद्युत उपयोगिता क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति की मॉनीटरिंग नियमित रूप से मंत्रिमंडल सचिवालय की अवसंरचना समीक्षा समिति द्वारा गठित एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह द्वारा की जाती है जिसमें विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं। यह उप-समूह कोयले की भंडार की नाजुक स्थिति सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किन्हीं आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए प्रचालन संबंधी निर्णय लेता हैं मॉनीटरिंग तंत्र से यह सुनिश्चित हुआ है कि कर्नाटक के तापीय विद्युत संयंत्रों के भंडार में सुधार होकर 1.4.2012 को 0.06 मिलियन टन से 28.02.2013 को 0.16 मिलियन टन हो गया है।

दांडी मार्च पर जीवंत स्मारक

3621. श्री पी. विश्वनाथन : क्या **संस्कृतिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दांडी मार्च पर 'जीवंत स्मारक' बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त स्मारक के कब तक बनाए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) से (ग) जी, हां। उच्च स्तरीय दांडी स्मारक समिति की सिफारिशों के आधार पर महात्मा गांधी और दांडी में नामक सत्याग्रह में भाग लेने वाले उनके अनुयायियों की मूर्तियां स्थापित करने के लिए एक स्मारक अभिकल्पिक किया गया है। दांडी स्मारम के लिए गुजरात सरकार से पर्यावरणीय निर्बाधता-पत्र प्राप्त होने पर, के.लो.नि.वि. द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। स्मारक का निर्माण वर्ष 2014-15 तक होने की संभावना है।

[हिन्दी]

दृष्टिहीन नि:शक्तों को पदोन्नति

3622. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रोजगार में दृष्टिहीन नि:शक्तों को कोई प्राथमिकता/प्रोत्साहन दे रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि आंशिक रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति विभागीय प्रोन्नयन हेतु ली जाने वाली परीक्षा में अन्य कर्मचारियों से प्रतिस्पर्धा करने में अक्षम होते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के मुद्दों को निपटाने तथा उनके हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) (पीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के अनुसार, प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक प्रतिष्ठान में विकलांग व्यक्तियों अथवा वर्गों के लिए रिक्तियों का न्यूनतम तीन प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करेगी जिसमें से निम्नलिखित विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत आरक्षण प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचाने गए पदों में करेगी:—

(i) अंधता अथवा अल्प दृष्टि;

(ii) श्रवण बाधिता; और

(iii) चलन संबंधी विकलांगता अथवा प्रमस्तिष्क अंगघात।

इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के रोजगार के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन की अपनी योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र में दिनांक 1.4.2008 को अथवा इसके पश्चात् नियोजित 25,000/- रुपये प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले दृष्टिबाधित व्यक्तियों सहित विकलांग कर्मचारियों के लिए 3 वर्षों तक कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) के लिए नियोजक का अंशदान दान करती है।

(ख) से (घ) सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए नियमित और प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन के लिए समरूप और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

[अनुवाद]

अपराध के संबंध में एनएचआरसी की सिफारिशें

3623. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध तथा उनके साथ दुर्व्यवहार के अनेक मामलों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनएचआरसी ने केन्द्र और राज्य सरकारों को ऐसे मामलों की जांच करने तथा पीड़ितों को मुआवजा देने हेतु कोई निर्देश जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र और राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने महिलाओं और बच्चों के मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन की शिकायतों का संज्ञान लिया है। विगत तीन वर्षों के दौरान महिलाओं और बच्चों के मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन और महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार के संबंध में राज्य-वार दर्ज किए गए मामलों की संख्या दर्शाने वाले ब्यौरे संलग्न विवरण क्रमशः I, II और III में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) गृह मंत्रालय इस बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दिए गए ऐसे किसी निदेश से अवगत नहीं है।

विवरण-I

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

महिलाओं के मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के बारे में दर्ज किए गए राज्य-वार कुल मामलों की संख्या

(14.3.2013 की स्थिति के अनुसार सीएमएस के अनुसार आंकड़े)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	01.04.2010 से 31.03.2011	01.04.2011 से 31.03.2012	01.04.2012 से 28.02.2013
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	44	64	53
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	1
3.	असम	11	9	21
4.	बिहार	190	201	202
5.	गोवा	2	3	7
6.	गुजरात	49	31	58
7.	हरियाणा	245	314	1015
8.	हिमाचल प्रदेश	13	13	20
9.	जम्मू और कश्मीर	6	9	18
10.	कर्नाटक	18	25	66
11.	केरल	15	17	13
12.	मध्य प्रदेश	153	152	195
13.	महाराष्ट्र	80	95	98
14.	मणिपुर	0	5	6
15.	मेघालय	1	4	2
16.	मिजोरम	0	2	0
17.	नागालैंड	0	0	1
18.	ओडिशा	63	115	124
19.	पंजाब	59	65	172
20.	राजस्थान	193	261	278
21.	सिक्किम	0	1	0
22.	तमिलनाडु	38	64	84
23.	त्रिपुरा	5	3	7
24.	उत्तर प्रदेश	4240	4645	3846
25.	पश्चिम बंगाल	68	76	119
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	13	3
27.	चंडीगढ़	8	9	20
28.	दादरा और नगर हवेली	1	0	0
29.	दमन और दीव	0	1	0

1	2	3	4	5
30.	दिल्ली	362	497	718
31.	लक्षद्वीप	0	0	0
32.	पुदुचेरी	1	3	3
33.	छत्तीसगढ़	17	28	29
34.	झारखंड	81	110	89
35.	उत्तराखंड	136	110	126
	कुल योग	6100	6946	7394

विवरण-II

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

बच्चों के मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के बारे में दर्ज किए गए राज्य-वार कुल मामलों की संख्या

(14.3.2013 की स्थिति के अनुसार सीएमएस के अनुसार आंकड़े)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	01.04.2010 से 31.03.2011	01.04.2011 से 31.03.2012	01.04.2012 से 28.02.2013
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	17	24	31
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1
3.	असम	9	6	10
4.	बिहार	19	27	69
5.	गोवा	0	1	4
6.	गुजरात	10	12	21
7.	हरियाणा	30	55	296
8.	हिमाचल प्रदेश	1	3	4
9.	जम्मू और कश्मीर	1	3	11
10.	कर्नाटक	12	10	23
11.	केरल	4	9	15
12.	मध्य प्रदेश	15	41	43
13.	महाराष्ट्र	81	62	91
14.	मणिपुर	2	0	2
15.	मेघालय	2	5	2
16.	मिजोरम	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0
18.	ओडिशा	56	100	47
19.	पंजाब	2	8	71
20.	राजस्थान	18	28	55
21.	सिक्किम	0	0	0
22.	तमिलनाडु	8	22	27
23.	त्रिपुरा	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	142	223	281
25.	पश्चिम बंगाल	15	14	44
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	1
27.	चंडीगढ़	0	4	8
28.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0

1	2	3	4	5
29.	दमन और दीव	0	0	0
30.	दिल्ली	90	163	273
31.	लक्षद्वीप	0	0	0
32.	पुदुचेरी	0	0	0
33.	छत्तीसगढ़	6	7	25
34.	झारखंड	11	21	20
35.	उत्तराखंड	9	7	16
	कुल योग	560	855	1491

विवरण-III

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

विगत तीन वर्षों के दौरान 28.02.2013 तक बच्चों और महिलाओं के दुर्व्यापार के बारे में दर्ज किए गए कुल मामलों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

(14.3.2013 की स्थिति के अनुसार सीएमएस के अनुसार आंकड़े)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2010-11		2011-12		2012-13	
	बच्चों का दुर्व्यापार	महिलाओं का दुर्व्यापार	बच्चों का दुर्व्यापार	महिलाओं का दुर्व्यापार	बच्चों का दुर्व्यापार	महिलाओं का
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	1	2	0	1	1	1
असम	1	1	0	0	1	0
बिहार	0	0	0	0	1	0
चंडीगढ़	0	1	0	0	1	0
छत्तीसगढ़	0	0	1	1	0	1
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	1	2	4	7	8	10
गोवा	0	0	0	0	0	1
गुजरात	0	1	0	0	0	0
हरियाणा	0	2	1	3	1	5

1	2	3	4	5	6	7
हिमाचल प्रदेश	0	1	0	0	0	0
झारखंड	0	0	0	2	0	3
कर्नाटक	1	2	0	0	0	1
केरल	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	1	1	2	4	0	2
महाराष्ट्र	0	1	0	5	0	0
मणिपुर	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	0	4	6	1	0	0
पंजाब	0	0	1	1	1	1
राजस्थान	0	0	1	2	3	4
तमिलनाडु	0	0	0	1	0	0
उत्तर प्रदेश	4	15	3	25	4	13
उत्तराखंड	0	1	0	0	3	1
पश्चिम बंगाल	1	0	4	1	1	0
कुल	10	34	23	54	25	43

लक्षद्वीप का भूमि संबंधी अभिलेख

3624. श्री हमदुल्लाह सईद : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप में भूमि संबंधी अभिलेख राजस्व कानून के तहत सावधानीपूर्वक रखे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान पंजीकृत भूमि अभिलेखों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकार को संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में संबंधित अधिकारियों द्वारा भूमि अभिलेखों का पंजीकरण नहीं किए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों में भूमि का पंजीकरण तथा अभिलेखों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैः—

2010	—	973
2011	—	1139
2012	—	993
2013	—	140

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने दिनांक 11.02.2013 को एक आदेश जारी किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूमि के लेनदेन का पंजीकरण न रुके।

मोटे अनाजों का उत्पादन

3625. श्री संजय निरुपम :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में पोषक अनाजों/मोटे अनाजों के उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश में पोषक अनाजों/मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पोषक अनाज/मोटे अनाज, गेहूं और चावल से ज्यादा पोषक होती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) विगत तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष अर्थात् 2009-10 से 2012-13 के दौरान पोषक अनाजों/बाजरा (मोटे अनाजों) के उत्पादन के राज्य-वार ब्यौरा (दूसरे अग्रिम अनुमान) विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) बाजरा आधारित खाद्य उत्पादों की खेती एवं खपत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने देश के 16 मुख्य बाजरा उत्पादक राज्यों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के एक उप-योजना के रूप में "सघन बाजरा बढ़ावा के माध्यम से पोषाहार सुरक्षा पहल" के अंतर्गत 2011-12 में 300.00 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की।

उक्त कार्यक्रम का लक्ष्य देश में बाजरा उत्पादन में वृद्धि को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक प्रभाव के साथ एकीकृत तरीके से उन्नत उत्पादन एवं पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करना है। योजना से यह भी आशा है कि वह मूल्य वर्धन तकनिकियों के माध्यम से बाजरा आधारित उत्पादों के लिए उपभोक्ता की मांग की सृजित करे।

(घ) और (ङ) पोषक अनाजों/मोटे अनाजों तथा अन्य खाद्यान्नों अर्थात् चावल, गेहूं आदि के अपने स्वयं के पोषाहार मूल्य हैं। कोई भी पृथक खाद्यान्न लोगों की पोषाहार अपेक्षाओं को स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं कर सकता है। अन्य खाद्य सामग्रियों के अतिरिक्त संतुलित आहार अनाजों (गेहूं/चावल) एवं बाजरा दोनों का मिश्रण है।

विवरण

2009-10 से 2012-13 के दौरान मोटे अनाजों का उत्पादन

राज्य/संघ शासित प्रदेश	उत्पादन ('000 टन)			
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	3318.0	4444.0	4227.1	5090.0
अरुणाचल प्रदेश	78.6	84.7	90.5	#

1	2	3	4	5
असम	17.2	17.0	18.2	17.0
बिहार	1508.0	1484.5	1648.3	1576.8
छत्तीसगढ़	181.8	231.9	209.9	204.4
गोवा	0.8	0.1	0.1	#
गुजरात	1600.0	2102.6	2232.3	2174.0
हरियाणा	1132.0	1369.0	1387.0	1095.0
हिमाचल प्रदेश	563.5	704.1	752.1	766.9
जम्मू और कश्मीर	513.3	550.9	528.1	534.8
झारखंड	216.9	278.5	330.1	428.4
कर्नाटक	5895.0	7845.3	6813.0	5960.8
केरल	2.2	1.4	0.6	0.9
मध्य प्रदेश	2041.2	2166.6	2467.1	2297.4
महाराष्ट्र	6293.3	7323.6	6122.0	4277.1
मणिपुर	11.7	41.5	45.9	#
मेघालय	28.2	27.6	28.3	#
मिजोरम	11.5	13.6	8.4	#
नागालैंड	76.8	145.2	144.0	#
ओडिशा	230.3	360.5	259.4	277.8
पंजाब	527.1	538.0	552.0	500.9
राजस्थान	3907.2	8092.5	7464.7	6103.7
सिक्किम	74.2	74.8	73.8	#
तमिलनाडु	1642.0	1556.5	2323.8	2511.4
त्रिपुरा	2.0	4.1	5.1	#

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	2968.8	3217.6	3566.0	3449.0
उत्तराखंड	297.0	335.0	331.0	338.0
पश्चिम बंगाल	404.0	370.4	376.4	437.8
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.4	0.4	0.3	#
दादरा और नगर हवेली	1.9	2.6	1.8	#
दिल्ली	3.3	12.1	34.0	#
दमन और दीव	0.5	0.4	0.0	#
पुदुचेरी	0.2	0.1	0.1	#
अन्य	एनए	एनए	एनए	425.2
अखिल भारत	33549.1	43397.1	42041.3	38467.3

08.02.2013 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान।

एनए : लागू नहीं।

#अन्यों में शामिल।

गलत बिल दिया जाना

3626. श्री ए.के.एस. विजयन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों और चालू-वर्ष के दौरान देश में कम्पनी आउटलेटों तथा प्राधिकृत अनुरक्षण केन्द्रों द्वारा गलत बिल तथा अन्य उपभोक्ता विरोधी कदाचार के संबंध में बड़ी संख्या में प्रकाश मे आने वाले मामलों पर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध मे किये गये उपचारात्मक उपायों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) सरकार, उपभोक्ता मामले विभाग के ध्यान में ऐसी कोई विशेष शिकायत नहीं आई।

पर्यावरण पर खनन का प्रभाव

3627. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण पर कोयला के खनन प्रसंस्करण, अंतिम-उपयोग तथा कचरा निपटान के प्रभाव का पता लगाने के लिए अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कोयला खनन क्षेत्रों में भूजल के स्तर, भूमि अवक्रमण, वायु प्रदूषण पर खनन का क्या प्रभाव होता है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार ने कोयला खनन संबंधी सभी पर्यावरणीय मुद्दों को निपटाने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं/कार्य-योजना तैयार की है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) किसी कोयला खान/परियोजना को शुरू करने के पूर्व कोयला खनन परियोजनाओं के कारण प्रसंस्करण, अन्त्य उपयोग तथा अपशिष्ट के निपटान सहित मौजूदा पर्यावरण पर प्रभाव का आकलन एक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययन द्वारा प्रत्येक खान/परियोजना के लिए किया जाता है। तथा उसके आधार पर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार की जाती है जिसका अनुमोदन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

(ख) खनन के प्रभाव निम्नलिखित अनुसार हैं:—

भू-जल स्तर

भू-जल स्तर सतह की स्थिति पर निर्भर करते हुए सक्रिय खनन क्षेत्र से आगे 150 मी. से 200 मीटर के बीच प्रभावित होता है। यह खनन लीज-होल्ड क्षेत्र के भीतर है तथा खान की सुरक्षा क्षेत्र के काफी भीतर है। भू-जल स्तर कम होना, खनन स्थलों को खनन योग्य बनाए रखने के लिए भू-जल की पंपिंग के कारण प्रभावित क्षेत्र में देखा गया है। यह एक अस्थायी लक्षण है जो दो मानसूनों तक चलता है और क्रमिक रूप से जल स्तर वापस अपने मूल स्तर तक चला जाता है। खान के बंद होने के बाद भू-जल का स्तर अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। वास्तव में खनन के बाद कुछ भूमिगत तथा ओपनकास्ट खानों का उपयोग पड़ोसी आबादी को मीठे जल के भंडार तथा जमीन के नीचे रिचार्जिंग स्रोतों के रूप में किया जा रहा है।

भू-निम्नीकरण

ओपन कास्ट खानों के मामले में ओबरवर्डन अर्थात् कोयला सीम पर पड़ी चट्टान अथवा मिट्टी, को कोयले के निष्कर्षण के पूर्व हटाया जाता है। इस ओबरवर्डन को आंतरिक डम्पिंग स्थानों के सृजित होने तक बाह्य डम्प के रूप में सतह पर डम्प किया जाता है। उसके बाद ओबरवर्डन (ओबी) खनित क्षेत्र पर तथा कोयला निकाले गए क्षेत्रों पर आंतरिक डंप के रूप में डंप किय जाता है। इस प्रक्रिया में ओपनकास्ट खान का उत्खनित क्षेत्र निम्न हो जाता है। भूमिगत खान के लिए खान के मुहानों के निकट एक बहुत सीमित क्षेत्र का निम्नीकरण किया जाता है।

वायु प्रदूषण

कोयला खानों में वायु प्रदूषण छोटे-छोटे पदार्थों तथा गैसों के तेजी से निकालने के कारण होता है। ड्रिलिंग, विस्फोटन, हाल सड़कों पर हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी की आवाजाही, संग्रह, ढुलाई तथा कोयले की हैंडलिंग, स्क्रीनिंग, साइजिंग जैसे खनन प्रचालन तथा पृथक्करण इकाइयां ऐसी एमिशन के प्रमुख स्रोत हैं। भूमिगत खान के लिए वायु-प्रदूषण कोयले की हैंडलिंग और ढुलाई के कारण होता है।

(ग) और (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित संबंधित कोयला परियोजना के पर्यावरण प्रबंध योजना तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी किये गए पर्यावरण अनुमोदन के अनुसार निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं:—

वायु प्रदूषण नियंत्रण:

निर्धारित एवं पोर्टेब्ल वाटर स्प्रिकलरों द्वारा हाल तथा कोयला परिवहन सड़कों, कोयला रख-रखाव संयंत्रों, सभी कोयला अंतरण स्थलों, कोयला एवं ओवरबर्डर मुहानों, कोयला स्टॉक संचयनों में नियमित पानी के छिड़काव के माध्यम से वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता रहा है। अन्य उपायों में धूल को संचित करने वाले ड्रिल सिस्टमों/वेट ड्रिलिंग, कोयला परिवहन-सड़कों की ब्लेक/टोपिंग/कंक्रीटिंग शामिल हैं। व्यवहार्यता के अनुसार प्रदूषण को कम करने हेतु कोयला परिवहन तथा सड़क परिवहन में कमी लाने के लिए अधिक से अधिक बेल्ट कन्वेयरों, रेल आदि के उपयोग के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। खानों में तथा इन के इर्द-गिर्द अत्यधिक वृक्षारोपण भी पड़ोसी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करता है।

जल प्रदूषण नियंत्रण:

सेडीमेंटों को रोकने के लिए सेडीमेंट तालाब के माध्यम से खान का जल निकाला जा रहा है और प्राकृतिक जल बहावों में बहाव से पूर्व संभव सीमा तक शोधन के पश्चात् लाभकारी उपयोग जैसे घरेलू, औद्योगिक एवं कृषि प्रयोजनों के लिए क्लीन रनओफ का प्रयोग किया जा रहा है। कार्यशालाओं के निस्सारों को तेल तथा ग्रीन नलों से निकाला जाता है तथा उसे धूल के दमन के लिए एवं सफाई के प्रयोजनार्थ उसे पुन: उपयोग में लाया जाता है। बड़ी खानों में घरेलू निस्सारों को घरेलू निस्सार शोधन संयंत्रों में और अन्य खानों में सेप्टिक टैंकों में शोधित किया जा रहा है।

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण:

ध्वनि प्रदूषण के उपकरणों, उपयुक्त रखरखाव एवं पृथक्करण के सावधानीपूर्वक चयन के माध्यम से नियमित किया जाता है।

उच्च शोर के स्तर से प्रभावित व्यक्तियों को ईयर मफ्स किये जा रहे हैं। यह कार्य स्थानों एवं रिहायशी क्षेत्रों में वृक्षारोपण के अलावा है।

पारिस्थितिकीय क्षति का नियंत्रण:

वास्तविक तथा जैविक रूप से पुनरुद्धारित खनित क्षेत्रों में एवं ओबी डम्प क्षेत्रों पर वृक्षारोपण, खानों तथा इनके इर्द-गिर्द, सड़कों के दोनों तरफ, टाउनशिप/रिहायशी-क्षेत्रों, उपलब्ध खाली स्थानों पर वृक्षारोपण, पर्यावरणीय अनुमोदन के अनुसार वनस्पति तथा वन जीव जगत के संरक्षण हेतु संरक्षण योजना को कार्यान्वित करके इसे नियंत्रित किया जा रहा है। यह वन विभागों के लिए प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु किये गए भुगतान के अलावा है।

इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रचालन शर्तों की अनुमति के अनुपालन में पर्यावरणीय संरक्षण उपाय किये जाते हैं। किये गए पर्यावरणीय उपायों की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार विभिन्न पर्यावरणीय विशेषताओं की नियमित रूप से निगरानी की जाती है तथा यदि अपेक्षित हो तो नियामक अभिकरणों की निर्धारित सीमाओं के भीतर विभिन्न पर्यावरणीय विशेषताओं को बनाए रखने हेतु अतिरिक्त उपाय किये जाते हैं।

स्वास्थ्य की सुरक्षा:

कोल खनन क्षेत्रों/बेल्टों के आस-पास रह रहे लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के लिए कोल इंडिया लि. की विशेष स्कीमें हैं। सीआईएल की कॉर्पोरेट सामाजिक दायिक दायित्व स्कीम के अनुसार विगत वर्ष के कोयला उत्पादन का 5/- रुपये प्रतिटन की दर से एक पृथक निधि आबंटित की गई है और उक्त समग्र राशि कोयला खनन क्षेत्रों/बेल्टों तथा जिस राज्य में परियोजनाएं स्थित हैं, उनके आस-पास रह रहे लोगों की भलाई के वास्ते व्यय के लिए निर्दिष्ट की गई है। कोल इंडिया लि. की सीएसआर नीति में जनजातीय आबादी के लाभ के लिए परियोजना/स्कीमों के लिए उक्त निधि से एक मुश्त प्रावधान किया गया है। नीति के अनुसार कुल सीएसआर बजट में से अनुसूचित जनजातीय आबादी के विकास के लिए कल्याणकारी कार्यकलाप करने के लिए वार्षिक योजना में बजट का 8% अलग से और नितांत रूप से आबंटित किया जाता है।

गेहूं की खरीद

3628. **श्री एम. कृष्णास्वामी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/भारतीय खाद्य निगम ने 2013-14 के विपणन मौसम में 42 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे किस प्रकार से उपयोग किये जाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) खरीद नीति एक खुली नीति होने के कारण इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। तथापि प्रत्येक रबी विपणन मौसम से शुरू होने से पहले गेहूं की खरीद करने वाले राज्यों के खाद्य सचिवों और भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधियों के साथ बैठके आयोजित की जाती हैं। इस बैठकों में होने वाले विचार-विमर्श के आधार पर केन्द्रीय पूल हेतु गेहूं की खरीद के अनुमानों और खरीद की अवधि का निर्धारित किया जाता है। रबी विपणन मौसम 2013-14 हेतु गेहूं के लिए 441.21 लाख टन का अनुमान लगाया गया है।

(ख) रबी विपणन मौसम 2013-14 हेतु गेहूं की अनुमानित खरीद का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) खरीदे गए गेहूं का उपयोग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने, खुले बाजार में बिक्री और बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए किया जाता है।

विवरण

रबी विपणन मौसम 2013-14 हेतु गेहूं की राज्य-वार खरीद के अनुमान

क्र. सं.	राज्य	खरीद के अनुमान (लाख टन)
1	2	3
1	पंजाब	140.00

1	2	3
2	मध्य प्रदेश	130.00
3	हरियाणा	78.00
4	उत्तर प्रदेश	50.00
5	राजस्थान	25.00
6	बिहार	15.00
7	उत्तराखंड	1.50
8	गुजरात	0.75
9	जम्मू और कश्मीर	0.40
10	महाराष्ट्र	0.36
11	पश्चिम बंगाल	0.20
12	अन्य	0.00
	कुल	441.21

वसा-रहित दुग्ध पाउडर की कीमत

3629. श्री नवीन जिन्दल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि वसा-रहित दुग्ध पाउडर (एसएमपी) के बाजार मूल्य में काफी गिरावट आयी है और यह उत्पादन लागत से कम मूल्य पर उपलब्ध है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों ने अधिकांश दुग्ध विपणन संघ दुग्ध उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण इन्हें औने-पौने दाम पर बेच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने एसएमपी की लागत को वसूलने के लिए इन दुग्ध विपणन संघों को कोई सहायता दी है/दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) दुग्ध उत्पादों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नवम्बर, 2012 के दौरान कुछ दुग्ध परिसंघों ने स्किम्ड दुग्ध पाउडर के अधिशेष स्टॉक तथा उसकी उत्पादन लागत से कम विक्रय मूल्य के बारे में सूचित किया था। चूर्ण दूध का थोक कीमत सूचकांक जून, 2012 के दौरान 180.1 से बढ़कर फरवरी, 2013 के दौरान 180.7 हो गया है। (*स्रोत:* वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय)। दिसम्बर, 2012 से एसएमपी सहित सभी दुग्ध चूर्णों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भी बढ़ चुकी है।

(ख) और (ग) राज्य दुग्ध परिसंघों को एसएमपी के अतिशय स्टॉक से संबंधित सहायता देने के लिए इस विभाग ने दिनांक 20.12.2012 के पत्र द्वारा समापन तिथि के नजदीक स्टॉकों को रखने की मियाद बढ़ाने के लिए एसएमपी के पुन: प्रसंस्करण (20 रुपए प्रति किलोग्राम तक) हेतु वर्ष 2012-13 के लिए राष्ट्रीय अनुपूरक मिशन के अंतर्गत एक नये घटक के अनुमोदित कर दिया है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय के अनुसार 2012-13 के दौरान (दिसम्बर, 2012 तक) एमएमपी का निर्यात 34,532.02 मीट्रिक टन था जो 2009-10 के बाद किसी वर्ष का सबसे उच्च स्तर है।

सीआईएसएफ का प्रशिक्षण/तैनाती

3630. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उभरते सुरक्षा परिदृश्य से निपटने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास विदेशों में भारतीय मिशनों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ कार्मिकों को तैनात करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के कार्मिक सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार सीआईएसएफ के प्रशिक्षण संस्थानों में विशिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेते हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं:—

(i) एसटीएफ कमांडो पाठ्यक्रम

(ii) अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा का पाठ्यक्रम

(iii) नक्सल-रोधी पाठ्यक्रम

(iv) क्षेत्रीय हथियार (एरिया वेपन) पाठ्यक्रम

(v) क्षेत्रीय-कौशल और फील्ड क्राफ्ट कौशल पाठ्यक्रम

(vi) विमानन सुरक्षा पाठ्यक्रम

(vii) अनिश्चित और रक्षात्मक ड्राइविंग पाठ्यक्रम

(viii) एक्स-रे बैगेज इंसपेक्शन सिस्टम स्क्रीनर पाठ्यक्रम।

प्रचालनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार सीआईएसएफ के कार्मिकों के नीचे दिए गए प्रशिक्षण/पाठ्यक्रमों में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है:—

(i) उग्रवाद-रोधी कौशल पाठ्यक्रम।

(ii) जंगल कौशल पाठ्यक्रम।

(iii) समुद्री अभिविन्यास/समुद्री कमाण्डो पाठ्यक्रम।

(iv) यंग कमांडो पाठ्यक्रम।

(v) अंडर बैरल ग्रेनेड लांचर (यूबीजीएल) शस्त्रों को हैंडल करने का प्रशिक्षण।

(vi) आसूचना पाठ्यक्रम।

(ग) और (घ) सीआईएसएफ की टुकड़ी नीचे दिए गए भारतीय मिशनों और चौकियों पर पहले से ही तैनात की गई है:—

(i) भारतीय दूतावास, काठमांडू, नेपाल

(ii) भारत का महावणिज्य दूतावास, बीरगंज, नेपाल

(iii) भारतीय उच्चायोग, इस्लामाबाद, पाकिस्तान

(iv) हैती स्थित यूएन मिशन (एमआईएनयूएसटीएएच)

जीडीपी में कृषि का योगदान

3631. **श्री रवनीत सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के योगदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान देश में जीडीपी में कृषि के योगदान में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं ताकि जीडीपी में इसके योगदान को बढ़ाया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) 31 जनवरी, 2013 को केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी प्रथम संशोधित अनुमानों के अनुसार, नियत मूल्यों (2004-05) पर देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों का योगदान 2009-10 में 14.6 प्रतिशत 2010-11 में 14.5 प्रतिशत तथा 2011-12 में 14.1 प्रतिशत रहा है। इसके अलावा, 7 फरवरी, 2013 को केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 2012-13 में 13.7 प्रतिशत तक घटने की संभावना है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में गिरावट गैर-कृषि क्षेत्रों के सकल घरेलू उत्पाद में तुलनात्मक अधिक वृद्धि के कारण है।

(घ) और (ङ) सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश में वृद्धि करने के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत की है, यथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), गुणवत्ता बीज के उत्पादन तथा वितरण के लिए आधारभूत ढांचा संबंधी सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), एकीकृत तिलहन, दलहन पॉम ऑयल एवं मक्का योजना (आइसोपाम), ग्रामीण भंडारण योजना आदि।

उक्त योजनाओं के तहत हुई उपलब्धि (व्यय) का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:—

(करोड़ रुपए)

योजना का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आरकेवीवाई	3758.1	6719.9	7794.1	7622.6
एनएफएसएम	1017.1	1279.8	1286.1	1631.8
गुणवत्ता बीज के उत्पादन एवं वितरण के लिए मूलभूत सुविधाएं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण	364.0	225.0	275.2	181.5
एनएचएम	800.0	970.9	1050.0	1064.2
आईसोपाम	451.3	708.8	616.2	418.3
ग्रामीण भंडारण योजना	60.9	109.8	190.9	241.0

11.03.2013 तक वर्ष 2012-13 का व्यय।

विरासत स्थलों का मानचित्रण

3632. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सहित देश के विभिन्न देश के विभिन्न भागों के विरासत स्थलों का मानचित्र बनाने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में एएसआई द्वारा उठाए गए कदमों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप एएसआई की उपलब्धि का ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नागर विमानन क्षेत्र में सुरक्षा

3633. श्री ताराचंद भगोरा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/आसूचना ब्यूरो ने नागर विमानन मंत्रालय को नागर विमानन सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधी सूचना हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संवेदनशीलत सुरक्षा सूचना समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुमोदित/प्राधिकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समझौते के तहत प्राप्त सूचना देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से संबंधित विभिन्न सरकारी एजेंसियों को दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) मद्देनजर से प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली दुग्ध योजना

3634. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना का दौरान दूध उत्पादन तथा पैकेजिंग क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के घाटे में चलने के कारण केन्द्र सरकार डीएमएस का प्रबंधन करने के लिए भागीदार की खोज कर रही है;

(ग) क्या गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ ने डीएमएस के प्रचालन का अधिग्रहण करने के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना की वर्तमान दूध उत्पादन और पैकिंग क्षमता 5 लाख लीटर प्रतिदिन है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) अध्यक्ष, गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ) ने सरकार को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने दिल्ली दुग्ध योजना के प्रचालनों को अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव किया है। तथापि, गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन से अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले में विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए एक व्यापक और विस्तृत प्रस्ताव भेजें जिसमें दिल्ली दुग्ध योजना के कानूनी विवादों तथा देयताओं इक्विटी के इन्फ्यूजन तथा दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों को कम पर लगाने की शर्तों आदि का समावेश किया गया हो। गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन से ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

गन्ने की कमी

3635. श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखे के कारण और चारे के रूप में गन्ने का इस्तेमाल किए जाने से चीनी उत्पादन के लिए गन्ने की उपलब्धता कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों के गन्ना आयुक्तों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार महाराष्ट्र और कर्नाटक ने अपने राज्यों में सूखे के कारण और चारे के रूप में गन्ने के अन्यत्र उपयोग होने से गन्ने की उपलब्धता में कमी होने की सूचना दी है। तमिलनाडु के गन्ना आयुक्त ने सूचित किया है कि सूखे की स्थिति से चीनी उत्पादन के लिए गन्ने की उपलब्धता आंशिक रूप से कम हुई है। 2012-13 चीनी मौसम के लिए फरवरी, 2013 में जारी कृषि एवं सहकारिता विभाग के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार गन्ने का उत्पादन 3345.41 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है जबकि पिछले चीनी मौसम 2011-12 के लिए 3610.37 लाख टन का अंतिम अनुमान लगाया गया था।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि गन्ने की उत्पादकता में सुधार करने के लिए और 2012-14 चीनी मौसम में रोपण के लिए बीज की कमी को समाप्त करने के लिए उन्होंने चीनी मिलों के कृषि अधिकारियों और राज्य कृषि विभाग के स्टॉफ को व्यापक प्रशिक्षण दिया है। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार गन्ना विकास के लिए गन्ना विकास निधि से चीनी मिलों को रियायती ऋण प्रदान करती है। जिसमें बेहतर सिंचाई सुविधाएं, उन्नत बीज किस्म, पेड़ी प्रबंधन इत्यादि शामिल है।

आंतरिक सुरक्षा पर बैठक

3636. श्रीमती श्रुति चौधरी :
श्री निलेश नारायण राणे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में आंतरिक सुरक्षा के संबंध कोई बैठक आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका परिणाम निकला; और

(ग) देश में आंतरिक सुरक्षा के संकट से निपटने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रस्तावित साझी जिम्मेदारियों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 06-08 सितम्बर, 2012

को पुलिस महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों का एक राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ, महिलाओं एवं वयोवृद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध, महानगरीय क्षेत्रों में संगठित अपराध, राज्य पुलिस बलों का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण, शैक्षिक जगत और निजी क्षेत्र के सहयोग से साइबर अपराध का मुकाबला करने से संबद्ध मुद्दों तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों से संबद्ध मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

(ग) कानून और व्यवस्था तथा पुलिस राज्य के विषय हैं, इसलिए इन मुद्दों के समाधान का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, आंतरिक सुरक्षा में आतंकवाद के निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए इसका मुकाबला करना केन्द्र तथा राज्यों का एक साझा उत्तरदायित्व है। भारत सरकार राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को अपने पुलिस बलों को आधुनिक बनाने के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में डेयरी विकास

3637. श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या **कृषि मंत्री** दिनांक 24 अप्रैल, 2012 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3045 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डेयरी विकास स्कीम के बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत मध्य प्रदेश को अब तक जारी एवं खर्च की गयी राशि कितनी है;

(ख) उक्त स्कीम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गठित डेयरी सहकारी सोसाइटियों की संख्या कितनी है;

(ग) मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में दुग्ध की थोक बिक्री वाले कूलर किन-किन स्थानों में अधिष्ठापित किए गए हैं;

(घ) क्या मध्य प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों का स्तरोन्नयन किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए), योजना आयोग ने मध्य प्रदेश के लिए बुंदेलखंड पैकेज के अधीन डेयरी विकास के लिए 41.31 करोड़ रुपये में से योजना आयोग द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को 21.31 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। जारी की गई धनराशि का पूरा उपयोग कर लिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 6 जिलों में कुल 561 डेयरी सहकारी समिति स्थापित की गई है।

(ग) निम्नलिखित विवरण के अनुसार दस बल्क दुग्ध कूलर स्थापित किए गए हैं:—

क्र.सं.	जिला	यूनिटों की संख्या
1.	सागर	2
2.	छत्तरपुर	2
3.	दमोह	1
4.	पन्ना	2
5.	टीकमगढ़	2
6.	दतिया	1
	जोड़	10

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का उन्नयन किया गया है और उसे जुलाई, 2012 में चालू किया गया है।

[अनुवाद]

सीएपीएफ के लंबित दावे

3638. श्री निलेश नारायण राणे : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के ड्यूटी पर मारे गए कार्मियों के संबंधियों/विधवाओं द्वारा अखिल दावों की पुलिस बल-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निपटाये गए ऐसे मामलों की पुलिस बल-वार कुल संख्या कितनी है तथा सभी लंबित मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान सीएपीएफ कर्मियों की विधवाओं/संबंधियों को अनुकम्पा आधार पर दी गई नौकरियों की पुलिस-वार कुल संख्या कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ड्यूटी के दौरान मारे गए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कार्मियों के संबंधियों/विधिवाओं द्वारा दाखिल किए गए दावों की बल-वार संख्या निम्नानुसार है:—

सीएपीएफ	2010	2011	2012	2013
एआर	130	113	127	12
बीएसएफ	253	255	263	46
सीआरपीएफ	143	29	43	11
सीआईएसएफ	23	18	24	00
आईटीबीपी	92	100	113	03
एसएसबी	12	20	10	00

(ख) उक्त अवधि के दौरान निपटाए गए ऐसे मामलों और सभी लंबित मामलों को निपटाने के लिए उठाए गए कदमों की बल-वार कुल संख्या निम्नानुसार है:—

सीएपीएफ	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5
एआर	127	106	91	00
बीएसएफ	251	253	236	05
सीआरपीएफ	141	28	22	00
सीआईएसएफ	23	18	24	00
आईटीबीपी	91	97	67	00
एसएसबी	11	19	06	00
कुल	644	521	446	05

कुल मामलों को "निकटतम-संबंधियों" से अपेक्षित दस्तावेज, न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने और कुछ को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से अपेक्षित दस्तावेजों के अभाव की वजह से रोक लिया गया है। मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

(ग) उक्त अवधि के दौरान सीएपीएफ के मृतक कार्मिकों की विधवाओं/संबंधियों को अनुकम्पा आधार पर प्रदान की गई नौकरियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:—

सीएपीएफ	2010	2011	2012	2013	कुल
एआर	17	05	07	00	29
बीएसएफ	137	129	209	20	495
सीआरपीएफ	221	444	200	25	890
सीआईएसएफ	196	85	101	00	382
आईटीबीपी	103	83	56	00	242
एसएसबी	03	01	00	00	04
कुल	677	747	573	45	2042

[हिन्दी]

सूखा राहत निधि का उपयोग

3639. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को आबंटित सूखा राहत निधि के उपयोग का मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं इसका परिणाम क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) राज्य सरकारें सूखा सहित प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हानि/क्षति की स्थिति में राज्य विपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत तत्काल उपलब्ध निधियों से उपयुक्त राहत उपाय प्रारंभ कर सकती हैं, जिसमें केन्द्र एवं राज्य से प्राप्त योगदान सामान्य वर्ग के राज्यों के मामले में 75:25 के अनुपात में और विशेष वर्ग के राज्यों के मामले में 90:10 के अनुपात में होता है।

एसडीआरएफ के अलावा अतिरिक्त वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय विपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से राज्य सरकार से विस्तृत ज्ञापन के प्राप्त होने पर मुहैया कराई जाती है जिसके लिए स्थापित प्रक्रिया और विद्यमान मानदंडों के अनुसार स्थिति का आकलन करने और केन्द्रीय सहायता की सिफारिश करने के लिए अंतर मंत्रालयी केन्द्रीय दल (आईएमसीटी) की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि एसडीआरएफ खाते से निकाला गया धन भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मानदंडों और व्यय की मदों के आधार पर वास्तविक रूप से उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए जिसके लिए एसडीआरएफ की स्थापना की गयी है। एसडीआरएफ से व्यय को राज्य महालेखाकार द्वारा मॉनिटर किया जाना अपेक्षित है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) एसडीआरएफ खातों की लेखापरीक्षा करता है।

[अनुवाद]

पीडीएस के तहत खाद्यान्न में अपमिश्रण

3640. श्री भक्त चरण दास : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सार्वजकिन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत अपमिश्रित खाद्यान्न के वितरण के संबंध में मामले दर्ज किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने पीडीएस के तहत खाद्यान्न में ऐसे अपमिश्रण को रोकने/नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं इसका परिणाम क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खराब गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों की आपूर्ति की सूचना प्राप्त हुई है लेकिन खाद्यान्नों में मिलावट सूचना प्राप्त नहीं हुई है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की खराब गुणवत्ता की आपूर्ति के बारे में प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के संयुक्त दायित्व के अंतर्गत प्रचालित की जाती है। केन्द्रीय सरकार खाद्यान्नों की खरीद, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपुओं तक उनकी ढुलाई के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर आबंटित खाद्यान्नों का उठान और उनका वितरण करने तथा उचित दर दुकानों के जरिए पत्र कार्डधारकों को आबंटित खाद्यान्नों के वितरण पर निगरानी रखने की प्रचालनात्मक जिम्मेदारियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की होती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए जारी किए जाते हैं, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न राज्य सरकारों को जारी किए जाने से पहले भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा खाद्यान्नों के संयुक्त निरीक्षण का एक सुस्थापित तंत्र है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए जारी किए जाते हैं, भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए गए हैं, जिनका ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जारी घटिया किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा

वर्ष	राज्य	शिकायत	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3	4
2012-13	पुदुचेरी	राज्य में घटिया किस्म के चावल के स्टॉक की आपूर्ति के संबंध में राज्य अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, पुदुचेरी से शिकायत प्राप्त हुई थी।	भारतीय खाद्य निगम तथा पुदुचेरी राज्य सरकार के जरिएक मामले की जांच कार्रवाई गई थी। शिकायत सही नहीं पाई गई थी।
	महाराष्ट्र	भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए संदूषित गेहूं के स्टॉक जारी किए जाने के संबंध में मार्च/अप्रैल, 2012 के दौरान महाराष्ट्र राज्य भंडारण निगम औरंगाबाद से एक शिकायत प्राप्त हुई थी।	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र राज्य भंडारण निगम, पुणे द्वारा शिकायत की जांच करवाई गई थी जिन्होंने यह सूचित किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संदूषित स्टॉक प्रदान नहीं किया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केवल अच्छी किस्म का खाद्यान्न ही जारी किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने यह सूचित किया है कि एक प्रकरण में मौजे गनोरी, तालुका, फुलांबरी औरा औरंगाबाद में उचित दर दुकान पर प्राप्त संदूषित गेहूं को बदल दिया गया था और कार्ड धारकों को उचित औसत किस्म का गेहूं वितरित किया गया था।
	गुजरात	भारतीय खाद्य निगम से आपूर्ति किए जा रहे घटिया किस्म के खाद्यान्नों के बारे में मई, 2012 में श्री जीवाभाई अंबालाल पटेल, पूर्व संसद सदस्य (लोक सभा) से एक शिकायत प्राप्त हुई थी और अनुदेश जारी किए जाने का अनुरोध किया गया था।	शिकायत में कोई विशिष्ट प्रकरण नहीं बताया गया था, तथापि, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अच्छी किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए व्यापक प्रक्रिया से शिकायतकर्त्ता को अवगत करा दिया गया है।
2011-12	पश्चिम बंगाल	1. भारतीय खाद्य निगम द्वारा दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्रों को सड़े हुए गेहूं और चावल की आपूर्ति के बारे में श्री जसवंत सिंह, संसद सदस्य लोक सभा से एक शिकायत प्राप्त हुई थी।	शिकायत की जांच कराई गई थी। भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया कि खान्न राज्य सरकार के संयुक्त निरीक्षण/स्टॉक के नमूने लिए जाने के बाद जारी किए जाते हैं। खाद्य भंडारण डिपु, देबग्राम (सिलिगुड़ी) में खाद्य स्टॉक के

1	2	3	4
			निरीक्षण के दौरान विश्लेषण करने पर घटिया/जारी न करने योग्य स्टॉक पाया गया था। इस चूक के लिए खाद्य भंडारण डिपु, देबग्राम (सिलिगुड़ी) के तत्कालीन क्षेत्र प्रबंधक, प्रबंधक (डिपु) और प्रबंधक (गुण नियंत्रण) को भारतीय खाद्य निगम द्वारा चार्ज शीट दी गई है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।
		2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित, छत्तीसगढ़ से प्राप्त घटिया किस्म के चावल की आपूर्ति के बारे में प्रधान सचिव, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार से नवंबर, 2011 के प्रथम सप्ताह में शिकायत प्राप्त हुई थी।	भारतीय खाद्य निगम के जरिए शिकायत की जांच कराई गई थी। भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि छत्तीगसढ़ से प्राप्त चावल के कुछ रैकों के कारण शिकायत की गई थी। हालांकि स्टॉक 'ग' श्रेणी के तहत जारी किए जाने योग्य रेंज के भीतर है, किन्तु राज्य सरकार के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम ने इस स्टॉक को बाहर निकालकर उसे दूसरा स्टॉक जारी किया था।
		3. श्रीमती बृंदा करात, संसद सदस्य, (राज्य सभा) ने देश के जनजातीय क्षेत्रों में सड़े हुए खाद्यान्नों की आपूर्ति के बारे में 24.03.2011 को राज्य सभा में शून्य काल के दौरान मुद्दा उठाया था।	मामले की जांच की गई थी और आंध्र प्रदेश में 4 जनजातीय जिलों, महाराष्ट्र में 2 जिलों और मध्य प्रदेश व राजस्थान में एक-एक जिले में भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं का निरीक्षण किया गया था और यह पाया गया था कि इन सभी जिलों में चावल के सभी नमूने निर्मुक्ति मानंदडों के भीतर थे और माननीय संसद सदस्य को तद्नुसार सूचित कर दिया था।
2010-11	बिहार	1. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फुलवारीशरीफ और दीघाघाट में भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से घटिया किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में बिहार सरकार के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री श्याम रजक से एक शिकायत प्राप्त हुई थी।	शिकायत की जांच की गई थी और इसे सही नहीं पाया गया था। तथापि, भारतीय खाद्य निगम को पुनः यह अनुदेश जारी किए गए कि राज्य सरकार के साथ संयुक्त निरीक्षण करने/नमूने लेने के बाद राज्य सरकार को केवल उचित औसत किस्म के खाद्यान्न ही जारी किए जाने होते हैं।
		2. बिहार के माननीय मुख्य मंत्री के दौरे के दौरान पूर्वी चम्पारन जिला, बिहार में	शिकायत की जांच की गई थी और उसे सही नहीं पाया गया था।

1	2	3	4
		बड़रवा लखनसेन गांव के उचित दर दुकानों में घटिया किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में जुलाई, 2010 में प्रधान सचिव, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार से भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को संबोधित एक शिकायत प्राप्त हुई थी।	
	छत्तीसगढ़	3. राज्य एजेंसियों द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत टुटे हुए दाने मिले घटिया किस्म के चावल की आपूर्ति के संबंध में दिनांक 8.8.2010 को छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राज्याध्यक्ष श्री अब्दुल रजाक कुरैशी से एक शिकायत प्राप्त हुई थी।	इस मंत्रालय के एक अधिकारी द्वारा शिकायत की जांच की गई थी। उन्होंने उचित दर दुकानों से नमूने इकट्ठे किए और उनमें गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों के तहत अनाज के टूटे हुए दोनों की निर्धारित सीमा से थोड़ी अधिक मात्रा पाई गई थी। किन्तु वे सभी खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकों के भीतर थे और वे क्षतिग्रस्त नहीं थे। फिर भी राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कह दिया गया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इस संबंध में मौजूदा अनुदेशों के अनुसार अच्छी किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाए।
	महाराष्ट्र	4. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत घटिया किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में जून, 2010 में उपाध्यक्ष, पूर्वोत्तर जिला कांग्रेस कमेटी, मुंबई, महाराष्ट्र से एक शिकायत प्राप्त हुई थी।	चूंकि यह शिकायत एक सामान्य प्रकृति की थी, इसलिए इस विभाग ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से जारी एिक जाने वाले खाद्यान्नों को जारी करते समय भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया के बारे में शिकायतकर्त्ता को सूचित कर दिया है। उसके उपरांत किसी अलग मामले के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
2009-10	उत्तर प्रदेश	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याण योजनाओं के तहत वितरित किए गए घटिया किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में उत्तर प्रदेश में बांदा जिला के बाबेरू गांव के निवासियों से शिकायत प्राप्त हुई थी।	इस मंत्रालय के एक अधिकारी को प्रतिनियुक्त करके शिकायत की जांच करवाई गई थी, जिन्होंने यह सूचित किया कि शिकायत सही नहीं पाई गई। उचित दर दुकानों से इकट्ठे किए गए सभी 8 नमूनों (गेहूं के 4 और चावल के 4) को जारी किए जाने संबंधी मानंदडों के भीतर ही पाया गया था।

1	2	3	4
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	खाद्य भंडारण डिपु घेरवा से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नांगलोई क्षेत्र में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जारी घटिया किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में विधायक श्री जयकिशन से जून, 2009 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी।	इस मंत्रालय के एक अधिकारी को प्रतिनियुक्त करके शिकायत की जांच करवाई गई थी। खाद्य भंडारण डिपुओं से इकट्ठे किए गए 15 नमूनों (गेहूं के 9 और चावल के 6) में से 10 नमूने (गेहूं के 7 और चावल के 3) एक समान विनिर्दिष्टियों की निर्धारित सीमाओं से अधिक पाए गए थे। भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि 3 प्रबंधकों (गुण नियंत्रण), एक सहायक ग्रेड-1 (डिपु) और डिपु प्रभारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है।

विवरण-II

राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया और जारी किए गए अनुदेश

(i) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कीट जंतु बाधा से मुक्त और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के मानकों/नियमों (पूर्व में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम) के अनुरूप अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की जारी करने होते हैं।

(ii) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों के स्टॉक का उठान करने से पहले खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने होते हैं।

(iii) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी किए जाने वाले खाद्यान्नों के स्टॉक में से खाद्यान्नों के नमूने भारतीय खाद्य निगम और राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लिए और सील बंद किए जाते हैं। उचित दर दुकानों के मालिकों को एक शिकायत रजिस्टर रखना होता है ताकि यदि जारी किए गए खाद्यान्नों की गुणवत्ता उचित न हो तो उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें।

(iv) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों के स्टाक की सुपुर्दगी लेने के लिए तैनात किए जाने वाला राज्य सरकार प्राधिकारी निरीक्षक के पद से कम का नहीं होना चाहिए।

(v) राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए नियमित निरीक्षण किया जाना होता है और मंत्रालय के गुण नियंत्रण सैल के अधिकारियों द्वारा औचक जांच की जानी होती है।

(vi) यह सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी होती है कि वितरण शृंखला में ढुलाई और भंडारण की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान खाद्यान्नों की अपेक्षित गुणवत्ता विनिर्दिष्टियां बनी रहें।

(vii) राज्य सरकार, जहां विकेन्द्रीकृत खरीद योजना प्रचालन में है, को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन जारी खाद्यान्नों की गुणवत्ता खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अधीन वांछित मानकों को पूरा करें।

[हिन्दी]

सती होने के मामले

3641. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सती होने की घटनाओं के सूचित मामलों व इस सिलसिले में गिरफ्तार अभियुक्तों की राज्य-वार संख्या कितनी है तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार का सती होने के मामलों को रोकने के लिए कोई कठोर कानून अधिनियमित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2009-11 के दौरान देश में सती होने का कोई भी मामला सूचित नहीं किया गया था।

इस संबंध में कोई भी प्रस्ताव निवाराधीन नहीं है।

संग्रहालयों में संरक्षित दस्तावेज

3642. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील :
श्री रामसिंह राठवा :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित विभिन्न संग्रहालयों में संरक्षित भारत के सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं स्मृति-चिह्नों का संग्रहालय-वार एवं राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रथम स्वतंत्र संग्राम के प्रतीक के रूप में केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा किसी संग्रहालय/स्मारक तथा ऐतिहासिक स्मारक – स्थलों का निर्माण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसे स्मारकों, स्मारक-स्थलों एवं संग्रहालयों के रख-रखाव/संरक्षण के लिए आबंटित/उपयोग की गयी राशि कितनी है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गाय के गोबर पर अनुसंधान

3643. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गाय के गोबर को रासायनिक उर्वरक विकल्प के रूप में विकसित करने के लिए कोई अनुसंधान किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्य किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) जी, हां। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों ने विभिन्न जैविक अपशिष्टों जिसमें गाय का गोबर शामिल है, से उर्वर/वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित की है। इनकी जांच की गई है और इन्हें मृदा स्वास्थ्य और फसल उत्पादकता सुधारने में उपयोगी पाया गया है। इस पहल पर किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु परिषद् अग्रपंक्ति के प्रदर्शन (एफएलडी) आयोजित करती है। सरकार देश में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और उर्वरता पर राष्ट्रीय परियोजना (एनपीएमएसएचएफ) और जैविक कृषि पर राष्ट्रीय परियोजना (एनपीओएफ) के माध्यम से इन कम्पोस्टों/खादों के उपयोग को प्रोन्नत कर रही है।

[अनुवाद]

जासूसी गतिविधियां

3644. श्री के. सुगुमार : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में पाकिस्तानियों सहित विदेशी नागरिकों की जासूसी गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों की रिपोर्ट मिली है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीयता-वार और राज्य-वार गिरफ्तार हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 2010-2012 और 2013 (12.03.2013 तक) के दौरान 31 पाक समर्थित जासूसी के मॉड्यूल्स [(2010-12, 2011-11, 2012-07 और 2013-03 (12.03.2013 तक)] को देश में निष्प्रभावी किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 10 पाकिस्तानी सहित 49 जासूसी एजेंटों को निष्क्रिय/गिरफ्तार किया गया। निष्प्रभावी किए गए 31 मॉड्यूल्स के ब्रेक-अप में राजस्थान-05, हिमाचल प्रदेश-01, बिहार-01 और तमिलनाडु-01 के राज्य शामिल है। गिरफ्तार किए गए 49 एजेंटों के ब्रेक-अप में राजस्थान-09, हिमाचल प्रदेश-03, उत्तर प्रदेश-02, दिल्ली-07, पंजाब-15, उत्तराखंड-03, महाराष्ट्र-01, त्रिपुरा-02, गुजरात-04, बिहार-02 और तमिलनाडु-01 के राज्य शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए 49 एजेंटों में से नौ (09) पाक निवासी एजेंट 2010 में गिरफ्तार किए गए (उत्तराखंड-01, पंजाब-07 और त्रिपुरा-01) और एक (01) को वर्ष 2012 में दिल्ली में गिरफ्तार किया गया।

(ग) और (घ) सरकार, पाकिस्तानी सहित भारतीय एवं विदेशी नागरिकों द्वारा की जा रही जासूसी गतिविधियों से निपटने के लिए भली-भांति समन्वित और बहु-आयामी नीति का अनुसरण कर रही है, जिसमें घुसपैठ एवं सीमापार से अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सीमाओं पर निगरानी बढ़ाना, पाकिस्तानी एजेंटों को रोकने के लिए आसूचना मशीनरी को सुसज्जित करना, आतंकवादियों एवं आईएसआई/राष्ट्र-विरोधी तत्वों को निष्प्रभावी करने संबंधी योजनाओं के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों के मध्य नजदीकी संवाद का समन्वय स्थापित करना और राज्य पुलिस एवं सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण, मजबूतीकरण तथा उन्नयन शामिल है।

[हिन्दी]

एफआईआर दर्ज न किया जाना

3645. श्री भूदेव चौधरी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज न करने के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सूचित एसे मामलों की राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सहित राज्य-वार कुल संख्या कितनी है तथा चूककर्त्ता अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में संबंधित राज्यों एव पुलिस विभाग का कोई परामर्श जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) भविष्य में सभी शिकायतों को दर्ज किया जाना सुनिश्चित करने के लिए तथा एफआईआर दर्ज करने की ऑनलाइन व्यवस्था भी बनाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज न करने के बारे में कुछ घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़े के अनुसार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के संबंध में एनसीआरबी द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से कोई ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय है और इसलिए अपराधों का निवारण, पता लगाना, पंजीकरण, अन्वेषण और अभियोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का होता है। तथापि, केन्द्र सरकार महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम के मामले को सर्वाधिक महत्व देती है और इस संबंध में 4 सितम्बर, 2009 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को एक विस्तृत परामर्श पत्र भेजा गया है, जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समस्या से निपटने में मशीनरी की प्रभावकारिता की व्यापक समीक्षा करने और कानून तथा व्यवस्था संबंधी मशीनरी की प्रभावकारिता बढ़ाने संबंधी समुचित उपाय करने हेतु सलाह दी गई है। परामर्शी पत्र का बिन्दु 5(पग) विशेषरूप से यह इगित करता है कि "महिलाओं के विरुद्ध अपराध के सभी मामलों में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने में किसी भी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए।

गृह मंत्रालय ने 14 जुलाई, 2010 को बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर भी सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को एक

परामर्शी पत्र जारी किया है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि, जो भी हो, बच्चों के प्रति अपराध के सभी मामलों में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने में किसी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए।

(ङ) भारत के राष्ट्रपति के दिनांक 4 फरवरी, 2013 को दांडिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसमें 166क द्वारा भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया गया है जिसमें प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज न किए जाने को एक निश्चित अविध, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तक के कारावास अथवा दोनों सहित एक दंडनीय अपराध बनाया गया है। पुलिस थाना स्तर पर पुलिस प्रशासन की दक्षता ओर प्रभावकारिता में अभिवृद्धि करने के लिए एक व्यापक एवं समेकित पद्धति के निर्माण पर आधारित अपराध एवं अपराधी खोजी नेटवर्क एवं प्रणाली में ऑनलाइन प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराने की व्यवस्था की गई है।

नक्सलवाद के निपटने के लिए धनराशि

3646. श्री रामकिशुन :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान नक्सलवाद से निपटने के लिए राज्यों को दी गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त धनराशि के उपयोग की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपलब्ध कराई गई राशि नक्सलवाद से निपटने के लिए पर्याप्त रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ङ) केन्द्र सरकार ने सुरक्षा, विकास, सुशासन सुनिश्चित करने तथा जन अवधारणा प्रबंधन के क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। राज्य सरकारें विशिष्ट रूप से राज्यों में वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों का निपटान करती हैं। केन्द्र सरकार स्थिति की गहन रूप से मॉनीटरिंग करती है तथा सुरक्षा एवं विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में मदद करती है।

केन्द्र सरकार सुरक्षा संबंधी व्यय योजना, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना योजना तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 400 अति सुरक्षित पुलिस थानों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण जैसी योजनाओं के माध्यम से क्षमता निर्माण लिए राज्यों को सहायता मुहैया करवाती है। एसआरई योजना, एसआईएस योजना तथा 400 अति सुरक्षित पुलिस थानों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण संबंधी योजना के तहत विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II तथा III में दिया गया है। एक प्रतिपूर्ति योजना होने के कारण एसआरई योजना के तहत व्यय पहले राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और तत्पश्चात् संबंधित राज्यों में लेखा परीक्षा करने के उपरांत केन्द्र सरकार द्वारा इस व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। एसआईएस योजना तथा अति सुरक्षित पुलिस थानों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण संबंधी योजना के संबंध में वास्तविक प्रगति एवं निधियों के उपयोग की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है तथा वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति तथा उपयोग प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत किए जाने के आधार पर राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान, भारत सरकार ने राज्यों को पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, इंडिया रिजर्व बटालियनों का गठन, विद्रोह रोधी एवं आतंकवाद रोधी स्कूलों की स्थापना इत्यादि जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत भी निधियां मुहैया करवाई हैं।

इसके अलावा, विकास के क्षेत्र में भी देश भर में क्रियान्वित किए जा रहे विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों/फ्लैगशिप योजनाओं के अलावा, योजना आयोग, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित विकास के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 71 जिलों सहित 82 चुनिंदा आदिवासी एवं पिछड़े जिलों में एकीकृत कार्य योजना भी कार्यान्वित कर रहा है। आईएपी के तहत प्रारम्भ किए गए कार्यों की प्रकृति में जन अवसंरचना तथा सेवाएं शामिल हैं जो आधारभूत स्तर पर तथा स्थानीय समुदायों के बीच दृष्टिगोचर प्रभाव डालती हैं। वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 (14.3.2013) की स्थिति के अनुसार) के दौरान इन आईएपी जिलों में जारी की गई

केन्द्रीय निधियों/व्यय का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

केन्द्र सरकार कुल 7300 करोड़ रु. की लागत से वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 34 जिलों में 'रोड रिक्वायरमेंट प्लान-I' भी क्रियान्वित कर रही है।

उपर्युक्त ब्यौरे से यह देखा जा सकता है कि केन्द्र सरकार वामपंथी उग्रवाद में दृढ़ एवं उद्देश्य पूर्ण ढंग से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन आबंटित कर रही है।

विवरण-I

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए एसआरई योजना के तहत जारी निधियां

(करोड़ रुपए)

राज्य	एसआरई योजना के तहत जारी निधियां			
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (28.2.2013 की स्थिति के अनुसार)
आंध्र प्रदेश	2.28	28.19	10.73	15.13
बिहार	2.77	29.41	13.65	7.87
छत्तीसगढ़	36.14	87.74	42.38	50.74
झारखंड	11.11	59.40	75.35	58.45
मध्य प्रदेश	0.11	1.56	0.27	0.65
महाराष्ट्र	2.71	13.67	7.63	4.60
ओडिशा	3.71	56.62	21.57	15.31
उत्तर प्रदेश	0.51	3.56	2.00	5.50
पश्चिम बंगाल	0.66	18.91	13.90	13.31
कुल	60.00	299.06	187.48	171.56

विवरण-II

विशेष अवसंरचना योजना के तहत जारी निधियां

(करोड़ रुपए)

राज्य	जारी निधियां		
	2009-10	2010-11	2011-12
आंध्र प्रदेश	3.40	17.51	23.77
बिहार	3.70	17.39	34.66
छत्तीसगढ़	3.90	20.34	30.41
झारखंड	5.85	20.08	35.61
मध्य प्रदेश	—	2.32	7.48
महाराष्ट्र	2.90	8.79	4.34
ओडिशा	4.20	20.36	40.47
उत्तर प्रदेश	2.65	11.22	4.41
पश्चिम बंगाल	3.40	11.99	4.67
कुल	30.00	130.00	185.82

टिप्पणी: वर्ष 2012-13 के दौरान अब तक कोई निधियां जारी नहीं की गई हैं।

विवरण-III

अति सुरक्षित पुलिस थानों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण संबंधी योजना के तहत जारी निधियां

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	पुलिस थानों का आवंटन	जारी की गई निधियां		
			2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	40	2.00	20.00	-

1	2	3	4	5	6
2.	बिहार	85	2.00	44.75	51.625
3.	छत्तीसगढ़	75	2.00	39.25	—
4.	झारखंड	75	2.00	39.25	39.375
5.	मध्य प्रदेश	12	1.00	5.60	6.30
6.	महाराष्ट्र	10	—	5.50	—
7.	ओडिशा	70	1.00	37.50	43.25
8.	उत्तर प्रदेश	15	—	8.25	—
9.	पश्चिम बंगाल	18	—	9.90	9.45
	कुल	400	10.00	210.00	150.00

टिप्पणी: अति सुरक्षित पुलिस थानों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण संबंधी योजना वर्ष 2010-11 से शुरू की गई थी।

विवरण-IV

वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 (14.3.2013 की स्थिति के अनुसार) एकीकृत कार्य योजना के तहत जारी निधियां का आवंटन/व्यय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिलों की संख्या	आज तक जारी कुल निधियां सुल (14.3.2013) (करोड़ रुपए)	आज तक व्यय (14.3.2013) (करोड़ रुपए)	% उपयोग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	8	450.00	266.70	59.27
2.	बिहार	11	625.00	325.40	52.06
3.	छत्तीसगढ़	10	750.00	597.74	79.70
4.	झारखंड	17	1200.00	932.47	77.71
5.	मध्य प्रदेश	10	740.00	512.17	69.21
6.	महाराष्ट्र	2	150.00	117.11	78.07
7.	ओडिशा	18	1275.00	1004.82	78.81
8.	उत्तर प्रदेश	3	175.00	91.45	52.26
9.	पश्चिम बंगाल	3	175.00	116.77	66.72
	कुल	82	5540.00	3964.63	71.56

नोट: एकीकृत कार्य योजना वर्ष 2010-11 से प्रारंभ की गई थी।

सीएपीएफ के लिए बुलेटप्रूफ जैकेटें और पटके

3647. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) में बुलेटप्रूफ जैकेटों और पटकों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके बलवार क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन बलों के लिए हल्के वजन की एवं उच्च गुणवत्ता की बुलेटप्रूफ जैकेटें तथा पटके खरीदने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन जैकेटों/पटकों के कब तक खरीदे जानेकी संभावना है एवं इन पर कितना व्यय होना संभावित है; और

(ङ) उक्त पुलिस बलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समकक्ष बुलेटप्रूफ जैकेटें/पटकें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। इन मदों की खरीद केन्द्रीय सशस्त्र

पुलिस बलों की परिचालनात्मक आवश्यकता के आधार पर की जा रही है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को पहलेही हल्के वजन की बुलेटप्रूफ जैकेटें प्रदान की जा चुकी हैं और वे आवश्यकता के अनुसार, अतिरिक्त मा.ा में भी खरीद कर सकते हैं। तथापि, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) द्वारा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, (सीएपीएफ), केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल), चंडीगढ़, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) आईआईटी, दिल्ली, आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय के परामर्श से गुणवत्ता आवश्यकताओं (क्यूआर) और बुलेट प्रूफ जैकेज एनआईजे लेवल-प्ट के लिए परीक्षण निर्देशिकाएं तैयार की जा रही है। क्यूआर के संशोधन/बीआर पटके के विनिर्देशन का कार्य विचाराधीन है।

कोयला ब्लॉक आबंटन की सीबीआई द्वारा जांच

3648. श्री रेवती रमण सिंह :
श्री शैलेन्द्र कुमार :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला ब्लॉक आबंटन घोटाले की जांच के संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने में विलंब किए जाने एवं फाइलें गायब होने की खबरें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस संबंध में मंत्रालय द्वारा चूककर्त्ता अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) इस संबंध में मंत्रालय द्वारा चूककर्त्ता अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) मंत्रालय द्वारा सीबीआई को उसकी जांच में पूर्ण सहयोग देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कोयला ब्लॉकों के आबंटन में कथित अनियमितताओं के संबंध में 3 प्रारंभिक जांच के मामले दर्ज किये हैं जिनमें वर्ष 2006-09 की अवधि में निजी कंपनियां को आबंटित कोयला ब्लॉकों, वर्ष 1993-2004 की अवधि में निजी कंपनियों को आबंटित कोयला ब्लॉकों तथा सरकारी कंपनियों को आबंटित कोयला ब्लॉकों से संबंधित मामले शामिल हैं।

पीई दर्ज करने के पश्चात् सीबीआई ने कोयला मंत्रालय से फाइलों/दस्तावेजों/आवेदनों/फीड बैक फार्मों/एजेंडा फार्मों आदि को मूल रूप में मांगा है। अभी तक 700 से अधिक फाइलें/फोल्डर्स/आवेदन प्रपत्र/एजेंडा पुस्तिकाएं/फीड बैक फार्म आदि को मूल रूप में सीबीआई को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इसके अतिरिक्त, लगभग 30 फाइलें सीबीआई को सौंपे जाने हेतु तैयार रखी हैं। मुख्य रूप से वर्ष 2004 को पहले प्राप्त आवेदनों से संबंधित कुछ पुरानी फाइलें/दस्तावेज मंत्रालय में सुलभता से उपलब्धता नहीं हैं। कोल इंडिया लिमिटेड/केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान (सीएमपीडीआई) तथा इस्पात मंत्रालय को पत्र भेज कर इन दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए हैं। हाल ही में कोयला मंत्रालय की एक टीम ने भी सीएमपीडीआई का दौरा किया तथा लगभग 10 कंपनियों के मामले में पुराने आवेदनों को एकत्र किया है जिन्हें भी सीबीआई को सौंपे जाने के लिए तैयार रखा गया है। इस प्रकार कोयला मंत्रालय ने इस मामले में सीबीआई को पूरा सहयोग दिया है।

[अनुवाद]

सीएएस के अंतर्गत लाइसेंस

3649. श्री सी. राजेन्द्रन : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों सहित उन कंपनियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्होंने कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) के अंतर्गत लाइसेंस लेने के लिए आवेदन किया है; और

(ख) लंबित और स्वीकृत आवेदनों की संख्या कितनी है तथा लंबित आवेदनों के कब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्वीकृत होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) सशक्त पहुंच प्रणाली (कैस) को 31 सितम्बर, 2006 से दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के अधिसूचित शहरों में कार्यान्वित किया गया जबकि चेन्नै में इसका कार्यान्वयन वर्ष 2003 से किया गया था। मंत्रालय ने कैसे प्रणाली में संचालन करने हेतु 31 बहु-प्रणाली संचालकों (एमएसओ) को अनुमति-पत्र जारी किया था। कैस को वर्ष 2011 में केबल टेलीविजन नेटवर्क

(विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन करके डिजिटल संबोधनीय प्रणाली (डास) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। मंत्रालय ने विभिन्न डास अधिसूचित क्षेत्रों में संचालन करने के लिए 103 बहु-प्रणाली संचालकों को पंजीयन-पत्र जारी किया है। तत्संबंधी ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट *www.mib.nic.in* पर उपलब्ध है।

सहकर्मियों पर गोलीबारी

3650. **श्री ए. सम्पत :**
श्री पी.के. बिजू :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत वर्षों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) में सहकर्मियों पर गोली चलाने के कई मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसी घटनाओं में मारे गए/घायलकर्मियों की पुलिस बल-वार एवं रैंक-वार संख्या कितनी है तथा दोषीकर्मियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान ऐसी घटनाओं के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की है/अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकाला; और

(ङ) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), असम राइफल्स (एआर) तथा राष्ट्रीय सुरक्षा गारद द्वारा प्रदत्त सूचनानुसार, विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान साथी जवानों द्वारा गोली चलाए जाने से मारे गए/घायल हुए कार्मिकों का रैंक-वार एवं बल-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष		अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी		जेसीओ/एसओ		ओआर	
		मारे गए	घायल हुए	मारे गए	घायल हुए	मारे गए	घायल हुए
1		2	3	4	5	6	7
2010	सीआरपीएफ	02	—	02	—	11	01
	बीएसएफ	—	—	01	—	01	04
	आईटीबीपी	—	—	—	—	—	—
	एसएसबी	—	—	—	—	—	—
	सीआईएसएफ	—	—	—	—	—	—
	एनएसजी	—	—	—	—	—	—
	एआर	—	—	—	—	—	—
2011	सीआरपीएफ	—	—	—	—	06	03
	बीएसएफ	—	—	—	—	03	02
	आईटीबीपी	—	—	—	—	—	—

1		2	3	4	5	6	7
	एसएसबी	—	—	01	—	—	01
	सीआईएसएफ	—	—	01	—	01	—
	एनएसजी .	—	—	—	—	—	—
	एआर	—	—	—	—	02	01
2012	सीआरपीएफ	—	—	—	—	08	04
	बीएसएफ	—	—	—	—	02	01
	आईटीबीपी	—	—	—	—	—	—
	एसएसबी	—	—	—	—	—	—
	सीआईएसएफ	—	—	—	—	—	—
	एनएसजी	—	—	—	—	—	—
	एआर	—	—	—	—	—	—
2013	सीआरपीएफ	—	—	—	—	—	—
	बीएसएफ	—	—	—	—	01	—
	आईटीबीपी	—	—	—	—	—	—
	एसएसबी	—	—	—	—	—	—
	सीआईएसएफ	—	—	—	—	—	—
	एनएसजी	—	—	—	—	—	—
	एआर	—	—	—	—	—	—

[जीओ – राजपत्रित अधिकारी, जेसीओ/एसओ – जूनियर कमीशंड अधिकारी/अधीनस्थ अधिकारी, ओआर-अन्य रैंक]

ऐसी प्रत्येक घटना के कारणों और उसकी परिस्थितियों का पता लगाने के एिल न्यायालयी जांच करायी जाती है। ऐसे सभी मामलों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, असम राइफल्स एवं राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के अधिनियम एवं नियमों में अंतर्निहित प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। अधिकांश मामलों के कारण संबंधी घटकों में सामान्यतया वैवाहिक मतभेद, व्यक्तिगत दुश्मनी, मानसिक बीमारी, अवसाद इत्यादि जैसी व्यक्तिगत और घरेलू समस्याएं पाई गई थीं। कुछेक मामलों में ऐसा कार्य संबंधी तनाव की वजह से हुआ था।

(ग) से (ङ) बलों में उत्पन्न होने वाले तनाव तथा उसके उपचारी उपायों पर सुझाव देने के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) के माध्यम से एक अध्ययन कराया गया था। इस दल ने, जून, 2004 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, सिफारिशें कीं, जिन्हें मोटे तौर पर तीन शीर्षों अर्थात् संगठनात्मक (37 सिफारिशें), व्यक्तिगत (8 सिफारिशें) तथा सरकारी (3 सिफारिशें) के तहत वर्गीकृत किया गया था। सरकार ने आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए तनाव संबंधी समस्याओं, उनके कारणों तथा कार्मिकों पर पड़ने वाले

प्रभावों का निराकरण करने के लिए इन सिफारिशों पर पहले ही विचार किया है।

सरकार द्वारा सीएपीएफ तथा असम राइफल्स के कार्मिकों के सेवा संबंधी तनाव को दूर करने और उनके कार्यकरण की स्थितियों तथा उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने सहित ऐसे मामलों में कमी लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है:—

(i) पारदर्शी, विवेकपूर्ण तथा निष्पक्ष छुट्टी संबंध नीति लागू करना।

(ii) बल कार्मिकों को उनकी तात्कालिक घरेलू समस्याओं/मुद्दों/जरुरतों का समाधान करने के लिए छुट्टी प्रदान करना।

(iii) उनकी समस्याओं का पता लगाने एवं उसका निराकरण करने के लिए कमांडरों, अधिकारियों और सैन्य टुकड़ियों के बीच औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार का नियमित परिसंवाद।

(iv) शिकायत निराकरण मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त करना।

(v) पर्याप्त आराम और राहत सुनिश्चित करने के लिए कार्य घंटों का नियमितीकरण।

(vi) सैन्य टुकड़ियों तथा उनके परिवारों के लिए बुनियादी सुख/सुविधाओं का प्रावधान करके उनके जीवन स्तर को सुधारना।

(vii) जोखिम, कठिनाई तथा अन्य भत्तों को बढ़ाकर बल को प्रोत्साहित करना।

(viii) सैन्य बलों के लिए एसटीडी टेलीफोन सुविधाओं का प्रावधान करना ताकि वे अपने परिवार के सम्पर्क में रहें और दूर-दराज क्षेत्रों में उनका तनाव कर रहे।

(ix) विशिष्ट सुविधा युक्त कम्पोजिट अस्पतालों की शुरुआत सहित सैन्य बलों तथा उनके परिवारों के लिए बेतर चिकित्सा सुविधाएं।

(x) उनकी व्यक्तिगत तथा मनोवैज्ञानिक चिन्ताओं का निराकरण करने के लिए डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों के द्वारा उनके साथ बातचीत करना।

(xi) बेहतर तनाव प्रबंधन के लिए योग और ध्यान कक्षाएं।

(xii) मनोरंजन तथा खेलकूद की सुविधाएं तथा टीम गेमों और खेल-कूद इत्यादि का प्रावधान।

(xiii) सैन्य टुकड़ियों तथा उनके परिवार के लिए केन्द्रीय पुलिस कैन्टीन सुविधा, उनके वार्डो को छात्रवृत्ति इत्यादि जेसे कल्याणकारी उपायों का प्रावधान करना।

(xiv) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के सेवानिवृत्त कार्मिकों को भूतपूर्व केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिक की हैसियत प्रदान करना, उम्मीद की जाती है कि इससे विद्यमान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों का मनोबल मजबूत होगा तथा यह भी उम्मीद की जाती है कि इससे उन्हें बेहतर पहचान और सामुदायिक मान्यता मिलेगी और इस प्रकार भूतपूर्वक सीएपीएफ कार्मिकों को समाज में उच्च सम्मान और गौरव प्राप्त होगा।

प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षति

3651. श्री हरिभाऊ जावले :
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :
श्री एल. राजगोपाल :
श्री वरुण गांधी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाढ़ सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण सलों एवं संपत्ति के नुकसान तथा मानव जीवन की हानि/विस्थापन की खबरें हैं;

(ख) यदि हां, पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सूचित ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्राकृतिक आपदा-प्रभावित राज्यों को आवश्यक सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) चक्रवाती तूफान/आकस्मिक बाढ़ों/बाढ़ों/भू-स्खलनों/बादल के फटने/भूकंप आदि के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में हुए नुकसान का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की दशा में राज्यों को आपदा राहत कोष (सीआरएफ), अब राज्य आपदा कार्रवाई कोष (एसडीआरएफ) के माध्यम से वित्तीय सहायता मुहैया करायी

जाती है, जिसे गंभीर प्रकृति की आपदाओं के मामलों में राष्ट्रीय आपदा आकास्मिकता कोष (एनसीसीएफ)/अब राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष (एनडीआरएफ) द्वारा संपूरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राहत कोष से व्यय केवल अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और सहायता के मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को आपदा राहत कोष (सीआरएफ), अब राज्य आपदा कार्रवाई कोष (एसडीआरएफ) के रूप में अभिहित/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एनसीएफएस), अब राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष (एनडीआरएफ) के रूप में अभिहित, में राज्य-वार निधियों का आबंटन एवं निर्गम दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान चक्रवाती तूफान/भारी वर्षा/बाढ़ों/भूस्खलनों/भूकम्प आदि के कारण हुए राज्य-वार नुकसान

(अनंतिम)

क्र. सं.	राज्य	वर्ष							
		2009-10				2010-11			
		जनहानि (संख्या)	पशु हानि (संख्या)	गृह (संख्या)	फसली क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)	जनहानि (संख्या)	पशु हानि (संख्या)	गृह (संख्या)	फसली क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	108	44132	213748	2.82	171	17230	38152	20.86
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	44	10163	19409	1.64
3.	असम	8	12	240	0.298	57	3623	383408	1.87
4.	बिहार	63	2	6050	नगण्य	93	142	138092	0.32
5.	छत्तीसगढ़	5	3	1321	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	94	456	12641	0.029	232	541	4735	0.67
7.	गोवा	3	265	1053	0.034	1	1	101	—
8.	हरियाणा	9	16	2216	0.083	38	67	5362	1.31
9.	हिमाचल प्रदेश	25	104	2670	—	62	5889	6656	0.26
10.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	239	1805	2901	0.14
11.	झारखंड	—	—	—	—	22	74	4726	0.0014
12.	कर्नाटक	396	9043	665877	24.22	82	215	14400	0.10
13.	केरल	142	177	22744	0.39	103	87	15328	0.03
14.	मध्य प्रदेश	56	148	11356	—	38	5	143	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	महाराष्ट्र	66	31059	75441	8.79	8	5	9	—
16.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	6	—
18.	मिजोरम	—	—	—	—	4	—	10127	0.02
19.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	ओडिशा	59	—	13547	1.33	10	260	5339	0.30
21.	पंजाब	8	—	72	0.06	38	108	2040	0.84
22.	राजस्थान	48	3509	221	—	—	—	—	—
23.	सिक्किम	1	—	—	—	3	300	511	—
24.	तमिलनाडु	108	312	8437	—	203	5436	325080	5.08
25.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	उत्तर प्रदेश	254	101	2893	4.61	530	1049	157523	8.15
27.	उत्तराखंड	87	362	412	—	214	1771	23851	5.02
28.	पश्चिम बंगाल	137	38744	318786	4.47	112	7	180374	0.30
29.	पुदुचेरी	—	7	1	नगण्य	—	—	346	0.01

—*जारी*

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान चक्रवाती तूफान/भारी वर्षा/बाढ़ों/भूस्खलनों/भूकम्प आदि के कारण हुए राज्य-वार नुकसान

(अनंतिम)

क्र. सं.	राज्य	वर्ष							
		2011-12				2012-13 (21.02.13 अनंतिम)			
		जनहानि (संख्या)	पशु हानि (संख्या)	गृह (संख्या)	फसली क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)	जनहानि (संख्या)	पशु हानि (संख्या)	गृह (संख्या)	फसली क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	61	1858	30973	8.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	47	929	2443	—	68	891	1819	0.1254

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
3.	असम	13	—	277	4.17	168	9921	531186	3.28
4.	बिहार	37	—	1603	—	8	—	1713	0.08
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	5	65	—	—
6.	गुजरात	53	175	4734	—	26	67	2676	—
7.	गोवा	1	—	134	नगण्य	1	2	34	—
8.	हरियाणा	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	हिमाचल प्रदेश	51	2374	10838	1.56	29	127	2449	1.57
10.	जम्मू और कश्मीर	19	—	—	—	—	—	—	—
11.	झारखंड	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	कर्नाटक	84	51	419	—	—	—	—	—
13.	केरल	152	531	14222	1.18	47	619	2455	0.172
14.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	महाराष्ट्र	106	—	—	—	—	—	—	—
16.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	नागालैंड	—	—	—	—	—	2560	5253	0.97
20.	ओडिशा	87	1493	290780	4.19	4	—	522	0.02
21.	पंजाब	14	4	26	—	8	3034	149	0.0271
22.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	सिक्किम	77	1333	23903	0.14	47	105	2780	0.10
24.	तमिलनाडु	57	669	99904	2.12	15	90	4831	0.173
25.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	उत्तर प्रदेश	692	268	22858	5.25	17	—	1344	0.04326
27.	उत्तराखंड	19	10	107	—	201	772	5569	03854
28.	पश्चिम बंगाल	79	33	317481	0.09	241	4234	77981	0.02148
29.	पुदुचेरी	12	1256	86439	0.17	—	15	27	—

विवरण-II

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान सीआरएफ/एसडीआरएफ तथा एनसीसीएफ/एनडीएफआर के राज्य-वार आवंटन और निर्गम

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	सीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत आवंटन				जारी सीआरएफ/एसडीआरएफ में केन्द्र का हिस्सा				एनसीआरएफ/एनडीआरएफ से निर्गम			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (आज तक)	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (आज तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	418.22	508.84	534.28	560.99	313.670	481.63	300.71	420.74	685.81	582.11	257.61	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	31.81	36.74	38.58	40.51	23.86	33.07	34.72	36.46	32.29	97.24	0.00	100.44
3.	असम	217.06	263.77	276.96	290.81	162.80	237.39	124.63	454.995#	0.00	0.00	0.00	45.00
4.	बिहार	167.45	334.49	351.21	368.77	125.59	250.87	131.705	276.58	267.48	368.01	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	125.62	151.32	158.89	166.83	139.935#*	56.745#*	116.33	122.145#*	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	2.56	2.96	3.11	3.27	1.92	1.11	2.275#	1.165#*	4.04	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	299.00	502.12	527.23	553.59	224.25	376.59	395.42#	415.19	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	151.18	192.90	202.55	212.68	167.385	72.34	0.00*	75.95#*	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	113.21	130.76	137.30	144.17	63.69	117.68	123.57	129.75	14.58	149.95	0.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	97.21	172.46	181.08	190.13	108.275#	77.605#	0.00*	77.605#*	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	141.75	259.45	272.42	286.04	157.89#	194.59#	204.32	214.53	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	139.36	160.96	169.01	177.46	104.52	120.72	126.76	133.10	1594.36	0.00	0.00	679.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	केरल	103.91	131.08	137.63	144.51	77.93	98.31	103.22	54.19*	0.00	12.78	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	285.88	392.75	412.39	433.01	214.41	371.88	231.965	324.76	40.53	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	270.94	442.69	464.82	488.06	488.895	366.01	140.32	357.33#*	182.10	310.48	0.00	1022.67
16.	मणिपुर	6.25	7.22	7.58	7.96	6.96	3.25	6.66#	10.57#	0.91	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	12.68	14.65	15.38	16.15	9.51*	6.595*	13.52#	6.92#*	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	7.40	8.55	8.98	9.43	10.941#	3.85#	7.89#	8.30#	0.00	4.57	0.00	0.00
19.	नागालैंड	4.30	4.97	5.22	5.48	3.22	2.235	0.00*	9.405#*	8.47	0.00	0.00	0.00
20.	ओडिशा	339.03	391.58	411.16	431.72	176.504	293.69	308.37	323.79	0.00	560.17	678.65	0.00
21.	पंजाब	177.49	222.92	234.07	245.77	133.12*	83.595*	171.30#	272.105#	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	505.21	600.66	630.69	662.22	378.90	225.25	698.27#	496.67	115.12	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	19.70	22.75	23.89	25.08	14.78	10.24	31.74#	22.57	0.00	0.00	200.38	0.8668
24.	तमिलनाडु	254.13	293.52	308.20	323.61	142.95	220.14	231.15	121.355*	0.00	317.17	500.00	0.00
25.	त्रिपुरा	14.44	19.31	20.28	21.29	16.09*	8.69*	26.94#	9.58*	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	332.75	385.39	404.66	424.89	249.55	289.04	303.50	159.335*	148.96	554.26	0.00	0.00
27.	उत्तराखंड	101.85	117.66	123.54	129.72	76.39	105.89	0.00*	205.595#*	0.00	517.66	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	263.92	304.83	320.07	336.07	197.93	228.62	240.05	252.05	166.869	704.85	0.00	0.00
	कुल	4604.31	6077.30	6381.18	6700.22	3791.865	4337.63	4075.40	4992.73	3261519	4179.25	1636.64	1848.52

*पूर्व में जारी की गई निधियों के जमा, उपयोग प्रमाण-पत्र तथा वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित सूचनाओं के अभाव सीआरएफ/एसडीआरएफ का केन्द्र का हिस्सा जारी नहीं किया गया।

#पूर्व वर्ष के सीआरएफ/एसडीएफ के बकाया सहित।

[हिन्दी]

कोयला-माफिया

3652. श्री जयवंत गंगाराम आवले :
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोल इंडिया लि. (सीआईएल) तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के स्वामित्व वाली कोयला-खदानों में सक्रिय माफिया-गुटों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस कारण सीआईएल एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों को कितनी हानि हुई है; और

(घ) इन कोयला-माफिया पर प्रभावी नियंत्रण करने तथा राष्ट्रीय कोयला-संपत्ति की चोरी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारक कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की कोयला खानों में कार्यरत कोयला माफिया के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। हालांकि यह देखा गया है कि ठेकेदारों के माध्यम से विभिन्न सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए निविदा की प्रक्रिया के दौरान कुछ मामलों में पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी। निविदा की प्रक्रिया में और अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सीआईएल द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) ई-अधिप्राप्ति अपनाना।

(ii) ठेकेदारों और आपूर्तिकर्त्ताओं को ई-भुगतान।

(iii) वेबसाइट पर निविदा आमंत्रित करते हुए नोटिस (एनआईटी) डालना।

(iv) विस्फोटकों की आपूर्ति के लिए निविदाओं में विपरीत ई-नीलामी का उपयोग करना।

(घ) सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों द्वारा चोरी रोकने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) अति-संवेदनशील स्थानों पर चेकपोस्अ स्थापित करना।

(ii) कोल डम्पिग यार्ड के चारों ओर दीवाल की फैंसिंग, बिजली की व्यवस्था तथा 24 घंटे सशस्त्र गार्डों की तैनाती।

(iii) ओबरवर्डन डंपों सहित खान में तथा इसके आस-पास नियमित गश्ती।

(iv) रेलवे साइडिंग्स पर सशस्त्र गार्डों की तैनाती।

(v) जिला अधिकारियों के साथ परस्पर बातचीत तथा समन्वय।

(vi) जिला से बाहर के ट्रकों द्वारा कोयले की ढुलाई के लिए होलोग्राम चिपकाकर तथा केन्दीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के अधिकृत अधिकारियों का हस्ताक्षर के बाद चालान जारी करना।

(vii) कोयले की उठाईगिरी/चोरी के विरुद्ध स्थानीय थाना के साथ कोलियरियों के प्रबंधन तथा सीआईएसएफ द्वारा नियमित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना। अपराधियों के क्रियाकलापों पर निकट निगरानी सीआईएसएफ द्वारा रखी जा रही है।

(viii) तत्काल कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाना आदि।

मवेशियों की तस्करी

3653. श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :
श्री आर. ध्रुवनारायण :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार से मवेशियों की तस्करी किए जाने की खबरें हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सूचित ऐसे मामलों का सीमा-वार ब्यौरा क्या है तथा जब्त किए गए मवेशियों एवं गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस संबंध में सीमा पर तैनात सुरक्षाकर्मियों की भूमिका की जांच की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) देश की सीमा के पार से मवेशियों की तस्करी रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मवेशियों की तस्करी के मामलों और सीमा-वार गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

भारत-बांग्लादेश सीमा

वर्ष	पकड़े गए मवेशी (संख्या)	गिरफ्तार व्यक्ति
2010	101381	287
2011	135291	411
2012	120724	395
2013 (फरवरी तक)	22627	55

भारत-पाकिस्तान सीमा

वर्ष	पकड़े गए मवेशी (संख्या)	गिरफ्तार व्यक्ति
2010	शून्य	शून्य
2011	शून्य	शून्य
2012	शून्य	शून्य
2013 (फरवरी तक)	शून्य	शून्य

भारत-नेपाल सीमा

वर्ष	पकड़े गए मवेशी (संख्या)	गिरफ्तार व्यक्ति
1	2	3
2010	829	26
2011	2903	75
2012	2155	74
2013 (फरवरी तक)	184	7

भारत-भूटान सीमा

वर्ष	पकड़े गए मवेशी (संख्या)	गिरफ्तार व्यक्ति
2010	21	2
2011	14	1
2012	31	0
2013 (फरवरी तक)	12	0

भारत-म्यांमार सीमा

वर्ष	पकड़े गए मवेशी (संख्या)	गिरफ्तार व्यक्ति
2010	शून्य	शून्य
2011	शून्य	शून्य
2012	शून्य	शून्य
2013 (फरवरी तक)	शून्य	शून्य

भारत-चीन सीमा

वर्ष	पकड़े गए मवेशी (संख्या)	गिरफ्तार व्यक्ति
2010	शून्य	शून्य
2011	शून्य	शून्य
2012	शून्य	शून्य
2013 (फरवरी तक)	शून्य	शून्य

(ग) और (घ) सुरक्षा कर्मियों की समस्त गतिविधियों की जांच और निगरानी उनके पर्यवेक्षण स्टाफ/सतर्कता शाखा द्वारा की जाती है। जहां कहीं आवश्यक होता है, ऐसे मामलों का निपटान बल के अनुशासनिक दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

(ङ) प्रभावी आधिपत्य कायम रखने और निगरानी करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं ताकि देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मवेशियों की तस्करी को प्रभावी तरीके से रोका जा सके:—

- अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी पोस्ट स्थापित कर और गश्ती नाकाओं (सीमा पर घात स्थान) द्वारा सीमाओं की चौबीसों घंटे निगरानी कर सीमा पर प्रभावी आधिपत्य कायम रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले नदियों के हिस्से की गश्त और वहां आधिपत्य बनाए रखने का काम बीएसएफ वाटर विंग्स के वाटर क्राफ्ट्स/स्पीड बोटों/तैरते हुए सीमा आउट पोस्टों (बीओपी) की सहायता से किया जाता है।

- बाड़, गश्त मार्गों, तेज रोशनी की व्यवस्था प्रणाली की अतिरिक्त सीमा आउट पोस्टों का निर्माण।

- उच्च-तकनीक के निगरानी उपकरणों का समावेशन। सीमा पर आधिपत्य में आगे और वृद्धि करने के लिए दिन और रात में देखने के उपकरणों के साथ संपूर्ण रूप से लैस अद्यतन निगरानी उपकरणों के प्रापण के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

- सीमा पर विशेष आपरेशन्स का संचालन तथा सहयोगी एजेंसियों के साथ समन्वय एवं आसूचना नेटवर्क का उन्नयन।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को विदेश में शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति

3654. श्री एम.आई. शानवास : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशिष्ट अध्ययन-क्षेत्रों में विदेश में मास्टर स्तर तथा पीएचडी स्तर के पाठ्यक्रमों के अध्ययन हेतु अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय विदेशस्थ शिक्षा छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे उम्मीदवारों के चयन के लिए अर्हता संबंधी क्या मानदंड रखे गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय विदेशस्थ शिक्षा छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की राज्य-वार एवं अध्ययन-क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत कुछ और विशिष्ट अध्ययन-क्षेत्रों को शामिल किरने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) जी, हां।

(ख) अनुसूचित जाति, इत्यादि के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के तहत वार्षिक रूप से तीस नई छात्रवृत्तियों का प्रावधान है। इस स्कीम के क्रियान्वयन हेतु अपनाया गया मानदंड निम्नवत् है:—

(i) उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए;

(ii) रोजगार प्राप्त उम्मीदवार या उसके माता-पिता/अभिभावक की कुल आय 25,000/- रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(iii) उम्मीदवार को संगत स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री में प्रथम श्रेणी अथवा 60% अंक अथवा समतुल्य ग्रेड में उत्तीर्ण होना चाहिए।

(ग) वर्ष 2009-10 में 30 अनुसूचित जाति के छात्रों तथा वर्ष 2010-11 में 29 अनुसूचित जाति के छात्रों और भूमिहीन कृषि श्रमिकों एवं परंपरागत कारीगर श्रेणी के एक छात्र का राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति के लिए चयन किया गया है। छात्रवृत्ति राज्य-वार प्रदान नहीं की जाती है। वर्ष 2009-10 तथा वर्ष 2010-11 प्रत्येक के दौरान चयनित छात्रवृत्ति प्राप्तकर्त्ताओं की फील्ड-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

वर्ष 2011-12 के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु छात्रों का चयन किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) इस स्कीम को वर्ष 2010-11 में आंशिक रूप से संशोधित किया गया। अब, छात्रवृत्ति अध्ययन के निम्नलिखित विशिष्ट क्षेत्रों में प्रदान की जाती है:—

(क) इंजीनियरी, (ख) प्रबंधन, (ग) विशुद्ध विज्ञान, (घ) कृषि विज्ञान, तथा (ङ) चिकित्सा-शास्त्र फिलहाल, इस स्कीम के अंतर्गत अध्ययन के अन्य विशिष्ट क्षेत्रों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

क्र. सं.	अध्ययन क्षेत्र	निम्नलिखित वर्ष के लिए चयनित उम्मीदवारों की संख्या	
		2009-10	2010-11
1.	इंजीनियरी	23	11
2.	विशुद्ध विज्ञान	07	06
3.	कृषि विज्ञान	0	03
4.	प्रबंधन	0	06
5.	चिकित्सा शास्त्र	0	04
	कुल	30	30

[हिन्दी]

बाजार हस्ताक्षेप स्कीम

3655. श्री इज्यराज सिंह :
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री हरीश चौधरी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बागवानी फसलों के किसानों के लाभार्थ प्रारंभ की गई बाजार हस्ताक्षेप स्कीम (एमआईएस) की हाल ही में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) इस स्कीम के अंतर्गत अब तक किन-किन खामियों को चिन्हित किया गया है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि बागवानी-कृषकों को अपनी फसल की पर्याप्त प्रतिपूर्ति मिले, सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) जुलाई, 2001 से एमआईएस के विद्यमान दिशा-निर्देश लागू हैं और ये एमआईएस को अधिक सक्षम बनाने और प्रापण एजेंसियों द्वारा उसका सही प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एनसीएईआर) और कार्यकारी समूह द्वारा आयोजित अध्ययन की सिफारिशों पर आधारित हैं।

(ग) और (घ) कुछ राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड ने (i) प्रापण मात्रा की 10% की उच्चतम सीमा को हटाने (ii) प्रापण लागत के 25% तक सीमित करने के बजाए वास्तविक हानि की प्रतिपूर्ति (iii) ऊपरी खर्चों की 25% की उच्चतम सीमा को हटाने (iv) उत्पादन में न्यूनतम 10% वृद्धि के मानदंड को हटाने या पिछले सामान्य वर्षों की तुलना में मूल्य में 10% की कमी (v) हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों को उत्तर पूर्वी राज्यों के समान मानते हुए हानि की प्रतिपूर्ति करने (vi) ऑयल पाम के उच्च नाशवान जिंस होने के कारण 90 दिनों की अधिकतम अवधि के बजाए अधिक अवधि के लिए एमआईएस के कार्यान्वयन का अनुरोध किया है। संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोधों की जांच की गई और यह देखा गया कि एमआईएस के तहत प्रापण किए गए जिंसों की कम शेल्फ लाइफ के कारण कम भंडारण लागत को दृष्टि में रखते हुए हानि की प्रतिपूर्ति को सीमित किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में न्यूनतम 10% वृद्धि या मंडी मूल्य में न्यूनतम 10% का मानदंड बनाने का औचित्य संबंधित राज्य में मंडी में वास्तविक अतिरेक मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए है। इसके अलावा, एमआईएस स्कीम को राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एनसीएईआर)/कार्यकारी समूह की सिफारिशों, जिन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, के आधार पर संशोधित किया गया है, जिससे उसे लागत प्रभावी बनाया जा सके। इस तरह, स्कीम 30.7.2001 से संशोधित दिशा-निर्देश के साथ जारी है। यह स्कीम बागवानी किसानों को उनकी फसलों के लिए उपयुक्त मूल्य प्राप्त कराना भी सुनिश्चित करती है।

[अनुवाद]

भुखमरी के कारण मौत

3656. श्री नीरज शेखर :
श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री पन्ना लाल पुनिया :
श्री यशवीर सिंह :
श्री अर्जुन राय :
श्री अनन्त कुमार हेगड़े :
श्री अशोक तंवर :
श्री नवीन जिन्दल :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी गोदामों में खाद्यान्नों के अत्यधिक भंडार के बावजूद देश की जनसंख्या का लगभग एक-चौथाई हिस्सा भुखमरी का शिकार है तथा दिल्ली सहित कुछ राज्यों में भुखमरी से मौत होने के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने देश में भूख एवं भुखमरी की समस्या से निपटने के लिए कोई योजना/कार्य-योजना बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (घ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में कराए जाने वाले एनएसएस उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण में पारिवारिक उपभोक्ता व्यय तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर इसके वितरण के अनुमान उपलब्ध कराए जाते हैं। इन सर्वेक्षणों के आधार पर "भारतीय परिवारों में खाद्य पदार्थों के उपभोग की अनुभूत पर्याप्तता" (फरवरी, 2013) के बारे में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट संख्या 547 में उल्लेख किय गया है कि जिन परिवारों ने पूरे वर्ष के दौरान उन्हें प्रतिदिन दो समय का भोजन उपलब्ध होने की सूचना दी है उनका प्रतिशत ग्रामीण भारत में वर्ष 1993-94 में 94.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2009-10 में 98.9 प्रतिशत और शहरी भारत में वर्ष 1993-94 में 98.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2009-10 में 99.6 प्रतिशत हो गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित किसी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से भूख और भुखमरी के कारण किसी की मृत्यु होने की किसी घटना की कोई सूचना अब तक प्राप्त नहीं हुई है।

देश में भूख और भुखमरी की समस्या के समाधान के लिए सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं, जैसे- मिड-डे-मिल स्कीम, एकीकृत बाल-विकास सेवाएं (आईसीडीएस) स्कीम, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम, अन्नपूर्णा, इमरजेंसी फीडिंग कार्यक्रम आदि के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से लक्षित आबादी को उच्च सब्सिडी प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। वर्ष 2012-13 के दौरान, केन्द्रीय पूल में उपलब्ध खाद्यान्नों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने लक्षित सार्वजनिक तिवरण प्रणाली के तहत अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अब तक 578.41 लाख टन खाद्यान्न आबंटित किया गया है। इसमें बीपीएल निर्गम मूल्यों पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 50 लाख टन खाद्यान्न का अतिरिक्त आबंटन और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सबसे गरीब जिलों में वितरण के लिए 21.21 लाख टन खाद्यान्न का अतिरिक्त आबंटन और आपदा राहत, त्यौहारों आदि के लिए आबंति 7.77 लाख टन खाद्यान्न शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत 49.26 लाख टन खाद्यान्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित किया गया है।

[हिन्दी]

सामाजिक स्थिति संबंधी प्रमाण-पत्र

3657. श्री सतपाल महाराज : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक स्थिति संबंधी प्रमाण-पत्र जारी करने तथा उनके सत्यापन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र-प्रशासनों के अनुपालनार्थ एक प्रक्रिया निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का रोजगार एवं शिक्षा के लिए अ.पि. वर्गों को आरक्षण का लाभ उठाने में समर्थ बनाने की दृष्टि से उन्हें यह

प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवश्यक आयगत सीमा बढ़ाकर, अ.पि.व. के संपन्न वर्ग की परिभाषा को संशोधित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने माधुरी पाटिल बनाम अपर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य (1995 एआईआर 94) के मामले में सामाजिक स्थिति संबंधी प्रमाण-पत्रों को जारी करने तथा उनका सत्यापन करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की हैं जिनका अनुपालन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाना है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि जाति प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कार्य शीघ्रतापूवक किया जाए। जाति प्रमाण-पत्रों को जारी करने तथा उनका सत्यापन करने की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर प्रतिबंध लागू करने के लिए वार्षिक आय सीमा को संशोधित करने के बारे में अपनी राय दी है। इस संबंध में मंत्रिमंडल के विचारार्थ एक प्रस्ताव भेजा गया। मंत्रिमंडल ने इस संबंध में यह निर्णय लिया है कि इस मामले पर पहले मंत्रियों के समूह द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

यौन हिंसा के पीड़ित

3658. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री एस.आर. जेयदुरई :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ह्यूमन राइट्स वाच ने हाल ही में रिपोर्ट की है कि भारत में यौन हिं

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने सभी राज्यों की पुलिस और अन्य प्राधिकारियों को संवेदनशील बनाने के निदेश जारी कर दिए हैं और उनके लिए कोई स्थायी प्रचालन प्रक्रिया भी निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मामले का समाधान करने के लिए क्या अन्य प्रभावी उपाय किए गए/जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) ह्यूमन राइट्स वाच एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) है और ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर के दृष्टिकोण से प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। इस प्रकार, सभी प्रकार के अपराध में राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी है। हालांकि, सरकार द्वारा समय-समय पर हिरासत में मौत, व्यक्ति की गिरफ्तारी, महिलाओं के प्रति अपराध, बच्चों के प्रति अपराध, पुलिस कार्मिकों को महिलाओं (जेंडर) के प्रति संवेदनशील बनाने जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर अपेक्षित कदम उठाने और दोषी पाए जाने पर लोक सेवकों आदि को कठोर और असरदार सजा दिए जाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शी-पत्र जारी किए गए हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, हिरासत में मौत/बलात्कार और ऐसी घटनाओं के होने के 24 घंटे के भीतर इनके विषय में रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी दिशा-निर्देश जारी कि गए हैं।

ड्रग्स के दुरुपयोग पर सर्वेक्षण

3659. श्री प्रदीप माझी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल सैम्पल सर्व्रे आर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के निष्कर्ष विभिन्न राज्यों में ड्रग्स के दुरुपयोग की व्याप्तता का यथार्थ रूप पेश नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों में ड्रग्स के दुरुपयोग की सीमा, पैटर्न

और प्रवृत्ति के संबंध में कोई उन्नत प्रायोगिक सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में ड्रग दुरुपयोग के मामलों को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किये गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा नशीले पदार्थ दुरुपयोग के बारे में अमृतसर, इम्फाल और मुम्बई शहरों में मार्च-अप्रैल, 2010 में प्रायोगिक सर्वेक्षण कराया गया था। प्रायोगिक सर्वेक्षण की मसौदा रिपोर्ट में यह पाया गया कि निम्नलिखित कारणों की वजह से नशीले पदार्थ दुरुपयोग की विद्यमानता की यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत नहीं की गई थी:—

- नमूना आकार काफी छोटा था।
- महत्वपूर्ण आयु-समूह अर्थात् 12-18 वर्ष का उल्लेख नहीं था।
- प्रतिवादियों को सिर्फ चार "फ्रेमों" अर्थात् (क) नशा-मुक्ति सुविधाओं का लाभ उठाने वाले, (ख) बार-बार उपयोग किए जाने वाले अड्डों, (ग) रेड लाइट एरिया, तथा (घ) जेलों से लिए गए हैं। कई अय 'फ्रेमों' के संभावित व्यसयिों को छोड़ दिया गया था।
- संबंधित राज्य सरकारों तथा जिला प्रशासन को शामिल नहीं किय गया था।

(ग) और (घ) एनएसएसओ को पंजाब, मणिपुर तथा महाराष्ट्र राज्यों में उन्नत प्रायोगिक सर्वेक्षण कराने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ङ) नशीले पदार्थ दुरुपयोग की समस्या से निजात पाने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मद्यपान तथा नशीले पदाथ (दवा) दुरुपयोग निवारण के लिए सहायता प्रदान करने की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का क्रियान्वयन कर रहा है जिसके तहत गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, नेहरु युवा संगठन, इत्यादि को राज्य-स्तरीय सहायता-अनुदान समिति की सिफारिश तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत संतोषप्रद निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर व्यसनियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केन्द्रों के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने जागरुकता सृजन के माध्यम से देश में नशील पदार्थ दुरुपयोग को रोकने के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप आरंभ किए हैं:—

I. नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस), युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय के सहयोग से मद्यपान तथा नशीले पदाथ दुरुपयोग के दुष्प्रभाव के बारे में जागरुकता सृजन अभियान आरंभ किया गया है। एनवाईकेएस ने अपने स्वयंसेवकों के नेटवर्क के माध्यम से पंजाब तथा मणिपुर के 3750 गांवों में युवाओं में डोर-टू-डोर अभियान, दीवार लिखावटों, केंडल मार्च, पोस्टर अभियानों तथा स्ट्रीट नाटकों इत्यादि के माध्यम से जागरुकता उत्पन्न की है।

II. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय बाल भवन के सहयोग से जागरुकता सृजन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। राष्ट्रीय बाल भवन ने 12 वर्ष से 16 के आयु समूह के बच्चों के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर पोस्टर मेकिंग, सृजनात्मक लेखन, व्याख्यान, रैली, नुक्कड नाटक आदि जेसे कार्यकलापों की एक श्रृंखला आयोजित की है।

III. नशीली दवा दुरुपयोग के विरुद्ध जागरुकता सृजन के लिए प्रतिवर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवा दुरुपयोग तथा अवैध व्यापार दिवस मनाया जाता है। विज्ञापनों, एसएमएस संदेशों, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से जागरुकता के प्रसार हेतु इस अवसर पर एक विशेष अभियान आयोजित किया जाता है। राज्य सरकारों से लाभप्रद ढंग से इस दिवस को मनाने का भी अनुरोध किया गया है।

IV. राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, क्षेत्रीय संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के सहयोग से तथा अन्य सहभागियों के साथ स्कूलों तथा कॉलेजों में सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित करता है।

अनाज की अत्यधिक कम दामों में बिक्री

3660. श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार वृद्धि के बावजूद किसानों द्वारा अनाजों, मुख्य रूप से धान की अत्यधिक कम दामों पर बिक्री की घटनाओं की सूचना पिछले दो वर्षों में कुछ राज्यों से विशेषकर देश के पूर्वी भाग के राज्यों से प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे पर राज्यों से सूचना मांगी है;

(घ) यदि हां, तो इस पर राजों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा किसानों द्वारा की जाने वाली ऐसी अत्यधिक कम दामों में बिक्री को रोकने और उन्हें लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, नहीं। देश के पूर्वी भागों के राज्यों सहित राज्यों से किसानों द्वारा उचित औसत गुणवत्ता वाले अनाज मुख्य रूप से धान की मजबूरन बिक्री किए जाने के किसी मामले की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) किसानों द्वारा मजबूरन बिक्री को रोकने और उन्हें लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(i) न्यूनतम समर्थन मॅल्य के बारे में जागरुकता का प्रसार करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों, गुणवत्ता, विनिर्दिष्टियां, खरीद प्रणाली आदि के बारे में विवरण पत्रों, बैनरों, साइन बोर्डों और विज्ञापनों के माध्यम से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार किया जाता है, ताकि किसान विनिर्दिष्टियों के अनुरूप अपने उत्पाद लेकर आएं।

(ii) न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों के दायरे को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकारों के परामर्श से उपयुक्त स्थानों पर पर्याप्त संख्या में खरीद केन्द्र खोलता है।

(iii) राज्य सरकारें स्व-सहायता समूहों/सहकारी समितियों आदि की नियुक्ति करती हैं, जिनकी पहुंच बेहतर होती है और जो खरीद की मात्रा में वृद्धि कर सकती हैं।

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ किसानों तक पहुंचाता है, जहां कहीं संभव है, सिकानों को भुगतान उनके खाते में देय चैक/इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से करने की व्यवस्था की गई है।

(v) किसानों से खाद्यान्नों की खरीद बढ़ाने हेतु राज्य सरकरों को विकेंद्रीकृत खरीद शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

[हिन्दी]

पशुपालन क्षेत्र में किसान

3661. डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :
श्री रवनीत सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में सूअर पालन और कुक्कुट पालन सहित पशुपालन को बढ़ावा देने और उसका विकास करने के लिए कौन-सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आबंटित और उपयोग की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले दशक में पशुपालन क्षेत्र में किसानों की भागीदारी का स्तर अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) सरकार सूअर पालन तथा कुक्कुट पालन सहित पशुपालन के संवर्धन और विकास के लिए देश में केन्द्रीय प्रायोजित तथ केन्द्रीय क्षेत्र की विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। इस विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई योजनाएं निम्नलिखित हैं:—

1. निम्नलिखित घटकों सहित पशुधन स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण:—

   क. पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (एएससीएडी)

   ख. राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना (एनपीआरई)

   ग. व्यावसायिक दक्षता विकास (पीईडी)

   घ. खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफएमडी-सीपी)

   ङ राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली (एनएडीआरएस)

   च. राष्ट्रीय पेस्ट डिस पेटिटिस रुमिनेंट्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनसीपीपीपीआर)

   छ. राष्ट्रीय ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनसीपीबी)

   ज. पशुचिकित्सा अस्पतालों तथा डिस्पेंसरियों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण (ईएसवीएचडी)

2. राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियाजेना

3. कुक्कुट विकास

4. जुगाली करने वाले छोटे पशुओं तथा खरगोशों का एकीकृत विकास

5. संकटापन पशुधन नस्लों का संरक्षण

6. केन्द्रीय प्रायोजित आहार तथा चारा विाकस योजना

7. पशुधन बीमा

8. कुक्कुट उद्यम पूंजीगत निधि

9. सूअर विकास

(ख) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की सभी योजनाएं मांग आधारित हैं और विभाग द्वारा राज्यों को कोई आबंटन नहीं किया जाता है। पशुपालन के विकास के लिए विभिन्न राज्यों को जारी निधियों संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) पशुपालन क्षेत्र स्व-रोजगार के प्रचुर अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के नवीनतम रोजगार तथा बेरोजगारी सर्वेक्षण (2009-10) के अनुसार, पशुपालन में लगे कामगारों की अनुमानित संख्या सामान्य स्थिति के अनुसार (प्रमुख गतिविधि स्थिति का ख्याल किए बिना मूल स्थिति जमा सहायक स्थिति) 20.5 मिलियन है। पशुपालन क्षेत्र तथा सिकनों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विभाग कई योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है जो किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचा रही हैं। इन योजनाओं में जागरुकता बढ़ाने के लिए घटकों की भी परिकल्पना की गई है।

विवरण

पशुपालन विभाग द्वारा वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3685.092	6915.958	5993.36	3048.95
2.	बिहार	511.55	1200.334	1994.28	2007.39
3.	छत्तीसगढ़	434.41	745	2015.60	1091.12

1	2	3	4	5	6
4.	गोवा	43	194.62	28.14	7.00
5.	गुजरात	1671.33	2863.36	3090.84	2776.70
6.	हरियाणा	1575	2038.94	2783.52	437.74
7.	हिमाचल प्रदेश	519.88	1316.5	926.83	455.80
8.	जम्मू और कश्मीर	872.72	985.08	1926.46	354.95
9.	झारखंड	0	1659.45	990.80	493.10
10.	कर्नाटक	1853.58	2940.272	3302.10	3204ए63
11.	केरल	1325.3	2510.069	2752.09	1436.98
12.	मध्य प्रदेश	1068.75	2081.57	4095.03	1293ए01
13.	महाराष्ट्र	2507.041	5052.415	3137.56	4379.97
14.	ओडिशा	1497.56	900.94	1456.20	360.38
15.	पंजाब	751.81	2362.69	1590.05	1803.31
16.	राजस्थान	1123.26	311	2157.38	369.75
17.	तमिलनाडु	2497.5	2803.47	2368.43	3062.42
18.	उत्तर प्रदेश	2544.22	2641.496	1355.20	3711.79
19.	उत्तराखंड	125.23	818.762	1251.48	175.12
20.	पश्चिम बंगाल	2208	4740.93	1343.67	2594.05
	कुल सभी राज्य	26815.23	45082.86	44559.02	33063.96
21.	अरुणाचल प्रदेश	216.85	680.94	791.62	300.17
22.	असम	664.14	1301.91	234.97	714.59
23.	मणिपुर	578.80	459.37	909.56	0.00
24.	मेघालय	157.47	276.13	189.44	17.16
25.	मिजोरम	185.00	620.35	752.55	425.80

1	2	3	4	5	6
26.	नागालैंड	289.76	656.69	1247.10	580.41
27.	सिक्किम	423.48	318.89	443.04	267.05
28.	त्रिपुरा	0.00	712.01	137.80	535.73
	कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र	2515.50	502?9	4706.08	3840.91
29.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	0.00	2.50	0.00	47.00
30.	पुदुचेरी	15.00	36.50	55.00	10.00
	कुल विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र	15.00	39.00	55.00	57.00
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22.00	17.00	921	13.40 ?
32.	चंडीगढ़	3.50	13.90	4.00	15.90
33.	दादरा और नगर हवेली	6.30	0.00	18.17	0.00
34.	दमन और दीव	3.72	0.00	0.00	0.00
35.	लक्षद्वीप	44.50	24.10	0.00	51.61
	कुल विधान सभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र	80.02	55.00	3138	80.91
	कुल जोड़	29425.75	50203.15	49351.48	36042.78

[अनुवाद]

मौसम आधारित फसल बीमा योजना

3662. **श्री पी.टी. थॉमस :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मौसम आधारित फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना के लाभ को और अधिक किसानों तक पहुंचाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत कितने किसान लाभान्वित हुए और सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितनी सहायता प्रदान की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) 2010 में कृषि वित्त निगम (एएफसी) द्वारा आयोजित मूल्यांकन अध्ययन के जरिए खरीफ 2007 से कार्यान्वयनाधीन मार्गदर्शी मौसम आधारित

फसल बीमा स्कीम (डब्ल्यूबीसीआईएस) की समीक्षा गयी है। इस अध्ययन के स्कीम में अतिरिक्त सुधारों के लिए विभिन्न सुझावों एवं सिफारिश प्राप्त हुई है जिससे किसानों को अधिक वास्तविक से फल हानियों की प्रतिपूर्ति की जा सके। इन सिफारिशों तथा अन्य बातों के आधार पर स्कीम को और सुदृढ़ बनाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।

(ग) और (घ) प्रारंभ में डब्ल्यूबीसीआईएस को खरीफ 2007 से तीन राज्यों में कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत किया गया और समय-समय पर अधिक राज्यों में इसका विस्तार किया गया। इसका कार्यान्वयन रबी 2008-09 से 20 राज्यों में अनुमोदित किया गया। रबी 2010-11 से जम्मू और कश्मीर राज्य में भ अनुमति दे गयी। खरीफ 2013 से पूरे देश में संपूर्ण स्कीम के रूप में इसे किसानों की आय सुरक्षा के लिए समेकित केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में कार्यान्वित का प्रस्ताव है।

लाभान्वित किसानों और मुहैया कराई गई सरकारी सहायता (प्रीमियन राजसहायता) के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

लाभान्वित किसानों तथा डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत मुहैया कराई गई भारत सरकार की सहायता (राज्य-वार)

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (खरीफ 12)	
		लाभान्वित किसानों की संख्या	भारत सरकार सहायता (प्रीमियम राजसहायता)	लाभान्वित किसानों की संख्या	भारत सरकार सहायता (प्रीमियम राजसहायता)	लाभान्वित किसानों की संख्या	भारत सरकार सहायता (प्रीमियम राजसहायता)	लाभान्वित किसानों की संख्या	भारत सरकार सहायता (प्रीमियम राजसहायता)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	17308	236	115794	934.40	896296	10036.34	966819	12149.85
2.	असम	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.	बिहार	865192	6849	1690386	12242.36	1801132	13907.96	1240630	10920.05
4.	छत्तीसगढ़	0	0	1960	22.78	87188	909.03	0	0.00
5.	गुजरात	140891	238	132951	224.35	223819	377.69	0	0.00
6.	हरियाणा	2771	64	12567	418.66	47185	866.92	60721	810.01
7.	हिमाचल प्रदेश	4929	57	17061	236.51	22815	326.27	1319	7.00
8.	झारखंड	16251	42	31478	74.36	61237	309.80	77809	550.02
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10.	कर्नाटक	108229	590	57642	345.01	154946	830.15	209560	1212.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	केरल	8493	66	11843	82.03	4681	60.57	8242	62.80
12.	मध्य प्रदेश	56363	826	384909	4609.64	413834	5496.86	0	0.00
13.	महाराष्ट्र	49832	266	394627	2284.78	45052	1277.05	4457	81.19
14.	मेघालय	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15.	ओडिशा	81429	510	74734	457.73	114570	749.89	31732	237.00
16.	पंजाब	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00 1
17.	राजस्थान	978961	6335	6247131	22952.93	7677433	28457ए02	5314133	17959.00
18.	तमिलनाडु	17908	135	26657	214.34	24057	219.16	11996	105.24
19.	उत्तर प्रदेश	0	0	60828	257.39	37272	293.31	43248	299.66
20.	उत्तराखंड	0	0	3274	70.58	21304	167.78	17639	142.35
21.	पश्चिम बंगाल	14023	57	31785	217.64	41149	299.83	370	1.23
	कुल	2362580	16270	9295627	45645.49	11673970	64585.63	7988675	44538.191

एन.बी.: जीरो का अर्थ है कार्यान्वित नहीं की गई।

*केवल खरीफ 2012 के लिए।

उपभोक्ता क्लब

3663. श्रीमती अन्नू टन्डन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का प्रवर्तन और उपभोक्ता जागरुकता और समाधान के लिए राष्ट्रीय कार्य

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्यालयों में स्थापित किए गए उपभोक्ता क्लबों के उद्देश्य और कार्य क्या है और इस प्रयोजन हेतु कितनी राशि का आबंटन किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार का विचार विद्यालयों में और अधिक उपभोक्ता क्लबों की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप क्या उपब्धियां प्राप्त की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, हां। विभाग ने उपभोक्ता जागरुकता एवं प्रतितोष तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रवर्तन के संबंध में दो मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किए:—

विभाग ने देश में उपभोक्ताओं की जागरुकता के स्तर का पता लगाने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ के माध्यम से वर्ष 2012 में एक अध्ययन किया। अध्ययन के लिए 6 राज्यों के 2400 व्यक्तियों के नमूनों का चयन किया गया था। देश में जागरुकता का स्तर निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	राज्य	जागरुकता सूचकांक प्राप्तांक (10 के पैमाने पर)
1.	महाराष्ट्र	6.583
2.	दिल्ली	5.950
3.	केरल	5.902
4.	बिहार	5.53
5.	उत्तर प्रदेश	5.465
6.	पूर्वोत्तर (असम)	4.865

विभाग ने "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रभाव तथा प्रभावकारिता" से संबंधित एक मूल्यांकन अध्ययन को भी प्रायोजित किया है जो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा किया गया।

अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य निष्कर्षों में निम्नलिखित बिन्दु शामिल हैं:-

(i) खरीदारी के बाद केवल 26.0% व्यक्तियों ने ही हमेशा नगदी रसीद/बिल की मांग की। 41.9% व्यक्तियों ने इसके लिए कभी-कभी पूछा तथा 32.1% व्यक्तियों ने क्रय रसीद/बिल के लिए कभी नहीं पूछा।

(ii) 70.6% व्यक्ति अधिकतम खुदरा मूल्य के बारे में जानते हैं तथा 48% व्यक्तियों को यह पता है कि अधिकतम खुदरा मूल्य पर मोल-भाव किया जा सकता है और उत्पाद को कम मूल्य पर खरीदा जा सकता है।

(iii) 70.5% उपभोक्ताओं को आईएसआई मार्क के बारे में पता है, 41.3% व्यक्ति एगमार्क के बारे में जानते हैं तथा 47.2% व्यक्ति हॉलमार्क के बारे में जानते हैं।

(iv) 84.9% उपभोक्ता जानते हैं कि जिला मंच में केवल उपभोक्ता ही शिकायत दर्ज कर सकता है, 51.7% ने कहा कि केवल स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन ही शिकायत दर्ज कर सकता है तथा 31.3% ने कहा कि सिर्फ सरकार ही शिकायत दर्ज कर सकती है।

(v) जिला मंच में शिकायत दज कराने वालों में से 77.6% ने कहा कि आदेशें का प्रभावी कार्यान्वयन हुआ।

(vi) विकल्प दिए जाने के संबंध में 60% व्यक्तियों ने कहा कि वो शिकायत दर्ज करने के बजाए मध्यस्थता को पसंद करेंगे।

(vii) 86.62% व्यक्तियों को "जागो ग्राहक जागो" अभियान बहुत ही सूचनापद लगा।

(ग) उपभोक्ता क्लबों की स्थापना करने के उद्देश्य एवं कार्य, बच्चों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में उपलब्ध कराए गए उपभोक्ता अधिकारों के बारे में शिक्षित करना; युवाओं के मन में उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण की भावना बैठाकर उन्हें गतिशील बनाना; उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी देना तथा देश में उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत बनाना है।

(घ) और (ङ) जी, हां। अब तक 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूलों/कॉलेजों में 7749 उपभोक्ता क्लबों की स्थापना की जा चुकी है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपने यहां उपभोक्ता क्लब स्थापित करने हेतु निरंतर अनुरोध किया जाता है।

[हिन्दी]

हिरासत में मृत्यु पर सुझाव

3664. श्री जगदीश सिंह राणा :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अकादमी, विधि आयोग और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हिरासत में मृत्यु/पुलिस हिरासत में यातना और पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने के संबंध में कुछ सुझाव/सिफारिशें दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) भारत के विधि आयोग द्वारा अपनी 154वीं, 177वीं तथा 178वीं रिपोर्टों में की गई सिफारिशों तथा आपराधिक नयाय प्रणाली में सुधार, मालीमथ समिति की रिपोर्ट, जिसे सरकार द्वारा यथावत स्वीकार कर लिया गया था, के आधार पर, दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया गया है। अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, हिरासत में होने वाले अपराधों से संबंधित उपबंध-निहित हैं जिनमें ये शामिल हैं: (i) गिरफ्तार किए जाने से पूर्व न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के संबंध में नोटिस जारी करना; (ii) गिरफ्तार किए जाने के ठीक उपरांत दोषी व्यक्ति की चिकित्सीय जांच; (iii) गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति द्वारा दोषी व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का उचित रूप से ध्यान रखा जाना; (iv) पीड़ितों को मुआवजे की व्यापक योजना; (v) महिला अभियुक्त को पुरुष पुलिस अधिकारी द्वारा न छूना इत्यादि शामिल है।

यह भी उल्लेखनीय है कि सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है। जहां तक एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध है, यह एक गैर-सरकारी संगठन है तथा ऐसी कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, "पुलिस" तथा "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। इस प्रकार, ऐसे अपराधों में कार्रवाई करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। केन्द्र सरकार पुलिस कार्रवाई के दौरान हुई मौतों के सभी मामले में परामर्शी पत्र जारी करता है, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिशा-निर्देश जारी करता है जिनका राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पालन किया जाना होता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकारों के बेहतर संरक्षण, विशेषकर हिरासत में व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य सरकारों के अधिकारियों को सुविज्ञ बनाने के लिए कार्यशालाएं/सेमिनार भी आयोजित किए जाते हैं। हिरासत (पुलिस या न्यायिक) में होने वाली प्रत्येक मौत, चाहे वह प्राकृतिक मौत हो या किसी अन्य तरीके से हुई मौत, उसकी सूचना 24 घंटे के भीतर राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लोक सेवक की ओर से किसी प्रकार की साजिश अथवा अनदेखी, जिसकी वजह से मृत्यु हुई, का पता लगाने के लिए तहकीकात रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आदि जैसी विभिन्न रिपोर्टें मंगाता है।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग

3665. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :
श्री ओम प्रकाश यादव :
श्री मधु गौड यास्खी :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में पुलिस सुधार के संबंध में राष्ट्रीय पुलिस आयोग (एनपीसी) की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आयोग द्वारा क्या सिफारिशें की गई और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है;

(घ) क्या सभी राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सभी सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और केन्द्र सरकार द्वारा आयोग की सभी सिफारिशों का कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए क्य कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) केन्द्र सरकार ने बहुत समय पहले वर्ष, 1977 में, देश में पुलिस व्यवस्था की व्यापक समीक्षा तथा पुलिस सुधारों के आवश्यक उपायों की सिफारिश करने के लिए श्री धर्मवीर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया था। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने फरवरी, 1979 से मई, 1981 की अवधि के दौरान आठ रिपोर्टें प्रस्तुत कीं। गृह मंत्रालय में इस प्रकार का कोई पिछला रिकॉड उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन करते समय राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सभी आठ रिपोर्टें, सिफारिशों पर उचित कार्रवाई किए जाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज

दी गई थीं। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की विभिन्न सिफारिशों, जिन्हें केन्द्र सरकार ने कार्यान्वित किया है, का संबंध राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत, राज्यों के पुलिस बल के पुलिस कार्मिकों के आवास, पुलिस संचार प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए अधिक, धनराशि, कम्प्यूरीकरण हेतु सहायता दिए जाने, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना किए जाने, आईपीएस अधिकारियों के लिए सरकार वल्लभ भाई राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रबंधन पाठ्यक्रमों का आयोजन किए जाने, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, पुलिस बेतार समन्वय निदेशालय और लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध-शास्त्र एवं विधि-विज्ञान निदेशालय के ढांचे को चुस्त-दुरुस्त बनाए जाने तथा व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित दिशा-निर्देशों को जारी किए जाने आदि से है।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग के गठन के पश्चात् अतीत में पुलिस सुधारों से संबंधित अनेक समितियां भी गठित की गईं हैं। दिसम्बर, 2004 में पिछली समितियों/राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक समीक्षा समिति गठित की गई थी। उपर्युक्त समीक्षा समिति ने पुलिस सुधारों से संबंधित पिछली समितियों/राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों में से 49 सिफारिशें छांटी, जो पुलिस को व्यावसायिक रूप से सक्षम और सेवा उन्मुखी संगठन बनाने के लिए महत्वपूर्ण थीं। उपर्युक्त समीक्षा समिति ने वर्ष 2005 में इस मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इन 49 सिफारिशों को कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास भेज दिया गया।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' के राज्य का विषय होने के नाते राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को ही विभिन्न पुलिस सुधार संबंधी उपाय कार्यान्वित करने हैं। गृह मंत्रालय द्वारा राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों के अनुग्रह सहायता जारी किए जाने के माध्यम से भी पुलिस सुधार संबंधी उपायों में सहायता पहुंचायी जा रही है। उपर्युक्त योजना के अंतर्गत राज्य पुलिस की पुलिस अवसंरचना की प्रमुख मदें सहायता, आधुनिक हथियार, प्रशिक्षण अवसंरचना संबंधी सुविधाएं, विधि-विज्ञान उपकरण, सुरक्षा उपकरण, यातायात उपकरण, कनिष्ठ स्तर के पुलिस कार्मिकों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण आदि हैं। केन्द्र सरकार, आम लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए पुलिस प्रशासन में अपेक्षित सुधार लाने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों पर जोर डालती रही है।

[अनुवाद]

निजी सिक्योरिटी गार्डों संबंधी निदेश

3666. श्री रुद्रमाधव राय : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निदेश जारी किए हैं कि पैसठ वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति और कदाचार और नैतिक चरित्रहीनता के कारण सेवा से बर्खास्त किए गए व्यक्ति निजी सिक्योरिटी गार्ड के रूप में नियोजित नहीं किए जा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने उच्चतम न्यायालय के निदेशों का निजी एजेंसियों द्वारा उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई विनियामक तंत्र स्थापित किया है और इस संबंध में ऐसे निदेशों को निजी सिक्योरिटी एजेंसियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन्स को भी जारी कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार निजी सिक्योरिटी एजेंसियों के कार्यकरण पर किस विधि द्वारा निगरानी/नियंत्रण रखती है

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय का इस प्रकार का कोई विदेश गृह मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियम) अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) में उल्लिखित शर्तों में से एक शर्त यह है कि तब किसी व्यक्ति को निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियम) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत लाइसेंस जारी किए जाने पर विचार नहीं किया कदाचार या नैतिक पतन के आधार पर सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया हो या हटाया गया हो। निजी सुरक्षा गार्ड की पात्रता संबंधित शर्तें, अधिनियम की धारा 10(1) के अंतर्गत उल्लिखित है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि कोई निजी सुरक्षा एजेंसी, निजी सुरक्षा गोर्ड के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को तब तक नौकरी नहीं देगी या काम पर नहीं लगाएगी जब तक कि उसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली हो और वह पैंसठ वर्ष से कम हो।

निजी सुरक्षा एजेंसियों के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए केन्द्र सरकार ने दिनांक 23 जून, 2005 के भारत के राजपत्र

(असाधारण) के भाग-II खंड-I में प्रकाशित निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया है तथा 26.4.2006 के भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग-II खंड-3 उप-खंड(ii) में प्रकाशित निजी सुरक्षा एजेंसियां केन्द्रीय मानक नियम, 2006 भी अधिसूचित किया है। अब तक 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उपर्युक्त अधिनियम और केन्द्रीय मानक नियमों के प्रावधान के आधार पर नियम तैयार किए हैं और अधिसूचित किए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 और केन्द्रीय मानक नियम, 2006 के अनुसार, निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गार्डों/पर्यवेक्षकों के पद पर भर्ती किए गए व्यक्तियों से संबंधित जानकारी का समुचित सत्यापन सुनिश्चित करना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के नियंत्रक प्राधिकारियों की जवाबदेही है।

[हिन्दी]

समाधियों का सौंदर्यीकरण

3667. श्री जयप्रकाश अग्रवाल : क्या **संस्कृतिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में राजघाट, विजय घाट, वीर भूमि समाधि स्थल और इनके आसपास के क्षेत्रों के हरित पट्टी के रूप में सौंदर्यीकरण और विकास करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) से (ग) दिल्ली स्थित राजघाट, विजय घाट, वीर-भूमि, समाधि स्थल और उसके आस-पास का क्षेत्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित नहीं है। तथापि, राजघाट समाधि समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके द्वारा सिर्फ राजघाट समाधि स्थल परिसर का रख-रखाव किया जाता है जो पहले से ही एक विकसित और सौंदर्यीकृत क्षेत्र है अत: हरित पट्टी के रूप में राजघाट के सौंदर्यीकरण और विकास की कोई योजना नहीं है।

तथापि, आस-पास के क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष अपेक्षानुसार नियमित पौधा-रोपण किया जाता है।

पड़ोसी देशों द्वारा भारत-विरोधी दुष्प्रचार

3668. श्री राम सुन्दर दास :
श्री कपिल मुनि करवारिया :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सीमावर्ती राज्यों में पाकिस्तान सहित कतिपय पड़ोसी देशों द्वारा रेडियो/टेलीविजन के माध्यम से भारत-विरोधी दुष्प्रचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को उक्त क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों की तुलना में पड़ोसी देशों के कार्यक्रमों के प्रसारण की सुग्राह्यता बेहतर है और वे इन कार्यक्रमों को देखने/सुनने के लिए बाध्य हैं के संबंध में सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और वहां तैनात सशस्त्र कार्मिकों की रिपोर्टें/शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है और उन पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) बिहार और उत्तर प्रदेश सहित, सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन/आकाशवाणी नेटवर्कों के उन्नयन हेतु आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस प्रकार के दुष्पचार से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) ऐसी जानकारी मिली है कि सीमा-पार से होने वाले भारत-विरोधी दुष्प्रचार संबंधी प्रसारण जम्मू और कश्मीर राज्य में प्राप्त होता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन अपने नेटवर्क को सुदृढ़ करके जम्मू और कश्मीर तथा अन्य सीमावर्ती राज्यों में अपनी कवरेज में सुधार ला रहे हैं। ऐसे दुष्प्रचार को निष्फल बनाने के लिए आकाशवाणी एवं दूरदर्शन द्वारा अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

(ग) से (च) सीमा-पार से टीवी/रेडियो सिगनल देश के कुछ क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। विगत हाल ही में दूरदर्शन के सिगनलों की

तुलना में पड़ोसी देशों के टीवी सिगनलों के बेहतर अभिग्रहण के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे क्षेत्रों में आकाशवाणी/दूरदर्शन के सिगनल उपलब्ध हैं और उनकी गुणवत्ता विदेशी सिगनलों की तुलना में ठीक है। तथापि, कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में टीवी/आकाशवाणी की असंतोषजनक कवरेज के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती हैं। स्थलीय ट्रांसमीटरों द्वारा कवर न किए गए सभी क्षेत्रों (बिहार में सीमावर्ती क्षेत्रों सहित) और देश के शेष भाग को दूरदर्शन की फ्री-टु-एयर डीटीएच सेवा, "डीडी डॉयरेक्ट प्लस" के जरिए बहु-चैनल टीवी कवरेज मुहैया कराई गई है, इस सेवा के सिगनल लधु आकार की डिश अभिग्रहण प्रणाली की मदद से देश में कहीं भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

जम्मू और कश्मीर में रेडिया व टीवी क कवरेज को और सुदृढ़ बनाने के लिए 11वीं योजना में 100 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक स्कीम का अनुमोदन किया गया है। इस स्कीम के अन्य के साथ-साथ, जम्मू और कश्मीर में पांच उच्च शक्ति टीवी ट्रांसमीटरों (राजौरी में 2 एचपीटी के अतिरिक्त कश्मीर क्षेत्र-1; जम्मू-क्षेत्र-1; लद्दाख क्षेत्र-1) की स्थापना करने की परियोजनाएं शामिल हैं और इस समय इसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

दूरदर्शन और आकाशवाणी समय-समय पर निरुपति अनेक विस्तार योजाओं में देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी कवरेज के विस्तार को प्राथमिकता देते रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर में दूरदर्शन एवं आकाशवाणी की सेवाओं के विस्तार व उन्नयन हेतु विशेष पैकेजों का कार्यान्वयन किय गया है। इस समय, सीमावर्ती जिलों में विभिन्न क्षमता के 273 टीवी ट्रांसमीटर काम कर रहे हैं।

[अनुवाद]

चोरी के मामले

3669. श्री शैलेन्द्र कुमार :
डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क :
श्री पी.सी. मोहन :
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वीआईपी क्षेत्रों सहित राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली में चोरी और डकैती की अनेक घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार मोटर बाइक, आभूषण आदि की चोरी सहित ऐसे कुल कितने मामले रिपोर्ट किए गए, और कितने अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और कितने दोष सिद्ध किए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) ऐसे सुलाझाए/अनसुलाझाए मामलों की कुल कितनी संख्या है और सभी लंबित मामलों को सुलझाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए और वीआईपी क्षेत्रों सहित दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए चोरी और डकैती के मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	चोरी	डकैती
2010	23028	32
2011	22899	33
2012	22032	28
2013 (15.02.2013 तक)	2894	03

पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान गिरफ्तार किए गए तथा दोषसिद्ध किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	चोरी		डकैती	
	गिरफ्तार किए गए	दोषसिद्ध किए गए	गिरफ्तार किए गए	दोषसिद्ध किए गए
1	2	3	4	5
2010	8996	682	182	03
2011	10111	587	208	0

1	2	3	4	5
2012	8041	264	156	0
2013 (15.02.2013 तक)	583	0	13	0

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए मामलों की तुलना में सुलझाए गए मामलों की कुल संख्या निम्नानुसार है:—

वर्ष	चोरी	डकैती
2010	5660	30
2011	6483	32
2012	5363	27
2013 (15.02.2013 तक)	424	2

भविष्य में ऐसे मामलों की रोकथाम करने के लिए तथा दिल्ली को संरक्षित एवं सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठए गए कदम निम्नानुसार हैं:—

- बीट गश्ती प्रणाली को निए सिरे से दुरुस्त करना।
- पुलिस की उपस्थिति और गश्त में अभिवृद्धि करना।
- प्रत्येक पुलिस थाने में अपराध पैटर्न के आधार पर सुभेद्य क्षेत्रों की पहचान करना।
- मोटर बाइकों पर सवार युवकों की टारगेट चैंकिंग करना।
- क्षेत्र में बढ़ी हुई पुलिस उपस्थिति के द्वारा शीघ्र कार्रवाई समय तय करना।
- जिला पुलिस द्वारा मैक्रो-आसूचना का संग्रहण।
- अभिज्ञात अपराधियों पर पैनी निगरानी।
- दोषसिद्धि के उपरांत जेल के बाहर आने पर अथवा जमानत पर रिहा होने पर अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखना।
- 'आईज एंड ईयर्स' जैसी स्कीमों के माध्यम से अपराध नियंत्रण हेतु जनता की भागीदारी।

डेयरी सहकारी समितियां

3670. श्री एस. अलागिरी :
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में आज की तारीख तक कार्यरत डेयरी सहकारी समितियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) आज की तारीख तक सहकारी क्षेत्र द्वारा औसत दूध खरीद का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) डेयरी सहकारी समितियों की संख्या और सहकारी क्षेत्र के माध्यम से औसत दूध खरीद को बढ़ाने के लिए क्य कदम उठाए गए हैं और इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने सूचित किया है कि 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार 1,48,95 डेयरी सहकारिताओं ने 28,705 हजार किलोग्राम प्रतिदिन की औसत दुग्ध प्राप्ति की। 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार औसत दुग्ध प्राप्ति सहित डेयरी सहकारी समितियों की राज्य-वार संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ग) पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'सघन डेयरी विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है जिसमें दुग्ध प्राप्ति में वृद्धि हेतु नई डेयरी सहकारी समितियों के लिए सहायता का प्रावधान है। 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार आयोजित डेयरी सहकारी समितियों की संख्या की उपलब्धि और औसत दुग्ध प्राप्ति नीचे दी गई है:—

आयोजित डीसीएस की संख्या (संख्या में)	32,083
प्रति डीसीएस औसत दुग्ध प्राप्ति (लीटर प्रतिदिन में)	96.93

विवरण

दिनांक 31.3.12 की स्थिति नुसार औसत दुग्ध खरीद के साथ संगठित राज्य-वार डेयरी सहकारिताओं की संख्या

राज्य/क्षेत्र	मार्च, 2012 तक आयोजित डेयरी सहकारिताओं की संख्या	औसत दुग्ध प्राप्ति (हजार कि.ग्रा. प्रतिदिन) 2011-12
1	2	3
आंध्र प्रदेश	4,979	1,503
असम	188	7
बिहार	11,131	1,061
छत्तीसगढ़	794	30
गोवा	178	41
गुजरात	14,631	10,450
हरियाणा	7,029	534
हिमाचल प्रदेश	765	68
झारखंड	53	5
कर्नाटक	12,925	4,276
केरल	3,695	802
मध्य प्रदेश	6,744	721
महाराष्ट्र	21,631	3,130
नागालैंड	49	2
ओडिशा	3,337	300
पुदुचेरी	102	30
पंजाब	7,639	1,110
राजस्थान	16,809	1,742
सिक्किम	289	13
तमिलनाडु	10,418	2,161
त्रिपुरा	84	3
उत्तर प्रदेश	22,450	497
पश्चिम बंगाल	3,045	219
कुल	1,48,965	28,705

खाद्यान्नों का निर्यात

3671. श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी :
श्रीमती श्रुति चौधरी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितने खाद्यान्न का निर्यात किया गया और इससे कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न के कुल भंडार और निर्यात के लिए आवंटित खाद्यान्न की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यातकों को खाद्यान्न राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न जारी किया गया था;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान दी गई राजसहायता और जारी किए गए खाद्यान्न का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए खाद्यान्नों और उनके मूल्यों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के केन्द्रीय पूल स्टॉक से खाद्यान्नों अर्थात् गेहूं और चावल का कोई निर्यात नहीं किया गया है। तथापि वर्ष 2012-13 के दौरान सरकार ने वाणिज्य विभाग के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से केन्द्रीय पूल स्टॉक से 45 लाख टन अधिशेष गेहूं का निर्यात करने हेतु अनुमति प्रदान की है, जिसे वैश्विक निविदाओं के माध्यम से दिनांक 14.6.2013 तक पूरा किया जाना है। दिनांक 14.6.2013 की स्थिति के अनुसार 30.60 लाख टन की अनुमोदित निविदित मात्रा की तुलना में 25.3 लाख टन का निर्यात किया जा चुका है। तब तक अनुमोदित निविदाओं हेतु भारित औसत मूल्य 314.01 अमेरिकी डॉलर प्रति टन है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पहली अप्रैल को तथा वर्तमान वर्ष के दौरान दिनांक 01.03.2013 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में गेहूं और चावल (चावल के रूप में अनमिल्ड धान सहित) के स्टॉक का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(आंकड़े लाख टन)

वर्ष	चावल	गेहूं	कुल
01.04.2010	267.13	161.25	428.38
01.04.2011	288.20	153.64	441.84
01.04.2012	333.50	199.52	533.02
01.03.2013	357.69	271.03	628.72

उपर्युक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय पूल में गेहूं और चावल (चावल के प में अनमिल्ड धान) का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गय है।

(ग) जी, नहीं। गेहूं का निर्यात खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से 300 अमेरिकी डॉलर प्रति टन के निर्धारित फ्लोर मूल्य पर किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आबंटित खाद्यान्नों और उनके उठान तथा उनके मूल्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

खाद्यान्नों का आबंटन और उठान

(रुपए प्रति क्विंटल)

वर्ष	गेहूं		चावल	
	गिरफ्तार किए गए	दोषसिद्ध किए गए	गिरफ्तार किए गए	दोषसिद्ध किए गए
2009-10	227.84	189.91	248.19	234.12
2010-11	214.49	188.79	260.98	248.41
2011-12	227.49	187.86	261.27	243.25
2012-13 (जनवरी'13 तक)	195.18	166.09	225.25	22.18

खाद्यान्नों का केन्द्रीय निर्गम मूल्य

(रुपए प्रति क्विंटल)

जिंस	एपीएल	बीपीएल	एएवाई
चावल (सामान्य)	795*	565	300
चावल (ग्रेड ए)	830	565	300
गेहूं	610	415	200

*केवल जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और उत्तराखंड पर लागू। तथापि टीपीडीएस परिवारों के लिए गेहूं हेतु 845/- रुपए प्रति क्विंटल और चावल के लिए 1185/- रुपए प्रति क्विंटल की दर से विशेष तदर्थ आवंटन किया गया था।

विवरण

1 अप्रैल, 2010 से केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की राज्य-वार और अनाज-वार स्टॉक की स्थिति

राज्य	1 अप्रैल, 2010 कुल केन्द्रीय पुल स्टॉक			1 अप्रैल, 2011 कुल केन्द्रीय पुल स्टॉक			1 अप्रैल, 2012 कुल केन्द्रीय पुल स्टॉक			1 अप्रैल, 2013 कुल केन्द्रीय पुल स्टॉक		
	चावल	गेहूं	कुल	चावल	गेहूं	कुल	चावल	गेहूं	कुल	चावल	गेहूं	कुल
12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
बिहार	3.26	2.03	5.29	2.68	1.57	4.25	13.77	1.69	15.46	7.32	3.57	10.89
झारखंड	0.65	0.62	1.27	0.51	0.28	0.79	1.11	0.11	1.22	1.93	0.04	1.97
ओडिशा	14.99	0.65	15.64	14.92	1.57	16.49	19.04	1.45	20.49	27.71	2.12	29.83
पश्चिम बंगाल	6.73	3.78	10.51	4.62	3.61	8.23	6.70	3.75	10.45	4.93	3.04	7.97
असम	1.20	0.42	1.62	0.74	0.35	1.09	1.35	0.31	1.66	1.81	0.28	2.09
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03	0.05	0.03	0.01	0.04	0.11	0.01	0.12
त्रिपुरा	0.20	0.12	0.32	0.38	0.06	0.44	0.20	0.05	0.25	0.49	0.00	0.49
मिजोरम	0.10	0.02	0.12	0.17	0.01	0.18	0.10	0.00	0.10	0.17	0.01	0.18
मेघालय	0.08	0.03	0.11	0.08	0.00	0.03	0.14	0.01	0.15	0.23	0.01	0.24
मणिपुर	0.11	0.03	0.14	0.02	0.05	0.07	0.11	0.02	0.13	0.23	0.04	0.27
नागालैंड	0.20	0.07	0.27	0.11	0.04	0.15	0.20	0.00	0.20	0.29	0.02	0.31
दिल्ली	0.33	1.99	2.32	0.37	0.87	1.24	0.27	1.85	2.12	0.38	1.19	1.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
हरियाणा	12.78	38.15	50.93	15.57	29.84	45.41	18.48	50.49	68.97	29.33	71.06	100.39
हिमाचल प्रदेश	0.09	0.14	0.23	0.04	0.07	0.11	0.04	0.09	0.13	0.07	0.20	0.27
जम्मू और कश्मीर	0.46	0.24	0.70	0.32	0.17	0.49	0.42	0.31	0.73	0.51	0.36	0.87
पंजाब	103.65	51.97	155.62	112.04	50.84	162.88	106.41	65.01	171.42	123.68	103.93	227.61
राजस्थान	0.20	16.93	17.13	0.37	15.45	15.82	0.37	18.99	19.36	0.28	18.85	19.13
उत्तर प्रदेश	26.18	7.05	33.23	19.18	9.95	29.13	25.50	15.20	40.70	20.36	13.45	33.81
उत्तराखंड	2.64	0.45	3.09	2.30	0.29	2.59	2.04	0.46	2.50	2.14	0.30	2.44
आंध्र प्रदेश	34.27	1.65	35.92	39.43	0.58	40.01	52.77	0.95	53.72	46.29	2.89	49.18
केरल	4.65	2.47	7.12	5.65	1.27	6.92	10.20	1.31	11.51	5.80	2.66	8.46
कर्नाटक	4.54	0.88	5.42	2.91	1.27	4.18	4.88	0.67	5.55	2.79	1.13	3.92
तमिलनाडु	14.69	2.16	16.85	21.23	0.73	21.96	19.99	1.02	21.01	12.48	2.38	14.86
गुजरात	0.44	6.23	6.67	0.98	4.39	5.37	1.43	4.32	5.75	0.68	7.92	8.60
महाराष्ट्र	5.28	9.48	14.76	8.90	7.17	16.07	9.76	8.06	17.82	6.72	12.25	18.97
मध्य प्रदेश	2.50	8.86	11.36	3.29	20.01	23.30	7.40	19.24	26.64	11.01	20.62	31.63
छत्तीसगढ़	23.28	0.36	23.64	27.80	0.68	28.48	27.70	0.52	28.22	45.80	0.68	46.48
मार्गस्थ स्टॉक	3.62	4.46	8.08	3.57	2.49	6.06	3.08	3.63	6.71	4.15	2.02	6.17
पत्तन पर गेहूं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (अखिल भारत)	267.13	161.25	428.38	288.20	153.64	441.84	333.50	199.52	533.02	357.69	271.03	628.72

सीमावर्ती चौकियां

3672. **डॉ. एम. तम्बिदुरई : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विद्यमान सीमावर्ती चौकियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या ये सीमावर्ती चौकियां सीमापार से घुसपैठ और असामाजिक तत्वों को रोकती हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन चौकियों पर तैनात कार्मिकों द्वारा कितने प्रयासों को विफल कर दिया गया; और

(घ) सरकार द्वारा घुसपैठ और आतंकवादियों की सीमपार से आवाजाही को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) वर्तमान में, पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 609 सीमावर्ती चौकियां विद्यमान है।

(ख) और (ग) भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित बीओपी ने सीमा पर होने वाली घुसपैठ को रोकने के प्रयासों में मदद की है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीमा पार करते हुए पकड़े गए और मारे गए लोगों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

वर्ष	सीमापार करने वाले (आने वाले)	
	पकड़े गए	मारे गए
2010	119	15
2011	85	12
2012	125	17
2013 (28 फरवरी)	51	—

(घ) प्रभावी आधिपत्य कायम रखने और निगरानी करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं ताकि सीमा पर होने वाले घुसपैठ को प्रभावी तरीके से रोका जा सके:—

- अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी पोस्ट स्थापित कर और गश्ती नाकाओं (सीमा पर घात स्थान) द्वारा सीमाओं की चौबीसों घंटे निगरानी कर सीमा पर प्रभावी आधिपत्य कायम रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वो नदियों के हिस्से की गश्त और वहां आधिपत्य बनाए रखने का काम बीएसएफ वाटर विंग्स के वाटर क्राफ्ट्स/स्पीड बोटों/तैरते हुए सीमा आउट पोस्टों (बीओपी) की सहायता से किया जाता है।

- बाड़, गश्त मार्गों, तेज रोशनी की व्यवस्था प्रणाली और अतिरिक्त सीमा आउट पोस्टों का निर्माण।

- उच्च-तकनीक के निगरानी उपकरणों का समावेशन। सीमा पर आधिपत्य में लगे और वृद्धि करने के लिए दिन और रात में देखने के उपकरणों के साथ संपूर्ण रूप से लैस अद्यतन निगरानी उपकरणों के प्रापण के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

- सीमा पर विशेष आपरेशन्स का संचालन तथा सहयोगी एजेंसियों के साथ समन्वय एवं आसूचना नेटवर्क का उन्नयन।

[हिन्दी]

उत्तर-पूर्व के लोगों के विरुद्ध अपराध

3673. **श्री गणेश सिंह :**
श्री जोसेफ टोप्पो :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लोगों विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध अपराध/अत्याचार के मामलों की खबर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अपराध-वार तथा राज्य-वार ऐसे कुल कितने मामलों की रिपोर्ट है तथा कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मामलों के कारणों का पता लगाने के लिए कोई समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हुए हैं;

(ङ) क्या सरकार ऐसे मामलों को रोकने के लिए कोई कार्य-योजना बना रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मामलों से निपटने के लिए अन्य कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र को आने वाले लोगों, विशेषकर महिलाओं के प्रति अपराध/अत्याचार के मामलों संबंध में कोई विशिष्ट आंकड़े/सूचना अलग से नहीं रखी जाती है।

(ङ) और (च) कुछ राज्यों और दिल्ली में पूर्वोत्तर से आए लोगों के प्रति अपराध की कुछ घटनाओं की सूचना मिली है। किन्तु ये घटनाएं कभी-कभार और अलग प्रकृति की रही है और शरारती तत्वों को पकड़ने की तत्काल कार्रवाई की गई है। भारत के संविधन की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और इसलिए राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने क्षेत्राधिकार के भीतर अपराध की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, पंजीकरा एवं पड़ताल करने तथा अपनी विधि प्रवर्तन मशीनरी के माध्यम से अपराधियों पर अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक तौर पर उत्तरदायी हैं। तथापि, संघ सरकार अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के मामले को अत्यधिक महत्व देती हैं। गृह मंत्रालय ने देश के कुछ भागों में पूर्वोत्तर राज्यों के भारतीय नागरिकों द्वारा सामना किए जा रहे जा रहे भेदभाव और प्रजातीय घटनाओं पर दिनांक 10 मई, 2012 को एक संकलित परमर्शी पत्र-उन्हें रोकने के आवश्यक उपाय जारी किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की शिकायतों के निराकरण के संबंध में दिनांक 17 अगस्त, 2012 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को एक दूसरा परामर्श-पत्र भी जारी किया गया है। दिल्ली में, पूवोत्तर से आए निवासियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का विशेष रूप से निराकरण करने के लिए अपर पुलिस आयुक्त/पुलिस आयुक्त रैंक के 7 अधिकारियों अर्थात् पुलिस उपायुक्त उत्तर, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम और पूर्वी जिला को नोडल अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है। ये नोडल अधिकारी अपने संबंधित क्षेत्रों में रहे रहे पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों और निवासियों के साथ आवधिक बैठकें करते हैं और ऐसी बैठकों में उठाए गए मुद्दों का समाधान करते हैं। एक संयुक्त पुलिस आयुक्त रैंक का अधिकारी भी समन्वयक के रूप में नामोद्दिष्ट किय गया है ताकि वह जिला नोडल अधिकारियों और डीसीपी/पीसीआर द्वारा किए गए प्रयासों पर नजर रख सकें।

[अनुवाद]

कोयला उत्पादन पर कृतक बल

3674. श्री आधि शंकर : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत की कोयला कमी की समस्या का दीर्घकालिक समाधान के रूप में भुमिगत खदानों से उत्पादन बढ़ाने के लिए रणनीति बनाने हेतु कोई कृतक बल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कृतक बल उत्पादन लागत, पूंजी की आवश्यकता, सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी जैसे भूमिगत कोयला खनन के विभिन्न पहलुओं का विचार करेगी तथा कोयला उत्पादन में सुधार हेतु साधनोपाय सुझाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कृतक बल द्वारा अपनी सिफारिशें/सुझाव कब तक दिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (घ) भारत सरकार ने भूमिगत खानों से उत्पादन बढ़ाने के लिए एक नीति तैयार करने हेतु किसी कार्यबल का गठन नहीं किया है। तथापि, कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने कोयला मंत्रालय की सलाह से फरवरी, 2013 में भूमिगत और ओपनकास्ट दोनों खानों सहित अपनी खानों में आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय सुधार का सुझाव देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं को नियुक्त करने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति जारी की हैं प्रस्तावित अध्ययन में शामिल किए जाने वाले व्यापक उद्देश्यों में सीआईएल के विभिन्न कोलफील्डों में भूमिगत एवं ओपनकास्ट खानों में सुरक्षा, उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए मौजूदा प्रौद्योगिकी की स्थिति का आकलन; प्रौद्योगिकी उन्नयन में अंतरों का आकलन; 12वीं, 13वीं तथा 15वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अनुमानित कोयला उत्पादन के संबंध में खनन आयोजना तथा विकास और निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना के विकास की आवश्यकताओं का आकलन; आयात पर निर्भरता की तुलना में प्रौद्योगिकी उन्नयन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी क्षमताओं का आकलन; प्रौद्योगिकी विकास में प्रौद्योगिकी और आटोमिशन के प्रयोग का आकलन तथा उपर्युक्त योजना अवधियों के दौरान प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए रोड मैप तैयार करना शामिल है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (क) से (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्याज का उत्पादन

3675. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू मौसम के दौरान देश के विभिन्न भागों में उपज की भरपूर पैदावार हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष के तद्नुरूपी मौसम में प्याज के उत्पादन की तुलना में चालू मौसम में उत्पादित प्याज का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों द्वारा प्याज को औने-पौने दाम पर बेचने के मामले हैं तथा देश के विभिन्न भागों में उक्त उपज को फैंकने की घटना प्रकाश में आयी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार और भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा उठाये गए बाजार हस्तक्षेप योजना सहित सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (घ) वर्तमान अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2012-13 के दौरान प्याज का उत्पादन पिछले वर्ष के 175.11 लाख मी.टन के मुकाबले 168.17 लाख मी.टन है। वर्तमान वर्ष तथा पिछले वर्ष के दौरान प्याज का राज्य-वार उत्पादन दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण पर है।

प्याज के मूल्य मांग और आपूर्ति की मंडी ताकतों से संचालित होते हैं तथा अनेक घटकों, जो मंडी में उत्पादन और आवकों को प्रभावित करते हैं पर निर्भर होते हैं। मुख मंडियों में प्याज का औसत थोक मूल्य 936 रु. से 1747 रु. प्रति क्विंटल के बीच है।

राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर कृषि एवं सहकारिता विभाग प्याज सहित कृषि और बागवानी जिंसों की खरीद के लिए मंडी हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) कार्यान्वित करता है जिसके तहत हानियां, यदि कोइ हों, को केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार के बीच 50:50 आधार पर वहन किय जाता है।

फसल कटाई पश्चात् प्रबंधन जैसे भंडागारों, टर्मिनल मंडियों, थोक मंडियों, ग्रामीण प्राथमिक मंडी, अपनी मंडियों इत्यादि के लिए अवसंरचना के विकास हेतु पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अधीन सहायता मुहैया कराई जाती है ताकि उपभोक्ताओं को प्याज सहित बागवानी उत्पाद की उचित मूल्यों पर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और किसानों को लाभकारी प्रतिलाभ भी मुहैया कराया जा सके। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड शीतागारों की स्थापना के लिए सहायता मुहैया कराता है तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम आधुनिकीकरण सहित शीतागारों की स्थापना के लिए सहायता समितियों को सहायता मुहैया कराता है।

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को एमआईएस के अधीन केन्द्रीय एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

विवरण

प्याज का राज्य-वार उत्पादन (000' मी.टन)

राज्य	2011-12	2012-13*
1	2	3
आंध्र प्रदेश	824.77	849.52
असम	23.9	24.45
बिहार	1236.74	1280.70
छत्तीसगढ़	222.21	239.37
दिल्ली	22.86	7.61
गुजरात	1562.20	1562.20
हरियाणा	589.83	516.40
हिमाचल प्रदेश	36.30	36.30
जम्मू और कश्मीर	65.27	65.27
झारखंड	318.19	318.19
कर्नाटक	2451.20	2523.50
मध्य प्रदेश	1957.00	2153.00

1	2	3
महाराष्ट्र	5638.00	4546.00
मेघालय	3.74	3.95
मिजोरम	4.38	3.96
नागालैंड	3.10	3.10
ओडिशा	418.99	419.09
पंजाब	182.69	182.94
राजस्थान	664.22	664.22
सिक्किम	1.64	2.12
तमिलनाडु	556.45	667.74
उत्तर प्रदेश	383.47	398.97
उत्तराखंड	39.27	39.27
पश्चिम बंगाल	304.56	309.10
कुल	17511.05	16816.97

*प्रथम अनुमान

स्रोत: कृषि एवं सहकारिता विभाग

नक्सलवाद में लड़कियों को शामिल करना

3676. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी रिपोर्टें है कि नक्सली अपने कैडर में अवयस्क लड़कियों की भर्ती कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। वामपंथी उग्रवादी समूह, विशेषकर सीपीआई (माओवादी) बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा राज्यों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जनजातीय बेल्ट से अवयस्कों अर्थात् लड़कों और लड़कियों दोनों की भर्ती करते हैं। बिहार और झारखंड में इन बच्चों को "बाल दस्ता" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बच्चों के इस दस्त को "बाल संघम" के रूप में जाना जाता हैं जनजातीय बच्चों की भर्ती के पीछे का मकसद उन्हें उनके समृद्ध परम्परागत सांस्कृतिक स्थलों में बहलाकर दूर ले जाना और उन्हें माओवादी विचाराधारा की शिक्षा देना है। ऐसे बच्चों को मुखबिर के रूप में कार्य करने, लाठी जैसे गैर-घातक हथियारों से लड़ने इत्यादि जैसे बहुविधि कार्यों को करने के बारे में कहा जाता हैं इसके पश्चात्, 12 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात्, उन्हें 'चैतन्य नाट्य मंच', 'संघम', 'जन मिलिटिया', और 'दलम' जैसी बच्चों की अन्य इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। 'संघम', 'जन मिलिटिया' और 'दलम' में सीपीआई (माओवादी) इन बच्चों को हथियार चलाने और विभिन्न प्रकार की त्वरित विस्फोटक प्रणालियों के प्रयोग के बारे में प्रशिक्षण देते हैं। 'जन मिलिटिया' और 'दलम' में भर्ती किए गए बच्चे सुरक्षा दलों के साथ सशस्त्र संघर्ष में भी भाग लेते हैं जहां उन्हें आगे के मोर्चे में युक्तिपूर्वक ढकेल दिया जाता है। अवयस्क बच्चों के हताहत हो जाने की स्थिति में सीपीआई (माओवादी) इसे दुष्प्रचार का तरीका बना लेते हैं। यह भी सूचना मिली हे कि 'दलम' में भर्ती हुए बच्चों को छुट्टी लेने की अनुमति नहीं है। यदि वे सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं तो उन्हें परिवार के सदस्यों की हत्या कर दिए जाने जैसे गंभीर प्रतिशोधों का सामना करना पड़ता है। सीपीआई (माओवादी) द्वारा भर्ती किए गए बच्चों की कुल संख्या का कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है।

(ग) 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं इसलिए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित कार्रवाई प्राथमिक रूप से उन संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आती है जो राज्य में नक्सली गतिविधियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटती है। राज्य सरकारें ऐसे मामलों में मामला-दर-माला आधार पर विधिक कार्रवाई शुरू करती है। केन्द्र सरकार भी स्थिति की गहन रूप से निगरानी कर रही है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा दिसम्बर, 2010 से असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और छत्तीसगढ़ के हिंसा प्रभावित राज्यों में बच्चों पर विशेष रूप से संकेन्द्रित बाल बंधु योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, बच्चों के जीवन में स्थायित्व लाने का प्रयास

करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सरकारी कार्रवाई के माध्यम से उनके संरक्षण, स्वास्थ्य, पोषाहार, स्वच्छता, शिक्षा और सुरक्षा के सभी हक पूरे किए जाएं।

[अनुवाद]

प्रसार भारती की वित्तीय स्थिति

3677. श्री वैजयंत पांडा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती (पीबी) पिछले कई वर्षों से घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और प्रसार भारती के वित्तीय स्तर को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या प्रसार भारती ने स्लॉट्स और एयरटाइम की ई-नीलामी की पद्धति को अपनाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रसार भारती का आकाशवाणी और दूरदर्शन के अभिलेखागार को मिलाकर एक 'स्पेशल परपस व्हीकल' बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का इसकी रिकॉर्ड की गई विषय-वस्तु के मुद्रीकरण का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : (क) और (ख) प्रसार भारती को एक सार्वजनिक सेवा प्रसारक होने के नाते प्रसार भारती अधिनियम, 1980 के अधीन स्वयं को दिए गए अधिदेश और स्थापित मानदंडों के अनुसार कार्य करना होता है। अतएव इसके कार्यकरण का संचालन विशुद्ध रूप से व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नहीं हो सकता है।

प्रसार भारती अधिनियम की धारा 17 में व्यवस्था है कि सरकार इक्विटी, सहायत-अनुदान अथवा ऋण के रूप में प्रसार भारती को वित्तीय समर्थन उपलब्ध कराएगी ताकि निगम अधिनियम के अंतर्गत अपने कामकाज को सुचारू ढंग से संचालित कर सके और प्रसार भारती अधिकांशत: सरकार के अनुदान पर निर्भर है।

सरकार ने हाल ही में प्रसार भारती के लिए एक वित्तीय पुनर्संरचना पैकेज अनुमोदित किया है जिसके निम्नलिखित घटक हैं:—

- अगले तीन वर्षों 2012-13 से 2016-17 के दौरान वेतन और वेतन से जुड़े स्थापना संबंधी खर्चों की 100% भरपाई की जाएगी जबकि संचालन के खर्च से जुड़ी अन्य मदों को प्रसार भारती अपने आंतरिक संसाधनों से वहन करेगा।
- प्रसार भारती को दिए गए पूंजी ऋण को केवल सहायता अनुदान के रूप में परिवर्तित किया गया।
- भविष्य में सरकार द्वारा दिया जाने वाला योजना पूंजी समर्थन सहायता अनुदान के रूप में होगा।
- स्थायी ऋण पर समेकित ब्याज जो 2980.66 करोड़ रुपए होता है, को माफ किया गया।
- पूंजी ऋण पर समेकित ब्याज और उस पर दाण्डिक ब्याज, जो 1102.22 करोड़ रुपए होता है, को माफ किया गया।
- प्रसार भारती के 31.3.2011 तक के अंतरिक्ष खंड और स्पेक्ट्रम प्रभार के समेकित बकाया जो 1349.54 करोड़ रुपए होता है, को माफ किया गया।

प्रसार भारती पूरे देश में स्थित क्षेत्रीय स्थापनाओं में उपलब्ध अपनी अन्य अवसंरचना का सर्वाधिक उपयोग करने के साथ ही राजस्व प्राप्तियां बढ़ाने हेतु उत्साही विपणन रणनीतियां अपनाता रहा है।

(ग) और (घ) प्रसार भारती अपने डीटीएच प्लेटफॉर्म के स्लाटों की ई-नीलामी की योजना बना रहा है और प्रसार भारती बोर्ड ने पहले ही डीटीएच स्लाटों की अगली ई-नीलामी के लिए न्यूनतम आधार मूल्य 2.27 करोड़ रुपए अनुमोदित किया है तथा आनुपातिक आधार पर 30.09.2012 के बाद एक माह के लिए डीडी डायरेक्ट प्लस डीटीएच प्लेटफॉर्म पर ऐसे चैनलों की समयावधि बढ़ाने के लिए भी सहमत है।

(ङ) प्रसार भारती ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है जिसे श्रव्य और श्रव्य-दृष्य सामग्री को संग्रह करने के विभिन्न पहलुओं जिनमें उनके संरक्षण, सुरक्षा, डिजिटीकरण, पुन: प्राप्ति आदि भी शामिल हैं, से संबंधित प्रौद्योगिकियों और अन्य विकल्पों के लिए प्राथमिकता आधार पर कार्ययोजना सुझान की जिम्मेदारी सौंपी गई है उपर्युक्त समिति जो राष्ट्रीय सतर की है, के अतिरिक्त, पूरे देश में स्थित विभिन्न केन्द्रों

पर संग्रह प्रयोजनों के लिए बहुमूल्य श्रव्य और श्रव्य-दृश्य सामग्रियों की पहचान हेतु स्थानीय संग्रह समितियां भी बनाइ गई हैं।

(च) उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय श्रव्य और श्रव्य-दृश्य सामग्री संग्रहालय बनाने का है जिसमें आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्रीय श्रव्य और श्रव्य-दृष्य धरोहरों को संरक्षित किया जाएगा और साथ ही ऐसी सामग्रियों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विक्रय करके संगठन के लिए वाणिज्यि राजस्व अर्जित करने हेतु संगठन को मुद्रा अर्जन करने दिया जाएगा।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र हेतु अलग शीर्ष

3678. श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री धर्मेन्द्र यादव :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण आय को बढ़ाने और किसानों के लाभ को अधिकतम करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को एक साधन के रूप में उपयोग करने हेतु बैंक निधियन की समस्या से निपटने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र हेतु अलग शीर्ष का सृजन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) अलग शीर्ष के सृजन द्वारा किस हद तक मूल्यवर्धन के स्तर में वृद्धि हुई है; और

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने और ग्रामीण आय में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) जी, नहीं, महोदया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए, सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अनेक योजना स्कीमें: अवसंरचना विकास स्कीम (मेगा खाद्य पार्क, शीत शृंखला, मूल्य वृद्धि केन्द्र तथा बूचड़खानों का आधुनिकीकरण) का कार्यान्वयन करती रही है। मेगा खाद्य पार्क स्कीम में अवसंरचना सहायता तथा सुव्यवस्थित आपूर्ति शृंखला के साथ अत्याधुनिक प्रसंस्करण सुविधाओं युक्त एक सुपरिभाषित कृषि/बागवानी-प्रसंस्करण जोन की परिकल्पना की गई है। शीत शृंखला में जैविक उत्पाद सहित बागवानी के लिए छंटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग एवं प्रसंस्करण जैसी अवसंरचना सुविधाओं के साथ आपूर्ति शृंखला में अंतर को दूर करने, शीत शृंखला अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण करने, मूल्यवृद्धि का सृजन करने के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। इसका लक्ष्य बूचड़खानों का आधुनिकीकरण एक ऐसी स्कीम है जिसका लक्ष्य मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना उपलब्ध कराना है। इसका लक्ष्य बूचड़खानों की गुणात्मक एवं मात्रात्मक क्षमता का उन्नयन करना है, जो घरेलू खपत तथा निर्यात दोनों के लिए मांस के वाणिज्यिक प्रसंस्करण के साथ जोड़ी जाएगी।

इसके अलावा, सरकार ने भी ग्रामीण आय में वृद्धि करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु 11वीं तथा 12वीं योजना (2012-13) में अनेक योजना स्कीमें कार्यान्वित की हैं। सरकार ने अन्य प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम के अतिरिक्त अनेक स्कीमें जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम, अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) स्कीम, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं, माव संसाधन विकास स्कीम का भी कार्यान्वियन किया है।

केन्द्रीय न्यायालयिक प्रयोगशालाएं

3679. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत केन्द्रीय न्यायालयिक प्रयोगशालाओं का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का न्यायालयिक प्रयोगशालाओं के उपस्करों के आधुनिकीकरण और उन्नयन का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कुल प्रदान की गई और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन प्रयोगशालाओं में कर्मचारी और अवसंचना की भारी कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक प्रयोगशाला में स्वीकृत और वास्तविक कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) देश में बढ़ते अपराध के मद्देनजर कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने तथा और अधिक न्यायालयिक प्रयोगशालएं खोलने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) देश में सात केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं कार्य कर रही है। विधि-विज्ञान सेवा निदेशालय के अधीन छह केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशालाएं (सीएफएसएल) हैं, जिनमें से तीन केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशालाएं पुणे, भोपाल एवं गुवाहाटी में स्थित हैं। इसके अलावा, एक केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (सीबीआई) नई दिल्ली में स्थित है।

(ख) और (ग) जी, हां सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत कोलकाता, हैदराबाद तथा चंडीगढ़ स्थित मौजूदा केन्दीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में नई शाखाओं के स्तरोन्यन एवं सृजन का प्रस्ताव किया है। विधि विज्ञान सेवा निदेशालय की 12वीं योजना स्कीमें में उपकरणों के भी स्तरोन्यन का प्रस्तव किया गया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पुणे, भोपाल तथा गुवाहाटी में उच्च-तकनीकी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए 216.16 करोड़ रु. की राशि अनुमोदित की गई है तथा केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला चंडीगढ़, कोलकाता तथा हैदराबाद में मौजूदा शाखाओं के स्तरोन्यन तथा नई विधि-विज्ञान शाखाओं के सृजन के लिए 22.68 करोड़ रु. की राशि अनुमोदित की गई है।

(घ) और (ङ) मौजूदा रिक्तियों सहित स्टाफ का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। नियमित पदों को पदोन्नति तथा सीधी भर्ती के माध्यम से भरने के लिए विधि विज्ञान सेवा निदेशालय ने एक सतत् प्रक्रिया आरंभ करी है। कुछ पदों को संविदा स्टाफ से भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। जहां तक अवस्थापना का संबंध है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीएफएसएल कोलकाता के नए परिसर की स्थापना रजरहाट में स्थापना की जा रही है तथा सीएफएसएल परिसर, चंडीगढ़ के परिसर का विस्तार कार्य चल रहा है। केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला पुणे, भोपाल तथा गुवाहाटी के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया हैं पुणे, भोपाल तथा गुवाहाटी में नई उच्च तकनीकी विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए अपेक्षित जनशक्ति तथा बजट का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

दिनांक 15.03.2013 की स्थिति के अनुसार, डीएफएसएस काडर के अधीन रिक्त पदों के संबंध में भर्ती प्रक्रिया की स्थिति

सीएफएसएल

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या	रिक्तियां	पदोन्नति	सीधी भर्ती	डेप.	की गई भर्ती संबंधी कारवाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	निदेशक, सीएफएसएल	03	01	02	02	00	00	• माननीय कैट, हैदराबाद द्वारा स्टे दिया गया। पात्र उप-निदेशक सीएफएसएल का अभ्यावेदन, जिन्होंने अपनी बेलो बेंच मार्क एसीआर ग्रेडिंग के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया था, के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए गृह मंत्रालय में प्रस्तुत किया गया है।
2.	उप-निदेशक, सीएफएसएल							• 01-सीधी भर्ती-उप-निदेशक (बायो.) के 1 पद के लिए प्रस्ताव 25.02.2008 को यूपीएससी भेजा गया। 22.3.2011 को साक्षात्कार हुए। अगली प्रक्रिया रोक ली

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								गई क्योंकि मामला यूपीएससी की तरफ से भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में निर्णयाधीन है।
								• 01 प्रतिनियुक्ति-उप-निदेशक (व्यय) के 01 पद के लिए प्रस्ताव 26.12.2012 को यूपीएससी को भेजा गया।
								• यूपीएससी से 28.11.2013 को उत्तर प्राप्त हो गया। यूपीएससी में भर्ती प्रक्रिया को निष्फल घोषित कर दिया क्योंकि कोई पात्र अभ्यर्थी नहीं पाया गया।
								• 01 प्रतिनियुक्ति-उप-निदेशक (भौतिकी) के एक पद के लिए प्रतिनियुक्ति परिपत्र रोजगार समाचार में प्रकाशनार्थ भेजा गया। उम्मीद है कि यह रोजगार समाचार के पहले प्रकाशन में प्रकाशित हो जाएगा।
								• 01 प्रतिनियुक्ति-एन निदेशक (व्यय)— पदधारक के 11.1.13 को अचानक निधन की वजह से रिक्त रह गई।
								• 01 सीधी भर्ती-उप-निदेशक (भौतिकी)— 01.03.2013 से श्री एम. बस्कर की बर्खास्तगी की वजह से रिक्त हो गया।
								• उप-निदेशक (एनएए) और उप-निदेशक (बैल.) की रिक्तियों जो एमएचए को पूर्व में सूचित की गई थी, को अब 23.1.2013 को (पदोन्नति) से और 15.12.2013 को (सीधी भर्ती) से भर लिया गया है।
3.	सहायक निदेशक, सीएफएसएल	17	12	05	01	04	00	• 02 सीधी भर्ती-सहायक निदेशक (भौतिकी) के 02 पदों के लिए प्रस्ताव युपीएससी को 20.12.2011 को भेजा गया।
								• 01 सीधी भर्ती-सहायक निदेशक (व्यय) के 01 पद का प्रस्ताव यूपीएससी को 20.12.2012 को भेजा गया।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								• यूपीएससी द्वारा 23.12.2013 को पद विज्ञापित किया गया। • 01-डीपीसी-सहायक निदेशक (एनएए) का पद धारक के तकनीकी त्याग पत्र की वजह से रिक्त है। • 01-सीधी भर्ती-एडी (बैल.)-धारक के तकनीकी त्याग पत्र की वजह से 14.2.2013 से रिक्त है।
4.	एसएसओ-II, सीएफएसएल	28	13	15	10	03	02	• 10-डीपीसी-यूपीएससी द्वारा 21.12.2013 को डीपीसी बुलाई गई। यूपीएससी की सिफारिशों को गृह मंत्रालय का अनुमोदन लेने के लिए भेजा जा रहा है। • 02-प्रतिनियुक्ति-एसएसओ-II (रासा.) 02 पदों के लिए परिपत्र रोजगार समाचार में दिनांक 12.01.2013 को विज्ञापित किया गया। • 01-सीधी भर्ती-एसएसओ-II (बैलि.) के 01 पद के लिए प्रस्ताव दिनांक 20.12.2012 को यूपीएससी को भेजा गया। • 01-सीधी भर्ती-एसएसओ-II (व्यय) के 02 पद के लिए प्रस्ताव दिनांक 20.12.2012 को यूपीएससी को भेजा गया।
5.	जेएसओ, सीएफएसएल	33	23	10	00	10	00	• 01-सीधी भर्ती यूपीएससी को प्रस्ताव भेजा गया 20.12.2012 को। जेएसओ (बैलि.) को एक पद यूपीएससी द्वारा 23.2.2012 को विज्ञापित किया गया।
6.	एसएसए, सीएफ़एसएल	20	15	02	01	03	01	• 01-सीधी भर्ती-एसएसए (भौतिकी) सीएफएसएल, गुवाहाटी का 01 पद एसएससी, गुवाहाटी को 20.2.2013 को भेजा गया।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								• 01-सीधी भर्ती-एसएसए (व्यय), सीएफ़एसएल, हैदराबाद का 01 पद एलएससी, चेन्नई को 20.2.2013 को भेजा गया।
								• 01-सीधी भर्ती-एसएसए (बायो) सीएफएसएल, चंडीगढ़ का 01 पद 20.2.2013 को एसएससी भेजा गया।
								• 01 डीपीसी-एसएसए (बायो) का 01 पद-डीजी, बीपीआरएंडडी से डीपीसी के सदस्यों को नामित करने और डीपीसी करने के लिए उचित तारीख निश्चित करने का अनुरोध किया गया।
								• डीपीसी-एसएसए (एनएनए) का 01-पद प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने के लिए रोजगार समाचार में परिचालित किया गया।
7.	एसएसीएफएसएल	18	18	00	00	00	00	•
8.	प्रयोगशाला सहायक, सीएफएसएल	07	07	00	00	00	00	•
दस्तावेज प्रभाग								
1.	जीईक्यूडी	03	02	01	01	—	—	• 01-डीपीसी — पत्र उप-जीईक्यूडी, सीएफएसएल जिन्होंने अपनी बेलों बेंच मार्क एसीआर ग्रेडिंग के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया था, के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए गृह मंत्रालय में प्रस्तुत किया गया।
2.	डीजीईक्यूडी	12	12	00	—	—	0	
3.	एजीईक्यूडी	21	17	04	01	—	—	• 01-डीपीसी — यह पद आरक्षण कोटे का है किन्तु फीडर ग्रेड में कोई आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी नहीं है। आरक्षण रहित किए जाने का प्रस्ताव 3.12.2012 को गृह मंत्रालय भेजा गया।
						02	—	• 02-सीधी भर्ती-यूपीएससी को 20.12.2012 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						—	01	• 10-16.11.2012 को रोजगार समाचार में प्रकाशन के बाद परिचालित किया गया।
4.	एससीआईओ-I (डाक्यू.)	13	09	04	00	04	00	• 01-सीधी भर्ती — सीएफएसएल, कोलकाता ने 19.12.2012 को एसएससी (यूआर) को मांग प्रस्तुत की। • 02-सीधी भर्ती — सीएफएसएल, हैदराबाद के 19.12.2012 को एसएससी (यूआर-I एसटी-I) की मांग प्रस्तुत की।
5.	एसआईओ-I (फोटो)	06	06	00	00	00	00	•
6.	फोटोग्राफर	06	06	00	00	00	00	•
7.	सहायक फोटोग्राफर	03	03	00	00	00	00	•

28.2.2013 की स्थिति के अनुसार सीएफएसएल/सीबीआई/नई दिल्ली के संबंध में रिक्तियों की स्थिति

क्र. सं.	श्रेणी (रैंक)	स्वीकृत संख्या प्रभाग-वार	वास्तविक संख्या	रिक्त पद को भरने के लिए की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	निदेशक	1	01	01 नियुक्ति के लिए यूपीएससी को प्रस्ताव भेजा गया।
2.	प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी (ए)	1	1	—
3.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-I	1	1	—
	रासायनिक	1	1	—
	सेरोलॉजी	1	1	—
	बायलॉजी	—	—	—
	भौतिकी	1	1	—
	फोटो	1	1	—

1	2	3	4	5
	दस्तावेज	1	1	—
	फिंगरप्रिंट	1	1	—
	बैलिस्टिक	2	2	—
	लाई-डिटेक्शन	1	1	—
	कुल	10	10	—
4.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II	33	—	—
	रासायनिक	3	—	पी-02 संशोधित आरआर के बाद पद भरे गए।
	सेरोलॉजी	1	—	श्रीमती ललित मदान की पदोन्नति के लिए प्रस्ताव गृह मंत्रालय को अनुमोदनार्थ भेजा गया।
	बायलॉजी	3	1	02 डी-आर-02 यूपीएससी द्वारा नियुक्त की गई किन्तु सीएफएसएल में फोल्डर प्राप्त नहीं हुआ।
	भौतिकी	04	2	02 डीआर-2 यूपीएससी से फोल्डर प्राप्त हुआ। श्रीमती मनीसर और श्री पीवी जिजू के संबंध में संहिता औपचारिकताओं के पश्चात् नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे।
	फोटो	6	5	01 डीआर-1 यूपीएससी द्वारा पद विज्ञापित किया गया। यूपीएससी को कोई पत्र अभ्यर्थी नहीं मिला। संशोधित आरआर के बाद नई मांग भेजी जानी है।
	दस्तावेज	7	5	02 पी-1 श्री मनमोहन सिंह के संबंध में पदोन्नति संबंधी प्रस्ताव अनुमोदनार्थ गृह मंत्रालय को भेजा गया (01-पद नहीं भरा गया) यूपीएससी द्वारा यथा सूचित।
	अंगुलीछाप (फिंगरप्रिंट)	2	1	डीआर-01 यूपीएससी द्वारा पद विज्ञापित किया गया। साक्षात्कार शीघ्र ही आरोपित किए जाएंगे।
	बैलिस्टिक	4	3	डीआर-01 यूपीएससी से फोल्डर प्राप्त हो गया है। श्री आर-सुरेश को संबंध में कोडल औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आदेश जारी किए जाएंगे।

1	2	3	4	5
	लाई-डिटेक्शन	03	3	—
	कुल	33	21	12
5.	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	20	—	—
	रासायनिक	04	02	02 पी-2 पद रिक्त 1। विलयन की वजह से नहीं भरे गए।
	सेरोलोजी	2	1	01 पद रिक्त 1। विलयन की वजह से नहीं भरे गए।
	बायलॉजी	2	1	पी-01 — पद रिक्त 1। विलयन की वजह से नहीं भरे गए।
	फिजिक्स	2	2	पी-01 एसएससी द्वारा पद विज्ञापित किए गए, शीघ्र ही साक्षात्कार लिये जाएंगे।
	फोटो	3	—	03 डीआर-1-एसएससी द्वारा पद विज्ञापित किए गए, शीघ्र ही साक्षात्कार किये जाएंगे। पी-2 विलयन की वजह से रिक्त पद नहीं भरे गए।
	दस्तावेज	4	3	01 पी-1 विलयन की वजह से रिक्त पद नहीं भरे गए।
	फिंगरप्रिंट	1	—	01 पी-1 विलयन की वजह से रिक्त पद नहीं भरे गए।
	बैलिस्टिक	1	1	—
	लाई-डिटेक्शन	1	—	01 पी-1 विलयन की वजह से रिक्त पद नहीं भरे गए।
	कुल	25	15	10*

डीआर-सीधी भर्ती पी-पदोन्नति

6.	वैज्ञानिक सहायक	25	—	—
	सीधी भर्ती	10	2	08 विलयन की वजह से रिक्त पद नहीं भरे गए हैं।
	पदोन्नति	10	10	—
	प्रतिनियुक्ति	5	5	02 विलयन की वजह से रिक्त पद नहीं भरे गए हैं।
	कुल	25	15	10*

*पद विज्ञापित किए गए और एसएसए के पदों के विलयन के मामलों में निर्णय हेतु अगली कार्रवाई रोक ली गई है।

1	2	3	4	5
7.	प्रयोगशाला सहायक	29	25	04
8.	प्रयोगशाला अनुचर	16	7	09 गृह मंत्रालय को प्रस्ताव अनुमोदनार्थ भेजा गया।
	कुल	135	88	47

विवरण-II

पुणे, भोपाल और गुवाहाटी में नई उच्च तकनीकी सीएफएसएल की स्थापना हेतु जनशक्ति एवं बजट

नई उच्च तकनीकी सीएफएसएल की स्थापना	अपेक्षित पद					
		तकनीकी*				
नए ग्रुप/प्रभागों के सृजन हेतु जनशक्ति	वैज्ञानिक* (वेतनमान)	प्रयोगशाला सहायक	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	सहायक केन्द्रीय सूचना अधिकारी ग्रेड-I	एमटीएस
	351	30	60	60	24	75
	(रु. 15600-39100+जीपी-5400/-)	(रु. 5200-20200+जीपी-2800/-)	(रु. 9300-348100+जीपी-4200/-)	(रु. 9300-34800+जीपी-4600/-)	(रु. 9300-34800+जीपी-4200/-)	(रु. 5200-20200+जीपी-1800/-)
वार्षिक व्यय (आंकड़े रुपये) 31.12.11 की स्थिति	5,34,432/- × 308 = 18,75,85,632	2,70,000/- × 30 = 81,00,000	3,34,896/- × 60 = 2,00,93,760	4,17,012/- × 60 = 2,50,20,720	4,17,02/- × 24 = 1,00,08,288	1,69,296/- × 75 = 1,26,97,200
कुल योग	रुपए 26,35,05,600/-					

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि जलवायु

3680. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश के कृषि क्षेत्र का विकास करने के लिए राष्ट्रीय कृषि जलवायु क्षति निधि बनाने और ग्राम स्तर पर भांडागार सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) कृषि क्षेत्र में विकास में बाधा उत्पन्न कर रही जलवायु परिवर्तन की समस्या को सुलझाने और किसानों के लाभ के लिए देश

में भांडागार सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) कृषि मंत्रालय राष्ट्रीय कृषि जलवायु क्षति निधि के सृजन के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है। तथापि, ग्राम स्तर पर भांडागार सुविधाएं बढ़ाने के लिए, कृषि मंत्रालय निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों के साथ 'ग्रामीण भंडारण योजना' कार्यान्वित कर रहा है:—

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक भंडारण क्षमता और संबद्ध सुविधाओं का सृजन ताकि फार्म उत्पाद, प्रसंस्कृत फार्म उत्पाद, कृषि आदान के भंडारण की किसानों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना; (ii) प्रतिभूति वित्तपोषक और विपणन ऋण की सुविधा प्रदान करके फसल कटाई के तुरंत बाद मजबूरी में की जाने वाली बिक्री को रोकना; (iii) गोदामों में रखे गए कृषि जिन्सों के संबंध में एक राष्ट्रीय भांडागार रसीद प्रणाली की शुरुआत करके देश में कृषि विपणन अवसंचना को सुदृढ़ करना; (iv) कृषि उत्पाद की विपणनीयता में सुधार करने के लिए कृषि उत्पाद के श्रेणीकरण, मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण का संवर्धन; (v) देश में भंडारण अवसंरचना के सृजन में निवेश करने के लिए निजी और सहकारी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करके कृषि क्षेत्र में निवेश की घटती प्रवृत्ति का परावर्तन।

जलवायु परिवर्तन के समय में भारतीय कृषि के पुनरुत्थान के लिए कृषि मंत्रालय 'जलवायु पुनरुत्थान कृषि संबंधी एक राष्ट्रीय पहल' (एनआईसीआरए) कार्यान्वित कर रहा है जिसका लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों, प्रमुख खाद्य फसलों, पशुधन, समुद्री और मीठे जल में मात्स्यिकी संबंधी रणनीतिक अनुसंधान के माध्यम से जलवायु परिवतन के विरुद्ध लागत प्रभावी अनुकूलन तथा प्रशमन नीतियां विकसित करना; देश के संवेदनशील जिलों में किसानों के खेतों पर जलवायु प्रत्यास्थानक उपलब्ध पद्धतियों का प्रदर्शन करना; जलवायु परिवर्तन अनुकूलन संबंधी दीर्घावधि अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और वैज्ञानिकों का क्षमता निर्माण आदि हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.0¼ बजे

इस समय, श्री सी. शिवासामी, श्री थोल तिरुमावलावन, श्री अधि शंकर और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.0½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : मैं अपने सहयोगी श्री ए.के. एंटोनी की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 8682/15/13]

(2) वर्ष 2013-14 के लिए रक्षा सेवा प्राक्कलन।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 8683/15/13]

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : श्री शरद पवार की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए कृषि मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8684/15/13]

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8685/15/13]

(तीन) वर्ष 2013-2014 के लिए पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग, कृषि मंत्रालय का परिणामी बजट

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8686/15/13]

(2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8687/15/13]

(3) (एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8687क/15/13]

[अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) मैं अपनी सहयोगी कुमारी सैलजा की ओर से, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8688/15/13]

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8689/15/13]

...*(व्यवधान)*

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए जल संसाधन मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8690/15/13]

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए जल संसाधन मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8691/15/13]

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:–

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए संस्कृति मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8692/15/13]

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए संस्कृति मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8693/15/13]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8694/15/13]

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 8695/15/13]

(तीन) वर्ष 2013-2014 के लिए उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 8696/15/13]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) वर्ष 2013-2014 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8697/15/13]

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8698/15/13]

(2) (एक) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने से हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8699/15/13]

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : श्री तारिक अनवर की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का.आ. 380 (अ) जो 15 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारत में आयात किए जाने वाले पोटेशियम, मैग्नेशियम सल्फेट का इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक के लिए उसमें उल्लिखित विनिर्देशों का नियतन किया गया।

(दो) का.आ. 381 (अ) जो 15 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारत में आयात किए जाने वाले कोलेमानाइट का इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक के लिए उसमें उल्लिखित विनिर्देशों का नियतन किया गया।

(तीन) का.आ. 382 (अ) जो 15 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 प्रतिशत सल्फर युक्त औपबंधिक फर्टिलाइजर यूरिया अमोनियम फास्फेट के भारत में विनिर्माण किए जाने हेतु इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक के लिए उसमें उल्लिखित विनिर्देशों को अधिसूचित किया गया है।

[डॉ. चरण दास महंत]

(चार) का.आ. 383 (अ) जो 15 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारत में आयात किए जाने वाले कैल्शियम साइनामाइड का इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक के लिए उसमें उल्लिखित विनिर्देशों का नियतन किया गया।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8700/15/13]

(2) पादप किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 की धारा 97 के अंतगत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पादप किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार (संशोधन) नियम, 2013 जो फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 115(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पादप किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार (संशोधन) नियम, 2013 जो 21 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 116(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 8701/15/13]

(3) वर्ष 2013-2014 के लिए कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8702/15/13]

अपराह्न 12.02 बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

(एक) 18वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़) : मैं 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम (मनरेगा) और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का संशक्तीकरण' विषय से संबंधित 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।...*(व्यवधान)*

(दो) विवरण

राजकुमारी रत्ना सिंह : मैं महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के निम्नलिखित अंतिम की गई कार्यवाही विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) 'पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण' विषय के संबंध में समिति के तीसरे प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2010-2011) के सातवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(2) 'अर्द्धसैन्य बलों में महिलाएं' विषय के संबंध में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी (2010-2011) के छठे प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में समिति के 9वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शानें वाला विवरण।

(3) 'आंगनबाड़ी कर्मकारों की कार्यदशा' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के 8वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में समिति (2011-2012) के 16वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शानें वाला विवरण।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.03 बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदया, मैं कृषि संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे

की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) 'खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु अवसंरचनात्मक सुविधा-एक मूल्यांकन' विषय पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही संबंधी 39वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-2013) के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही संबंधी 40वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

61वें से 65वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री कीर्ति आजाद (दरभंगा) : मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) आयुष विभाग की अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में समिति के 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 61वां प्रतिवेदन।

(2) एड्स नियंत्रण विभाग की अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में समिति के 57वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 62वां प्रतिवेदन।

(3) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में समिति के 56वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 63वां प्रतिवेदन।

(4) स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में समिति के 54वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 64वां प्रतिवेदन।

(5) स्नातक विज्ञान (सामुदायिक स्वास्थ्य) पाठ्यक्रम शुरू करने संबंधी प्रस्ताव पर समिति का 65वां प्रतिवेदन।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 51वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब मद संख्या 15 - श्री पी. चिदम्बरम।

...(व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं, लोक सभा बुलेटिन, भाग-II, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के जरिये माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश 73-ए के अनुसरण में आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं व्यय एवं विनिवेश विभागों विषयक वित्त संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) की 51वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) की 51वां रिपोर्ट प्रतिवेदन लोक सभा में 24 अप्रैल, 2012 को प्रस्तुत किया गया था। 51वें प्रतिवेदन की संबंधी अनुदान मांगों (2012-13) की जांच से है। इस प्रतिवेदन में समिति ने विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया एवं पंद्रह (15) सिफारिशों की, जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई की आवश्यकता है। इन सिफारिशों का संबंध मुख्यत: अनुदान मांगों के विश्लेषण, केन्द्रीय सहायता योजना हेतु निधि जारी करने, राजकोषीय समेकन, व्यय के वर्गीकरण, परिणामी बजट की उपयोगिता की समीक्षा,

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 8703/15/13

[श्री पी. चिदम्बरम]

व्यय प्रबंधन, कृषि ऋण, प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने संबंधी पुन: वर्गीकरण, बैंकों व एनपीए का पूंजीकरण, वित्त समावेशन, विनिवेश आदि से है।

प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई दिनांक 1 अगस्त 2012 व 23 नवंबर, 2012 को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दी गई थी। समिति द्वारा में प्रतिवेदन की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति अनुबंध में दर्शाई गई है जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है।

मैं अनुबंध को पढ़कर सुनाने में सभा का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता। मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।

अपराह्न 12.05¼ बजे

समिति के लिए निर्वाचन

अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण संबंधी समिति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मद संख्या 16 – श्री बी.के. हान्डिक।

...*(व्यवधान)*

श्री बी.के. हान्डिक (जोरहाट) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:–

"कि इस सभा के सदस्य समिति की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक के कार्यकाल के लिए एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करे।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य समिति की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक के कार्यकाल के लिए एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मद संख्या 17 – श्री बी.के. हान्डिक

...*(व्यवधान)*

श्री बी.के. हान्डिक : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं–

"कि यह सभा सिफारिश करती है कि राज्य सभा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति से सहयोजित होने के लिए समिति की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक के कार्यकाल के लिए राज्य सभा के सदस्यों में से दस सदस्यों को निर्वाचित करने पर सहमत हो और इस सभा को इस प्रकार निर्वाचित समिति के सदस्यों के नाम की सूचना दें।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा सिफारिश करती है कि राज्य सभा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति से सहयोजित होने के लिए समिति की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक के कार्यकाल के लिए राज्य सभा के सदस्यों में से दस सदस्यों को निर्वाचित करने पर सहमत हो और इस सभा को इस प्रकार निर्वाचित समिति के सदस्यों के नाम की सूचना दें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.07 बजे

दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 – *वापस लिया गया*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मद संख्या 18 – श्री सुशील कुमार शिंदे।

...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए...*(व्यवधान)*

सरकार ने इस सम्मानित सभा में दिनांक 4 दिसंबर, 201 को दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 पुर:स्थापित किया था उक्त विधेयक को जांच और प्रतिवेदन हेतु गृह मंत्रालय के विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था दिल्ली में, दिनांक 16 दिसंबर, 2012 को बलात्कार की जघन्य घटना के बाद, अत्यंत गंभीर यौन उत्पीड़न के मामले में त्वरित न्याय और अपराधियों को अधिक कड़े दंड का प्रावधान करने हेतु कानूनों में संशोधन करने वाली सिफारिशें देने के लिए न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी...*(व्यवधान)* न्यायमूर्ति वर्ष समिति ने अपनी रिपोर्ट में मानवदुर्व्यापार, यौन उत्पीड़न, दर्शनरति (यौन क्रियाओं को देखना) महिलाओं का पीछा करने आदि के अन्य अपराधों से संबंधित कुछ अतिरिक्त प्रावधान करने के सुझाव दिए थे। चूंकि संसद सत्र नहीं चल रहा था और अत्यंत आवश्यक कानून बनाए जाने की आवश्यकता थी, अत: राष्ट्रपति के दिनांक 03 फरवरी, 2012 को दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 प्रख्यापित किया...*(व्यवधान)* दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 अनावश्यक हो गया है। इस बीच, गृह मंत्रालय की विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 की जांच की और दिनांक 4 मार्च, 2013 को अपना प्रतिवेदन संसद में सभा पटल पर रखा...*(व्यवधान)* गृह मंत्रालय की विमान से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों न्यायमूर्ति वर्गों की सिफारिशों और महिला समूहों सहित विभिन्न पक्षों से प्राप्त मतों और टिप्पणियों के मद्देनजर सरकार ने दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 का प्रारूप तैयार किया है...*(व्यवधान)* मंत्रिमंडल ने भी उक्त संशोधित दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 को स्वीकृति दे दी है। अत:, मैं इस सम्मानित सभा से अनुरोध करता हूं कि दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुशील कुमार शिंदे : विधेयक वापस लेता हूं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.09 बजे

दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2013*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मद संख्या 19 — श्री सुशील कुमार शिंदे।

...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में और संशोधित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुशील कुमार शिंदे : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब, सभा 'शून्य काल' के विषयों को लेगी।

श्री फ्रांसिस्को सारदीन।

...*(व्यवधान)*

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना (दक्षिण गोवा) : महोदया, कल गोवा से मुंबई की यात्रा करते समय एक त्रासद बस दुर्घटना में कम से कम 37 लोगों की मृत्यु हो गई। यह त्रासद दुर्घटना आज भारे

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-प्प, खंड-2 दिनांक 19.03.2013 में प्रकाशित।

[श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना]

में घटित हुई। रत्नागिरी में खड़े स्थित जगबुदी पहुंचने पर बस जगुबुदी नदी में गिर गई, जिससे 37 यात्रियों की मृत्यु हो गई और 22 यात्री घायल हो गए। घायलों को खड़े नगरपालिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के शव भी खड़े नगरपालिका अस्पताल में रखे गए हैं...*(व्यवधान)*

महोदया, गोवा एक पर्यटक स्थल होने के कारण बहुत सी बसें और वाहन गोवा आते हैं तथा प्रतिदिन इस मार्ग से गुजरते है। इस सड़क को चौड़ा करने की तत्काल आवश्यकता है। अत: मैं माननीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस सड़क को नदी के पास छोटे पुलों को चौड़ा करने और बाढ़ को मजबूत किया जाने हेतु तत्काल कदम उठाएं ताकि ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा ना हों. ..*(व्यवधान)*

महोदया, मैं जानता हूं कि आप पहले ही उल्लेख कर चुके हैं परंतु मैं इन 37 व्यक्तियों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं और मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि यह उनके परिवारों तक पहुंचाई जाए। ईश्वर इन सभी 37 व्यक्तियों की आत्मा को शांति दे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : जो कुछ इन्होंने कहा है, आप स्वयं को उससे संबद्ध कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.13 बजे

इस समय श्री सी. शिवासामी, श्री थोल तिरुमावलावन, श्री अधिशंकर और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आज सुबह महाराष्ट्र के रत्नागिरी इलाके में बस दुर्घटना हुई है। इसमें 32 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 लोग घायल हैं जो काफी गंभीर स्थिति में हैं। यह दुर्घटना जिस जगह पर हुई है वह मुंबई गोवा नेशनल हाईवे पर सबसे बड़ी दुर्घटना है। जिस पुल पर दुर्घटना हुई है उसे चौड़ा करने के लिए एक साल पहले ही प्रस्ताव नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट को भेजा जा चुका है। मैं कीहना चाहता हूं कि इस पुल को चौड़ा करने की आवश्यकता है। इस पुल की चौड़ाई केवल 18 फीट है। नेशनल हाईवे रूल्स के मुताबिक कम से कम 36 फीट के ब्रिज की आवश्यकता है। एक साल से प्रस्ताव नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग है लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदया, नेशनल हाईवे-17 मुंबई गोवा महामार्ग पर हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। यहां सालाना लोगों की मृत्यु हो रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री आनंद प्रकाश परांजपे, डॉ संजीव गणेश नाईक, श्री हंसराज गं. अहीर, श्री श्रीपाद येसो नाईक, श्री घनश्याम अनुरागी श्री शिवकुमार उदासी श्री ए.टी. नावा पाटील श्री हरिभाऊ नरवले, श्री संजीव द्योत्रे श्री पोन्नम प्रभाकर तथा श्री पन्ना लाल पुनिया को इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

अब योगी आदित्यनाथ।

...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आईटी ट्रिब्युनल नागपुर ने एक हिंदू विरोधी फैसला दिया है। नागपुर की स्थानीय शिव मंदिर व्यवस्थान पंच कमेटी ने एक याचिका दायर की थी और उसके तहत धर्म स्थलों को मिलने वाली आयकर में छूट के बारे में लिखा था। ट्रिब्युनल ने बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया और भगवान शिव, माता दुर्गा और हनुमान जी की पूजा को धार्मिक कार्य मानने या धार्मिक कार्य का हिस्सा मानने से इंकार कर दिया। एक सिलसिला बन चुका है कि जिसकी मर्जी आती है वह भारत की मूल और धार्मिक परंपरा के प्रति इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी कर देता है।

अध्यक्ष महोदया, सनातन हिन्दू धर्म के अंदर शैव, वैष्णव, शाक्त तांत्रिक परंपरा आदि अनेक उपासना पद्धतियां हैं। किसी ट्रिब्युनल को किसी भी धार्मिक उपासना पद्धति के प्रति इस प्रकार की टिप्पणी करने का क्या अधिकार है? भारत में केवल इनकम टैक्स छूट का लाभ केवल किसी एक मज़हब विशेष को मिले, इस प्रकार का आग्रह करना

भारत के पंथ निरपेक्ष व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। मै आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि आईटी ट्रिब्युनल नागपुर द्वारा भारत की सनातन हिंदू वैदिक परंपरा के उपास्य देवी देवताओं के प्रति जिस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी की गई है, इसके लिए उन्हें तलब किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं अनुरोध करता हूं कि हिंदू धर्म स्थलों को भी उसी प्रकार की सुविधा दी जाए जिस प्रकार अन्य मज़हब की उपासना करने वाले स्थलों को प्राप्त हो रही है।

अध्यक्ष महोदया : श्री वीरेन्द्र कश्यप, डॉ. वीरेन्द्र कुमार और श्रीमती ज्योति धुर्वे इस मामले के साथ अपने आपको संबद्ध करते हैं।

अपराह्न 12.15 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

श्रीलंकाई तमिलों के मानवाधिकारों के उल्लंघन हेतु श्रीलंका के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् में एक सशक्त संकल्प की आवश्यकता के बारे में

[अनुवाद]

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करुर) : महोदया, श्रीलंकाई तमिलों के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा उठाने के लिए मुझे अवसर प्रदान करने हेतु आपको धन्यवाद।

हमने कई बार इस विषय पर सभा में चर्चा की है और सरकार की आरे से हमें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिले है। यही कारण है कि एक बार मैं पुन: इस विषय को उठाना चाहता हूं और रहता हूं कि तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. अम्मा ने माननीय प्रधानमंत्री को एक 18 मार्च, 2013 को पत्र सिखाया, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी के दृष्टिकोण को दोहराया था तथा अनुरोध किया था कि 2009 में गृह युद्ध के दौरान श्री लंकाई सेना द्वारा लंका में किए गए नरसंहार के बारे में यू.एस. द्वारा लाए गए संकल्प का भारत द्वारा सशक्त ढंग से समर्थन करना चाहिए तथा संकल्प को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक संशोधन लाने का प्रस्ताव लाना चाहिए। मैं कुछ मुद्दों को उद्धृत करना चाहता हूं, जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद, यह निराशाजनक था कि भारत चुप रहा, जबकि यू.एस. समर्थित प्रारूप को यूएनएचआरसी सत्र के दौरान चर्चा के लिए रखा गया।

महोदया, भारत को श्रीलंकाई तमिलों की सुरक्षा के लिए आगे आना होगा और इसे इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उठाना होगा। जब संयुक्त राष्ट्र ने यह मामला उठाया है, तो हमारा अपरिहार्य कर्त्तव्य यह देखना है कि संकल्प सशक्त होना चाहिये और हम कुछ संशोधन दें।

प्रथम प्रवृत पैरा। में नरसंहार, युद्ध अपराध तथा युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए विश्वसनीय, स्वतंत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र का आह्वान किया जाना चाहिए तथा अभियुक्त को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लाया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया छह माह की अवधि के दौरान पूरी कर ली जानी चाहिए तथा 2014 में यूएनएचआरसी के 25वें सत्र में विशेष चर्चा हेतु परिणाम की जानकारी दी जानी चाहिए।

इसके साथ ही, प्रवृत्त पैरा 3 के तहत सख्त लहजे में श्रीलंकाई सरकार से यह मांग की जानी चाहिए कि वह न्याय, समानता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की जांच तथा श्रीलंकाई लोगों जिसमें तमिल भी सम्मिलित हैं, विश्वसनीय तथा स्वतंत्र कार्यवाही आरंभ करने के लिए एक निष्पक्ष और अंतराष्ट्रीय सस्थर की स्थापना को स्वीकार करें।

इसमें श्रीलंकाई तमिलों को एक व्यावहारिक राजनीतिक पैकेज प्रदान करने तथा उन्हें सिंघली समुदाय के समान नागरिकता का समान अधिकार पुन: वापस प्रदान करने हेतु श्रीलंका को शामिल करना चाहिये।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उन्होंने यह देखने के लिए कि संयुक्त राष्ट्र समर्थित संकल्प को मजबूती प्रदान करने के लिए वह गंभीरता के साथ कौन से कदम उठा रही है। आज अंतिम दिन है। यदि सरकार संयुक्त राष्ट्र समर्थिक संकल्प में कोई संशोधन नही दे रही है, तो यह कोई मुद्दा नहीं है।

इसलिए मैं सरकार से स्पष्ट शब्दों में जवाब चाहता हूं कि क्या वे इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं तथा श्री लंकाई तमिलों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र समर्थित संकल्प को मजबूती प्रदान करने के लिए किसी प्रकार का संशोधन लाना चाहती है। महोदय, मैं सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। कृपया मंत्री जी इसका जवाब दे। यदि कोई जवाब नहीं आता है तो इसका फायदा क्या है? इसका कारण है कि हम लोगों ने इस मुद्दे को कई बार उठाया है। यह ऐसा मुद्दा है, जिस पर सरकार सदैव चुप रही है। सरकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री शिवकुमार उदासी श्री पी. लिंगन तथा श्री पन्नालाल पुनिया को डॉ. तम्बिदुरई द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है। अब, श्री इलेंगोवनर।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर) : महोदया, क्या डी एम.के. ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। डीएमके ने समर्थन वापस ले लिया है और सत्रचल रहा है। इसलिए, माननीय गृह मंत्री को हम लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए कि इसमें कितनी सच्चाई है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : नहीं, कृपया श्री इलेंगोवन को बोलने दें।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : आप इस बात को सभा को क्यों नहीं बता रही हैं? मीडिया में पहले ही खबर आ चुकी है कि उन्होंने समर्थन वापस ले लिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप खड़े क्यों हैं? कृपया बैठ जाइए।

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन : अध्यक्ष महोदया, तमिलनाडु की स्थिति बेहद खराब है। छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। समाज का हर वर्ग सड़कों पर उतर आया है। वे एक सुदृढ़ संकल्प चाहते थे।

श्री अनंत कुमार (बेंगलूरु दक्षिण) : महोदया, हमलोग जानना चाहते हैं कि वे सत्तापक्ष की ओर से बोल रहे हैं अथवा विपक्ष की ओर से...*(व्यवधान)*

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन : मैं डीएमके पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तान्त में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदया : कृपया उन्हें बोलने दें।

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन : अध्यक्ष महोदया, पूरे राज्य में स्थिति बेहद खराब है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। छात्र आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। यूएनएचआरसी में पारित किया जाने वाला अमरीकी संकल्प श्रीलंका में तथा भारत के मुख्य भूभाग में तमिल लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहा है। महोदया, सरकार से मेरा यही प्रश्न है। श्रीलंका सरकार और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत सरकार से बहुत सारे वादे किए थे जिनमें असैन्यीकरण, लोकतांत्रीकरण, सत्ता परिवर्तन करना और क्षेत्रीय समूहों को अधिकार देना शामिल था। श्रीलंका सरकार द्वारा भारत सरकार को दिए गए आश्वासनों को श्रीलंका सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया। भारत सरकार से मेरा प्रश्न है कि: आप क्या ढूंढ रहे हैं अथवा आप किस बात का इंतजार कर रहे है? श्रीलंका सरकार द्वारा भारत सरकार को दिए गए आश्वासनों का क्या हुआ? भारत सरकार श्रीलंका में मानवाधिकारों का उल्लंघन क्यों होने दे रही है? भारत सरकार हमलोग यूएनएचआरसी के संकल्प के बारे में चिंतित नहीं हैं। हम लोगों ने कहा कि श्रीलंका सरकार से कतिपय आश्वासन मिलने के बाद यह भारत सरकार की नैतिक और अनिवार्य कर्त्तव्य बनता है। यह देखना इन आश्वासनों को पूरा किया गया या नहीं, और यदि नहीं पूरा किया गया है। तो इसे पूरा करने के लिए श्रीलंका सरकार को कहना या उन पर दवाब बनाना भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। भारत क्यों मूकदर्शक बना हुआ है?... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन : वर्ष 1989 में जब संकट उत्पन्न हुआ था, वर्ष 1987 में जब संकट उत्पन्न हुआ था, तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी ने हस्तक्षेप किया और श्रीलंका के राष्ट्रपति को बुलाकर श्रीलंका में तमिल लोगों की सुरक्षा के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किया। अब सरकार क्या कर रही है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आपको बहुत-बहत धन्यवाद।

माननीय मंत्री, श्री कमलनाथ।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री जी, कृपया माननीय सदस्य श्री यशवंत सिन्हा को बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग) : महोदया, सभा में इस सरकार के बहुमत के संबंध में कुछ समय से सभी स्थानों पर एक वक्तव्य प्रसारित किया जा रहा है...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया : मैंने आपको श्रीलंका के संबंध में बोलने का समय दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : महोदया, सभा को यह जानने का अधिकार है...*(व्यवधान)* डीएमके से मेरी अपील है कि चोर से कहे चोरी कर शाह से कहे जागते रहो वाली बात न करें...*(व्यवधान)*

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : महोदया, सरकार ने श्रीलंका में हुई घटनाओं पर चिंता प्रकट की है तथा इसे गंभीरता से लिया है...*(व्यवधान)*। सरकार इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार है और आप इस चर्चा के लिए समय और तिथि निर्धारित करने के लिए कार्य मंत्रणा समिति की एक बैठक बुलाएं. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : सभा अपराह्न 02.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.23 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 02.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 02.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 02.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, अब नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। सदस्य जिन्हें, आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे यदि इन मामलों को, सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं तो वे स्वयं 20 मिनट के अंदर सभा पटल पर पर्ची रख दें।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

केवल वही मामले सभा पटल पर रखे माने जाएंगे जिनकी पर्ची निर्धारित समय सीमा के भीतर सभा पटल पर रख दी गई हो। शेष व्यपगत माने जाएंगे।

(दो) राजस्थान में भरतपुर से डीग एवं कमन होते हुए कोसीकलां तक नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रतन सिंह (भरतपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर से कोसीकलां वाया डीग एवं कमन होते हुए नई रेलवे लाइन के निर्माण हेतु सर्वेक्षण किए जाने हेतु 2010-11 में घोषणा की गई थी। जिन क्षेत्रों में इस योजना के तहत निर्माण करने से पूर्व सर्वेक्षण किए जाने का जो प्रस्ताव किया गया था वह अत्यंत आवश्यक एवं जनहित एवं देश के पिछड़ेपन को दूर करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़े क्षेत्र हैं एवं मेवाती बाहुल्य है। मेवाती वर्ग सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से बहुत ही कमजोर है। इस क्षेत्र में नई रेलवे लाईन बिछाई जाए तो इस क्षेत्र का विकास अन्य क्षेत्रों के अनुरूप किया जा सकता है। यहां ऐतिहासिक एवं पर्यटन क्षेत्र काफी संख्या में है जिनके दर्शन के लिए देश के कोने-कोने से पर्यटक सड़क मार्गों से आते जाते हैं। इस क्षेत्र में नई रेलवे लाईन डालने की आवश्यकता पर एक रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि भरतपुर से कोसीकलां वाया डीग एवं कमन होते हुए नई रेलवे लाइन के निर्माण हेतु सर्वेक्षण हेतु 2010-11 में जो घोषणा की गई है उस कार्य को जनहित में जल्द स्वीकृत कर निर्माण किया जाए जिससे देश के संतुलित विकास को गति मिल सके।

(दो) आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त विद्युत आवंटित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पोन्नम प्रभाकर (करीमनगर) : मैं संपूर्ण आंध्र प्रदेश में गंभीर विद्युत संकट के समाधान हेतु कदम उठाने की अविलंबनीय आवश्यकता के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आन्ध्र प्रदेश जो एक समय देश में अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन करने वाला राज्य था, आज विद्युत आपूर्ति की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। गंभीर विद्युत संकट घरेलू आवश्यकता,

[श्री पोन्नम प्रभाकर]

कृषि और औद्योगिक जरूरतों हेतु विद्युत की संबंधी बढ़ती मांग तथा राज्य में विद्युत उत्पादन एककों विशेषकर सत्तुपल्ली ताप विद्युत परियोजना - 600 मे.वा. शंकरापल्ली गैस विद्युत परियोजना-1000 मे.वा. और गैस आधारित करीमनगर विद्युत परियोजना 2100 मे.वा. हेतु गैस की कमी के कारण भी चूंकि राज्य में संपूर्ण विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 14000 मे.वा. थी और मौजूदा विद्युत उत्पादन केवल लगभग 10,000 मे.वा. है जिसमें 4000 मे.वा. की कमी है। आन्ध्र प्रदेश के सभी जिले विद्युत संकट का सामना कर रहे हैं और यह संकट ग्रीष्मकालीन योजना के अंत तक अर्थात्, जून 2013 तक रहेगा। विद्युत संकट से जूझ रहे उद्योग-धंधे भविष्य में पूरी तरह बंद हो जाएंगे। लगभग 50 मिलियन यूनिट प्रतिदिन की अप्रत्याशित कमी को रोकने की आवश्यकता है। आन्ध्र प्रदेश जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति अंतरित करने हेतु उत्तरी-पूर्वी-पश्चिमी-उत्तर-पूर्व ग्रिड के बीच कोरिडोर की क्षमता में वृद्धि किए जाने तथा बिजली उत्पादन राज्य की आवश्यकता है। कृष्णापट्टनम में 1400 मे.वा. विद्युत संयंत्र का कार्य पूरा करने और 500 मे.वा. सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति के मद्देनजर मैं माननीय विद्युत मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे आन्ध्र प्रदेश विशेषकर तेलांगनम क्षेत्र में संकट को दूर करने के लिए अतिरिक्त विद्युत आवंटित करें।

(तीन) नई अन्वेषण और अनुज्ञप्ति नीति के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उत्पादन हिस्सेदारी समझौते का अनिवार्य लेखा परीक्षण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उत्तर प्रदेश) : पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित नई अन्वेषण और अनुज्ञप्ति नीति (एनईएलपी) के अंतर्गत वर्ष वर्ष 2004-05 के पूर्व 90 ब्लॉकों के अन्वेषण हेतु उत्पादन हिस्सेदारी समझौते (पीएससी) किए गए थे।

समझौतों हेतु नई नीलामी के ठेकेदारों द्वारा न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (मिनिमम वर्क प्रोग्राम) के अंतर्गत अन्वेषण हेतु होने वाला व्यय कुल 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अब तक ठेकेदारों द्वारा इन 90 ब्लॉकों के अन्वेषण के कार्य हेतु 9.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यय किया गया है।

ज्ञातव्य रहे कि इन ब्लॉकों के विकास एवं उत्पादन हेतु अब तक 8.1 अमेरिकी डॉलर का व्यय किया जा चुका है और अब तक कुल 6 खोजे गए स्थलों से उत्पादन प्रारंभ हो रहा है।

3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करार के सापेक्ष 9.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यय की विशद ऑडिट किए जाने की आवश्यकता है।

उत्पादन हिस्सेदारी समझौतों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट किए जाने की अनिवार्यता के अभाव में पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसी राष्ट्रीय संपदा का दोहन बड़े पैमाने पर हो रहा है।

अत: मेरी मांग है कि नई अन्वेषण और अनुज्ञप्ति नीति के अंतर्गत उत्पादन हिस्सेदारी समझौते के ऑडिट हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा परीक्षण अनिवार्य बनाया जाए ताकि पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसी राष्ट्रीय संपदा के दोहन पर प्रभावी रोक लग सके।

(चार) केरल में कोझिकोड में फुटवियर डिज़ाइन और विकास संस्थान स्थापित किए जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम.के. राघवन (कोझिकोड) : कोझिकोड फुटवियर के निर्माण हेतु एक महत्वपूर्ण केन्द्र है जिसकी कारोबार लगभग 700 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष और 10,000 से अधिक कामगार काम कर रहे है।

फुटवियर डिजायन और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फुटवियर डिजायन का प्रमुख संस्थान है और केरल सरकार ने कोझिकोड में प्रस्तावित चार संस्थानों में से एक संस्थान खोलने का सुझाव दिया है जिस पर एफडीडीआई सिद्धांतत: सहमत हो गया है। केरल सरकार ने फरवरी, 2013 में इस प्रयोजनार्थ अनिवार्य 20 एकड़ भूमि की आवंटित किया संस्थान स्थापित करने के लिए स्थल के निरीक्षण हेतु एक टीम की आवश्यकता है। मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री जी टीम द्वारा शीघ्र दौरा किया जाना सुनिश्चित करे।

चूंकि संस्थान की संस्थापना राज्य के लिए तथा फुटवियर उद्योग के नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा अर्हता प्राप्त तकनीकी व्यक्तियों की उपलब्धता से अपने उन्नयन करने के लिए अतिमहत्वपूर्ण है माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री से अनुरोध किया जाता है कि वित्तीय वर्ष

2013-14 के दौरान 100 करोड़ रुपए की आवश्यक धनराशि आवंटित करे ताकि निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जा सके। मैं यह अनुरोध करता हूं कि संस्थान स्थायी अवसंरचना के निर्माण तक एक अस्थायी मनन में जल्द ही कार्य करना आरंभ कर दे।

(पांच) नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी) : मैं सरकार का ध्यान पेंशन, अंशदान विनियामक और विकास अधिकार बिल, 2011 में किए गए प्रावधानों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस बिल में किए गए प्रावधानों को लेकर कर्मचारियों में भारी आक्रोश है, जिसके चलते देश भर में प्रबल विरोध प्रदर्शन, रैलियां और हड़तालें हो रही हैं। नए बिल के अनुसर बेतन, ग्रेड वेतन, मंहगाई भत्ते का 20 प्रतिशत काटकर उस धनराशि को शेयर बाजार में लगाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि यह बिल अभी लोक सभा में लंबित है। इस बिल के अनुसार सरकार यह तक कहने की स्थिति में नहीं है कि कर्मचारी को कितनी पेंशन मिलेगी और सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद रिटर्न भुगतान की कोई गारंटी नहीं दी जा रही है एवं इसे केवल मार्केट के ऊपर ही छोड़ा जा रहा है।

इस बिल में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिनका विरोध किया जा रहा है जैसे पेंशन पूंजी की धनराशि शेयर मार्केट में निवेशित किया जाना तथा कर्मचारी को अपने सेवाकाल के दौरान किसी भी रूप में पैसा निकालने का अधिकारी नहीं होगा अर्थात् आकस्मिकता के लिए उचित व्यवस्था नहीं है।

स्पष्टतया, कर्मचारियों द्वारा जमा धनराशि को निजी कंपनियों के शेयर खरीदने में प्रयोग किए जाएंगे तथा इसके रिटर्न की गारंटी नहीं होगी किंतु बाजार जोखिम पर निर्भर होगा। सेंसेक्स और निफ्टी में उतार-चढ़ाव के अनुसार कर्मचारियों की पेंशन पूंजी में हमेशा उतार-चढ़ाव का जोखिम बना रहेगा। सर्वविदित है कि आज पूरा विश्व मंदी की चपेट में है, अमेरिका की 40 से अधिक कंपनियां विघटित हो चुकी हैं, 100 से भी अधिक वर्ष पुराने बैंक दिवालिया हो गए हैं। क्या कर्मचारी उतार-चढ़ाव को झेल पाएगा?

मैं सरकार का ध्यान एक और पहलू की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि नई पेंशन योजना की घोषणा सरकार द्वारा अगस्त, 2003 में की गई थी, जोकि कभी भी सदन के समक्ष विचार करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी क्रम में सरकार द्वारा बिना संसद में बिल पास कराए पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया गया, जोकि आज पूरे देश में काम कर रही है और राज्य सरकारें उसके निर्देशों का भी पालन कर रही हैं। यदि सरकार ऐसा करने के लिए स्वयं अधिकृत है, तो इसे बिल के रूप में क्यों लाया जा रहा है?

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि नई पेंशन व्यवस्था को खारिज किया जाए। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए और देश और प्रदेशों के कर्मचारियों से अब तक काटी गई धनराशि जी.पी.एफ. खाते में ब्याज सहित जमा कराई जाए।

(छह) 'डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम' के अंतर्गत मध्य प्रदेश के बैतूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डेयरी फार्मों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल) : केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2009 से 2012 तक डेयरी एंटेरप्रोन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम (डीईडीएस) योजना में प्रतिवर्ष 150 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इस योजना में दुग्ध उत्पादकों को 5 लाख तक के प्रस्तावों पर नाबार्ड द्वारा 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा नाबार्ड के निर्देशन पर कोई भी प्रकरण स्वीकृत नहीं किया गया।

मेरा संसदीय क्षेत्र बैतूल (मध्य प्रदेश) जोकि आदिवासी बाहुल्य हैं, यहां पर लोगों के पास कृषि योग्य भूमि उपलब्ध नहीं हैं। यहां के लोग वनोपज एवं दुग्ध उत्पादन पर निर्भर हैं। यदि इस योजना को शीघ्र किए जाने हेतु बैंकों को निर्देशित किए जाने का कष्ट करें जिससे कि आदिवासी बाहुल्य जिले को इसका लाभ मिल सके।

मैं आशा करूंगी कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस योजना का लाभ दुग्ध उत्पादकों को मिल सके।

(सात) राजस्थान के बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मोबाइल टॉवरों को चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र से पाकिस्तान की सीमा भी लगती है और समीवर्ती क्षेत्रों में जिसमें विशेष रूप से खाजूवाला, छतरगढ़, कोलायत तहसीलों में बीएसएनएल के मोबाईल के संचालन हेतु टॉवर स्थापित कर रखे हैं, लेकिन कई वर्षों से आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण मोबाईल टॉवर

[श्री अर्जुन राम मेघवाल]

चालू नहीं हो रहे हैं। मंत्रालय में जब जानकारी प्राप्त की गई तो यह जवाब मिला कि टैंडर की प्रक्रिया में देरी होने के कारण यह अव्यवस्था हुई है। यह अत्यंत ही गंभीर विषय है और मंत्रालय में प्लानिंग प्रोसेस में समन्वय के अभाव को उजागर करता है। एक तरफ टॉवर स्थापित हुए 4-5 वर्ष हो गये हैं दूसरी ओर उपकरण स्थापित करने का टैंडर नहीं होना पूर्व में खर्च किये गये पैसे का दुरूपयोग की श्रेणी में भी आता है। क्षेत्र के निवासी ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन ले रहे हैं। यदि इसमें अंश मात्र भी सत्यता है तो यह बहुत भी गंभीर मामला हैं इसकी जांच मंत्रालय स्तर से की जानी चाहिए और प्रकरण को मंत्रालय की सतर्कता समिति को भी सौंपा जाना चाहिए। इसके साथ-साथ मेरी भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थापित किये गये बीएसएनएल के मोबाईल टॉवरों के लिए वांछित उपकरण यथाशीघ्र लगवाकर टॉवर चालू करवाने की कार्यवाही करें जिससे मंत्रालय द्वारा किये गये पैसा का सदुपयोग भी हो सकें एवं जनता को भी बीएसएनएल टॉवरों का लाभ प्राप्त हो सके।

(आठ) बिहार के गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुरूप वृक्षारोपण का कार्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री हरि मांझी (गया) : मेरे संसदीय क्षेत्र बिहार राज्य के गया जिला में मनरेगा के तहत पंचायतों में वृक्षारोपण के कार्य चलाये जा रहे हैं उसमें भारी अनियमितता है। वृक्षों की देख-भाल हेतु जो मजदूर रखे गये है। उन्हें निर्धारित मजदूरी नहीं दी जा रही है। योजना के तहत कराया जा रहा कार्य भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है।

अतः मंत्री महोदय से मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच करायी जाये तथा दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध सख्त कारवाई की जाए।

(नौ) महाराष्ट्र में डीजल बेच रहे कंज्यूमर पम्प आउटलेटों को बनाए रखने के लिए उन्हें रिटेल पंप आउटलेटों में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता

श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : सरकार द्वारा कंज्यूमर और रिटेल आउटलेट पम्प के लिए अलग-अलग गाइडलाइंस बनायी गयी है। सरकार ने इस गाइडलाइन्स में अचानक बदलाव किया है। अब कंज्यूमर पम्प पर सब्सिडी हटाकर वहां डीजल प्रति लीटर रुपए 65/- दर पर बिकी की जा रही है। जबकि रिटेल आउटलेट पर प्रति लीटर रुपए 53/- से बिक्री हो रही है। यानी रिटेल के हिसाब से कंज्यूमर पम्प पर रुपए 12/- प्रति लीटर ज्यादा भाव से बिक्री हो रही है। इस कारण कंज्यूमर पम्प की सेचा लेने वाले ग्राहक अब रिटेल पम्प से डीजल ले रहे हैं। इस वजह से कंज्यूमर पम्प पर सहकारी संस्थाओं ने बड़ी मात्रा में इनवेस्टमेंट की है और सहकारी संस्थाओं का नेटवर्क महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। कंज्यूमर पम्प की बिक्री कम हो गयी तो यह इनवेस्टमेंट बेकार हो जाएगी, इसका सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर होगा। सरकार एक तरफ बूंद-बूंद तेल बचाने की बात कर रही है और दूसरी तरफ विपरीत निर्णय ले रही पड़े इसलिए सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि कंज्यूमर आउटलेट को रिटेल में परिवर्तित किया गया तो कंज्यूमर पम्प की बिक्री पर होने वाला विपरीत असर कम हो जाएगा और सामान्य जनता को होन वाला नुकसान कम हो जाएगा। इसलिए सरकार द्वारा कंज्यूमर पम्प को रिटेल पम्प में परिवर्तित करने का निर्णय शीघ्र लिया जाये।

(दस) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में किसानों को सिंचाई हेतु जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वहां गंगा नदी के भिटौरा घाट पर पम्प कैनाल के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री राकेश सचान (फतेहपर) : मेरा संसदीय क्षेत्र फतेहपुर गंगा एवं यमुना नदियों के बीच का क्षेत्र है फिर भी यहां के किसान सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण घोर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यहां पर जो नहर प्रणाली है वह टेल पर आधारित है। दो नहरें रामगंगा एवं निचली रामगंगा की प्रणाली है और इस नहरों के टेल में होने के कारण पानी नहीं पहुंचता है। फतेहपुर के भिटौरा घाट में गंगा नदी से 400 क्यूसिक पानी की आपूर्ति हेतु पंप कैनाल का निर्माण कराने का प्रस्ताव उ.प्र. सरकार द्वारा बनाया गया है जिसकी लागत लगभग 84 करोड़ है और उक्त प्रस्ताव को तकनीकी स्वीकृति भी प्रदेश सरकार से प्रदान हो गई है। भिटौरा घाट में गंगा नदी से पंप करके पानी उठाकर कैनाल में पहुंचाने के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल बोर्ड एवं जल संसाधन मंत्रालय को स्वीकृत हेतु भेजा गया है। जो कि अभी लंबित पड़ा हुआ है।

अतः मैं मांग करता हूं कि फतेहपुर के किसानों की सिंचाई की व्यवस्था के लिए लंबित प्रस्ताव को प्राथमिकता से स्वीकृत करा दिया

जाये जिससे कैनाल का कार्य जल्द शुरू हो सके। इस नहर के बन जाने से फतेहपुर जनपद के साथ ही कौशांबी, इलाहाबाद जनपद के किसानों को सिंचाई का लाभ होगा।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में मुंगरा बादशाहपुर के नजदीक राज्य राजमार्ग संख्या 7 पर रेल समपार पर एक उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर) : ईलाहाबाद-मुंगरा बादशाहपुर राज्य राजमार्ग संख्या 7 इस क्षेत्र के लोगों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण सड़क है। माल और यात्री वाहन दोनों भारी संख्या में इस सड़क का उपयोग करते हैं। इस सड़क पर मुंगरा के निकट एक रेलवे क्रांसिंग है। यह एक प्रमुख रेल लाइन जिस पर बहुत सारी रेलगाड़ियों बार-बार गुजरती है। इसकी वजह से समपार पर बार-बार फाटक बंद होता है और भारी 'ट्रैफिक जाम' के कारण लोगों को असुविधा होती है। साथ ही यह अन्य सभी रेलवे समपार की तरह सुरक्षा संबंधी जोखिम है।

इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे क्रॉसिंग पर ऊपरिपुल के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करें ना कि लोगों की सुरक्षा के साथ यातायात के सुनिश्चित किया जा सके।

यह इस क्षेत्र के लोगों की महत्वपूर्ण मांग है और प्रमुख सड़कों पर सभी रेल समपारों को हटाने संबंधी रेलवे की नीति को देखते हुए इस ऊपरिपुल के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए।

(बारह) देश में मत्स्य पालन के लिए एक अलग मंत्रालय बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन (कन्याकुमारी) : भारत में अंतर्देशीय और समुद्री संसाधनों दोनों क्षेत्रों में मात्स्यिकी का विशाल भंडार है। लगभग 20 मिलियन 20 लाख लोगों की कुल आबादी वाले मछुआरे तथा समृद्ध समुद्री और अंतर्देशीय जल संसाधन, मात्सियिकी और जलचर पालन जलीय क्षेत्र रोजगार नियोजन जीव नयापन और खाद्य सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मत्स्य उत्पाद विदेशों में व्यापार हेतु एक महत्वपूर्ण वस्तु है। भारत में मत्स्य क्षेत्र एकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.5% और कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 9.7% है जो प्रतिवर्ष 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है।

मत्स्य क्षेत्र की भारी संभावना को देखते हुए एक स्वतंत्र और पृथक मात्सियिकी मंत्रालय निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण होगा:—

1. फसलोंपरांत बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधाओं और भारत के दूरस्थ राज्यों तक इसकी पहुंच हेतु मत्स्य उत्पादों के विपणन माध्यमों का विकास करने हेतु घरेलू विपणन नेटवर्क का विकास मछली का सस्ता और और प्रोटीन का सुरक्षित स्रोत होने के कारण यह निर्धनतम लोगों के लिए सहायक है। इससे कीमतों की वसूली में भी मछुआरों को लाभ मिलेगा।

2. समुद्री मात्सियिकी और अंतर्देशीय मत्स्य क्षेत्र दोनों में भारत में उपलब्ध वृहद संसाधनों का इष्टतम उपयोग करके मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने हेतु लक्षित योजनाओं का विकास करना और इन्हें क्रियान्वित करना।

3. रणनीति का विकास करना जिससे समुद्री, खारे और ताजे जल स्रोतों से मछली उत्पादन और सीपी की संभावना के साथ अप्रयुक्त बजट भूमि का प्रयोग किया जा सके। पूरे देश में ऐसे उद्देश्यों हेतु उपलब्ध संभावना वाले क्षेत्रों का मानचित्रण और संघटित सम्यावधि के अंदर उनका विकास।

अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे एक पृथक मात्सियिकी मंत्रालय बनाए ताकि देश में 20 मिलियन मछुआरों को लाभ मिल सके।

(तेरह) तमिलनाडु के नीलगिरी स्थित हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस् के पुनरुद्धार संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.आर. नटराजन (कोयम्बटूर) : हिन्दूस्तान फोटो फिल्मस (एचपीएफ) तमिलनाडु के पिछड़े जिले नीलगिरी में सरकारी क्षेत्र का एकमात्र उपक्रम है जिसे माननीय मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री के. कामराज द्वारा नीलगिरी के लोगों के आर्थिक विकास के एक मात्र उद्देश्य से स्थापित किया गया था।

एचपीएफ का उदघाटन श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1967 में किया था। यह फोटोग्राफी से जुड़े उपकरणों के विनिर्माण हेतु एक अनूठा उद्योग है जो भारत में अपने आप में अकेला उद्योग हो इसने राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उदारीकरण की शुरूआत के बाद

[श्री पी.आर. नटराजन]

कंपनी को घाटा हुआ और इसे वर्ष 1996 में रुग्ण घोषित कर लिया गया। गत 16 वर्षों के दौरान पुनरुद्धार प्रस्ताव के प्रयोगनार्थ इसके वित्तीय पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रयास किया गया लेकिन कंपनी को एक पुरुद्धार योजना की स्वीकृति से इसके महत्व को साबित करने हेतु एक भी अवसर नहीं प्रदान किया गया। यह नोट करना प्रासंगिक है कि एचपीएच लगातार उत्पादन और बिक्री कर रहा है और कर्मचारी वर्ष 1987 पर आधारित पारिश्रमिक का भुगतान किए जाने के बावजूद कार्य कर रहे है।

इस समय परामर्शदाताओं की रिपोर्ट के आधार पर एक व्यवहार्य पुनरुद्धार प्रस्ताव सरकार को सौपा गया है जिस पर डीआरपीएसजी, बीआरपीएसई और सचिवों की समिति द्वारा यथोचित रूप से विचार किया गया है और इसे आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति की स्वीकृति हेतु इसकी सिफारिश की गई है सभी कर्मचारी प्रस्ताव की स्वीकृति और पारिश्रमिक की न्यूनतम समीक्षा की स्वीकृति हेतु व्यग्रतर से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मेरे लिए यह निराशा की बात हे कि 23 अगस्त, 2012 को आयोजित सीजीईए की बैठक में एचपीएफ के पुनरुद्धार प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं प्रदान की गई है और इसे डीएचआई द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसमें और विलंब से सभी कर्मचारियों और इनके परिवारों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।

हम आपसे अनुरोध करते है कि एचपीएफ के पुनरुद्धार को सुनिश्चित करने हेतु आप ईमानदारी से प्रयास करें और इस मामले को माननीय वित्त मंत्री और भारत सरकार के साथ उठाएं तथा एचपीएच के उक्त पुनरुद्धार प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

(चौदह) ओडिशा के बोलांगिर जिले में सौर उद्यान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री कालीकेश नारायण सिंह देव (बोलांगिर) : अत्यंत पिछड़े और गरीब के बी.के. क्षेत्र में बोलांगिर देश का एक सर्वाधिक पिछड़ा जिला है। यह जिला अत्यंत निम्न मानक विकास सूचकांक की श्रेणी में आता है। लगभग 70 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करती है और रोजगार के अवसर बहुत ही कम है।

बोलांगिर सौर ऊर्जा का अधिकतम हिस्सा प्राप्त करता है जो सौर ऊर्जा उत्पादन का आदर्श स्थल है। राजस्व इनर्जी होतिडगंरा प्राइवेट लिमिटेड (आरईएचपीएल) द्वारा सदेइपल्ली-बोलांगिर में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र प्रतिदिन 1 मे.वा. विद्युत का उत्पादन करती है।

इस क्षेत्र के पिछड़ेपन और विद्युत उत्पादन हेतु इसकी उपयुक्तता को देखते हुए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि बोलांगिर में सौर पार्क स्थापित करे। बोलांगिर में सब स्टेशन के निकट उपलब्ध सरकारी भूमि का प्रयोग एक सौर पार्क स्थापित करने हेतु किया जा सकता है।

एक सौर पार्क स्थापित किए जाने से बुनियादी ढांचे का विकास होगा और इससे स्थानीय रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी एक सौर पार्क होने से नए उद्योग धंधे आएंगे जिससे जिले का समग्र विकास होगा इससे कार्बन के उत्सर्जन में भी कमी आएगी और कम कार्बन उत्सर्जन में राष्ट्र के प्रयास को बल मिलेगा।

(पंद्रह) आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकायों के लिए 13वें वित्त आयोग से धनराशि जारी करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी (नरसारावपेट) : मैं 13वें वित्त आयोग से राशि जारी नहीं होने के कारण आंध्र प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यकलापों के थम जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

आंध्र प्रदेश में निर्वाचित स्थानीय निकायों की कार्यावधि 22-08-2011 को समाप्त हो गई और डेढ़ वर्ष से अधिक समय से चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार से आंध्र प्रदेश सरकार को दी जाने वाली हजारों करोड़ रुपए की राशि 13वें वित्त आयोग द्वारा जारी नहीं की गई है और इसके कारण ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विकास के कार्य रूक गए हैं और इसे लोग प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा, निर्वाचित निकायों के स्थान पर स्थानीय निकाय विशेष अधिकारियों के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं, इसलिए, विकासात्मक कार्यों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा ही। इसलिए, ग्रामीण तथा शहरी आंध्र प्रदेश के विकास का कार्य रूका हुआ है।

इस स्थिति को देखते हुए मैं अध्ययपीठ के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से इस मामले में हस्तक्षेप करने और उपयुक्त कानून बना कर आंध्र प्रदेश में विकासात्मक कार्यों को सुकर बनाने हेतु युद्ध स्तर पर 13वें वित्त आयोग से राशि जारी किए जाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने हेतु जहां भी आवश्यक हो केन्द्र और

आंध्र प्रदेश सरकार को उपयुक्त निर्देश जारी कर जिससे कि समय पर स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं होने पर भी विकासात्मक कार्य जारी रहेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब सभा मद संख्या 21 और 22 को एक साथ लेगी। डा. भोला सिंह।

...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करुर) : महोदया, श्रीलंका पर अमेरिकी संकल्प के संबंध में सरकार का आश्वासन क्या है...*(व्यवधान)*

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : मैं वही बातें दोहरा रहा हूं जो मैंने सुबह में कही थी। सरकार श्रीलंका के घटनाक्रम के प्रति गंभीर है और हम इसके प्रति संवेदनशील हैं। हम इस विषय पर सभा में चर्चा के लिए तैयार हैं। कार्य मंत्रणा समिति चर्चा के लिए समय और तिथि निर्धारित करे...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई : आज अंतिम दिन है...*(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ : कृपया मुझे उत्तर देने दें। मैंने अभी विदेश मंत्री से बात की है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : और कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। *[हिन्दी]* मंत्री जी, बोल रहे हैं, वे कुछ बता रहे हैं। आप उनकी बात सुन लीजिए।

(व्यवधान)...*

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : महोदया, मैंने अभी विदेश मंत्री से बात की है। कोई अंतिम दिन नहीं है। बाहर भी यह पूर्वानुमान व्यक्त किया जा रहा था कि आज था कल अंतिम दिन है। भारत के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं है। मतदान के दिन तक भारत कभी भी अपना पक्ष निर्धारित कर सकता है। अभी हम आपस में चर्चा कर रहे हैं। हम इस विषय पर सभा में चर्चा के लिए तैयार हैं। आप कृपया समय और तिथि निर्धारित करें।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डॉ. एम. तम्बिदुरई : हम मंत्री जी के वक्तव्य से संतुष्ट नहीं हैं हम सभा-भवन से बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 02.03 बजे

इस समय डॉ. एम. तम्बिदुरई और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 02.03¼ बजे

इस समय श्री टी.के.एस. इलेंगोवन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : डॉ. भोला सिंह अपनी बात जारी रखें।

अपराह्न 2.00 बजे

दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013

और

दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह (नवादा) : महोदया, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित करता हूं:—

"कि यह सभा 3 फरवरी, 2013 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्याक 3) का निरनुमोदन करती है।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब, माननीय मंत्री जी।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : सभी तीन सदस्यों को सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करने दीजिए और उसके पश्चात् माननीय मंत्री विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं।

गृह मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

''कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

मैं दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 को इस सम्मानित सभा द्वारा विचार और पारित किए जाने हेतु प्रस्तुत करता हूं। संसदीय लोकतंत्र के युग में बहुत कम ही हमें रक्षा देखने को मिला है कि इस प्रकार के कानून के प्रारूपण और अधिनियमन की तरफ पूरे राष्ट्र का ध्यान आकृष्ट रहा है। पूरा राष्ट्र इस विधयेक पर वाद-विवाद के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा है।

श्री गुरुदास दासगुप्ता (घाटल) : महोदया, कृपया मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदया : जी नहीं। आप नियम जानते है। कृपया अपने स्थान पर बैठिए। आप सभी नियमों से अवगत हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : किस नियम के तहत?

...(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार शिंदे : इसलिए इस सम्मानित सभा के माननीय सदस्यों के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर इस विधेयक पर पूरी अपेक्षानुसार पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ विचार करें और जल्द से जल्द यह सुनिश्चित करें कि यह विधेयक पारित है।

पिछले कुछ महीनों से, पूरे राष्ट्र दिनांक 16 दिसंबर के राजधानी में एक युवती के साथ बलात्कार और उसके बाद मृत्यु की अत्यंत त्रासद घटना के बाद की घटनाओं में उलझा हुआ था एक बहादुर लड़की जिसके सामने उज्जवल भविष्य था और उससे पहले ही दुर्भाग्यवश कुछ व्यक्तियों द्वारा जघन्य अपराध करके उसे समाप्त कर दिया आज पूरे राष्ट्र का अंत:करण जिस प्रकार डगमगाया वह स्थिति अभूतपूर्व थी। पूरा राष्ट्र एकजुट हो गया और मांग की न केवल इस मामले में तत्काल न्याय दिया जाए और न केवल बलात्कार से संबंधित हमारे कानूनों में पूर्ण सुधार करने का बल्कि महिलाओं के प्रति अपराधों से संबंधित कानूनों में पूर्ण संशोधन का भी खुला आह्वान किया गया था। वर्तमान विधेयक उन सभी हिस्सेदारों के योगदान का परिणाम है जिन्होंने दिनांक 16 दिसंबर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पश्चात उठे अनेकों मुद्दों के प्रति प्रभावी और अत्यावश्यक जवाब तैयार करने हेतु अपने विचार दिए थे।

मुझे याद है कि सरकार कुछ समय तक इन मुद्दों से बंधी रही थी और वास्तव में हमने बलात्कार और इससे जुड़े मामलों से संबंधित अपने आपराधिक कानूनों को और कड़ा करने के इरादे से गतवर्ष दिनांक 4 दिसंबर को लोकसभा में दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 पुर:स्थापित किया था। इस विधेयक को दिनांक 16 दिसंबर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के होने से पूर्व पूर्ण मुद्दे को गृह मंत्रालय संबंधी विभागीय स्थायी समिति को भेजा गया था।

सामूहिक बलात्कार की जघन्य घटना के बाद सरकार ने अत्यंत गंभीर यौन अपराधों के मामलों में त्वरित न्याय दिलाने और अपराधियों को अधिक कड़ा दंड दिलाने का प्रावधान करने हेतु विभिन्न कानूनों में संशोधन करने संबंधी सिफारिश हेतु न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में समिति गठित की थी वर्मा समिति ने महीने भर की समय सीमा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति बड़े पैमाने पर दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 में उपबंधों से सहमत की जिन्हें पहले ही सम्मिलित किया गया था इसके अतिरिक्त समिति ने कानूनों में कुछ और संशोधनों का भी सुझाव दिया था।

संशोधित कानूनी व्यवस्था लागू करने तात्कालिक आवश्यकता के मद्देनजर, विभिन्न कानूनों में तत्काल संशोधन करने की बड़े पैमाने पर आवश्यकता महसूस की गई थी। उभरती हुई स्थिति पर ध्यान देते हुए, सरकार आगे आई और दिनांक 3 फरवरी, 2013 को दंड विधि (संशोधन) 2013 प्रख्यापित किया जिसमें वर्मा समिति द्वारा सिफारिश किए गए अधिकांश पहलुओं को सम्मिलित किया गया था।

इस दौरान, गृह मंत्रालय संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति ने भी दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 की जांच की और दिनांक 1 मार्च, 2013 को अपना प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा। गृह मंत्रालय संबंधी विभागीय स्थायी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों, न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशों और महिला समूहों सहित विभिन्न पक्षों से प्राप्त विचारों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार इस दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 को लाई है।

मैं सम्मति तक को 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष करने सहित इस विधेयक में उन अधिकारिक संशोधनों को प्रस्तुत करूंगा जिन

पर दिनांक 18 मार्च 2013 को हुई बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ चर्चा की गई थी इसलिए, मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि विधेयक के खंड 29 को अस्वीकृत किया जाए।

विधेयक की विस्तृत योजना को तीन भागों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। पहला भाग बलात्कार की परिभाषा के बारे में है। इस विधेयक में विभिन्न प्रकार के उन यौनाचारों को बलात्कार के दायरे में सम्मिलित किया जाना है जो अब से पहले नहीं थे। धारा 376 आईपीसी की परिधि का गत वर्ष दिनांक 16 दिसंबर जैसे अत्यंत गंभीर यौन अपराध और मृत्यु के मामले हेतु प्रावधान करने के लिए विस्तार किया जा रहा है। नए प्रकार के अपराध होने लगे हैं, जिनपर पहले संज्ञान नहीं लिया गया था और इनका निवारण किए जाने की आवश्यकता है ताकि महिलाओं को सुरक्षा और उनका सम्मान दिलाया जा सके।

महिलाओं को निर्वस्त्र करना, छुपकर देखना, पीछा करना और व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों का दुर्व्यापार और यौन शोषण भारतीय दंड संहिता में नए अपराध के रूप में सम्मिलित किए गए है। तेजाब के हमले के लिए एक विशिष्ट उपबंध का प्रावधान किया जा रहा है जिसके लिए पूर्व में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था।

दूसरी बात, इस विधेयक में कुछ मामलों में कठिन दंड का प्रावधान है तथा यह सुनिश्चित करने का प्रावधान है कि कुछ अपराधों के दोषी लोग अपनी शेष जीवन केवल जेल में ही व्यतित करें। बलात्कार के ऐसे मामले जिसमें अपराधी द्वारा कोई ऐसी चोट पहुंचाई जाती है जिससे पीड़ित की मृत्यु हो जाती है या पीड़िता सदा के लिए अपंग हो जाए तो अपराधी को कम से कम 20 वर्ष की सजा होनी चाहिए जिसे उसके शेष जीवनकाल या स्वाभाविक मृत्यु तक बढ़ाया जा सकती है।

सामूहिक बलात्कार के मामले में न्यूनतम 20 वर्ष, जो आजीवनकाल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, की सजा का प्रावधान किया गया है और दूसरी बार बलात्कार करने या सामूहिक बलात्कार के मामले में यह सजा मृत्यु की सजा निर्धारित की गई है।

तीसरे स्तर पर महिलाओं के साक्ष्यों को रिकॉर्ड करते समय तथा जिरह के दौरान महिलाओं की सम्मान की रक्षा करने का प्रावधान कर कानूनों को महिलाओं अनुकूल बनाया गया है। क्षतिपूर्ति, चिकित्सा तथा इन मुद्दों से जुड़े अन्य आनुषंगिक मुद्दों के संबध में प्रावधान किए जा रहें हैं।

हम महसूस करते हैं कि इस प्रकार के गंभीर और जघन्य अपराध जब बार-बार हो रहे हैं तो समय आ गया है कि सख्त और स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार के संभावित अपराधियों को संदेश दे कि समाज इस प्रकार के भ्रष्ट आचरण को अब और बर्दाशत नही करेगा। गंभीर मामलों में न्यूनतम सजा का प्रावधान तथा अन्य मामलों में न्यायिक विवेक के अधिकार को हटाकर वर्तमान प्रणाली की खामियों को दूर किया जा सकता है।

मैं अपने कर्त्तव्य में असफल हो जाऊंगा यदि मैं उन लोगों, संगठनों तथा संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त नहीं करता हूं। जो महिलाओं के लिए सुरक्षित और संरक्षित समाज के निर्माण के लिए लगातार कोशिश करते हैं लेकिन जिनकी कहीं चर्चा नहीं है। मैं न्यायाधीश वर्मा तथा समिति में उनके सहयोगियों का विशेषरूप से धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने रिकॉर्ड समय में विस्तृत रिपोर्ट दी है। गृह मंत्रालय के विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के सभापति तथा सदस्यों को तथा विभिन्न अधिक्ताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुश्किल के समय में मदद की। मैं विभिन्न राजनीतिक दलों के उन नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने 8 मार्च, 2013 को आयोजित सर्वदलीय बैठक में मूल्यवान शुझाव दिए थे।...*(व्यवधान)*

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : यह सर्वदलीय बैठक नहीं था।...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : यह चयनित दलों की बैठक थी।...*(व्यवधान)*

श्री सुशीलकुमार शिंदे : महोदया, जैसा कि मैने शुरू में कहा था, हम लोग इस समय महिलाओं से संबंधित हमारे आपराधिक कानून में नए युग की शुरूआत करने की दिशा के अंतिम चरण में हैं तथा इसके साथ ही लिंग भेद संवेदनशीलता और महिला अधिकारिता के बड़े मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। शायद ही ऐसा कोई दिन होता है जब देश के किसी न किसी भाग में किसी असहाय साथ बलात्कार की खबर नहीं आती हो। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पूरे राष्ट्र की नजर हम पर टिकी हुईं और हमे इस दिशा में अवश्य कुछ करना है और शीघ्र तथा प्रभावी ढंग से करके दिखाना है। इस विधेयक को सुगमता से तथा शीघ्रता से पारित कर उस महिला के बलिदान और बहादुरी को सम्मानित करे जिसने अपने सम्मान और मर्यादा के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे दी। इसलिए ऐसा करके हम यह सुनिश्चित करेगें कि विधायी ढांचा समय के अनुकूल अपने को बदले और हमारे समाज में महिलाओं को संरक्षण प्रदान करे।

[श्री सुशीलकुमार शिंदे]

अब मैं दंड विधि (संशोधन) विधेयक 2013 को इस सम्मानित सभा में विचारार्थ तथा पारित करने हेतु प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

''कि यह सभा 3 फरवरी, 2013 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।''

"कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया : अब, श्री भोला सिंह बोंलेगें।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदया यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदया : कौन-सा नियम है।

प्रो. सौगत राय : यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) में अंतर्गत है।

4 फरवरी, 2013 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया था। अध्यादेश के बाद, अब इस सभा के तीन सदस्यों ने एक सांविधिक संकल्प प्रस्तुत किया है जो अध्यादेश के निरनुमोदन के लिए है। मैं उस विषय के गुण-अवगुण में नहीं जाना चाहता जो गृह मंत्री जी तथा सदन के नेता द्वारा सदन में पढ़ा गया है। मैं विधेयक के गुण-दोषों की भी चर्चा नही कर रहा हूं। सदस्य इस विषय पर बोलेंगे।

इस प्रश्न पर मैं आपसे एक निदेश या विनिर्णय की अपेक्षा करता हूं कि यदि तीन सदस्यों द्वारा अलग-अलग कोई सांविधिक संकल्प लाया जाता है, जो एक साथ नहीं दिया गया है, जो अध्यादेश के निरनुमोदन हेतु है तो संकल्प के निष्पादन के बिना, क्या आप सीधे विधेयक पर विचार करवा सकती हैं? यह केवल एक संवैधानिक प्रश्न है।

अनुच्छेद 123(2)(क) में कहा गया है, अध्यादेश जारी करने के बाद, अध्यादेश को सभा के समवेत होने के छह सप्ताह के अंदर अर्थात बजट सत्र के लिए सभा को 21 फरवरी को समवेत होने के छह सप्ताह के अंदर विधेयक में परिवर्तित करना होता है। अब प्रश्न यह है कि जो विधेयक लाया गया है उसमें और अध्यादेश में कोई समानता नहीं है। बिल्कुल एक नया कानून लाया गया है। सामान्यत: एक अध्यादेश को अक्षरश: विधेयक में परिवर्तित किया जाता है। लेकिन इसे तो पूर्णत: परिवर्तित कर दिया गया है।

इसलिए, महोदया, मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया अध्यादेश के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प को पारित करे और इसके बाद आप विधेयक पर विचार कर सकती है। मुझे विधेयक के गुण-दोष के बारे में कुछ नहीं कहना है। चर्चा के दौरान सदस्य इस पर बोलेंगे। लेकिन कानून के अधिनियमन के समय हमें संवैधानिक प्रक्रिया का अवश्य पालन करना चाहिए। अन्यथा यह पूर्णत: दोषपूर्ण हो जाएगा।

मैं इस मामले पर आपका विनिर्णय चाहता हूं जो यह है कि जब सांविधिक संकल्प है तो क्या आप सांविधिक संकल्प को निपटाए बिना इस विधेयक को सीधे विचारार्थ ले सकते है? तीन सदस्यों डा. भोला सिंह, श्री गुरुदास दासगुप्त और मैने सांविधिक संकल्प हेतु सूचना दी है। लेकिन आपने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया लेकिन आपने गृह मंत्रीजी को उनके इतने लंबे वक्तव्य को पढ़ने की अनुमति दी। ऐसा क्यों हैं, महोदया? कृपया सांविधिक संकल्प का निपटान करे और इसके बाद चर्चा शुरू होने दें। हम सामान्य प्रक्रिया का उल्लंघन क्यों करें जो संविधान के अंतर्गत विहित है? यह हमारा मूल संवैधानिक दायित्व है। यह नियम है और यह हमारा मूल संवैधानिक दायित्व है जिसके अंतर्गत महोदया मैं आपका हस्तक्षेप चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : मैंने अपना विनिर्णय सुरक्षित रखा है। मैं अपना विनिर्णय जल्द ही दूंगी। अब मैं डा. भोला सिंह को बोलने के लिए बुलाती हूं। आपने जो कहा है उसे मैंने नोट कर लिया है।

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह : मैं आसन के प्रति आभार प्रकट करता हूं। जिस पीड़ा और जिस सदमे में यह राष्ट्र वर्षों से कराहता रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। वर्षों से जिसकी वेदना घायल होती रही है। वर्षों से जिस के ज़िस्म पर गहरे दाग रहे हैं। आज यह सदन उस वेदना को और गहरे दाग को, उस ज़ख्म को सहलाने के लिए और फिर हमारे दामन पर यह दाग न लगे, इसके लिए सदन ने, विरोधी दल के नेता ने और सदन के तमाम

दलों के नेताओं ने भारत की इस मर्मांतक पीड़ा को जिसमें हमारी पीढ़ी, हमारी बेटियां बलात्कार की शिकार, कमोडिटीज बन गयी, इसके संबंध में विरोधी दलों के नेताओं ने, हमारी विरोधी दल की नेता ने और सरकार ने भी जन दबाव में आकर इस पीड़ा को संवेदना देने के लिए अपने अस्तित्व को भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है लेकिन देर से उठाया है। तब भी वह सही दिशा में एक कदम है जिसका मैं समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदया, नारी और पुरुष दो नहीं, हमने महसूस किया है कि हमने नारी और पुरुष को दो अलग-अलग हिस्सों और चीजों में देखा है। पृथ्वी से टूट कर सूरज आसमान में चमका तो सूरज शिव हैं और पृथ्वी पार्वती है। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और सूरज पृथ्वी का सुहाग है। सूरज पृथ्वी का सुहागनी रूप है। उसी तरह से जब हम किसी बीज को जमीन में डालते हैं, उस बीज का नीचे का एक हिस्सा जड़ है, वह जमीन के नीचे जाता है और उसकी जो गर्दन एवं सिरा है, वह ऊपर जाता है। उसकी जो गर्दन है, वह शिव है और जो उसकी जड़ है, वह पार्वती है। इस अवस्था में हमारे मन के अंदर जो नारी बैठी है, वह नारी बाहर है और नारी के मन के अंदर जो पुरुष बैठा है, वह पुरुष भी बाहर है। वे दोनों अलग-अलग हिस्से नहीं है। लेकिन इस बिल के माध्यम से इस दवा की जो खोज की गई है, भारतीय सांस्कृतिक स्थापनाओं, परम्पराओं के अनुरूप आने वाले दिनों में फिर इस पर हमें पुनर्विचार करना होगा।

अध्यक्ष महोदया, शिव से पार्वती ने पूछा कि है प्रभु, आपकी आंखें बंद हैं, गंधर्व कन्याएं चारों और चक्कर काटती हैं, आप क्या चिन्तन करते हैं, क्या सोचते हैं। शिव ने कहा पार्वती, मैं तेरा ही चिन्तन करता हूं। यही नहीं, मैं आपको बताऊं कि जब राम जंगल जाने लगे और सीता को रहने के लिए कहा। उनके सास-ससुर ने भी कहा तो सीता ने कहा कि हजारों सास-ससुर सूरज की तरह दाहक हैं, जिस तरह से मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, उसी तरह से पत्नी भी पति के बिना नहीं रह सकती।

अध्यक्ष महोदया, मैं इस बात को आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि महादेवी वर्मा, जो छायावाद की कवयित्री हैं, उन्होंने कहा – "मैं नीर भरी दुख की बदली, उमरी थी कल, मिट आज चली।" ये नारी और बेटी के प्रति हमारी धारणा है। जब जलियांवाला बाग में सामूहिक नरसंहार हुए, उस नरसंहार में उधम सिंह आठ वर्ष का अपनी मां की गोद में बैठा हुआ था। जब मां के सीने में गोली लगी तो मां के एक स्तन से खून बह रहा था और दूसरे स्तन से लहू बह रहा था। तब मां तड़पती हुई कहती थी, बेटा, मैंने तुझे अपने स्तन का दूध पिलाया है, मैं तो जा रही हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तू इसका बदला लेना। उधम सिंह इंग्लैंड गए, उन्होंने वहां जाकर डायर पर गोलियां चलाईं। उसकी गोली से डायर नहीं मर सका, वह भागा और एक अंग्रेज महिला उनके धक्के से गिर पड़ी। उधम सिंह ने उस महिला को गोद में उठा लिया। अंग्रेज पुलिस आई और उधम सिंह को पकड़ कर ले गई। अगले दिन वह महिला उधम सिंह से मिलने के लिए गई। उसने कहा कि बेटा, जब तुझ पर इतने संकट थे तो तुम क्यों हमें उठाने लग गए, तो उधम सिंह ने कहा मां, तब उसने कहा कि तुमने मुझे मां कहा, उसने कहा हां। उसने कहा कि मां, तुम्हारी चीख एवं चिल्लाहट में मेरी मां की तड़पती हुई चिल्लाहट है। मां चाहे इंग्लैंड, इटली, अमेरिका या दूसरी जगह की हो, सभी मां अपनी मां है, सभी बेटियां अपनी बेटियां हैं। बेटियां अपनी सभी हैं और मां सभी अपनी हैं, मां नहीं मरती। आज मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि बेटी मां की कोख में भी सुरक्षित नहीं है, पिता की उपस्थिति में सुरक्षित नहीं है, बेटी न्यायालय में सुरक्षित नहीं है, बेटी विधायिका में सुरक्षित नहीं है, बेटी नौकरी पेशे में सुरक्षित नहीं है, बेटी मां-बाप के, घर के और दादा-दादी के सामने सुरक्षित नहीं है। लगता है कि बेटी कोई चिड़िया है, जिसे लोग झपट लेना चाहते हैं, यह परिस्थिति है। इस परिस्थिति में जो कदम उठाया गया है, उस कदम का मैं समर्थन करता हूं, मैं उसका स्वागत करता हूं।

मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, जब सिद्धार्थ जंगल जाने लगे तो यशोधरा को सोया छोड़कर गये। यशोधरा को बड़ा कष्ट हुआ। उसने कहा, है सखी, अगर उनको जाना ही था तो पूछकर जाते, लेकिन जब सिद्धार्थ बुद्ध बनकर आये तो सखियों ने कहा कि यशोधरे, तेरा सिद्धार्थ बुद्ध हो गया है, चलो, भेंट करने के लिएं यशोधरा ने कहा-नहीं सखी, मैं नहीं जा सकती, भेंट करने के लिए, उन्होंने मुक्ति पथ की बाधा मुझे माना है, इसलिए मैं उनसे भेंट करने के लिए नहीं जा सकती हूं। बुद्ध स्वयं यशेधरा के दरवाजे पर आये। यशोधरा मौन थी। बुद्ध ने कहा, यशोधरे, मैं तुझे छोड़कर जरूर चला गया, यह मेरी कमजोरी है, यह मेरा दृष्टिकोण सही नहीं था, लेकिन मैं तुझे छोड़कर भी छोड़ नहीं सका। जब मैं साधना कर रहा था तो बहुत सारी लड़कियां मेरे दिमाग में चक्कर काटती थीं और जब वे चक्कर काटती थीं और मैं अगर उनकी और भटकता था तो यशोधरा, तू खड़ी हो जाती थी और मैं अपने को बचा लेता था। यशोधरा, तुझे छोड़कर भी मैं तुझे छोड़ नहीं पाया और तेरे कदमों पर आज मैं श्रद्धा निवेदन करने के लिए आया हूं।

[डॉ. भोला सिंह]

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे साहित्य ने, हमारे ग्रन्थों ने, हमारे बांगमय ने, हमारे पुराणों ने जो दशा सीता पैदा की है, दर्जनों बार उनकी परीक्षा की, आग में जली सीता और अशोक वाटिका में जाकर भी जो दूसरी सीता थी, लेकिन उसके बाद भी जब वह आग में जब उनकी हुई, लेकिन एक धोबी के कहने पर राम ने उनको निकाल दिया तो सीता राम से कहने लगीं, मैं परीक्षा देते-देते थक गई हूं, मैं समाज में अपनी अस्मिता को दिखाने के लिए थक गई हूं, मैं आपको वंश सौंप रही हूं। नारी वंश है, नारी विरासत है, नारी त्याग और कुर्बानी है, नारी संस्कृति है, नारी जीवन के पहलुओं को सुगन्धित करती है, नारी जीवन की आस्था है, नारी प्रकृति का श्रृंगार है और मैं आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि आज हमारे समाज की क्या स्थिति है।

इन्दिरा जी का भी जन्म हुआ, लेकिन थाली नहीं बजी। पंडित नेहरु के परिवार के लोग चाहते थे कि हमें बेटा हो, बेटी नहीं हो। इन्दिरा जी आईं तो उस घर में रौनक नहीं हुई, थाली नहीं बजी और आज भी जब हमारे घर में जब बेटी आती है तो थाली नहीं बजती, लोग उसको मनहूस के रूप में देखते हैं और महोदया, मैं आपके माध्यम से...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग अपनी बात कहिएगा।

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : यह सत्य नहीं है। मेरे पिता ...*(व्यवधान)* हमारे पिता होने के नाते बहुत गौरान्वित महसूस करते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह : आप मुझे गलत न समझें। मैं आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि,...*(व्यवधान)* महोदया, मैं आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि शादी के पहले तक नारी के नाम पर उसके घर में कोई वस्तु नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप तब बोलिएगा, जब आपकी बारी आएगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : जब आपकी बारी आयेगी, तब आप बोलिएगा।

...*(व्यवधान)*

डॉ. भोला सिंह : नारी के नाम पर कोई चीज नहीं है। इसलिए आज जो बिल हमारे सदन में प्रस्तुत हुआ है, उसका स्वागत करते हुए, उसकी कुछ जो खामियां हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदया, यह बिल तात्कालिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आया है, लेकिन मात्र इस बिल से, मात्र इस कानून से समाज की जो अनैतिकता है, समाज में नारी के साथ जो दुर्व्यवहार है, जो उनके साथ बलात्कार की घटनायें हो रही हैं, मात्र कड़े कानून बना देने के बाद भी ये घटनायें नहीं रूक सकतीं, क्योंकि हम शरीर हो गये हैं। हमारी सांस्कृतिक आत्मा हमारे शरीर से निकल गयी और हम शरीर होने के कारण मात्र इस कानून के माध्यम से जो समाधान करना चाहते हैं, वह नहीं होगा।

महोदया, दुनिया के देशों में मृत्यु के कानून हैं, फांसी है, आजीवन कारावास हैं, लेकिन वहां घटनायें होती हैं, रूकती नहीं हैं। आज हम इस बात को इसलिए कहना चाहते हैं कि जब तक समाज की सोच में, समाज के चिंतन में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक सांस्कृतिक चेतना नहीं उठेगी, सांस्कृतिक चेतना का विकास नहीं होगा, तब तक यह कानून भी अपना प्रभावकारी संस्थाएं हैं, जो सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से समाज को परिष्कृत करना होगा, समाज के दिमाग को परिष्कृत करना होगा। उनकी सांस्कृतिक चेतना बढ़ानी होगी, सांस्कृतिक क्रान्ति करनी होगा, तभी जाकर यह कानून प्रभावकारी हो सकता है।

दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं कि कानून तो बन रहे हैं, हम सभी इस मामले में एकमत हैं और एक बार के कानून में सम्पूर्ण कानून की आत्मा नहीं लायी जा सकती। चूंकि समस्याएं बढ़ेंगी, उन समस्याओं के समाधान के रास्ते भी बढ़ेंगे, इसलिए कानून कोई स्टैटिक नहीं है, कानून का भी बढ़ता हुआ शरीर है, कानून की भी बढ़ती हुई आत्मा होती है, इसलिए कानून कोई स्टैटिक नहीं है। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि इस कानून को कार्यान्वियन करने वाला जो प्रशासनिक यंत्र है, उसका क्या हाल है?

महोदया, आप जानती हैं कि हमारी पुलिस, अंग्रेजों के शासन वाली पुलिस है। हमारे समाज को जिस तरह से सिनेमा ने, हमारे समाज को जिस तरह से साहित्य ने, हमारे समाज को जिस तरह से टेलीविजन ने, हमारे समाज को रेडियो ने, हमारे समाज को जिस तरह से पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति ने प्रभावित किया है, क्योंकि पश्चिम में शरीर हैं, आत्मा नहीं हैं। पश्चिम में भोग हैं, योग नहीं हैं। पूरब में शरीर

नहीं हैं, आत्मा हैं, भोग नहीं हैं, योग हैं। लेकिन हमारे इस शरीर पर, हमारी इस आत्मा पर पश्चिम का असर हो गया है। हम आत्मा न रहकर शरीर होते जा रहे हैं। हम योग नहीं रहकर भोग बनते जा रहे हैं। हमारे समाज की संस्कृति पर पश्चिम का बहुत असर पड़ता जा रहा है। इसलिए पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का जो दबाव हमारे ऊपर है, उसको भी हमें प्रतिकार करना होगा। अपनी संस्कृति में आस्था जतानी होगी। इस देश की केंचुली में एक नाग भी है, जाने गुलिस्तां एक राग भी है, यहां एक तिनका भी नहीं बेकार, खामोश दियासलाई में आग भी है, यह परिस्थिति हमारे समाज की है। इसलिए पश्चिम सभ्यता है, हम संस्कृति हैं। हमारे ऊपर उसका दबाव बहुत है। इसलिए अपनी संस्कृति में, मैं आपको बताऊं कि हमारी संस्कृति में जब विवेकानंद अपने कमरे में रात को सोए हुए हैं उस समय सिस्टर निवेदिता आती हैं। वह उनके सामने जा कर उनसे पूछती हैं कि मेरी सुंदरता का आप कैसे प्रतिकार कर रहे हैं? किसी को दम नहीं है कि कोई सिस्टर निवेदिता की सुन्दरता का प्रतिकार करे। विवेकानंद ने कहा कि सिस्टर जब तू आती है तो मैं दीप जला लेता हूं और उस दीप में, मैं अपनी अंगुली का डाल देता हूं। तेरी सुंदरता जलने के बदले, मेरे उस दीप की आग में मेरी अंगुलियां जलती है। इस तरह से, मैं तेरी सुंदरता का प्रतीकार करता हूं। जब सिस्टर निवेदिता 12 बजे राज को विवेकानंद से मिलने के लिए जाती हैं, वह दरवाजी खटखटाती हैं तो विवेकानंद कहते हैं कि सिस्टर यहां तू। सिस्टर कहती है कि आज मैं इस रात में आप से मिलने के लिए आई हूं। मैं चाहती हूं कि आपका और हमारे साथ जो संयोग हो तो आप के जैसा ही बेटा मुझे प्राप्त हो। विवेकानंद ने कहा कि मान लो कि मैं तेरा ही बेटा हूं। भारत की यह संस्कृति है। भारत की यह सांस्कृतिक चेतना है। इसलिए इस संस्कृति को आरोपित करना होगा। जो पुलिस प्रशासन है उनको प्रशिक्षित करना पड़ेगा। उनकी जवाबदेही फिक्स करनी पड़ेगी। वह कानून में है। मैंने देखा है लेकिन थाने की पुरानी परंपराएं हैं, जो थाने का रंग और ढंग हैं उनको बदलना होगा।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। यह बिल सघन प्रयास का, चेतना का, संवेदना का एक प्रतीक है। मैं सरकार, प्रतिपक्ष के नेता और तमाम विरोधी दलों के नेताओं को भी, जिन्होंने अपनी सीमा से उठ कर, पार्टी की सीमा से उठ कर, मान लिया कि भारत एक देश नहीं है, भारत एक भारत मां है।

अंत में, मैं यह कहानी कह कर इस बात को समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं। रुक्मिणी कृष्ण का पैर दाब रही थी। रुक्मिणी ने कृष्ण के पैर में फफोला देखा। उन्होंने कहा कि आप के पैर में फफोला है। कृष्ण ने कहा, हां। कल राधा आई थी। तुम लोगों ने राधा को गरम दूध पिला दिया। रुक्मिणी ने कहा कि राधा को दूध पिलाया तो फोका राधा को होना चाहिए। आपको फोका कैसे हुआ? कृष्ण ने कहा कि मेरा पैर राधा के हृदय में और राधा का पैर मेरे हृदय में जो मुझको भजता है, मैं भी उसको भजता हूं।

मैडम, इन बातों के साथ-साथ डाक्टर लोहिया ने कहा कि हमारे देश में राम राज्य नहीं बल्कि सीताराम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। राम के पहले सीता क्यों है? कृष्ण के पहले सीता क्यों है? यह हमारे समाज की उदात्त सांस्कृतिक चेतना है। एक दिन राम ने रावण को मारने के बाद सीता से कहा कि सीते तुम मेरी बाहों की पूजा करो। उन्होंने कहा कि हां, आपकी बाहों की पूजा तो होनी ही चाहिए। जब राम सहस्त्राबाहु से हारने लगे तो सीता ने देखा कि विश्व विजयी राम सहस्त्राबाहु से हार रहे हैं। एक अनर्थ होने वाला है। सीता ने काली का रूप धारण कर लिया। तलवार, खप्पर ले कर, काली का रूप धारण कर सहस्त्राबाहु का वध करने लगी। जब राम जीतने लगे तो उन्होंने कहा कि देवी को नमस्कार है। सीता ने कहा कि आप ने पहचाना नहीं। मैं आपकी सीता हूं। राम ने उसी समय कहा कि पहले सीता होगी उसके बाद राम होगा। उसी तरह से हमारे समाज में पहले नारी मां है, नारी बहन है, नारी बेटी है। विष्णु मंत्रिमंडल हुआ। देवताओं ने विष्णु को कहा कि आप मुझे वित्त मंत्री बनाइए। विष्णु ने दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी सबको मंत्रिमंडल में स्थान दिया। विष्णु के मंत्रिमंडल में नारी ही नारी थी, देवता कहीं नहीं थे। इसलिए आज के सामाजिक जीवन में नारी की प्रतिष्ठापना, नारी को समाज में उच्चतर स्थान देना होगा। वह हमारी वंश है। अगर नारी नहीं रहेगी, वह बलात्कार का शिकार होगी, अपमानित हेगी, तो यह सृष्टि का प्रलय है, सृष्टि का संहार है। इस प्रलय से समाज को बचाने के लिए हमें नारी को प्रतिष्ठा देनी होगी और इस बिल में जो खामियां हैं, सदस्यों के सुझावों के अनुरूप उन खामियों को दूर करना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विषय का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर) : महोदया, पूरे प्रवचन में बलात्कार शब्द एक बार भी नहीं आया।...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय : मैडम, वे कह सकते थे, यशोदा मां से कहे नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला।...*(व्यवधान)*

श्री संदीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्षा जी, आज सम्मनित गृह मंत्री जी ने जो बिल प्रस्तुत किया, मैं पूर्णरूप से इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझसे पहले बहुत ही सम्मानित सदस्य भोला सिंह जी ने अपने तरीके से नारी की परिभाषा बताई है। मैं उनसे उम्र में बहुत कम हूं। शायद जिन कहानियों का उन्होंने उल्लेख किया, जिस इतिहास का उल्लेख किया, मैं उसे उतनी अच्छी तरह नहीं जानता जितनी अच्छी तरह वे जानते हैं। लेकिन विनम्रता से कहूंगा कि नारी की परिभाषा में एक परिभाषा और जोड़ दी जाए कि नारी सबसे पहले इंसान है। अगर हम नारी को इंसान की परिभाषा से देखते हैं, इंसान की तरह उसके हक की बात करते हैं, इंसान की तरह कानून के अंदर उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, इंसान की तरह उसे बराबरी का हक देते हैं, तो आज का यह बिल मुझे सार्थक कदम दिखता है।

पिछले दो-तीन महीने में जो हुआ, देश ही नहीं पूरे विश्व में 16 दिसंबर की तारीख एक तारीख बनकर उभरी। यह बात सत्य है कि गृह मंत्री जी ने कहा, इससे पहले हमारी ने वर्ष 2012 का एक विधेयक, जिसने रेप और रेप से संबंधित सजाओं और कानून को तब्दील करने का एक बिल हमारे सामने प्रस्तुत किया था। लेकिन 16 दिसंबर से पहले, मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा और न ही किसी पर अंगुली उठा रहा हूं, शायद एक जल्दबादी, एक धारणा कि यह एक ऐसी चीज है जो हमारी प्रॉयरिटी में होनी चाहिए, शायद न किसी राज्य, सरकार और समूह में थी। मेरे ख्याल से वर्ष 2012 का जो बिल आया था, हममें से शायद ही कुछ लोगों ने उसे पढ़ा होगा। हमारे मीडिया के मित्रों ने शायद ही उसे देखा भी होगा। एक परिस्थिति थी जो चलती आ रही थी, जिसमें महिलाओं का हक, महिलाओं के लिए कानूनों में लाने वाली तब्दीली की आवश्यकता को शायद हम कभी भी प्राथमिकता से नहीं देखते। जो दर्दनाक घटना 16 दिसंबर को घटी, उसने एक तरीके से उस पूरे माहौल को पलट दिया। इस देश के युवाओं, लड़कियों, महिला संगठनों, धीरे-धीरे राजनीतिक समूहों, दलों और सरकारों ने इस बात को समझा और माना कि शायद पूराने ढर्रे से अब कानून की व्यवस्था नहीं चल सकती। इसमें हमें भी आगे बढ़-चढ़कर वही योगदान देना पड़ेगा जो देश की जनता शायद हमसे अपेक्षा कर रही है। इस कारण पहले आर्डिनैंस आया, उसके बाद आज यह बिल हमारे सम्मुख आया है।

मैं आर्डिनैंस और आर्डिनैंस से पहले की कार्रवाई के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं कि परिस्थिति को समझकर, बारीकियों, उसकी संवेदनशीलता को समझकर, शायद हमारे पुराने जितने रिटायर्ड जजेज हैं, उनमें अगर किसी को सबसे ज्यादा प्रगतिशील माना जाता है, तो जस्टिस वर्मा को माना जाता है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी को गठित किया। मैं उस कमेटी का स्वागत करता हूं। उन्होंने एक बहुत ही मोटी, बहुत ही विस्तार से बनायी हुई रिपोर्ट को हमारे सामने प्रस्तुत किया और वह रिपोर्ट एक तरीके से हम सबको अपने अंदर देखने के लिए, अपने कानूनों को एक बेहतर रूप से देखने के लिए एक आधार बनी। आज हम जिस कानून पर चर्चा कर रहे हैं, उसकी शायद गंगोत्री उस रिपोर्ट से शुरू होती है। इसके साथ-साथ जैसे गृह मंत्री जी ने तमाम संगठनों, लॉयर्स, एक्ओविट्स को धन्यवाद किया, मैं भी अपनी तरफ से और सदन की तरफ से उन सबको धन्यवाद देता हूं कि 16 दिसंबर की घटना के बाद उन सबके मन में जो सोच आयी, उसे सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया। स्टैंडिंग कमेटी में भी उन बातों की चर्चा हुई, गृह मंत्रालय में भी उन बातों पर चर्चा हुई और आज एक मिला-जुला बिल, एक प्रारूप के रूप में हमारे सामने आया है। एक बात से मैं जरूर थोड़ा निराश हुआ। जब सरकार आर्डिनैंस लेकर आयी, तो वह आर्डिनैंस उस समय की जरूरत थी, उस समय की पुकार थी, लोगों में आक्रोश था, लोगों को लग रहा था कि हमारी सरकार आज क्यों नहीं हमारे साथ खड़ी दिख रही है? वह क्यों नहीं ऐसे कोई कदम उठा रही है, जिससे कहीं लगे कि हमारी चुनी हुई सरकार जो हमारे मत से, हमारे मन से संसद में बैठती है, वह आज हमारे लिए ऐसा कदम उठा रही है? जिससे हमें भी कहीं लगे कि वह हमारी भावनाओं का सम्मान करती है, हमारी भावनाओं को समझती है और हमारे लिए जरूरी कदम उठाने के लिए वह अपनी कार्रवाई कर सकती है। बहुत लोग कहते हैं कि संसद का कभी-कभार इंतजार करना चाहिए। हमें प्रक्रियाओं के साथ चलना चाहिए। प्रक्रियाओं के साथ चलना आवश्यक है, लेकिन कभी-कभी समय की आवश्यकता और जनता की पुकार हर प्रक्रिया से हर सम्मान से, हर भवन से ऊपर उठकर होती है और सरकार उसका सम्मान करके आर्डिनैंस लायी। हो सकता है कि आर्डिनैंस में कुछ कमियां हों, लेकिन उन्हें पूरा किया गया है। 18 तारीख को कई दलों के नेताओं ने मिलकर अपने सुझाव दिये। उन सुझावों के बाद कुछ और तब्दीलियां आज आयी हैं।

आज जो बिल आया है, उस पर मैं थोड़ी देर में विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन शायद आज जो बिल आया है, यह एक पथ हमारे सामने शुरू करता है, उस समाज के निर्माण, उस वातावरण के निर्माण की तरफ जहां शायद आखिर में कई वर्षों के चलने के बाद और कई ऐसी चीजों के चलने के बाद जिनका कुछ तरीके से भोला सिंह जी ने अपने भाषण में वर्णन किया था। उनको अगर हम आत्मसात करेंगे, उनको अपने व्यवहार में लायेंगे, अपनी संस्थाओं की

संस्कृति और संस्कारों में लायेंगे, तब हम कुछ बदलाव ला सकते हैं। जब मैं संस्कृति और संस्कार की बात करता हूं, तो केवल अपनी धरोहर की बात नहीं करता, अपने विचारों की बात करता हूं। महिलाओं, नारियों को देखने के तौर-तरीके की बात करता हूं। कई जगहों में उनका सम्मान, उनकी अपेक्षाओं के हिसाब से करने की बात करता हूं। मैं सिर्फ इस पूरे समाज में अपनी नजरों से समाज को देखने की बात नहीं करता, सबकी नजरों से समाज को देखने की बात करता हूं और उनको जब हम अपने तौर-तरीकों में लायेंगे, तो शायद एक बेहतर, एक ज्यादा सशक्त, एक ज्यादा बराबरी के समाज के निर्माण में हम आगे बढ़ सकेंगे।

अध्यक्षा जी, इस बिल में मैंने तीन-चार मुख्य बिन्दू ऐसे देखें, जो स्वागत योग्य हैं। सबसे पहले हर ऐसे क्राइम पर जिसकी चर्चा 16 दिसंबर के बाद की जा रही है, सरकार ने अपने बिल द्वारा उन सबमें सजाओं को बढ़ाया है। जहां एक साथ था वहां तीन साल किया है और जहां तीन साल था वहां सात साल किया है। उन्होंने रेप और रेप से संबंधित जिन प्रावधानों को सशक्त किया है, वह स्वागत योग्य है। सब सांसदों ने यहां बैठकर उनको पढ़ा होगा, इसलिए दोबारा से उनके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात पर जरूर कहीं न कहीं समाज में, हमारे विशेषज्ञों के बीच में, सांसदों के बीच में, दलों के बीच में अलग-अलग धाराओं को समझने वाले लोगों के बीच में एक विवाद जरूर चल रहा था कि रेप की स्थिति में हम मृत्यु की पैनल्टी या डेथ पैनल्टी को लगायें या न लगायें?

अध्यक्षा जी, इसे हमें दो बातों में देखना चाहिए। एक सवाल यह है कि क्या डेथ पैनल्टी किसी राज्य सरकार का हक है या नहीं? उसमें मैं नहीं जाऊंगा। यह एक चर्चा चल रही है, दुनिया में चल रही है, हमारे देश में चल रही है, इस पर हम कम से कम अपने देश में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। आज मोटा-मोटी हम यह समझते हैं कि नहीं, कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जिसमें सरकार को चाहे, अनचाहे कभी न कभी डेथ पैनल्टी देनी चाहिए, इसलिए वह प्रावधान आज भी हम समझते हैं। लेकिन इस कानून में जहां डेथ पैनल्टी को इवोक किया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। वह साफ तौर पर कहती है कि जहां कहीं भी किसी महिला के साथ बलात्कार होता है और उस परिस्थिति में उसकी मृत्यु हो जाती है या वह एक ऐसी अवस्था में चली जाती है जिसमें एक तरीके से वह निर्जीव हो जाती है, तब उन व्यक्तियों को जिन्होंने यह दुष्कर्म किया है, उनके ऊपर डेथ पैनल्टी एप्लाई होनी चाहिए और इसका मैं स्वागत करता हूं। कई और जगहों पर जहां गैंग रेप की बात हो, रिपिटेड क्राइम्स की बात हो, इसके लिए लाइफ इम्प्रीजन्मेंट की बात की गई है और यहां इसका वर्णन तब तक किया गया है, जब तक वह व्यक्ति जीवित रहे। मेरे ख्याल से वह भी स्वागतयोग्य बात है। बात यह नहीं है कि किसी को 25 या 30 साल जेल में रखने पर किसी को हर्ष होता है। बात यह है कि ऐसे व्यक्तियों को एक संदेश जाना चाहिए, समाज को यह संदेश जाना चाहिए कि इस तरह के अपराध को समाज किसी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हमारे अधिकार में, जितने ज्यादा हम किसी को यदि सजा दे सकते हैं, तो उस व्यक्ति को सजा देने के लिए यह सरकार और कानून सशक्त है और जब जरूरत पड़ेगी, उस सजा को हम देंगे।

मैडम, एक और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। कई बार अखबारों में हम पढ़ते थे, विशेषज्ञ हमें बताते थे कि बलात्कार की घटना के बाद सबसे कठिन होता है, महिला को अपना बयान देना। इस पर कई कहानियां सुनी हैं। कई बार हमने पिक्चरों में इसका वर्णन सुना है। कई बार डरे-डरे शब्दों में महिलाओं ने हमको अपनी व्यथा सुनायी है कि यदि वह कोर्ट में जाती है, तो किस तरह से वह अपने आप को कमजोर और निहत्थी पाती है। उस कोर्ट की ओर चलते-चलते उस महिला की हिम्मत टूट जाती है, जब सामने उसका बलात्कारी हुंकार भर कर अपने लॉयर्स की पूरी मंडली के साथ बैठा होता है। वह अपने-आप को कमजोर समझती है। उसके अगल-बगल पुरुष पुलिस वाले उसे लेकर चल रहे होते हैं। कभी-कभी हमने ऐसी तस्वीर भी देखी है कि यदि जज कोई ऐसा सवाल पूछ लेता है, तो नारी तो छोड़िए, आप और हम जैसे मर्द भी उन सवालों के जवाब देने में अपने-आप को कमजोर पाएंगे। ऐसी परिस्थिति कभी-कभी कोर्टों में आ जाती है, तो सबसे बहादुर महिला भी अपने-आप को बिल्कुल ही कमजोर समझती है और अपने बयान दर्ज नहीं करवा पाती है और कई बार जो असॉल्ट करते हैं, वे छूट जाते हैं। इसलिए कुछ प्रावधान किये गये हैं। महिला अफसरों के सामने उसके बयान दर्ज करें। यदि 18 साल से कम उम्र की लड़की हो, तो कोर्ट में उसकी विडियोग्रफी की जाए, पुलिस स्टेशन से बाहर उसके बयान लिया जाए, क्रॉस एग्जामिनेशन के समय, जिन पर असॉल्ट का चार्ज है, रेप का चार्ज है, वे सामने न रहें। ये सब-के-सब स्वागतयोग्य बात हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि कभी-कभी क्रॉस एग्जामिनेशन की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि ऐसे लोगों का एक छोटा-सा समूह भी है, जो गलत आरोप भी लगा सकता है। उसके लिए मैं इतना आग्रह करूंगा कि जैसे केस लॉ बनेगा और जैसे-जैसे गृह मंत्री और गृह मंत्रालय के सामने ये बातें आएंगी, इस बात को भी सामने रखें कि

[श्री संदीप दीक्षित]

कहीं इसका गलत इस्तेमाल न हो। लेकिन एक महिला स्वच्छंद रूप से, बिना भय के अपनी बात कह पाए, यह कहना बहुत ही आवश्यक हो जाता है।

यहां यह बात भी देखी गयी है, जो खासकर 16 दिसंबर के केस में भी यह बात आयी है कि कई बार जब कमप्लेन किये जाते हैं, तो ऐसे कई अधिकारी पाए जाते हैं, जो कमप्लेन नहीं लिखते हैं, कमप्लेन को सीरियसली नहीं लेते हैं और अक्सर उन पुरुषों में, जो इस क्राइम को बार-बार करते हैं, उनमें एक ऐसा ढाढ़स आ जाता है कि यह तो एक ऐसी चीज है, जिसे हम बार-बार कर सकते हैं। इसमें न कानून है, न समाज है, न पुलिस है, जो हमारे विरुद्ध कुछ कर पाएगी। जो प्रावधान इस बिल में लाए गये हैं उसके अनुसार उन अधिकारियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मेरे ख्याल से वह भी बहुत स्वागतयोग्य बात है। मैं संसद से तमाम राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि यदि वे उन प्रावधानों को दो-चार बार भी सख्ती से क्रियान्वित कर दें, तो हमारे तमाम पुलिस फोर्सेस में, तमाम अधिकारियों में एक मैसेज जाएगा और उसके बाद कोई हिम्मत नहीं करेगा कि जब कोई महिला उसके पास आए, तो उससे उल्टा सवाल करे, बल्कि उसकी बात को स्वीकार करे और उन केसों को दर्ज करे, जिससे आगे उनको न्याय मिल सके। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर लोग बार-बार कह रहे थे, वह अपने आप में कुछ कंट्रोवर्सियल भी है, लेकिन यह बात भी आवश्यक थी कि कई बार ऐसे लोग जो पुलिस थाने में काम करते हैं, जहां आर्म्ड फोर्सेज की गश्त होती है, जहां अधिकारीगण एक तरीके से अंकुश लगाकर अपना राज करते हैं, उनके अंदर जब ऐसी घटनाएं होती थीं, तो कई रूप में उसमें महिलाएं प्रताड़ित होती थीं और हम सजा नहीं दे पाते थे। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात की गयी है, जिसका मैं स्वागत करता हूं कि पुलिसवालों या फौजी अफसरों को रेप के मामले में सजा देने के लिए जो ऑफिशियल सैंकशन की आवश्यकता होती थी, उस आवश्यकता को आपने हटा दिया है। इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। पोजीशन ऑफ अथारिटी को आपने सेक्शन 376(2)(k) के अंदर जिस तरीके से परिभाषित किया है, मेरे ख्याल से अभी तक जितनी परिभाषाएं चल रही थीं, उनमें से सबसे सशक्त है। मैं सभी सांसदों से कहूंगा कि इस परिभाषा को जरूर पढ़ें क्योंकि इसको देखने के बाद यह जरूर लगता है कि पोजीशन ऑफ अथारिटी का जहां-जहां मिसयूज होता था, उसमें जरूर महिलाओं को आगे चलकर मदद मिलेगी। पांच-सात नई चीजों को इस कानून के प्रावधानों में लाया गया है, जिनमें अब सजा मिलेगी, ये आगे चलकर इसको एक सशक्त कानून बनाएंगे और महिलाएं इनके आने के बाद अपने आपको ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी। लेकिन इनका वर्णन करने के पहले मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि इनका असली मजा तब आएगा, जब ये फील्ड पर क्रियान्वित होंगी। जब हमारे पुलिस के अधिकारी, सरकार के अधिकारी, जब भी ऐसे विषय उनके सामने आएंगे, तो केवल इसको लेटर में नहीं, इसके पीछे की भावना को समझकर और महिलाओं के मन में क्या आता है जब ये कार्यकलाप उनके सामने होते हैं, उसको समझकर अगर कानून को पढ़ेंगे और इन प्रावधानों को क्रियान्वित करेंगे, तो सही मायने में हम महिला को एक बराबरी की जगह दे पाएंगे और इस कानून का पूरा फायदा उन्हें मिलेगा। स्टॉकिंग सबसे पहली चीज ली गयी है। हो सकता है कि जब कई वर्षों पहले बना, उस समय स्टॉकिंग जैसी समस्या रही हो या न रही हो, कम से कम चिन्हित नहीं होती थी। स्टॉकिंग के साथ वायरिज्म को भी जोड़कर मैं देखता हूं। हम भी देखते हैं, कई बार हम लोग सड़क पर जा रहे होते हैं, चार-पांच लड़के अपने समूह में खड़े रहते हैं, कोई बेचारी लड़की अगर वहां से जा रही होती हैं, तो उस पर टीका-टिप्पणी करते हैं, उनमें से कुछ लड़के उसके पीछे-पीछे चल देते हैं। उनके इस तरह से साथ चलने से आम आदमी भी समझ लेता है कि उस लड़की के साथ वहां क्या व्यवहार होने जा रहा है। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे, यहां मेरे जो युवा मित्र हैं, उनको शायद अपने कॉलेज के वर्षों की याद हो, हमें भी मालूम होता था कि किस लड़की के पीछे हमारा कौन सा साथ कितने समय तक चलता था। उस समय हम नहीं समझ पाते थे, मैं अपने आपको भी ऐसी चीजों का दोषी मानता हूं कि शायद मैं भी उस भावना से ग्रसित रहा होउंगा, जब मैं कॉलेज में था और इस गलती को मानने में मैं कभी अपने आपको पीछे नहीं रखूंगा, लेकिन हम लोग भी समझ नहीं पाते थे कि हमारे वे छोटे-छोटे काम, जिनसे हम अपने आपको एक लड़का समझते थे और अपने आपको लड़की से ज्यादा बहादुर एवं ताकतवर समझते थे, उन छोटी-छोटी चीजों से किसी लड़की का दिन, किसी लड़की का हफ्ता, किसी लड़की का वर्ष पूरा बर्बाद कर देते थे। उसके बाद वह लड़की डरी हुई, सहमी हुई कॉलेज में, गली-कूचे में या शहर में घूमती थी। आज स्टॉकिंग पर जो कानून आया है, उससे बहुत हद तक हम लोगों को मदद मिलेगी। वायरिज्म या लड़कियों को उस तरीके से देखना, उस जगह पर उनको झांकना जिसे हम प्राइवेट मानते हैं, यह प्रथा भी बहुत दिनों से चलती आ रही है। जब से इलैक्ट्रानिक टेक्नोलॉजी आई है, तबसे इसका विस्फोट हो गया है। कहीं से भी,

कोई भी किसी की फोटो खींच लेता है। कहीं भी कैमरा लग जाता है और कहीं भी एक बेचारी लड़की, जो अपने घर के कमरे में बैठी हुई है, अपने मित्र के साथ बैठी हुई है या अपने दोस्त के साथ कहीं जा रही है और अपने निजी समय में कुछ करती है, तो वह देखती हे कि शाम तक पूरे विश्व के लिए वह एक तमाशा बन जाती है। इसको भी रोकना अति आवश्यक था और इस पर जो रोक लगाई गयी है, वह भी स्वागतयोग्य बात है। एसिड फेंकने की प्रक्रिया हम लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। कहीं कोई लड़का, जिससे कोई लड़की बात नहीं करती है, उस लड़की पर एसिड फेंक देता है। कहीं किसी से झगड़ा हो जाता है, तो उसके मुंह पर तेजाब फेंक देता है। कई बार खबरें आती हैं कि लड़की अपने मित्रों के साथ बस स्टाप पर खड़ी थी, स्कूटर पर आकर एक लड़का उस पर एसिड फेंककर चला जाता है और जिंदगी भर के लिए वह लड़की खत्म हो जाती है। उसको बहुत सख्ती से रोकना चाहिए। उसकी परिभाषा इसमें जितने खुले रूप में की गयी है और जिस सख्ती से उस चीज को इसमें रखा गया है, वह स्वागतयोग्य है। ट्रैफिकिंग के बारे में अक्सर हमारे पास खबरें आती थीं कि लड़कियां गायब हो रही हैं, बच्चे गायक हो रहे हैं, महिलाएं गायब हो रही हैं, उनका कहीं पता नहीं चल रहा है और कभी-कभी खबरें आती हैं कि आर्गनाइज्ड क्राइम में रेड पड़ रही है, तो 15-20 लड़कियां पकड़ी गयीं। कभी देश के किसी कोने की लड़की किसी दूसरे कोने में पाई जाती है, कभी बंगाल की लड़की केरल में मिल रही है, केरल की लड़की दिल्ली में मिली, दिल्ली की लड़कियां मुंबई में मिल रही हैं, यूपी की लड़कियां पटना में मिल रही हैं, पटना की लड़कियां मध्य प्रदेश में मिल रही हैं, इससे समझ में नहीं आता है कि कहां से कहां इस तरह की ट्रैफिकिंग चलती आ रही है। हजारों-लाखों मां-बाप रोते-बिलखते रह जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि उनकी बच्चियां कहां गायब हो गयी हैं और जब वे बच्चियां मिलती भी हैं, तो वे इस अवस्था में होती हैं कि वे बिल्कुल अजीब से जिंदगी में रह रही होती हैं। ट्रैफिकिंग के ऊपर जो कानून बनाया गया है, मेरे ख्याल से तमाम कानून में सबसे स्वागतयोग्य कठोर कानून बनाया गया है। डिसरोबिंग की बात भी पिछले पांच-दस वर्षों में बार-बार हमारे सामने आई, अखबारों के माध्यम से हमने पढ़ी, सांसदों ने भी कई बार इसकी व्याख्या संसद में की। एक अजब प्रक्रिया आ गयी है, कोई महिला समाज में अगर कुछ ऐसा करती है, जो लोगों को न हो, कभी-कभी उस महिला के ही परिजन, मित्र, भाई, पति या मां-बाप उसको दंडित करने के लिए समाज में उसे वस्त्रहीन कर देते हैं।

अपराह्न 03.00 बजे

शायद इससे घिनौनी हरकत तो हमारे समाज में कभी देखी भी नहीं गई है, जितनी घिनौनी हरकत महिलाओं को वस्त्रहीन करने की बात है। उसमें जो सजा के प्रावधान किए हैं, वे स्वागतयोग्य हैं।

अध्यक्षा जी, मैं दो-तीन बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक प्रावधान है जिस पर बहुत चर्चा चली आ रही है, जिसे एज ऑफ कंसेंट के नाम से कई बार मीडिया में भी चर्चा हुई है। हमारी स्टैंडिंग कमेटी में भी इस पर चर्चा हुई थी। उसमें यह है कि अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध रखते हैं तो क्या इन प्रावधानों के अंदर उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए या नहीं। इसमें दो पहलू हैं और इसी में हम लोग उलझ कर रह गए हैं और उलझ कर रह जाएंगे। यह ऐसी समस्या है जिसका कोई एक सीधा हल नहीं है, सीधा जवाब नहीं है। हममें से कोई नहीं चाहता कि 18 साल से कम की मेरी बेटी है, आज 15 साल की है, 16 साल की है, मैं भी नहीं चाहूंगा कि वह जब 16 साल की हो जाए तो इस एक्ट को समझकर वह समझे कि उसे जो चाहे करने का एक लाइसेंस मिल गया है। कोई मां-बाप यह नहीं चाहता, कोई मित्र भी यह नहीं चाहता। लेकिन क्या इसे हम क्रिमिनलाइज करें, यह मेरा एक सवाल है, जो मैं गृह मंत्री जी के लिए छोड़ता हूं और तमाम सीनियर नेताओं के सोचने के लिए छोड़ता हूं।

मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण रखना चाहूंगा। एक 17 साल का लड़का और एक 17 साल की लड़की है। वे अगर आपस में कोई भी संबंध, शारीरिक संबंध करते हैं तो क्या हम चाहेंगे कि हमारे थाने का एक हवलदार आकर उन दोनों को पकड़कर घसीटता हुआ उन्हें थाने ले जाए और उनसे कहे कि तुम अपराधी हो। क्या हमारी 17 साल की लड़की के साथ वह व्यवहार हम चाहेंगे? क्या हम चाहेंगे कि जिंदगी भर के लिए उसके ऊपर रेप का चार्ज लग जाए? मैडम, मैं जानता हूं कि यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है। यह बार-बार मुझे भी झकझोरता है। मैं अगर कभी 16 साल की उम्र में इसे सहमति देने की तरफ सोचता हूं तो मुझे यह बात भी सोचनी पड़ती है कि 18 साल के नीचे कैसे हम इसकी अनुमति दे सकते हैं। अगर 18 साल से अधिक की बात करते हैं तो इधर के सवाल मेरे मन में आने लगते हैं और मेरे पास उनका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है कि संसद में बहुत गुणी लोग हैं, सरकार से बहुत गुणी लोग हैं, समाज में बहुत गुणी और संवेदनशील लोग हैं। इन लोगों को मिलकर केवल इस बात को एक

[श्री संदीप दीक्षित]

बार देखना चाहिए कि इस प्रावधान को आप लाते भी हैं कि 18 साल के नीचे सहमति नहीं दी जाए, तो क्या उसे आप क्राइम मान रहे हैं, तो उसकी सजा हम किस तरीके से दें, थाने में उसे डील किस तरीके से करें, उसको कॉग्निजेंस में किस तरीके से लाएं। मेरा केवल एक विनम्रता से निवेदन है कि उन बच्चों को क्रिमिनल घोषित न करें, बाकी जिस तरीके से भी आप उनसे डील करना चाहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

आखिरी बात समाज में उठती है और वह एक कंट्रोवर्शियल विषय है, वह मेरिटल रेप का है। बहुत से लोग, प्रगतिशील लोग कहते हैं कि मेरिटल रेप पर सजा होनी चाहिए। मेरी इसमें दुविधा है। अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से इस समय मैं संसद को नहीं, संसद से बाहर भी जो लोग हमें सुन रहे हैं, उन्हें भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं। लेकिन शायद इस समय यह सोच है, यह एक ऐसी परिस्थिति है, जिसे आज इसी समय, यथास्थिति वहीं रखी जाए। इसका यह मतलब नहीं है कि आने वाले समय में इस पर पुनर्विचार संसद करेगी या मंत्रालय करे या सरकार, यह बात सबकी चर्चा के अंदर है। अभी इस पर कोई एक राय नहीं बन पाई है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे पहलू हैं, जिन पर और गहराई से जाने की आवश्यकता है।

इन दो बातों को रेखांकित करके, दोनों में अपनी दुविधा को आपके सामने रखकर मैं इसलिए यह बात यहां कहना चाहता था कि शायद मेरी ही नहीं, बहुत से सांसदों में इन दोनों चीजों पर अलग-अलग भावनाएं हैं। हममें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी एक तरफ अपना निर्णय नहीं दे पाएंगे। अंततः मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं तमाम सदन के नेताओं को। मैं धन्यवाद देता हूं इस पार्टी का, खासकर उसकी लीडरशिप का, जिसने यह प्रतिज्ञा की थी, यह प्रण किया था कि आने वाले सत्र में हम इस बिल को लाएंगे और पास करेंगे। इसलिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे विपक्ष के सभी नेताओं को, हर पार्टी के नेता को कि आज इस प्रण को हमने पूरा किया है। एक बात और कहना चाहता हूं कि कभी-कभी जब यह यह संसद इस तरीके से एक साथ बैठकर देश की समस्या के निवारण का काम करती है तो मुझ जैसे युवा को भी उस निराशा से नहीं गुजरना पड़ता जो शायद बाहर लोगों को हो। मुझे सही में लगता है कि देश का नेतृत्व आज भी अगर कहीं है तो वह इस संसद के अंदर है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : माननीय अध्यक्षा जी, आज जिस बिल पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। मैं मानती हूं कि यह सामाजिक विषय है और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह विषय हमारे समाज की रीति-नीति, सामाजिक सरोकार, सामाजिक सुरक्षा तथा सृजन, पूजन, संवर्धन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से यह बिल लाया गया, बिल तो चार दिसंबर को लाया था लेकिन उसके बाद आर्डिनेंस आया और आर्डिनेंस किसी विशेष परिस्थिति में आया था। बात यह थी कि सब कहते थे कि कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए।...*(व्यवधान)* वास्तव में इसका उद्देश्य एक ही था कि कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए और यह डिमांड हर हिन्दुस्तानी के मन से उठी थी।

दूसरी बात यह थी कि कानून जल्द से जल्द आये। यह प्रमुख बात थी। मैं कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगा रही हूं लेकिन हमारी मानसिकता ऐसी है और अभी भी मैं यहां देख रही थी कि जो एक सीरियसनेस इस विषय को लेकर होनी चाहिए, वह हमारे मन में नहीं है। इस तरह का एक मैसेज पूरे हिन्दुस्तान में जाता है। माननीय गृहमंत्री श्री शिंदे जी को लगेगा कि मैं कोई आलोचना कर रही हूं लेकिन जिस तरीके से एक नॉन इश्यू को इश्यू बनाने की कोशिश की गयी, उसका कारण मुझे मालूम नहीं है। वास्तव में 18 साल आपके बिल में था, कोई बदलाव नहीं था। ठीक है। (आईपीजी) में 16 साल का प्रावधान था लेकिन जब आप बिल लाये थे तो आपने उसे 18 साल किया था। फिर अचानक एक दिन आप उसे बदलने की बात करते हो, उसे 16 साल करने की बात करते हो और इस इश्यू को पूरे दिन हर चैनल पर दिखाया जाता है, पता नहीं आप दूसरे विषय से इसे डायवर्सन करना चाहते हो, जैसा कि यूपीए का स्वभाव है कि इश्यू को डायवर्ट करो। लेकिन क्यों इस तरह की एक चर्चा छेड़ी गयी? क्यों इसकी सीरियसनेस को कम किया गया? यह मुझे मालूम नहीं है। लेकिन यह बात कही गयी कि 18 साल की जगह 16 साल करो। इस पर जो मंत्रिमंडल की चर्चा आती थी, जैसे यही चार लोग इसे पलटा रहे थे।...*(व्यवधान)* महिला बाल विकास मंत्री जी, अगर हम 50 प्रतिशत महिलाओं की बात करते हैं तो साथ यह भी सही है कि एक स्त्री संपूर्ण समाज को कहीं न कहीं बनाती है। यहां बातें तो बड़ी-बड़ी होती हैं लेकिन मैंने देखा है और मैं किसी एक सरकार की बात कृष्णा जी नहीं करती हूं लेकिन यह होता है कि महिला बाल विकास मंत्रालय का जो महत्व है उसे कोई नहीं समझता है और आज भी वही हुआ। वास्तव में महिला बाल विकास मंत्री जी को अपना अनुभव होगा, वह सामाजिक संगठनों से बात करती होंगी क्योंकि यह सब हमने भी किया है, इसलिए मैं बोल रही हूं कि बात करके

उनसे फीड-बैक कहीं न कहीं उन्होंने लिया होगा, लोगों की धारणा समझती होंगी और यह समझकर बात उन्होंने कही थी लेकिन बाहर बात जिस तरह से उठ रही थी कि चार मंत्रिमंडल के साथी मिलकर निर्णय को पलटा रहे थे, आग्रहपूर्वक कुछ कर रहे थे। एक ऐसा हैवक निर्माण किया गया कि बहुत कुछ उससे होना है। मालूम नहीं ऐसा क्यों किया गया लेकिन आपने समझदारी से काम किया। यह एक बात को दर्शाता है कि महिलाओं के पक्ष लिए एक कड़े से कड़े कानून को बनाना है। बात यहां से शुरू हुई थी, सजा का कड़े से कड़ा प्रावधान होना चाहिए ताकि हमारे देश का स्त्री की तरफ कोई आंख उठाकर देखने का साहस न करे। महिलाएं भी साहस जुटाएं कि सजा का प्रावधान है, इसलिए मैं सुरक्षित हूं। महिला के मन में यह आत्मविश्वास होना चाहिए कि कानून मुझे सुरक्षा देना चाहता है।. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : लालू जी, आप कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : सुमित्रा जी, आप चेयर की तरफ देख कर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुमित्रा महाजन : महोदया, किसी को उत्तर देने का मेरा स्वभाव नहीं है।

महोदया, अब सम्मति की उम्र 16 साल कर दी गई है। वास्तव में इस बारे में जितनी भी चर्चाएं हुईं, उन्हें ध्यान में लाना पड़ेगा और भी कई ऐसे कानून हैं, उन कानूनों में भी सुधार करने की जरूरत है। मैं इसलिए यह बात कह रही हूं क्योंकि आज जो सामाजिक स्थिति हो गई है, जैसा कहा गया कि बच्चों को तो सब कुछ समझ में आता है। हां, उन्हें सब कुछ समझ में आता है, क्योंकि हम उन्हें समझ में लाकर दे रहे हैं। आज कल टीवी पर जो-जो बातें होती हैं, उनके कारण बच्चों को सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है, मगर क्या वह दिखना ही समझना होता है? क्या वास्तव में जैसे मराठी में कहते हैं कि समझ तो सब रहे हैं, लेकिन अंदर से उमज नहीं पड़ रही है। आज जिस तरह का वातावरण है, उसमें सही बात हे कि जिस तरह का वातावरण है, उसके लिए भी एक गंभीर सोच वास्तव में बननी चाहिए कि जिस तरीके से टीवी पर गाने दिखाए जाते हैं, टीवी पर टेलेंट हंटिंग शो दिखाया जाता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि बच्चों पर एक प्रकार से अन्याय हो रहा है। मैं मानती हूं कि बच्चों का टेलेंट दिखना चाहिए। मैं बच्चों को इससे अलग नहीं करना चाहती हूं लेकिन मैंने कई बार ऐसे शो देखे हैं, जिनमें बच्चों को टेलेंट दिखाने का मौका मिलता है, लेकिन उसके बाद जो प्रोग्राम्स प्रोडयूस होते हैं कि दस, बारह, चौदह साल के लड़के-लड़कियां डांस कर रहे हैं, लेकिन वे कौन से गाने पर डांस कर रहे हैं, किस तरह के हाव-भाव उन गानों में लड़की कर रही है? किस प्रकार के प्रेम गीत पर लड़का-लड़की डांस करते हैं और अब तो हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। हम किस प्रकार के संस्कार उन्हें देना चाहते हैं कि वह मुंगड़ा हमें लगता था, ये मुंगड़ा बड़ा हमें काट रहा है अब इसके भी आगे कि मैं कई बार देता हूं, मैं हूं बलात्कारी और न जाने किस-किस प्रकार के गाने और किस प्रकार की एडवरटाइजमेंट। कोई कंट्रोल नहीं है। कई बार यह बात उठी थी। मैं इसलिए यह बात कह रही हूं क्योंकि यह बात कही जा रही थी कि सोलह साल की उम्र क्या, यह बात तो तेरह-चौदह साल के बच्चे सब समझते हैं। इसलिए मैं इस बात को विस्तार से उठा रही हूं कि जिस प्रकार से स्प्रे की एडवरटाइजमेंट आती है, कितनी गंदी एडवरटाइजमेंट है, कंडोम की एडवरटाइजमेंट आती है। यहां से कई बार शिक्षा में सुधार की बात कही जाती है कि स्कूल-स्कूल में बांटो। आप क्या करना चाहते हैं? बच्चे सब कुछ समझते हैं, इसका मतलब यह नहीं होता है, उनके मन पर वास्तव में इन चीजों का बहुत बुरा असर पड़ता है। हमें इसमें सुधार करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि सही स्थिति क्या है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, लेकिन हम इसे नहीं समझते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ''आहार निद्रा भय मैथुनंच, सामान्यमेतद् पशुभि: नराणाम।'' यह पशुओं और मनुष्यों में सामान्य है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन आगे जो बात कही है, उसे हम कब की भूल गए हैं कि ''धर्मोहितेषां अधिकोविशेषों धर्मेण हीना: पशुभि: समाना:।'' आज हमारी वह स्थिति तो हो ही गई है। हमारा पशु जैसा व्यवहार होने लगा है। जैसे केवल जीवन में एक ही बात बची है, ऐसा व्यवहार हमारा होने लगा है। किस बात की सम्मति हम सोचते हैं? क्या 16 साल के लड़के समझेंगे और सम्मति देंगे? एक ही बात जैसे चर्चा में है। मैं तो यहां तक कहती हूं कि ''आहार निद्रा भय मैथुनं च'' करके हम पशु और इंसान को जोड़ देते हैं। आज की तारीख में हम तो पशुओं से भी नीचे गिर गए हैं। लालू जी, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पशुओं का भी एक समय होता है। पशु-पक्षी बारह महीने, चौबीस घंटे एक ही बात पर नहीं सोचते हैं। उनकी भी एक समय सीमा होती है। मनुष्य ज्यादा बुद्धिमान हो गया और आजकल सोचना बंद कर दिया है। यहां कड़ा कानून करने की बात है लेकिन

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

क्यों इस तरीके से चर्चा करवाई? उम्र को लेकर क्यों यह बात आई? कितनी नून सीरियसनेस है। मैं यह इसलिए कहना चाहती हूं क्योंकि वास्तव में हम अपने बच्चों को इन सब बातों से बचाना चाहते हैं। इस पर कड़े कानून तो होने चाहिए। कानून तो बहुत सारे बने हैं, इन्डिसेंट रिप्रेजेंटेशन, डोमेस्टिक वाएलेंस आदि कई बने हैं लेकिन पालन के लिए यंत्रणा क्या है? क्या कभी इसके लिए सोचा गया है? दस या बारह डिब्बों की गाड़ी स्टेशन पर तो खड़ी है लेकिन जब इंजन ही नहीं है तो चलेगी कैसे?

अध्यक्ष महोदया, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कहते हैं। कहां है? कहां है महिला पुलिस जो एक-एक थाने में होनी चाहिए? कहां है संवेदनशीलता? इसके लिए कुछ न कुछ होना चाहिए लेकिन हम इस मामले में कुछ नहीं कर रहे हैं। यह बात सोचनी पड़ेगी। मैं एक और बात 16 साल की उम्र और ज्यूवेनाइल जस्टिस के बारे में कहना चाहती हूं। मुझे मालूम नहीं है लेकिन वास्तव में यह बात बाहर आनी चाहिए। शिंदे जी, 16 साल की क्या बात थी? यह बात सामने आनी चाहिए कि किस लिहाज से यह सोचा गया? आप इसके बारे में बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदया, मैं एक और बात बताना चाहती हूं। 16 और 18 साल की बात करते हैं तो लड़की के लिए करते हैं लेकिन एक बात और सोचनी होगी। यह मेरे मन की बात है कि जब हम लड़कों के लिए कहते हैं कि छोटे हैं, 18 साल तक छोटे ही मानते हैं। ऐसे लड़कों को ज्युवेनाइल कोर्ट में पेश करते हैं। बाल श्रम कानून में 14 साल का लड़का छोटा माना जाता है और कहा जाता है कि उसे 14 साल तक हेवी काम नहीं करना है। इसके बाद हेवी काम दिया जा सकता है। मेरा एक सुझाव है कि इसे किस तरीके से करें। एक समय ऐसा था जब मैंने बाल न्यायालय एवं बाल संप्रेषण गृह में काम किया था। मैंने देखा हुआ है। मैं अनुभव की बात कह रही हूं। 12 साल के छोटे लड़के और 17 साल के लड़के में बहुत फर्क होता है इसलिए इनको दो कैटेगिरी में करना चाहिए। कैसे करें? क्या करें? आप इसके बारे में सोचें। 14 से 18 साल के लड़के को किशोर कहते हैं, हालांकि वह भी गंभीर अपराध करता है। आप देखें कि आज की तारीख में किस तरह की बातें हो रही हैं, किस तरह से अलग-अलग प्रकार के नशे के सेवन हो रहे हैं। हमारे यहां नाइट्रोवेट की छोटी-छोटी गोलियां ऐसे ही मिलती हैं। यह कहा जाता है कि अगर थोड़ी शराब के साथ इसका सेवन किया जाए तो कोई भी आदमी किसी भी प्रकार का अपराध कर सकता है। कई चीजें हमें नहीं मालूम हैं। लेकिन बच्चों को पता होती हैं। कम्प्यूटर में इरेजर लगाते हैं, यह नशा देता है और इसका सेवन बच्चे करते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि इन बच्चों का दुरुपयोग कही न कहीं होता है। उनसे अपराध करवाए जाते हैं और हम इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। इस पर गंभीरता से सोचना होगा। आजकल सोच ऐसी बन गई है कि ये तो ज्युवेनाइल केस में छूट जाएगा। दिल्ली में भी इसी प्रकार हुआ है, जिस बच्चे ने मारा वह लड़का 16 साल का है। हमें देखना है कि इस प्रकार की यंत्रणा तो काम नहीं कर रही है? मुझे लगता है कि कानून बनाते समय इस बात को भी सोचा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय ने अनेक सुधार करते हुए कुछ बातें कही हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। उम्र तो आपने बढ़ा दी, धारा 354 में संशोधन भी दिया है लेकिन फाइन कितना होगा, उसका उल्लेख नहीं है। मगर वह भी आपने किया है, वह अच्छी बात है। अब जो समय सीमा की बात है, आपने कहा है कि दो महीने की बात है, फिर वहीं बात आती है, अगर समय सीमा को देखें कि अगर दो महीने में ऐसा कोई अपराध हुआ है, उस पर पूरी की पूरी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। लेकिन फिर वही शासन की यंत्रणा की बात आती है, इसमें शासन की यंत्रणा इस प्रकार से है या नहीं है, उस पर भी सोचना पड़ेगा। जो आपने समय सीमा की बात की है, वह भी ठीक बात है। इसके अलावा आपने आपने जो सजा का प्रावधान बढ़ाया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। लेकिन मुझे इसमें मैरिटल रेप के बारे में कुछ नहीं दिखा। हमने 376 बी के बारे में कहा था, उसे ओमिट करने की बात आपने नहीं की है। आप कृपया इस पर थोड़ा गांभरीता से सोचें। हमारी अपनी एक सामाजिक पद्धति है। मुझे मालूम नहीं आपने अगर दिया हो तो बताओ, मगर मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, आपने ऐसा नहीं किया है। मगर इसमें एड मत करो, इसलिए एड मत करो, क्योंकि हमारी एक सामाजिक पद्धति भी है। हमारा अपना एक फैमिली सिस्टम है।

अध्यक्ष महोदया, यह ठीक है कि किसी न किसी कारण से थोड़ा ब्रेक अप हो रहा है, मगर हमारी अपनी जो एक कुटुम्ब की पद्धति है और उस कुटुम्ब में काउंसिलिंग की बात है। हमारे घरों में जो बड़े लोग हैं, वह एक एकत्रित कुटुम्ब पद्धति है जो बड़े व्यक्ति घर में रहते हैं वे बफर का काम करते हैं। यह काउंसिलिंग का काम घर की घर में ही होना चाहिए। मराठी में हम कहते हैं-घराच्या झगड़ा चवाटे वर येऊन नाही चालत। वहां पर सुलझेगा नहीं, हमें झगड़ा उलझाना नहीं है, हमें झगड़ा सुलझाना है। हमें अपनी कुटुम्ब पद्धति को कायम

रखना है। भारत पर प्रहार तो अनेकानेक प्रकार से हो रहे हैं और आप लोग भी उसमें भागीदार हो रहे हैं, चाहे वह फाइनेंशियल प्रहार कहो या बाकी प्रहार कहो, लेकिन अब कम से कम जो सामाजिक बातें हैं, उनमें विवाह को एक संस्कार माना गया है। यह केवल कोई कांट्रैक्ट की बात नहीं है, विवाह एक संस्कार है। विवाह में हम सब लोगों को क्यों बुलाते हैं, क्योंकि वे उसके साक्षीदार माने जाते हैं, उनकी इनवोल्वमैन्ट है। विवाह की पद्धति में जो लोग आते हैं, वे उनके सिर पर बाद में जिम्मेदारी देते हैं कि ये दोनों पति-पत्नी सुख से रहें। इनका अच्छा गृहस्थ जीवन हो, क्योंकि जीवन को एक सामाजिक जिम्मेदारी माना गया है। आप इसे मत तोड़ो और इसलिए वह जिम्मेदारी समाज पर, कुटुम्ब पर कुटुम्ब के बड़ों पर होती है कि अगर उनके जीवन में कोई समस्या है तो कुटुम्ब में बैठकर सुलझाई जाती हैं और सुलझाई जा रही है। आप कृपा करके यह देखें कि पहले जो कानून हैं, उसका पालन नहीं हो रहा है। जो कानून हैं, उससे सबको जो एक सहायता मिलनी चाहिए, वह सहायता नहीं मिल रही है। लोग ऐसा बोल रहे हैं। लोग आज भी पीड़ित हैं। कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, दहेज कानून के दुरुपयोग के बारे में सब जानते हैं, वास्तव में कई मामलों में उकसा दुरुपयोग होता है और जिस बेचारी को उसका लाभ मिलना चाहिए, वह ऐसे गरीब घर-परिवार की लड़की है, वह आज भी जलकर मर रही है। उसे उकसा फायदा नहीं मिल रहा है। उसकी उस कानून तक पहुंच ही नहीं है या कानून के रखवालों तक पहुंच नहीं है। यह आज की स्थिति है। ऐसे में आप एक बात और कहोगे, क्योंकि यह रेप केस ही नहीं कई मामलों में ऐसा होता है, इसका भी दुरुपयोग होना शुरू हो गया है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, इसे भी हमें देखना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूं कि इसका दुरुपयोग हो या कोई भी ऐसी घटना होती है तो कहीं न कहीं भुगतने वाली भुक्तभोगी महिला होती है, स्त्री होती है। अभी हमारे इंदौर में एक घटना हुई और उसमें इसी प्रकार रेप का आरोप लगाया गया और वही दिसम्बर का महीना था, इसलिए पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई और उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया। अभी रिपोर्ट आने में समय सीमा के बारे में मैंने कहा, जांच की रिपोर्ट भी कई बार समय पर नहीं आती है। उसके लिए हम क्या करें, इसमें उसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। हमारे यहां लैबोरेट्रीज नहीं हैं। डॉक्टर्स अवेलएबल नहीं हैं। डॉक्टर्स की रिपोर्ट समय पर आए, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। वहां वही हुआ। उस व्यक्ति को ढाई महीने तक जेल में रहना पड़ा। ढ़ाई महीने के बाद मार्च की आठ या नौ तारीख को उसको बेल मिली है। उसके बाद जब कोर्ट में 13 तारीख को पहली पेशी थी, उसमें जिस महिला ने आरोप लगाया था, वह महिला बोली कि मेरे साथ रेप नहीं हुआ है। वह अपने बयान से पलट गई। वह तो पलट गई, मगर उसके आगे जो ट्रैजिडी हुई, उसका कौन जिम्मेदार है? उस पुरूष ने ढाई महीने तक जेल में रह कर जो भी सहन किया होगा, उसके परिवार ने जो सहन किया होगा, उसकी इकलौती लड़की 12वीं कक्षा में है, उसने जो भी कुछ सहन किया होगा, उसका जिम्मेदार कौन है? जेल में ढ़ाई महीने बिताने के बाद उस व्यक्ति ने फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। बाद में उसकी लड़की और मां ने भी आत्महत्या की कोशिश की कि हम जी कर क्या करें? आज के समाज में चर्चाएं तो सब होती हैं। लोग बोलेंगे कि जेल में रह कर आए हो तो जो ज़रूर कुछ गलत ही किया होगा। जिन्होंने इस प्रकार के आरोप लगाए थे, अब वे एब्सकॉन्डिंग हैं। मगर एक परिवार तो बिगड़ गया। इसलिए दुरूपयोग तो होता है।...*(व्यवधान)* इसके लिए भी कड़े प्रावधान होने चाहिए। आपने पुलिस को यह दिया है, यह बात ठीक है कि उनके लिए भी कहीं-कहीं सजा का प्रावधान होना चाहिए। जल्दी होनी चाहिए। यह बात भी ठीक है। लेकिन उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होती है। आप इन सब चीजों को सोचिए। आखिर आपको काम तो उसी प्रणाली से करना है। लेकिन एक दूसरा दुरूपयोग भी है। हमारे यहां एक महिला पुलिस कर्मचारी ने भी दुरूपयोग किया है। सादे कपड़ों में अपने बच्चे के स्कूटर पर पीछे बैठ कर जा रही थी। एक दूसरा व्यक्ति भी अपने स्कूटर पर जा रहा था। दोनों के स्कूटरों में थोड़ी सी टक्कर हुई। उसने उस लड़के से कहा कि अरे! देख कर चलो, कैसे स्कूटर चला रहे हो? सामान्य सी घटना होती है। चूंकि वह पुलिस वाली थी, उस महिला ने तुरंत जा कर यह दिया कि, जो आपने कहा है कि कलरफुल रिमार्क्स पास करना, जो कुछ भी इसमें लिखा है, इसने शिकायत की कि तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं, इस प्रकार से टीज़िंग की है। वह व्यक्ति बाय चांस वकील था। वह नामी वकील था, उसको सब लोग जानते थे कि यह इस प्रकार का व्यक्ति नहीं है। इसलिए उसको संरक्षण तो मिला, मगर एफआईआर तो दोनों तरफ से हो गई। इसलिए कानून का दुरूपयोग भी होता है। यह उदाहरण सामने है। मेरा इतना ही कहना है कि इस प्रकार के दुरूपयोग को रोकने के लिए भी उसी प्रकार के प्रावधान कहीं न कही इसमें होने चाहिए।

एक बात और है। जैसे मैंने अभी कहा कि टी.वी. पर गंदे गाने आते हैं। मगर यह जो घटना हुई थी, दिल्ली में उससे संबंधित सोनी टी.वी. पर प्रोग्राम आने वाला था, कोर्ट के द्वारा इसको रोका गया कि ऐसा प्रोग्राम नहीं आना चाहिए। मगर हमारे यहां भी कहीं न कहीं स्त्रियों पर जो अत्याचार होते हैं, और ये स्त्रियां केवल शहरवासी नहीं

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

हैं, जो गांव में रहने वाली महिलाएं हैं, जो आदिवासी महिलाएं हैं, उनका विचार भी सबसे पहले करना चाहिए। उन पर जो अलग-अलग प्रकार के अत्याचार होते हैं, उसके लिए भी कहीं न कहीं प्रावधान और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इस मामले पर हमें सोचना पड़ेगा। हालांकि महिलाओं के प्रति अत्याचार तो बढ़ ही रहे हैं मगर अपराध का स्वरूप देख कर भी कहीं न कहीं सजा का प्रावधान होना चाहिए। सामाजिक भाव बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए सामाजिक जागृति जो आवश्यक है ही, कहीं न कहीं सेंसिटाइज़ेशन करना भी आवश्यक है। तीसरा, उसमें से आप मैरिटल का जरूर ओमिट कीजिए। मेरा आपसे नम्र निवेदन है। यह कहना ही आवश्यक है। अपने समाज के लिए, अपनी फैमिली सिस्टम के लिए, इसको आप भी अच्छी तरीके से जानते हो। वैसे ही अभी फैमिलीज़ टूट रही हैं। छोटे-छोटे कारणों से तलाक हो रहे हैं। ये काउंसिलिंग से हल होने वाली बातें हैं। काउंसिलिंग पर हमें ज्यादा ज़ोर देना चाहिए। यहां पर कहीं न कहीं काउंसिलिंग का प्रावधान होना चाहिए।

मैं अंत में इतना ही कहूंगी, चूंकि मैं एक-एक सैक्शन वाइज़ उल्लेख नहीं कर रही हूं, आपने बहुत सारी बातें और कड़ी सजा का प्रावधान किया है। लेकिन इन सब बातों पर देखने का हमारा एक नजरिया होना चाहिए। यह महिलाओं को एक सुरक्षित चीज या वस्तु मानकर कुछ करना नहीं है, महिलाओं को प्रोटेक्ट करना नहीं है, महिला तो समाज का हिस्सा है, महिला अपने आपमें सक्षम है। यह कोई ऐसा कानून नहीं है, नहीं तो कल ऐसा हो जायेगा कि लोग बोलेंगे कि इन्हें समाज में आने ही मत दो, फिर से हम उस 7वीं, 8वीं शताब्दी की तरफ जायेंगे। लोग बोलेंगे। कि इन्हें समाज में आने ही मत दो, कौन देखेगा, इनकी तरफ देखो तो भी हमें सजा होनी है, हम यह भाव नहीं चाहते हैं। महिला और पुरूष दोनों को कही न कहीं दूर करने की बात इसमें कही भी नहीं होनी चाहिए, न चर्चा में ऐसा होना चाहिए और न ही कानून में ऐसी कोई बात होनी चाहिए। यह कोई पुरूष के खिलाफ कानून नहीं है, बात केवल इतनी है कि स्त्री को न्याय मिले, स्त्री को अपना सम्मान मिले और उसे भी एक सम्मानजनक जिन्दगी मिले, यह इसके पीछे भाव है और इसे हम सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी दृष्टि से इस पर विचार करो और इसलिए ऐसे जो कुछ प्रावधान हैं, उन्हें पहले इसमें से निकालो, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। भले ही दे हो जाये, वह तो चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप फिर से इसे ले आना।

आखिर में, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि देवी ना मानना मुझे तुम फूल चढ़ाकर, दासी न बनाना, मुझे तुम शूल चुभोकर।। "राह बनाऊंगी मैं आपने ही दम पर थोड़ी सी बस जगह देना इंसान समझकर।।" हमें यह नहीं चाहिए, आज यहां पर स्त्री का खूब वर्णन हो गया, सीता माता का वर्णन हो गया, मुझे माफ करना, हमारे इसमें यह है, 18 साल की उम्र के लिए भी मुझे याद आया, आपको भी याद होगा कि समझने की शक्ति नहीं, है के बारे जो मैंने कहा, कुन्ती उसका उत्तम उदाहरण है। वर तो मिल गये, लेकिन उस वर को उपयोग में लाने की, समझने की शक्ति नहीं और इसके कारण आगे पूरा महाभारत हो गया करण के जन्म पर। यह बहुत बड़ी बात है और ऐसा होता है। इसलिए मेरा केवल आज आप सबको इतना ही कहना है कि देवी ना मानना मुझे तुम फूल चढ़ाकर, दासी ना बनाना मुझे तुम शूल चुभाकर, स्त्री की जो अपनी आन्तरिक इच्छा है, मैं वह आपको बताना चाहूंगी। यह केवल किसी के खिलाफ नहीं है, यह कानून उसे कांच के घर में बिठाने के लिए नहीं है। वह चाहती क्या है, दासी ना बनाना मुझे तुम शूल चुभाकर, राह बनाऊंगी मैं अपने ही दम पर, थोड़ी सी बस जगह देना इंसान बनकर। इंसान समझकर उस स्त्री को थोड़ी सी जगह आगे बढ़ने की चाहिए, इतना ही कानून हम चाहते हैं। इसलिए फैमिली इंटरफियरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह जो 16 वर्ष, 18 वर्ष है, इस प्रकार की बहस करके नॉन इश्यू को इश्यू बनाने की जो पद्धति है, पहले इस पद्धति को बन्द करो, यही मेरा अनुरोध है।

अपराह्न 3.33 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार करने तथा अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प के बारे में संयुक्त चर्चा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, प्रो. सौगत राय ने यह कहते हुए संविधान के अनुच्छेद 123(2) के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 के निरनुमोदन हेतु सांविधिक संकल्प पर पहले चर्चा की जानी चाहिए और दंड विधि संशोधन विधेयक, 2013 पर विचार करने और इसे पारित करने हेतु इस पर चर्चा करने के पहले उसे निपटारा जाना चाहिए।

अनुच्छेद 123(2) सदस्यगण को राष्ट्रपति द्वारा प्राख्यापित अध्यादेश के निरनुमोदन हेतु सांविधिक संकल्प की सूचना देने के अधिकार का उपबंध करता है। डॉ. भोला सिंह, श्री गुरुदास दासगुप्त और प्रो. सौगत राय ने दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 के निनुमोदन हेतु सांविधिक संकल्पों की सूचना दी। डॉ. भोला सिंह का क्रम समयानुसार पहले होने तथा आज की संशोधित कार्य-सूची अर्थात सांविधिक की संकल्प मद संख्या 21 के लिए पहले स्थान पर है। चूंकि तीन सदस्यों के संकल्प एक जैसे है और उन तीनों सदस्यों को चर्चा की शुरूआत में बोलने के लिए आमंत्रित नहीं किया जा सकता है चूंकि सांविधिक संकल्प को ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिनका नाम पहले स्थान पर है तथा अन्य दो सदस्यगण को उनके दल की बारी आने पर मौका मिलेगा यह सभा की सुस्थापित परंपरा है।

यह सभा का अभिसमय रहा है कि ऐसे विषयों पर संयुक्त चर्चा की जाती है यदि मुद्दों के विषयगत मामलों ऐसे हों जिन पर एक साथ सुविधाजनक रूप से चर्चा किया जा सके। ऐसा अभिसमय सभा के महत्वपूर्ण समय को बचाने तथा सभा में बारंबर होनी वाली चर्चा को रोकने के लिए तैयार किया गया।

मैं आगे यह बताना चाहती हूं कि कार्य परामर्शदात्री समिति की 13 मार्च, 2013 को अपनी बैठक में निर्णय लिया गया है कि इन दोनों विषयों पर एक संयुक्त चर्चा की जा सकती है। किसी भी तरह सांविधिक संकल्प को विधेयक को मतदान के लिए विचारार्थ के पहले निपटाया जाएगा।

इसलिए मेरा यह मानना है कि व्यवस्था का प्रश्न अब प्रासंगिक नहीं रह गया है।

अपराह्न 3.36 बजे

दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 और दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प — *जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब, श्री शैलेन्द्र कुमार बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : माननीय अध्यक्षा जी, डॉ. भोला सिंह, गुरुदास दासगुप्ता जी और प्रो. सौगत राय ने सांविधिक संकल्प के माध्यम से निरनुमोदन का प्रस्ताव रखा है। माननीय शिन्दे साहब ने जो दंड विधि संशोधन विधेयक, 2013 प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। अभी कुछ माह पूर्व इसी दिल्ली की सरज़मीं पर एक ऐसा हादसा हुआ था जिससे पूरा देश दुख और दर्द से पीड़ित था। सरकार ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया।

अपराह्न 3.37 बजे

[श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना *पीठासीन हुए*]

लोगों के अंदर भी एक बड़ी चिन्ता थी कि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगे और उसकी पुनरावृत्ति न हो। उस कड़ी में सरकार की तरफ से जस्टिस वर्मा समिति की रिपोर्ट भी सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की गई। जैसे ही जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट सरकार को मिली, सदन में बहस होने से पहले वह रिपोर्ट लीक हुई और तरह-तरह की बातें होने लगीं कि अगर यह कानून लागू हो जाता है तो इस कानून का बहुत ज़बर्दस्त तरीके से दुरुपयोग होगा। सरकार ने समय पर चिन्ता व्यक्त करते हुए तमाम विपक्ष के नेताओं से बात की और खासकर माननीय मुलायम सिंह यादव, लालू यादव जी तथा भाजपा के तमाम नेताओं की तरफ से यह बात आई कि ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग बुलाई जाए और जो कानून देश के लिए आ रहा है, उसमें आम सहमति बनाई जाए। सरकार ने इसमें पहल की और ऑल पार्टी लीडर्स को बुलाया। लेकिन मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा कि सीपीआई के नेता गुरुदास दासगुप्ता जी को कष्ट और दुख है कि जब आपने ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग बुलाई तो कुछ चुनिंदा दलों को आपने बुलाया। सभी पार्टी के लीडर्स को आपने नहीं बुलाया, इसका उन्हें दुख-दर्द है। इसलिए जब कभी इस प्रकार की बात हो तो चाहे एक व्यक्ति का एक दल हो, उस व्यक्ति को ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में ज़रूर बुलाकर उसकी भी सहमति लेना अनिवार्य है। हमारे दल की तरफ से माननीय मुलायक सिंह यादव जी और राज्य सभा में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रो. राम गोपाल जी भी गए। उन्होंने कुछ अमैन्डमैंट दिया जिसको इस सरकार ने स्वीकार किया और बिल में परिवर्तन किया। इसके लिए मैं सरकार का स्वागत करता हूं। इसमें 16 साल की उम्र को बढ़ाकर 18 वर्ष किया जो बहुत अच्छी बात है। 15-16 वर्ष का एक माइनर बच्चा होता है, उसको समझ नहीं होती

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

है। उस पर यदि इस प्रकार के मुकदमे लगते तो उस बालक का भविष्य चौपट हो जाता।

दूसरी बात, जैसे अभी सुमित्रा बहिन जी और तमाम नेताओं ने बात कही है कि बिल आया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बिल का कहीं भी दुरूपयोग न हो पाए। ऐसा देखा गया है कि इस प्रकार के जो बिल आते हैं, वे खासकर राजनीतिक लोगों पर ज़रूर लागू होते हैं, उनको ज़रूर नीचा दिखाया जाता है, उनको ज़रूर टार्गेट बनाया जाता है। इस पर विशेष तौर से सरकार को ध्यान देना होगा।...*(व्यवधान)* मैं स्वामी जी को कहना चाहता हूं कि वह सत्यता उनको पता लग जाएगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया उन्हें परेशान न करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : आप हमारे सदस्य की बात कर रहे हैं। मठों की भी बात बहुत आई है। मैं उसको उजागर नहीं करना चाहूंगा। ...*(व्यवधान)* अब वह बात नहीं खुलवाइए, वह सब आपके सामने आ जाएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार, कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, मठों और तमाम धार्मिक स्थलों की बातें भी सामने आई हैं, इसलिए माननीय सदस्य उस पर टीका-टिप्पणी न करें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बाधा न डालें। उन्हें बोलने दें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, राजनैतिक व्यक्तियों के चरित्र, इतिहास और उनकी सेवाओं को बर्बाद करने के लिए इस कानून को टारगेट बनाया जा सकता है।

दूसरी बात, महिला सुरक्षा की बात तो इसमें कही गयी है, लेकिन इसके दुरूपयोग पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें एक संशोधन मैं चाहता था कि जिस प्रकार से आपने ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग बुलायी थी, उसी प्रकार से देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुला कर अगर आप उनसे चर्चा कर लेते तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात होती।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेकानाल) : यह सर्वदलीय बैठक नही थी। मेरा दल शामिल नहीं था।

सभापति महोदय : उन्होंने सुझाव दिया है। कृपया उन्हें परेशान न करें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं इस बात को कह चुका हूं। महोदय, इस नियम के आने के बाद तमाम भ्रांतियां थीं, लोग डर गए थे, सहम गए थे और लोगों ने यह देखा कि अब तो स्कूल के अंदर अध्यापिकाओं को रखना भी बहुत खतरनाक हो गया है। आईटी कॉलेजस में अगर आपने महिलाओं को रख लिया तो वह भी बहुत खतरनाक बात है। हमारे यहां को-एजुकेशन है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और बीए तक को-एजुकेशन में लड़के-लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। ऐसे कानून आने के बाद लड़कों का अलग स्कूल होना चाहिए और लड़कियों का अलग स्कूल-कॉलेज होना चाहिए, यह भी सवाल उठा था। लेकिन मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। आज भी लड़कियों का स्कूल जब बंद होता है और वे अपने घरों को जाती हैं तो तमाम मनचले लड़के उनके साथ छेड़खानी करते हैं, अश्लील बातें करते हैं। उस पर भी इस कानून में बात रखी गयी है, जो कि अच्छी बात है। जहां तक ट्रेनों में सफर की बात है, ट्रेनों में इसका दुरूपयोग होता है। केवल बर्थ को लेकर विवाद हो गया तो एक-दूसरे पर आरोप लगाना सुनिश्चित हो गया। खासकर संसद सदस्यों के लिए यह बहुत बड़ा खतरा हो गया है। हम लोगों को अगर दो बर्थ कूपे में मिल गयी तो हम लोग तो चले आते हैं, लेकिन चार बर्थ वाले में अगर कोई महिला आ गयी और किसी भी बात पर अगर विवाद हो गया, तो आपके ऊपर एलीगेशन लगना ही लगना है। यह तमाम तरह की

बातें हैं, जो शंका के घेरे में हैं। इसलिए सभी एमपी महोदय को चाहिए कि वह कूपे में ही सफर करें, चार बर्थ में न करें, जिसमें अन्य महिला भी हो। आपके ऊपर एलीगेशन लगना ही लगना है। आप उससे बच नहीं सकते हैं।

महोदय, देश में कॉल सेन्टर खुले हुए हैं, जहां मैक्सिमम लड़कियां काम करती हैं। अगर कोई भी कॉल सेन्टर चलाता है तो उसके एक बार सोचना पड़ेगा कि हमें कॉल सेन्टर में किस तरह के लोगों को रखना है। आप घर में नौकरानी या आया या बाई रखते हैं, उसको भी बहुत सोच-समझकर आपको रखना होगा। क्योंकि कभी-कभी किसी विवाद में वह बाई आप पर गलत मुकदमे लगा कर फंसाने का काम करेगी। इस पर भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, हमारे अखिलेश यादव जी की सरकार ने सबसे पहले, जब यह घटना घटी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1090 वुमन पावर हेल्प लाइन को लागू किया। उसमें इस बात का प्रावधान है कि कम्प्लेंट करने वाली महिला की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा तथा थाने और कार्यालय में नहीं बुलाया जाएगा। इस कॉल को सुनने वाली भी महिला ही होगी। महिला की समस्या के समाधान तक आपसे सम्पर्क रखेंगे, जब तक केस का समाधान न हो जाए। वह हेल्पलाइन हमारी उत्तरी प्रदेश की सरकार ने शुरू की है।

महोदय, आज बच्चे और बच्चियां हमारे देश में लाखों की संख्या में गुमशुदा हो जाते हैं। बाल तस्करी होती है, महिला तस्करी होती है और तमाम तरह के यौन उत्पीड़न की वे शिकार होती हैं। अब तो यह भी देखना पड़ेगा कि जो राजनैतिक दल हैं, जिनके यहां महिला प्रकोष्ठ है, वह भी अब महिला प्रकोष्ठ बनाने से डरेंगे कि महिला प्रकोष्ठ रखें या न रखें। इस तरह की तमाम बातें हैं। आंकड़ों को देखा जाए तो हर घंटे में बच्चे और बच्चियों को चुराया जाता है। 11 बच्चों में से आधे बच्चों की पहचान नहीं हो पाती है और उनका पता नहीं चल पाता है। अपराधी बच्चों से देह व्यापार करवाता है, बलात् श्रम भी करवाता है और जबरिया भीख मंगवाने का व्यवसाय भी करवाता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस कानून पर विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है। हमारी पार्टी की तरफ से धारा 354(क) की उप धारा (2), धारा 354(ग), धारा354(घ) में अमेंडमेंट करने को सरकार ने स्वीकार किया। मैं इसका स्वागत करता हूं। इसे आपने बेलेबल किया, यह आपने बहुत बड़ी पहल की। मैं आपके पहल का स्वागत करता हूं।

दूसरी बात, पीछा करने वाले लोगों पर जो ऑफेन्स बनता है, उस सजा को आपने पांच वर्ष से घटा कर जो तीन वर्ष किया है, वह भी बहुत अच्छी बात है।

सभापति महोदय, आज जो यह बिल आया है उसका सबसे बड़ा कारण टेलीविजन है। इसमें विज्ञापन इतने गंदे और भद्दे आते हैं कि हम परिवार के बीच समाचार भी नहीं देख पाते। बच्चों को आप जो मोबाइल देते हैं, उस मोबाइल को लेकर बच्चे स्कूल जाते हैं। उनके पास एमएमएस आते हैं। उस मोबाइल में इन्टरनेट की सुविधा होती है। उससे भी अपराध बढ़ रहा है।

दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वह है पहनावे की। आज पूरे समाज के अन्दर इतना गलत पहनावा हो गया है जिसकी कोई इंतेहा नहीं है।...*(व्यवधान)* यही कारण है कि इस प्रकार की तमाम बातें आती हैं।...*(व्यवधान)* जया प्रदा जी, मैं पहनावे की बात कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* आप की भी पिक्चर मैंने देखी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर) : पहनावा का क्या अर्थ है?... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया टिप्पणी न करे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : जया प्रदा जी, हम पहनावे को बाद में डिफाइन करेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण जारी रखिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, किसी कवि ने लिखा है—

तुम कफ़न चुरा कर बैठ गए जो महलों में, देखो
सीता की लाज उतारी जाती है,
उस ओर श्याम की राधा भी, चुम्बन, आलिंगन
बेच पेट भर पाती है

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

आज यह स्थिति है। आज हम कानून तो बनाते हैं। बड़े-बड़े कानून बने हैं लेकिन इन महिलाओं को हमें आर्थिक तौर पर मजबूत करना पड़ेगा। आज पेट की भूख ऐसी होती है कि महिला कुछ भी करने को तैयार होती है। इसलिए मैंने इस कविता को पढ़ा है और पुन: मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : सभापति महोदय, आज हम इस बिल का पुरजोर समर्थन करने के लिए खड़े हुए हैं।...*(व्यवधान)* माननीय सभापति महोदय जी, आज इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील इश्यू पर चर्चा हो रही है, मैं समझता हूं कि इस पर इतने विस्तार से चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। सरकार की ओर से जो संशोधन आया है, उस पर इतने लंबे-चौड़े स्पीच की जरूरत नहीं है क्योंकि जिसे हम दिखाना और सुनाना चाहते हैं उसे दो दिन पहले टेलीविजन पर एक चैनल डिस्कसन में पूरे देश के लोग जान चुके हैं और सुन चुके हैं। मैं तो कल देख रहा था कि उस डिस्कसन को देख कर लोगों का सिर शर्म से झुक जा रहा था हमारी संस्कृति और सभ्यता, जो इस देश की विरासत थी, उसका कहीं न कहीं क्षरण हो रहा है। उसकी कमी के कारण यह सब हो रहा है। हमारे संविधान में कानून तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कहीं न कहीं नीयत की कमी है। हमारी नीति बहुत अच्छी है। अगर हमारी नीयत सही हो तो मैं समझता हूं कि ऐसे अपराध को रोका जा सकता है।

मैं तो अपनी पार्टी और पार्टी की नेता बहन मायावती जी को बधाई देना चाहता हूं कि ऑल पार्टी मीटिंग से पहले उन्होंने प्रेस में कह दिया कि संबंधों की उम्र को सोलह वर्ष से अठारह वर्ष किया जाए।...*(व्यवधान)* मैं सबको बधाई देता हूं। लालू जी को भी बधाई देता हूं।

सभापति महोदय जी, मैं समझता हूं कि इस पर बहुत विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है। इस कानून को हमें पास करने की जरूरत है।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : सभापति महोदय, सुशील शिंदे जी जो अमेंडमेंट लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। उसमें जिस तरह से खामियां थीं, मैं मानता हूं कि पीछा करने पर बहुत बड़ी सजा है। इस पर जरूर विचार करना चाहिए, ये तांकने, झांकने का भी, मेरी समझ में नहीं आता कि ये स्टॉकिंग किसने बता दिया। शिंदे जी, आपने इसमें कुछ फालतू सवाल डाल दिए। हालांकि आपने अच्छी अच्छा से बिल पेश किया है। एक आम सहमति जिस तरह ये देश है, उसमें जो बनी है, उसके अनुसार आपने किया है। लेकिन चूंकि यह सवाल हिन्दुस्तान के समाज से वास्ता रखता है। जब पहले वक्ता बोल रहे थे तो मुझे लगा कि कथा हो रही है। यदि ये इनकी इतनी महान बातें हैं, उनका नतीजा क्या निकला? दुनिया में औरत और मर्द के बीच में दुनिया में गैर-बराबरी है। मैं दुनिया भर के लिट्रेचर को पढ़ता हूं, गैर बराबरी तो औरत और मर्द में है ही, लेकिन यहां इतने बच्चों के साथ, इनह्यूमन एक्ट होते हैं, कहीं दुनिया में नहीं हैं।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि हम जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, तो इसमें बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों के खून में नहीं गई हैं, हड्डियों में चली गई हैं। कांग्रेस पार्टी के यंग मैन दीक्षित जी चले गए, वे कह रहे थे कि किसी महिला को आजकल निर्वस्त्र करके घूमाते हैं तो मुझे बहुत कष्ट होता है। भई, जैसे यह सभा है, ऐसी सभा वहां नहीं थी, वहां राजा भी डटा हुआ था। वहां कई राजा थे, पूरी सभा बैठी हुई थी। अब वह किस्सा सही है, गलत है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन वह किस्सा इतना चला कि सच हो गया। मैंने दुनिया के सारे साहित्य बहुत गहराई से पढ़े, कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि एक भरी राज चलाने की संस्था के गर्भ गृह में मां को नंगा किया गया। सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी, लेकिन सीता जी के साथ जो अन्याय हुआ, वह आज भी उसी तरह से लोगों की हड्डियों में है। जरा सा पति को शक हो गया, यानी हिन्दुस्तान में औरत का जो चरित्र है, उसकी सिर्फ सार्वजनिक सुरक्षा पर है, उसके यौन शोषण पर है, पुरुष की नहीं और यह इसलिए है कि होम मिनिस्टर साहब, सभापति जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की मां, बहन, बेटी, महिलाएं दुनिया भर में गैर-बराबरी, उसका रास्ता है। लोग लड़ रहे हैं, उसका रास्ता निकल रहा है, लेकिन यहां जो गैर-बराबरी है, महिलाओं के साथ ज्यादती और जुल्म है, उसका पहला कारण है कि हमारी मां लाखों कटघरे में कैद हैं। जाति-व्यवस्था के चलते और जाति अकेले हिन्दू में ही नहीं है, मुसलमान में भी है, ईसाई में भी है, सिखों में भी है। यह जाति-व्यवस्था में जो महिला जकड़ी हुई है, आपके कानून बनाने से यह जकड़न टूट जाएगी? आप यह ऊपर से, सिर्फ लोगों को पैसीफाई करने के लिए जो इलाज कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस कानून के चलते लाभ नहीं होने वाला है, संतोष जरूर होगा कि हमको एक सुरक्षा है। कानून भी एक सुरक्षा होता है।...*(व्यवधान)* बला नहीं, जरूरी है। जब समाज में एक उभार आया है तो जरूरी है। और समाज तो जिंदा समाज की मांग कर

रहा है तो उसको कैसे टाल देंगे।...*(व्यवधान)* वे सब नहीं हैं, आप ठीक कहते हो। एन.जी.ओ. भी इन्सानों के हैं।...*(व्यवधान)* मुलायम सिंह जी को बोलने नहीं दिया, इनकी पार्टी ने इनको बांध कर रखा हुआ है। अब वे हमसे ही सबसे ज्यादा भाषण कर रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : कहां बांधकर रखा है?

श्री शरद यादव : आप लोग बांध कर रखे हुए हैं। जितना मुलायम सिंह जी के भाषण में मजा आने वाला था, उतना किसी के भाषण में नहीं आने वाला, लेकिन आपने उनको कस कर रखा है।...*(व्यवधान)* अब मैं जो बात कह रहा था कि हिन्दुस्तान की मां तो गुलाम जाति के चलते है। मैं नहीं कहता कि वह बात जल्दी मिट जाएगी या हिन्दुस्तान में बसबन्ना, देश के जितने बड़े आदमी हुए, महात्मा गांधी से लेकर, जयप्रकाश नारायण, लोहिया से लेकर बसबन्ना से लेकर के बाबासाहेब से लेकर, कबीर से लेकर सबने, गोरखपंथ से लेकर सबने जाति के बारे में बात की है। इस जाति का, जाति-बिरादरी मतभेद का, जाति-बिरादरी के गैरबराबरी को मिटाओ, लेकिन कभी इस सदन में इस पर आपने बहस नहीं कराई। जो सबसे बड़ी बीमारी है और आप आजकल टी.वी. देखिये, वे कोई जुल्म नहीं दिखा रहे हैं, जो मीडिया में आजकल सब में जो महिलाओं के जुल्म के बारे में आ रहा है, इस देश का आदमी एक तरह से वासना से, सैक्स का स्टरवेशन कर रहा है। यहा आज से नहीं है, वासना और सैक्स उसके लिए बड़ी भारी चीज़ है। ये सामर जी आते हैं, सुमित्रा जी सदन में उपस्थित हैं, वे ठीक बात बोल रही थी, समाज बंट गया है। सुमित्रा जी को, सुषमा जी को और हमारे जैसे लोगों को जो उम्रदराज हैं, मुलायम सिंह जी जैसे लोग, लालू जी जैसे लोग, उनको अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। लेकिन नया जो बच्चा पैदा हुआ है, वह इस देश के गाने नहीं गाता, मेरे बच्चे इस देश के गाने नहीं नहीं सुनते, मैं गाना सुनता हूं तो वे सुनते ही नहीं, बोले, पिताजी, यह क्या चिल्ला रहा है और आप इसको सुन रहे हैं। उसका मानस पलट गया है।...*(व्यवधान)* वह दुनिया से जो सभ्यताएं आप यहां लाये हैं, उसके अनुसार उसका आजाद मन हो गया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया उन्हें परेशान न करे। एक गंभीर बहस हो रही है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : बराबरी और महिला और पुरुष के रिश्ते में उसके बीच में एक नई काल्पनिक कल्पना आ गई है।...*(व्यवधान)* आप थोड़ा सा शान्त रहिये, मुझे बोलने दें, नहीं तो मैं डिरेल हो जाता हूं।

श्री लालू प्रसाद (सारण) : अच्छा तो आप रेल हो जाइये न। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : शरद यादवजी, आप अशांत न होइए। कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए। माननीय सदस्यगण, जब कोई गंभीर चर्चा हो रही है तो उनके भाषण में व्यवधान उत्पन्न न करे।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : इसलिए मेरा यह निवेदन है कि एक दिन इस पर बहस कराइये। अगर यह अच्छी है तो इसे बनाये रखिये। ..*(व्यवधान)* वे तो थोड़ी बहुत ठीक करते हैं, लेकिन आप तो डिरेल करते हैं।...*(व्यवधान)* आप इनको तो संभालते नहीं है, आप हमें संभालते हैं। आप इनको नहीं संभालते हैं, आप लालू जी को संभालिये। आप थोड़ा इनको भी कहा करो।...*(व्यवधान)* ये बोले बगैर मान ही नहीं सकते। मैं आपसे कहूं कि आप इस पर बहस तो कराओ।

अपराह्न 04.00 बजे

हमारे यहां सदियों से यह बहस चल रही है। यह देश बंटते-बंटते बचा, गांधी जी ने इस बचाया, बाबा साहब अंबेडकर से झगड़ा हो गया था। लेकिन आप उन्हीं वर्गों में से आते हैं, लेकिन आपके चेहरे से, चलने से पता नहीं चलता कि समाज का कोई दु:ख है। हर आदमी अपने जन्म से जुड़ा है, शिंदे साहब अपने जन्म से जुड़े नहीं रहेंगे, तो इस दर्द का इलाज कभी नहीं होगा। आपका बड़प्पन और बड़ा होना, इस दर्द से जुड़ा होना ज्यादा बड़ा काम है। इस पर कभी बहस कराइए। सरकार जो पेपर हाथ में पेपर दे देती है, उसे पढ़ देते हैं। आपका यह बिल पास हो जाएगा। मैं इसके बारे में कहूंगा, तो सुमित्रा जी से ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। सुमित्रा जी इस बारे में बहुत अच्छी बात कह रही थीं। आप सिनेमा में देखिए, शीला की जवानी, अरे भाई, आपका बुढ़ापा है, फिर भी उसे ठीक से देखना, आपका मन भी हिल जाएगा।...*(व्यवधान)* अरे भाई, यह नेचुरल है। हम आदमी हैं।...*(व्यवधान)* कोई झंडूबाम वाला है, मुन्नी बदनाम हुयी है, वह कैसा कर रही है? यह सरकार क्या कर रही है?...*(व्यवधान)* इस तरह लोगों में उत्तेजना बढ़ाने वाले ऐड दिन भर आ रहे हैं, तमाशा

[श्री शरद यादव]

आ रहा है, जब यह दिल्ली में हुआ है, यह तो हजारों साल से हो रहा है।...*(व्यवधान)* क्या बात कर रहे हो? यह हजारों साल से हो रहा है, मैंने अपने बचपन में देखा, यह हजारों वर्ष से हो रहा है।

जो खाप पंचायत हैं, ऑनर किलिंग क्यों हो रही है, यानी जाति बचाने के लिए खाप पंचायतें हो रही हैं। एक जाति की नहीं हो रही हैं, सब जातियों की हो रही हैं। दूर की जातियों का जिक्र नहीं होता, दास की जातियों का जिक्र होता है। हरियाणा और वेस्टर्न यू.पी. की जातियों का जिक्र होता है। जो अंतर्जातीय शादी बच्चे कर लेते हैं, प्रेम की शादी कर लेते हैं, उनके लिए तो आपको हर सूबे में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा सदन बनाना चाहिए। तत्काल उनको उठाओ और उसमें भर्ती कराओ, इसके बाद प्राइवेट और सरकारी नौकरी में सीधे उनको नौकरी दीजिए। यदि उनको नौकरी देंगे, तो जाति का रास्ता निकलेगा। समाज के इतने दबाव के बावजूद भी, वह महिला और मर्द के बीच में, पुरुष और नौजवान के बीच जो प्रेम-मोहब्बत है, बेटा और बेटी के बीच में मोहब्बत है, मां और बेटे में मोहब्बत है, क्या मां और बेटे के मोहब्बत से बड़ी कोई मोहब्बत है? क्या उस मोहब्बत पर ताला लगा सकते हो? यह स्वाभाविक है, नेचुरल है। आप इस पर पहरा लगा रहे हैं। इस पर कई-कई कानून बनाने हैं, तो बना लो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पास तंत्र नहीं है, जिसको इन्होंने कोई अच्छा शब्द दिया था।...*(व्यवधान)* यंत्रणा, बहुत अच्छा शब्द दिया था।

अपराह्न 04.03 बजे

[डॉ. गिरिजा व्यास *पीठासीन हुईं***]**

यानी आपके पास ढांचा नहीं है।...*(व्यवधान)* आप दोनों मराठी हैं, आपला मानुष। माननीय सदस्या जो कह रही थीं, वह तंत्र कहां है? यह कानून आ गया, लेकिन कितनी पुलिस है, कितनी महिला पुलिस है? ये जो अदालतें हैं, इनमें कितने करोड़ केस ऊपर से नीचे पड़े हुए हैं? इसका नतीजा यह होगा कि महिलाओं को नौकरी मिलने में दिक्कत होगी...*(व्यवधान)* महिलाओं को कोई नौकरी नहीं देगा। लोग उनको नौकरी देने से डरेंगे। यह इसलिए कि कानून साफ नहीं है। कानून के जरिए समाज कभी नहीं बनता, जब समाज और कानून में मेल होता है, तब बनता है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा कि जगत बनेगा, तो फिर व्यक्ति बनेगा। व्यक्ति से समाज नहीं बनता है। समाज मानता नहीं है, न शारदा एक्ट मानता है। कितने कानून महिलाओं के बारे में बनाकर रखे हैं? किसी कानून से आज कुछ हो रहा है, सिर्फ लोग फंसा रहे हैं।...*(व्यवधान)* दहेज उत्पीड़न के मामले में लोग फंस रहे हैं। किसी तरह से कोई बचाव नहीं हो रहा है। इनमें भी जो जबरा समाज है जिनकी जाति की संख्या है और जो ताकतवर लोग हैं, वे ही दलितों का जो कानून है इसमें फंसा रहे हैं। कोई दलित शिकायत करने नहीं जा रहा है। उनको फंसाने का काम वे कर रहे हैं। शिंदे साहब इसमें भी यही होगा।

मैडम जी, इसमें भी यही काम होगा। आपको बहुत तकलीफ और दर्द है, यह मैं मानता हूं। आपका दर्द वाजीब है। इस देश की मां जितनी दुखी और प्रताड़ित है उतनी दुनिया में कहीं कोई प्रताड़ित और दुखी नहीं है। बेटी के पैदा होते ही लांक्षणा भोगनी पड़ती है। आप यह लाए हैं। आपकी नीयत अच्छी है लेकिन यह तो जमा हुआ देश है। यह तो ऐसा देश है जो सरकता ही नहीं है। अभी भोला जी बोल रहे थे। सीता का उदाहरण तो पत्नी को सावित्री बना कर रखना है। जब भी कहीं दंगा होता है, जब भी कोई दो जातियां या परिवार लड़ते हैं तो सबसे पहले महिलाओं के साथ ज्यादती होती है। हमने इज्जत के साथ, द्रौपदी जैसा किस्सा, हमारे जेहन में चला गया है। द्रौपदी दुनिया की सबसे चतुर और बुद्धिमान महिला थी। जब भीष्म पितामह शैय्या पर लेटे हुए शिक्षा दे रहे थे तो वह हंस दी। ...*(व्यवधान)* सारे के सारे कौरव दौड़े। कृष्ण ने रोका और कहा कि द्रौपदी बुद्धिमान महिला है। वह क्यों हंसी, यह पूछो। द्रौपदी ने कहा कि भीष्म पितामह तो जिंदगी भर जो बोल रहे हैं उसके विपरित काम करते रहें और अब मरते समय शिक्षा दे रहे हैं। यह पाखंड है। इसी तरह हमारे देश में किस्से, ऐसे पाखंड निकल रहे हैं। इसलिए मैं योगी जी और धर्म गुरुओं से कहना चाहता हूं कि ऐसे किस्से जिनसे समाज में ज्यादती बढ़ती है उनको धर्म शास्त्रों से निकालें।...*(व्यवधान)* इन्हें हम लोग नहीं निकाल सकते हैं।...*(व्यवधान)* समाजवाद लाने का मतलब नहीं है। समाजवाद इस देश में आने वाला नहीं है। धार्मिक संसीाएं जो धर्म के बड़े-बड़े गुरु हैं, आप सभी बैठ कर द्रौपदी का यह किस्सा निकालिए। द्रौपदी के किस्से के चलते इस देश के मां, बहन और बेटियों की जितनी बेइज्जती होती है, उतनी और किसी में नहीं होती है। आदमी सोचता है।...*(व्यवधान)* लालू जी नहीं माने।. ..*(व्यवधान)* नागा में क्या होता है?...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : ये जानते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि इस कानून में यंत्र नहीं है, इंफ्रांस्ट्रक्चर नहीं है। अदालतों के बारे में हम

और आप ज्यादा जानते हैं क्योंकि हम लोग चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। महिलाओं में सबसे ज्यादा कौन पीड़ित है? बलात्कार और अन्य चीजों के साथ जिनका एनकाउंटर होता है, वे कौन हैं?...*(व्यवधान)* हम कहते हैं कि गरीब की जोरु और गांव भर की भौजाई।...*(व्यवधान)* यह जरूर है कि आप कानून बना लो। मैं कहना चाहता हूं कि लम्हों ने ख्ता की थी, सदियों ने सजा पाई। सदियां हो गई सजा। आप इसके बाद भी जो गलती कर रहे हैं, इसमें जेल भर जाएंगे। जेल में ऐसे ही जगह नहीं है। आप खुद ही पता लगा लें कि जो तिहाड़ जेल है उसमें तीन गुने लोग हैं। जेल भर जाएंगे और देश में जो चतुर, बुद्धिमान और इस तरह की जो चीजें करने वाले लोग हैं, जो इस कानून के लिए बोम मचा रहे हैं, यही लोगों को फंसाएंगे। इसलिए मैडम मेरा यह कहना है कि दूरगामी सुधार के लिए भी यह सरकार सोचे। आपने तात्कालीक सुधार के लिए कदम उठाया है, ठीक है। लेकिन ये जितनी भी बीमारियां हैं उन सब पर कभी न कभी इस सत्र को बढ़ा लो और कभी-कभी ऐसे मुद्दों पर बहस कराएं। दुनिया में कहीं नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

उप-सभापति महोदया : कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री शरद यादव : मैं एक ही बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। मैं दो दिन के लिए चीन गया था। सुषमा जी का फोन आ गया। उन्होंने कहा कि आप कहां घूम रहे हैं। आप तो कहीं घूमते नहीं हैं। आप यहां आइए। यहां तो बड़ा उपद्रव हो गया। मैं दो दिन में ही वापिस आ गया। चीन के लोगों ने मेरे साथ नौ लड़कियां रखी हुई थीं जिनमें से एक लड़की 23 साल की थी। वह जब बात शुरू करती तो एक ही बात पूछती थी कि आपके वहां 8-9 साल की बच्चियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वह समझने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने उससे भी पूछा। उसका जिक्र करूंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, सुशील शिंदे जी, होम मिनिस्टर साहब, आप इस कानून को ला रहे हैं। यदि इसे सफल करना है तो यदि जनता के कान में भी बात जाएगी कि क्या बीमारी है तो वह थोड़ा महसूस करेगी। हम इंसान हैं, इसलिए बंधन है। मैं कालेज में पढ़ा हूं। आप कहते हैं कि पीछा नहीं करना। हममें से ऐसा कौन है जिसने पीछा नहीं किया। महिला से जब बात करनी पड़ती है, पहले वह लिफ्ट नहीं देती, उससे बात करने की कोशिश करनी पड़ती है, प्रेम से बताना पड़ता है। यह पूरे देश का किस्सा है। हमने खुद अनुभव किया है। हमने एक जगह शादी तय कर ली थी। सुषमा जी पूछ रही थीं। हमारे घर के लोग बंदूक और लाठी लेकर आ गए कि घर की बेटियों का क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि हम सब लोग उस दौर से गुजरे हैं। उस दौर को ऐसे नहीं भूलना चाहिए। समाज को चेतन करने के लिए लम्बी बहस चलवाइए। तात्कालिक कदम जरूरी होता है लेकिन उसके साथ-साथ दूरगामी कदम भी चलना चाहिए। अगर हमने 65 सालों में दूरगामी कदमों पर चर्चा की होती तो मुलायम सिंह जी भी बोलते। ये बेचारे डरकर बैठे हुए हैं कि अगर बोलेंगे तो सब लोग गड़बड़ी कर देंगे।...*(व्यवधान)* अगर सब लोग चिल्लाने लगें और मीडिया तमाशा कर दे, क्या लिख दे।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति जी, यह सच्चाई है कि हमने जान-बूझकर नहीं बोला। यह ऐसा ईशू था जिसपर मुझे बोलना चाहिए। लेकिन अगर हम सच्चाई बोल देते तो मुश्किल हो जाती। ...*(व्यवधान)*

अगर मैं बोलता तो सिद्ध करता कि कानून फजूल है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या यह कानून से रुकेगा? पहले वाले कानून से तीन लोगों को फांसी हुई है। पश्चिम बंगाल में फांसी हुई, राजस्थान में फांसी हुई।...*(व्यवधान)* आप हमारा गला पुलिस के हाथों में दे रहे हैं। पुलिस तय करेगी। आपको कोई नहीं पूछेगा। आप एक दरोगा के हाथों में अधिकार दे देंगे, थानेदारों के हाथों में दे देंगे, थानों में दे देंगे। आपने इसके दुरूपयोग का क्या उपाय किया है?...*(व्यवधान)* उसका कहीं नामो-निशान नहीं है।...*(व्यवधान)* क्या केवल लड़के ही जिम्मेदार है, यह बुलवाना चाहते हैं? आज जो लड़के-लड़कियां साथ-साथ पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी। इससे मुश्किल हो जाएगी।...*(व्यवधान)*

उप-सभापति महोदया : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : मुलायम सिंह जी का कहना है कि अगर समाज को सुधारने का काम भी साथ-साथ चले तो इनकी चिन्ता दूर हो सकती है, सबकी चिन्ता दूर हो सकती है।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप आसन पर बैठी हैं। मेरा मन बहुत बोलने का था, लेकिन मजबूरी है। वक्त का बंधन है और उस बंधन के कारण बैठता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं - लम्हों ने ख्ता की थी, सदियों ने सजा पाई है। ऐसा न हो जाए कि आपको इस कानून को फिर से बदलना पड़े।

[अनुवाद]

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : महोदया, इस विधेयक के साथ संशोधनों के संबंध में जिसे मुख्यत: कल चर्चा के बाद सरकार की ओर से लाया गया है हम विधेयक का स्वागत करते है। लेकिन इस पर विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच चर्चा होनी चाहिए। वे कार्यान्वियनकारी एजेंसी है। इसे बहुत शीघ्रता से किया जा रहा है लेकिन इस विधेयक में बहुत चर्चा की आवश्यकता है।

प्रत्येक नागरिक और महिला को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 21 में दी गई है।

यौन उत्पीड़न यहां तक कि महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले में भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अंतर्गत अधिकारों का उल्लंघन है जो समानता खंड के अंतर्गत आता है।

संविधान के अनुच्छेद 21 के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अर्थपूर्ण अधिकार हेतु प्रत्येक महिला अपने विकास के लिए लिंग के आधार पर भेदभाव और बाधा खत्म किए जाने की पात्र है। महिलाएं बिना किसी भेदभाव के आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों की पात्र है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर प्राथमिक चिंता बलात्कार के मामलों और महिलाओं के विरुद्ध अपराध से जुड़े मामलों में बेतहाशा वृद्धि के बारे में है। भारत इसका अपवाद नहीं है।

यौन हिंसा न केवल किसी महिला की विजना और शुचिता पर अनाधिकार हमला है बल्कि सम्मान पर गंभीर चोट करता है। यह उनकी अंतरआत्मा पर सत्रासंपूर्ण और पीड़ादायी चोट आत्म सम्मान और प्रतिष्ठा पर हमला है। बलात्कार ने केवल महिलाओं के विरुद्ध बल्कि पूरे समाज के विरुद्ध एक अपराध है। यह किसी महिला की सर्वाधिक सम्मानजनक अस्मिता पर एक काला धब्बा है अर्थात् उनके सम्मान प्रतिष्ठा और पवित्रता पर एक धब्बा है। यह किसी महिला के संपूर्ण मनोविज्ञान को नष्ट करता है और उसे गहरे भावात्मक संकट की ओर धकेलता है। यह उनके मौलिक मानवाधिकारों के प्रति अपराध है और उनके अधिकारों का हनन है।

इस संदर्भ में आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि यह विधेयक आ गया है। इस विधेयक की सर्वाधिक मांग रही है वस्तुत: इस मायने में इसे समर्थन दिए जाने की आवश्यकता है लेकिन हमारे कुछ कतिपय मुद्दे हैं। हमने कतिपय संशोधन दिए हैं। वे संशोधन भी सरकार के संशोधन की तरह हैं।

महोदया, अनुभव कहता है कि इस प्रकार के अपराधों का कभी-कभी बहुत अधिक दुरूपयोग किया जाता है। अत: अनुभव कहता है कि भारतीय दंड संहिता के खंड 490 और 498क के संबंध में अपराधों का हमारे देश में बहुत अधिक दुरूपयोग किया जाता है। इसका दुरूपयोग नहीं होना चाहिए यदि इसका दुरूपयोग किया जाता है तो यह पूर्णत: महत्वहीन हो जाएगा। यदि इसका दुरूपयोग नहीं किया जाता है, यदि इसका सही मामलों में समुचित रूप से प्रयोग किया जाता है तो यह वास्तव में महिला के सम्मान और अधिकार को बनाए रखेगा।

मेरा मानना है कि किसी के सम्मान पर हमला किया जा सकता है, उसे खंडित किया जा सकता है और उसका निर्दयतापूर्वक मखौल उड़ाया जा सकता है परंतु इसे तब तक छीना नहीं जा सकता जब तक कि हार न मान ली जाए। इसलिए, यदि महिला इस देश में आपना सम्मान बनाए रखना चाहती है तो उसे अनावश्यक शिकायतें दर्ज कराने से बचना होगा। उसे इस अधिनियम में दी गई शक्ति का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए। खंड 498क का अनुभव बहुत खराब रहा है।

खंड 376 के संबंध में अति सख्त का अधिनियम बना है। ऐसा किया जाना चाहिए परंतु मुद्दा यह है कि कार्यान्वियन की आवश्यकता है। सभा में हम विधेयक पारित कर सकते हैं परंतु उसका कार्यान्वियन किया जाता कार्यान्वियन एजेंसी पर निर्भर है। हमारे पास पर्याप्त कानून हैं। श्री मुलायम सिंह जी अभी बोल रहे थे। हां, हमारे पास पर्याप्त कानून हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। कार्यान्वयन एजेंसी को अत्यंत सावधान रहना चाहिए और संबंधित राज्यों को सेवा मामलों में समुचित कानून लेकर आना चाहिए। यदि कार्यान्वियन एजेंसी साथ ही अधिनियम को कार्यान्वित नहीं करती है तो उन्हें स्वयं कार्यान्वियन अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए।

महोदया, आज लोगों को इन कानूनों से बड़े पैमाने पर अवगत कराया जाना चाहिए। हमने देखा है कि सम्मत बर्थ को 16 वर्ष बढ़ाकर 18 वर्ष करने के लिए विभिन्न संशोधन हुए हैं। बर्थ के साथ भी आज के कानून के अनुसार यदि संशोधन किया जाता है तो यह 18 वर्ष होगी। यदि कोई शारीरिक संबंध होता है तो यह भी बलात्कार के दायरे में आएगा। इसके बारे में कितने बच्चे जानते हैं? इसलिए, इस कानून के बारे में अवगत कराना होगा? यदि कानून पारित भर कर दिया जाता है तो यह पर्याप्त नहीं होगा परंतु इस कानून के बारे

में बड़े पैमाने पर अवगत कराए जाने की आवश्यकता है। इस कानून के बारे में लोगों को गांव से शीर्ष स्तर पक शिक्षित करना होगा भले ही वह शिक्षित हो अथवा अशिक्षित बड़े पैमाने पर इस कानून से अवगत कराए जाने की आवश्यकता है। इस देश के लोगों को शिक्षित किया जाना है। 18 वर्ष तक की आयु में शारीरिक संबंध बलात्कार के दायरे में आता है। इसलिए, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपराधों के बारे में उल्लेख करते हुए 14 वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चों हेतु उपयुक्त संस्थान में पाठ्यक्रम चलाया जाना चाहिए। उन्हें पता चलना चाहिए कि क्या-क्या अपराध हैं। बच्चे अपराधों के बारे में नहीं जानते हैं।

इस देश में बलात्कारी के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता। यदि कोई बलात्कार करता है तो उसे फांसी दी जानी चाहिए। पहली बार किए गए अपराध के मामले में यह 14 वर्ष तक होनी चाहिए; दूसरी बार अपराध के मामले में यह सजा स्वाभावितक मृत्यु तक आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दंड होनी चाहिए। सामूहिक बलात्कार के मामले में यह सजा आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दंड होनी चाहिए। मेरा मानना है कि हमारे देश के सम्मान की रक्षा करने के लिए, हमारे देश के बच्चों की रक्षा करने के लिए इसकी आवश्यकता है।

एक सदस्य ने बेटियों के बारे में कहा है। हमारा मानना है कि बेटियां हमारे घरों की लक्ष्मी होती हैं। मुझे गर्व है कि मेरी पत्नी ने पहले बेटी को जन्म दिया है। मुझे इस बात पर गर्व है। इसीलिए, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कुछ इसका दुरूपयोग कर रहे हैं और साथ ही .001 प्रतिशत महिलाएं भी इन कानूनों का दुरूपयोग कर रही हैं। कि यह हमारे देश के लिए अति दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसको रोकना होगा।

मैं यह कहकर समाप्त करता हूं कि यह अति जघन्य अपराध है। कानून को सख्ती से लागू करना होगा। कार्यपालक एजेंसी को कानून लागू करना चाहिए। बलात्कारियों के साथ कोई दया नहीं होनी चाहिए। ऐसे में, मैं यह पूछूंगा कि इस कानून को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाना चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसे हमने देश में समुचित ढंग से कार्यान्वित किया जाएगा अथवा नहीं। यह बात स्वयं महिला पर निर्भर है। यदि कोई महिला झूठी शिकायत दर्ज कराती है यदि वे इसका दुरूपयोग करती है तो यह कानून दस्तावेजों में ही रहेगा। इसमें कोई उनकी सहायता नहीं कर सकता। इसके साथ, मैं समाप्त करता हूं।

श्री ए. सम्पत (अरिंगल) : महोदया, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मेरी मां, पत्नी और पुत्री भी है। वे तीनों कहती हैं कि यदि उनका दोबारा जन्म होता है तो वे कभी लड़की अथवा महिला नहीं होना चाहेंगी। जब हम अपने बच्चों से पूछते हैं तो हमें यही उत्तर मिलता हैं। हमारे कानून एक तरफा है; उन्हें पुरुषों द्वारा, केवल पुरुषों के लिए बनाया गया है न कि पत्नी अर्थात महिलाओं के लिए।

मैं आज इस सभा में तारांकित प्रश्न सं. 303 और 314 के लिए गए उत्तर की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आप प्रश्न सं. 303 किशोर न्याय अधिनियम और प्रश्न सं. 314 जेंडर में सिटाइजेशन प्रोग्राम के बारे में था।

11वीं लोक सभा में इस सभा में प्रवेश से पूर्व में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में विधि विषय में प्राख्याता था। मुझे गर्व है कि मैं 500 से अधिक महिला सिपाहियों का अध्यापक था। मुझे अपने छात्रों पर गर्व है। यह काननू जो कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक अनुकूल है हम पुरुष और महिलाओं के बीच भेदभाव को दूर करके परिवर्तन लाना चाहते हैं।

महोदया, इसका कारण मथुरा बलात्कार कांड है जिन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम और आईपीसी के उपबंधों में भी पहला बदला हुआ। यह परिवर्तन इस सभा की महिला सदस्यों के कारण हुआ उन्होंने इस सभा कार्यवाही को लगातार चार दिनों तक चलने नहीं दिया वे इस सभा के कार्य में व्यवधान डालते हुए सभा के बीचों बीच आ गई थीं। स्वर्गीय कामरेड ए.के. गोपालन की पत्नी कामरेड सुशीला गोपालन उनमें से एक थी। मुझे आशा है कि आपको वे दिन याद होगें जब इस सभा में यह सब घटित हुआ था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114क क्यों अधिनियमित की गई थी? यह इसलिए अधिनियमित किया गया था क्योंकि इस राष्ट्र के उच्चतम न्यायालय पीड़िता के पक्ष में नहीं था जबकि पीड़िता मात्र 16 वर्ष की थी और एक आदिवासी लड़की थी।

हम इस विधेयक पर सभा में चर्चा क्यों कर रहे है और महिलाओं को अब भी सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश करने से रोका जा रहा है। उन्हें सार्वजनिक स्थलों से निकाला जाता है उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोका जाता है। क्या हम अपनी मां और बेटियों को ट्रेन में अकेले यात्रा करने के लिए भेज सकते हैं? क्या इस सम्मानित सभा का का सदस्य अपनी बेटी को अकेले बस में यात्रा करने के लिए भेज सकता है। भारत की सिविल सोसाइटी को क्या हो गया है? इसकी ऐसी व्याख्या की जा रही है मानो ये सभी सार्वजनिक स्थल

[श्री ए. सम्पत]

केवल पुरुषों के लिए हैं, महिलाओं के लिए नहीं। मैं सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं। उन सभी का शोषण होता है।

सहमति की उम्र की विभिन्न व्याख्याएं की गई है। जापान में सहमति की उम्र 13 वर्ष, श्रीलंका में 16 वर्ष, इजरायल में 16 वर्ष, चीन में 14 वर्ष, सीरिया में 15 वर्ष, इटली में 14 वर्ष है– इटलीवासी चले गए है और हम उनके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं- वेनेजुएला में सहमति की उम्र 16 वर्ष है। हम चर्चा कर रहे हैं कि सहमति की उम्र 16 वर्ष होनी चाहिए अथवा 18 वर्ष। मेरा विनम्र निवेदन है कि कॉलेज कैम्पस से बच्चों को जेल मत भेजो। सिर्फ इसलिए कि एक लड़की और लड़के में संबंध है, सिर्फ इसलिए कि वे दोस्त हैं, उन्हें अपराधी नहीं समझा जाना चाहिए। कॉलेज से स्नातक करने के बदले, क्या लड़की अथवा लड़का जेल से स्नातक करेंगें? जी नहीं, इससे बहुत क्रूर और दयनीय स्थिति उत्पन्न होगी।

इस विधेयक की मैं एक बात के लिए सराहना करता हूं और वह यह है कि इस विधेयक में मानव दुर्व्यपार के संबंध में कठोर प्रावधान किया गया है। मानव दुर्व्यापार क्यों होती है? पुलिस अधिकारियों तथा राजनीतिक सत्ता वाले लोगों की सांठ गांठ के बिना किसी प्रकार की मानव दुर्व्यापार नहीं हो सकता है। लेकिन इस विधेयक में क्यों हमने उनको सम्मिलित नहीं किया। जिनके पास राजनीतिक सत्ता होती है? क्या हम राजनीतिक सत्ता वाले लोगों से डरते हैं? अब ऐसा दिन आ गया है कि लोग राजनीतिक सत्ता वाले लोगों से डरते हैं। क्या हम अपना रोधन करने के लिए कानून बना रहे हैं? इस कानून के प्रावधान राजनीतिक सत्ता वाले लोगों पर भी लागू होने चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार को विशेष रूप से निषेधित किया गया है।

न्यायमूर्त्ति वर्मा समिति के समक्ष झारखंड की जनजातीय लड़कियों सहित बहुत सारे लोग उपस्थित हुए थे और उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। यह ज़मीनी सच्चाई है। मैं महाकाव्य अथवा धार्मिक पुस्तकों से कुछ उद्धत नहीं कर रहा हूं। मैं ज़मीनी सच्चाई, कठोर वास्तविकता और उस वास्तविक जिन्दगी की बात कर रहा हूं जिसमें गरीब लोग रहते हैं।

हमेशा दबे-कुचले जाति और वर्ग के लोगों को यातनाएं दी जाती हैं, उन्हें लूटा जाता है, और उनकी महिलाओं का बलात्कार किया जाता है। हम इस विधेयक में बलात्कार की परिभाषा को विस्तारित करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से मैं इससे सहमत हूं।

लेकिन इसके साथ ही, मैंने संशोधन की सूचना दी है। परिचालित किए गए इस विधेयक की परिभाषा के अनुसार ऐसा बलात्कार सलाखों के पीछे, बंद दरवाजों के पीछे, जेल में, अहाते में, किशोर घर, बाल गृह इत्यादि कहीं भी हो सकता है। इसलिए, कम-से-कम सिर्फ इस धारा के संबंध में मेरा यह विनम्र अनुरोध है। पृष्ठ संख्या 6, अध्याय 2, लाइन 17 जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(क) (iii) को संशोधित किया गया है, में 'महिला' के स्थान पर कृपया 'व्यक्ति' को अंतःस्थापित किया जाए, क्योंकि व्यक्ति पुरुष अथवा महिला अथवा ट्रांसजेंडर हो सकता है।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मेरे संशोधनों की सूचना इस सभा के सदस्यों को परिचालित किया गया है।

उप-सभापति महोदया : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री ए. सम्पत : जी हां, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इसलिए मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं।

धारा 376(ख) 'सामूहिक बलात्कार' से संबंधित है। मेरा निवेदन है कि 'सामूहिक उद्देश्य के स्थान पर 'समान उद्देश्य' अंतःस्थापित किया जाए। हम सामूहिक मंशा शब्द से चिपके हुए हैं जिसे साबित करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे सामने ऐसे कई मामले हैं। यहां तक कि सूर्यनेल्ली मामले में भी इसी प्रकार की मंशायी, लेकिन आपराधिक न्यायालय में सामूहिक मंशा को साबित करना बहुत मुश्किल था। इसलिए, यदि आप महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा चाहते हैं तो इसे 'समान मंशा' करें।

विधेयक का पृष्ठ 6 और 7 भारतीय दंड संहिता की धारा 375 एवं 376 से संबंधित है। विधेयक का खंड 9 जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 375 को संशोधित किया गया है, में एक अपवाद की स्थिति है जो कि कहता है 'एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ किया यौन संसर्ग या यौन क्रिया बलात्कार नहीं है, यदि पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम नहीं है'। इसे विलोपित किया जाए। हम 18 वर्ष, 16 वर्ष की चर्चा कर रहे हैं और अब हम 15 वर्ष की चर्चा कर रहे हैं। इस पर क्यों चर्चा की जाए? इसे विलोपित किया जाए।

पुनः पृष्ठ संख्या 6 पर विधेयक का खंड 9 धारा 375(ख) से

संबंधित है, में छठे' से शुरू होने वाले लाइन को विलोपित करें और इसे प्रतिस्थापित करें।

उप-सभापति महोदया : आपने इन सभी संशोधनों के लिए सूचना दी है।

श्री ए. सम्पत्त : मुझे सिर्फ दो मिनट और चाहिए।

इसे 'छठे - शिकायतकर्त्ता की सहमति से या उसकी सहमति के बिना, तब जबकि शिकायतकर्त्ता की उम्र 18 वर्ष से कम हो बशर्ते कि सहमति एक वैध प्रतिवाद होगा यदि शिकायतकर्त्ता की उम्र 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच हो और आरोपित व्यक्ति की उम्र 5 वर्ष से अधिक न हो' से प्रतिस्थापित किया जाए। इसलिए इसे होना चाहिए।

पुन: विधेयक के खंड 9 में धारा 376(2)(ट) को विलोपित किया जाए और इसे '(ट)(i)– आर्थिक अथवा सामाजिक अथवा राजनीतिक प्रभाव वाले पुरुष द्वारा उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया जाता है' को प्रतिस्थापित किया जाए। यहां हमने विशेष शब्द 'राजनीतिक' को विलोपित कर दिया है। मुझे नहीं पता उस शब्द को क्यों हटा दिया गया है।

मैं अब अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं।

उप-सभापति महोदय : आपने इन सभी संशोधनों के लिए सूचना दी है।

श्री ए. सम्पत्त : जी, हां मैंने ऐसा किया है। कुछ सदस्यों ने आशंकाएं व्यक्ति की हैं कि इसका दुरूपयोग किया जा सकता है।

मेरा कहना है कि हम सभी हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। न ऊपर कोई हुक होता है और न ही नीचे कोई गद्दा। लेकिन इसके साथ यह भी बात है कि हम यात्रा करते हैं; वहां कुछ भी हो सकता है और सड़क पर भी कुछ हो सकता है। सिर्फ इस कारण से क्या हम कह सकते हैं कि हम यात्रा नहीं करेंगे? कुछ लोगों के कारण क्या हम कह सकते हैं कि नियम के प्रावधानों का दुरूपयोग किए जाने की संभावना है? ऐसा पहले भी हुआ है और भविष्य में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इसे पर्याप्त संशोधनों के साथ प्रवर्तित किया जाए। इसलिए, इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी) : उप सभापति महोदया, इस पूर्णत: मौलिक विधान जिस पर आज सभा को विचार करना है मैं भाग लेने के लिए बीजू जनता दल को अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपका आभारी हूं। यह एक ऐसा ऐतिहासिक पल है जो कि वस्तुत: काफी विलंब से हमारे समक्ष आया है। यह एक ऐसा विषय है जिसे सभा को काफी पहले संज्ञान में लेना चाहिए था और जिसके संबंध में यह सभा कई दशकों के बाद नींद से जागी है 16 दिसंबर की इस अत्यधिक भयावह घटना ने राष्ट्र की सामूहिक चेतना को झकझोर दिया और इस सभा को गहरी नींद से जगा दिया है।

उप सभापति महोदया, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि हमेशा की तरह दुर्भाग्यवश गृह मंत्री जी कुछ भ्रमित से प्रतीत हो रहे हैं और मैं उनसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि भविष्य में यदि वह इस प्रकार के विधान को द्विदलीय आधार पर पारित कराना चाहते हैं जैसा कि मैं सोचता हूं कि सरकार को किसी भी स्थिति में प्रयास करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में यदि वह इस 'सर्वदलीय बैठक' नाम देना चाहते हैं तो उन्हें सही अर्थों में सर्वदलीय बैठक का आयोजन करना चाहिए। केवल नाममात्र के लिए सर्वदलीय बैठक न बुलाएं, बल्कि सच्चे अर्थों में सर्वदलीय बैठक बुलाएं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : वह एक विशेष दलीय बैठक थी।

श्री पिनाकी मिश्रा : यदि वह कोई विशेष पार्टी बैठक थी या चयनित पार्टी की बैठक थी और यदि माननीय गृह मंत्री केवल सभा के कुछ वर्गों से ही अनुरोध करना चाहते हैं तो यह उनका विशेषाधिकार है। परंतु, मेरा मानना है कि उन्हें विधान पारित कराने हेतु भाजपा पर निर्भर रहना होगा और ऐसा करके वह बहुत खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी अपने सहयोगियों से पूछ सकते हैं कि पहले भी विपक्षी दल ने ऐसी स्थिति में जबकि सरकार ने यह सोचा था कि मुख्य विपक्षी दल उनका साथ देगा अधिकांशत: विपक्षी दल ने उनके साथ अंतिम क्षणों में विश्वासघात किया है। अत:, मेरा यह मानना है कि विधेयक को पुर:स्थापित करने से पहले सभा के सभी पक्षों को विश्वास में लेना उचित होगा।

मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया का एक प्रबुद्ध वर्ग व्यंग्यात्मक रूप से इस सरकार को "लोलीपॉप्स" सरकार कह रहा है और यहां 'लोलीपोप' का अर्थ लॉ-लिपोप्स'। यह लोलीपोप्स नही है अपितु सरकार द्वारा जल्दबाजी में लाए गए अनेक कानून हैं। 16 दिसंबर की घटना के पश्चात् जिस प्रकार हड़बड़ी में अध्यादेश लाया गया और जिस प्रकार पूर्व आपराधिक (संशोधन) विधेयक, जिस पर गृह मंत्री अब पुन: विचार करने और लगभग एक वर्ष के पश्चात आज उसे वापस

[श्री पिनाकी मिश्रा]

लेने के लिए बाध्य हैं, वह सरकार के दृष्टिकोण में पूर्ण अव्यवस्था को दर्शाता है कि सरकार के पास इस संबंध में कोई सुसंगत नीति नही हैं। अत: एक एक कर विधान पर कार्य किया जा रहा है। सरकार मूल रूप से जनमत और टेलीविजन साक्षात्कारों से प्रेरित है और इसीलिए उसी आधार पर इस सभा में विधान लाने के लिए बाध्य है।

जो भी स्थिति हो, मैं अब मामले की तह में जाना चाहता हूं। सभापति महोदया, मामले की वास्तविकता यह है कि आज हम देश में इस संबंध में एक महामारी जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। हमें इस स्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए। यह स्थिति किसी महामारी से कम नहीं हैं। 16 दिसंबर की घृणित भयावह घटना के पश्चात् देशव्यापी निन्दा, अपयश, आलोचना, आत्मघृणा आत्मनिंदा और अत्यधिक आत्मघृणा के पश्चात हमने यह कार्य आरंभ किया है मैं खेद के साथ सभा के समक्ष यह बताना चाहता हूं कि 16 दिसंबर की घटना के बाद देश में बलात्कार की 250 से अधिक घटनाएं घटी है और उनमें से कई मामलों में सामूहिक बलात्कार किया गया है। मैं बहुत चकित और शर्मिन्दा हूं कि मुझे आज यह बात सभा में बतानी पड़ रही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हम आंकड़ों की बात करें तो चार में से केवल एक मामला ही प्रकाश में आता है जिसका अर्थ है कि 16 दिसंबर की घटना की राष्ट्रव्यापी निंदा के बावजूद अब तक बलात्कार की 1000 से अधिक घटनाएं घट चुकी हैं। अत:, सही अर्थों में हम एक महामारी जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। तीन दिन पहले मध्य प्रदेश में एक शर्मनाक घटना घटी है जिसमें एक स्विस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। अब ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश की यात्रा करने वाली महिलाओं को भारत में यात्रा करने के संबंध में एडवाइजरी (निर्देशिका) जारी की है। आज हमें विश्व में बलात्कार की घटनाओं का केन्द्र माना जाता है।

मैं स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हमारा देश ऐसी खेदजनक स्थिति में कैसे पहुंच गया है। इस देश के पुरुष देश की कैसी छवि दर्शाना चाहते हैं। हमें क्या हो गया है? इस देश में वस्तुत: अब बच्चे के जन्म के स्तर से ही एक सामूहिक आत्मावलोकर किए जाने की आवश्यकता है।

जहां तक इस विधान का संबंध है, तो मेरा यह कहना है कि इस कानून ने कुछ दूरी तय कर ली है तथा इसे और आगे ले जाना है। मैं दो-तीन विशेष मुद्दों पर अपनी गहन वेदना व्यक्त करना चाहता हूं। पहला मुद्दा एसिड हमले से जुड़ा हुआ है और इस मुद्दे पर मैंने कई बार टीवी स्टूडियो में अपने विचार व्यक्ति किए हैं। मेरा यह मानना है कि तेजाबी हमला किसी महिला को सदा के लिए असमर्थ बना देता है और यह सबसे घृणित अपराध है। मुझे लगता है कि यह विधान लोगों को तेजाबी हमला करने से रोकने में पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संबंध में धारा 376क काफी कारगर है जिसके अंतर्गत यदि बलात्कार के कारण कोई महिला स्थायी रूप से निश्चेतन अवस्था में चली जाती है तो ऐसे में अधिकतम मृत्युदंड दिया जा सकता है। मैं सम्मान पूर्वक यह कहना चाहता हूं और आशा करता हूं कि यह सभा मुझसे इस बात पर सहमत होगी कि किसी महिला पर तेजाबी हमला किए जाने की स्थिति में यदि वह महिला स्थायी रूप से निश्चेतन अवस्था में चली जाती है या पूरे जीवन के लिए स्थायी रूप से विरूपित हो जाती है तो ऐसे में निश्चित रूप से ऐसा कोई कारण नहीं है कि उस पुरुष को केवल पांच वर्ष की सजा दी जाए। मेरे अनुसार ऐसे मामले में कम से कम आजीवन कारावास और संभावित निवारक उपाय के रूप में मृत्यु दंड पर भी विचार किया जा सकता है क्योंकि इससे कम कोई सजा निवारक का कार्य नहीं करेगी? मैं यह परामर्श के दौर पर कहा रहा हूं।

मैं अपने उन सहयोगियों, संसद सदस्यों से सहमत हूं। जिन्होंने सहमति की आयु के बारे में चर्चा की है। मैंने विधि न्यायालयों में स्वयं यह देखा है कि 16 और 18 वर्ष की आयु वर्ग वाले युवा जो कि आमतौर पर सहमति से यौन संबंध बनाते हैं, उन्हें न्यायालयों में मुकदमों में घसीटा जाता है। इससे पुलिस को वह सब करने का लाइसेंस मिल जाता है जो कि हम जानते है कि पुलिस आमतौर पर करती है। इससे पुलिस को अनावश्यक रूप से बहुत अधिकार मिल जाते हैं। अत:, मुझे लगता है कि किशोरों के बीच सहमति की संकल्पना इसमें एक समुचित प्रावधान है। मेरा मानना है कि यह एक उचित विधान है जो कि लाया जाना चाहिए था।

मेरा यह मानना है कि गृह मंत्री ने भाजपा की इस मांग, कि सहमति की आयु 18 से कम करके 16 न की जाए, को मानकर सभा को हानि पहुंचाई है। मैं गृह मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि ऐसा इसलिए है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने दुर्भाग्य से यह कहकर एक बहुत बुरा पूर्वोदाहरण पेश किया है कि इस देश की यात्रा करने वाली विदेशी महिलाओं को स्वयं को इस देश में पंजीकृत कराना चाहिए। गृह मंत्री के लिए ऐसा कहना शोभा नहीं देता कि इस देश की यात्रा करने वाले विदेशियों को यहां की सड़कों पर निकलने से पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। आप स्वयं अपने देश

की 50 करोड़ महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं? ये महिलाएं कहां जाएं? उन्हें किस पुलिस स्टेशन में स्वयं को पंजीकृत कराना चाहिए? यदि यह गृह मंत्री द्वारा पहला रक्षोपाय है तो मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह सुरक्षा प्रदान करने का गलत तरीका है। केन्द्रीय गृह मंत्री को भाजपा के इस तर्क को स्वीकार नहीं करना चाहिए कि चूंकि, आपसी सहमति से संबंध बनाने वाले युवाओं के साथ कड़ाई से पेश आने के लिए पुलिस को अनावश्यक अधिकार मिल जाते हैं इसलिए सहमति की आयु कम न की जाए।

मानव दुर्व्यापार के मुद्दे पर मेरा यह मानना है कि यह मुद्दा एक महामारी का रूप तो चुका है। अभी तक इस समस्या ने भारत में विकराल रूप धारण नहीं किया है। यद्यपि, मुझे यह पता चला है कि गोवा में यह समस्या बड़े पैमाने पर विद्यमान है। परंतु, यूरोप में कुल मिलाकर यह बहुत बड़ी समस्या है। मेरा यह मानना है कि मानव दुर्व्यापार अथवा उससे होने वाले लाभ हेतु दी जाने वाली सजा काफी नहीं है। मै। यह जानता हूं कि आप भविष्य में इस संबंध में संशोधन करते रहेंगे। यह विधान दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हड़बड़ी में और विपक्ष की सहमति के बिना लाया गया है। अत:, भविष्य में सभी प्रकार के संशोधन करने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्टो न्यायालयों का प्रावधान नहीं किया गया है तथा पुलिस सुधारों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

मेरा यह मानना है कि संपूर्ण परिवर्तन लाने हेतु ये मूल मुद्दे हैं।

उप सभापति महोदया, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़) : उप सभापति महोदया, आपने मुझे दंड विधि (संशोधन) विधेयक 2013 पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी, शिव सेना उसका समर्थन करेगी। जब इस संशोधन विधेयक पर सहमति के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उसका जिक्र यहां किया गया। मेरा कहना है कि वह बैठक सर्वदलीय नहीं थी क्योंकि कुछ दलों को उस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था इसलिए इसे सर्वदलीय बैठक नहीं थी क्योंकि कुछ दलों को उस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था इसलिए इसे सर्वदलीय बैठक कहना उचित नहीं होगा। शैलेन्द्र कुमार जी ने इससे पूर्व इस बात को सदन के समक्ष रखा है। हमने चिट्ठी भी लिखकर भेजी है। मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में महिलाएं यदि किसी शहर में सुरक्षित हैं तो वह मुंबई में हैं। प्रिया दत्त जी और संजय निरुपम जी मेरी बात से सहमत होंगे। मुंबई में सबसे सुरक्षित महिलाएं हैं और इसका सर्वाधिक श्रेय शिव सेना को देना चाहिए। यहां शैलेन्द्र कुमार जी मुझे वैलेंटाइन डे की याद दिला रहे हैं। इसे लेकर काफी विवाद हुआ था। जिन सांसदों ने इस विषय पर चर्चा की है और सबने एक ही बात पर सहमति जताई है कि आज जो कुछ भी हो रहा है, विशेषकर नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, इस सबके पीछे बुरा असर है और वह पश्चिमी सभ्यता का है।

महोदया, हमने पश्चिमी सभ्यता का विरोध किया तो काफी चर्चा हुई थी लेकिन आज यह विषय चर्चा का नहीं है। आज यहां संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है लेकिन चर्चा का माहौल इस प्रकार से बना है कि लग रहा है कि नया कानून बना रहे हैं। यह कोई नया कानून नहीं है। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का संशोधन करने के लिए यह विधेयक आया है। विशेषकर महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार और लैंगिक शोषण जैसे अपराधों को रोकने के लिए कानून तो हमारे पास है ही लेकिन उस कानून में इसलिए संशोधन कर रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली में पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई है। किसी का नाम लेने का जरूरत नहीं है, नाम लेना उचित नहीं है। यह सबसे बड़ी समस्या है। पूरे देश में इसके बारे में इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से दिखाया गया। उसके बाद इस देश के युवाओं, युवतियों और नागरिकों में इस पर क्रोध, आक्रोश पैदा हुआ और यह संदेश गया कि सरकार कुछ नहीं करना चाहती है। सरकार की नाकामी के कारण, सरकार की विफलता और असफलता के कारण इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं। उसके बाद जो आक्रोश पैदा हुआ, उस आक्रोश से बचने के लिए सरकार ने तुरंत यह बयान दिया कि हम इस बारे में एक सख्त कानून लायेंगे और जब सरकार की ओर से यह बयान आया तो सारे दलों ने उसका समर्थन किया कि इस प्रकार के बलात्कारों और अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून की आवश्यकता है। इसलिए पूर्व जज, श्री वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। उस समिति ने भी इसमें अपने सुझाव दिये हैं उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के पास भी यह विधेयक गया।

उप-सभापति महोदया : गीते जी, आप सब्जैक्ट पर आइये।

श्री अनंत गंगाराम गीते : उप सभापति जी, मैं विधेयक पर ही बोल रहा हूं।

उप-सभापति महोदया : आप विषय पर बहुत लेट आये हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते : आप मुझे कुछ समय दीजिए। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ने भी कम समय में इस विधेयक पर चर्चा करते हुए अपनी सिफारिशों को यहां भेज दिया। लेकिन पिछले दो दिन में जो चर्चा हुई, वह चर्चा बिना मतलब की थी। जो हमारे कानून के तहत यौन संबंधों की उम्र जो 18 वर्ष थी, उसे घटाकर 16 वर्ष करने का जो प्रयास किया गया तो उसके ऊपर फिर से आक्रोश पैदा हुआ और सारे दलों ने उसका विरोध किया और कहा कि आप 16 की उम्र को फिर से 18 कीजिए। यदि हम चर्चा में शामिल होते तो हम भी उसका विरोध करते। यह एक गलत कदम था, यह एक गलत निर्णय था कि 16 वर्ष की उम्र में आप यौन संबंध, शारीरिक संबंध रख सकते हैं और विवाह 18 साल में करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि सरकार अवैध शारीरिक संबंधों को प्रोत्साहित करना चाहती है या इसे सरकार स्वीकार करना चाहती हैं, उन्हें मान्यता देना चाहती है। यह सरकार का एकदम गलत कदम था, जो आपने 18 से 16 वर्ष करने का प्रयास किया था। लेकिन सही समय पर चर्चा हुई, सारे नेताओं ने और दलों ने इसका विरोध किया और सरकार ने इस बात को स्वीकार किया और फिर 18 साल की उम्र यौन संबंधों के लिए तय की गई है।

उप-सभापति जी, इस बारे में कानून पहले से ही है, आज हम उसमें सुधार कर रहे हैं और सुधार इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि बलात्कार के अपराध दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। वे अब भी कम नहीं हुए हैं। उस घटना के बाद भी आप रोजाना अखबार पढ़िये तो हमें बलात्कार की घटनाएं दिखाई देती हैं। आप दूरदर्शन पर देखिये, वहां भी बलात्कार की घटनाएं हमें दिखाई देती हैं। बलिक आज इस प्रकार की घटनाओं के लिए सारे चैनल वाले एक-दो घंटे रिजर्व करके सारी आपराधिक घटनाओं को दिखाने लगे हैं। इस तरह से देखा जाए तो बलात्कार कम नहीं हुए हैं। लेकिन अपराधियों के मन में एक डर पैदा होना चाहिए। जो इस प्रकार के अपराधी हैं, जिनकी ऐसी मानसिकता है, जो आज हमारे छोटे-छोटे बच्चों के साथ छेड़छाड़ करते हैं या उनका लैंगिक शोषण करने का प्रयास करते हैं या अपनी वासना को पूरा करने के लिए उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। उनके मन में एक भय पैदा हो, इसके लिए किसी सख्त कानून की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि इसी इरादे से सरकार इस कानून को यहां लाई है और इसीलिए हम शिवसेना की ओर से इस कानून का समर्थन करते हैं।

लेकिन जब हम कोई कानून बनाते हैं तो जो हमारे देश की मानसिकता है, जो हमारे समाज की मानसिकता है, वह ऐसी है कि हम कानून का पालन करने के बजाय कानून को तोड़ने का ज्यादा प्रयास करते हैं या कानून का उपयोग करने के बजाय कानून का दुरूपयोग करने का प्रयास करते हैं और अधिकतर कानूनों का दुरूपयोग होता है। मैं इस विषय में अधिक नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन मेरे से पूर्व सांसदों ने इस विषय को यहां रखा है, उनमें शरद यादव जी, शैलेन्द्र कुमार जी और श्रीमती सुमित्रा महाजन ने इस विषय को यहां रखा है। इस बात को मैं इसलिए रख रहा हूं कि यदि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को कम करना है तो पुरुष और महिला के बीच में जो दूरी है, उसे हमें कम करना चाहिए। समाज में महिलाओं को समान हक मिलना चाहिए। समान अधिकार मिलने चाहिए। हमें महिलाओं को समान नजरिए से देखना चाहिए। जिस दिन से हम महिलाओं को समान अधिकार देंगें, निश्चित रूप से ये अपराध कम होते जाएंगे। जो आशंका यहां पर जताई गई है, उस आशंका को मैं दोहराना चाहूंगा कि इस कानून का दुरूपयोग न हो इसीलिए इस पर सुधार करने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा न हो कि फिर पुरुष और महिलाओं के बीच में यह दूरी और बढ़े और उसके असर हमारी आने वाली पीढ़ियों पर, आने वाले बच्चों पर हो, इसकी तरफ सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : उप-सभापति महोदया, मुझे इस विधेयक के समर्थन में खड़े होने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने दल की तरफ से विधेयक के समर्थ में खड़ी हुई हूं।

सर्वप्रथम, मैं इस बहुलंबित अध्यादेश को लाने के लिए माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। वास्तव में एक स्त्री और एक मां के रूप में, अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ी हुई हूं और एक पुत्री के रूप में मुझे स्वयं पर गर्व है। मैंने पूरे सदन को समझा है। किंतु मुझे इस बात का दुख है कि जिन लोगों के साथ मैंने पिछले साढ़े चार वर्षों से काम किया है, और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है आज इस कक्ष में जहां हम सभी साथ मिलकर हमारे देश का निर्माण करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मैं देख रही हूं कि वे भी स्त्री-पुरुष के भेदभाव से ग्रस्त हैं।

मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि मुझे महिला होने पर गर्व है। सभा में उपस्थित प्रत्येक महिला अपने महिला होने पर गर्व है और इसी तरह से सभी पुरुष सदस्यों का भी है। मगर सदस्य सभी एक महत्वपूर्ण

मुद्दे पर चर्चा करना भूल गये हैं। बहुत कम पुरुष सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया है कि हम यहां पुरुष सदस्यों के अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं। हम महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, जो उनकी पत्नी, पुत्रियां और उनकी मां हो सकती हैं। इसलिए, मुझे लगता है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम यहां किस उद्देश्य से उपस्थित है और आज देश की भावना क्या है।

आज मैं यहां अपने सम्मानित साथियों को एक कहानी सुनाना चाहती हूं। लगभग छह महीने पहले में दिल्ली से मुंबई की हवाई यात्रा कर रही थी। एक सज्जन, जिनसे मैं अपने जीवन में कभी नहीं मिली थी, मेरे पास आये और कहा "मुझे विश्वास है कि आप संसद सदस्य हो।" मैंने कहा "हां, मैं हूं।" उसने पूछा, "क्या आपको पता है दिल्ली में क्या हो रहा है?"

मेरा मतलब है, आप सभी हमारी जरूरतों के प्रति कितने असंवेदनशील हैं। "मैंने कहा," नहीं, हम सभी बहुत संवेदनशील हैं।" उसने कहा: मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक यह आपकी पत्नियों, बेटियों अथवा पुत्रवधुओं में से किसी के साथ नहीं होता, तब तक आप लोग नहीं जागेंगे। तभी आपको सबक मिलेगा जब आपकी पत्नी अथवा आपकी मां अथवा आपकी बेटी से बलात्कार होगा।" मैं आपको बताना चाहती हूं कि उस समय मैं शर्मसार हो गई क्योंकि यह एक संदेश था कि भारत का समाज आज हमारी तरफ देख रहा है। इसलिए, मेरा विचार है कि यह बहुत हो गंभीर मामला है। पूरा देश इस चर्चा को देख रहा है और वे इस आशा में हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम अपनी बेटियों, अपनी मांओं, हमारी पुत्रवधुओं और पत्नियों की सुरक्षा के बारे में चिन्ता करेंगे। यह इस बारे में नहीं है कि पुरुष सोचते हैं।

मैं इस सभा में उपस्थित प्रत्येक पुरुष सदस्य से आग्रह करती हूं कि इस देश में बहुत से विधान और कानून बनाए गए हैं। बहुत से कानूनों को तोड़ा भी गया है। यह कोई ऐसा अकेला कानून नहीं होगा जिसे तोड़ा जाएगा या इसका दुरूपयोग किया जाएगा। इसलिए, हम सभी इस संबंध में सीधी बात करनी होगी। हम सभी ने अनेक घोटाले देखे हैं। हमें आवरण छोड़ वास्तविकता का सामना करना चाहिए। कृपया स्त्रियों जिन्हें आप पूजनीय मानते है के प्रति इतना अविश्वास मत दर्शाइये, कृपया हम पर विश्वास रखें।

मैं यह नहीं कह रही कि हर पुरुष बुरा होता है। मेरे पिता बुरे व्यक्ति नहीं हैं। आप में से कोई बुरा नहीं है, न ही मेरा बेटा, न ही मेरे पति। किंतु आप सभी हमारे प्रति इतना अविश्वास क्यों दिखा रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि हम इसका इस्तेमाल आपके विरुद्ध करेंगे? इसे आपके विरुद्ध इस्तेमाल करने में हमारी कोई रूचि नहीं है। यह यहां उपस्थित किसी महिला सदस्य के लिए नहीं है। हम स्वयं की देखभाल करने और स्थितियों को संभालने में अत्यधिक सक्षम हैं।

यह उस महिला के लिए है जोकि समाज के सबसे निचले स्तर पर है जो अपनी आवाज नहीं उठा सकती या जिसकी पहुंच नहीं है और जिसे समुचित कानूनों का आश्रय नहीं मिलता। मैं आपको एक उदाहरण देती हूं कि मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र में क्या हुआ। वहां एक स्त्री थी, जो अपने घर में थी, जो पांच माह की गर्भवती थी। उसके पति ने उसे बताया कि उनकी कार की मरम्मत के लिए कोई आयेगा। एक व्यक्ति आया और उसने घंटी बजायी। उसने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे पति ने भेजा है और मुझे 200 रुपए चाहिए। वह पीछे घूमी और उसे पता नहीं भला कि वह कौन था। उसने दरवाजे को धक्का दिया और घर में घुस गया। वह पांच महीने की गर्भवती थी। उसने घर में मौजूद दादी पर हमला कर दिया और वह वहीं पर मर गयी। उसने इस महिला के साथ बलात्कार किया। यह घटना लगभग पांच वर्ष पहले पुणे में हुई थी।

अपराह्न 5.00 बजे

इसके बाद, आज भी, मैं उस महिला से नियमित रूप से मिलती हूं। वह पूरी तरह सदमें में है। उनका पूरा परिवार आज भी पूरी तरह बिखरा हुआ है और उस महिला को न्याय नहीं मिला है। निश्चित रूप से उस आदमी, को गिरफ्तार कर लिया गया था परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मुंबई उच्च न्यायालय ने उसे मृत्यु दंड दिया था और जब मामला उच्चतम न्यायालय में आया, तो पूछताछ में उस महिला ने जैसा पुलिस ने कहा, बताया कि उस व्यक्ति से शराब की बदबू आ रही थी। चूंकि उससे शराब की बदबू आ रही थी, अंत: उन्होंने कहा कि यह सब शराब के प्रभाव के अधीन हुआ था इसलिए उसे आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए न कि मृत्यु दंड। मुझे लगता है कि यह वास्तव में शर्मनाक है।...*(व्यवधान)*

महाराष्ट्र सरकार ने माननीय उच्च्तम न्यायालय को इस पर पुनर्विचार करने को कहा है। मुझे लगता है एक सही फैसला होना चाहिए और उस आदमी को फांसी पर लटकाना चाहिए। यह तर्क बिल्कुल अनुचित है कि क्योंकि वह शराब के प्रभाव में था इसलिये उसमें बलात्कार करने की इच्छा जाग्रत हुई। मुझे लगता है, कि ऐसे कई मामले हैं। हम सभी ने सिर्फ दिल्ली के मामले के बारे में बात की। पूरे भारत

[श्रीमती सुप्रिया सुले]

में ऐसी लाखों महिलाएं हैं जिन्हें इस सबसे गुजरना पड़ा। उनमें से कुछ आगे आईं और इसके बारे में बताया। अधिकांश महिलाएं यह सब बताने का साहस नहीं कर पाती। यहां तक कि मुझे स्वयं नहीं लगता कि मैं सबके सामने आ पाऊंगी यदि मुझ पर शारीरिक रूप से आघात किया गया। दोषसिद्धि की दर कम है। यह केवल 26 प्रतिशत है। हमें नये विधानों की आवश्यकता नहीं है। हमें न्यायिक और पुलिस सुधारों की आवश्यकता है। क्या हमारी पुलिस वास्तव में महिलाओं की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है? यहां तक कि इस सभा में भी मैंने देखा कि जब महिलाओं के बारे में टिप्पणियां की जा रही थी तो वे दबी हंसी हंस रहे थे। यह हास्यास्पद है जब आप शीला की जवानी की बात करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है। यह कैसा होगा जब कभी यह महिला आपकी बेटी अथवा आपकी पत्नी अथवा आपकी पुत्रवधु हो? मुझे लगता है यह समय भाषण देने तथा आदर्श स्थितियां बयान करने से तंत्र को सुदृढ़ करने और महिलाओं के प्रति संवेदना दर्शाने का है।

यह ठीक है कि आपने हमें पंचायत प्रशासन में आरक्षण दिया है। यह बहुत बढ़िया है। निश्चित रूप से हम महिलाओं के लिये अधिकार चाहते हैं परंतु हम सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। मुझे लगता है आज भारत की नारी की यही मांग है। वह सुरक्षा, संरक्षा और अनुकूल वातावरण चाहती है। हमें सिर्फ विधान और पुलिस की भागदौड़ नहीं चाहिए। पुलिस गश्त में वृद्धि और पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने से सुधार होगा। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि आज महाराष्ट्र इस पर कार्य कर रहा है। कड़े संघर्ष के बाद हम अपने पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या 9 प्रतिशत कर पाएं हैं। हमें वास्तव में इस पर ध्यान देना होगा। जिया प्रशासन को एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त करना होगा जो सिर्फ महिलाओं के मुद्दों का समाधान करेगा।

मुझे लगता है यह गर्व का विषय है कि हमारे पास एनडीसी है। राज्यों के मुख्य मंत्री यहां आते हैं और अपने-अपने राज्यों में विकास के बारे में, राष्ट्रीय सुरक्षा, कुपोषण आदि के बारे में बड़े-बड़े भाषण देते हैं। एनडीसी में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता देने के बारे में चर्चा क्यों न की जाए। मुझे लगता है कि आंतरिक सुरक्षा के बारे में हम सभी ने चर्चा की है। हमने श्रीलंका के बारे में चर्चा की है। किंतु उन महिलाओं के बारे में क्या जो इस देश में सुरक्षित महसूस नहीं करती? जो कुछ पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में हो रहा है हम उसके बारे में क्यों चिन्तित है? हमें चिन्ता इस बात की होनी चाहिये कि देश में हर महिला के साथ क्या हो रहा है। उसके बाद हम दूसरों के बारे में चिन्ता करें। हमें पहले अपना घर ठीक करना होगा ओर उसके बाद चिन्ता करें कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहती हूं कि हम सभी इस विधेयक का समर्थन करते हैं। यह पुरुष विरोध विधेयक नहीं है बल्कि यह मानव मात्र की सुरक्षा से संबंधित है।

यहां मानव दुर्व्यापार के बारे में बात हुई। मैं एक चीज देखकर अचंभित हुई। उन्होंने दुर्व्यापार और पीछा करने के भी बारे में बात की। उन्होंने बताया कि मानव दुर्व्यपार में पहली बार पकड़े जाने पर इसकी सजा पांच वर्ष की कैद है। क्या हममें से कोई यह चाहेगा कि हमारे परिवार के कोई सदस्य दुर्व्यपार का शिकार हो? यहां हम केवल यह सोचते है कि महिला से ही दुर्व्यपार का शिकार है। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी दुर्व्यापार का शिकार हो लेकिन निश्चित ही मैं यह भी नहीं चाहूंगी कि मेरा बेटा दुर्व्यापार का शिकार हो। यदि हम सोचते हैं कि केवल महिलाओं के साथ दुर्व्याहार होता है तो ऐसा नहीं है। इस देश में पुरुष भी दुर्व्याहार के शिकार है। इसलिए, मुझे लगता है, हमें इन सभी मुद्दों का समाधान करना होगा।

आपने पीछा करने के बारे में बात की है। मुझे लगता है कि हर कोई चाहता है कि इसे शिथिल किया जाए। मैं पुरुषों की भावनाओं की कद्र करती हूं। उनमें से ज्यादातर ने कहा: ''हम महिलाओं की तरफ देख भी नहीं पाएंगे।'' मुझे विश्वास है, महिलाएं इतनी असंवेदनशील नहीं है। हम जानते है कि कब एक पुरुष प्रशंसा भरी नजरों से आपकी तरफ देख रहा है और कब वह आपकी तरफ बुरी दृष्टि से देख रहा है। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि वास्तव में यह निरर्थक मुद्दा है। मुझे लगता है कि हमें व्यापक परिप्रेश्र्य में देखना चाहिए। पहली बार पीछा करने का दोषी पाये जाने पर दोषी की जमानत हो सकती है। मेरी चिन्ता यह है कि चश्मदीदों का क्या होगा। दूसरी बार का भी जिक्र किया गया है। हम इसके लिए क्यों इंतजार करें? यदि उस व्यक्ति के जमानत पर बाहर आने के बाद भी पीछा करने की संभावना है, तो मुझे विश्वास है कि चश्मदीद मुसीबत में पड़ सकता है। इसलिए, मुझे लगता है, हमें इन सब बातों पर भी ध्यान देना होगा। मुझे विश्वास है कि यह सभापूर्ण भावना के साथ इस देश की सभी महिलाओं का समर्थन करेगी। विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि सभी विकसित देशों में, महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त है। हम सदैव अपनी उतना पश्चिमी जगत के साथ नहीं कर सकते क्योंकि उनकी न्यायपालिका और पुलिस व्यवस्था हमारी पुलिस और न्याय व्यवस्था से कहीं अधिक

कुशल है। इसलिए मुझे लगता है कि सड़कों, बाघो और विमानपत्तनों के निर्माण के अतिरिक्त, हमें सबसे पहले देश में स्त्री पुरुष समानता स्थापित करने की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं को पुरुषों को ही भांति सभी अधिकार प्राप्त हों। हम इसका समर्थन करना चाहते हैं। एक चीज मत भूलिए। हम सभी पति चाहती हैं, बेटा चाहती हैं, पिता चाहती हैं और हम क्यों किसी को हानि पहुंचाना चाहेंगी। इसलिए, मुझे लगता है, कि हमें इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें और इस मुद्दे को और अधिक गंभीरता से लें और एक ऐसे भारत की कल्पना करें जो स्त्री-पुरुष भेदभाव से पूर्णत: मुक्त हो, स्त्रियों के साथ समानता का व्यवहार हो।

श्री एस. सेम्मलई (सलेम) : उप-सभापति जी इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने हेतु आपका धन्यवाद। मैं अपना भाषण स्वामी विवेकानन्द के इन शब्दों से आरंभ करता हूं, "किसी राष्ट्र की प्रगति को मापने का सर्वोत्तम मानदंड उस देश की महिलाओं के साथ किया गया व्यवहार होता है।" स्वामी विवेकानंद ने यह कहा था।

महिलाओं का सम्मान और उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। महिलाओं की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में कोई दो राय नहीं हैं हमारा देश समृद्ध परम्पराओं, उच्च स्तरीय संस्कृति और सभ्यता वाला देश है। यही वह देश है जहां प्रत्येक 21 मिनट में किसी महिला का यौन उत्पीड़न किया जाता है। अत:, हमें इस प्रकार के विधेयक की आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार के कारण पैदा हुए जनाक्रोश और मीडिया द्वारा इस बात को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाएं जाने के कारण यह अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है।

अपराह्न 5.06 बजे

[**श्री इन्दर सिंह नामधारी** *पीठासीन हुए*]

जनता के विरोध को देखते हुए इस विधेयक को चर्चा हेतु नहीं रखा जा सकता था। मैं यह महसूस करता हूं कि केन्द्र को अध्यादेश प्रख्यापित करने से पहले इस संबंध में गंभीर विचार करना चाहिए था और विधेयक को और प्रभावी बनाने के लिए जस्टिस वर्मा आयोग की सिफारिशों सहित विभिन्न पक्षों के सुझावों को शामिल करना चाहिए था।

मैं इस विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा करना चाहता हूं। खंड 3 में दंड संहिता की धारा 166क का उल्लेख किया गया है जिसमें केवल लोक सेवक का वर्णन किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि क्या खंड 3 सशस्त्र सेवाओं पर भी लागू होगा। क्या सशस्त्र सेनाओं द्वारा यौन उत्पीड़न को भी इस विधेयक के दायरे में लाया गया है।

मैं माननीय मंत्री जी द्वारा विधेयक के उपबंधों में अन्तर्विष्ट किए गए संशोधनों का स्वागत करता हूं। उदाहरण के लिए, खंड 354घ, जो महिला का पीछा करने से संबंधित है। यह विधेयक व्यक्तियों के यौन अपराधों की रोकथाम करने और महिलाओं को पुरुषों के भद्दे कृत्यों से बचाने की अच्छी मंशा से लाया गया है। परंतु साथ ही हमें सावधानी से यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विधेयक के उपबंधों का धूर्त व्यक्तियों द्वारा दुरूपयोग न हो पाएं। अत: उपबंधों का दुरूपयोग रोकने के लिए इस विधेयक में एक खंड जोड़ने की आवश्यकता है।

एसिड आदि का प्रयोग करके जानबूझकर किसी को गंभीर रूप से घायल करने संबंधित धारा 326क अंतर्गत पीड़ित के चिकित्सा व्ययों और पीड़ित को धनराशि देने हेतु अर्थदंड सहित कारावास का भी दंड दिए जाने का प्रावधान है। कल्पना कीजिए कि यदि हम उपबंध के अंतर्गत आरोपित व्यक्ति को कारावास का दंड देने के साथ-साथ उस पर भारी अर्थदंड भी लगाया जाता है; और यदि उस व्यक्ति के पास आप का कोई साधन नहीं है तो ऐसे में उससे अर्थदंड की राशि कैसे वसूली जाएगी? पीड़ित के चिकित्सा व्यय को कैसे पूरा किया जाएगा। यदि वह व्यक्ति अर्थदंड की धनराशि देने में असमर्थ है तो ऐसे में क्या विकल्प बचता है? अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन पहलुओं की भी समीक्षा की जाए।

महिलाओं पर एसिड हमलों की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और केवल कानून बनाने से इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री डॉ. पुराची थलैवी, अम्मा ने तमिलनाडु में व्यापारियों द्वारा एसिड की बिक्री पर कठोर शर्तें लगाई हैं। इससे एसिड हमलों की घटनाओं में काफी कमी आएगी। तमिलनाडु ऐसा पहला राज्य है जिसने एसिड की बिक्री पर कठोर शर्तें लगाई हैं। दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की घटना के पश्चात तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के इस जघन्य कृत्य पर रोक लगाने के लिए बंध्याकरण सहित 13 विशेष उपाय और कार्यवाहियां निर्धारित की हैं।

मुंबई उच्च न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले में सुनवाई करते हुए तमिलनाडु की सरकार द्वारा किए गए उपायों की प्रशंसा करते हुए उन्हें अभूतपूर्व बताया है और महाराष्ट्र सरकार को विभिन्न प्रकार के बलात्कार के मामलों पर रोक लगाने के लिए तमिलनाडु

[श्री एस. सेम्मलई]

के पदचिन्हों पर चलने की सलाह दी है। यह सलाह केन्द्र पर भी लागू है।

महोदय, सरकार की ओर से कुछ संशोधन पेश किए गए हैं। इसी प्रकार कुछ माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के विभिन्न उपबंधों के संबंध में बहुमूल्य सुझाव और उनमें कुछ संशोधन करने के भी सुझाव दिए हैं। अतः, मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि वह इस संशोधनों पर विचार करें और यदि आवश्यक हो तो विधेयक के उपबंधों में उचित संशोधन करे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : महोदय, मैं सबसे पहले क्रिमिनल लॉ बिल में जो अमेंडमेंट लाए गए हैं, उसका मैं कुछ सजैशन्स के साथ स्वागत करता हूं।

महोदय, आज होम मिनिस्टर साहब ने इस बिल को इन्ट्रोडयूस करते समय यह कहा था कि ऑल पार्टी की कल मीटिंग बुलायी गयी थी। यह बात मंत्री जी ने हाउस में कही है और पार्लियामेंटरी मिनिस्टर ने हाउस के बाहर मीडिया को कहा है कि हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलायी थी। पहली दफा हाउस में और हाउस के बाहर यह कहा गया कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलायी गयी, लेकिन ऑल पार्टीज़ को उस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। यदि कोई इम्पोर्टेन्ट इश्यू आता है तो बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी बुलायी जाती है। प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर भी ऑल पार्टीज़ की मीटिंग हुई है। कश्मीर के इश्यू पर भी ऑल पार्टी मीटिंग हुई है। हम लोग दो तरह से ऑल पार्टी मीटिंग्स को बुलाते हैं। पंहला है, बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में जितनी पार्टीज़ हैं, उनको बुलाते हैं या ऑल पार्टीज़ इनक्लूडिंग सिंगल मैन पार्टी को बुलाते हैं। लेकिन पहली दफा इस तरह से जो किया गया है, हम इसका विरोध करते हैं। सरकार को इस तरह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इतने महत्वपूर्ण इश्यू पर नहीं अपनानी चाहिए।

महोदय, विमेन के साथ जिस तरह से देश में रेप की घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं आज से ही नहीं हो रही हैं। दिल्ली रेप कांड के बाद हमारी आंखें खुली हैं। लेकिन इसके पहले भी घटनाएं हुई हैं। दिल्ली में गीता और संजय चौपड़ा नाम के दो बच्चों को वर्ष 1978 में किडनैप किया गया था और उनके फादर से रेनसेम एमाउंट मांग कर गीता का रेप कर दिया था। इसके लिए बिल्ला और रंगा को हैंग किया गया था। ऐसा नहीं है कि पहले से कानून नहीं है। कानून है, मगर उसके इम्पलीमेंटेशन में बहुत प्राब्लम्स हो रही हैं। इसमें सबसे ज्यादा बुरी बात यह है कि बिल्ला-रंगा को हैंग करने के बाद उनके ऊपर तेलुगु, तमिल और हिन्दी में फिल्म्स आयी थीं। बिल्ला-रंगा के ऊपर जो फिल्म बनी थी, उसमें जो हीरो है, एक हीरो तो अभी कैबिनेट मिनिस्टर भी है। मेरा प्वाइंट है कि इस तरह के जितने भी कांड होते हैं, उन पर पिक्चर बनाना एलॉऊ नहीं करना चाहिए। कल को निर्भय के ऊपर भी पिक्चर बना सकते हैं। हमारा सैंसर बोर्ड क्या कर रहा है? गवर्नमेंट की नीतियों के कारण यह सब हो रहा है। इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए।

महोदय, इस बिल में कई अमेंडमेंट्स आए हैं। 16 से 18 साल वाले एक अमेंडमेंट के बारे में काफी बातें हुई हैं। हफ्ता-दस दिन से इस पर मीडिया और सभी जगह चर्चा हो रही है। हमारे होम मिनिस्टर ने आज ही एक प्रश्न संख्या 303 के उत्तर में बहुत क्लीयरली कहा है- एनसीपीसीआर की वजह से हम लोगों ने 16 से 18 को चैंज कर दिया है। लेकिन एनसीपीसीआर की वजह से चैंज किया है तो क्यों कर रहे हैं? इस पर आपको पहले सजैशन्स लेने चाहिए थे। आपने यह ऑल पार्टी मीटिंग क्यों की? इस तरह से मीडिया के अंदर इनकी चर्चा की क्या जरूरत है? आज के स्टार्ड क्वैश्चन नं. 303 का रिप्लाई है। इस तरह से सरकार क्यों कर रही है? यह नहीं होना चाहिए। गलत इश्यूज का इस तरह से प्रोपैगेंडा नहीं होना चाहिए। अभी तो हमारे कुलीग ने वूमेन के ऊपर जो एसिड अटैक्स होता है, उसके ऊपर बात की है। हमारे आन्ध्र प्रदेश में भी पांच-छः साल पहले एक गर्ल स्टूडेंड के ऊपर एसिड अटैक हुआ था। उस समय चार लड़के जब एसिड डाल कर भाग रहे थे तो उन्हें एनकाउंटर में मारा गया। वे तो मर गए पर एसिड अटैक की जो विक्टिम है वह बहुत suffer कर रही है। वे लड़के तो मर कर बच गए और यह विक्टिम तो जी कर मर रही है। एसिड अटैक में उस विक्टिम को प्रोटैक्ट करने के लिए इस बिल में प्रॉपर प्रोवीजन्स नहीं हैं। इसके बारे में सोचना चाहिए। एक अच्छी पुलिसिंग सिस्टम के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, केवल प्वायंट्स बता दूंगा।

मुझे मालूम है कि हमारी पार्टी को बहुत कम टाईम मिलेगा। इसी तरह से, वूमेन के बारे में जिस तरह से एडवर्टईजमेंट आ रहे हैं, उन पर प्रॉपर कंट्रोलिंग सिस्टम होना चाहिए। ज्यूडिशिएल रिफॉर्म्स भी होने चाहिए। जस्टिस वर्मा जी के जो रिकमेंडेशंस हैं जो आज के बिल में इश्यूज रेज किए गए हैं, अगर उन्हें ज्यूडिशिएल रिफॉर्म्स

के साथ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रियेट नहीं करेंगे तो लॉ बनाने के बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। उसे भी देखना चाहिए।

सबसे ज्यादा मोरल एजुकेशन को प्रोमोट करना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को बनाना चाहिए। अभी मुलायम सिंह साहब ने उस इश्यू को अच्छी तरह से रेज किया है। लॉ का मिस्यूटीलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इसे भी बिल में कवर करना चाहिए।

इसी के साथ अभी सुप्रिया जी ने बहुत अच्छी तरह से बातों को रखा है। यह विधेयक महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। इसके लिए तो हम लोग 100% वोट डालेंगे। मगर, लॉ का मिस्यूटीलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ इस बिल में जो भी अमेंडमेंट्स हैं, इसे करेक्ट करते हुए हम लोग इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल) : महोदय, सर्वप्रथम, मेरा यह कहना है कि यह मुद्दा कोई महिला मुद्दा नहीं है। यह अकेला महिला मुद्दा या एकमात्र महिला मुद्दा नहीं है, यह अपराध का एक मुद्दा है; वह अपराध जो इस देश में महिला के ऊपर किया जाता है।

मुझे विश्वास नहीं होता है, मेरी युवा मित्र यहां नहीं है, वह विकसित देशों को एक प्रमाणपत्र दे रही थीं कि मानों महिलाएं वहां में बहुत सुरक्षित हैं। नहीं। मैं विदेशी समाचारपत्रों को देखता रहा हूं; महिलाएं पूरे विश्व में असुरक्षित हैं। सम्पूर्ण विश्व में, महिलाएं असुरक्षित हैं और उनके सम्मान पर, चाहे जिस रूप में हो, केवल लैंगिक रूप में नहीं, पूरे विश्व में हमला होता है। इसलिए, हमें ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि मुंबई दिल्ली से अच्छा है और दिल्ली बंगलुरु से अच्छा है। यह भी सत्य है कि भारत अपराधियों का देश नहीं है। भारत में दुनिया की किसी भी जगह की तुलना में अधिक अत्याचार होते हैं। हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि भारत में सभी पुरुष खतरनाक हैं। प्रश्न है, यह निश्चित रूप से अक्षम्य है क्योंकि भारत में महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं।

हम अत्याचार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसका कारण बहुत बड़ा है और सभा में हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें कुछ मात्रा में गंभीरता और पवित्रता होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि, इससे संसदीय संकल्प-भारत की राजधानी के साथ-साथ देश में महिलाओं पर बढ़ते हुए अपराध से लड़ने के संसद के संकल्प का संकट मिलता है।

महोदय, हम अत्याचार पर सामान्य रूप से चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि अत्याचार का विस्तृत आयाम होता है। महिलाओं पर अत्याचार सामाजिक है; महिलाओं पर अत्याचार आर्थिक है, महिलाओं पर अत्याचार दिखाई देता है; महिलाओं पर अत्याचार दिखाई नहीं देता है। परिवार में महिलाओं पर अत्याचार होता है, गलियों में भी महिलाओं पर अत्याचार होता है। हम अत्याचार के वृहद रूप पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम एक विशेष प्रकार के अत्याचार, अर्थात बलात्कार, हमले, छेड़छाड़ और बर्बरतापूर्ण हमले के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

यही विषय है। मैं सहमत हूं कि यह सरकार द्वारा उठाया गया एक अच्छा कदम है परन्तु यह देर से उठाया गया कदम है क्योंकि इस ब्रिटिश-निर्मित कानून को काफी पहले ही बदल देना चाहिए था। परन्तु देर आये दुरूस्त आये; आपने इसे कर दिया। आपने इसे क्यों किया? हम इस पर खुलकर चर्चा करते हैं। सरकार को तब समझ में आया जब दिल्ली में कुछ हुआ क्योंकि वहां कैंडेल लाइट मार्च हुआ, क्योंकि वहां युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसलिए, इन कारणों से सरकार को महसूस हुआ कि कुछ हुआ है। परंतु, हमें यह भी याद रखना है कि दिल्ली में कानून को कार्यान्वयन करने की सबसे बड़ी मशीनरी होने के बावजूद भी, दिल्ली में अपराध की घटनाएं सर्वाधिक हैं। दिल्ली अपराधियों की राजधानी है, केवल राजनीतिज्ञों की ही राजधानी नहीं है।

यह अच्छी बात है कि सरकार को यह मान हो गया परंतु, 2014 का चुनाव नजदीक होने के कारण इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। इसलिए, यह अच्छा है कि उन्होंने इसे कर दिया।

सभापति महोदय : दासगुप्त जी, अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, मैं श्री मुलायम सिंह से सहमत हूं कि देश में कानून पर्याप्त हैं। हमारे पास पर्याप्त कानून हैं, परंतु समस्या कानून के न लागू करने की है। कानून को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है।

देश हिल गया है क्योंकि दिल्ली में कुछ घटित हो गया। देश कांप गया है परन्तु आदिवासी महिलाओं के बारे में क्या ख्याल है? दलित महिलाओं के बारे में क्या ख्याल है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में क्या ख्याल है? सत्ता के केन्द्र से काफी दूर होने वाले अत्याचार के बारे में क्या ख्याल है जिनको समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जाता, क्या उससे राष्ट्र का मनोबल नहीं गिरता? इसलिए, आपको भी अवश्य महसूस करना चाहिए, कई अवसरों

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

पर, महिलाएं विरोध नहीं करती हैं क्योंकि उनके पास विरोध करने की शक्ति ही नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, उनके पास प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि वे मुंह नहीं खोलती हैं। उन्हें अपनी नौकरी छूटने का डर होता है। यह कार्यस्थलों में होता है। उन्हें घर से निकाले जाने का डर होता है। उन्हें अपना चेहरा खोने का डर होता है। हमें समस्या को इसके बहुआयामी स्वरूप में देखना चाहिए।

इसलिए, अपराध को लागू नहीं किया जा सकता है। मैं कार्यान्वयन के बारे में बोल रहा हूं। यदि कार्यान्वयन के लिए विस्तृत तंत्र नहीं होगा तो यह सिर्फ कागज पर ही रह जाएगा। सत्तापक्ष यह दावा कर सकता है कि हमने तुरंत कार्यवाही की और एक कानून पारित करवाया। परंतु, यदि कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त, प्रभावी तंत्र नहीं होगा तो यह कागज पर ही रह जायेगा। यहां तक कि दिल्ली में भी नहीं है। इसीलिए कानून के कार्यान्वयन के साथ साथ महिलाओं का सशक्तीकरण भी आवश्यक है। यदि महिलाओं को अधिकारिता नहीं प्रदान किया जाएगा, तो यह कागज पर ही रह जायेगा।

बात यह है कि इस देश में अपराधी कानून से नहीं डरते। बहुत से बल्कि अधिकांश कानूनों का उल्लंघन किया जाता है। अपराधी केवल तभी डरते हैं जब वे देखते हैं कि देश में एक कठोर प्रर्वतन एजेंसी है और पूरा राष्ट्र अपराधों को रोकने के लिए चाहता है। किंतु ऐसा नही है। मैंने अपने देश में ऐसा नहीं देखा जबकि माननीय मंत्री जी, जो इस समय अपने कागज पढ़ रहे हैं और अक्सर सदन में पूरा समय पढ़ते ही रहते हैं, को यह समझना चाहिये। समाधान क्या है? महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिये वे किस प्रकार का प्रर्वतन तंत्र स्थापित करने जा रहे हैं। अपराधी तभी डरते हैं जब कानून पूरी तरह से लागू किये जाते हैं। कानूनों को लागू करने और सशक्तीकरण के साथ-साथ एक सामाजिक आंदोलन की भी आवश्यकता है। महिलाओं को सामाजिक बुराईयों की दलदल से बाहर निकालने के लिये एक आंदोलन की आवश्यकता है। यदि राजनैतिक दलों के नेता कानून बनाने उन्हें लागू करने के साथ साथ इस आंदोलन का आरंभ नहीं करते तो यह सब कागज़ों पर ही धरा रह जायेगा।

महोदय, महिलाओं के उत्पीड़न को रोने के साथ साथ हम उनके प्रति किये जाने वाले भेदभाव का भी विरोध करें। इस विधेयक में उस भेदभाव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। महिलाओं के व्यापारिकरण के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं कहा गया है। इस देश में महिलाओं को व्यापार की वस्तु किसने बनाया है। इसके लिये किसे दोषी माना जाए। सरकार इतनी निष्क्रिय क्यों है? देश में महिलाओं को विपणन की वस्तु बना दिया गया है। यह अत्यंत शर्मनाक है। अत: इसे राजनैतिक रंग न देते हुए और राजनैतिक लाभों को परे रखकर हमें इस विधेयक को पारित करना चाहिये। यह पूरे देश में प्रर्वतन हेतु एक प्रभावशाली तंत्र स्थापित करने, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कार्यक्रम लागू करने और देश में एक सुदृढ़ जनमत तैयार करने के लिये संसदीय संकल्प की शुरूआत होनी चाहिये। यह सब करके ही महिलाओं के गौरव की रक्षा की जा सकती है। केवल श्री शिंदे द्वारा संसद से विधेयक पारित करने का आग्रह करके ऐसा नहीं होगा केवल विधेयक लाना पर्याप्त नहीं हैं वास्तव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अनिवार्य यह है महिलाओं को उनके प्रति हो रहे अपराधों से सुरक्षित करना और पूरे देश में इसके लिये प्रयास किये जाने चाहिए।

इस सभा की अध्यक्ष एक महिला है। विपक्ष की नेता भी महिला है और सत्त दल को नेता भी महिला है। जब ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं विराजमान हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह विधेयक केवल कागजों पर ही नहीं रहेगा बल्कि आज महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिये एक उचित "बैक अप" तंत्र की स्थापना भी करेगा।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा) : धन्यवाद, महोदय 16 दिसंबर, 2012 को एक युवा लड़की का निर्मम ढंग से बलात्कार हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर रख दिया। जो कुछ देश में घटित हुआ उसे सब लोगों ने देखा। किंतु महोदय इससे भी अधिक आश्चर्यजनक और दुखद यह है कि सरकार द्वारा इस दुखद और घृणित घटना का नाटक के रूप में मंचन किया जा रहा है। उन्होंने अच्छा काम करने के लिये पुलिस आयुक्त की पीठ थपथपाई। जबकि पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में इस घृणित घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों को न केवल पीटा गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया बल्कि पानी को तेज बौछारों से उन्हें भगाने का प्रयास भी किया गया। कैसे पुलिस द्वारा कुछ नहीं किया गया।

महोदय, हमने टी.वी चैनलों पर दिल्ली की मुख्य मंत्री को आंसू बहाते हुए देखा। और जब माननीय गृह मंत्री जी ने उत्तर देने का साहस किया तो समाधान यह दिया कि बसों में पर्दे न लगाये जाएं, शीशे काले न हो और बसों में बिजली की पूरी व्यवस्था हो। इन सब बातों से लगता है कि सरकार मामले के प्रति पूरी तरह से गंभीर नहीं है, जिस तरह से इस मामले को लिया जाना चाहिये सरकार उस

तरह से इसे नहीं ले रही। जैसा कि मुझसे पहले बोल रहे वक्ताओं ने कहा है आज देश में विशेष रूप से दिल्ली में जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, उनके कारण जो हमारी राजधानी है, नेशनल कैपिटल है, अब रेप कैपिटल आफ दी वर्ल्ड बन गई है। महोदय, इस घटना से गुस्साये हजारों युवा जो सड़कों पर उतर आये थे, उन्हें शांत करने के लिये सरकार ने आसान रास्ता चुना और मुद्दे से ध्यान हटाने के लिये कहा कि महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिये किस प्रकार के कठोर नियम बनाए जाएं इस संबंध में सुझाव प्राप्त करने के लिये हम जस्टिस वर्मा समिति का गठन किया जायेगा।

महोदय, जस्टिस वर्मा समिति ने अच्छा काम किया और एक महीने में ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी किंतु शोचनीय बात यह है कि सरकार ने केवल वे सुझाव लिये जो वे चाहते थे, शेष सिफारिशें छोड़ दीं।

महोदय, आज दुखद बात यह है। जब पूरे राष्ट्र का ध्यान दिल्ली और उससे कुछ सप्ताह पूर्व, 4 दिसंबर को हुए बलात्कार पर भी तब सरकार इस विधेयक यानी दंड-विधि (संशोधन) विधेयक लेकर आई थी परंतु मैं दिखना चाहता हूं कि अपराध करने वाले इस सरकार द्वारा बनाने जा रहे कानूनों के बारे में कितने गंभीर थे। 16 दिसंबर को निर्भया का मामला हो गया। महोदय, निर्भय का मामला ही नहीं बल्कि मेरे पास समाचार-पत्र की कतरन है जिसमें कहा गया है कि निर्भय के मामले के बाद जब पूरी दुनिया दिल्ली को देख रही थी, तो 2012 के पिछले 15 दिनों में निर्भय के मामले के बाद नई दिल्ली में बलात्कार के 40 और मामले हो गए। इससे पता चलता है कि सरकार द्वारा कानून के कार्यान्वयन को कितना गंभीरता से लिया जाता है।

महोदय, उसके बाद सरकार जनता की नाराजगी से बचने के लिए एक अध्यादेश लाती है। महोदय, अध्यादेश का यह असर हुआ कि दिल्ली में अध्यादेश आने के पश्चात 150 बलात्कार हुए। मेरे पास एक समाचार की रिपोर्ट है जो दिखाती है कि 2012 में दिल्ली में प्रतिदिन दो बलात्कार होते थे और इस अध्यादेश के आने के बाद दिल्ली में चार बलात्कार प्रतिदिन होने लगे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्रीमती हरसिमरत और बादल की बात को छोड़कर और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदय, सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को कितनी गंभीर है, कानून का कोई भय नहीं है और यह इस बात के बावजूद है कि दिल्ली पुलिस सीधे सरकार और गृह मंत्री के अधीन आती है जोकि यहां बैठे हैं।

महोदय, इन सब चीजों के बाद मैं समझती हूं कि उस घटना के बाद सबसे बड़ा मजाक आयु के संबंध में हो रहा है। पहले, हम एक संशोधन लाते हैं कि 16 वर्ष से 18 वर्ष हो गई है, फिर यह बात उठती है कि इसे 18 वर्ष से कम करके 16 वर्ष किया जाना है। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि किस आधार पर सरकार इस पर बिल विचार किए निर्णय लेती है।

महोदय, मेरा कहना है कि जब सरकार ने सहमति से सेक्स की आयु घटाकर 16 वर्ष करने का प्रस्ताव किया है; आज हम ऐसे राष्ट्र में रहते हैं जहां हमारे स्कूलों में सेक्स शिक्षा नहीं है, हमारे स्कूलों में गर्भ-निरोध के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती किंतु हम 16 वर्ष की आयु में कानून दे रहे हैं कि आज सेक्स में लिप्त हो सकते हैं, यह आपका अधिकार है और कोई पुलिस, कानून, माता का पिता और कोई स्कूल आपको नहीं रोक सकता। महोदय, क्या हम यह नही सोचते कि जब युवा स्वयं को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे तो इस कानून के क्या परिणाम निकलेंगे। क्या टीन-एज गर्भावस्था की घटनाओं में वृद्धि नहीं होगी। महोदय, क्या एचआईवी और सर्वाइकल कैंसर के मामलों में वृद्धि नहीं होगी? हम 16 वर्ष की लड़की को क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं: आप 18 वर्ष की आयु तक विवाह नहीं कर सकती परंतु 'हां' जब तुम 16 वर्ष की हो जा तो सेक्स में भाग ले सकती हो और यदि तुम गर्भवती हो जाओ तो या तो तुम नाजायाज बच्चे को जन्म दो, जिसका भविष्य हम नहीं जान सकते कि इससे हमारे समाज के सामाजिक ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अथवा तुम बार-बार गर्भपात कराओ जिससे सब तरह की बीमारियां होती हैं जिन्हें सब समझ सकते हैं।'' इसलिए, क्या 16 वर्ष की आयु के पीछे यही सोच है?

महोदय, हम अक्सर समाचार पत्रों में देखते हैं कि कैसे वृद्ध लोग हमारे देश में आते हैं और वे एक गरीब परिवार में जाते हैं और अपनी 18 वर्ष की लड़की का विवाह करते हैं। इसलिए हम अब किस चीज को वैध बना रहे हैं। अब बूढ़ा आदमी आकर गरीब परिवार को कुछ हजार रुपए देकर उनकी 16 वर्ष की पुत्री से सहमति से सेक्स कर सकता है और इसे कानूनी रूप दिया जा रहा है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती हरसिमरत कौर बादल]

महोदय, दूसरी ओर हम ऑनर किलिंग की बात करते हैं, जहां अंतरजातीय विवाह का परिणाम मौके पर ही ऑनर किलिंग के रूप में निकलता है। अब, जब कोई 16 वर्ष की आयु में इस सबमें शामिल होता है तो क्या आप सोचते हैं कि ऑनर किलिंग कम होगी या इसमें और वृद्धि होगी? महोदय, मुझे समझ नहीं आता कि जब कोई सरकार किसी कानून को लागू करने का निर्णय लेती है तो इसे इसके परिणाम के बारे में भी सोचना चाहिए। और मीडिया का जो दबाव है और पश्चिमी देश जो सोचते हैं उसी पर ध्यान देते हुए इतने ओके मत बनिये। हमें अपने देश की भौगोलिक स्थिति और अपने लोगों की सोच को भी देखने की जरूरत है।

अत: महोदय, मैं इस विधेयक, जो अंतत: प्रस्तुत कर दिया गया, की सराहना करता हूं किंतु मेरे विचार से और अधिक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मैं कुछ परिवर्तनों का सुझाव देते हुए एक सकारात्मक सोच के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

महोदय, सर्वप्रथम, मैं कहना चाहता हूं कि धारा 326(ग) जो एसिड हमले से संबंधित है, में इस अध्यादेश के सभी कानूनों का उल्लेख किया गया है। मैं एसिड हमले के भय में जीवन जीने की वेदना हूं। यदि आप लड़के की बात नहीं मानते, *[अनुवाद]* क्या आप उस तरह से भय में जीने की वेदना से अवगत है। एसिड हमलें के डर से आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप काम पर नहीं जा सकते। इस अध्यादेश या कानून में कुछ नहीं है केवल यह कहा गया है कि यह अपराध दंडनीय है। अत:, महोदय, मैं चाहता हूं कि इसका पुनरावलोकन कर एक और संशोधन किया जाए।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदय, कुछ बातें कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी।

आईपीसी की धारा 354 पीछा किये जाने से संबंधित है। मैं दो किशोर लड़कियों के साथ-साथ एक लड़के की मां भी हूं। यदि मैं अपनी और अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिये कानून चाहती हूं तो मैं अपने बेटे और अन्य लड़कों की सुरक्षा के लिये भी कानून चाहूंगी। पीछा करने के संबंध में मेरा विचार है कि यह कानून अनिवार्य है किंतु इसकी भाषा को और अधिक कड़ा करने की आवश्यकता है। इस कानून में कहा गया है:—

"किसी भी प्रकार से किसी महिला पर नजर रखना या जासूसी करना"

आप "नजर रखना" शब्द की व्याख्या किस प्रकार करेंगे? कानून में इसकी व्याख्या किस प्रकार की गई है। मुझे लगता है इस शब्द का दुरूपयोग होने की बहुत अधिक संभावना है। अत: भाषा को कठोर बनाया जाना चाहिये ताकि इसका दुरूपयोग न हो क्योंकि इस कानून के संबंध में सबसे बड़ा खतरा यही है और बहुत से लोग ऐसा ही सोच रहे है।

अब मैं आईपीसी की धारा 370 के बारे कहना चाहूंगी जो मानव व्यापार के संबंध में हैं। अक्सर सुनन में आता है कि पुरुष शादी करके अपने पत्नियों को देह व्यापार में धकेल देते हैं। इस विधेयक में गोद लिये गये बच्चों और पतियों द्वारा देह व्यापार में धकेली गई महिलाओं के बारे में उल्लेख किये जाने की भी आवश्यकता है। इस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है और इसका उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

महोदय, अंतिम किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि आई.पी.सी की धारा 375 जिसमें शारीरिक रूप से विकलांग मानसिक रूप से नि:शक्त अपंग लड़कियों ऑल के बारे में उल्लेख किया गया है, में बलात्कार की परिभाषा का वर्णन नहीं है। ये ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती। यह कहा जाता है कि 97% महिलाओं के साथ बलात्कार करने उनके जानकार ही होते हैं। ये महिलाएं अपने परिवार में इस प्रकार के घृणित अपराधों का सामना करना पड़ता है वे किसी को बता भी नहीं पाती क्योंकि वे मानसिक रूप से कमजोर या निशक्त हैं। अत: इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाए जाने चाहिये क्योंकि ये महिलाएं स्वयं आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहना चाहती हूं कि एक हजार मील की लम्बी यात्रा में वह केवल पहला कदम है। देश में घर के अंदर और बाहर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये हर तरह के प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण) : सभापति जी, आईपीसी, वही आईपीसी है जो अंग्रेजों ने बनाया था, जिसे हम लोग ले कर चल रहे हैं। आईपीसी में संशोधन कर के, दिल्ली में जो घटना बलिया की बेटी के साथ,

भारत की बेटी के साथ घटी उसे ले कर सारा देश इकट्ठा हो गया, नौजवान से ले कर, बच्चियां, महिलाएं, सिविल सोसायटी से ले कर पत्रकार सभी इकट्ठे हो गए और हम लोगों का ध्यान उस तरफ गया। मैं दामिनी के गांव बलिया में गया था। मैं यूपी के मुख्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं। अखिलेश यादव दूसरे दिन वहां गए और उस गांव के लोगों और परिवार से मिले, उन्होंने 25 लाख रुपए दिए। मैडम सोनिया गांधी जी ने भी उस के परिवार के साथ अपनी हमदर्दी को व्यक्त किया। मैं भी वहां गया था। मैंने कहा कि मेरा दामाद पायलट है। सिंगापुर से दामिनी की बॉडी लाने विक्रम यादव गया था। नाम लेना ठीक नहीं है लेकिन बच्ची मर गई। वह मिडल क्लास की थी।

महोदय, यह जो सारा ध्यान गया, देश के जिस कानून पर विचार करने, पास करने के लिए हम यहां बैठे हैं, हम होम मिनिष्टर साहब और सरकार को धन्यवाद देते हैं कि इसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी, हम लोग जुटे थे, पहले शादी की उम्र 21 वर्ष थी उसको 18 वर्ष किया गया और यह जो 16 लाया गया है, यह हमारी बेटियों की बिल्कुल कच्ची उम्र है उनको इस उम्र में बिल्कुल भी मैचुरिटी नहीं है। हम लोग विचार कर के इस को लाए थे, पता नहीं कौन-कौन विद्वान लोग इस में लगे रहते हैं। हमारी राय अगर मानी जाए तो शादी की उम्र 21 साल रहनी चाहिए। लेकिन इस 16 साल को, जेटली जी इस हाउस में नहीं हैं, सुषमा जी उपस्थित थीं, सब लोगों की राय थी कि 16 वर्ष की जगह 18 वर्ष कर दिया जाए। सरकार ने और सभी दलों ने 18 वर्ष मान लिया लेकिन हम लोगों ने भारी ऑब्जेक्शन उठाया कि घूरना, झांकना, इसका मिसयूज होगा, इसको आप दर किनार करिए। यह अंतिम कानून नहीं है। अगर फिर जरूरत पड़ी तो यह पार्लियामेंट है, लॉ मेकिंग बॉडी है, हम समय-समय पर इसमें परिवर्तन करेंगे। हम इस चीज को लाएंगे। मैंने, एसपी और सब लोगों ने घूरने, झांकने, पीछा करने के बारे में सुझाव दिया कि हैबिचुअल घूरने वाले व्यक्ति वाले व्यक्ति के लिए पांच साल की सजा का प्रावधान कीजिए। बिल में पहले झांकना, घूरना, छूना आदि के लिए के लिए अलग प्रावधान था। यह बहुत खराब बात है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। दिल्ली में जो फंक्शन होता है, उसमें बड़े हाई-फाई लोग जुटते हैं, पहली पंक्ति के नेता जुटते हैं।

महोदय, आपने देखा होगा कि लोग महिला से गले मिलते हैं। हम बिहार के लोग, मुझे किसी महिला से हाथ मिलाने की हिम्मत नहीं होती। पहले इसमें गड़बड़ की काफी गुंजाइश थी। इसका मिसयूज होता। हमें आवेश में आकर कोई गलत काम नहीं करना चाहिए कि अगर पुलिस अधिकारी एफआईआर नहीं लिखता तो उस पर केस होना चाहिए। इस तरह सबको एफआईआर में डाल दिया जाएगा, योगी जी को डाल देगा, जान छुड़ाते रहिए। इसलिए हीनियस क्राइम के बारे में हमारा दल और पूरा हाउस पहले से ही है। जैसे दामिनी, भारत की बेटी के साथ हुआ, इस तरह के घृणित अपराध में फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। लोगों को डर ही नहीं है। आप कानून बनाइए।...*(व्यवधान)* आर्डिनैंस था। कानून बनाने के बाद बड़े पैमाने पर रेप की घटनाएं हुई हैं। अखबार में आया था कि एक बाप ने अपनी बेटी के साथ रेप किया। दो साल की बच्ची के साथ पड़ोसी ने रेप किया। यह हालत है। कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इसके लिए जन-आंदोलन करना पड़ेगा। इसमें साधु-सन्यासियों को आगे आना पड़ेगा। साधु-सन्यासी की क्या बात करें?...*(व्यवधान)* कई आश्रमों में, मैं नाम नहीं लेना चाहता।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप उस तरफ कहां चल पड़े।

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : आप मेरी बात सुन लीजिए। आश्रम में भी कई घटनाएं घटीं। देश के एक संत ने कहा कि जो लोग दामिनी को मार रहे थे, रेप कर रहे थे, हत्या कर रहे थे, अगर लड़की उन्हें भैया कह देती तो उसकी जान बच जाती। यह साधु-संतों का वाणी है। आसाराम बापू जैसे लोग इस देश में है।...*(व्यवधान)* आपने दूसरे माननीय सदस्यों को जितना समय दिया, मुझे भी दीजिए।...*(व्यवधान)* हमें बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : लालू जी, आपको अपने मन से यह शंका हटा देनी चाहिए कि आपके साथ कोई भेदभाव करता है।

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : जब आप अंगुली उठाते हैं तो मैं समझता हूं कि आगे बोलूं या नहीं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : सरकार जो बिल लाई है, हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं। अंग्रेज थे, जिन्होंने आईपीसी बनाया। सबको इसका अध्ययन करना चाहिए। आईपीसी का एक भी ऐसा सैक्शन बता दीजिए

[श्री लालू प्रसाद]

जिसमें भारत की महिलाओं की तरफ से पुरुषों के अगेन्स्ट कोई ऑफेंस हो। अंग्रेजों का भारत की बेटियों के विषय में इतना अध्ययन था। उन्होंने देखा कि भारत की महिलाओं की तरफ से कहीं भी इस तरह की टीज़ का मामला नहीं है। अरब देश, इस्लामिक देश है। अगर काला कानून बनाना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए। अरब, मुस्लिम देश इस तरह का आचरण करने वाले लोगों को गड्ढा खोदकर उसमें खड़ा करके जनता को एक-एक ईंट मारने की इजाजत देते हैं। वहां ऐसे जघन्य काम करने वालो लोगों को ऐसी सजा मिलती है। लेकिन हमारे देश में...*(व्यवधान)* आप सुनिए।...*(व्यवधान)* आप हमारा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं?...*(व्यवधान)* सारे देश के धार्मिक लोग, सभी रिलिजन्स के लोगों द्वारा अननेचुरल ऑफेंस को नॉन कम्युनलिज्म ऑफेंस माना गया था, नॉन बेलेबल माना गया था। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा दिया कि यह अननेचुरल ऑफेंस नहीं है और उसे मान्यता नहीं दी। इस पर हमें जाना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। हम इस चीज को देखते हैं। नेचर ने जो बनाया, उसका उल्टा काम करने वाले लोग...*(व्यवधान)* दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला है। हम लोगों को जाना चाहिए था, विचार करना चाहिए था। सभी धर्म के गुरू लोगों ने कहा कि यह गलत हुआ है, इसे आगे बढ़ना चाहिए।... *(व्यवधान)* अब क्या होगा, आप जानते हैं?...*(व्यवधान)* जो है, ठीक है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप क्रॉस टॉक मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : हमें मजबूती से लड़ना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह मैटर सब-ज्यूडिस है, इस पर चर्चा काने की कोई जरूरत नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : भारत की बेटी, भारत की नारी, नारी नहीं है। भारत की नारी चिंगारी है। झांसी की रानी से प्रेरणा लेकर भारत की नारियों को खड़ा होना पड़ेगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि ऐसे मामले में जो वातावरण खराब होता है, खुजराहो और कोणार्क में सूर्य मंदिर पर जो नंगी तस्वीरें है, क्या आप उन्हें कवर करेंगे, बंद करेंगे, इसे रखेंगे?...*(व्यवधान)* वहां जो नंगी तस्वीर बनी हुई है, उसे आप कवर कीजिए।...*(व्यवधान)* वहां बहुत सारी तस्वीरें नंगी हैं। आप उसे रोकिए, क्योंकि इससे कुप्रभाव पड़ता है। इस पर रोक लगानी चाहिए।

सभापति महोदय, हम इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं।

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग) : सभापति महोदय, मैं अपनी बात की शुरूआत करूं, उससे पहले मैं सदन में चार लाइनें कहना चाहती हूं।

मेरा मकसद नहीं है सिर्फ हंगामा खड़ा करना,
मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए,
मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही,
हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जिस विषय पर आज सदन में चर्चा हो रही है, वह बेहद गंभीर विषय है। पूरा देश और इस देश की आधी जनसंख्या जो महिलाओं की है, वह इसे बहुत ध्यान से देख रही है, बहुत आशा भरी निगाहों से देख रही है। मैं इस विषय को सदन में कहना चाहती हूं कि आज हम सबने पूरी चर्चा सुनी है। देश में मीडिया के माध्यम से एक ऐसा वातावरण बना हुआ है कि हर चैनल पर इसी विषय पर चर्चा होती है कि उम्र कितनी होनी चाहिए, कौन से शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए और कौन से शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहती हूं कि महिलाएं हमेशा से बहुत पीड़ित रही हैं। यह सच्चाई है और इसे स्वीकार करना चाहिए। जीवन की राह बहुत रपटीली है और इस रपटीली राह पर संघर्ष करते हुए जब महिला चलती है, तो उसे आगे बढ़ने में कितनी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम बार-बार आरक्षण की बात करते हैं। यह बात भी सत्य है कि केवल हम पीड़ित हैं, इसलिए आप हमें बार-बार मौका दें। लेकिन मैं यह भी कहना चाहती हूं कि मौका हमें बराबरी का दें। हमारे लिए एक स्पेशल बोगी बना दी जाये, हमारे लिए एक अलग से कूपा बनाकर उसमें बंद कर दिया जाये, हम वह नहीं चाहते। इस देश के तात्कालिक प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस विषय पर सदन में कहा था कि भारत की नारी को आज दासी की भी आवश्यकता नहीं है और देवी के रूप में पूजे जाने की भी उसकी मंशा नहीं है। हम यह चाहते हैं कि आप हमें एक मानवी के रूप में पहचान दीजिए। हमारी संवेदनाओं से परिचित होइए और जब मानवी के रूप में आप हमारी संवेदनाओं से परिचित हो

जायेंगे तो मुझे लगता है कि तमाम विषयों पर जो चर्चा चल रही है, वह एक सार्थक दिशा में जायेगी। हर सफर ही एक मंजिल होती है। इस सफर की मंजिल तथी पूरी होती है, जब उसके मजबूत इरादे होते हैं, सही उपाय होते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं यह बात कहना चाहती हूं कि केवल ख्याली पुलाव से और ख्वाबों से हम किसी मंजिल को नहीं पा सकते हैं। यथार्थ की धरातल पर चलने के लिए इस रपटीली राहों से गुजरना बहुत आवश्यक होता है। बलात्कार के विषय पर इस सदन में लगातार चर्चा हुई है, बहुत लोगों ने हास-परिहास भी किये। यह बात भी सत्य है, मैं इस बात को मानती हूं, क्योंकि हम सब परिवारों से आते हैं। जिस परिवार से हम आते हैं, उन परिवारों में भी हमारे यहां भाई हैं, हमारे पिता हैं, कई परिवारों में लोगों के पति हैं और हम यह मानते हैं कि आज हम जहां खड़े हैं, वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से हमारे भाइयों का, हमारे सहयोगियों का, हमारे पुरुष सहयोगियों का हाथ है। लेकिन यह मानसिकता दोनों तरफ से होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को बहुत स्पष्टता से कहना चाहती हूं। यहां पर चर्चा हो रही थी कि इस प्रकार के कानून लागू करने से इसका दुरूपयोग होगा। यह बात भी सत्य है। हर पक्ष सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। लेकिन यह बात भी उतनी ही सत्य है कि जिस महिला को लोग देखते हैं, लोगों के बीच में जब वह उसे कह नहीं पाती है, अपनी पीड़ा को बयां नहीं कर पाती और जब बयां करती है, तो लोगों के चेहरों पर जो मुस्कराहट होती है, उस पीड़ा को वह अंदर ही अंदर पीती है, इस बात को भी इस सदन को स्वीकार करना चाहिए। मैं एक महिला के रूप में खड़ी हुई हूं, इसलिए इस पीड़ा के बारे में कहना चाहती हूं। एक सामान्य परिवार में हम कुछ जगहों पर पहुंच जाते हैं और राजनीति में, मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे आदर्श, जिन्हें हमने राजनीति में हमेशा आदर्श मानकर, हमारी नेता प्रतिपक्ष माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने इस विषय को बहुत पहले लाया था। वर्ष 2011 में उन्होंने इस सदन में एक प्राइवेट मेम्बर बिल लाने की अनुमति चाही थी कि बलात्कार का जो भी आरोपी है, उसे मृत्युदंड की सजा होनी चाहिए। मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि मृत्युदंड की सजा होना चाहिए। हमारे नेता माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने भी इस विषय पर कहा कि बलात्कार का जो आरोपी है, उसे मृत्युदंड की सजा होनी चाहिए। मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि मृत्युदंड की सजा की शुरूआत हुई, वह शुरूआत कहीं से कहीं, कहीं घूमते-घूमते उम्र पर चली गयी। 16 साल होना चाएि या 18 साल होना चाहिए। शब्दों के मायाजाल में हमको बार-बार फंसाया जाने लगा। लेकिन मैं सरकार को भी साधुवाद देती हूं। अपनी मंशा और अपनी नीयत को सरकार ने स्पष्टता के साथ सदन में रखा है। आपने हमारे स्त्रीत्व का जो सम्मान किया है, मैं उसके लिए साधुवाद देती हूं, आपने जो हमारे ममत्व का सम्मान किया है, मैं उसके लिए आपको साधुवाद देती हूं, आपने जो हमारे नारीत्व का सम्मान किया, मैं उसके लिए आपको साधुवाद देती हूं। लेकिन इस अपेक्षा के साधुवाद साथ देती हूं कि बलात्कार की उस घटना, जिसका प्रावधान इस बिल में नहीं है, माननीय सभापति महोदय, यह एक गंभीर विषय है। मैं आपके माध्यम से माननी गृह मंत्री जी से चाहती हूं कि आप इसे जरूर शामिल करें। वे छोटी बच्चियां जो दो साल की हैं, वे छोटी बच्चियां जो चार साल की हैं, जो यह बता भी नहीं सकती हैं कि उनके साथ घटना में क्या हुआ है। उसके साथ बलात्कार होता है। आप किस प्रकार से उसको डिफाइन करेंगे। लोगों के बीच में उसको किस प्रकार का दंड देने का प्रावधान करेंगे। मैं आपसे केवल एक मांग करना चाहती हूं कि जिन बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, उन बच्चियों के लिए इसमें स्पेशल प्रावधान किये जाएं। सभापति जी, उन बच्चियों के साथ जिन्होंने भी बलात्कार किया है, उन्हें तत्काल वहां फांसी की सजा जरूर मुकर्रर की जानी चाहिए। यह हमारी मांग है।

सभापति महोदय, आज सदन में संस्कृति के विषय पर चर्चा हुई थी। मैं चाहती हूं कि हमारे देश की संस्कृति अपनी पहचान है। भारत की संस्कृति को हम सब देखते भी रहे हैं और हम बहनों ने उसे बचाकर भी रखा है। समय के साथ हमारी संस्कृति पर आघात हुआ है। यह बात सत्य है। लेकिन जब संस्कृति पर आघात हो रहा हो, तो हम सब ने भी चुप्पी साध रखी है। आज सरकार यहां पर मौजूद है, पूरे देश के लोग देख रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि उस संस्कृति पर होते हुए खुले आघात को जब हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो उसको रोकने के उपाय हमने कब शुरू किये।

क्या केवल हर चीजें महिलाओं के लिए ही निर्धारित की जाती हैं कि हमें कैसे रहना है, कितनी मर्यादा में रहना है? लेकिन मैं यह मानती हूं कि सादगी और शालीनता अगर हम महिलाओं में है, तो वह हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाती है। लेकिन जो आघात हो रहा है टीवी के माध्यम से, हर घर में, हर चैनल पर बार-बार महिलाओं को इस तरह से दिखाया जाता है कि महिला केवल एक ही काम करती है- लोगों के खिलाफ केवल षडयंत्र करती है, दो महिलाएं मिलती हैं और केवल एक काम की शुरूआत करती हैं। जो विज्ञापन आते हैं, अपने पिता के सामने उनको देखने की हम हिम्मत नहीं

[कुमारी सरोज पाण्डेय]

जुटा जाएंगे। किसी ने कहा है कि भारत को युद्ध के मैदान में हराना शायद आसान है, लेकिन भारत को संस्कृति के मैदान में हराना कठिन है। जिस दिन भारत को हराना कठिन है। जिस दिन भारत को हराना हो, यदि उस दिन संस्कृति के मैदान में भारत को हरा दिया जाए, तो भारत अपने आप समाप्त हो जाएगा। हम कुटुम्ब में रहते हैं। आज पूरे सदन में इस विषय पर चर्चा हुई, बहुत से सहयोगियों ने कहा कि अब हम आपकी ओर नहीं देखेंगे। आज मन बहुत आहत है। मैं इस बात को कहना चाहती हूं कि हम आपके माध्यम से, आपके साथ, आपके सहयोग से खड़े हुए हैं। हम प्रतिस्पर्धा नहीं चाहते हैं, हम बराबरी का हक चाहते हैं। इसलिए बराबरी के हक के लिए जो प्रावधान है, आज आवश्यकता यह है कि जो कानून हैं, वे पर्याप्त हैं, यदि इस कानून के साथ सुशासन आएगा, तो मुझे लगता है कि आज की यह चर्चा सार्थक होगी।

[अनुवाद]

श्रीमती प्रिया दत्त (मुंबई उत्तर-मध्य) : सभापति महोदय, मुझे इस चर्चा में बोलने का अवसर देने के लिये आपका धन्यवाद।

मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। मैं आज इस सदन में यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिये माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। मैंने संसद में सभी वक्ताओं और अपने माननीय सहयोगियों को सुना है और मैं यह कहना चाहती हूं कि एक ऐसे सदन में जहां महिलाएं अल्पसंख्यक है और पुरुष बहुसंख्यक है, मैं यहां उपस्थिति सभी सदस्यों को बधाई देना चाहती हूं जिन्होंने वाद विवाद और चर्चा के दौरान पेदा हुई शंकाओं को होते हुए भी विधेयक का समर्थन किया है। मैं इस अवसर पर प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद देती हूं।

कुछ सदस्यों ने कहा कि यह मामला काफी देर से आया है किंतु मेरा मानना है कि यह ऐसे समय पर आया है जब इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। हम निर्भया कांड की बात करते हैं किंतु यह केवल निर्भया कांड से संबंधित समस्या नही है, केवल दिल्ली में ही ऐसा नहीं होता, यह सब हमारे देश में प्रतिदिन घटित होता है, न केवल दिल्ली में, मुंबई में या मध्य प्रदेश में बल्कि यह प्रत्येक राज्य में घटित हो रहा है।

बलात्कार की घटनाओं से संबंधित बहुत से तथ्य और आंकड़े तो हमें अखबारों या दूरदर्शन से पता चल जाते हैं किंतु ऐसे हजारों मामले हैं जो पता भी नहीं चल पाते। मेरे विचार से इस अध्यादेश से हम बहुत से मामलों का समाधान करने में सक्षम हो पायेगें। हम कानूनों के दुरूपयोग की बात करते हैं। मैं आज सदन से पूछना चाहती हूं कि कौन सा ऐसा कानून है जिसका कभी दुरूपयोग नहीं किया गया हो। जब हम किसी कानून के बारे में मैं बात करते हैं तो उन कानूनों की बात करते है जो देश के अधिकांश लोगों के लिये लाभकारी होते हैं। कुछ लोग हैं जो कानून का दुरूपयोग करते हैं परंतु उसका प्रभाव अधिकांश लोगों पर पड़ता है। अतः हमें यह देखना है कि इस कानून का प्रयोग वहां अवश्य हो जहां इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है अर्थात समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिये।

मैं महानगर में रहती हूं। मैं मुंबई का प्रतिनिधित्व करती हूं किंतु मैं देखती हूं कि भारत एक विशाल देश है जो विभिन्नताओं से भरा है। जो एक शहरी क्षेत्र के लिये अच्छा है वह आवश्यक नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र के लिये भी अच्छा हो। तथापि मैं गर्व से कह सकती हूं कि बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण महिलाएं पहले से अधिक अधिक संख्या में शिक्षित हुई हैं, महिलाएं पढ़ने के लिये शहरों में आ रही है, विभिन्न राज्यों से महिलाएं शहरों में रोजगार पाने के लिये आ रही हैं। हमें इन महिलाओं का सुरक्षा सुनिश्चित करनी है।

सायं 6.00 बजे

ऐसा इसलिए ई क्योंकि जब ये महिलाएं सुरक्षित हों तो वे उन्हें प्रोत्साहित करेंगी जिन्होंने एक बार फिर ऐसा सपना देखने के बारे में सोचा भी नही होगा। हमें अपनी महिलाओं के लिए आज यही चाहिए।

मैं ऐसे शहर से हूं जो एक महानगर है। पूरे राज्य के लोग मुंबई में हैं— युवा लड़कियां पढ़ रही हैं; युवा लड़कियां रेलगाड़ी से यात्रा कर रही है; बहुत सी अकेली लड़कियां किराये के मकानों में रह रही है; और हमारा सबसे बड़ा भय यह है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : महोदय, कृपया एक क्षण के लिए रूकिये। कृपया बैठ जाईये।

माननीय सदस्यों, मेरे पास इस विधेयक पर बोलने के लिए एक और वक्ता हैं। यदि सभा सहमत हो तो माननीय मंत्री के उत्तर सहित चर्चा के लिए समय एक घंटा बढ़ाया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

सभापति महोदय : श्रीमती प्रिया, कृपया अपनी भाषण जारी रखिये और अब अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्रीमती प्रिया दत्त : जब आप कानून के क्रियान्वयन के बारे में बाते करते हैं तो मैं समझती हूं कि कुछ मुद्दे हैं जिनपर हमारे देश में पुलिस सुधारों और न्यायिक सुधारों के माध्यम से विचार करना पड़ेगा।

जब हम 1.2 अरब आबादी के लिए पुलिस के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल नहीं है। हमारे पास एक लाख आबादी के लिए 130 पुलिस कर्मी है जो पर्याप्त नहीं है। वे इस कानून को लागू करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। जब आप फास्ट ट्रैक न्यायालयों की बात करते हैं तो हमारे पास पर्याप्त न्यायालय नहीं है और हमारे पास पर्याप्त न्यायाधीश नहीं हैं। इसलिए, ये ऐसे मुद्दे हैं जब तक हम इनका समाधान नहीं करते तब तक हमारे पास ऐसे अनेक कानून होंगे जिन्हें लागू नहीं किया जाएगा।

यह एक अच्छा कदम है परंतु हमे इस बात पर ध्यान देना होगा कि जब कोई पीड़ित प्राथमिकी (एफ.आई.आर) दर्ज कराने आती है तो हम उसे कैसे संबोधित करते हैं। बहुत कर उनकी प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की जा रही हैं। उसे ऐसे वातावरण में जाना पड़ता है जो अनुकूल नहीं होता। उसका अभी-अभी शोषण और बलात्कार हुआ है और फिर भी उसे एक थाने में जाना पड़ता है जहां एक आदमी उससे पूछताछ करता है। इसलिए, मुझे लगता है बहुत सी चीजें हैं जिनपर हमें विचार करना पड़ता है जैसाकि इसे महिलाओं के लिए और अनुकूल और सुविधाजनक बनाया जाए ताकि महिलाएं जाकर शिकायत दर्ज करा सकें।

मुझे जस्टिस वर्मा समिति को भी बधाई देनी है जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे सुझाव और मांग-पत्र दिए हैं और मुझे पता है कि इन पर बाद में विचार किया जाएगा। भविष्य में इन ढेर सारे मुद्दों पर विचार करने के लिए इस सभा और अपनी सरकार की ओर देखती हूं।

सभापति महोदय : धन्यवाद, श्रीमती प्रिया।

श्रीमती प्रिया दत्त : महोदय, मैं सिर्फ एक ओर बात कहना चाहती हूं। हमारे एक सहयोगी ने कहा है महिलाओं विशेष रूप से यौन शोषण से पीड़ित बच्चों के लिए एक प्रावधान है जोकि अध्यादेश में दिखाई नहीं देता। अधिकतर बलात्कार परिचित लोगों द्वारा और घर के भीतर के लोगों द्वारा किए जाते हैं। हम इसका समाधान किस प्रकार करेंगे? इसे विधेयक में इसे शामिल किया जाना चाहिए। मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

सांय 6.03 बजे

[**डॉ. एम. तम्बिदुरई** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर) : सभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं यह कहना चाहती हूं-

उसूलों पे जहां आंच आए तो टकराना ज़रूरी है
हो जो ज़िंदा, तो ज़िंदा नज़र जाना ज़रूरी है।

मुझे बड़े दु:ख के साथ सारे भारत की नारियों की पीड़ा और व्यथा को सदन में बताना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं इस देश और अवाम को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने हमें याद दिलाया है कि महिलाओं को किस तरह से उनका सम्मान दिलाना है। आज वह मौका आया है कि हम इस सदन में महिलाओं के उत्थान की तो बातें करते हैं, लेकिन आज उनकी रक्षा की बात कर रहे हैं। हमें आज भी 16 दिसम्बर का वह हादसा याद आता है, जो दिल्ली में हुआ था। उस हादसे के बाद, उस अंजाम के बाद भारत माता के सीने में गुनाह करने वालों के खिलाफ जंग लड़ने का काम देश की जनता ने किया है। मैं आज सारी महिलाओं के समर्थन में खड़ी हूं कि किस तरह से उन्हें सुरक्षा का अहसास दिलाना है और किस तरह इस बिल को मजबूती दिलानी है और दिनोंदिन जो रेप के केस बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए सरकार पूरी व्यवस्था करे।

सर, आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां अगर किसी महिला के साथ कुछ घटित होता है तो उस समय पर हमें जो कुछ भी सहायता कानून के आधार पर करनी है, हमें करनी चाहिए। इस समाज में हम बहुत कुछ महिलाओं के लिए सोचते हैं, उनकी पूजा करते हैं। महिला एक मां है, बेटी है, बहू है और उनके उत्थान की बहुत बातें होती हैं लेकिन जब लड़की गर्भ में होती है तभी भ्रूण हत्या के नाम पर विवाद शुरू हो जाता है और अगर वह गर्भ में बच भी जाती है तो बड़े होने पर उसके साथ भेद-भाव शुरू हो जाता है। उनकी

[श्रीमती जयाप्रदा]

पढ़ाई से लेकर, उनके कपड़ों से लेकर सब में भेदभाव होता है, उस समय हम सब बराबरी की बातों को भूल जाते हैं।

16 दिसम्बर की मैं बात करती हूं, दामिनी जो डॉ. बनने का सपना संजो रही थी, मां-बाप सोच रहे हैं कि वह एक दिन डाक्टर बनेगी। वह छोटा सा किसान जो अपनी जमीन बेचकर अपनी बेटी को पढ़ाई करा रहा था। वह शाम को जब घर से बाहर निकली तो उसे मालूम नहीं था कि उसके ऊपर इस तरह का हमला होगा। उस दिन वह अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका दोस्त भी था। लेकिन पुलिस की व्यवस्था, उसे ले जाने के लिए यातायात की व्यवस्था, उसे अस्पताल पहुंचते-पहुंचते दे हो जाना, वह जीना चाहती थी लेकिन उसके साथ जो जुल्म हुआ, फिर भी उसने दुनिया को एक पैगाम दिया कि वह ''निर्भय'' है। लेकिन आज एक निर्भय के साथ नहीं वरन् करोड़ों लोगों के साथ जो रेप हो रहे हैं जिसके कारण दिल्ली को आज ''रेप कैपिटल'' कहा जाने लगा है। मैं केवल इंडियन सिटिजन की ही बात नहीं कर रही हूं वरन् यहां जो टूरिस्ट महिलाएं आती हैं उन पर भी हमले होते हैं। क्या सरकार उन सारे हमलों के आंकड़े दे सकती है? हमारे आदरणीय होम-मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहती हूं कि उन्होंने कितने ऐसे लोगों को न्याय दिलाया है, कितने गुनाहगारों को पकड़ा गया है?

सर, मेरा जन्म आन्ध्र प्रदेश में हुआ लेकिन मैं रामपुर (उत्तर प्रदेश) से सांसद हूं। आदरणीय मुलायम सिंह जी यहां पर बैठे थे। मैं याद दिलाना चाहती हूं कि उन्होंने बताया था कि अगर यहां पर इस तरह का लॉ बनेगा तो महिलाओं और पुरुषों को अलग करने वाली बात हो जाएगी और कभी भी वे मेल-मिलाप नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरी कांस्टीट्युएंसी में, उनकी सरपरस्ती में, उनके नेतृत्व में....* मैं महिला सांसद होकर भी कुछ नहीं कर सकती हूं।...*(व्यवधान)*

श्री नीरज शेखर (बलिया) : आपको पता है आप क्या बोल रहीं हैं? आपने नेताजी की सरपरस्ती में बोला है।...*(व्यवधान)* इन शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाए।...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयाप्रदा : आप मेरी बात सुनो, यह चिल्लाने वाली बात नहीं है।...*(व्यवधान)* ये नेतृत्व कर रहे हैं...*(व्यवधान)* सुनिये, नेताजी के नेतृत्व में भी बोला है मैंने।...*(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि कुछ आपत्तिजनक या असंसदीय है तो हम उसे कार्यवाही क्रांति वृत्तांत से बाहर निकाल देंगें। हम सुनिश्चित करेंगे की हमें निकाल दिया गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा : जो मेरी बात है वह सब मैं बोलूंगी आज। तीन बच्चियों की रेप हुई है।...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश में तीन बच्चियों की रेप हुई है।

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन) : ये सही नहीं बोल रही हैं, इन शब्दों को निकाला जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि कुछ आपत्तिजनक है तो उसका लोप कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा : उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी है, वह सपा की सरकार बनी है। समाजवादी पार्टी का दायित्व बनता है कि वह हर इंसान की रक्षा करे। यहां तो पुरुषों की भी रक्षा नहीं है। कानून के रखवाले की रक्षा नहीं कर सके। छोटी-छोटी तीन बच्चियों के साथ रेप हुआ है। मैंने कितनी बार गुहार लगाई, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। मैंने आदरणीय राष्ट्रपति जी के पास भी गुहार लगाई। अभी तक पांच साल की बच्ची का जो एक्यूज्ड है, उन्हें ये लोग पकड़ नहीं पाए हैं। मैं बताना चाहती हूं कि जितने भी कानून बने...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : महोदया, कानून और व्यवस्थ राज्य का विषय है। अनावश्यक रूप से इसमें न जाए।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा : यह कानून और व्यवस्था की बात है।...*(व्यवधान)* रेप तो रेप होता है, चाहे पांच साल की बच्ची के साथ

हो या किसी बड़ी महिला के साथ हो। हमें इस मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।

महोदय, समाज की सोच है, उसे बदलना चाहिए। हम चाहे जितने भी कड़े कानून बना लें, अगर सोच-विचार नहीं बदलेंगे, तो आज कोई औरत सेफ नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने पहले ही आठ मिनट ले लिए हैं। कृपया समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, महिलाओं को पूजनीय कहते हैं। जब दामिनी का हादसा हुआ, तब नागपुर, लखनऊ, बिहार आदि जगहों से बड़े-बड़े नेताओं ने टिप्पणी की थी। मैं उनका नाम सदन में नहीं लेना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि लड़कियों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। स्कूल में बच्चियां फ्राक नहीं पहनेंगी तो क्या साड़ी पहन कर जाएंगी? आज यह घटना दामिनी के साथ हुई है, कल किसी के बच्चों के साथ भी यह घटना हो सकती है।

महोदय, अब मैं एसिड के बारे में बोलना चाहती हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप मुद्दे पर आइये। बात को मत बढ़ाइये।

श्रीमती जयाप्रदा : यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मुद्दे पर कैसे आ सकती हूं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए।

सभापति महोदय : आपको संक्षेप में कहना होगा। हरेक पांच मिनट ले रहा है परन्तु आपने दस मिनट ले लिए हैं। कृपया समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, लड़कियों के ऊपर एसिड फैंकने के बहुत मामले सामने आ रहे हैं। स्कूल, कालेज जाने वाली बच्चियों पर, नौकरी पर जाने वाली महिलाओं पर एसिड से हमला किया जाता है। मैंने तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश आदि जगहों पर देखा है। जो बच्चियां किसी के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तो उन पर एसिड फैंकने की धमकी दी जाती है। क्या वह बच्ची एसिड के डर से जीएगी या मरेगी? जब चुनाव लड़ने का समय आया था, तो मुझे भी धमकी मिली थी। एसिड के केस में कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि विकटिम को पैसा दिलाया जाए। अगर एक्यूज्ड के पास पैसा नहीं है तो विकल्प क्या है? देश के लिए यह दुखदायी कहानी है। एक्यूज्ड के लिए इसकी सजा तीन साल, सात साल नहीं होनी चाहिए, *[अनुवाद]* इसे मृत्युदंड मानना पड़ेगा।...*(व्यवधान)* यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अकेली हूं। मैं किसी दल से सम्बद्ध नहीं हूं।

सभापति महोदय : अन्य वक्ताओं ने दो या तीन मिनट लिए। अपने दस मिनट लिए हैं। आप और समय चाहती हैं। मैं इतना समय नहीं दे सकता। महोदया, मुझे बहुत खेद है। आपको अध्यक्षपीठ से सहयोग करना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा : महोदया, मैं दूसरी बात कहना चाहती हूं पुलिस वाहन में जीपीएस लगाना। किसी गांव में पुलिस पेट्रोलिंग नहीं है। इसके लिए तुरंत जो एक्शन लेना है, लिया जाना चाहिए। पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ाने की जरूरत है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि आपको कुछ कहना है तो इसे मंत्री को दे सकती हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

सभापति महोदय : श्री शरीक की बात के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक (बारामुला) : जनाबेवाला, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे एक-दो मिनट बोलने का वक्त दिया है। होम मिनिस्टर साहब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट लाए हैं, इसकी अहमियत इफादियत और जरूरत से कोई इंकार नहीं कर सकता है। कवानीन हमारे पास मौजूद हैं, हमेशा रहे हैं। किताबें कानून से भरी हुई हैं लेकिन जराइम की तादाद बढ़ रही है। सरकार को देखना पड़ेगा, होम मिनिस्टर साहब को देखना पड़ेगा कि कानून होने के बावजूद जराइम की तादाद क्यों बढ़ रही है? क्या हमारी नीयत जराइम को रोकने की नहीं है? क्या हमारे पास करप्ट वह एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है जो इस कानून की स्पिरिट को लेकर लाफ एंड आर्डर को ठीक कर ले? क्या हमारे पास करप्ट सिस्टम है इसलिए कानून फेल हो रहे हैं? क्या हमारे पास इंसानी अखलाक खत्म हो गए हैं जिसके हिन्दुस्तानी दावेदार थे? सारे लोग रेप की बात कह रहे हैं। मैं शर्म महसूस कर रहा हूं, इस हाउस में मुल्क की तरक्की की बात कहनी चाहिए। आज हमारा समाज गिर चुका है कि महिलाओं पर रेप की बात हो रही है। हमें शर्म आती है। क्या आज इस मुल्क में कोई गांधी नहीं है? रिफार्मर नहीं है? जो लोगों के ज़हन को बदल दे, जो लोगों के मिजाज को बदल दे, जो लोगों की नीयत को बदल देंगे, लोगों के मिजाज को बदल देंगे, उस अखलाकियात को वापस लाएंगे जो राधा और सीता का अखलाक है, जो राम और कृष्ण का अखलाक है, जो ख्वाजा अजमीरी की अखलाक है। कानून के सहारे यह नहीं चलेगा। जब राम जी ने वनवास से वापस आकर भाई से कहा कि सीता को लाओ। तो किसी न कहा कि भाई सीता को पहचानेगा कैसे? इसने कभी उसकी तरफ देखा ही नहीं है। भाई ने कहा मैं उन्हें पहचानूंगा क्योंकि जब वे चलती थी तो गर्द पर उनके पांव के निशान लगते थे, मैं उन निशानों को पहचान सकता हूं। मुझे वह अखलाक दे दो, बाद में कानून लाओ, मुझे वह समाज दे दो, बाद में कानून लाओ, मुझे वह समाज दे दो फिर बातें करो। सिर्फ बातें करने से नहीं चलेगा, सिस्टम करप्ट है। पुलिस नहीं करने वाली है। ज्यूडिशरी में करप्शन है। आप कैसे कवानीन को पाक करेंगे?

जनाबेवाला, मैं आपसे गुजारिश करूंगा क्योंकि यह ज़ज़बाती मामला है। यह हिन्दुस्तानी महिला की इज्जत और आबरू का सवाल है। यह तमाशा नहीं है। इस पर तबसरे नहीं हो सकते हैं। यह हमारी बहन, मां बौर बेटी की इज्जत का सवाल है और इसके सहारे समाज खड़ा है। मेरे रसूल ने कहा- मां की पांव के नीचे जन्नत है। यह बहन, मां का सम्मान है। यहां तमाम पार्टियों के नेता बैठे हैं, जिनका दावा है कि हम लोगों के दिलों पर राज करते हैं। उठो, एक कैम्पेन चलाओ। एक जिहाद करो और समाज को अहसास दिलाओ कि हम क्या कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि बिल पास होता है मैं इसकी हिमायत करता हूं क्योंकि इसके बगैर कोई चारा भी नहीं है। मैं यह भी कहूंगा कि इंसान को देखकर कानून बनाओ, इंसान को फरिश्ता मत समझो। इंसान की कमजोरियां हैं, इसके जजबात हैं, अहसासात हैं, इसका माहौल है, उस माहौल में पलता बढ़ता है इसलिए गलतियां करता रहता है। हमें उस माहौल को बदलना पड़ेगा, उन एहसासात को भी समझना पड़ेगा, उसके बाद सख्त कवानीन की गिरफ्त उनकी गरदन में डाली जाए। लालू जी ने ठीक कहा था कि जो जुर्म करे, हमारे यहां लिखा है- अल उजना, बिल उजनी, किसी ने किसी का कान काटा, उसका कान काट लो, किसी ने किसी की आंख निकाली, उसकी आंख निकाल लो, किसी ने ऐसा किया तो सड़क पर बैठाकर उसका हाथ काट लो। ताकि वह दुनिया में रुसवा रहे, पता चले यह वह बदमाश है, जिस बदमाश ने हिन्दुस्तान की परम्परा को तोड़ा था, इसलिए आज यह जलील-ओ-ख्वार है।

सभापति जी, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया हूं। मैं यह कहूंगा कि इस वक्त सिर्फ इलैक्शन को नजर में रखकर कवानीन नहीं बनाना है, आप घबराये वहां मसला हुआ, घबरा-घबरा कर आज सबने कहा कि आप आगे जाएं, सबने बयान देने शुरू कर दिये। समाज को बदलने के लिए जल्दबाजी नहीं होती है। समाज बदलने के लिए सब्र, तहम्मुल, दानिशमंदी, अक्लमंदी और मुसलसल कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं समझता हूं कि आपमें इसकी हिम्मत है और आप ऐसा कर पायेंगे।

"वह वक्त भी देखे हैं, तारीख की गलियों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई है"।

جناب شریف الدین شارق (بارہمولہ): محترم چیئرمین صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بھی ایک دو منٹ بولنے کا وقت دیا ہے۔ جہاں تک اس کریمنل لا امینڈمینٹ بل، جو آپ لے کر آئے ہیں، اس کی اہمیت، افادیت اور ضرورت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قوانین ہمارے پاس موجود ہیں، ایکٹس رہے ہیں، کتابیں قانون سے بھری ہوئی ہیں، لیکن جرائم کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ سرکار کو دیکھنا پڑے گا، ہوم منسٹر صاحب کو دیکھنا پڑے گا کہ قانون ہونے کے باوجود جرائم کی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیا ہماری نیت جرائم کو روکنے کی نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ انتظامیہ وہ ایڈمنسٹریشن نہیں ہے جو اس قانون کی اسپرٹ کو لے کر لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کر لے۔ کیا ہمارے پاس کرپٹ سسٹم ہے اس لئے قانون فیل ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس انسانی اخلاق ختم ہو گئے ہیں جن کے ہم ہندوستانی ٹھیکیدار تھے۔ سارے لوگ ریپ کی بات کر رہے ہیں، میں شرم محسوس کر رہا ہوں، اس ایوان کو ملک کی ترقی کی بات کرنی چاہئے۔ آج ہم اتنے گر گئے ہیں، ہمارا معاشرہ اتنا گر گیا ہے کہ آج خواتین پر ریپ کی بات ہو رہی ہے۔ شرم آتی ہے۔ کیا آج اس ملک میں کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی ریفارمر نہیں ہے جو لوگوں کے ذہن کو بدل دے، جو لوگوں کے مزاج کو بدل دے، جو لوگوں کی نیت کو بدل دے، جو لوگوں کے سوچنے کے انداز کو بدل دے۔ کیا آج وہ نہیں ہے؟ جب تک وہ پیدا نہیں ہوں گے، لوگوں کی سوچ کو بدل دیں گے، لوگوں کے مزاج کو بدل دیں گے، ان اخلاقیات کو واپس لائیں گے جو رام اور سیتا کا اخلاق ہے، جو رام اور کرشن کا اخلاق ہے، جو خواجہ اجمیری کا اخلاق ہے، اسے واپس لائیں گے۔ قانون کے سہارے یہ نہیں چلے گا۔ جب رام جی نے بن واس سے واپس آ کے بھائی سے کہا کہ سیتا کو لاؤ تو کسی نے کہا کہ بھائی سیتا کو پہچانتے ہو کیسے؟ اس نے کبھی اس کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے، بھائی نے کہا کہ میں انہیں پہچان لوں گا کیونکہ جب وہ چلتی تھی تو گرد پر ان کے پاؤں کے نشان لگتے تھے، میں ان نشانات کو پہچان سکتا ہوں۔ مجھے وہ اخلاق دے دو، بعد میں قانون لاؤ، مجھے وہ سماج وہ معاشرہ دے دو، بعد میں قانون لاؤ، مجھے وہ سماج دے دو پھر باتیں کرو۔ صرف باتیں کرنے سے نہیں چلے گا، سسٹم کرپٹ ہے۔ پولیس نہیں کرنے والی ہے، جیوڈیشری میں کرپشن ہے۔ آپ کیسے قوانین کو پاک کریں گے۔

جناب والا، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کیونکہ یہ ایک جذباتی معاملہ ہے۔ یہ ہندوستانی خواتین کی عزت و آبرو کا معاملہ ہے۔ یہ تماشہ نہیں ہے، اس پر تبصرے نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ہماری ماں، بیٹی کی عزت کا سوال ہے اور ان کے سہارے ہی سماج کھڑا ہے۔ ہمارے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، یہ ہماری بہن اور ماں کا احترام ہے، ان کا سمان ہے۔ یہاں تمام پارٹیوں کے لیڈر بیٹھے ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ اٹھو ایک تحریک چلاؤ، ایک جہاد کرو، اور سماج کو احساس دلاؤ کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں منتری جی سے گزارش کروں گا کہ بل پاس ہوتا ہے، میں اس کی حمایت کرتا ہوں کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ انسان کو دیکھ کر قانون بناؤ، انسان کو فرشتہ مت سمجھو۔ انسان کی کمزوریاں ہیں، اس کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، اس کا ایک ماحول ہے، اس ماحول میں پلتا بڑھتا ہے، اس لئے غلطیاں کرتا رہتا ہے۔ ہمیں اس ماحول کو بھی بدلنا پڑے گا، ان احساسات کو بھی سمجھنا پڑے گا، اس کے بعد سخت قوانین کی گرفت ان کی گردن میں ڈالی جائے۔ مولوی جی نے ٹھیک کہا تھا کہ جو جرم کرے، ہمارے یہاں لکھا ہے الاذن بالاذن، کسی کا کان کاٹا، اس کا کان کاٹ لو، کسی کی آنکھ نکالی، اس کی آنکھ نکال لو، کسی نے ایسا کیا تو سڑک پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ کاٹ لو۔ تاکہ وہ دنیا میں رسوا رہے، پتہ چلے یہ وہ بدمعاش ہے جس بدمعاش نے ہندوستان کی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس لئے آج ذلیل و خوار ہے۔

چیئرمین صاحب، میں تھوڑا جذباتی ہو گیا ہوں، میں یہ کہوں گا کہ اس وقت صرف الیکشن کو نظر میں رکھ کر قوانین نہیں بنانا چاہئے، آپ گھبرا گئے، وہاں مسئلہ ہوا، گھبرا گھبرا کر آج سب نے کہا کہ آپ آگے آئیں، سب نے بیان دینا شروع کر دیے۔ سماج، معاشرے کو بدلنے کے لئے جلد بازی نہیں ہوتی ہے اس کے لئے صبر، تحمل، دانشمندی، عقلمندی اور مسلسل قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ میں اس کی ہمت ہے اور آپ ایسا کر پائیں گے۔

یہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے
لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی ہے

انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू) : सभापति महोदय, दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए केवल दो शब्द कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के माध्यम से जितने भी कानून बनाये जाएंगे, हम उन कानूनों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। मैंने इस विधेयक को पढ़ा है। मुझे यह कहना है कि आज लोग देहातों से भोली-भाली, आदिवासी, हरिजन, दलित महिलाओं को बहला-फुसलाकर बड़े-बड़े महानगरों में लाते हैं और कोठों पर उन्हें रखते हैं और पैसा देकर, लालच देकर उनका शारीरिक शोषण होता है। वहां वे अपने जिस्मों को बेचती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप उनके लिए कौन सा कानून बना रहे हैं। क्या यह कार्य दंडनीय नहीं है? आज सैकड़ों कोठों पर महिलाएं अपनी जिस्म को बेचती हैं। आप कोलकाता में सोनागाछी देखें, बनारस में मरुआडीह देखें, दिल्ली महानगर में देखें, हर जगह जिस्म बेचने के नाम से वे मौहल्ले और गांव विख्यात हैं। आपने जो कानून बनाया है, मैं इस कानून का समर्थन कर रहा हूं। लेकिन गांवों की जो दलित, हरिजन, आदिवासी महिलाएं पैसा कमाने के लिए आती है, पेट पालने के लिए शहर में आती हैं, जहां उनके जिस्मों का सौदा होता है। मेरा कहना है कि क्या आप इस बारे में कोई कानून बनायेंगे? क्या उन्हें कोई दंड देंगे, क्या यह अपराध नहीं है, क्या उनका कृत्य मृत्युदंड के लायक नहीं है, क्या आप उन्हें मृत्युदंड देंगे? मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में यह चीज नहीं है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में घटना घटी और शहरों में भी घटनाएं घटती हैं। लेकिन हमारे देश में चाहे कोई भी जिला हो, कोई भी गांव हो, प्रतिदिन वहां इस तरह की घटनाएं घटती

[श्री कामेश्वर बैठा]

हैं। प्रतिदिन वहां बलात्कार होते हैं। आज हमें वहां चलना होगा, जहां ट्राइबल इलाके हैं, आज वहां उनका शोषण हो रहा है, उनकी संस्कृति और कला सब चौपट हो रही हैं। लोग वहां घूमने के लिए जाते हैं, ऐश करने जाते हैं। आज उनका शरीरिक शोषण हो रहा है और अन्य तरह से भी उनका दोहन हो रहा है।

महोदय, मेरी मांग है कि इस कानून को सख्त से सख्त बनाया जाए। यहां जितने भी माननीय सांसदों ने अपने-अपने विचार और तर्क प्रस्तुत किये हैं, मैंने उन सबके तर्क सुने हैं और मैं उन सबके विचारों और तर्कों से सहमत हूं और हमारी पार्टी इस विधेयक का जोरदार ढंग से समर्थन करती है।

[हिन्दी]

श्रीमती शताब्दी राय (बीरभूम) : सभापति महोदय, मैं अपनी बात रविंद्र नाथ टैगोर जी की चार लाइनों से शुरू करना चाहती हूं

आभार चेतोनार रंगे पन्ना होला शोबुज
चुनी उठलो रंगा होये अमि चोख मेल्लम अकाशे
जोले उढलो आलो पुबे पश्चिममें
गोलापेर डिके चेमे बोल्लम शुंदर
शुंदर होलो शे

असलियत तो यही है कि हम लोगों की चेतना जागनी चाहिए, चिंतन जागना चाहिए। जिस तरफ भी हम लोग देखें, उसमें आलो आए जाए, लाइट आ जाए, जिस गुलाम की तरफ भी देखें वह लाल हो जाए, जिसकी तरफ देखें, सुंदर बन जाए। जब तक यह चेतना नहीं आएगी, तब तक किसी भी कानून से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समाज में कुछ भी चेंज नहीं होगा। निर्भया या दामिनी, जो कुछ भी बोलें, उनके केस में आज यह कानून लागू हो रहा है। जो निर्भया या दामिनी, जिसकी अपनी बहन नहीं थी, जिसकी अपनी बेटी नहीं थी, जिसकी अपनी बहू भी नहीं थी, वे लोग भी उसके न्याय के लिए रास्ते पर आए। जो लोग उसके लिए रास्ते पर आए, उनको मैं सलाम करती हूं। निर्भया केस में आज जो लोग जेल में हैं, एक ने तो स्युसाइड कर ली, लेकिन मैं चाहती हूं कि बाकी सभी को फांसी हो जाए। लेकिन यह फांसी ऐसी न हो कि नैक्स्ट डे हम लोग पेपर में देखें कि सात बजे उसकी फांसी हुई, सात बजे से पहले उसने खाया, चार बजे उसकी जिंदगी का क्या मकसद है, यह बताया, यह सब ब्रेकिंग न्यूज में आए, हम यह नहीं चाहते हैं। हम सबको मालूम हो कि उनकी फांसी हो रही है। उन लोगों को रास्ते पर फांसी देनी चाहिए ताकि सौ सालों में कोई भी ऐसा काम करे तो सोचे कि इसकी क्या पनिशमेंट हो सकती है।

हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं। *[अनुवाद]* समानता क्या है? समानता का अर्थ है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं को समान अवसर और अधिकार मिलें। *[हिन्दी]* क्या है इक्वालिटी? सिर्फ बस, ट्रॉम और ट्रेन में एक लेडीज़ सीट? सिर्फ आठ मार्च को वूमन डे? सिर्फ किताबों में लिखना है कि नारी तुम देवी हो, तुम दुर्गा हो — यह इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी तब से नहीं है, जब एक लड़की पैदा होती है। उससे पहले से अगर इक्वालिटी होती तो कन्या भ्रूण हत्या नहीं होती है। अगर इक्वालिटी होती तो विज्ञापन नहीं देना पड़ता कि लड़का हो या लड़की हो, खुश हो जाओ। ये विज्ञापन नहीं देना पड़ता। फैमिली में इतनी ही खुशी आती कि लड़की हुई है। लेकिन इक्वालिटी इसमें भी है, जहां पर हम लोग लड़ाई करते हैं जहां पर हम लोग बोलते हैं कि हम इक्वल है। निर्भया के इंसिडेंट के बाद, उनकी मौत हो गई, यह बहुत-बहुत दुख की बात है। लेकिन यह बात भी सही है कि मौत होने के बाद उसको जीना पड़ा नहीं तो हर दिन हर पल उनको सौ-सौ बार मरना पड़ता। रेप होने के बाद जो रेप करते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। जिसके साथ बलात्कार होता है, वह हर दिन, हर पल सौ बार मरती है। अभी भी हम लोगों के यहां पर कहते हैं कि इक्वालिटी है। सिर्फ एक छोटा सा एग्जैम्पल देना चाहती हूं कि अगर घर में अच्छा खाना बने तो अभी भी मां कहती है कि यह भाई के लिए है। फिश हो या चिकन हो या जो भी अच्छा खाना बोल सकते हैं, खाना बहुत ही छोटी बात है, लेकिन इससे सिस्टम पता चलता है। अभी भी सब बोलते हैं कि तुम लड़का हो तो ये कर सकते हो, लड़की हो तो नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकती हैं? मैं टैलेंटेड हूं, क्या मेरी क्वॉलिटी नहीं है या मैं एजुकेटिड नही हूं, मैं किसलिए इक्वल नहीं हूं? जब इनिक्वालिटी की बात खत्म हो जाएगी, जब सचमुच इक्वालिटी आ जाएगी तब किसी लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब पार्लियामेंट की बहस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

मैं एक बात कहना चाहती हूं कि यह जो लॉ आ रहा है, इसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन देश की सभी महिलाओं को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि यह लॉ महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए आए, उनको

संभालने के लिए आए। बाद में वह अच्छे से रहे, सम्मान से रहे, इसके लिए आए। इसको मिसयूज मत करो। ऐसा नहीं हो कि जब तक तुम बॉस से मिसयूज होते हो, क्योंकि तुम बॉस को यूज करते हो, जब तुम्हे लगे कि नहीं मैं उसको और यूज नहीं कर सकती हूं, तब मैं भी यूज नहीं होंगी। यह नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जब चार साल मुझे कोई अच्छा लगे, उसके साथ रहने लगें, सब दे दिया, सब ले लिया, फिर मुझे अचानक अच्छा नहीं लग रहा है, तब एफआईआर दर्ज कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह जो लॉ बन रहा है, इसके मिसयूज होने के बाद ऐसा भी होगा कि जो कोई और प्यार करने से डरेगा। कोई छह दिन पीछे-पीछे घूमेंगे, यह कहने के लिए नहीं कि तुम सुंदर हो। ऐसा नही है कि हाथ पकड़ने का मतलब रेप है। हाथ पकड़ने का मतलब यह भी है कि मैं तुम से प्यार करती हूं। यह भी कह सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूं कि नारी यह सोसायटी तुम्हारी है, यह समाज तुम्हारा है, ये सुख-दुख तुम्हारे हैं, यह नील आसमान तुम्हारा है, यह आजादी तुम्हारी है, यह स्वाधीनता तुम्हारी है क्योंकि तुम नारी हो, क्योंकि तुम तुम हो, तुम्हारा कान्ट्रीब्यूशन इस समाज में है, सोसायटी में है, संसार में है, तुम पहले हो क्योंकि तुम बेटी हो, तुम बहू हो, तुम मां हो। मैंने जो भी कहा हो, मैं इस बिल का सपोर्ट कर रही हूं। मैं यह भी कहती हूं कि यह मेरी स्पीच नहीं थी, यह मेरी डिबेट नहीं थी, एक लड़की होने के नाते यह मेरा अहसास था, यह मेरा विश्वास था।

[अनुवाद]

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : यदि आप राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की ओर देखें तो 2011 में, 24,206 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। इसमें 2010-11 से 9.2 प्रतिशत का परिवर्तन है। अपहरण के मामले में, 2010-11 से 19.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह आंकड़ा 35,565 है।

चूंकि समय का अभाव है इसलिए विधेयक पर बात करते हुए, मैं सिर्फ उन धाराओं का जिक्र करना चाहता हूं जिनमें सुधार की जरूरत है।

धारा 166क में, पीड़ित का इलाज न करने को संज्ञेय बनाया जाए।

धारा 354ग, इस अधिनियम के पृष्ठ सं.12 पर इसे गैर-जमानती बनाया जाए।

मैं माननीय गृह मंत्री से मुझे पृष्ठ संख्या 4 पर धारा 354घ के बारे में जानकारी चाहता हूं क्योंकि मैं यह नहीं समझ पाया हूं, किसने इसका मसौदा तैयार किया हैं पृष्ठ सं.4, पैरा सं.3 में यह बताया गया है कि कब पीछा करने की अनुमति है। इसमें लिखा है: ''विशेष परिस्थितियों में ऐसा आचरण समुचित और तर्कसंगत है।'' पीछा करना कैसे समुचित और तर्कसंगत हो सकता है? आप हमें इस बारे में जानकारी दे सकते हैं तो क्या महोदय, जब आप उत्तर देने के लिए कब खड़े होंगे?

अब, धारा 370क की बात करते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए केवल पांच वर्ष के सश्रम कारावास का प्रावधान कैसे कर सकते हैं जो किसी वयस्क का शोषण करता है? मंत्री महोदय, इसके लिए कम से कम दस वर्ष का कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास होना चाहिए।

आपने धारा 354ग में छिपकर रतिक्रिया देखने वालों के बारे में बात की है। इसे गैर-जमानती बनाना चाहिए। यह जमानती कैसे हो सकता है? इसे गैर-जमानती बनाया जाए।

निवारक के तौर पर धारा 354क को आपको फिर से गैर-जमानती बनाना होगा। वर्तमान में यह जमानत योग्य है।

धारा 354ग में ब्लैकमेलिंग शब्द को क्यों नहीं रखा गया है? तकनीक के इस युग में ऐसे बहुत से उदाहरण है जिनमें लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया है। वे सीडी बनाते हैं। आपने लड़की को ब्लैकमेल और धमकी देने के बारे में बात नहीं की है।

धारा 354ग की व्याख्या में नग्नता के बारे में कोई बात नहीं की गयी है। महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि 'किसी' अन्य स्थान अथवा 'निजी' को जरूर सम्मिलित किया जाए।

धारा 376ङ में, आदतन अपराधियों के लिए मृत्युदंड होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति यौन अपराधी को दोहराता रहता है तो उसका दंड मृत्यु होना चाहिए। गृहमंत्री ने वर्मा समिति की अनुशंसाओं पर ध्यान क्यों नीं दिया है? जिन क्षेत्रों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम लागू है अथवा संघर्ष के क्षेत्रों में यदि वर्दीधारी व्यक्ति यौन अपराध में शामिल होता है तो इसके लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही वर्मा समिति ने कहा है। यही सब 4 फरवरी को उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है। आपको स्वीकृति की आवश्यकता नहीं हैं

[श्री असादूद्दीन ओवेसी]

यह इस विधेयक में नहीं है। इसमें फिर टालमटोल की गयी है। इसमें विशेष रूप से उल्लेख करना होगा कि जहां भी सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम लागू है, सीमा क्षेत्रों में जहां नक्सली समस्या है, वहां सशस्त्र बलों और पुलिस बलों में निर्दोष गरीब महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराध करने की प्रवृत्ति होती है। इस बात को सम्मिलित किया जाए।

अंत में, मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि हमें अपनी सोच बदलने का यही सही समय है। जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे कुछ नहीं होने वाला है। आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि नैतिकता का पाठयक्रम शुरू किया जाए। इस समय में जब उच्च वेतन पाने वाले चिकित्सक और अभियंता तैयार करने के लिए इतनी अधिक प्रतियोगिता है उसमें नैतिकता कहां सिखाई जाती है। जब तक घरों में बदलाव नहीं लाया जाता, जब तक कोई बेटा और बेटी यह नहीं देखेंगे कि उनके पिता अपनी पत्नी को प्रताड़ित नहीं करते हैं, केवल तभी हम किसी महिला का आदर कर सकेंगे।

सायं 6.36 बजे

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

***श्री थोल तिरुमावलावन** (चिदम्बरम) : माननीय अध्यक्ष महोदया, यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सरकार द्वारा पुर:स्थापित आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं जिसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है। मेरी कामना है कि यह विधेयक सफलतापूर्वक पारित हो जाए। हम पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ महिलाओं का आदर करते हैं। हम राष्ट्र को अपनी मातृभूमि कहते हैं, जिस भाषा में बोलते हैं उसे अपनी मातृभाषा कहते हैं नदियों के नाम नारियों पर रखे गए हैं और यहां तक कि हम देवियों के रूप में नारियों की पूजा करते हैं।

हमारे जैसे किसी राष्ट्र में, प्रत्येक परिवार में, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार हो रहे हैं। हमारी सोच है और हमें विश्वास है कि दिल्ली में एक लड़की के साथ हुए जघन्य यौन अपराध की घटना के बाद संसद में आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक पुर:स्थापित किया गया है। परंतु देश में इतने सारे नेताओं ने महिलाओं हेतु समानता और समाज में उनके उत्थान की सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष किया है। क्रांतिकारी नेताओं डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, तंताई पेरियार, महात्मा, ज्योतिराव फुले, राजा राममोहन रॉय और कई अन्य नेताओं ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया है उनके विचार हमारी सोच में विद्यमान हैं। महाकवि भारतीय, पुर्तचिक कस्सिगनर भारतीदासन ने भी इस संबंध में अपना योगदान दिया है। मुझे गर्व है कि इन नेताओं, कवियों और विचारकों के प्रयासों के कारण हममें इस उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न हुई कि महिलाओं की रक्षा की जाए। हालांकि हमने महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने और दोषियों को सजा देने के लिए विधान बनाए हैं हमें यह समझना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होगी जब उनकी समाजिक स्थिति का उत्थान होगा। शिक्षा, रोजगार, सरकारी सेवाओं और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित हो। मैं इस सभा में कहना चाहता हूं कि ये उपाय महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। हम अभी एक पुरुष प्रधान समाज समाज हैं जो महिलाओं को संसद और राज्य विधान सभाओं में आरक्षण प्रदान करने में समर्थ नहीं है। यदि हम वास्तव में हमारे समाज से पुरुष प्रधानता को खत्म करना चाहते हैं, तो हमें शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का स्तर उठाना चाहिए और उन्हें सभी क्षेत्रों में उचित अवसर भी उपलब्ध कराये जाने चाहिए। हम कानून कार्यान्वित कर रहे हैं। लेकिन हमारी कानून लागू करने वाली एजेंसियों में 95% पुरुष हैं। चाहे पुलिस विभाग हो अथवा न्यायपालिका, अथवा कानून लागू करने वाली कोई अन्य एजेंसी, सभी में ज्यादा संख्या पुरुषों की है। महिलाओं द्वारा दर्ज शिकायतों पर उचित कार्यवाही करने के लिए पुरुष सहानुभूति नहीं दिखाते हैं। ऐसी कानून लागू करने वाली एजेंसियों में जब महिलाओं को तैनात किया जाएगा तभी न्याय वास्तविकता बन सकेगा। यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षा, रोजगार और राजनीति के क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। मैं सरकार से यह बलपूर्वक कहना चाहता हूं कि इस देश की महिलाओं को सौ प्रतिशत नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए; न केवल विद्यालयों और महाविद्यालयों में, बल्कि चिकित्सा और अभियांत्रिकी जैसे व्यासायिक पाठ्यक्रमों तथा पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए थी। महिलाओं को बिना कोई शुल्क लिए नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। मेरा विश्वास है कि केवल इसी से महिलाओं

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपांतर।

के सामाजिक स्तर को उठाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। महिलाओं को सशक्त और सुदृढ़ किया जाए। यही महिलाओं की सच्ची सुरक्षा होगी। इसी के साथ, मैं आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक का स्वागत करता हूं और इसका हार्दिक समर्थन करता हूं। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर) : अध्यक्ष महोदया, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

सर्वप्रथम, अपराध के अन्तर्गत पीछा करना, तेजाब से हमला और कामुक दृष्टि से घूरने को शामिल करके यह विधेयक लाने के लिए सरकार की प्रशंसा करता हूं। अस्पतालों में महिलाओं का नि:शुल्क उपचार और अस्पतालों के लिए इसे अनिवार्य बनाया जाना भी एक अच्छा कदम है। प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर अधिकारियों को दंडित करना भी एक अच्छा कदम है। इसमें कुछ प्रक्रियात्मक बदलाव भी है जैसे- गवाह को थाने में बयान नहीं देना और शिकायतकर्ता यह चुन सकती है कि उसे किस थाने में शिकायत करनी है।

मैं चाहूंगा कि सभा एक बात पर विचार करे। 16 और 18 वर्ष की आयु के बारे में काफी चर्चा हुई है परंतु यह महत्वपूर्ण है कि मैं इसके बारे में कहूं। बहुत से लोगों को यह गलतफ़हमी है कि आयु को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने से लोगों को स्वच्छंद संभोगी होने की अनुमति मिल जायेगी या किशोरावस्था में ही गर्भधारण करने की अनुमति मिल जायेगी। भ्रांतधारणा है। खतरा यह है कि 16 और 18 वर्ष के बीच की आयु के बच्चे सहमति से यौन क्रिया करते हैं, तो लड़के को आप हमेशा के लिए बलात्कारी का लेबल दे देंगे। मुझे विश्वास है कि इस समय जो आप कर रहे हैं जब हमें इसके प्रभाव के बारे में पता चलेगा तो भविष्य में किसी समय यह सभा एक बार फिर बैठक करेगी। प्रत्येक व्यक्ति की यह भावनात्मक सोच है कि किशोरावस्था में गर्भ इत्यादि में आसक्त रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सरल रास्ता है, परंतु ऐसा इरादा नहीं था। इसका उद्देश्य उन बच्चों की रक्षा करना था जिन्होंने गलत निर्णय लिया, न कि उन्हें अपराधी का लेबल देना। परंतु मुझे आशा है कि भविष्य में कभी यह सभा इस पर पुनर्विचार करेगी। इस खंड में एक महत्वपूर्ण चीज जो लुप्त है, वह है- नागरिक उत्तरदायित्व। विश्व में सभी जगह संस्थाओं और व्यक्तियों का अपराध करने के बाद भी नागरिक उत्तरदायित्व होता है। अत:, मैं चाहता हूं कि सरकार कानून के एक भाग के रूप में, उस पर भी विचार करे।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जैसे देश में तेजाब से हमले के लिए एक बीमा पॉलिसी हो सकती है। अन्यथा क्या होगा कि कानून लोगों को जेल में बंद करता रहेगा, परंतु लड़की पुनर्वास लागत या शल्पक्रिया की कीमत अदा करने के प्रयास में ही मर जायेगी। सरकार एक जिन्दगी वापस नहीं दे सकती है, परंतु यह सुनिश्चित कर सकती है कि एक छोटी बीमा पॉलिसी से, उन सभी महिलाओं जो अपराध की शिकार हैं, को चाहे जो भी परिणाम हो, पूर्ण नि:शुल्क उपचार प्राप्त हो सके।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा, यह उनके अधिकार में है, कि वह एक कानून बनायें कि प्रत्यक पुलिस थाने में एक महिला अधिकारी हो। यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो अच्छे कानून जैसे- दहेज निषेध और भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम होने के बावजूद लोग उस प्रकार के अपराध करते रहेंगे। इसे अनिवार्य किया जाना चाहिए कि प्रत्येक पुलिस थाने में एक महिला पुलिस अधिकारी हो और ऐसा करना माननीय गृह मंत्री के अधिकार में है।

दूसरी बात यह है कि, महिलाओं से संबंधित सभी कार्यवाही को बंद कमरे में की जानी चाहिए। इस पर सार्वजनिक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए और इसे बंद कमरे में होना चाहिए ताकि महिला की पहचान की रक्षा हो सके और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात एक त्वरित न्याय प्रणाली होनी चाहिए प्राय: सभा में यह कहा जाता है कि संसद समाज के चेहरे को प्रतिबिम्बित करती है। परन्तु, यह हम लोग ही हैं जिनको यह निर्णय करना होता है कि हम समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि जिस राज्य में खराब महिला-पुरुष अनुपात है— सरकार इस बजट में इस पर कुछ नहीं कर सकती, परंतु भविष्य में - सरकार को उन राज्यों को अनुदान की कुछ निश्चित प्रतिशत राशि अधिक निर्धारित करना चाहिए जो महिला लिंग अनुपात में सुधार करते हैं और जो राज्य खराब महिला लिंग अनुपात वाले है उन्हें दंडित करना चाहिए। इसके बाद ही सरकार अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन कर पाएगी कि सरकार जो कहती है वही वास्तव में उसका अभिप्राय है।

अंतिम, परंतु बहुत महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में मैं कहना चाहूंगा वह है महिला भ्रूणहत्या। पूरे भारत में यह निरन्तर जारी है। भारत विश्व की साफ्टवेयर राजधानी है। हमारे पास तकनीक है और इसको करने के लिए विश्लेषक हैं। सोलापुर में एक कलक्टर थे जिन्होंने

[श्री अजय कुमार]

सभी अल्ट्रासाउंड मशीनों को एक केन्द्रीय 'सर्वर' से जोड़कर इस पर निगरानी रखना शुरू किया था। ऐसा 10 वर्ष पहले हुआ था।

यह हमारी क्षमता में है कि एक ऐसा साफ्टवेयर बनाएं जो गर्भवर्ती महिला के प्रत्येक अल्ट्रासाउंड को पंजीकृत कर सके और यह पता लगा सके कि 8 महीने के बाद, यदि बच्चा लड़की है तो उसे जन्म दिया गया कि नहीं। यह इस विश्व में सबसे चीज है जिसे किया जा सकता। हम अपने को साफ्टवेयर महाशक्ति कहते हैं। अंत:, मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि क्या वह ऐसा सूचना प्रौयोगिकी अधिनियम ला सकते हैं जो यह सुनिश्चित करे कि इस देश में सभी अल्ट्रासांउड क्लिनिक को एक केन्द्रीय सर्वर से जोड़ दिया जाये। यह महंगा नहीं है। ऐसा सोलापुर में एक कलक्टर द्वारा दस वर्ष पहले किया गया था। इसे अभी किया जा सकता है। मैं सरकार से इन दो सुझावों पर विचार करने के लिए अनुरोध करता हूं और मैं आश्वस्त हूं कि हम इस मामले में थोड़ा प्रगति करेंगे।

श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी) : महोदया, इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

सर्वप्रथम मैं माननीय गृह मंत्री जी को इस सम्माननीय सभा के समक्ष ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं।

महोदया, प्रस्तावित दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2013, 16 दिसंबर 2012 को चलती हुई बस में एक मैडिकल की छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो जाने के बाद हुए राष्ट्रव्यापी आंदोलनों से बने जनता के दवाब के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रख्यापित किए गए अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा। इस प्रस्तावित विधेयक में बलात्कार को केवल महिलाओं के खिलाफ होने वाला अपराध बनाया गया है जिसके अंतर्गत केवल पुरुष को ही आरोपी बनाया जा सकता है। इस विधेयक के अंतर्गत बलात्कार के लिए न्यूनतम 20 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है जिसे बढ़ाकर अपराधी की जेल में स्वाभाविक रूप से मृत्यु होने तक बढ़ाया जा सकता है।

पीछा करने के लिए धारा 354(घ) के अंतर्गत सजा का प्रावधान किया गया है। पीड़ित जो कि अधिकांशत: युवा बालिकाएं होती हैं पर कोई हमला या उनके शारीरिक संपर्क होने की स्थिति में और कठोर बनाए जाने की आवश्यकता है। अधिकांश मामलों में अपराधियों की प्रवृत्ति युवतियों का पीछा करने और इस अपराध को बार-बार दोहराने की होती है। अत:, दोबारा अपराध करने पर अधिक सजा दिए जाने की आवश्यकता है। अत:, मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि धारा 354(घ) की उप-धारा(2) के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएं'' जो कोई व्यक्ति दूसरी बार या उसके पश्चात महिला का पीछा करते समय उसे डराता है या छेड़छाड़ करता है तो उसे 5 वर्ष की बजाय 10 वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जा सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(1) में एक प्रावधान अन्तर्विष्ट किया गया है जो जिसके अंतर्गत किसी महिला द्वारा शिकायत किए जाने पर एक महिला पुलिस अधिकारी के लिए प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। किसी विशेष समय में महिला पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण प्राथमिक दर्ज करने में विलंब नहीं किया जाना चाहिए। अत:, प्राथमिकी दर्ज करने में किसी विलंब से बचने के लिए परन्तुक में ''या कोई पुलिस अधिकारी'' के पश्चात निम्नलिखित शब्द जोड़े जाए ''महिला पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में पुलिस थाने के किसी भी प्रभारी अधिकारी द्वारा और उसे तुरंत किसी महिला पुलिस अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।''

विधेयक के खंड 2 के अनुसार 'सातवां' के पुर:स्थापन के द्वारा आई.पी.सी की धारा 100 का संशोधन मौजूदा 'द्वितीय' के दृष्टिगत अनावश्यक प्रती होता है जिसमें निम्नलिखित लिखा है।

> "ऐसा कोई हमला जो कि पर्याप्त रूप से यह आशंका पैदा करे कि ऐसे हमले का परिणाम अन्यथा गंभीर क्षति होगी।"

आईपीसी की धारा 354 जो कि किसी महिला के साथ छेड़छाड़ किए जाने से संबंधित है। के अंतर्गत न्यूनतम एक वर्ष के कारावास का प्रावधान है।

यह अपराध एकांत में किया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में केवल पीड़ित महिला ही अकेली साक्षी होती है जो जो कि उक्त घटना की जानकारी दे सकती है और पूरा मामला पूरी तरह से उसके साक्ष्य पर निर्भर करता है। अनेक कारणों से उसे किसी निर्दोष व्यक्ति पर भी यह आरोप लगाने के लिए विवश किया जा सकता

है। इससे दूसरों के द्वारा उकसाए जाने और आपसी शत्रुता के कारण किसी को भी झूठे मामले में फंसाए जाने की गुंज़ाइश रहती है।

इस पृष्ठभूमि में ऐसे अपराधों हेतु न्यूनतम सजा निर्धारित किया जाना असुरक्षित है। अतः, ऐसे मामलों में सजा देने का कार्य न्यायालय पर छोड़ देना ही उचित है। अतः, मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि इस संबंध में एक समुचित संशोधन किया जाए और "जो कि एक वर्ष से कम नहीं होगी" शब्दों को निकाल दिया जाए।

अपराध की रोकथाम तभी संभव है जब हम अधिक सतर्क रहें। आजकल, देश में पुलिसकर्मियों की बहुत कमी है। हमारी जनसंख्या की तुलना में पुलिसकर्मियों की संख्या किसी अन्य विकासशील देश की तुलना में काफी कम है।

अतः, एक के बाद दूसरा कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने देश में पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। अतः, मैं सरकार से देश में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैं अपनी बात दो मिनट में कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : दो मिनट में ही अपनी बात कहें।

श्री विजय बहादुर सिंह : महोदया, यह बिल तो बहुत बढ़िया है लेकिन बिल से क्राइम नहीं रूकता है। क्राइम रूकेगा। सिस्टम से। ज्यूडिशिएल सिस्टम और पुलिस सिस्टम दोनों में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए हं.प्र.स. की धारा 151 के अंतर्गत यदि दारोगा जी को उचित लगे तो वह मंत्री को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। वे आप को 24 घंटों के लिए बंद कर देंगे। यह लॉ ब्रिटिशर्स ने नेटिवों को रूल करने के लिए बनाया था। इंडिपेंडेंस के 65 सालों में इस लॉ का कोई भी स्ट्रक्चर चेंच ही नहीं हुआ है। जब तक इस लॉ की कंप्लीट मेटामॉरफोसिस नहीं होगी, ज़ब तक इस लॉ को कम्प्लीटली ए-टू-ज़ेड ओवरहॉल नहीं करेंगे तो केवल कानून बनाने से नहीं होगा।

हेनरी-VII जब इंग्लैंड के किंग थे तो उन्होंने लॉ बनाया। यह लॉ-ऑरडेनिंग की क़िताब में कोटेड है। यह लॉ बनाया कि जो भी जेब काटेगा उसे फांसी की सजा होगी। उस समय यह लॉ था कि शनिवार और रविवार को दिन में हैंगिंग होती थी। उसे सब लोग देखने आते थे। एक जेबकतरे को फांसी हुई तो उसे लंदन के पूरे लोग देखने आए। हाउस ऑफ लॉड्र्स में यह रिपोर्टेड केस है कि उस दिन अठारह आदमी की ज़ेब कट गयी।

मैडम, यह रिपोर्टेड केस है। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस लॉ की नाइसटीज़ में न जाइए। अभी एक मैडम बहुत जोर से कह रही थीं कि सबको फांसी दे दो। धारा 302 में फांसी का प्रोवीजन तो दो सौ सालों से चल रहा है। इलाहाबाद जैसे क्षेत्र में तीन पोस्ट-मॉर्टम रोज़ हो रहे हैं। एक वर्ष में 900 हत्याएं होती है। प्रश्न यह है कि यह सिस्टम रूकना चाहिए। अगर सिस्टम ठीक नहीं है तो जैसा कहा जाता है, वैसा केवल कानून से नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री विजय बहादुर सिंह : महोदया, मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि इंग्लैंड में जो लेटेस्ट क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसमें एक वेरीफिकेशन का भी क्लॉज है। मान लीजिए कि हमने एक एफ.आई.आर. लिखा दिया कि कुछ लोगों ने हमारी लड़की का रेप कर दिया। अब उसमें दारोगा जी को या पुलिस स्टेशन को एक अधिकार मिल जाता है। वे 50 आदमियों से पूछताछ करते हैं। उनकी जेब भरी रहती है। अब क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक नया टर्म आया है। उसमें प्री-वेरीफिकेशन भी होता है। वह प्री-वेरीफिकेशन एस.एच.ओ नहीं करता, कोई पुलिस एजेंसी नहीं करती बल्कि एक सुपीरियर पैरेलल एजेंसी होती है वह प्री-वेरीफिकेशन करती है। केवल विधिशास्त्र ही इसके दुरूपयोग को रोक सकता है। आप कह दें कि साहब इसने घूर दिया और आप को सजा हो जाएगी।...*(व्यवधान)*

अंत में, कहना चाहता हूं कि जब कोई चीज़ हड़बड़ी में बनेगी तो वह हड़बड़ी से चकनाचूर भी हो जाएगी। गवर्नमेंट घबरा कर यह एक्ट बना रही है, यह गलत है।

श्रीमती मीना सिंह (आरा) : मैडम, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। हमारे विद्वान साथी आदरणीय भोला बाबू ने इस चर्चा की शुरुआत की है। मैं भोला बाबू का बेहद सम्मान

[श्रीमती मीना सिंह]

करती हूं। उन्होंने अपने भाषण में महिलाओं को देवी, मां शक्ति एवं पूजा के योग्य समझा है, परन्तु मैं समझती हूं कि महिलाओं को सिर्फ इंसान समझने की जरूरत है। जिस दिन हमारे समाज में महिलाओं को इंसान समझा जाने लगेगा, मैं समझती हूं कि उस दिन से महिलाओं के प्रति अपराध कम हो जाएगा।

मैडम, महिलाओं के प्रति अपराध पर चर्चा होती है तो हमारे पुरुष साथी महिलाओं के पहनावे, उनके घर से बाहर आने-जाने के टाइम-टेबल जैसी फालतू की चीजों पर चर्चा को मोड़ देना चाहते हैं। माननीय सदस्य शैलेन्द्र जी ने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने के लिए उनके पहनावे में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने फोन और इंटरनेट को भी महिलाओं के प्रति अपराध का कारण माना है। भाई शैलेन्द्र जी, गांव के खेतों में काम करने वाली मजदूर के साथ बलात्कार होता है, वह कौन सा भड़काऊ लिबास पहनती हैं। उनके पास न तो फोन है और न ही इंटरनेट है। इसलिए मेरी समझ से, लिबाज़ नहीं, बल्कि समाज का नज़रिया बदलने की जरूरत है!

मैडम, इस कानून के बारे में तरह-तरह के दुष्प्रचार हो रहे हैं। लोगों में तरह-तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे यह कानून पुरुषों के उत्पीड़न के लिए लाया जा रहा है। लोगों में जन-जागरण लाने की जरूरत है। हमें यह बताना पड़ेगा कि यह कानून महिलाओं से पुरुषों को दूर करने के लिए नहीं, पुरुषों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा एवं सम्मान देना है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इस कानून का दुरुपयोग न हो।

मैडम, अंत में मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि इसके पहले से भी हमारे देश में विभिन्न बातों को रोकने के लिए ढेर सारे कानून हैं, परन्तु अपराध कम नहीं हो रहा है। सिर्फ कानून बनाने से महिलाओं के प्रति अपराध कम नहीं हो सकता, बल्कि अपराध को समाप्त करने के लिए सरकार की इच्छाशक्ति की जरूरत पड़ती है। साथ ही समाज को भी अपनी सोच एवं नज़रिए को बदलने की जरूरत पड़ती है।

मैडम, मेरी स्पष्ट समझ है कि यदि सरकार की इच्छाशक्ति हो तो अपराध पर काबू पाया जा सकता है। हमारे बिहार में ही, जहां कभी जंगल राज जाना जाता था, हमारे नेता, बिहार के मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार जी की इच्छाशक्ति का परिणाम है कि आज वे वहां सुशासन के लिए जाने जाते हैं। मैं चाहती हूं कि इस कानून के बन जाने के बाद जिन लोगों को इसे लागू कराने की जिम्मेदारी है, वे ईमानदारी से इसका पालन करें और देश की महिलाओं को सम्मान से सुरक्षित जीने का मौका प्रदान करें।

इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर पुनः समर्थन करते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद।

गृह मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका और पूरे सदन का आभारी हूं, ऐसे बहुत कम मौके होते हैं कि सभी माननीय सदस्य समर्थन देते हैं। पूरे देश को चिन्ता थी, 16 दिसम्बर को बलात्कार की जो घटना हुई, जिसमें दामिनी इस दुनिया से चली गई। तो इसका दुःख पूरे देश को हो गया था। सरकार ने उसी वक्त निर्णय ले लिया था कि कड़ी से कड़ी इस पर कार्रवाई हो जाये और हम एक ऐसा कानून बना दें कि जिसमें पनिशमेंट एनहांस हो जाये।

हमने वर्मा कमेटी एपाइंट की, उसके पहले शुरुआत में मैंने यह बता दिया कि 2012 में हमने एक कानून यहां पेश किया था, जो सदन में विचार के लिए था ओर जो स्टैंडिंग कमेटी के पास भी चला गया था। उसमें भी यही प्रावधान है। वर्मा कमेटी ने बहुतेरे उसमें के प्रावधान स्वीकार किये हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो नये सैक्शंस हमने इस पर डाले हैं, क्योंकि, यहां समाज में जो आर्गेनाइजेशंस हैं, जो महिलाओं के आर्गेनाइजेशंस हैं, नई युवा लड़कियों के आर्गेनाइजेशंस हैं, उनका बहुत आग्रह था कि स्टॉकिंग का विशेष रूप से यहां इस्तेमाल होना चाहिए, वारयूरिज़्म का इस्तेमाल होना चाहिए। इसके लिए हमने यह किया कि पहले तो हम ज्यादा उस पर पनिशमेंट कर रहे थे। ...*(व्यवधान)* तब सदन के दोनों-तीनों नेताओं ने कहा कि एक वक्त था, हमारे जमाने में हम कहीं भी देखते थे, कॉलेज में देखते थे, लेकिन यह होता है, मैं उस पर कुछ टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता। ...*(व्यवधान)* सभी नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। ठीक है। हमने पहले उसको नॉन बेलेबल किया था, अब उसको बेलेबल कर दिया है कि पहली बार गलती हो सकती है, लेकिन दूसरी बार जब ऐसा होगा तो उसके लिए तो हमने पनिशमेंट दे दिया है। उसको हम छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यहां 16 वर्ष की उम्र के बारे में बहुत बातें हो गईं मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमने आर्डिनेंस सदन में दिया था, उसमें 18 वर्ष ही उम्र थी, लेकिन मैं आपके ध्यान में लाऊंगा कि भारतीय दंड संहिता, 1860 का है, उसमें रेप का सैक्शन 375 है और उसमें सिक्सथली में है, 'यदि वह सौलह

वर्ष से कम आयु की है तो उसकी सहमति या सहमति के बिना।' हम 1860 से यह 16 साल चलाते आ रहे हैं, अभी 16 किया तो एकदम 16 क्यों किया। हमने पहले 16 क्यों किया, जो मांग आ गई थी, आर्गेनाइजेशंस की मांग आ गई थी, एनजीओज की मांग आ गई थी, कई एडवोकेट्स की मांग आ गई थी कि उसको 16 करिये, उसके लिए हमने 16 कर दिया। लेकिन यह कानून हमारा इतने साल से यहां है, लेकिन कभी यह बता हमारे ख्याल में नहीं आयी। ...*(व्यवधान)* मैं आपको यह बताना चाहूंगा, क्योंकि, जरुर सर्व-सहमति से हम बनाएंगे, लेकिन एमेंडमेंट्स भी जो आ गये हैं, उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा।...*(व्यवधान)* लगता है कि शिव सेना को तो बहुत जल्दी हो गई, जरा थोड़ा रुकिये।

अध्यक्ष जी, मैं यह बताना चाहूंगा कि एक तो पहली बार जो कड़ा कानून हम कर रहे हैं, इसमें एनहांसमेंट फाइन में भी कर रहे हैं और पनिशमेंट में भी कर रहे हैं। मैं आपके मालूमात के लिए बताऊंगा, क्योंकि, उस पर एमेंडमेंट भी है, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, ताकि फिर एमेंडमेंट में वक्त नहीं चला जाये। 354 में पहले अप-टू टू ईयर्स था, अब हमने वन टू फाइव ईयर्स किया है और उसके साथ फाइन किया है। 376 में अ-प्टू सेवन ईयर्स था, अभी हमने इसमें मिनिमम सेवन ईयर्स किया है, जो 20 ईयर्स तक जा सकता है। 376 में टेन ईयर्स टू लाइफ था तो उसमें टैन ईयर्स एंड रिमेंडर ऑफ दि पर्संस नैचुरल लाइफ तक हमने उसको किया है। 376(बी) में टू ईयर्स था तो टू ईयर्स से लेकर हमने सेवन ईयर्स और फाइन कर दिया है।

सायं 7.00 बजे

376(सी) में, अप टू फाइव ईयर्स था, इसे मिनिमम फाइव ईयर्स एंउ एक्सटेंडेबल टू टेन ईयर्स कर दिया है। 509 में वन ईयर था, तो वहां थ्री ईयर कर दिया है। हमने इस तरह के प्रावधान इसमें किए हैं, ताकि लोगों में एक तरह का डर बैठे कि ये पनिशमेंट होती हैं और उनसे इस तरह का गुनाह न हो। इस प्रकार का प्रावधान हमने किया है। सबसे बड़ी बात अभी तक कही जाती थी कि पुलिस आफिसर गरीब लोगों के कहने पर गुनाहगारों का रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, इसके लिए 166(ए) में विशेष तौर पर हमने बताया है कि कोई एफआईआर लॉज नहीं करता है, तो उस पुलिस आफिसर को सजा देने का भी प्रावधान किया है। यह पहली बार हो रहा है हमने झारखंड के भाई कह रहे थे कि जो गरीब लोग जाते हैं, दलित जाते हैं, आदिवासी जाते हैं, उनका कोई काग्जीनेंस पुलिस स्टेशन में नहीं लेते हैं, उसके लिए इस प्रकार का काग्नीजेंस ले लिया है।

दूसरी बात, यह सही है कि हम न्यूज पेपर्स में बहुत पढ़ते हैं कि दलितों को डिसरोब किया है, सुबह से द्रौपदी का वर्णन भी लोग कर रहे थे, दलित और आदिवासी स्त्रियों के साथ कितने ही गांवों में ऐसा होता है, उनको निर्वस्त्र करके उनकी यात्रा निकालते हैं। इसके लिए, डिसरोब के लिए, चाहे वह पब्लिक प्लेस में हो या चाहे कहीं प्राइवेट प्लेस में हो, उसके लिए भी प्रावधान किया है। उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, क्योंकि गरीब लोगों का कोई नहीं होता है।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : इसमें मिसयूज का क्या किया है? कोई गलत यूज भी कर सकता है।...*(व्यवधान)*

श्री सुशीलकुमार शिंदे : मिसयूज का सैक्शन 2, आईपीसी का 111 है, उसमें यदि मिसयूज हो गया, तो उसके लिए भी सजा है। इतना भी आसान नहीं है, इगर मिसयूज किया तो उसके लिए भी सजा है। रॉय जी ने कहा, बाकी सदस्यों ने भी कहा, हमारी बहन ने कहा, इंदौर की जो बातें महाजन जी ने कहीं, अध्यक्ष जी, यह बहुत बड़ी बात है कि जब तक हमारे दिल में, हमारी संस्कृति में हम यह नहीं सोचते, हम सबको इक्वल लेकर नहीं चलते कि वह भी हमारे साथ है, समाज का इस पर चिंतन होना चाहिए। चिंतन होगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो गुनाह होते हैं, वह नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। मुझसे कई प्रश्न पूछे गए।...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : मंत्री जी, मैंने एक बात कही थी, जो अंतर्जातीय शादी करते हैं, इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, उनके लिए देश भर में होम बनाना चाहिए। उनको इस बिल में इंक्लूड करिए, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा आफत होती है।...*(व्यवधान)* इसके लिए कोई रास्ता निकालिए। ...*(व्यवधान)*

श्री सुशीलकुमार शिंदे : आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मेरी भी इंटरकास्ट है, आपकी भी शायद होगी, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, शायद हो सकती है, क्योंकि इतना इंट्रेस्ट ले रहे हैं। जो भवन बनने की बात है, उनको सुविधा देने की बात है...*(व्यवधान)* उसके लिए अलग से आएगा। सोशल सैक्टर में उसका प्रावधान हो सकता है, यहां नहीं हो सकेगा।...*(व्यवधान)* हमारी कई चीजें ऐसी हैं।... *(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : गृह मंत्री जी, आप इनका दर्द समझिए। यह इनका दर्द बोल रहा है। यह जिसका पीछा कर रहे थे, वह अंतर्जातीय थी।...*(व्यवधान)* इसलिए घरवालों ने विवाह

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

नहीं होना दिया। अगर कोई ऐसा होम होता, तो वहां शरद भाई चले जाते।...*(व्यवधान)* आप इनका दर्द समझिए।...*(व्यवधान)*

श्री सुशीलकुमार शिंदे : आप दोनों मध्य प्रदेश के हैं, तो आपको एक-दूसरे का मालूम है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : वह पीछा जिसका कर रहे थे, वह अंतर्जातीय थी।...*(व्यवधान)*

श्री सुशीलकुमार शिंदे : यह मुझे मान्य है कि हर पुलिस स्टेशन में लेडी आफीसर की एप्वाइंटमेंट करनी चाहिए।...*(व्यवधान)* हर पुलिस स्टेशन में लेडी आफिसर की प्वाइंटमेंट होनी चाहिए, यह मुझे पूरी तरह से मान्य है और इसे हम पुलिस स्टेशंस में करेंगे। अभी हमने दिल्ली में ज्यादा पुलिस कांस्टेबल्स और आफिसर देने का प्रयास किया है। पुलिस माडर्नाइजेशन में हम इसके लिए और भी ज्यादा प्रयास करेंगे।

ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की इसमें भर्ती कर के उनके लिए अपॉर्चुनिटी दे दी। एक तो, इन कैमरा में ये सब इंक्वायरी होनी चाहिए, माननीय सदस्यों ने यह बात कही है, मैं इस से पूरी तरह सहमत हूं कि इसके लिए इन कैमरा में इंक्वायरी होनी चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि जो गुंगे हैं, बहरे हैं उनके लिए भी विडियोग्राफी करने और वे जो साइजन से वे बोलते हैं उस साइन का इंटरप्रेटर लाने का भी प्रावधान किया है।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : जो एफआईआर होता है, शेड्युल कॉस्ट शेड्युल ट्राइब जो भी केस करेगा और आप प्रावधान कर रहे हैं कि पुलिस अफसर नहीं करेगा तो सजा का प्रावधान कर रहे हैं तो सीबीआई में जैसे पहले पीई है तब एफआईआर होता है, उसका ध्यान रखना चाहिए।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : आप का जो सजैशन है उस पर हम विचार करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।...*(व्यवधान)* मैं इसे पास तो जरूर कराऊंगा।...*(व्यवधान)* मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि हमारे साथियों ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें कई लोगों को बुलाया नहीं गया है। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री ने तो सब को बुलाया था, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है।...*(व्यवधान)* मैं इस पर बोला हूं।...*(व्यवधान)* पूरी इंक्वायरी हो जाएगी। मैं आपको आश्वासित करता हूं जब भी ऑल पार्टी मीटिंग होती है, इतने लोगों को बुलाया तो तीन-चार और सदस्यों को बुलाते तो क्या होता? हमारे को कुछ नहीं होता। मैं सब को बता दूंगा कि आप सब को भी बुला लें।...*(व्यवधान)* मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, इन्हीं शब्दों के साथ जो...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : मुझे दो बाते कहनी है। एक तरह तो आप कहते हैं कि पुलिस वालों को दंड दिया जाएगा। जब आप पुलिस को दंड देंगे तो पुलिस तत्काल मामला तो लिख लेगी, वह घबरा कर मामला लिख लेगी। लेकिन उसका दुरुपयोग होगा। हरिजन एक्ट का जो दुरुपयोग हो रहा है वह इसी कारण हो रहा है। इसमें साफ लिखा गया है कि अगर पुलिस वाले मामला नहीं लिखेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस से हरिजन एक्ट का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है। मैं बता देना चाहता हूं कि एक जज साहब के यहां शादी थी। वहीं मैंने कहा कि इस कानून का 60-70 परसेंट केसों में दुरुपयोग होता है। उन्होंने कहा कि 95 परसेंट सत्य है इस कानून का दुरुपयोग होता है। आपके 17 कार्यकर्त्ताओं पर हरिजन एक्ट लगे थे, मैंने 17 कार्यकर्त्ताओं को छोड़ा हैं। 17 केसेज हरिजन एक्ट के अधीन असत्य लिखे गए, उन पर मुकदमा चला। जज ने सब को छोड़ा। जज की लड़की की शादी थी। उन्होंने सारे जजों के सामने कहा। अब आप पुलिस को सजा देंगे, तो पुलिस अपने-आप मामला लिख लेगी।...*(व्यवधान)* लेकिन उसके बाद का परिणाम आप सोच लीजिए। इसका दुरुपयोग अवश्य होगा।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : ऐट्रोसिटी एक्ट में कई केसेज अलग होते हैं और इसमें अलग होते हैं। रेप के केसेज में बहुत बार गरीब लोगों का कॉग्निजंस नहीं लिया जाता है इसलिए यह किया है कि जो आदिवासी, हरिजन, बैकवर्ड्स हैं, इनका कॉग्निजंस नहीं लिया जाता है, देख लेते हैं यदि उस तरह की बात आ जाएगा तो हम उसे देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : डॉ. भोला सिंह — उपस्थिति नहीं। अब मैं डॉ. भोला सिंह द्वारा प्रस्तावित संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 3 फरवरी, 2013 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अपराध

विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : अब मैं विधेयक पर विचार करने संबंधी प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

प्रश्न यह है:

"कि भारतीय अपराध संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और लैंगिक अपराध से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 3 नई धाराएं 166(क) और 166(ख) का अंत:स्थापन

अध्यक्ष महोदया : खंड 3 में सरकार की ओर से संशोधन आया है। अब मंत्री महोदय संशोधन संख्या 1 का प्रस्ताव करेंगे।

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 15, "धारा 354क की उपधारा (2) और उपधारा (3), धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ की उपधारा (2)" के स्थान पर, "धारा 354ख" रखें। (1)

(श्री सुशीलकुमार शिंदे)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 15,–

"धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ की उपधारा (2)" का लोप किया जाए।

अध्यक्ष महोदया : अब मैं श्री कल्याण बनर्जी द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 21 को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 3, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 नई धाराएं 326(क) और 326(ख) का अंत:स्थापन

अध्यक्ष महोदया : श्री ए. सम्पत ने खंड 5 में तीन संशोधन करने के लिए सूचना दी है। श्री ए. सम्पत, क्या आप अपना संशोधन संख्या 9 से 11 का प्रस्ताव रख रहे हैं।

श्री ए. सम्पत (अटिंगल) : अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 32,–

"व्यक्ति पर अम्ल" के **पश्चात्** "या किसी स्वरूप का कोई अन्य प्राणहर पदार्थ" **अंत:स्थापित** किया जाए। (9)

पृष्ठ 2, पंक्ति 32,–

"उसे अम्ल" के **पश्चात्** "या किसी स्वरूप का कोई अन्य प्राणहर पदार्थ" **अंत:स्थापित** किया जाए। (10)

पृष्ठ 2, पंक्ति 40,–

"लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा" के **पश्चात्** "और यह भावी चिकित्सीय खर्चों, जो उक्त घटना के कारण उत्पन्न होते हों, को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त होना चाहिए" **अंत:स्थापित** किया जाए। (11)

अध्यक्ष महोदया : अब मैं श्री ए. सम्पत द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 9 से 11 सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदया : श्री एस. सेम्मलई, क्या आप संशोधन संख्या 30 का प्रस्ताव ला रहे हैं?

श्री एस. सेम्मलई (सलेम) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 1 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अंतःस्थापित** किया जाए—

"परंतु यह और कि अभियुक्त के पास जुर्माने के संदाय का कोई साधन न होने की दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा पीड़ित को दो लाख रुपए संदत्त किए जाएंगे।"। (30)

अध्यक्ष महोदया : अब मैं श्री एस. सेम्मलई द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 30 सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती सुप्रिया सुले, क्या आप संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हैं?

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : जी, हां, महोदया, मैं संशोधन प्रस्तुत कर रही हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदया, संशोधन तेजाब के हमले के बारे में है। इसके स्थान पर 'आजीवन कारावस' प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 7,—

"सात वर्ष" **के स्थान पर** "आजीवन कारावास" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (33)

मैं चाहता हूं कि इस मतदान में मत-विभाजन किया जाए।

अध्यक्ष महोदया : दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

अध्यक्ष महोदया : अब, महासचिव स्वचालित मतदान रिकार्डिंग मशीन के प्रचालन की प्रक्रिया के बारे में सूचित करेंगे।

महासचिव : स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली के मतदान के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है:—

1. मत-विभाजन शुरू होने से पूर्व प्रत्येक माननीय सदस्य अपने स्थान पर चले जाएंगे और केवल अपने स्थान से ही मतदान करेंगे।

2. जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, माननीय अध्यक्षपीठ के दोनों तरफ 'सूचना बोर्ड' पर लाल बत्ती जल रही हैं। इसका मतलब है कि मतदान प्रणाली सक्रिय कर दी गयी है।

3. मतदान के लिए प्रथम अलार्म बजने के तुरंत बाद निम्नलिखित दोनों बटनों को कृपया एक साथ दबाएं अर्थात् माननीय सदस्य के सामने हेडफोन प्लेट पर लगा एक 'लाल बटन और साथ ही सीट में एक डेस्क के ऊपर स्थित निम्नलिखित बंटनों में से एक बटन:

   पक्ष में .... हरा बटन

   विपक्ष में .... लाल बटन

   भाग नहीं लिया .... पीला बटन

4. जब तक अलार्म दूसरी बार न बज जाए और 'लाल' बत्ती 'बुझ' न जाए, दोनों बटनों को दबाए रखना आवश्यक है।

   महत्वपूर्ण: माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि यदि दूसरी बार एलार्म बजने तक दोनों बटनों को एक साथ दबाकर नहीं रखा जाता है, तो मतदान दर्ज नहीं होगा।

5. मत-विभाजन के दौरान कृपया ऐम्बर बटन (पी) नहीं दबाएं।

6. माननीय सदस्य वास्तव में अपना मतदान सूचक बोर्डों पर तथा अपने डेक्स यूनिट पर देख सकते हैं।

7. यदि मतदान दर्ज नहीं होता है तो वे पर्ची द्वारा मतदान की मांग कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदया : अब दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

प्रश्न यह है:

कि पृष्ठ 3, पंक्ति 7, में–

"सात वर्ष" **के स्थान पर** "आजीवन कारावास" प्रतिस्थापित किया जाए। (33)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या 1 पक्ष में सायं 07.21 बजे

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अडसुल, श्री आनन्दराव

अहीर, श्री हंसराज गं.

आदित्यनाथ, योगी

*आनंदन, श्री एम.

काछादिया, श्री नरेनभाई

*करुणाकरन, श्री पी.

कुमार, श्री अनंत

कुमार, श्री विश्व मोहन

कुमार, श्री वीरेन्द्र

*गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गीते, श्री अनन्त गंगाराम

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर

चक्रवती, श्रीमती विजया

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री बंस गोपाल

चौधरी, श्री भूदेव

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*जयाप्रदा, श्रीमती

जरदोश, श्रीमती दर्शाना

जोशी श्री प्रहलाद

*डोम, डॉ. रामचन्द्र

तम्बिदुरई, डॉ. एम.

दास, श्री खगेन

दासगुप्त, श्री गुरुदास

दुबे, श्री निशिकांत

*दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव

देवी, श्रीमती रमा

धोत्रे, श्री संजय

नाईक, डॉ. संजीव गणेश

*पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

परांजपे, श्री आनन्द प्रकाश

पाठक, श्री हरिन

*पाण्डा, श्री प्रबोध

पाण्डेय, कुमारी सरोज

पासवान, श्री कमलेश

पोटाई, श्री मोहन

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप

बनर्जी, श्री कल्याण

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बासके, श्री पुलीन बिहारी

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह

भुजबल, श्री समीर

मणियन, श्री ओ.एस.

मलिक, श्री शक्ति मोहन

महताब, श्री भर्तृहरि

*महाजन, श्रीमती सुमित्रा

मिश्रा, श्री पिनाकी

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

यादव, श्री शरद

राजेन्द्रन, श्री सी.

*राजेश, श्री एम.बी.

*राम, श्री पूर्णमासी

*राय, श्री अर्जुन

राय, श्री विष्णु पद

राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती शताब्दी

राव, श्री नामा नागेश्वर

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल

वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम

वेणुगोपाल, डॉ. पी.

सत्पथी, श्री तथागत

सम्पत, श्री ए.

साहा, डॉ. अनूप कुमार

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री सुशील कुमार

*सिंह, श्रीमती मीना

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुशान्त, डॉ. राजन

सेम्मलई, श्री एस.

स्वराज, श्रीमती सुषमा

हक, शेख सैदुल

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री जयप्रकाश

अजहरूद्दीन, मोहम्मद

अब्दुल्ला, डॉ. फारुख

अमलाबे, श्री नारायण सिंह

इंगती, श्री बिरेन सिंह

ईरींग, श्री निगोंग

उपाध्याय, श्रीमती सीमा

कटारिया, श्री लालचन्द

कमलनाथ, श्री

कलमाडी, श्री सुरेश

कामत, श्री गुरुदास

*किल्ली, डॉ. क्रुपारानी

कुमार, श्री रमेश

कुमार, श्री शैलेन्द्र

कुमारी, श्रीमती चन्देश

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*कुरुप, श्री एन. पीताम्बर

कृष्णास्वामी, श्री एम.

केपी, श्री महिन्दर सिंह

कौर, श्रीमती परनीत

खंडेला, श्री महादेव सिंह

*खरगे, मल्लिकार्जुन

खुर्शीद, श्री सलमान

गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव

*गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गोगोई, श्री दीप

घाटोवार, श्री पवन सिंह

*चाको, श्री पी.सी.

चित्तन, श्री एन.एस.वी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डॉ.

चौधरी, डॉ. तुषार

चौधरी, श्री हरीश

चौधरी, श्रीमती श्रुति

चौहान, श्री दारा सिंह

जाखड़, श्री बद्री राम

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जिन्दल, श्री नवीन

जोशी, श्री महेश

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टम्टा, श्री प्रदीप

टैगोर, श्री मानिक

ठाकोर, श्री जगदीश

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर

**तिरुमावलावन, श्री थोल

तीरथ, श्रीमती कृष्णा

थरूर, डॉ. शशी

थामराईसेलवन, श्री आर.

**थॉमस, श्री पी.टी.

दत्त, श्रीमती प्रिया

दास, श्री भक्त चरण

दीक्षित, श्री सन्दीप

धनपालन, श्री के.पी.

ध्रुवनारायण, श्री आर.

नरह, श्रीमती रानी

नामधारी, श्री इन्दर सिंह

नारायणसामी, श्री वी.

*पटेल, श्री दिनशा

पटेल, श्री देवराज सिंह

पाटील, श्री प्रतीक

पाण्डेय, श्री राकेश

पाला, श्री विन्सेंट एच.

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम स शुद्धि की।

पुनिया, श्री पन्ना लाल

प्रभाकर, श्री पोन्नम

प्रसाद, श्री जितिन

प्रेमदास, श्री

बंसल, श्री पवन कुमार

*बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.

*बापीराजू, श्री के.

बाबा, श्री के.सी. सिंह

बिसवाल, श्री हेमानन्द

बैठा, श्री कामेश्वर

*बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल

भगोरा, श्री ताराचन्द

महन्त, डॉ. चरण दास

महाराज, श्री सतपाल

*मीणा, श्री नमो नारायन

मुखर्जी, श्री अभिजीत

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मेघवाल, श्री भरत राम

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड

*मैन्या, डॉ. थोकचोम

यादव, श्री मुलायम सिंह

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

रामकिशुन, श्री

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

राव, डॉ. के.एस.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रावत, श्री हरीश

*रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

लालू प्रसाद, श्री

विवेकानन्द, डॉ. जी.

विश्वनाथ, श्री अद्गुरू एच.

विश्वनाथ, श्री पी.

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

व्यास, डॉ. गिरिजा

शर्मा, डॉ. अरविन्द कुमार

शर्मा, श्री मदन लाल

शानवास, श्री एम.आई.

शारिक, श्री शरीफुद्दीन

शिन्दे, श्री सुशील कुमार

*शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शेखावत, श्री गोपाल सिंह

शेटकर, श्री सुरेश कुमार

सईद, श्री हमदुल्लाह

सचान, श्री, राकेश

*सत्यनारायण, श्री सर्वे

साई प्रताप, श्री ए.

सिंह, चौधरी लाल

सिंह, श्री आर.पी.एन.

सिंह, श्री इज्यराज

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री जगदानन्द

सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री यशवीर

सिंह, श्री रतन

सिंह, श्री विजय बहादुर

सिंह, श्री सुखदेव

*सिब्बल, श्री कपिल

*सुगावनम, श्री ई.जी.

*सुरेश श्री, कोडिकुन्नील

*सैलजा, कुमारी

*सोलंकी, श्री भरतसिंह

हक, श्री मोहम्मद असरारूल

हान्डिक, श्री बी.के.

हुसैन, श्री इस्माइल

अध्यक्ष महोदया : शुद्धि के अध्यधीन*, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार हो—

पक्ष में : 62

विपक्ष में : 105

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

कुछ माननीय सदस्य : महोदया, हमारे मतों को रिकॉर्ड नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य, यह परिणाम शुद्धि के अध्यधीन है। यदि आपको लगता है कि आपका मत रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो आप अपनी पर्ची दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदया : श्री धनंजय सिंह – उपस्थिति नहीं।

श्री नीरज शेखर अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री नीरज शेखर (बलिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3 पंक्ति 7,–

> "सात वर्ष" **के स्थान पर** "आजीवन कारावास" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

अध्यक्ष महोदया : अब मैं श्री नीरज शेखर द्वारा प्रस्तुत संशो· संख्या 36 को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन प्रस्तुत हुआ और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 नई धाराएं 354क, 354ख, 354ग और 354घ का अंत:स्थापन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 3, पंक्ति 35, "किसी सार्वजनिक स्थान में" शब्दों का लोप करें। (2)

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने अपना मतदान/शुद्धि पर्ची के माध्यम से की।

पक्ष में = 62 + श्री एम. आनंदन + डॉ. रामचन्द्र डोम, सर्वश्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर, पी.सी. गद्दीगौदर, श्रीमती जयाप्रदा, श्री पी. करुणाकरन, श्रीमती सुमित्रा महाजन, सर्वश्री प्रबोध पांडा, एम.बी. राजेश, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, सर्वश्री पूर्णमासी राम, अर्जुन राय, श्रीमती मीना सिंह = 75.

विपक्ष में = 105 + सर्वश्री खिलाड़ी लाल बैरवा, के. बापीराजू, मोहम्मद ई.टी. बशीर, पी.जी. चाको, पी. चिदम्बरम, एन.एस.बी. चित्तन, हरीश चौधरी, बिरेन सिंह इंगती, माणिकराव, होडल्या गावित, मल्लिकार्जुन खरगे, डॉ. क्रुपारानी किल्ली, सर्वश्री एन. पीताम्बर कुरुप, नमोनारायण मीणा, डॉ. थोकचोम मैन्या, सर्वश्री दिनशा पटेल, अनंत वेंकटरामी रेड्डी, सर्वे सत्यनारायण, कपिल सब्बिल, भरतसिंह सोलंकी, कोडिकुन्नील सुरेश, थोल तिरुमावलावन, पी.टी. थॉमतस, मुलायम सिंह यादव – 128

भाग नहीं लिया = 001 – श्री कोडिकुन्नील सुरेश ने गलती से 'भाग नहीं लिया' में मतदान किया। बाद में उन्होंने इसमें पर्ची के माध्यम से विपक्ष में मतदान किया = 0

पृष्ठ 4, पंक्ति 29 से पंक्ति 33 **के स्थान पर** "पीछा करने का अपराध करता है" **प्रतिस्थापित** करें। (3)

पृष्ठ 5, पंक्ति 1 से पंक्ति 3 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** करें:

"(2) जो कोई पीछा करने का अपराध करता है, यह प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा; और किसी दूसरे या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर, किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।"। (3)

(श्री सुशीलकुमार शिंदे)

अध्यक्ष महोदया : श्री शैलेन्द्र कुमार अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्तियां 22 से 34 का लोप किया जाए। (18)

पृष्ठ 4, पंक्तियां 2 से 41 का लोप किया जाए। (18)

पृष्ठ 5, पंक्तियां 1 से 3 का लोप किया जाए। (18)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब मैं श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 18 से 20 को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदया : श्री भर्तृहरि महताब अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 4, पंक्ति 29,—

"स्त्री को ऐसी किसी रीति में एकटक देखता या उसकी" **के स्थान पर** "किसी स्त्री की ऐसी रीति में जासूसी करता है" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

अध्यक्ष महोदया : अब मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 34 को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : श्री धनंजय सिंह अपना संशोधन संख्या 37 प्रस्तुत करेंगे। वे उपस्थित नहीं है। श्री तथागत सत्पथी अपन संशोधन संख्या 39 और 40 प्रस्तुत करेंगे।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकनाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 4, पंक्ति 29, और 30 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए,—

"(iii) किसी स्त्री की जासूसी करता है, छूपकर बात सुनता है या अन्यथा एकांत स्थान का अतिक्रमण करता है।" (39)

पृष्ठ 5, पंक्ति 2 और 3,—

"एक वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी" **के स्थान पर** "पांच वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (41)

अध्यक्ष महोदया : अब मैं श्री तथागत सत्पथी द्वारा प्रस्तुत संशाधन संख्या 39 और 40 को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 7, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 धारा 370 के लिए नई धाराएं 370 और 370क का प्रतिस्थापन

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती सुप्रिया सुले अपना संशोधन संख्या 32 प्रस्तुत करेंगी।

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : महोदया, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रही हूं।

अध्यक्ष महोदया : श्री भर्तृहरि महताब अपना संशोधन संख्या 35 प्रस्तुत करेंगे।

श्री भर्तृहरि महताब : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 6, पंक्ति 6 और 7,–

"पांच वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी" **के स्थान पर** "बीस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (35)

यह बच्चों के साथ दुराचार से संबंधित है जहां केवल पांच वर्ष का उल्लेख किया गया है परन्तु पकड़े जाने और दोषसिद्धि होने पर आजीवन कारावास होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : अब मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 35 को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदया, मैं मत-विभाजन चाहता हूं। सरकार की बात खुलने दीजिए। मत-विभाजन होने दीजिए।

अध्यक्ष महोदया : दीर्घायें पहले ही खाली की जा चुकी है।

प्रश्न यह है:

पृष्ठ 6, पंक्ति 7,–

"पांच वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी" **के स्थान पर** "बीस वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु ओ आजीवन कारावास तक की हो सकेगी" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या 2 पक्ष में सायं 07.31 बजे

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अडसुल, श्री आनन्दराव

अनन्त, कुमार श्री

अहीर, श्री हंसराज गं.

आदित्यनाथ, योगी

आनंदन, श्री एम.

काछादिया, श्री नरेनभाई

करुणाकरन, श्री पी.

कुमार, श्री वीरेन्द्र

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गीते, श्री अनन्त गंगाराम

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर

चक्रवती, श्रीमती विजया

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री बंस गोपाल

जयाप्रदा, श्रीमती

जरदोश, श्रीमती दर्शाना

जोशी श्री प्रहलाद

डोम, डॉ. रामचन्द्र

तम्बिदुरई, डॉ. एम.

दास, श्री खगेन

दासगुप्त, श्री गुरुदास

दुबे, श्री निशिकांत

*दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव

देवी, श्रीमती रमा

धोत्रे, श्री संजय

नाईक, डॉ. संजीव गणेश

पटेल, श्री देवराज सिंह

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

परांजपे, श्री आनन्द प्रकाश

पाठक, श्री हरिन

पाण्डा, श्री प्रबोध

पाण्डेय, कुमारी सरोज

पासवान, श्री कमलेश

पोटाई, श्री सोहन

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बासके, श्री पुलीन बिहारी

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह

बैस, श्री रमेश

मणियन, श्री ओ.एस.

मलिक, श्री शक्ति मोहन

महताब, श्री भर्तृहरि

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

मिश्रा, श्री पिनाकी

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

यादव, श्री शरद

राजेन्द्रन, श्री सी.

राजेश, श्री एम.बी.

राय, श्री महेन्द्र कुमार

राय, श्री रुद्रमाधव

राय, श्री विष्णु पद

राव, श्री नामा नागेश्वर

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल

लिंगम, श्री पी.

वेणुगोपाल, डॉ. पी.

सत्पथी, श्री तथागत

सम्पत, श्री ए.

साहा, डॉ. अनूप कुमार

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री सुशील कुमार

सुशान्त, डॉ. राजन

सेम्मलई, श्री एस.

स्वराज, श्रीमती सुषमा

हक, शेख सैदुल

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री जयप्रकाश

अजहरूद्दीन, मोहम्मद

अब्दुल्ला, डॉ. फारुख

अमलाबे, श्री नारायण सिंह

इंग्ती, श्री बिरेन सिंह

ईरींग, श्री निगोंग

उपाध्याय, श्रीमती सीमा

कटारिया, श्री लालचन्द

कमलनाथ, श्री

कलमाडी, श्री सुरेश

कामत, श्री गुरुदास

किल्लीं, डॉ. क्रुपारानी

कुमार, श्री रमेश

कुमार, श्री शैलेन्द्र

कुमारी, श्रीमती चन्देश

कुरुप, श्री एन. पीताम्बर

कृष्णास्वामी, श्री एम.

केपी, श्री महिन्दर सिंह

कौर, श्रीमती परनीत

खंडेला, श्री महादेव सिंह

खरगे, मल्लिकार्जुन

खुर्शीद, श्री सलमान

गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गोगोई, श्री दीप

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चाको, श्री पी.सी.

चित्तन, श्री एन.एस.वी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डॉ.

चौधरी, डॉ. तुषार

चौधरी, श्री हरीश

चौधरी, श्रीमती श्रुति

चौहान, श्री दारा सिंह

जाखड़, श्री बद्री राम

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जिन्दल, श्री नवीन

जोशी, श्री महेश

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टम्टा, श्री प्रदीप

टैगोर, श्री मानिक

ठाकोर, श्री जगदीश

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर

तिरुमावलावन, श्री थोल

तीरथ, श्रीमती कृष्णा

थरूर, डॉ. शशी

थामराईसेलवन, श्री आर.

थॉमस, श्री पी.टी.

दत्त, श्रीमती प्रिया

दास, श्री भक्त चरण

दीक्षित, श्री सन्दीप

धनपालन, श्री के.पी.

ध्रुवनारायण, श्री आर.

नरह, श्रीमती रानी

नागर, श्री सुरेन्द्र सिंह

नामधारी, श्री इन्दर सिंह

नारायणसामी, श्री वी.

पटेल, श्री दिनशा

पाण्डेय, श्री राकेश

पाटील, श्री प्रतीक

पाण्डेय, श्री गोरखनाथ

पाला, श्री विन्सेंट एच.

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

पुनिया, श्री पन्ना लाल

प्रभाकर, श्री पोन्नम

प्रसाद, श्री जितिन

प्रेमदास, श्री

बंसल, श्री पवन कुमार

बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.

बापीराजू, श्री के.

बाबा, श्री के.सी. सिंह

बिसवाल, श्री हेमानन्द

बैठा, श्री कामेश्वर

बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल

भगोरा, श्री ताराचन्द

महन्त, डॉ. चरण दास

महाराज, श्री सतपाल

मीणा, श्री नमो नारायन

मुखर्जी, श्री अभिजीत

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मेघवाल, श्री भरत राम

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड

मैन्या, डॉ. थोकचोम

यादव, श्री अरुण

यादव, श्री मुलायम सिंह

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राम, श्री पूर्णमासी

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

राव, डॉ. के.एस.

रावत, श्री हरीश

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

लालू प्रसाद, श्री

विवेकानन्द, डॉ. जी.

विश्वनाथ, श्री अद्गुरू एच.

विश्वनाथ, श्री पी.

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

व्यास, डॉ. गिरिजा

शर्मा, डॉ. अरविन्द कुमार

शर्मा, श्री मदन लाल

शानवास, श्री एम.आई.

शारिक, श्री शरीफुद्दीन

शिन्दे, श्री सुशील कुमार

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शेखावत, श्री गोपाल सिंह

शेटकर, श्री सुरेश कुमार

सईद, श्री हमदुल्लाह

सचान, श्री, राकेश

सत्यनारायण, श्री सर्वे

सरोज, श्रीमती सुशीला

साई प्रताप, श्री ए.

सिंह, श्री आर.पी.एन.

सिंह, चौधरी लाल

सिंह, श्री इज्यराज

सिंह, श्री जगदानन्द

सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री रतन

सिंह, श्री विजय बहादुर

सिंह, श्री सुखदेव

सिंह, श्रीमती मीना

सिब्बल, श्री कपिल

सुगावनम, श्री ई.जी.

सुरेश श्री, कोडिकुन्नील

सैलजा, कुमारी

सोलंकी, श्री भरतसिंह

हक, श्री मोहम्मद असरारूल

हान्डिक, श्री बी.के.

हुसैन, श्री इस्माइल

भाग नहीं लिया

भुजबल, श्री समीर

सुले, श्रीमती सुप्रिया

अध्यक्ष महोदया : शुद्धि के अध्यधीन*, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार हो—

पक्ष में : 65

विपक्ष में : 129

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : श्री धनंजय सिंह अपना संशोधन संख्या 38 प्रस्तुत करेंगे। वह उपस्थित नहीं है।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 9 धारा 375, 376, 376क, 376ख, 376ग और 376घ के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 8, पंक्ति 7,—

"सोलह वर्ष " **के स्थान पर** "अठारह वर्ष" **प्रतिस्थापित** करें।

(श्री सुशीलकुमार शिंदे)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ 7, पंक्ति 17,—

"पंद्रह वर्ष " **के स्थान पर** "अठारह वर्ष" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

पृष्ठ 8, पंक्ति 7,—

"सोलह वर्ष " **के स्थान पर** "अठारह वर्ष" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

*निम्नलिखित सदस्यों ने पर्चियों के माध्यम से मतदान किया/शुद्धि की।

पक्ष में = 65 + श्री नरेनभाई काछादिया = 66

विपक्ष में = 129 + सर्वश्री खिलाड़ी लाल बैरवा, मोहम्मद असरारूल हक और कपिल सिब्बल — 132

भाग नहीं लिया = 002 — श्री समीर भुजबल और श्रीमती सुप्रिया सुले

अध्यक्ष महोदया : अब मैं सभा में मतदान हेतु प्रो. सौगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 और 8 रखता हूं।

संशोधन रखे गये और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदया : अब संशोधन संख्या 12 से 17, श्री ए. सम्पत।

श्री ए. सम्पत : महोदया, खंड 9 के संबंध में जो सभी संशोधनों मैंने रखे हैं, वे अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं। मैं कारागारों में हिरासतों, सुधार गृहों और किशोर सुधार गृहों में किए जाने वाले बलात्कारों के कारण रखे संशोधन ला रहा हूं। अत:, मुझे इन संशोधनों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ 7, पंक्ति 30,–

"किसी स्त्री" **के स्थान पर** "किसी व्यक्ति" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

पृष्ठ 7, पंक्ति 32,–

"स्त्री" **के स्थान पर** "व्यक्ति" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

पृष्ठ 8, पंक्तियां 2 और 3,–

"स्त्री" **के स्थान पर** "व्यक्ति" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

पृष्ठ 8, पंक्ति 7,–

"स्त्री" **के स्थान पर** "व्यक्ति" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

पृष्ठ 9, पंक्ति 15,–

"ऐसे किसी स्त्री" **के स्थान पर** "ऐसे किसी व्यक्ति" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

पृष्ठ 9, पंक्ति 31,–

"सामान्य" **के स्थान पर** "समरूप" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

अध्यक्ष महोदया : अब मैं श्री ए. सम्पत द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 से 17 को सभा में मतदान हेतु प्रस्तुत करूंगा।

संशोधन रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदया : श्री कल्याण बनर्जी संशोधन संख्या 24 प्रस्तुत करेंगे।

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : महोदया, सरकार द्वारा लाए गए संशोधन के मद्देनजर अब यह आवश्यक नहीं है। इसलिए मैं अपना संशोधन ला रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया : अब संशोधन संख्या 27 रखी जाए। श्री गुरुदास दासगुप्त।

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल) : महोदया, मैं यह संशोधन ला रहा हूं क्योंकि पृष्ठ संख्या 6 पर यौन संबंधों पर सहमति के संदर्भ के बारे में यहां यह स्पष्ट/स्वैच्छिक लिखा गया है। स्पष्ट का अर्थ यह नहीं है कि यह सुव्यक्त है। मेरी बात केवल यह है कि इसे सुव्यक्त होना चाहिए। यदि यह सुस्पष्ट नहीं है तो 'स्पष्ट' (अनइक्वीवोकल) शब्द को गलत समझा जाएगा। यह वही अर्थ संप्रेषित नहीं करेगा।

इसलिए मैं सरकार से इसे स्वीकार करने की अपील करूंगा। अन्यथा इस शब्द 'स्पष्ट' (अनइक्वीवोकल) को अभियुक्त की रक्षा करने के लिए बचाव पक्ष के वकील द्वारा परिभाषित किया जाएगा। मैं आपसे इसे स्वीकार करने की अपील करूंगा...*(व्यवधान)*

महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"स्पष्ट" (अनइक्वीवोकल) **के पश्चात्** "सुव्यक्त" (एक्सप्लीसिट) **प्रतिस्थापित** किया जाए। (27)

अध्यक्ष महोदया : अब मैं श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा लाए गए संशोधन संख्या 27 को सभा में मतदान हेतु प्रस्तुत करूंगा।

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदया, मैं इस संशोधन पर मत-विभाजन चाहता हूं...(व्यवधान) इतनी सरल सी बात सरकार नहीं स्वीकार कर सकती।

अध्यक्ष महोदया : दीर्घा पहले से ही खाली है।

प्रश्न यह है:

"स्पष्ट" **के पश्चात्** "सुव्यक्त" **प्रतिस्थापित** किया जाए।" (27)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या 3 पक्ष में सायं 07.36 बजे

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र
अडसुल, श्री आनन्दराव
अनन्त, कुमार श्री
अहीर, श्री हंसराज गं.
आदित्यनाथ, योगी
आनंदन, श्री एम.
काछादिया, श्री नरेनभाई
करुणाकरन, श्री पी.
कुमार, श्री विश्व मोहन
कुमार, श्री वीरेन्द्र
गद्दीगौदर, श्री पी.सी.
गीते, श्री अनन्त गंगाराम
गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर
चक्रवती, श्रीमती विजया
चौधरी, श्री निखिल कुमार
चौधरी, श्री बंस गोपाल
जयाप्रदा, श्रीमती
जरदोश, श्रीमती दर्शाना
जोशी श्री प्रहलाद
डोम, डॉ. रामचन्द्र
तम्बिदुरई, डॉ. एम.
दास, श्री खगेन
दासगुप्त, श्री गुरुदास
दुबे, श्री निशिकांत
दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव
देवी, श्रीमती रमा
धोत्रे, श्री संजय
पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन
परांजपे, श्री आनन्द प्रकाश
पाठक, श्री हरिन
पाण्डा, श्री प्रबोध
पाण्डेय, कुमारी सरोज
पासवान, श्री कमलेश
पोटाई, श्री सोहन
बाउरी, श्रीमती सुस्मिता
बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर
बासके, श्री पुलीन बिहारी
बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह
बैस, श्री रमेश
मणियन, श्री ओ.एस.
मलिक, श्री शक्ति मोहन
महताब, श्री भर्तृहरि
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
मिश्रा, श्री पिनाकी
मेघवाल, श्री अर्जुन राम
यादव, श्री शरद
राजेन्द्रन, श्री सी.
राजेश, श्री एम.बी.
राम, श्री पूर्णमासी

राय, श्री महेन्द्र कुमार

राय, श्री रुद्रमाधव

राय, श्री विष्णु पद

राव, श्री नामा नागेश्वर

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल

लिंगम, श्री पी.

वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम

वेणुगोपाल, डॉ. पी.

सत्पथी, श्री तथागत

सम्पत, श्री ए.

साहा, डॉ. अनूप कुमार

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री सुशील कुमार

सिंह, श्रीमती मीना

सुशान्त, डॉ. राजन

सेम्मलई, श्री एस.

स्वराज, श्रीमती सुषमा

हक, शेख सैदुल

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री जयप्रकाश

अजहरूद्दीन, मोहम्मद

अब्दुल्ला, डॉ. फारुख

अमलाबे, श्री नारायण सिंह

इंग्ती, श्री बिरेन सिंह

इरींग, श्री निगोंग

उपाध्याय, श्रीमती सीमा

कटारिया, श्री लालचन्द

कमलनाथ, श्री

कलमाडी, श्री सुरेश

कामत, श्री गुरुदास

किल्ली, डॉ. कृपारानी

कुमार, श्री रमेश

कुमार, श्री शैलेन्द्र

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश

कुरुप, श्री एन. पीताम्बर

कृष्णास्वामी, श्री एम.

केपी, श्री महिन्दर सिंह

कौर, श्रीमती परनीत

खंडेला, श्री महादेव सिंह

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन

खुर्शीद, श्री सलमान

गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गोगोई, श्री दीप

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चाको, श्री पी.सी.

चित्तन, श्री एन.एस.वी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डॉ.

चौधरी, डॉ. तुषार

चौधरी, श्री भूदेव

चौधरी, श्री हरीश

चौधरी, श्रीमती श्रुति

चौहान, श्री दारा सिंह

जाखड़, श्री बद्री राम

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जिन्दल, श्री नवीन

जोशी, श्री महेश

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टम्टा, श्री प्रदीप

टैगोर, श्री मानिक

ठाकोर, श्री जगदीश

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर

तिरुमावलावन, श्री थोल

तीरथ, श्रीमती कृष्णा

थरूर, डॉ. शशी

थामराईसेलवन, श्री आर.

थॉमस, श्री पी.टी.

दत्त, श्रीमती प्रिया

दास, श्री भक्त चरण

दीक्षित, श्री सन्दीप

धनपालन, श्री के.पी.

ध्रुवनारायण, श्री आर.

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, डॉ. संजीव गणेश

नामधारी, श्री इन्दर सिंह

नारायणसामी, श्री वी.

पटेल, श्री दिनशा

पटेल, श्री देवराज सिंह

पाण्डेय, श्री राकेश

पाटील, श्री प्रतीक

पाण्डेय, श्री गोरखनाथ

पाला, श्री विन्सेंट एच.

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

पुनिया, श्री पन्ना लाल

प्रभाकर, श्री पोन्नम

प्रसाद, श्री जितिन

प्रेमदास, श्री

बंसल, श्री पवन कुमार

बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.

बापीराजू, श्री के.

बाबा, श्री के.सी. सिंह

बिसवाल, श्री हेमानन्द

बैठा, श्री कामेश्वर

बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल

भगोरा, श्री ताराचन्द

भुजबल, श्री समीर

महन्त, डॉ. चरण दास

महाराज, श्री सतपाल

मीणा, श्री नमो नारायन

मुखर्जी, श्री अभिजीत

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मेघवाल, श्री भरत राम

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड

मैन्या, डॉ. थोकचोम

यादव, श्री अरुण

यादव, श्री मुलायम सिंह

*राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

रामकिशुन, श्री

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

राव, डॉ. के.एस.

रावत, श्री हरीश

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

लालू प्रसाद, श्री

विवेकानन्द, डॉ. जी.

विश्वनाथ, श्री अद्गुरू एच.

विश्वनाथ, श्री पी.

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

व्यास, डॉ. गिरिजा

शर्मा, डॉ. अरविन्द कुमार

शर्मा, श्री मदन लाल

शानवास, श्री एम.आई.

शारिक, श्री शरीफुद्दीन

शिन्दे, श्री सुशील कुमार

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शेखावत, श्री गोपाल सिंह

शेटकर, श्री सुरेश कुमार

सईद, श्री हमदुल्लाह

सचान, श्री, राकेश

सत्यनारायण, श्री सर्वे

सरोज, श्रीमती सुशीला

साई प्रताप, श्री ए.

सिंह, श्री आर.पी.एन.

सिंह, चौधरी लाल

सिंह, श्री इज्यराज

सिंह, श्री जगदानन्द

सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री रतन

सिंह, श्री विजय बहादुर

सिंह, श्री सुखदेव

सिब्बल, श्री कपिल

सुगावनम, श्री ई.जी.

सुरेश श्री, कोडिकुन्नील

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सैलजा, कुमारी

सोलंकी, श्री भरतसिंह

हक, श्री मोहम्मद असरारूल

हान्डिक, श्री बी.के.

हुसैन, श्री इस्माइल

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अध्यधीन*, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार हो—

पक्ष में : 68

विपक्ष में : 130

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : अब, संशोधन संख्या 41, श्री तथागत सत्पथी।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : महोदया, यह पीछा करने के संबंध में है, जोकि मेरे विचार में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध की शुरुआत है। लड़कों अथवा पुरुषों का समूह अथवा कोई व्यक्ति महिलाओं का पीछा करता है, पता लगाते हैं कि वह कहां काम करती है, कहां रहती है, क्या करती है, किस बस अथवा कार से जाती है; और यही पीछा करना है। पीछा करना एक क्रिया है जिसे तत्परता से और अधिक बल के साथ और पूर्ण रूप से कुचला जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, यदि इसे हल्के में लिया जाता है; और यदि अपराधी बच निकलाता है तो अगली बार बलात्कार और हत्या जैसे अपराध करेगा।

इसलिए सरकार जिस संशोधन द्वारा इसे 'जमानत योग्य' बना रही है उसके बदले में सरकार से अनुरोध करूंगा कि पीछा करने को गैर-जमानती अपराध बनाए। मैं सरकार से इस मुद्दे को प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बनाने का अनुरोध करता हूं क्योंकि सरकार में बहुत सारे काबिल वकील मौजूद हैं। धन्यवाद, महोदया।

*निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया/शुद्धि की।

पक्ष में = 68 + शून्य = 68

विपक्ष में = 130 + सर्वश्री खिलाड़ी लाल बैरवा, गजेन्द्र सिंह राजुखेडी, कपिल सिब्बल और मुलायम सिंह यादव = 134

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : महोदया, जो संशोधन तथागत सत्पथी जी ने दिया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। यहां मैंने पूरी चर्चा, लगभग 75 प्रतिशत चर्चा सुनी है। प्रारंभ में मैं नहीं बैठ सकी थी क्योंकि इजिप्ट के राष्ट्रपति के पास मुझे शिष्टाचार भेंट के लिए जाना था। लेकिन जब मैंने चर्चा सुनी, तो जो कुछ हल्की टिप्पणियां हुईं, केवल इसी बात पर हुईं — स्टॉकिंग, पीछा करना। मैं यह कहना चाहती हूं कि साधारण पीछा करने की मानसिकता के विरोध में यह बिल नहीं है। यह बिल स्टॉकिंग की उस मानसिकता के विरोध में है जो गीतिका शर्मा जैसी लड़कियों को खुदकुशी करने पर मजबूत करती है। वह स्टॉकिंग का ही केस था, जहां यह लिखा गया एप्वाइंटमेंट लेटर में कि आप रोज शाम को काम करने के बाद बॉस से मिलने आएंगी और उसके बाद लगातार पीछा किया गया उस लड़की का। अल्टीमेटली उसने अपनी जान दे दी। उसके बाद स्टॉक किया गया उसकी मांग को समझौता करने के लिए, दबाव बनाने के लिए। उसने भी जान दे दी। यह स्टॉगि का ऑफेंस, जो दो-दो महिलाओं, मां और बेटी को खुदकुशी करने पर मजबूर करता है, उसको बेलेबल बनाना अपने आप में बहुत गलत है। मैं समर्थन करती हूं तथागत जी का कि स्टॉकिंग के पहले अपराध को भी नॉन-बेलेबल बनाया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सुशीलकुमार शिंदे : यह पहला अपराध है। पहले अपराध के लिए हमने ऐसा किया है और हमने सर्वसम्मति से सब निर्णय लिया है। इस संशोधन पर आग्रह करने का कोई मतलब नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : गोपाल कांडा का यह पहला ऑफेंस है मंत्री जी।...*(व्यवधान)* गोपाल कांडा, हरियाणा के एक मंत्री, जो इस केस में अभियुक्त हैं, उनका भी यह पहला ऑफेंस है, लेकिन स्टॉकिंग को नॉन-बेलेबल ही रखना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सुशीलकुमार शिंदे : मूल रूप से, बैठक में भी चर्चा हुई थी कि यह जमानती है और हमने उसे बनाए रखा।

अध्यक्ष महोदया : मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहती हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुझे स्पष्ट करने दें। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूं कि श्री तथागत सत्पथी के संशोधन की संख्या 41 है।

श्री तथागत सत्पथी : मुझे खेद है, महोदया।

अध्यक्ष महोदया : और संशोधन संख्या 42 पर चर्चा चल रही है।

श्री तथागत सत्पथी : मैं संशोधन संख्या 42 पढ़ रहा था।

अध्यक्ष महोदया : लेकिन इस समय, मैं संशोधन संख्या 41 पर हूं।

श्री तथागत सत्पथी : महोदया, मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है।

श्री तथागत सत्पथी : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 9, पंक्ति 5 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,—

"परन्तु इस धारा की कोई भी बात ऐसी स्त्री और पुरुष पर लागू नहीं होगी जो जब तात्पर्यित बलात्संग घटित होता है, छह महीनों से अधिक अवधि से "लिव-इन" (कानूनी तौर पर अविवाहित) संबंध में रह रहे हों और वे छह महीनों से अधिक अवधि तक एक ही छत के नीचे रहे हैं।" (41)

संशोधन संख्या 41 लिव-इन संबंधों के बारे में है जिसमें मैं एक छोटे संशोधन का सुझाव देता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मैं श्री तथागत सत्पथी द्वारा पेश किए गए संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 से 23 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 24 पहली सूची का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 14, पंक्ति 38 से पंक्ति 44 **के स्थान** पर रखें,—

"354घ	पीछा करना	प्रथम दोषसिद्धि के लिए तीन वर्ष तक का कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
		द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए पांच वर्ष तक का कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

(6)

(श्री सुशीलकुमार शिंदे)

श्री तथागत सत्पथी : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री सुशीलकुमार शिंदे द्वारा प्रस्तावित और सूची। मैं क्रमांक 6 के रूप में मुद्रित संशोधित में, कालम 5 में "जमानतीय" **के स्थान पर** "अजमानतीय" प्रतिस्थापित किया जाए। (42)

महोदया, मैं इस बात को पुन: दोहराता हूं। मैं समझता हूं कि 'पीछा करने के अपराध को अजमानतीय बनाया जाना चाहिए और सरकार को यह अच्छा संदेश होना चाहिए कि यह ऐसे लोगों के दिलों में दहशत पैदा करने के लिए यह बहुत ही कठोर प्रकृति का सुविचारित कानून है जो किसी असहाय महिला के विरुद्ध अपराध की साजिश करते हैं और यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हमें राजनीतिक आधार पर विभाजित नहीं होना चाहिए और हमें इसे पहली बार अपराध के

लिए अजमानतीय अपराध बनाया जाना चाहिए क्योंकि दूसरी बार कोई साक्षी नहीं होगा। साक्षियों की रक्षा के लिए इस अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है जो इस देश में आज एक गंभीर समस्या है। अधिकांश मामले में सजा नहीं होती है या उन्हें विलंब किया जा रहा है क्योंकि साक्षी सामने नहीं आ रहे हैं और एकल महिला के लिए कोई साक्षी नहीं होगा क्योंकि कोई भी साक्षी को सुरक्षा नहीं प्रदान करेगा। इसलिए पहली बार में ही, जैसाकि प्रतिपक्ष के नेता उल्लेख कर चुके हैं, इसे गंभीर अपराध समझा जाना चाहिए और इसे अजमानतीय अपराध माना जाना चाहिए।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : महोदया, कल यह पहले ही निर्णय ले लिया गया था कि यह अजमानतीय था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

श्री सुशीलकुमार शिंदे : दोनों स्थानों पर यह निर्णय लिया गया कि यह अजमानतीय हो सकता है लेकिन जब सर्वसम्मति से निर्णय हुआ तो यह कहा गया कि इसे जमानतीय होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : मैं, अब श्री तथागत सत्पथी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

श्री तथागत सत्पथी : महोदया, मैं मत-विभाजन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : हम इसे पूरा कर चुके हैं।

श्री तथागत सत्पथी : महोदया, मैंने मत-विभाजन के लिए पुरजोर अनुरोध किया लेकिन इसे अनुमति नहीं प्रदान की गई...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री कल्याण बनर्जी द्वारा संशोधन संख्या 25 प्रस्तुत किया जाना है। क्या अपना संशोधन ला रहे हैं?

श्री कल्याण बनर्जी : महोदया, सरकारी संशोधन के मद्देनजर मैं अपने संशोधन के लिए दबाव नहीं बना रहा हूं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 24, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 24 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 25 से 28 विधेयक में जोड़ दिए गए

खंड 29 धारा 42 हेतु नई धारा का प्रतिस्थापन

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 29 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

खंड 30 और 31 निरसन और व्यक्ति

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 30 और 31 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 30 और 31 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

अध्यक्ष महोदया : श्री एस. सेम्मलई द्वारा संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत किया जाना है।

श्री एस. सेम्मलई (सलेम) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

पृष्ठ 1, पंक्ति 5 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंतःस्थापित** किया जाए।

"परंतु यह कि धारा 30 के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा करे।" (29)

अध्यक्ष महोदया : अब मैं श्री एस. सेम्मलई द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 29 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने।"

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि विधेयक, संशोधित रूप से, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप से, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, विधेयक का खंड 29 सभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। अत: मैं यह निर्देश देती हूं कि परवर्ती खंडों का तद्नुसार पुन: संख्याकन किया जाए।

दीर्घायें खोल दी जाए।

अब हम शून्य काल के मामलों पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) : महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान सरकारी कर्मचारियों के आवास की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को सबसे ज्यादा समस्या और चिंता आवास को लेकर रहती है, क्योंकि जिस परिसर में वह रह रहा होता है, उसके बच्चे वहीं आस-पास शैक्षणिक संस्थाओं आदि में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस कारण उनकी चिंता और बढ़ जाती है। इससे भी ज्यादा उसका रहने का पता जैसे राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड व अन्य सुविधाएं उसी पते पर होती हैं। सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों के सम्मुख आने वाली समस्याओं को देखते हुए सरकारी कर्मचारी को मकान का मालिकाना हक देना चाहिए।

महोदया, मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय उन्हें मकान का मालिकाना अधिकार देने हेतु आवश्यक कार्रवाही करे।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी) : महोदया, मैं अपने आपको श्री सतपाल महाराज द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करना चाहता हूं।

सायं 07.45 बजे

[**डॉ. एम. तम्बिदुरई** *पीठासीन हुए*]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बोलने का मौका दिया। यह दिल्ली के किसानों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के किसान हजारों की तादाद में हैं। ये लोग कम-से-कम 100-200 साल से यमुना की खादर में खेती करते हैं। सरकार उन्हें लीज पर जमीन देती है। ये लोग वजीराबाद से ओखला तक दोनों साइड काम करते हैं। अब इन्हें तंग किया जा रहा है। सरकार की तरफ से नोटिस दिए गया है कि जमीन बुआने के लिए नहीं दी जाएगी। बिल्डिंगें बना दी गई। यह तो जायज है लेकिन एक गरीब आदमी काम कर रहा है, उसके पास रोटी नहीं, रोजगार नहीं है। उसका रोजगार सब्जी है जिसे उगाकर वह मार्किट में बेचता है। आप क्या चाहते हैं कि क्या उसे बेघर कर दिया जाए? फिर आप उसे सोशल सिक्योरिटी में लेकर आए कि 500 रुपए महीना ले लो। दिल्ली पीजेंट कोऑपरेटिव मल्टी परपज़ सोसायटी माननीय जवाहर लाल नेहरू जी के समय में शुरू हुई थी और पहले मुख्य मंत्री ने इसे शुरू कराया था। मेरी आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग है कि इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। इन्हें तंग न किया जाए और इनको संरक्षण दिया जाए।

श्री पन्ना लाल पुनिया : सभापति महोदय, मैं अपने आपको इस मामले के साथ संबद्ध करता हूं।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : महोदय, मैं उत्तर प्रदेश में खुदरा रिटेल की दवा संचालित करने वाली फारमेसिस्ट की अनिवार्यता को समाप्त करने के संबंध में कहना चाहता हूं। जब हमारा देश गुलाम था तब 1940 का काला कानून ड्रग्स एंड कास्मेटिक्स अधिनियम के रूप में लाया गया था। पूरे देश में चार से पांच लाख रिटेल दुकानदार हैं और केवल यूपी में 68,000 रिटेल दुकानें चलती हैं। उत्तर प्रदेश फारमेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड फारमेसिस्ट की संख्या 22,000 है इसमें से 80 प्रतिशत लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं बाकी 5000-6000 लोग रह जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह अनिवार्यता समाप्त नहीं होगी, पूरे देश में फुटकर दवा बेचने वाले लोग क्या करेंगे? मैं अनिवार्यता समाप्त करने की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मुल्क गुलाम था और 1940 में अधिनियम लाया गया था, तब कम्पांउडर

द्वारा मिक्सिंग का काम होता था इसलिए दवाएं फारमेसिस्ट की देखरेख में बेची जाती थी। आज दवाएं सील बोतल, सील पैकिंग में दी जाती है और डॉक्टर द्वारा पर्ची पर लिखे पर बेची जाती है।

सभापति महोदय, अगर बीएसी करने के बाद कोई आदमी दवा की कंपनी में काम कर सकता है, दवा बना सकता है तो बेच क्यों नहीं सकता है? मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पूरे देश में खासकर उत्तर प्रदेश में 68,000 छोटे व्यापारियों की फारमेसिस्ट की अनिवार्यता को खत्म करके एक मानक तय किया जाए ताकि उनके साथ अन्याय न हो सके।

श्री पन्ना लाल पुनिया : मैं अपने आपको इस मामले के साथ संबद्ध करता हूं।

श्री नरेनभाई काछादिया (अमरेली) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आज पूरे देश में शेरों का अस्तिव अब केवल अफ्रीका एवं गुजरात राज्य तक ही सीमित हो गया है। जो कि गुजरात राज्य के दक्षिणी सौराष्ट्र के बृहद् गिर वन्य क्षेत्र में संरक्षित प्राणी है। गिर राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारण्य लगभग 1412.13 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहां छह राजकीय राजमार्ग एवं कुछ अन्य छोटे सड़क मार्ग इस राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारण्य के मध्य से निकलते हैं, जिसे ज्यादातर स्थानीय निवासियों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जिसके चलते गिर वन्य क्षेत्र में रहने वाले जानवरों के प्राकृतिक तौर पर विचरण करने में बाधा उत्पन्न होती है तथा उनके शिकार होने का भी निरंतर खतरा बना रहता है।

उपरोक्त खतरे को ध्यान में रखते हुए गिर वन्य संरक्षित क्षेत्र के आसपास एक रिंग रोड के निर्माण की योजना प्रस्तावित की गई थी, जिसकी लागत लागभग 600 करोड़ एवं लम्बाई लगभग 269 किलोमीटर प्रस्तावित थी। उपरोक्त परियोजना का प्रस्ताव गुजरात सरकार द्वारा राज्य वन्य जीव बोर्ड को अनुमोदित कराकर केन्द्र सरकार के पास जुलाई, 2011 में भेजा गया था। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि गुजरात सरकार ने अफ्रीकी शेरों को अस्तित्व को बचाने हेतु कई नये कदम उठाये हैं और वह सफल भी हुए हैं। जिसके परिणामस्वरूप भारत में शेरों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है। इसी तर्ज पर गुजरात सरकार द्वारा उठाये जा रहे प्रयासों को सफल बनाने की दिशा में केन्द्र सरकार को भरसक मदद करनी चाहिए।

अत: मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह गुजरात के गिर वन्य संरक्षित क्षेत्र के शेरों के अस्तित्व को बचाने हेतु इस नेशनल पार्क/अभ्यारण्य के आसपास एक रिंग रोड का निर्माण करने हेतु दिशा-निर्देश जारी करे, जिससे भारत में शेरों के अस्तित्व को संरक्षित किया जा सके।

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग) : माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिस उद्देश्य के साथ किया गया था कि वहां त्वरित गति से विकास हो, राज्य के विकास के लिए प्रशासनिक व्यवस्था और प्राकृतिक संसाधन होना आवश्यक है, जो छत्तीसगढ़ में भरपूर हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का जो एयरपोर्ट है, उसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं। माना स्थित जो एयरपोर्ट है, वहां तमाम संसाधन उपलब्ध हैं। वहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोग पूंजी निवेश कर रहे हैं। लेकिन वहां पर और भी त्वरित गति से विकास हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि अगर विदेशी पूंजी निवेश की आवश्यकता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाए।

आपके माध्यम से यही मेरी सरकार से मांग है।

श्री रामकिशुन (चन्दौली) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में सेना परिसर के अंदर से करिअप्पा मार्ग है और लगातार इस मुद्दे को हमने सदन में कई बार उठाया है कि करिअप्पा मार्ग को खोला जाए। सेना के अधिकारियों के जबकि वह पुरानी सड़क है, बनारस के आधे से ज्यादा लोग आबादी जिला मुख्यालय और अन्य सरकारी दफ्तरों में उस करिअप्पा मार्ग से जाते हैं। लेकिन लगातार सेना के अधिकारी उस मार्ग को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं और बाधित कर भी रहे हैं। लोगों के आने-जाने को उस रोड पर पूरी तरह से अवरुद्ध किया जा रहा है।

ऐसी स्थिति में आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि वाराणसी शहर में जो जाम की समस्या होती है, उस मार्ग के चलते भी बड़े पैमाने पर जाम लगता है। लाखों लोग प्रतिदिन करिअप्पा मार्ग से साइकिल, मोटर साइकिल और अन्य वाहनों के माध्यम से जिला मुख्यालय जाने का काम करते हैं। शहर की आधी आबादी उसी रास्ते से होकर जिला मुख्यालय जाती है। लेकिन लखनऊ में जो सेना परिसर है, उसके बीच से जाने का रास्ता है, इलाहाबाद में है, पटना में है, लेकिन बनारस के सेना के अधिकारी और कुछ लोग मिलकर उस मार्ग को बराबर रोकने का काम करते हैं। वे इतना ही नहीं करते हैं, बल्कि उस गेट से, उस रास्ते से जो लोग विभिन्न साधनों से जाते हैं, उन्हें उतरकर पैदल सिर झुकाकर जाना पड़ता है।

[श्री रामकिशुन]

आजादी के इतने दिनों के बाद भी करिअप्पा मार्ग के सामने जिस तरह से नागरिक अपमानित होते हैं, उससे बहुत ही शर्मिन्दगी महसूस होती है।

अत: आपके माध्यम से हमारी सरकार से मांग है कि करिअप्पा मार्ग को वाराणसी की जनता के आने-जाने के लिए खोला जाए।

सभापति महोदय : श्री धनंजय सिंह को श्री रामकिशुन जी द्वारा उठाये गये उपरोक्त मुद्दे से सम्बद्ध किया जाता है।

[अनुवाद]

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर) : महोदय, मैं ऐसे किसान, जिनके खेत में लगी फसलों को हाथियों द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है, को कम मुआवजा दिए जाने की तरफ सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां कुछ क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग जंगल है। इस क्षेत्र में दो बाघ परियोजनाएं चल रही हैं जहां कि विशेषकर हाथियों की संख्या बहुत अधिक है। ये हाथी किसानों के खेतों में प्रवेश कर वहां लगी फसलों को बर्बाद कर देते हैं। सरकार द्वारा किसानों को दिया जाने वाला मुआवजा बहुत ही कम है और यह अव्यवहारिक है। वर्ष 2009 के दौरान उन्हें फसल मुआवजा दर निर्धारित किया था। इसलिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से फसल मुआवजा को बढ़ाने का विनम्र अनुरोध करता हूं। दूसरी बात यह है कि हाथियों को किसानों के खेतों में आने से रोकने के लिए सौर खड़ी की जाए और खाइयां बनाई जाए।

इस संबंध में, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि बढ़ा हुआ फसल मुआवजा दिया जाए और जल्द-से-जल्द सौर ऊर्जा चालित बाड़ और हाथियों से बचाने वाले खाइयों का निर्माण किया जाए।

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार) : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

यह सभी जानते हैं कि सीमांचल एक्सप्रेस 12487/12488, जोगबनी, जोकि नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है, को दिल्ली से जोड़ने वाली एकमात्र सीधी ट्रेन है। इस क्षेत्र के बहुत से लोग दिल्ली जाने के लिए इस ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। तथापि, इसमें लगने वाले कोचों की संख्या के हिसाब से यह ट्रेन अपर्याप्त है। इसके परिणामस्वरूप, इस ट्रेन में भारी-भरकम भीड़ रहती है और बहुत सारे यात्री प्रतीक्षा सूची में ही रह जाते हैं।

इसलिए, आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि एक प्रथम श्रेणी वातानुकूलित कोच और दो द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित कोच सहित 24 कोच लगाए जाएं ताकि यात्री बिना किसी समस्या के इस ट्रेन से यात्रा कर सकें।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में सेतु समुद्रम परियोजना पर एक नया शपथ पत्र पेश किया है। जिसके तहत सरकार ने यह कहा है कि यह राम सेतु हिन्दू धर्म का आवश्यक अंग नहीं है।

महोदय, केन्द्र सरकार ने सेतु समुद्रम परियोजना के संदर्भ में गठित आर.के. पचौरी समिति की रिपोर्ट को भी खारिज किया है। इस समिति ने पर्यावरण और आर्थिक दृष्टि से भी इस परियोजना को आगे न बढ़ाने का सुझाव दिया था। केन्द्र सरकार द्वारा आर.के. पचौरी समिति की रिपोर्ट को खारिज करना और जो नया शपथ पत्र दाखिल किया गया है, यह हिन्दू धार्मिक विश्वासों के साथ-साथ पर्यावरण के महत्व की भी अनदेखी करता है।

महोदय, यह सब जानते हैं कि सेतु समुद्रम परियोजना के लिए अगर श्रीराम सेतु को तोड़ा जाता है तो यह वहां की पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए खतरनाक है और वहां के समुद्री जीव-जंतुओं के साथ-साथ प्राकृतिक संपदा, क्योंकि थोरियम का जो विशाल भंडार भारत के अंदर है, उसमें सर्वाधिक उसी क्षेत्र में है, उसके भी नष्ट होने की प्रबल संभावनाएं हैं जो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट है, उसके पास ही संयुक्त राष्ट्र के द्वारा संरक्षित क्षेत्र भी है। मात्र आठ सौ करोड़ रुपयों के लिए यह सरकार इस देश के धार्मिक विश्वासों के साथ-साथ इस राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र के पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि सेतु समुद्रम परियोजना को तत्काल स्थगित कर जो नया शपथ पत्र दाखिल किया गया है, उसको वापस लिया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण श्री धनंजय सिंह,

श्री चंद्रकांत खैरे, श्री प्रहलाद जोशी और श्री अर्जुन राम मेघवाल को योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

अगले वक्ता श्री हंसराज गं. अहीर हैं। आप सिर्फ एक मुद्दा उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : सभापति जी, देश में जो बिजली की कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार बहुत चिंतित है और हम भी चिंतित हैं। लेकिन देखने में आ रहा है कि देश में जहां-जहां पर बिजली उत्पादन करने वाले जो बिजली घर है, पॉवर प्लांट हैं, उनमें उनकी क्षमता से कम बिजली बनाई जा रही है। सारी चीजें उपलब्ध होने के बावजूद भी केन्द्र सरकार के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा और कोल इंडिया के द्वारा सब्सिडाइज़्ड रेट पर कोयला सप्लाई किया जाता है। जो बिजली घर क्षमता से कम बिजली बनाते हैं, उनमें महाराष्ट्र सबसे आगे है।

रात्रि 08.00 बजे

महाराष्ट्र में जितने भी बिजली बनाने वाले पॉवर प्लांट्स हैं, उनमें 55 या 60 परसेंट तक ही बिजली बन रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कि सस्ते दामों में कोयला सप्लाई करते हुए भी वहां बिजली नहीं बनती है, किसान परेशान हैं, उद्योग धन्धे प्रभावित हो रहे हैं और घरेलू यूज में बिजली की कमी हो रही है और इस कारण से राज्य की जनता त्रस्त है। सरकार द्वारा सस्ते कोयले की सप्लाई होने के बावजूद भी अगर बिजली कम बनती है तो ऐसे प्लांटों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार पहल करे। ऐसे प्लांट जो बिजली कम बनाते हैं, उन प्लांट्स को चलाने वाले जो संचालक हैं, जो वहां की मैनेजमेंट है, सरकार उन पर सख्त कार्रवाई करे। अगर वे इस पर भी नहीं मानते हैं तो ऐसे प्लांटों को एनटीपीसी द्वारा संचालित कराने के लिए केन्द्र सरकार कार्रवाई करे।

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल) : महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में अपने क्षेत्र की समस्या उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मेरा लोक सभा क्षेत्र सुपौल है, उसकी समस्या के बारे में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है और हिमालय की शृंखला जितनी भी है, वह नेपाल में अवस्थित हैं। नेपाल से जो भी नदियां निकलती हैं, वह मेरे संसदीय क्षेत्र के बीचोबीच से जाती हैं यानी वे मेरे संसदीय क्षेत्र को चीरती हुयी निकलती हैं। खासकर कोसी, बागमती, अघवारा समूह जो नदियां वहां से निकलती हैं, वे मेरे क्षेत्र के लिए अभिशाप नहीं हुई हैं। वर्षा के समय में ये प्रलयंकारी बाढ़ लाती हैं, जिससे फसलों की और जनआबादी की बर्बादी होती है। वर्ष 2008 के बारे में सभी जानते हैं कि कितनी भयंकर बाढ़ वहां पर आयी थी। यह अंतर्राष्ट्रीय छवि पटल भी गया था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होने के कारण, हम लोग अपने एमपीलैड फंड से जो भी योजनायें बनाना चाहते हैं, वह नहीं बना पाते हैं, क्योंकि इस तरह से दिशा-निर्देश दिया गया है कि आठ किलोमीटर के अंदर आप कोई संरचना नहीं कर सकते हैं। इससे कोई कार्य वहां नहीं हो पाता है। सरकारी कार्य जो भी होते हैं, उनमें नेपाल के द्वारा बाधा उत्पन्न की जाती है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध है कि अंतर्राष्ट्रीय मामला होने के कारण नेपाल से बात करके स्थायी समाधान इसके बारे में सोचना चाहिए। यहां पर या तो कोई डैम बनाना चाहिए, जिससे वहां बिजली का भी उत्पादन हो सके और नेपाल की समस्या भी समाप्त हो।

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर) : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और सरकार से उम्मीद करता हूं कि वह इस ओर ध्यान देगी। दो वर्ष पहले सरकार ने राइट टू एजुकेशन बिल के माध्यम से सदन में और पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बनाया कि वह सभी को शिक्षा देने का काम करेगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इस देश में जो प्राथमिक विद्यालय हैं, वहां अभी शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है, वह बहुत कम है। हम लोग अपने यहां गांव में जाकर देखते हैं, खास तौर से मैं अपने जनपद जौनपुर की बात आपको बताना चाहता हूं कि वहां तमाम ऐसे विद्यालय हैं, जहां पर सिर्फ एक शिक्षक है और कम-से-कम 200-200, 250-250 छात्र हैं। आज वर्तमान समय में मैं देखता हूं कि प्राइमरी एजुकेशन में विषय भी पढ़ाये जाने लगे हैं। जब विषय विशेषज्ञ टीचर नहीं रखे गये हैं, वहां सामान्य टीचर हैं और सामान्य टीचर सभी विषयों को पढ़ाने का काम करते हैं। एक-एक अध्यापक अगर 150-150, 200-200, 250-250 बच्चों को पढ़ायेगा तो हम कैसी शिक्षा बच्चों को दे पायेंगे? मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर रखें। सरकार की जो रिपोर्ट है, उसमें पूरे देश में एक प्राथमिक विद्यालय पर दो शिक्षकों का आंकड़ा आया है।

महोदय, मेरा आपसे एक और आग्रह है कि सरकार आबादी के

[श्री धनंजय सिंह]

आधार पर प्राथमिक विद्यालय खोले। आबादी, शिक्षक, छात्र के अनुपात को ध्यान में रखकर प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाये। प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की आबादी को ध्यान में रखकर की जाये। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम) : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं जूट उद्योग जोकि पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख उद्योग है, से संबंधित समस्या की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। भारत सरकार जूट विनिर्मित उपकर अधिनियम, 1983 की धारा 3 के अंतर्गत जूट विनिर्माताओं से उपकर वसूल करती है। उपकर का उपयोग जूट विनिर्मित विकास परिषद् अधिनियम, 1983 के लिए किया जाना है, और अब राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 के लिए।

राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम की धारा 5 में जूट एवं जूट उत्पादों के संवर्धन के उद्देश्य को ऐसे उपायों जैसा वे उचित समझें, के द्वारा परिभाषित किया गया है। अधिनियम के प्रस्ताव में कहा गया है:—

"जूट और जूट उत्पादों की खेती, विनिर्माण और विपणन के विकास तथा उनसे संबंधित एवं अनुषंगी मामले के लिए।"

महोदय, आंकड़े निम्नलिखित क्रम में हैं:— वर्ष 2010-11 में 81 करोड़ रुपया उपकर वसूल किया गया और उद्योग को 37 करोड़ रुपए उपकर दिया गया। वर्ष 2011-12 में 85 करोड़ रुपए उपकर वसूल किया गया और विकास के लिए 34 करोड़ रुपए खर्च किए गए वर्ष 2012-13 में 87 करोड़ रुपए उपकर वसूल किए गए हैं और 34 करोड़ रुपए के अनुदान दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार जूट की खेती एवं जूट उद्योग के विकास के लिए वसूल किए गए कुल उपकर देने के बदले उन्हें सिर्फ आधा उपकर देती है और शेष आधे उपकर का अन्य उद्देश्यों के लिए विनियोजन कर देती है। मेरी मांग है कि जूट विनिर्मित उपकर अधिनियम के अंतर्गत जूट विनिर्माताओं से वसूल किए गए कुल उपकर को देश के 3 लाख जूट कर्मकारों और चार मिलियन जूट किसानों के हित में जूट उद्योग आैर जूट की खेती के लिए वापस कर दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री देवराज सिंह पटेल (रीवा) : सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र रीवा में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। नल-जल योजनाएं पहले से ठप पड़ी हैं और वर्तमान मध्य प्रदेश शासन मैकेनिक और राइजर पाइप उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। मैंने इन्हीं समस्याओं को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखकर 500 करोड़ रुपये का एक विशेष पैकेज मांगा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह मामला पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार को अग्रसारित कर दिया जिसमें मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश सरकार से प्रस्ताव मांगा था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भेजा गया जबाव चौंकाने वाले और राजनैतिक द्वेषपूर्ण था। मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि हम रीवा की जनता को भरपूर पानी दे रहे हैं, अत: विशेष पैकेज की रीवा में कोई आवश्यकता नहीं है।

महोदय, मध्य प्रदेश राज्य में बहुजन समाज पार्टी का मैं इकलौता सांसद हूं। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा रीवा संसदीय क्षेत्र को विकास की दृष्टि से लगातार अनदेखा किया जा रहा है और राज्य शासन नहीं चाहता कि रीवा संसदीय क्षेत्र के लोगों को पानी, बिजली या अन्य सुविधाएं प्राप्त हों।

मेरा आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि रीवा संसदीय क्षेत्र में पानी से जुड़े एक विशेष जांच दल को भेजा जाए और जिन अधिकारियों ने ये सारे गलत जबाव राजनैतिक कटुता से भेजे हैं, इन सभी के विरुद्ध जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि रीवा संसदीय क्षेत्र को शीघ्र पानी, बिजली आदि सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

श्री पूर्णमासी राम (गोपालगंज) : माननीय सभापति महोदय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली चिकित्सा के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा एवं प्रतिष्ठित संस्थान है जहां देश के हर तबके के लोगों को उच्चस्तरीय चिकित्सा उपलब्ध होती है। इस संस्थान में प्रतिदिन जितने मरीजों का इलाज होता है, उसमें से अधिकांश बिहार से आते हैं जो या तो मध्य वर्ग के होते हैं या गरीब अथवा अत्यंत गरीब लोग होते हैं। विगत दिनों में यह देखने में आया है कि अस्पताल में मरीजों की पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजी जांच एवं शल्य चिकित्सा के लिए काफी लंबा समय दिया जाता है या फिर बार-बार दाखिले के लिए बुलाकर बैड की अनुपलब्धता के नाम पर डेट पर डेट दी जाती है जिसके कारण मरीजों को समुचित इलाज समय पर नहीं मिल पाता है और वे दम तोड़ देते हैं। एक बात और भी काबिले-गौर है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज की हसरत लिए बिहार से आए असाध्य रोगियों को जगह एवं बैड के अभाव में बगल के सफदरजंग अस्पताल में रैफर कर दिया जाता है जिससे संबंधित

रोगी मानसिक संतुलन खो देते हैं जो उनके स्वस्थ होने में बाधक होता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि या तो एम्स जैसे दूसरे अस्पताल बनवाए जाएं या फिर मौजूदा अस्पताल में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, चिकित्सा उपकरणों एवं बैडों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि आये दिन गरीब और लाचार रोगी समय पर इलाज के अभाव में दम न तोड़ें। इसके अलावा सांसदों द्वारा भेजे गए मरीजों को प्राथमिकता से देखा जाए। यही मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (विजयनगरम) : महोदय, मैं विजयनगरम जिला के कृषक समुदाय जिन्हें पारंपरिक कृषि तरीका अपनाने और कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हुए नवीनतम विकासों से अपने आप को दूर रखने के कारण हो रहे भारी नुकसान से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं।

महोदय, विजयनगरम जिला मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश का एक कृषि जिला है। छोटे और सीमांत किसानों की भारी जनसंख्या विजयनगरम जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है। वे अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर हैं। कम हो रहे लाभ और कृषि उत्पादों में हो रही कमी के कारण जीवन यापन के लिए राजस्व का एक वैकल्पिक स्रोत ढूंढ़ने के लिए किसान मजबूर हैं। विजयनगरम जिला में केवल 5 कृषि वैज्ञानिक हैं। किसान अपने आपको दुर्भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर नवीनतम सूचना उन्हें नहीं मिल पाती है। विजयनगरम जिला में कृषि अनुसंधानों को सुव्यवस्थित बनाए जाने की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए, मिट्टी की उर्वरता, जलवायु परिस्थितियां और कृषि तथा खेती से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पक्षों पर अभागे किसानों को सूचना और इनपुट उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकता आधार पर कृषि प्रौद्योगिकी केन्द्र और कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। किसानों के हित में तत्काल आधार पर कृषि से संबंधित अच्छी सलाह प्राप्त करने के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र विजयनगरम को भी शामिल किया जाए। मैं आपके माध्यम से वियजनगरम जिला में कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय और फसलोत्तर प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने के लिए सरकार से जोरदार आग्रह करती हूं।

श्री एस. सेम्मलई (सलेम) : महोदय, सूचना और संचार क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय सुधार के बावजूद, डाक सेवाओं की अधिक और दूर-दूर तक पहुंच है। ऐसा मुख्यतः डाक कर्मचारियों की अथक और समर्पित सेवाओं के कारण है। डाक विभाग में दो तरह की कर्मचारी होते हैं। एक श्रेणी विभागीय कर्मचारियों की है और दूसरे श्रेणी विभागेत्तर कर्मचारियों की है। विभागेत्तर कर्मचारियों को 'ग्रामीण डाक सेवक' कहा जाता है। ग्रामीण डाक सेवकों की बहुत दिनों से शिकायत रही है जिसे वे विभिन्न मंचों पर प्रदर्शित करते रहे है।। जबकि विभागीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के तीन प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती है, ग्रामीण डाक सेवकों वेतन में प्रतिवर्ष सिर्फ 60 से 70 रुपए की वृद्धि की जाती है। विभागीय कर्मचारियों की तरह उनके वेतन में प्रतिशत के आधार पर वृद्धि नहीं की जाती है। यह घोर पक्षपात हैं दो प्रकार के कर्मचारियों से दो तरह का व्यवहार मेरी समझ से बाहर है। इसलिए, मैं माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से बहुत समय से लंबित उचित शिकायतों का निपटान करने का अनुरोध करता हूं। मैं आपसे विभागीय कर्मचारियों की भांति उन्हें भी प्रतिशत आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने को मंजूरी देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सीमा उपाध्याय (फतेहपुर सीकरी) : महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि आपने आज शून्यकाल में मुझे बोलने का मौका दिया।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी को अगवत कराना चाहूंगी कि भारत सरकार मिट्टी के तेल पर उत्तर प्रदेश एवं अन्य देश के प्रांतों को अरबों रुपये की सब्सिडी दे रही है। मैं अपने उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी तरह जानती हूं कि गरीबों को राशन कार्ड के द्वारा जो मिट्टी का तेल दिया जाता है, उसकी बड़े पैमाने पर, लगभग 70 प्रतिशत तक ब्लैक मार्किटिंग हो रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल की कीमत वर्तमान में लगभग 14 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 50 रुपये 90 पैसे और पेट्रोल की कीमत 72 रुपये 80 पैसे है। इसलिए मिट्टी के तेल में मिलावट करके चार से छह गुना धन कमाया जा रहा है। उदाहरण के रूप में जनपद हाथरस, उत्तर प्रदेश, जिला झांसी में मैं दो बार जिला पंचायत अध्यक्ष रही हूं। तब से मैंने मिट्टी के तेल की कालाबाजारी करने वाले...* के खिलाफ सैंकड़ों शिकायतें माननीय मंत्री, पेट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, आईओडी, एचपीसी, रिफाइनरी, मथुरा, उत्तर प्रदेश और प्रशासनिक अधिकारियों को तेल की कालाबाजारी की शिकायतें करती चली आ रही हूं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नाम को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सीमा उपाध्याय : सर, मैं कह-कह कर थक गयी। इन पर इतनी सारी धाराएं भी लगी हैं। सारे केस उत्तर प्रदेश में हुए और फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वापस कर लिए गए। मैं आज यह मजबूर हो कर कहना चाहती हूं कि यह जनहित और देशहित की बात है। मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण की सीबीआई जांच करायी जाए। मिट्टी के तेल की कालाबाजारी रोकने के लिए कठोर कार्रवाई की जाए।...* के द्वारा कमाये गये काले धन को जब्त किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नाम को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़) : माननीय सभापति महोदय, बेंगलूरु के बाद मेरा संसदीय क्षेत्र हुबली, धारवाड़ कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। हुबली शहर के बीच से तीन राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं और इसके परिणामस्वरूप सड़क पर बहुत भीड़-भाड़ और यातायात से संबंधित समस्याएं होती हैं। इससे बचने के लिए भूतल परिवहन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 218, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 को जोड़ने वाले एक बाइपास के निर्माण की परियोजना शुरू की है। लेकिन दुर्भाग्यवश, संशोधित अनुमान के अनुसार भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला मुआवजा नहीं जारी किया गया। किसान अपना मुआवजा पाने के लिए हड़ताल पर हैं। इसलिए, मैं भारत सरकार से कर्नाटक सरकार को तत्काल राशि जारी करने का अनुरोध करता हूं ताकि किसानों को अपना मुआवजा मिल सके।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतम बुद्ध नगर) : महोदय, मैं आप का ध्यान पिछले पन्द्रह-बीस वर्षों से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनैतिक रूप से पिछड़े गुर्जर समाज द्वारा उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने का जो आंदोलन चल रहा है, उस की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस आंदोलन में आज तक समाज के 72 लोग कुर्बानी दे चुके हैं। यह आंदोलन वर्ष 2005 में चला। इस के लिए उस समय की सरकार ने चोपड़ा कमीशन बनाया। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और उस ने इसे ओबीसी में शामिल करने की रिकमेंडेशन दी जिसे सरकार ने मान लिया लेकिन वहां ऑलरेडी 49% आरक्षण है। इसलिए उस का लाभ गुर्जर समाज को नहीं मिल पाया। इस के बाद दुबारा राजस्थान की सरकार ने इसरानी कमेटी का गठन किया। उस ने भी यह रिकमेंडेशन की और सरकार ने उसे माना।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि जो प्रस्ताव, चूंकि यह अधिकार संविधान के अनुसार केन्द्र सरकार के पास को है, राजस्थान की विधान सभा ने प्रस्तावित कर के भेजा है उसे मानते हुए और वहां की चोपड़ा समिति की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए गुर्जर समाज को संविधान की 9वीं अनुसूची में आरक्षण का विशेष दर्जा दें जिससे वहां पिछले पन्द्रह-बीस सालों से संघर्ष कर रहे गुर्जर समाज को इस का लाभ मिल सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 08.18 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 20 मार्च, 2013/29 फाल्गुन, 1934 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री के. सुगुमार	301
2.	श्री भूदेव चौधरी डॉ. मुरली मनोहर जोशी	302
3.	श्री रामकिशुन	303
4.	श्री विलास मुत्तेमवार श्री संजय निरूपम	304
5.	श्री रेवती रमन सिंह श्री राधा मोहन सिंह	305
6.	श्री सी. राजेन्द्रन श्री पी.टी. थॉमस	306
7.	श्री ए. सम्पत श्री गणेश सिंह	307
8.	श्री हरिभाऊ जावले	308
9.	श्री जयवंत गंगाराम आवले श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	309
10.	श्री एस. सेम्मलई	310
11.	श्री कमलेश पासवान श्री विजय बहादुर सिंह	311
12.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	312
13.	श्री चंद्रकांत खैरे श्री अंजनकुमार एम. यादव	313
14.	श्री एम.आई. शानवास	314
15.	श्री इज्यराज सिंह श्री जगदीश सिंह राणा	315
16.	श्री नीरज शेखर श्री अशोक अर्गल	316
17.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	317
18.	श्री प्रदीप माझी श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	318
19.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी श्री रायापति सांबासिवा राव	319
20.	श्री पोन्नम प्रभाकर	320

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए.के.एस. विजयन	3485, 3578, 3595, 3626
2.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	3549, 3600, 3601, 3665, 3678
3.	श्री आधि शंकर	3544, 3674
4.	श्री आनंदराव अडसुल	3549, 3600, 3601, 3665, 3678

1	2	3
5.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	3533, 3575, 3667
6.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	3502
7.	श्री हंसराज गं. अहीर	3509, 3603, 3680
8.	श्री सुल्तान अहमद	3536
9.	श्री बदरुद्दीन अजमल	3493
10.	श्री अनंत कुमार	3559
11.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	3550, 3560, 3656
12.	श्री सुरेश अंगड़ी	3595
13.	श्री अशोक अर्गल	3596
14.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	3652
15.	श्री गजानन ध. बाबर	3549, 3600, 3601, 3665, 3678
16.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	3470, 3595
17.	श्री खिलाड़ी लाल बैरवा	3465, 3593, 3610
18.	श्री कामेश्वर बैठा	3462
19.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	3487, 3531, 3532, 3546
20.	डॉ. बलीराम	3580
21.	डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क	3669
22.	श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर	3602
23.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	3590, 3602
24.	डॉ. मिर्जा महबूब बेग	3595
25.	श्री सुदर्शन भगत	3595, 3598
26.	श्री ताराचन्द भगोरा	3497, 3633
27.	श्री समीर भुजबल	3574, 3605

1	2	3
28.	श्री पी.के. बिजू	3650
29.	श्री कुलदीप बिश्नोई	3607
30.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	3551, 3669
31.	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	3577
32.	श्री सी. शिवासामी	3565, 3618
33.	श्री हरीश चौधरी	3569, 3595, 3655
34.	श्री जयंत चौधरी	3464
35.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	3506, 3556, 3639, 3664
36.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	3591
37.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	3456
38.	श्री भूदेव चौधरी	3594, 3645
39.	श्रीमती श्रुति चौधरी	3500, 3501, 3602, 3636, 3671
40.	श्री भक्त चरण दास	3517, 3640
41.	श्री खगेन दास	3586
42.	श्री राम सुन्दर दास	3534, 3668
43.	श्रीमती जे. हेलन डेविडसन	3553
44.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	3452, 3516, 3627
45.	श्रीमती रमा देवी	3595, 3617
46.	श्री के.पी. धनपालन	3594
47.	श्री संजय धोत्रे	3519
48.	श्री आर. ध्रुवनारायण	3466, 3653
49.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	3576
50.	श्री चार्ल्स डिएस	3578

1	2	3
51.	श्री निशिकांत दुबे	3484, 3607
52.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	3570
53.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	3456, 3531, 3597, 3660
54.	श्री वरुण गांधी	3581, 3651
55.	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	3481, 3559, 3669
56.	श्री ए. गणेशमूर्ति	3531, 3597
57.	श्री शेर सिंह घुबाया	3503
58.	श्री एल. राजगोपाल	3651
59.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	3530, 3658
60.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	3518
61.	श्री महेश्वरी हजारी	3508
62.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	3562
63.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	3617, 3653, 3655
64.	श्री बलीराम जाधव	3514, 3569, 3599
65.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	3643
66.	श्री बद्रीराम जाखड़	3468, 3544, 3612
67.	श्रीमती दर्शना जरदोश	3479
68.	श्री हरिभाऊ जावले	3595, 3603, 3651
69.	श्री मोहन जेना	3568
70.	श्री नवीन जिन्दल	3488, 3629, 3656
71.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	3661
72.	श्री प्रहलाद जोशी	3452, 3516
73.	श्री सुरेश कलमाडी	3513

1	2	3
74.	श्री पी. करुणाकरन	3595, 3616
75.	श्री कपिल मुनि करवारिया	3478, 3668
76.	श्री राम सिंह कस्वां	3494, 3529, 3595
77.	श्री काट्टी रमेश विश्वनाथ	3542, 3671
78.	श्री चंद्रकांत खैरे	3595, 3619, 3643, 3653
79.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	3545, 3675
80.	श्री मधु कोड़ा	3457
81.	श्री विश्व मोहन कुमार	3528, 3564
82.	श्री पी. कुमार	3602
83.	श्री शैलेन्द्र कुमार	3537, 3648, 3669
84.	श्री यशवंत लागुरी	3508
85.	श्री एम. कृष्णास्वामी	3486, 3628
86.	श्री विक्रमभाई अजर्नभाई मादम	3469, 3595, 3598, 3613
87.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	3587, 3646
88.	श्री सतपाल महाराज	3529, 3657
89.	श्री नरहरि महतो	3543, 3606
90.	श्री भर्तृहरि महताब	3526
91.	श्री प्रदीप माझी	3571, 3659
92.	श्री जोस के. मणि	3574, 3583
93.	श्री दत्ता मेघे	3539
94.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	3589
95.	श्री भरत राम मेघवाल	3465, 3593, 3610
96.	श्री महाबल मिश्रा	3460

1	2	3
97.	श्री पी.सी. मोहन	3548, 3602, 3669
98.	श्री गोपीनाथ मुंडे	3587, 3588, 3602
99.	श्री विलास मुत्तेमवार	3595, 3647
100.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	3595, 3651, 3665
101.	श्री नामा नागेश्वर राव	3557
102.	श्री इन्दर सिंह नामधारी	3511
103.	श्री नरेनभाई काछादिया	3576
104.	श्री संजय निरुपम	3602, 3625
105.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	3491, 3546, 3554, 3656, 3679
106.	श्री पी.आर. नटराजन	3472, 3615
107.	श्री वैजयंत पांडा	3546, 3547, 3548, 3595, 3677
108.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	3520
109.	कुमारी सरोज पाण्डेय	3595
110.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय	3499
111.	श्री जयराम पांगी	3473, 3607, 3616
112.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	3456, 3531, 3597, 3660
113.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	3595, 3634
114.	श्री बाल कुमार पटेल	3582
115.	श्री किसनभाई वी. पटेल	3571, 3659
116.	श्री ए.टी. नाना पाटील	3548, 3561
117.	श्री सी.आर. पाटिल	3523
118.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	3456, 3531, 3597, 3660
119.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	3514, 3599, 3642

1	2	3
120.	श्रीमती कमला देवी पटले	3477, 3567
121.	श्री पोन्नम प्रभाकर	3609
122.	श्री नित्यानंद प्रधान	3471, 3530, 3614
123.	श्री प्रेमदास	3564
124.	श्री पन्ना लाल पुनिया	3510, 3540, 3656
125.	श्री एम.के. राघवन	3569
126.	श्री अब्दुल रहमान	3480
127.	श्री रमाशंकर राजभर	3561
128.	श्री सी. राजेन्द्रन	3649
129.	श्री एम.बी. राजेश	3552
130.	श्री पूर्णमासी राम	3525
131.	श्री रामकिशुन	3646
132.	श्री जगदीश सिंह राणा	3664
133.	श्री निलेश नारायण राणे	3459, 3535, 3636, 3638
134.	श्री रामसिंह राठवा	3507, 3604, 3642
135.	डॉ. रत्ना डे	3467, 3611
136.	श्री अशोक कुमार रावत	3496
137.	श्री अर्जुन राय	3550, 3560, 3656
138.	श्री विष्णु पद राय	3474
139.	श्री रुद्रमाधव राय	3473, 3495, 3666
140.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	3463, 3625, 3632, 3656
141.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	3483, 3623
142.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	3543, 3606

1	2	3
143.	प्रो. सौगत राय	3521
144.	श्री एस. अलागिरी	3508, 3538, 3595, 3670
145.	श्री एस. पक्कीरप्पा	3475, 3595, 3604
146.	श्री एस.आर. जेयदुरई	3458, 3530, 3658
147.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	3475, 3531
148.	श्री ए. सम्पत	3650
149.	श्री तकाम संजय	3548
150.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	3554, 3556
151.	श्रीमती सुशीला सरोज	3508
152.	श्री तूफानी सरोज	3531, 3585, 3595
153.	श्री हमदुल्लाह सईद	3454, 3624
154.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	3477, 3608
155.	श्री एम.आई. शानवास	3654
156.	श्री जगदीश शर्मा	3595
157.	श्री नीरज शेखर	3596, 3656
158.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	3544, 3486, 3635
159.	श्री राजू शेट्टी	3461
160.	श्री एंटो एंटोनी	3527
161.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	3451, 3472, 3606, 3620
162.	डॉ. भोला सिंह	3567
163.	श्री भूपेन्द्र सिंह	3504, 3538, 3637
164.	श्री गणेश सिंह	3673
165.	श्री इज्यराज सिंह	3655
166.	श्री जगदानंद सिंह	3595

1	2	3
167.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	3484
168.	श्री मुरारी लाल सिंह	3500, 3567
169.	श्री पशुपति नाथ सिंह	3492
170.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	3605
171.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	3573
172.	श्री रतन सिंह	3508, 3515
173.	श्री रवीनत सिंह	3490, 3631, 3661
174.	श्री सुशील कुमार सिंह	3579
175.	श्री उदय सिंह	3555
176.	श्री यशवीर सिंह	3596, 3656
177.	श्री बृजभूषण शरण सिंह	3522, 3595
178.	श्री रेवती रमन सिंह	3648
179.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	3550, 3661
180.	राजकुमारी रत्ना सिंह	3670
181.	डॉ. संजय सिंह	3508, 3515
182.	श्री के. सुधाकरण	3524
183.	श्री ई.जी. सुगावनम	3489, 3548, 3630
184.	श्री के. सुगुमार	3644
185.	श्री मानिक टैगोर	3498, 3541, 3604
186.	श्रीमती अन्नू टन्डन	3532, 3663
187.	श्री लालजी टन्डन	3477, 3535
188.	श्री अशोक तंवर	3554, 3656
189.	श्री जगदीश ठाकोर	3592
190.	श्री आर. थामराईसेलवन	3498

1	2	3
191.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	3512, 3672
192.	श्री थोल तिरुमावलावन	3548
193.	श्री पी.टी. थॉमस	3662
194.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	3482, 3622
195.	श्री जोसेफ टोप्पो	3673
196.	श्री लक्ष्मण टुडु	3538, 3566, 3595
197.	श्री शिवकुमार उदासी	3584, 3604
198.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	3508
199.	श्री हर्ष वर्धन	3508
200.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	3566, 3655
201.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	3563, 3618
202.	श्री सज्जन वर्मा	3575
203.	श्रीमती ऊषा वर्मा	3508
204.	श्री वीरेन्द्र कुमार	3525, 3546, 3676
205.	श्री पी. विश्वनाथन	3453, 3621
206.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	3505, 3641, 3652
207.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	3519
208.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	3619
209.	श्री धर्मेन्द्र यादव	3476, 3549, 3601, 3665, 3678
210.	श्री ओम प्रकाश यादव	3572, 3665
211.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	3554, 3595
212.	श्री मधु गौड यास्खी	3476, 3549, 3600, 3665
213.	योगी आदित्यनाथ	3558

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों के मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	304, 307, 308, 319, 320
कोयला	:	301, 316
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	306, 309, 310, 311, 313
संस्कृति	:	—
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास	:	—
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	318
गृह	:	302, 303, 305, 314
सूचना और प्रसारण	:	312, 315
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	317.

अतारांकित प्रश्नों के मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	3453, 3454, 3455, 3461, 3465, 3466, 3485, 3492, 3501, 3508, 3509, 3512, 3514, 3516, 3517, 3518, 3519, 3525, 3526, 3527, 3529, 3533, 3539, 3540, 3542, 3544, 3552, 3553, 3554, 3556, 3560, 3561, 3567, 3576, 3581, 3584, 3588, 3593, 3600, 3601, 3602, 3608, 3625, 3629, 3631, 3634, 3637, 3639, 3643, 3655, 3661, 3662, 3670, 3675, 3680
कोयला	:	3451, 3452, 3456, 3457, 3464, 3482, 3498, 3511, 3531, 3549, 3563, 3565, 3579, 3582, 3607, 3620, 3627, 3648, 3652, 3674
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	3463, 3470, 3479, 3490, 3493, 3504, 3505, 3506, 3513, 3524, 3543, 3566, 3586, 3594, 3595, 3597, 3603, 3606, 3609, 3610, 3616, 3626, 3628, 3635, 3640, 3656, 3660, 3663, 3671
संस्कृति	:	3469, 3477, 3478, 3481, 3489, 3532, 3536, 3557, 3558, 3559, 3562, 3571, 3573, 3604, 3605, 3621, 3632, 3642, 3667

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास	:	3577
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	3468, 3496, 3545, 3550, 3592, 3598, 3678
गृह	:	3460, 3467, 3472, 3473, 3474, 3476, 3483, 3484, 348 3487, 3488, 3491, 3494, 3495, 3497, 3499, 3502, 3507 3520, 3521, 3522, 3523, 3528, 3530, 3537, 3547, 355 3564, 3569, 3570, 3572, 3575, 3580, 3587, 3589, 35 3596, 3611, 3614, 3615, 3617, 3618, 3619, 3623, 36 3630, 3633, 3636, 3638, 3641, 3644, 3645, 3646, 3 3650, 3651, 3653, 3658, 3664, 3665, 3666 3669, 3 3673, 3676, 3679
सूचना और प्रसारण	:	3458, 3459, 3471, 3475, 3480, 3510, 3515, 3534, 353 3538, 3541, 3548, 3555, 3585, 3590, 3599, 3612, 364 3668, 3677
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	3462, 3500, 3503, 3546, 3568, 3574, 3578, 3583, 3613, 3622, 3654, 3657, 3659.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेज़ी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/2/2/2011 (एन०)
339

© 2013 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।